चतुर्दश माला, खंड 10, अंक 37

गुरुवार, 12 मई, 2005
22 वैशाख, 1927 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौथा सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Unit
Parliament Building

Acc. No. 58
Dated 13/3/06

(खंड 10 में अंक 31 से 38 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

किरण साहनी
प्रधान मुख्य सम्पादक

प्र.ना. भारद्वाज
मुख्य सम्पादक

बलराम सूरी
वरिष्ठ सम्पादक

ललिता अरोड़ा
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 10, चौथा सत्र, 2005/1927 (शक)]

अंक 37, गुरुवार, 12 मई, 2005/22 वैशाख, 1927 (शक)

विषय	कॉलम
- सदस्यों द्वारा निवेदन	
(एक) बहुजन समाज पार्टी के एक नेता के विरुद्ध केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की गई जांच के बारे में	3–10
(दो) विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर एक अनन्य टी.वी. चैनल शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में	386–387
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 661 से 663	10–54
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 664 से 680	54–102
अतारांकित प्रश्न संख्या 6994 से 7155	102–279
सभा पटल पर रखे गए पत्र	279–283
राज्य सभा से संदेश और राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक	283, 448–449
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	
पांचवां प्रतिवेदन	283–284
अधीनस्थ विधान संबंधी समिति	
छठा प्रतिवेदन	284
उद्योग संबंधी स्थायी समिति	
172वें से 175वां प्रतिवेदन	284
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	
(एक) रेल संबंधी स्थायी समिति के पहले, तीसरे और चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति	
श्री आर. वेलु	285–286
(दो) रसायन और पेट्रो रसायन विभाग से संबंधित रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति	
श्री राम विलास पासवान	286–289

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
(तीन) उर्वरक विभाग से संबंधित रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति	
श्री रामविलास पासवान	289–291
(चार) इस्पात मंत्रालय से संबंधित कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति	
श्री रामविलास पासवान	291–292
(पांच) पंचायती राज मंत्रालय की ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति	
श्री मणि शंकर अय्यर	292–302
(छह) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2004-2005) के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति	
श्रीमती मीरा कुमार	302–312
(सात) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय से संबंधित उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 151वें, 156वें तथा 158वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति	
श्री संतोष मोहन देव	313–314
(आठ) पर्यटन मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांगों (2004-2005) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के उन्यासीवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति	
श्रीमती रेनुका चौधरी	314–342
(नौ) नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांगों (2004-05) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के अठहत्तरवें और अट्ठासीवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति	
श्री प्रफुल पटेल	341–353
अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी	
जल संसाधनों का संरक्षण तथा जल संबंधी संसदीय मंच गठित किए जाने की आवश्यकता	353–354
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
(एक) देश में परम्परागत मछुआरों के समक्ष आ रही समस्याओं तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम	356
श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार	356, 358–361
श्री कांतिलाल भूरिया	357–358, 361–362
श्री चन्द्रशेखर साहु	362–363
श्री के.एस. मनोज	362–363
(दो) त्रिवेन्द्रम स्थित कोवलम अशोक बीच रिजार्ट की एम फार होटल्स प्राइवेट लिमिटेड की कथित अनियमित बिक्री से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम	365–368
कार्य-मंत्रणा समिति के बारहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	369
सरकारी विधेयक—पुरःस्थापित	
(एक) लघु और मध्यम उद्यम विकास विधेयक, 2005	369–370

विषय		कॉलम
(दो)	कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2005	370
(तीन)	उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) संशोधन विधेयक, 2005	371–376
नियम 377 के अधीन मामले		394–400
(एक)	दिल्ली-जम्मू और जम्मू-अजमेर के बीच चलने वाली एक-एक रेलगाड़ी का नाम बदलकर "श्री माता वैष्णों देवी श्राइन एक्सप्रेस" तथा "अजमेर शरीफ दरगाह एक्सप्रेस" किए जाने की आवश्यकता	
	चौधरी लाल सिंह	394–395
(दो)	करनाल के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-1 स्थित टाल टैक्स प्लाजा को किसी अन्य स्थान पर ले जाए जाने की आवश्यकता	
	डा. अरविन्द शर्मा	395
(तीन)	जम्मू-कश्मीर में बसे हुए 1947 के शरणार्थियों को नागरिकता दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री मदन लाल शर्मा	396
(चार)	हरियाणा के फरीदाबाद जिले में अरावली की पहाड़ियों में कथित खनन की जांच किए जाने की आवश्यकता	
	श्री अवतार सिंह भडाना	396
(पांच)	गुजरात के बलसाड संसदीय क्षेत्र में बी.एस.एन.एल. की मोबाइल फोन सेवा में सुधार किए जाने की आवश्यकता	
	श्री किसनभाई वी. पटेल	396–397
(छह)	तमिलनाडु में विकलांग व्यक्तियों के अलावा अन्य चयनित श्रेणियों के व्यक्तियों को रेलवे स्टेशनों पर टेलीफोन बूथ चलाने की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री एस.के. खारवेनथन	397–398
(सात)	शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम के तहत कर्नाटक सरकार को देय बकाया अनुदान राशि जारी किए जाने की आवश्यकता	
	श्री इकबाल अहमद सरडगी	398
(आठ)	धुबरी फकीराग्राम रेल लाइन को फिर से चालू किए जाने की आवश्यकता	
	श्री अनवर हुसैन	398–399
(नौ)	उत्तरांचल तथा देश के अन्य भागों में गुर्जर समुदाय के पुनर्वास हेतु राष्ट्रीय योजना प्रतिपादित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री के.सी. सिंह "बाबा"	399
(दस)	दामोदर के जलागम क्षेत्र और दुर्गापुर बैरेज की फीडर नहरों में जमा गाद और बालू को नियमित रूप से निकालने हेतु एक कार्य योजना बनाए जाने की आवश्यकता	
	श्री सुनील खां	400
(ग्यारह)	जलपाईगुड़ी स्टेशन पर खाद्यान्नों को उतारने में लगे कामगारों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से जलपाईगुड़ी के रेल साइडिंग यार्ड को प्रचालनात्मक बनाए जाने की आवश्यकता	
	श्रीमती मिनाती सेन	400–401

विषय	कॉलम
(बारह) सर्कस उद्योग को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय सर्कस अकादमी की स्थापना किए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती पी. सतीदेवी	401–402
(तेरह) देश में व्यावसायिक शिक्षकों का मानदेय बढ़ाए जाने की आवश्यकता	
श्री रामजीलाल सुमन	402
(चौदह) उत्तर प्रदेश के लालगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल की समस्या हल किए जाने की आवश्यकता	
श्री दरोगा प्रसाद सरोज	402–403
(पन्द्रह) गया शहर में जल निकासी प्रणाली में सुधार करने के उद्देश्य से गया के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किए जाने की आवश्यकता	
श्री राजेश कुमार मांझी	403
(सोलह) उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत सड़क निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
श्री मो. ताहिर	403–404
(सत्रह) महाराष्ट्र में निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने हेतु महाराष्ट्र सरकार को अतिरिक्त अनुदान दिए जाने की आवश्यकता	
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक	404–405
(अठारह) पांडिचेरी के अति पिछड़ा वर्गों के लिए नियोजन में आरक्षण की नीति को क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता	
प्रो. एम. रामदास	405
(उन्नीस) बेंगलूर में मेट्रो परियोजना के क्रियान्वयन हेतु कर्नाटक सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता	
श्री एम. शिवन्ना	405–406
(बीस) अरूणाचल प्रदेश और असम को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-52 की मरम्मत/अनुरक्षण हेतु पर्याप्त निधि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
डा. अरूण कुमार शर्मा	406
सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिदान प्रणाली (विधि विरुद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध) विधेयक, 2005	406–430, 407–409
विचार करने के लिए प्रस्ताव	411
श्री के. नटवर सिंह	429–430
श्री रूपचंद पाल	409–416
श्री पवन कुमार बंसल	416–420
प्रो. राम गोपाल यादव	420–421
श्री निखिल कुमार	421–424
श्री सीताराम सिंह	424–425
श्री सी.के. चन्द्रप्पन	425–426
डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य	426–430
खंड 2 से 27 और 1	430
पारित करने के लिए प्रस्ताव	430

विषय	कॉलम
नियम 193 के अधीन चर्चा	
चीन के प्रधानमंत्री तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के बारे में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य	431–476
श्री रूपचंद पाल	431–438
श्री के.एस. राव	438–442
प्रो. राम गोपाल यादव	442–445
श्री हन्नान मोल्लाह	445–448
श्री पवन कुमार बंसल	449–452
श्री राम कृपाल यादव	452–454
श्री प्रबोध पाण्डा	455–457
प्रो. एम. रामदास	457–460
श्री मधुसूदन मिस्त्री	460–461
डा. एम. जगन्नाथ	462–463
श्री असादूद्दीन ओवेसी	463–465
श्री रामदास आठवले	465–467
डा. मनमोहन सिंह	467–476
प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) विधेयक, 2005	476–494
विचार करने के लिए प्रस्ताव	476
श्री शिवराज वि. पाटील	476–479, 490–494
डा. राजेश मिश्रा	479–482
श्री हन्नान मोल्लाह	482–484
श्री रामजीलाल सुमन	484–485
श्री राम कृपाल यादव	485–487
चौधरी लाल सिंह	487–488
श्री प्रबोध पाण्डा	488–490
खण्ड 2 से 25 और 1	494
पारित करने के लिए प्रस्ताव	494
विशेष आर्थिक जोन विधेयक, 2005	495–500
श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन	495–500
श्री हन्नान मोल्लाह	497–499
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	501
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	502–506
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	507–508
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	507–510

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री पवन कुमार बंसल
श्री गिरिधर गमांग
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री अजय माकन
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय
श्री बालासाहिब विखे पाटील
श्री वरकला राधाकृष्णन
श्री अर्जुन सेठी
ले. कर्नल (सेवानिवृत्त) मानवेन्द्र शाह
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री गुरदीप चन्द मलहोत्रा

लोक सभा

गुरुवार, 12 मई, 2005/22 वैशाख, 1927 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए]*

[हिन्दी]

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: प्लीज, आप बैठिये।

[अनुवाद]

मैं सभा को स्थगित कर दूंगा, मैं आपको शोरगुल करने की अनुमति नहीं दूंगा। आप में से कुछ को इस सभा से बाहर भी जाना होगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइये।

[अनुवाद]

आपको कम से कम यह बात तो सीखनी चाहिए। अच्छा बर्ताव करना सीखिए। मुझे ऐसे कठोर शब्द कहते हुए खेद हो रहा है। यह बहुत ही अजीब बात है। मैं अपकी सीट में बैठ भी नहीं पाया कि आप लोग शोर करने लगे हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री ब्रजेश पाठक (उन्नाव): अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रही बहन मायावती *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप धीरे से बोलिये, इतना जोर से बोलने की जरूरत नहीं है।

श्री ब्रजेश पाठक: उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहीं बन मायावती दलितों की मसीहा हैं। लेकिन सी.बी.आई. द्वारा दोहरा मापदंड अपनाकर उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा है। इस मौके पर आप मुझे बोलने की समय देने का कष्ट करें। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, शून्यकाल में आपको बोलने का मौका देंगे।

...(व्यवधान)

श्री ब्रजेश पाठक: यह बहुत गम्भीर मामला है *...(व्यवधान)*

श्री राजेश वर्मा (सीतापुर): अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है, हमें बोलने का मौका दीजिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: आपको मेरी मदद नहीं करनी होगी, मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: श्री राजेश वर्मा, कृपया उन्हें समझाएं।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.03 बजे

(इस समय श्री भालचन्द्र यादव और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभापटल के निकट खड़े हो गए)

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया, अपनी सीटों पर वापस चले जाइए, मैं आपके विरुद्ध कार्रवाई करूंगा, कृपया, अपनी सीटों पर वापस चले जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: सभा पूर्वाह्न 11.15 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.06 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा पूर्वाह्न 11.15 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

पूर्वाह्न 11.15 बजे

लोक सभा पूर्वाह्न 11.15 बजे पुन: समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) बहुजन समाज पार्टी के एक नेता के विरुद्ध केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की गई जांच के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री ब्रजेश पाठक, आपको क्या कहना है।

[हिन्दी]

श्री ब्रजेश पाठक (उन्नाव): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस देश के करोड़ों दलित-शोषितों के हितों को ध्यान में रखकर सीबीआई जांच एजेंसी के दोहरे मानदण्ड का खुलासा करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं ताकि भविष्य में इन वर्गों के साथ किसी भी प्रकार का कोई अन्याय न हो सके।

मान्यवर, किसी भी मामले को लेकर सीबीआई द्वारा जिस प्रकार से दलित शोषितों पर दोहरा मापदण्ड अपनाया जा रहा है, इससे यह साफ जाहिर होता है कि दुनिया में भारत एक ऐसा देश है, जहां कानून तो एक है लेकिन लागू दो तरीके से होता है। यहां दलित-शोषितों पर अलग और बाकी समाज के लोगों पर अलग तरीके से लागू होता है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल ताज प्रकरण मामले में हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कु. मायावती जी हैं। इस मामले में सीबीआई ने दोहरा मापदण्ड अपनाया है। हमारी नेता के मामले में अलग मापदण्ड और दूसरों के मामलों में अलग मापदण्ड अपनाया गया है, क्या इसलिए कि हमारी नेता दलित वर्ग से ताल्लुक रखती हैं?

इस बारे में मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ताज प्रकरण मामले में फंसे लोगों में से हमारी नेता को छोड़कर बाकी सभी लोगों के खिलाफ केवल एक एफआईआर दर्ज की गई है लेकिन हमारी नेता के खिलाफ डबल एआईआर दर्ज की गई है, ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि हमारी नेता एक दलित वर्ग से ताल्लुक रखती हैं। सीबीआई की ऐसी हरकतों से यह साफ जाहिर होता है कि सीबीआई अब स्वतंत्र जांच एजेंसी नहीं रही है बल्कि अब यह एजेंसी 101 प्रतिशत राजनीतिक एजेंसी के साथ-साथ जातिवादी एजेंसी भी बन चुकी है, जिसका सबसे बड़ा सूबत कल देश भर के पेपरों में हमारी नेता को ले कर सीबीआई द्वारा मीडिया को दी गई छपी रिपोर्ट है।

अब जहां तक ताज प्रकरण मामले से जोड़कर, सीबीआई द्वारा हमारी नेता के खिलाफ डीए का केस दर्ज करने का सवाल है इस बारे में सीबीआई माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने यह मान चुकी है कि ताज प्रकरण मामले में जो भी धन सरकार की ओर से दिया गया था, उसमें कोई सूबत नहीं मिला। इसके बावजूद भी सीबीआई हमारी नेता की सम्पत्ति की जांच कर रही है जबकि हमारी नेता के पास जो अभी सम्पत्ति है, वह इनकम टैक्स विभाग में दर्ज है। यहां मैं यह स्पष्ट करना आवश्यक समझता हूं कि सीबीआई जिस मामले को 175 करोड़ रुपए का घोटाला कह रही है उसमें आज तक सरकार द्वारा मात्र 17 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। सीबीआई इस घोटाले को 175 करोड़ रुपए का घोटाला बता कर प्रचारित कर रही है और मायावती जी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। इसके बाद भी हमारी नेता के ऊपर डीए का केस बनाया गया है और जिस आधार पर बनाया है, उसका खुलासा करना यहां जरूरी है।

सीबीआई ने हमारी नेता के मां, बाप, भाई, बहन तथा अन्य रिश्तेदारों की सम्पत्ति की हमारी नेता की सम्पत्ति मान कर हमारी नेता के खिलाफ डीए का केस बनाया है, जिसके बारे में सीबीआई पूछताछ कर रही है। सीबीआई के इस नए फार्मूले के तहत ही अब मैं आपसे अपील करता हूं कि आप सरकार के इस नए फार्मूले के तहत यह निर्देशित करें कि देश की सभी राष्ट्रीय व रीजनल पार्टियों के राष्ट्रीय व प्रांतीय अध्यक्षों को भी हमारी नेता की ही तरह, इनके भी मां, बाप, भाई-बहन व रिश्तेदारों की भी सम्पत्ति को इनसे जोड़ कर इनके खिलाफ भी डीए का केस दर्ज होना चाहिए और फिर इनकी भी हमारी नेता की ही तरह जांच-पड़ताल होनी चाहिए। यदि सरकार इसे लागू नहीं करती है तो इससे फिर यह साफ स्पष्ट हो जाएगा कि सीबीआई जांच के दौरान जो दोहरा मापदंड अपना रही है, यह सब सरकार के इशारे पर हो रहा है और हमारी पार्टी को राजनीतिक नुकसान पहुंचाने के लिए जातिगत द्वेष की भावना से हो रहा है। एसी स्थिति में फिर हमारी पार्टी को केंद्र में कांग्रेस पार्टी को दिए हुए समर्थन पर पुनर्विचार करना होगा कि कांग्रेस पार्टी को अब आगे समर्थन जारी रखना है या नहीं रखना है। इसकी घोषणा कल हमारी नेता ने कर दी है। हालांकि, इस पर चर्चा करने के लिए हमारी पार्टी ने आज पार्टी के सभी सांसदों की भी मीटिंग बुलाई थी, जिसमें इस मुद्दे पर काफी सोच-विचार किया गया है।

मैं सरकार से यह भी जानना चाहता हूं कि यदि सरकार यह मानती है कि हमारी नेता के ऊपर इस्तेमाल किया गया डीए का यह नया फार्मूला गलत है तो फिर सरकार से हमारी यह मांग है कि सरकार ऐसी सीबीआई अधिकारियों को तुरंत सीबीआई से हटाकर इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करे।

अंत में, मैं यह अपील करना चाहता हूं कि दलितों, शोषितों पीड़ितों के सम्मान का सवाल है। बहन मायावती उनके सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील करता हूं कि सरकार वक्तव्य दे कि इस संबंध में वह क्या कार्यवाही करने जा रही है? जय भीम जय भारत।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब, हम प्रश्नकाल पर चर्चा करेंगे, प्रश्न संख्या-661

[हिन्दी]

श्री ब्रजेश पाठक: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, वे जबाव दें कि यह दोहरा मानदंड क्यों अपनाया जा रहा है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं उन्हें बाध्य नहीं कर सकता हूं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने आपको पूरा अवसर दिया है। मैं उन्हें उत्तर देने के लिए कैसे बाध्य कर सकता हूं? यह तो सरकार पर पूर्णत: निर्भर करता है कि वह उत्तर दें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजेश वर्मा (सीतापुर): अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता सदन में मौजूद हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वे इस मामले में सदन को एश्योर करें कि वे कुछ कार्रवाई करेंगे। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं सरकार को उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता हूं, यह सरकार पर पूर्णत: निर्भर करता है कि वह इसका उत्तर दे।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: श्री ब्रजेश पाठक, हमने आपकी बात सुनी और आपको अपनी बात कहने का पूरा मौका दिया। अब आप हमारी बात सुनिए और सदन को चलने दीजिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपने मुझे वचन दिया था। मैंने आपको पूरे पांच मिनट वक्तव्य देने के लिए दिए हैं; फिर भी आप सभा की कार्यवाही में व्यवधान डाल रहे हैं। मैं यही कह सकता हूं कि आप बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरे पास उन्हें कुछ कहने के लिए बाध्य करने का अधिकार नहीं है। सरकार ने आपके विचारों को सुना। मंत्री जी यहां उपस्थित हैं।

[हिन्दी]

श्री राजाराम पाल (बिल्हौर): अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी सरकार का समर्थन कर रही है और हमें ही अपमानित किया जा रहा है।

महोदय, सदन के नेता, सदन में बैठे हुए हैं। हम चाहते हैं कि वे हमें एश्योर करें कि वे इसके लिए कुछ करेंगे। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं अन्य दलों के माननीय नेताओं से जो कुछ हुआ और चैम्बर में जो हुआ उन सबके बारे में कहने का अनुरोध करता हूं, मैं उनसे सहमत हूं, लेकिन अब आप अपने वचन का पालन नहीं कर रहे हैं। मुझे इसका भारी खेद है।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (बेतिया): अध्यक्ष महोदय, इसी तरह का व्यवहार श्री लालू प्रसाद यादव जी के साथ किया गया है *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): महोदय, माननीय सदस्यों ने कुछ मुद्दे उठाए हैं। किंतु आप यह बात स्वीकार करेंगे कि सरकार के लिए इन पर तुरन्त टिप्पण देना संभव नहीं है। उन्होंने कुछ मुद्दे उठाए हैं। हमने उन्हें नोट कर लिया है। मैं केवल यही कह सकता हूं। इसके अतिरिक्त मैं अन्य कोई टिप्पणी नहीं कर सकता।

अध्यक्ष महोदय: इसके बाद कार्यवाही-वृत्तांत में और कुछ सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: आप क्या कह रहे हैं। किस नियम के अंतर्गत मैं मंत्री महोदय को इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य कर सकता हूं? सभा के नेता ने आपके प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। आप केवल सभा की कार्यवाही में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपको पूरा समय दिया है। आप भलीभांति यह बात जानते हैं कि मैं सरकार को कोई टिप्पणी करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता हूं। माननीय नेता पहले ही इस मुद्दे का उत्तर दे चुके हैं। अब आप जानबूझकर व्यवधान पैदा कर रहे हैं। मैं केवल यही कह सकता हूं कि यह शर्मनाक आचरण है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप बहन जी की इज्जत चाहते हैं तो स्पीकर को भी इज्जत दीजिए, आफ इस तरह से इज्जत दे रहे हैं। आप लोग हाउस को इज्जत दीजिए, जनता को इज्जत दीजिए।

[अनुवाद]

वे पहले ही उत्तर दे चुके हैं। मैं पहले ही यह कह चुका हूं कि मैं इसे लौटाना नहीं चाहता हूं।

[हिन्दी]

क्या बातचीत हुई थी?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: दो मिनट स्पीकर को भी बोलने दीजिए।

[अनुवाद]

आप इस प्रकार गैर-जिम्मेदराना व्यवहार करके इस बारे में कोई सहायता नहीं कर रहे हैं। मैंने कई बातों का सुझाव दिया था। मैंने पुन: यह कहा है कि मैं इस बात को पुन: दोहराना नहीं चाहता हूं कि नेताओं की बैठक में क्या हुआ था। मैं फिर यह कह रहा हूं। ठीक है, आपने यह कहा था कि आप बोलना चाहते हैं और मैंने आपको पूरी तरह वक्तव्य देने की अनुमति दे दी है।

फिर, मैंने एक बार नहीं अपितु बार-बार यह कहा है कि मुझे वह नियम दिखायें जिसके अंतर्गत मैं सरकार को आपकी इच्छानुसार बोलने अथवा न बोलने के लिए बाध्य कर सकूं। मुद्दा यह है। माननीय सत्ता पक्ष के नेता ने यह कहा है कि उन्होंने यह सुन लिया है मामला महत्वपूर्ण है और वे इस पर तत्काल प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर सकते हैं। फिर, इसमें बीच में सभा कहां से आई? आप जाएं, और उनसे बाहर बातचीत करें और इसके बारे में पता लगाएं। यदि सभा में काम नहीं हो रहा है तो क्या इससे आपको लाभ होगा? कोई भी यह नहीं कह रहा है कि यह ठीक हुआ है। किसी ने कोई प्रमाणपत्र नहीं दिया है। मैं सी.बी.आई. को कोई प्रमाणपत्र नहीं दे रहा हूं। इसलिए सभा के काम को इस प्रकार रोके रखने में क्या लाभ है? आपके पास उठाने के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। आपके अन्य सहयोगियों के पास उठाने के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। मैं आपसे पुरजोर अपील करता हूं। मैंने मामले की गंभीरता के कारण आपको बोलने की अनुमति दी है और मैं आपकी इन भावनाओं को समझता हूं कि आपके अनुसार आपके नेता के साथ उचित व्यवहार नहीं किया जा रहा है। मुझे विश्वास है कि इसके लिए सरकार जिम्मेदार है और सरकार को इस पर ध्यान देना होगा। इन्हें भी समय दें। कृपया यह मत समझिए कि हम मामले के महत्व को कम कर रहे हैं। कम-से-कम मैं तो इसके महत्व को कम नहीं कर रहा हूं। वह एक सम्मानित नेता हैं और वह हमारी सहयोगी रही हैं। किंतु आप अपने पक्ष अथवा अपनी इच्छानुसार इसका तत्काल उत्तर चाहते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजेश वर्मा: आप एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप एक-एक करके बोलिये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं आपके नेता की बात सुनूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजेश वर्मा: माननीय नेता सदन में बैठे हुए हैं, ये सदन को एश्योर कर दें कि हमने जो मांग की है, जो हमारे खिलाफ सी.बी.आई. के द्वारा यह अत्याचार और अन्याय हो रहा है, इस

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रकरण को ये गम्भीरता से लेंगे और अगर जरूरी होगा तो सरकार इसका जवाब देने के लिए तैयार है, हम यह चाहते हैं। ये जब चाहें, तब अपना जवाब दे दें। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रणब मुखर्जी: महोदय, मैंने माननीय सदस्यों को यह बताया है कि मैंने उनकी बातें सुन ली हैं और उनकी चिंता को समझ लिया है। किंतु सरकार के लिए तत्काल प्रतिक्रिया व्यक्त करना संभव नहीं है। यदि जरूरत हुई तो हम उनकी बात सुनने तथा उनसे बात करने के लिए तैयार हैं। हम उनकी समस्या समझने और उन्हें सुलझाने का प्रयत्न करेंगे। हमारी मंशा किसी महत्वपूर्ण नेता को परेशान करने की नहीं है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: वे बोल रहे हैं कि आपके साथ बातचीत करेंगे। लेकिन आज ही कैसे कर सकते हैं?

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रणब मुखर्जी: किसी नेता को परेशान करने की किसी मंशा वाला कोई प्रश्न नहीं है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप क्या चाहते हैं? अब हो तो गया।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रणब मुखर्जी: हम सभी चिंतित हैं क्योंकि वे हमारी सहयोगी हैं। वे यूपीए की समर्थक हैं। इस मामले की सुलझाया जाना चाहिए। उन्हें सभा की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न न करने दें। मैं उनके साथ बैठने और बातचीत करने के लिए तैयार हूं। गृह मंत्री उनके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। आइए इस समस्या को सुलझाएं। किंतु मैं ऐसा कोई आश्वासन नहीं दे सकता कि हम उनकी इच्छानुसार कार्य करेंगे।

[हिन्दी]

श्री राजेश वर्मा: ठीक है, महोदय।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय नेतागण, मामलों को सुलझाने का यही तरीका है। उन्होंने यह आश्वासन दिया है कि वे मुद्दे पर विचार करेंगे और आपके साथ बैठकर बातचीत करेंगे। सहयोग करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

पूर्वाह्न 11.31 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: बालासोवरी वल्लभनेनी, प्रश्न संख्या 661

वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ करना

*661. **श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:**
श्री ई. पोन्नुस्वामी:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने डीजल और पेट्रोल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आपूर्ति किए जाने वाले मिट्टी के तेल की मिलावट को रोकने और राजसहायता प्राप्त मिट्टी के तेल के वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ करने हेतु विस्तृत मार्गनिर्देश तैयार किए हैं जैसाकि दिनांक 7 अप्रैल 2005 के "एशियन एज" अखबार में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) किसी उल्लंघन/मिलावट के मामले का पता लगने पर क्या दंडात्मक कार्रवाई किए जाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) सदन के पटल पर एक विवरण रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) सरकार/तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) के पास मिलावट रोकने के लिए पहले से ही निम्नलिखित मुख्य उपाय हैं:

(1) जैसा कि सरकार ने परामर्श दिया है, तेल विपणन कंपनियों ने मानक और दिशानिर्देश विनिर्दिष्ट करने और उन कार्यों और प्रचालनों की निगरानी करने,

जिनसे मिलावट हो सकती है, के निदेशक (विपणन) के अतिरिक्त एक निदेशक को रिपोर्ट करने के लिए अलग स्कंध स्थापित किया है,

(2) समानान्तर विपणनकर्त्ताओं द्वारा सुपीरियर केरोसिन आयल (एसकेओ) के दुरूपयोग/विपथन को नियंत्रित करने के लिए एसकेओ का आयात ओएमसीज के माध्यम से सरणीबद्ध कर दिया गया है,

(3) तेल विपणन कंपनियों ने परिवहनकर्ताओं द्वारा मार्ग में मिलावट रोकने के लिए नई छेड़छाड़ रोधी टैंक ट्रक ताला प्रणाली की शुरूआत की है,

(4) ओएमसीज खुदरा बिक्री केन्द्रों में ईंधन टैंकों के स्तर की निगरानी करने के लिए खुदरा स्वचलन और वैश्विक स्थिति प्रणाली (जीपीएस) के माध्यम से टैंक ट्रकों के परिवहन की निगरानी जैसे आईटी समाधान लागू कर रही हैं,

(5) ओएमसीज ने खुदरा बिक्री केन्द्रों की ब्रान्डिंग और तीसरे पक्षकार का प्रमाणन आरंभ किया है जिन दोनों उपायों से मिलावट रोकने में मदद मिलने की संभावना है।

ये और अन्य उपाय मिलावट रोकने के लिए सरकार के निरन्तर पुनरीक्षण में रखे जाते हैं।

पहले से उपस्थित उपायों के अलावा सरकार ने हाल में सा.वि.प्र. मिट्टी तेल वितरण नेटवर्क का आमूलचूल सुधार करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की एक नई प्रायोगिक योजना का हाल ही में अनुमोदन कर दिया है जिसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यह अत्यधिक रियायती परियोजना इच्छित लाभार्थियों को रियायती दरों पर वांछित मात्राओं में वास्तविक रूप से उपलब्ध कराई जाए और साथ ही इस प्रकार मिलावट के लिए सा.वि.प्र. के एसकेओ का विपथन नियंत्रित, पलटा और अन्ततः समाप्त किया जा सके। प्रायोगिक परियोजना छह महीनों की अवधि के लिए देश के दस प्रतिशत ब्लाकों में कार्यान्वित की जानी है। इसके बाद योजना की कार्य प्रणाली का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन किया जाएगा और प्राप्त अनुभव के आधार पर सरकार पूरे देश को कवर करने के लिए योजना को जांचने पर विचार करेगी।

इस नई प्रायोगिक परियोजना की मुख्य विशेषताएं नीचे संक्षेप में दी गई हैं:

(1) ओएमसीज देश के प्रत्येक विकास ब्लाक में कम से कम एसकेओ डीलरशिप स्थापित करेंगी (वर्तमान में आधे से अधिक ब्लाक समाहित हैं और शहरी ब्लाकों में गैर-आनुपातिक, आमतौर पर बहु जमाव है),

(2) जिला प्रशासन और थोक डीलर से परामर्श से लगभग 5-10 उप थोक बिक्री स्थल प्रत्येक ब्लाक में स्थित किए जाएंगे,

(3) व्यापक लोक सूचना और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सा.वि.प्र. मिट्टी तेल के परिवहन के हेतु टैंकर ट्रकों (टीटीज) का समर्पित बेड़ा होगा। ये टीटीज उस विशेष लोगों को साफ तौर पर प्रदर्शित करेंगे जो समर्पित बेड़े के लिए बनाया जा रहा है। इसे उस टीटी के बाहर साफ रूप से लिखा जाएगा, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्धारित मिट्टी तेल का परिवहन कर रहा है,

(4) एसकेओ डीलरशिपों पर भंडारण वितरण सेवाओं को ओएमसीज द्वारा अपने खर्च पर पेट्रोल और डीजल बिक्री केन्द्रों पर प्रदान की जाने वाली आधुनिक सुविधाओं के समान करने के लिए मंत्रालय का तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओआईडीबी) प्रायोगिक परियोजना के अंतर्गत कवर की जाने वाली प्रत्येक डीलरशिप पर निम्नलिखित सुविधाओं की स्थापना सुनिश्चित करने हेतु ओएमसीज को वित्तपोषित करेगा,

- 20 कि.मी. की न्यूनतम क्षमता वाले भंडारण टैंक,
- इलैक्ट्रानिकली मीटर्ड वितरण पंप
- वाहनों द्वारा उप थोक बिक्री केन्द्रों तक एसकेओ की सुपुर्दगी के लिए विशेष लोगों से समुचित रूप से सज्जित पर्याप्त संख्या में बैरल
- एक अथवा अधिक बैरल शैड

(5) उप-थोक बिक्री केन्द्रों को आपूर्तियां ओएमसीज के सीधे निरीक्षण और दायित्व के तहत की जाएंगी, परन्तु खुदरा बिक्री केन्द्रों तक पीडीएस एसकेओ के सुविधाजनक और आश्वस्त परिवहन के लिए उप-थोक बिक्री केन्द्र पर विशेष लोगों से सज्जित पर्याप्त संख्या में बैरल उपलब्ध कराए जाएंगे। थोक बिक्री से उप-थोक बिक्री केन्द्रों तक वहां से उचित दर दुकानों पर खुदरा केन्द्रों तक पीडीएस एसकेओ का परिवहन करने वाले वाहनों पर ऐसे ही लोगो दर्शाए जाएंगे।

(6) प्रत्येक उचित दर दुकान पर पीडीएस एसकेओ का भंडारण स्पष्टतः पहचान किए गए लोगो वाले बैरलों में किया जाएगा जिन तक आम लोग पीडीएस एसकेओ

के शेष उपलब्धता का स्वयं पता लगाने के लिए पहुंचेंगे।

(7) राज्य सरकारों के साथ परामर्श से पंचायतों और ग्राम सभाओं को थोड़ी मात्राओं में और राजसहायता प्रदत्त मूल्यों पर पीडीएस एसकेओ की उपलब्धता का सामान्यत: निरीक्षण करने के लिए शक्तिप्रदत्त किया जाएगा तथा पंचायतों/ग्राम सभाओं के लिए किसी खामी की रिपोर्ट राज्य प्रशासन और संबंधित ओएमसीज को करने हेतु एक रिपोर्ट व्यवस्था आरंभ की जाएगी।

क्रियान्वयन व्यवस्था का ब्यौरा संबंधित प्राधिकारियों के पास तैयार किया जा रहा है। आशा है कि इससे राजसहायता प्रदत्त एसकेओ की समाज के हकदार वर्गों को सुपुर्दगी में महत्वपूर्ण प्रगति होगी और इस प्रकार मिलावट के लिए विपथन पर रोक लगाने में सहायक होगी।

इन उपायों के अलावा मंत्रालय ने देश व्यापी पैमाने पर हकदार लाभ प्राप्तकर्त्ताओं के लिए पीडीएस मिट्टी तेल की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक व्यापक और यूक्तियुक्त नीति क्रियान्वित करने के लिए आधार तैयार करने हेतु देश में सर्वथा प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन तैयार करने के लिए राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर) चालू की है।

(ग) सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) द्वारा निम्नलिखित प्रावधानों के तहत मिलावट के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाती है:

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत ईंधन मिलावट रोकने के लिए सरकार द्वारा जारी नियंत्रण आदेशों के तहत राज्य सरकारें मिलावट में लिप्त होने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए शक्तिप्रदत्त हैं। सरकार ने राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रशासनों के साथ यह मामला उठाया है कि मिलावट से संबंधित क्रियाकलापों को न्यूनतम करने के लिए निरीक्षणों/औचक जांचों में वृद्धि की जाए और अपने क्षेत्राधिकार के अधीन विभिन्न निजी फर्मों, कारखानों, संक्रिया यूनिटों आदि में सतर्कता बरती जाए/निरीक्षण आयोजित किए जाएं ताकि मिलावट करने के आदी लोगों की पहचान की जा सके और उपलब्ध कानूनी ढांचे के भीतर उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा सके।

(2) ओएमसीज खुदरा बिक्री केन्द्रों के नियमित और औचक निरीक्षण करती हैं और विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों (एमडीजी) और डीलरशिप करारों के तहत मिलावट और कदाचारों में लिप्त होने वालों के विरुद्ध कार्रवाई भी करती है। एमडीजी में मिलावट के मामले सिद्ध होने की स्थिति में डीलरशिप की समाप्ति के दंड का प्रावधान है।

श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: माननीय अध्यक्ष महोदय, देश में डीजल और पेट्रोल में मिट्टी का तेल मिलाए जाने के बारे में व्यापक आक्रोश है। मंत्रालय द्वारा समय-समय पर किए जाने वाले प्रयासों के बावजूद यह खतरा अभी समाप्त नहीं हुआ है। मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाता रहा है और प्रयास करता रहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरण हेतु नियत मिट्टी के तेल का डीजल और पेट्रोल में अपमिश्रण हेतु इस्तेमाल न हो। फिल्टर पेपर परीक्षण, मिट्टी के तेल को नीला रंग देकर, निगरानी दलों द्वारा नियमित और औचक निरीक्षण इत्यादि जैसे उपायों से उपमिश्रण को रोका जा सकता है। क्या मंत्रालय इस संबंध में सफल रहा है।

मंत्री महोदय द्वारा एक अपमिश्रण-रोधी प्रकोष्ठ का गठन किया गया था। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या यह प्रकोष्ठ अब कार्यरत है अथवा नहीं। क्या यह सच है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किए जाने वाले मिट्टी के तेल के अपमिश्रण के कारण गत तीन वर्षों के दौरान भारत में डीजल की खपत में चार प्रतिशत की गिरावट आयी है। यदि यह सच है तो इस संबंध में मंत्री महोदय क्या कदम उठा रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय: यह सही नहीं है। हमें प्रश्न कैसे पूछा जाए यह सीखना चाहिए।

श्री मणि शंकर अय्यर: अध्यक्ष महोदय, मैंने वक्तव्य में विस्तार से बताया है कि हम इस संबंध में अनेक उपाय कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि जब तक मिट्टी के तेल और डीजल की कीमतों में भारी अन्तर रहेगा तब तक बेईमान लोग, जो इस देश में हैं, इस स्थिति का लाभ उठाएंगे और उठाने की कोशिश करेंगे। हम इसका मुकाबला करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा विश्वास है कि होने वाले अपमिश्रण को काफी हद तक हम कम कर पाये हैं। इसके अलावा जो कदम हम उठा रहे हैं, जिसका ब्यौरा उत्तर में दिया गया है, उससे इस लक्ष्य की प्राप्ति में आगे सहयोग मिलेगा।

जहां तक अपमिश्रण-रोधी प्रकोष्ठ का प्रश्न है, क्योंकि यह अप्रभावी हो गया था—इसके कुछ अधिकारियों की जांच सीबीआई द्वारा की जा रही थी—अत: यह महसूस किया गया कि इस प्रकोष्ठ से बनाए रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पा रही थी। एक-सदस्यीय समिति से रिपोर्ट मिलने के बाद हमने इसे समाप्त कर दिया। हम अन्य तरीके ढूंढने का प्रयास कर रहे

हैं जिसमें वह नयी प्रायोगिक परियोजना भी शामिल है जिसका जिक्र लिखित उत्तर में किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत जिन लोगों को मिट्टी का तेल दिया जाना है उन तक यह पहुंचे। हमारे विचाराधीन कई कदम हैं जिससे यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा कि खुले बाजार में बिकने वाला मिट्टी का तेल बड़ी मात्रा में प्लास्टिक के थैलों में उपलब्ध हो। हमें यकीन है कि इन सबसे मिट्टी के तेल और डीजल की कीमतों में एक तरफ अन्तर कम होगा तो दूसरी तरफ अपमिश्रण को सक्रियता से रोकने के साथ-साथ यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि पीडीएस के अन्तर्गत मिट्टी का तेल वांछित लाभार्थियों को मिले।

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत विस्तृत उत्तर है। क्या आप आगे अनुपूरक पूछना चाहते हैं?

श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: जी हां।

माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में बताया है कि सरकार ने हाल ही में पीडीएस द्वारा मिट्टी के तेल का वितरण में सुधार हेतु एक नयी प्रायोगिक परियोजना को स्वीकृति दी है। क्या मंत्री ने इस पर राज्य सरकारों से चर्चा की है क्योंकि वही लागू करने वाली एजेन्सियां हैं। मंत्री इसे कब कार्यान्वित करेंगे?

श्री मणि शंकर अय्यर: पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय अभी इस प्रायोगिक परियोजना के ब्यौरे को अन्तिम रूप देने में लगा है। इसमें कई प्रशासनिक बातें हैं जिसका ध्यान रखा जाना है। हम बहुत शीघ्र ही, कुछ ही दिनों के भीतर राज्य सरकारों के अधिकारियों को बुलाकर उनके साथ काम करेंगे। हम उपभोक्ता मामले और वितरण से संबद्ध केन्द्रीय मंत्रालय के साथ भी काम कर रहे हैं। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहूंगा कि कार्यान्वयन स्तर पर जाने से पहले हम राज्य सरकारों से परामर्श करेंगे। राज्य सरकारों का सहयोग इस कार्य में अवश्य चाहिए। किन्तु, मुझे आशा है कि सभी राज्य सरकारें सहमत होंगी कि यह एक गंभीर समस्या हैं, इसे निपटाने का यह गंभीर प्रयास है और प्रायोगिक परियोजना की पूर्ण सफलता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारें अपना पूरा सहयोग देंगी।

श्री ई. पोन्नुस्वामी: धन्यवाद, महोदय, कृपया मुझे मेरा प्रश्न पूरा करने की अनुमति दीजिए।

अध्यक्ष महोदय: बहुत अनुचित बात है। यदि प्रश्न बहुत लम्बा हुआ तो मुझे आपको रोकना पड़ेगा।

श्री ई. पोन्नुस्वामी: महोदय, कृपया माफ करें। माननीय मंत्री पूरी क्षमता से मांग और पूर्ति स्थिति से निपटने का प्रयास कर रहे हैं जैसा कि किसी भी मंत्री ने पहले नहीं किया है, और मुझे इस बात की जानकारी है। माननीय मंत्री ने अपने विस्तृत उत्तर में उठाए गए और उठाए जा रहे उन सभी कदमों का ब्यौरा दिया है जिससे न केवल वितरण सुदृढ़ होगा बल्कि अधिक राजसहायता प्राप्त इस मिट्टी के तेल के अन्यत्र जाने को भी रोका जा सकेगा।

मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या जैसा पहले प्रस्ताव किया गया है उसके अनुरूप सचलवैन द्वारा दूरस्थ क्षेत्रों में जरूरतमंद गरीब लोगों को मिट्टी का तेल वितरित करने हेतु कोई प्रस्ताव है।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्रालय द्वारा पौली पैक्स शुरू करके वितरण में सुधार करने हेतु कदम उठाए गए हैं जिसके लिए प्रधानमंत्री के पास एक प्रस्ताव सौंपा गया है, जैसा कि 4-8-2004 में 'द इकोनामिक्स टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है। प्रधानमंत्री ने भी यही कहा है "इस बारे में वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करें।"

मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री को यह ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश में उनके थोक एजेंट ने नीलामी में 55 लाख रु. में 125 किलोलीटर मिट्टी का तेल लिया है। मुझे यह पता नहीं है कि वह मिलावट किये बिना या उसकी कालाबाजारी किए बिना कैसे वह लाभ कमा रहा है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि गरीबों के लिए वितरण प्रणाली को सुदृढ़ और चुस्त-दुरस्त बनाने के लिए वह कौन-सा कदम उठाने पर विचार कर रहे हैं।

श्री मणि शंकर अय्यर: अध्यक्ष महोदय, कृपया मुझे कहने की अनुमति दें कि मैं माननीय सदस्य जो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में मुझसे पहले पदासीन थे, से ऐसी बातें सुन कर अभिभूत हूं।

अध्यक्ष महोदय: आप बेरोकटोक अपना प्रश्न पूछिए।

श्री मणि शंकर अय्यर: महोदय, हम निश्चित रूप से पोली पैक के मुद्दे का निपटान कर रहे हैं। परन्तु, मेरी समझ से, हमें इस बात की प्रशंसा करनी चाहिए कि इसमें दो प्रकार का केरोसिन शामिल है। एक ओर पी.डी.एस. केरोसिन प्रणाली है जिसके लिए इस व्यापक व अभिनव प्रायोगिक परियोजना को तैयार किया गया है। इसमें यह प्रयास किया जाता है कि केरोसिन सीधे तौर पर उपभोक्ताओं के पास पहुंचे। यदि यह कार्य मोबाइल वाहनों के माध्यम से किया जाता है तो ऐसा करना संभव है। परन्तु देश में ढाई लाख ग्राम पंचायते तथा करीब पांच लाख उचित दर की दुकानें हैं। इस स्थिति में आप इस बात से सहमत होंगे कि मोबाइल वाहनों की भूमिका बहुत हद तक सीमित है। आवश्यकता इस बात की है कि हम एक सुव्यवस्थित प्रणाली विकसित करें

ताकि पूरे देश में 500,000 उचित दर की दुकानों पर केरोसिन वास्तविक रूप से पहुंच सके। हमने यह प्रयास किया है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में उचित दर की दुकानों को ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के सामान्य पर्यवेक्षण के अंतर्गत लाया जाए।

महोदय, माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित विशिष्ट मामले का जहां तक प्रश्न है, आपके अपने नियमों के अंतर्गत हमें सामान्य तौर पर किसी विशेष उदाहरण के बारे में टिप्पणी करने की इजाजत नहीं है। मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित मामले का पूर्ण ब्यौरा मेरे पास उपलब्ध नहीं है। यदि आप मुझे इसे उपलब्ध करा दें तो मैं इस सभा को आश्वस्त करता हूं कि हम इस मामले की और अधिक गहन छानबीन कर सकते हैं।

श्री अनिल बसु: महोदय, मंत्री जी ने चार पृष्ठ का एक काफी लम्बा उत्तर दिया है। उन्होंने इस समस्या की गम्भीरता को भी स्वीकार किया है। क्या मंत्री महोदय इस तथ्य से अवगत हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु आवंटित केरोसिन तेल का आबंटन महानगरों में भारी मात्रा में किया जा रहा है, जहां प्रत्येक घर में रसोई गैस उपलब्ध है? इसके पीछे क्या रहस्य है? क्या वह इसके बारे में जांच करेंगे?

बात यह है कि ढुलाई के दौरान डिपो से तथा बड़े डीलरों के यहां से केरोसिन तेल की चोरी होती है। आवंटन पद्धति में आप पायेंगे कि सभी महानगरों में भारी मात्रा में पी.डी.एस. केरोसिन तेल का आवंटन किया जाता है। किसी को इसका कारण पता नहीं है। अधिकांश केरोसिन तेल का उपयोग मिलावट के लिए किया जाता है। क्या मंत्री महोदय उन गांवों में पी.डी.एस. केरोसिन तेल की आपूर्ति सुनिश्चित करने पर भी विचार करेंगे जहां बिजली उपलब्ध नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय यह जिम्मेदारी अपने ऊपर लेंगे।

अध्यक्ष महोदय: यह अच्छा प्रश्न है।

श्री मणि शंकर अय्यर: अध्यक्ष महोदय, मैं संक्षेप में यह बताना चाहता हूं कि भारत के गांवों में रह रहे करोड़ों लोगों को केरोसिन तेल मुहैय्या कराने के कार्य से बढ़कर कोई अन्य काम मेरे मंत्रालय के पास नहीं है। मैंने इस सभा का धैर्य बनाए रखा है, इसीलिए मैंने माननीय सदस्यों को विस्तार में लिखित उत्तर दे दिया है। परन्तु मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार का कार्य राज्यों के लिए आवंटन करना मात्र है। आगे जिस तरह से आवंटन किया जाता है यह जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है। मैं यह स्वीकार करता हूं कि अधिकांश राज्य सरकारों ने महानगरों और अन्य शहरी क्षेत्रों को अनुपात से अधिक केरोसिन तेल का आवंटन किया है। इसलिए हमने राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद का गठन किया है जो हमारे समाज के विभिन्न क्षेत्रों में केरोसिन की मांग तथा विभिन्न उपलब्ध मूल्यों के संबंध में आकलन करने हेतु स्वतंत्र भारत के इतिहास में किया जाने वाला पहला वैज्ञानिक अध्ययन होगा। यह अध्ययन कार्य प्रगति पर है। मैं आशा करता हूं कि संबंधित परिणाम जुलाई तक प्राप्त हो जाएंगे। उन्होंने पहले कहा था कि वे संबंधित रिपोर्ट मई तक दे देंगे। इस अमूल्य दस्तावेज के प्राप्त होते ही हम पहले की अपेक्षा अधिक तर्कसंगत वितरण प्रणाली लागू करने की दिशा में अग्रसर होंगे। मैं आशा करता हूं कि इस प्रयास में पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों की सरकारों से सहयोग प्राप्त होगा क्योंकि पश्चिम बंगाल के प्रमुख महानगर कोलकाता में, जिसे 'सिटी आफ ज्वाय' के नाम से पुकारा जाता है, केरोसिन आपूर्ति का केन्द्रीकरण हो गया है।

अध्यक्ष महोदय: आपने इसे माना, इससे मैं प्रसन्न हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री अनिल बसु, और अधिक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

श्री अनिल बसु: कुल आवंटन में से महानगरों को कितना दिया जा रहा है?

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने यह बता दिया है कि यह काम राज्य सरकारें करती हैं।

[हिन्दी]

डा. अरविन्द शर्मा: अध्यक्ष महोदय, एसकेओ केरोसिन को पीडीएस के लिए यूज किया जाता है। ओएमसी, आईओसी, बीपीसीएल कम्पनियां उन्हीं डिस्टीब्यूटर्स को सफेद केरोसिन दे रही हैं जिनके पास पीडीएस है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह बात सच है?

दूसरा, पेरलल मार्केटिंग सिस्टम सन् 1993 से 2003 तक चला लेकिन सरकार ने अब उसे बैन कर दिया है। आर्डर में कहा गया है-

> "प्रतिबंध आदेश को 25 नवम्बर, 2005 को लागू किया गया था। पत्तन से डीजल में ह्वाइट एस के ओ की मिलावट को रोकने के तर्क के साथ, शब्द 'मुक्त आयात' के स्थान पर "ओ एम सी यथा आई ओ सी, बी जी सी एल, एच पी सी एल, आई बी पी और एस टी सी के माध्यम से किया गया आयात" का प्रयोग किया गया था।"

[हिन्दी]

मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार पेरलल मार्केटंग सिस्टम को चालू कर रही है?

श्री मणि शंकर अय्यर: महोदय, पेरलल मार्केटिंग सिस्टम को बंद किया गया है और उसे पुन: स्थापित करने कोई इरादा नहीं है। जहां तक सफेद केरोसिन या फ्री सेल केरोसिन का सवाल है, हमने राज्य सरकारों को कहा है कि उसकी बिक्री के लिए किन-किन डिस्ट्रीब्यूटर्स को इजाजत दी जायेगी, वे उसे खुद तय करें। जहां तक हमारे ओएमसीज का सवाल है, उनको हमने पीडीएस केरोसिन के लिए इंतजाम करने के लिए मजबूर किया है। साथ-साथ पीडीएस केरोसिन के अलावा जो मिट्टी का तेल है, उसकी बिक्री के लिए उनको पूरी छूट प्राप्त है, लेकिन यह छूट इस शर्त पर प्राप्त है कि राज्य सरकार द्वारा तय किए गए तरीके के अनुसार ही बिक्री या व्यापार किया जाना चाहिए।

श्री रघुराज सिंह शाक्य: अध्यक्ष जी, यह निश्चित बात है कि सरकार मिट्टी के तेल में मिलावट को रोकने के लिए तमाम प्रयास कर रही है लेकिन यह भी हकीकत है कि ये प्रयास मिलावट रोकने में विफल रहे हैं। आज भी मिट्टी के तेल में 100 प्रतिशत मिलावट हो रही है और आम जनता, गांवों में रहने वाले किसानों और गरीब लोगों के पास मिट्टी के तेल पहुंच नहीं पा रहा है। आज किसी भी जगह जाइए, आप कहीं भी देखिए, चाहे वह पेट्रोल पम्प हों या फुटकर विक्रेता हों, हर जगह मिपावट वाले मिट्टी के तेल की बिक्री सरेआम जारी है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं क्या कोई ऐसा नियम बनाया जा सता है कि जो मिट्टी का तेल गरीब लोगों और आम जनता को दिया जा रहा है, उसके बदले में उन्हें गैस कनेक्शन दिए जा सके? इससे मिट्टी के तेल में होने वाली मिलावट को रोका जा सकता है। क्या सरकार द्वारा इस प्रकार के गैस कनेक्शन छूट पर दने का काम करेगी?

श्री मणि शंकर अय्यर: महोदय, मेरे ख्याल में यह एक गलतफहमी है कि जब गैस का उपयोग बढ़ता है तो मिट्टी के तेल का उपयोग कम होता है। पहले इसी आधार पर यह नीति तय की गयी थी, लेकिन हम सभी जानते हैं कि अमीर लोग कभी-कभी डबल कनेक्शन ले लेते हैं और वहां भी एलपीजी डोमेस्टिक गैस का दुरूपयोग व्यापारिक कामों में होता है। मुझे लगता है कि इन दोनों को समेटने के बजाए यह बेहतर होगा कि हम यह जान लें कि देश में समाज के अन्य वर्गों की मिट्टी के तेल की असली मांग क्या है? इसीलिए इसका अध्ययन करने के लिए हमने नेशनल काउंसिल आफ एप्लाइड रिसर्च को मैण्डेट दिया है और उनकी अध्ययन रिपोर्ट कुछ ही हफ्तों में हमें प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद ही हम यह तय कर सकेंगे कि इस पर क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। मुझे लगता है कि यह बेहतर होगा।

जहां तक मिट्टी के तेल को उस उपभोक्ता तक पहुंचाने की बात है जिसके लिए हमने यह सब्सिडी दी है, उसके लिए क्या प्रबंध होने चाहिए, यह मैंने तफसील में अपने लिखित जवाब में बताया है। इसके साथ ही एक चीज कहने की मुझे बड़ी आवश्यकता है कि कानून एवं व्यवस्था का काम राज्य सरकार पर निर्भर करता है और हमने राज्य सरकार को इस विषय में पूरी शक्ति और अधिकार दे दिए हैं कि कैसे इस पर नियन्त्रण रखें। यदि माननीय सदस्य को यह जानकारी हो कि हर पेट्रोल पम्प या बहुत ज्यादा पेट्रोल पम्पों में यह काम हो रहा है तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया आप अपनी राज्य सरकार को सूचित करें, क्योंकि उनका यह कर्त्तव्य बनता है कि वे ऐसे कदम उठाएं जिससे कि अपराधी पकड़े जाएं और हमारे गरीब उपभोक्ता को इस प्रकार के अपराधियों से छुटकारा मिल सके।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूं कि हमने करीब-करीब सभी मुद्दों पर चर्चा कर ली है।

श्री राम कृपाल यादव।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आपके सहयोग के बगैर मैं आपके प्रश्न पर ध्यान कैसे दे सकता हूं।

[हिन्दी]

एक ही चीज को बार-बार पूछ रहे हैं और बोलने का मौका नहीं देने पर गुस्सा भी दिखाते हैं।

श्री राम कृपाल यादव: महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में विस्तापूर्वक यह बताया है कि मिट्टी के तेल में मिलावट रोकने के लिए क्या कोशिश की जा रही है। आपकी नीयत पर कोई शक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी मिलावट हो रही है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने बार-बार कहा है कि यह राज्य सरकार का मामला है।

[हिन्दी]

यदि आपके पास कोई नया प्रश्न हो तो पूछिए।

श्री राम कृपाल यादव: महोदय, आज भी गरीबों और किसानों तक आप मिट्टी का तेल नहीं पहुंचा पा रहे हैं। बिहार में 45-45 रुपए लीटर तक मिट्टी का तेल बिका है और आज भी बिक रहा है। महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि

क्या मिलावट करने वाले पेट्रोल पम्पों या दूसरे माध्यमों जिनसे मिलावट होती है, जिससे प्रदूषण फैल रहा है और गाड़ियां भी खराब हो रही हैं तथा ऐसे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आपने कौन से कदम उठाए हैं? ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने के लिए कानून बनाकर इनको जेल भेजने की आवश्यकता है ताकि वे भविष्य में मिलावट करने का साहस न कर सकें। आप साधारण रूप से उनका लाइसेंस तो रद्द कर देते हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप दूसरों को भी बोलने का समय दीजिए। एक ही चीज को बार-बार रिपीट करने से क्या फायदा है?

श्री राम कृपाल यादव: महोदय, ये कदम अपर्याप्त हैं, इसे और कठोर बनाए जाने की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: दोनों पक्ष संक्षेप में अपनी बात कहें।

[हिन्दी]

श्री मणि शंकर अय्यर: महोदय, माननीय सदस्य का सुझाव बहुत ही रचनात्मक है। मैं यह सुझाव बिहार के राज्यपाल डा. बूटा सिंह जी के पास पहुंचा दूंगा, ताकि वह इस पर वह कार्रवाई करें, जो कि पहले से की जानी चाहिए थी। यह काम हर राज्य को करना चाहिए कि अपराधियों को वह पकड़े। कानून व्यवस्था का काम केन्द्र सरकार का नहीं है, यह जिम्मेदारी राज्य सरकारों की बनती है। हम उन्हें इसमें पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हैं।

प्रो. राम गोपाल यादव: यह प्रश्न पीडीएस के मिट्टी के तेल की पेट्रोल और डीजल में मिलावट से सम्बन्धित है। आज के वैज्ञानिक युग में मिट्टी के तेल में हम कोई ऐसा रंग मिला सकते हैं, जिससे उसका पता चल जाए। ...*(व्यवधान)* अगर ऐसा कोई रंग मिला हुआ है तो, फिर पता क्यों नहीं चलता। मैं सवाल नहीं पूछ कर सुझाव देना चाहता हूं कि अगर पेट्रोल और डीजल में रंगीन मिट्टी के तेल की मिलावट हो, तो लोग पहचान सकेंगे कि इसमें मिट्टी का तेल मिला हुआ है। अगर हम ऐसा कर सकें तो सारी समस्या हल हो जाएगी, बाकी की बात सेकेंड्री हो जाएगी। सिलिए क्या मंत्री महोदय ऐसा कुछ करने की योजना बना रहे हैं?

श्री मणि शंकर अय्यर: महोदय, यह काम हो रहा है। लेकिन विज्ञान दो तरफा तलवार है। जब हम अपराधियों के गले काटने के लिए कोई काम शुरू करते हैं, वे इतने चतुर हैं कि कोई नई तकनीक निकाल कर वे उस रंग को मिट्टी के तेल से निकालने का प्रयास शुरू कर देते हैं। यह एक महायुद्ध है, जो हमेशा से जारी है। आपके सहयोग के साथ मैं उम्मीद रखता हूं कि अंत में हम लोग ही विजयी होंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हम आशा करते हैं कि अन्ततोगत्वा आप जीतेंगे वे नहीं।

[हिन्दी]

श्री राजेश वर्मा: अध्यक्ष जी, पेट्रोल और डीजल में मिट्टी के तेल की मिलावट को कैसे रोका जाए, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। मंत्री जी ने लिखित उत्तर में वे तमाम तरीके बताए हैं, जिससे यह मिलावट रोकी जा सकती है। मिलावट का सबसे बड़ा कारण यह है कि एस.के.ओ. टैंक लारी से जब जाता है, तो वह लारी सीधे पेट्रोल पम्प के टैंक में उतार दी जाती है। आपने बताया कि कहीं पर ताले लगे हुए हैं, कहीं डेनसिटी है और कहीं कुछ और है। टैंक लारी से सीधे पेट्रोल पम्प के टैंक में एस.के.ओ. मिला दिया जाता है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप उसी प्रश्न को दोहरा रहे है। जिसका उत्तर वह पहले ही दे चुके हैं।

[हिन्दी]

श्री राजेश वर्मा: उसे रोकने के लिए क्या मंत्री जी ऐसी कोई योजना बनाएंगे, जिससे एस.के.ओ. की टैंक लारी पर कोई स्पेसिफिक कलर कर दिया जाए, जिससे साइट पर जाने से ही पता चल जाए कि यह एस.के.ओ. की लारी है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इस समय तक हमने केवल एक ही प्रश्न को लिया हैं।

[हिन्दी]

श्री मणि शंकर अय्यर: मैं माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मैंने लिखित उत्तर में तफसील से बताया है कि जो टैंक ट्रक्स हैं, उनमें मिलावट को रोकने के लिए हमने नई किस्म का टैम्पर प्रूफ टैंक लाकिंग सिस्टम लगाया है। इसके अलावा हम नई इंफार्मेशन टेक्नोलाजी का उपयोग कर रहे हैं, जिसके जरिए ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम उस गाड़ी में लगाया जाएगा। दफ्तर में बैठ कर हम कम्प्यूटर के माध्यम से देख सकेंगे

कि वह गाड़ी स्टोरेज पाइंट पर जा रही है या रास्ते में कहीं और जा रही है। सरकार अपने खर्चे पर स्टोरेज पाइंट्स पर जो टैंक हैं, उनमें यह सिस्टम लगा रही है। यह बात भी मैंने अपने लिखित उत्तर में तफसील से बताई है। इसके अलावा विज्ञान और टेक्नोलाजी का इस्तेमाल करते हुए केलिब्रेटिड डिस्पेंसिंग पम्प भी हमारी तरफ से लगाए जा रहे हैं, ताकि हम किसी भी क्षण यह तय कर पाएं कि कितना केरोसिन आयल होल सेल पाइंट पर भेजा गया था और उसमें से कितना उपलब्ध हुआ, जैसे किसी पेट्रोल और डीजल के रिटेल पम्प पर होता है। इन सब सुविधाओं को हम अपने खर्चे पर केरोसिन आयल के आबंटन के लिए उपलब्ध करा रहे हैं। मैं उम्मीद रखता हूं कि हमारा जो यह पायलट प्रोजेक्ट है, कामयाब होगा और इसे सफल बनाने में आप सबका सहयोग भी मिलेगा।

[अनुवाद]

अमरीका के साथ रक्षा चिकित्सा अनुसंधान और सुविधाओं का आदान-प्रदान

+

*662. **श्रीमती निवेदिता माने:**
श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और अमरीका अपने-अपने देश में रक्षाकर्मियों को दी जा रही रक्षा चिकित्सा अनुसंधान और सुविधाओं का आदान-प्रदान करने के लिए सहमत हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में दोनों के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त समझौते के क्रियान्वयन के पश्चात् भारतीय रक्षा कर्मियों को इससे कितना लाभ होगा?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (ङ) एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

दोनों देशों के वर्दीधारी चिकित्सा व्यावसायिकों के लिए औषध के क्षेत्र में प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा कार्यशालाओं के लिए यूनिफार्म्ड सर्विसेज यूनिवर्सिटी आफ हैल्थ साइंसेज (यू एस यू एच एस), यू एस ए तथा भारतीय सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा (ए एफ एम एस) के बीच 13 अप्रैल, 2005 को एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

इस समझौते पर मुख्य उद्देश्य अमरीका तथा भारत की सशस्त्र सेनाओं के बीच व्यावसायिक सैन्य चिकित्सा संबंधी ज्ञान का आदान-प्रदान करना है।

इस सहयोग से भारतीय सशस्त्र सेना चिकित्सा सेना के, विशेषकर औषध के कतिपय उन्नत क्षेत्रों में, ज्ञान का विस्तार तथा उन्नयन करने में मदद मिलेगी।

[हिन्दी]

श्रीमती निवेदिता माने: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से रक्षा मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि सैन्य चिकित्सा सम्बन्धी विज्ञान का आदान-प्रदान करने के लिए कितनी लागत अपेक्षित है और उसमें महिला रक्षाकर्मियों के लिए क्या कोई विशेष योजना बनाई गई है?

[अनुवाद]

श्री प्रणब मुखर्जी: महोदय जहां तक इस कार्यक्रम का संबंध है, तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत आधुनिक चिकित्सा विज्ञान; अनुसंधान और दवाईयों का विशेषकर कतिपय महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लाभ प्राप्त करना है। जो भी सुविधाएं मौजूद हैं वे सभी सुविधाएं भारतीय सशस्त्र सेनाओं के स्त्री और पुरुष दोनों को प्रदान की जाएंगी।

[हिन्दी]

श्रीमती निवेदिता माने: इस व्यय के लिए बजट में कितना प्रावधान किया गया है?

[अनुवाद]

श्री प्रणब मुखर्जी: महोदय, बजट में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि इसकी पूर्ति हमारे पास उपलब्ध संसाधनों से की जाएगी क्योंकि इसके लिए हमें अत्याधिक वित्तीय प्रबंध करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके लिए आवश्यक धनराशि से अधिकतर धनराशि को अमरीकी संगठनों से जुटाई जाएगी जिसके साथ हमने इस आशय का समझौता ज्ञापन किया है। हमारी तरफ से उपलब्ध संसाधन बहुत ही कम हैं।

अध्यक्ष महोदय: श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव— उपस्थित नहीं।

डा. सुजान चक्रवर्ती: अध्यक्ष महोदय, भारतीय सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा का कार्यकरण बहुत ही अच्छा है और उनका

कार्यनिष्पादन उत्कृष्ट है। यह वास्तव में स्वागतयोग्य है कि रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रशिक्षण और अनुसंधान परियोजना को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही साथ भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की कुछ महत्वपूर्ण और प्रभावी अनुसंधान कार्यक्रमों को चला रही है।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न क्या है?

डा. सुजान चक्रवर्ती: मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या रक्षा मंत्रालय के पास सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के प्रयासों और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की अनुसंधान गतिविधियों के बीच समन्वय के लिए योजना है ताकि लोगों को इससे अधिक से अधिक लाभ पहुंचाया जा सके।

श्री प्रणब मुखर्जी: महोदय, जहां तक व्यापार प्रयासों का संबंध है तो हमने हमेशा उन्हें प्रोत्साहन दिया है। जहां तक समझौता ज्ञापन का संबंध है तो यह समझौता भारतीय सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा और स्वास्थ्य विज्ञान के समान सेवा विश्वविद्यालयों के बीच किया गया है। इस लिए यह पैकेज एकदम अलग है जिसमें हम इस आधुनिक संस्था की चिकित्सा विज्ञान की आधुनिक सुविधाओं, दवाईयों की खोज, अनुसंधान और प्रशिक्षण का लाभ उठाने का प्रयास करा रहे है।

[हिन्दी]

प्रसारण क्षमता का विस्तार

*663. **श्री रामदास आठवले:**
श्री अनन्त नायक:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का दसवीं योजना के दौरान आकाशवाणी और दूरदर्शन की प्रसारण क्षमता का विस्तार करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या इस संबंध में पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए किसी विशिष्ट प्रस्ताव पर विचार किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

[अनुवाद]

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) से (घ) सरकार पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों सहित कवर न किए गए तथा पूरी तरह से कवर न किए गए क्षेत्रों में दूरदर्शन (डीडी) और आकाशवाणी (एआईआर) की कवरेज का विस्तार करने के लिए प्रयास करती आ रही है।

आकाशवाणी/दूरदर्शन के सभी स्थलीय ट्रांसमीटर अपने संबंधित कवरेज क्षेत्रों में पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों को कवर करते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान, अनुबंध-I में दिए गए ब्यौरे के अनुसार, आकाशवाणी ने अब तक 28 ट्रांसमीटर चालू किए हैं जबकि दूरदर्शन ने 144 ट्रांसमीटर स्थापित किए हैं।

कार्यान्वयनाधीन 152 रेडियो और 29 टी वी ट्रांसमीटरों का ब्यौरा संलग्न अनुबंध-II में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, अब तक कवर न किए गए और पूरी तरह से कवर न किए गए क्षेत्रों को कवरेज उपलब्ध करवाने के लिए दिनांक 16 दिसंबर, 2004 को 33 टी वी चैनलों और 12 रेडियो चैनलों के समूह वाली दूरदर्शन की के.यू. बैंड प्रसारण सेवा (फ्री-टु-एयर, डी टी एच) शुरू की गई थी। एक लघु आकार की डिश अभिग्रहण प्रणाली की सहायता से अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह को छोड़कर इस सेवा का अधिग्रहण देश में कहीं भी किया जा सकता है।

अनुबंध I

आकाशवाणी

10वीं योजना के दौरान चालू की गई ट्रांसमीटर परियोजनाएं (संख्या 28)

राज्य	स्थान	स्कीम का ब्यौरा
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	1. हैदराबाद	1. किवा.एफ.एम. ट्रां (अन्तरिम ढांचा)
छत्तीसगढ़	2. रायपुर	1. कि.वा.एफ.एम. ट्रां (अन्तरिम ढांचा)

1	2		3
गुजरात	3.	भुज	20 कि.वा.मी.वे. ट्रां (10 किवा. मी.वे. ट्रां. का प्रतिस्थापन)
जम्मू-कश्मीर	4.	जम्मू	50 कि.वा.शा.वे. ट्रां (1 किवा. शा.वे. ट्रां का प्रतिस्थापन)
	5.	खालसी	1. कि.वा.मी.वे. ट्रां (रिले)
	6.	नौशेरा	20 किवा.मी.वे. ट्रां. (रिले)
	7.	राजौरी	10 किवा.एफ.एम. ट्रां (रिले)
	8.	श्रीनगर	300 किवा.मी.वे. ट्रां (200 किवा. मी.वे. ट्रां का प्रतिस्थापन)
	9.	कुपवाड़ा	20 किवा.मी.वे. ट्रां (रिले)
	10.	भदरवाह	6 किवा.एफ.एम. ट्रां
कर्नाटक	11.	मंगलौर	10 किवा.एफ.एम. ट्रां (1 किवा. मी.वे. ट्रां का प्रतिस्थापन)
	12.	मैसूर	10 कि.वा.एफ.एम. ट्रां (1 किवा.मी.वे. ट्रां का प्रतिस्थापन)
	13.	धारवाड़	10. कि.वा.एफ.एम. ट्रां (1 किवा.मी.वे. ट्रां का प्रतिस्थापन)
	14.	बेल्लारी	1. कि.वा.एफ.एम. ट्रां (अन्तरिम ढांचा)
केरल	15.	कालीकट	10 कि.वा.मी.वे. ट्रां (1 किवा. मी.वे. ट्रां का प्रतिस्थापन)
मध्य प्रदेश	16.	इंदौर	200 कि.वा. मी.वे. ट्रां (100 किवा. मी.वे. ट्रां का प्रतिस्थापन)
मणिपुर	17.	इम्फाल	300 कि.वा. मी.वे. ट्रां (50 किवा. मी.वे. ट्रां का प्रतिस्थापन)
महाराष्ट्र	18.	नागपुर	300 कि.वा. मी.वे. ट्रां (200 किवा. मी.वे. ट्रां का प्रतिस्थापन)
नागालैंड	19.	कोहिमा	100 कि.वा. मी.वे. ट्रां (50 किवा. मी.वे. ट्रां का प्रतिस्थापन)
	20.	कोहिमा	1. कि.वा.एफ.एम. ट्रां (अन्तरिम ढांचा)
उड़ीसा	21.	कटक	300 किवा.मी.वे. ट्रां (100 किवा. मी.वे. ट्रां. का प्रतिस्थापन)
राजस्थान	22.	जोधपुर	30 कि.वा. मी.वे. ट्रां (100 किवा. मी.वे. ट्रां का प्रतिस्थापन)
उत्तर प्रदेश	23.	वाराणसी	1. कि.वा.एफ.एम. ट्रां (अन्तरिम ढांचा)
	24.	कानपुर	1. कि.वा.एफ.एम. ट्रां सहित एल.आर.एस.)
पश्चिम बंगाल	25.	शान्तिनिकेतन	3. कि.वा.एफ.एम. ट्रां सहित एल.आर.एस.
संघ शासित प्रदेश	26.	दिल्ली	3×250 किवा.शा.वे. ट्रां (3×100 किवा.शा.वे. ट्रां का प्रतिस्थापन)
	27.	पोर्ट ब्लेयर	100 कि.वा.मी.वे. ट्रां (20 कि.वा.मी.वे. ट्रां का प्रतिस्थापन)
	28.	पाण्डिचैरी	1. किवा.एफ.एम. ट्रां (अन्तरिम ढांचा)

दूरदर्शन

10वीं योजना के दौरान चालू किए गए ट्रांसमीटर (01.04.2002-09.05.2005)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	ट्रांसमीटर	स्थान
1	2	3
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	कालीघाट
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	स्वराज ग्राम
आन्ध्र प्रदेश	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर	राजामुंदरी (डी.डी. न्यूज)
	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर	विशाखापट्टनम (डी.डी. न्यूज)
	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	मदुगुला
	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	मृयालमुड़ा
	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	तलाकोंडापल्ली
	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	काकीनाड़ा (डी.डी. न्यूज)
	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	नेल्लौर (डी.डी. न्यूज)
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	माडीपाडु
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	मारीपाडु
अरुणाचल प्रदेश	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर	ईटानगर (डी.डी. न्यूज)
बिहार	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	भाभुआ
	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	दरभंगा (डी.डी. न्यूज)
	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	गया (डी.डी. न्यूज)
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	मरहौड़ा
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	मसरख
छत्तीसगढ़	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर	अंबिकापुर
	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	पंडारिया
दिल्ली	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर	दिल्ली (डिजिटल)
गुजरात	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर	सूरत
	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर	राजकोट (डी.डी. न्यूज)
	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर	सूरत (डी.डी. न्यूज) (अंतरिम)
	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	भावनगर (डी.डी. न्यूज)

1	2	3
	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	जामनगर (डी.डी. न्यूज)
	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	वडोदरा (डी.डी. न्यूज)
हरियाणा	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	हिसार (डी.डी. न्यूज)
हिमाचल प्रदेश	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर	कसौली (डी.डी. न्यूज)
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	चिरगांव
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	काजा
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	फुलाधर
जम्मू और कश्मीर	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर	गुरेज
	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर	नौशेरा
	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर	सांबा (अन्तरिम)
	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर	तिठवाल
	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर	गुरेज (डी.डी. न्यूज)
	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर	नौशेरा (डी.डी. न्यूज)
	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर	पुंछ (डी.डी. न्यूज)
	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर	सांबा (डी.डी. न्यूज) (अन्तरिम)
	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर	तिठवाल (डी.डी. न्यूज)
	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	धर्मसाल
	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	पटनी टाप
	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	पट्टन
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	अरनस
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	बनी
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	बासगो
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	चकरोही
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	चनानी
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	धर
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	डुंगी गराती
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	गुज्जरों नागरोटा

1	2	3
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	जज्जर कोटली
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	केरी
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	लोरन
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	नागरोटा
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	नीमु
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	संसार
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	शुद्ध महादेव
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	तातापानी
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	थटहरी
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	टीलेल
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	बोनीयार
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	गुलमर्ग
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	मणिगाम
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	मोहरी
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	पुलवामा
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	तराल
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	युशमर्ग
झारखण्ड	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर	जमशेदपुर (डी.डी. न्यूज)
	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	बोकारो (डी.डी. न्यूज)
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	रामगढ़ हिल
कर्नाटक	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर	मैसूर
	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर	रायचूर
	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर	धारवाड़ (डी.डी. न्यूज)
	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर	गुलबर्गा (डी.डी. न्यूज)
	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर	मैसूर (डी.डी. न्यूज)
	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	बेल्लारी (डी.डी. न्यूज)
	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	धवनगिरी (डी.डी. न्यूज)

1	2	3
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	हुबिन हिप्पारगी
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	कुडलिगी
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	श्रृंगेरी
केरल	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर	कालीकट (डी.डी. न्यूज)
	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	त्रिसुर (डी.डी. न्यूज)
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	इरादुपेट्टा
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	मुंडाकायम
मध्य प्रदेश	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर	गुना
	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर	ग्वालियर (डी.डी. न्यूज)
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	सिंधवा
महाराष्ट्र	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर	चन्द्रपुर
	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर	जलगांव (अन्तरिम)
	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर	रत्नागिरी
	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर	अम्बाजोगई (डी.डी. न्यूज) (अन्तरिम)
	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर	औरंगाबाद (डी.डी. न्यूज)
	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर	पुणे (डी.डी. न्यूज)
	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर	मुम्बई (डिजिटल)
	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	बदलापुर
	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	सिरड़ी
	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	अकोला (डी.डी. न्यूज)
	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	अमरावती (डी.डी. न्यूज)
	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	धुले (डी.डी. न्यूज)
	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	कोल्हापुर (डी.डी. न्यूज)
	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	मालेगांव (डी.डी. न्यूज)
	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	नादेंड़ (डी.डी. न्यूज)
	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	नासिक (डी.डी. न्यूज)
	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	सांगली (डी.डी. न्यूज)
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	वसन्तघर
मणिपुर	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर	इम्फाल (डी.डी. न्यूज)

1	2	3
मेघालय	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर	शिलांग (डी.डी. न्यूज)
	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	चेरापूंजी
मिजोरम	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर	एजवाल (डी.डी. न्यूज)
नागालैंड	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर	कोहिमा (डी.डी. न्यूज)
	एक्सेर	बारा बस्ती)
पंजाब	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर	अमृतसर (डी.डी. न्यूज) (अन्तरिम)
	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर	जालंधर (डी.डी. न्यूज)
राजस्थान	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर	अजमेर
	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर	अजमेर (डी.डी. न्यूज)
	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	बूंदी (डी.डी. न्यूज)
	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	पिरावा
	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	अलवर (डी.डी. न्यूज)
सिक्किम	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर	गंगटोक (डी.डी. न्यूज)
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	जोरेथांग
तमिलनाडु	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर	कोडईकनाल (डी.डी. न्यूज)
	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर	चेन्नई (डिजिटल)
	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	इरोडे (डी.डी. न्यूज)
	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	मदुरई (डी.डी. न्यूज)
	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	तिरूनेलवेली (डी.डी. न्यूज)
	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	तिरूपत्तूर (डी.डी. न्यूज)
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	कांचीपुरम
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	तिरूवन्नामलाई
त्रिपुरा	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	जोलइबारी
उत्तर प्रदेश	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर	फैजाबाद
	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर	लखीमपुर
	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर	बरेली (डी.डी. न्यूज)
	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर	कानपुर (डी.डी. न्यूज)
उत्तरांचल	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	बझेर
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	देवाल

1	2	3
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	दुगड्डा
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	फाटा
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	मनीला
पश्चिम बंगाल	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर	बलूरघाट (अन्तरिम)
	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर	खड़गपुर (अन्तरिम)
	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर	कृष्णा नगर
	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर	कलकत्ता (डिजिटल)
	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	बागमंडी

अनुबंध II

कार्यान्वयनाधीन ट्रांसमीटर परियोजना (संख्या: 132)

राज्य सहित		स्थान	स्कीमों का ब्यौरा
1		2	3
आन्ध्र प्रदेश	1.	नेल्लौर	10 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. क्षेत्रीय निर्माण सुविधा सहित
	2.	काकीनाड़ा	10 कि.वा.एफ.एम. ट्रां. स्टुडियो सहित
	3.	करीमनगर	5 कि.वा.एफ.एम. ट्रां. (रिले)
	4.	श्रीकाकुलम	1 कि.वा.एफ.एम.ट्रां (रिले
	5.	आदिलाबाद	10 कि.वा.एफ.एम. (1 कि.वा.मी.वे. का प्रतिस्थापन)
	6.	विजयवाड़ा	10 कि.वा.एफ.एम. (1. कि.वा.मी.वे. का प्रतिस्थापन)
	7.	हैदराबाद	10 कि.वा.एफ.एम. (अतिरिक्त चैनल)
	8.	हैदराबाद	10 कि.वा.एफ.एम. (6 कि.वा.मी.वे. का प्रतिस्थापन)
अरुणाचल प्रदेश	9.	अनिनि	1 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. क्षेत्रीय निर्माण सुविधा सहित
	10.	बोमडिला	1 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. क्षेत्रीय निर्माण सुविधा सहित
	11.	दापोरिजो	1 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. क्षेत्रीय निर्माण सुविधा सहित
	12.	चांगलांग	1 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. क्षेत्रीय निर्माण सुविधा सहित
	13.	खोंसा	1 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. क्षेत्रीय निर्माण सुविधा सहित
असम	14.	सिलचर	5 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. (अतिरिक्त चैनल)

1	2		3
	15.	करीमगंज	1/5 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. क्षेत्रीय निर्माण सुविधा सहित
	16.	लुमडिंग	1/5 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. क्षेत्रीय निर्माण सुविधा सहित
	17.	गोलपारा	1/5 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. क्षेत्रीय निर्माण सुविधा सहित
	18.	गुवाहाटी	10 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. (अतिरिक्त चैनल)
बिहार	19.	गया	10 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. क्षेत्रीय निर्माण सुविधा सहित
	20.	मोतिहारी	10 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. क्षेत्रीय निर्माण सुविधा सहित
	21.	बंका	10 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. क्षेत्रीय निर्माण सुविधा सहित
	22.	मधुबनी	10 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. क्षेत्रीय निर्माण सुविधा सहित
	23.	पटना	10 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. (अतिरिक्त चैनल)
छत्तीसगढ़	24.	दांतेवाड़ा	5 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. क्षेत्रीय निर्माण सुविधा सहित
	25.	राजनंदगांव	5 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. क्षेत्रीय निर्माण सुविधा सहित
	26.	जसपुरनगर	5 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. क्षेत्रीय निर्माण सुविधा सहित
	27.	बैकुंठपुर	10 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. (रिले)
	28.	रायपुर	10 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. (अतिरिक्त चैनल) अंतरिम ढांचा चालू किया गया
दिल्ली	29.	दिल्ली	10 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. (10 कि.वा.मी.वे. का प्रतिस्थापन)
	30.	दिल्ली	10 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. (5 कि.वा.मी.वे. का प्रतिस्थापन)
गुजरात	31.	जामनगर	10 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. (रिले)
	32.	जूनागढ़	10 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. क्षेत्रीय निर्माण सुविधा सहित
	33.	अहमदाबाद	10 कि.वा.एफ.एम.ट्रा. (अतिरिक्त चैनल)
	34.	भुज	10 कि.वा.एफ.एम.ट्रां.
	35.	सूरत	10 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. (6 कि.वा.एफ.एम. का प्रतिस्थापन)
हरियाणा	36.	अम्बाला	5 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. क्षेत्रीय निर्माण सुविधा सहित
	37.	रोहतक	10 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. (अतिरिक्त चैनल) 1 कि.वा.एफ.एम.ट्रा. के साथ अंतरिम ढांचा तैयार
	38.	कुरूक्षेत्र	10 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. (6 कि.वा.एफ.एम. का प्रतिस्थापन)
हिमाचल प्रदेश	39.	शिमला	10 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. (अतिरिक्त चैनल) 1 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. के साथ अंतरिम ढांचा तैयार

1	2		3
जम्मू-कश्मीर	40.	श्रीनगर	10 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. (अतिरिक्त चैनल)
	41.	कारगिल	200 कि.वा.मी.वे.ट्रां.
झारखण्ड	42.	धनबाद	10 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. स्टुडियो सहित
	43.	दुमका	5 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. क्षेत्रीय निर्माण सुविधा सहित
	44.	गुमला	5 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. क्षेत्रीय निर्माण सुविधा सहित
	45.	रांची	10 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. (अतिरिक्त चैनल)
कर्नाटक	46.	गुलबर्गा	10 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. (अतिरिक्त चैनल) 1 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. के साथ अंतरिम ढांचा तैयार
	47.	श्रृंगेरी	10 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. क्षेत्रीय निर्माण सुविधा सहित
	48.	बेल्लारी	10 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. स्टुडियो सहित-अंतरिम ढांचा पहले ही चालू कर दिया गया
केरल	49.	कोचीन	10 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. (6 कि.वा.एफ.एम. का प्रतिस्थापन)
	50.	कोन्नि	5 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. क्षेत्रीय निर्माण सुविधा सहित
	51.	त्रिवेन्द्रम	10 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. (अतिरिक्त चैनल)
मध्य प्रदेश	52.	उज्जैन	5 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. क्षेत्रीय निर्माण सुविधा सहित
	53.	भोपाल	10 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. (अतिरिक्त चैनल)
महाराष्ट्र	54.	नागपुर	10 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. (6 कि.वा.एफ.एम. का प्रतिस्थापन)
	55.	औरंगाबाद	10 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. (1 कि.वा.मी.वे. का प्रतिस्थापन) 1 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. के साथ अंतरिम ढांचा तैयार
	56.	शिरडी	5 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. (रिले)
	57.	ओरस	5 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. क्षेत्रीय निर्माण सुविधा सहित
	58.	पुणे	10 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. (6 कि.वा.एफ.एम. का प्रतिस्थापन)
	59.	शोलापुर	10 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. (1 कि.वा.मी.वे. का प्रतिस्थापन)
	60.	अमरावती	10. कि.वा.एफ.एम.ट्रां. क्षेत्रीय निर्माण सुविधा सहित
	61.	मुम्बई	20 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. (10 कि.वा.एफ.एम. का प्रतिस्थापन)
	62.	मुम्बई	20 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. (5 कि.वा.एफ.एम. का प्रतिस्थापन)
मणिपुर	63.	तामेंगलांग	1/5 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. क्षेत्रीय निर्माण सुविधा सहित
	64.	उखरूल	1/5 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. क्षेत्रीय निर्माण सुविधा सहित

1	2		3
मेघालय	65.	दावकी	1/5 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. क्षेत्रीय निर्माण सुविधा सहित
मिजोरम	66.	चम्फई	1/5 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. क्षेत्रीय निर्माण सुविधा सहित
	67.	तुईपांग	1/5 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. क्षेत्रीय निर्माण सुविधा सहित
	68.	कोलासिब/सर्चिप	1/5 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. क्षेत्रीय निर्माण सुविधा सहित
नागालैण्ड	69.	कोहिमा	10 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. (अतिरिक्त चैनल)
	70.	फेक	1 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. क्षेत्रीय निर्माण सुविधा सहित
	71.	जुन्हेबोतो	1 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. क्षेत्रीय निर्माण सुविधा सहित
	72.	वोखा	1 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. क्षेत्रीय निर्माण सुविधा सहित
	73.	त्वेनसांग	5 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. (1 कि.वा.मी.वे. का प्रतिस्थापन)
	74.	मोन	5 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. (1 कि.वा.मी.वे. का प्रतिस्थापन)
उड़ीसा	75.	भुवनेश्वर	10 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. (अतिरिक्त चैनल)
	76.	भुवनेश्वर	10 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. (1 कि.वा.मी.वे.वी.बी.ट्रां. कटक का प्रतिस्थापन)
	77.	देवगढ़	5 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. क्षेत्रीय निर्माण सुविधा सहित
	78.	रायगढ़	5 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. (रिले)
	79.	रायरंगपुर	1/5 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. क्षेत्रीय निर्माण सुविधा सहित
	80.	बारीपाड़ा	5 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. (1 कि.वा.मी.वे. का प्रतिस्थापन)
	81.	परलाकिमड़ी	5 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. (रिले)
पंजाब	82.	जालन्धर	10 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. (1 कि.वा.मी.वे.वी.बी. का प्रतिस्थापन)
			10 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. क्षेत्रीय निर्माण सुविधा सहित
	83.	फाजिल्का	20 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. क्षेत्रीय निर्माण सुविधा सहित
	84.	अमृतसर	
राजस्थान	85.	बांसवाड़ा	10 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. (6 कि.वा.एफ.एम. का प्रतिस्थापन)
	86.	अलवर	10 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. (6 कि.वा.एफ.एम. का प्रतिस्थापन)
	87.	चित्तौड़गढ़	10 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. (6 कि.वा.एफ.एम. का प्रतिस्थापन)
	88.	जयपुर	10 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. (1 कि.वा.एफ.एम. का प्रतिस्थापन)
	89.	उदयपुर	10 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. (अतिरिक्त चैनल) 1 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. के साथ अंतरिम ढांचा तैयार

1	2	3
	90. अजमेर	10 कि.वा.एफ.एम.ट्रां.
	91. रामगढ़	20 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. (रिले)
	92. चौटन हिल	20 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. (रिले)
	93. बीकानेर	10 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. (अतिरिक्त चैनल)
	94. डूंगरपुर	1 कि.वा.मी.वे.ट्रां. क्षेत्रीय निर्माण सुविधा सहित
	95. कोटा	20 कि.वा.मी.वे.ट्रां. (1 कि.वा.मी.वे. का प्रतिस्थापन)
सिक्किम	96. गंगटोक	10 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. (अतिरिक्त चैनल)
तमिलनाडु	97. कांचीपुरम	5 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. (रिले)
	98. तिरूनेलवेल्ली	10 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. (अतिरिक्त चैनल)
	99. चेन्नई	20 कि.वा.मी.वे.ट्रां. (10 कि.वा.एफ.एम. का प्रतिस्थापन)
	100. चेन्नई	20 कि.वा.मी.वे.ट्रां. (5 कि.वा.एफ.एम. का प्रतिस्थापन)
	101. मदुरै	10 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. (अतिरिक्त चैनल) 1 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. का अंतरिम ढांचा तैयार
त्रिपुरा	102. उदयपुर	1/5 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. क्षेत्रीय निर्माण सुविधा सहित
	103. नूतन बाजार	1/5 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. क्षेत्रीय निर्माण सुविधा सहित
	104. धर्मानगर	1 कि.वा.मी.वे.ट्रां. स्टुडियो सहित
	105. लोंगथिराई	5 कि.वा.एफ.एम. स्टुडियो सहित
उत्तर प्रदेश	106. वाराणसी	10 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. (1 कि.वा.मी.वे.वी.बी. का प्रतिस्थापन) 1 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. को चालू किया गया
	107. कानपुर	10 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. (1 कि.वा.मी.वे.वी.बी. का प्रतिस्थापन) 1 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. को चालू किया गया
	108. लखनऊ	10 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. (10 कि.वा.मी.वे.वी.बी. का प्रतिस्थापन)
	109. गाजीपुर	10 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. (रिले)
	110. गोरखपुर	10 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. (अतिरिक्त चैनल) 1 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. का अंतरिम ढांचा तैयार
	111. बांदा	10 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. (रिले)
	112. लखीमपुर खीरी	10 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. (रिले)
	113. नजीबाबाद	200 कि.वा.मी.वे.ट्रां. (100 कि.वा.मी.वे. का प्रतिस्थापन)

1	2	3
उत्तरांचल	114. देहरादून	10 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. स्टुडियो सहित
	115. हल्द्वानी	10 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. क्षेत्रीय निर्माण सुविधा सहित
	116. बागेश्वर	1 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. (रिले)
	117. चम्पावत	1 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. (रिले)
	118. गैरसैण	1 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. (रिले)
	119. रूद्रप्रयाग	1 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. (रिले)
	120. न्यू टिहरी	1 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. (रिले)
	121. धारचुला	1 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. (रिले)
पश्चिम बंगाल	122. दार्जिलिंग	10 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. स्टुडियो सहित
	123. पुरूलिया	10 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. क्षेत्रीय निर्माण सुविधा सहित
	124. मालदा	10 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. क्षेत्रीय निर्माण सुविधा सहित
	125. कूचबिहार	10 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. क्षेत्रीय निर्माण सुविधा सहित
	126. कोलकाता	20 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. (5 कि.वा.एफ.एम. का प्रतिस्थापन)
	127. बर्धमान	10 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. (रिले)
	128. तामलुक	10 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. (रिले)
	129. बालूरघाट	10 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. क्षेत्रीय निर्माण सुविधा सहित
संघ शासित क्षेत्र	130. चण्डीगढ़	10 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. (अतिरिक्त चैनल)
	131. पांडिचेरी	10 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. (अतिरिक्त चैनल) अंतरिम ढांचा चालू किया गया
	132. कावाराती	10 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. (1 कि.वा.मी.वे. का प्रतिस्थापन)

तकनीकी रूप से तैयार ट्रांसमीटर परियोजनाएं (संख्या: 20)

राज्य	स्थान	स्कीम का ब्यौरा
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	1. मछरेला	3 कि.वा.एफ.एम.ट्रां.
अरूणाचल प्रदेश	2. ईटानगर	10 कि.वा.एफ.एम.ट्रां.
छत्तीसगढ़	3. सरायपल्ली	1 कि.वा.एफ.एम.ट्रां.
गुजरात	4. हिम्मतनगर	1 कि.वा.एफ.एम.ट्रां.

1	2		3
जम्मू-कश्मीर	5.	तियेसुरू	1 कि.वा.एफ.एम.ट्रां.
	6.	न्योमारप	1 कि.वा.एफ.एम.ट्रां.
	7.	डिस्किट	1 कि.वा.एफ.एम.ट्रां.
	8.	पदुम	1 कि.वा.एफ.एम.ट्रां.
	9.	द्रास	1 कि.वा.एफ.एम.ट्रां.
केरल	10.	मंजेरी	3 कि.वा.एफ.एम.ट्रां.
मध्य प्रदेश	11.	माण्डला	1 कि.वा.एफ.एम.ट्रां.
	12.	राजगढ़	3 कि.वा.एफ.एम.ट्रां.
मणिपुर	13.	इम्फाल	10 कि.वा.एफ.एम.ट्रां.
	14.	चूराचांदपुर	6 कि.वा.एफ.एम.ट्रां.
मेघालय	15.	शिलांग	10 कि.वा.एफ.एम.ट्रां.
मिजोरम	16.	एजवाल	6 कि.वा.एफ.एम.ट्रां.
उड़ीसा	17.	सोरो	1 कि.वा.एफ.एम.ट्रां.
तमिलनाडु	18.	धर्मपुरी	10 कि.वा.एफ.एम.ट्रां.
त्रिपुरा	19.	अगरतला	10 कि.वा.एफ.एम.ट्रां.
संघ शासित क्षेत्र	20.	पोर्ट ब्लेयर	10 कि.वा.एफ.एम.ट्रां.

कार्यान्वयनाधीन दूरदर्शन के ट्रांसमीटर

(1) उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (उ.श.ट्रा.)

1. भटिण्डा (डी डी न्यूज)
2. बीकानेर
3. बिलासपुर
4. छत्तरपुर
5. धर्मशाला
6. धर्मपुरी
7. हिसार
8. हिसार (डी डी न्यूज)
9. करनाल
10. कुर्सियांग (डी डी न्यूज)
11. राधनपुर
12. सागर
13. सहरसा
14. तिरूनेलवेली
15. वड़ोदरा
16. वड़ोदरा (डी डी न्यूज)
17. श्रीनगर (डी डी न्यूज-उन्नयन)
18. श्रीनगर (कशीर चैनल-उन्नयन)

(2) अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (अ.श.ट्रां.)

19. अम्बासा
20. सत्रासल
21. बहालदा
22. खाजूवाला
23. कैथल
24. फतेहाबाद
25. पुंगनुर
26. कोल्हापुर (आन्ध्र प्रदेश)
27. मुढोल
28. सिद्धनूर

(3) अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (अ.अ.श.ट्रा.)

29. देवभोग।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले: अध्यक्ष जी, सरकार पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों सहित कवर न किए गए तथा पूरी तरह से कवर न किए गए क्षेत्रों में दूरदर्शन और आकाशवाणी की कवरेज का विस्तार करने के लिए प्रयास करती आ रही है। लेकिन पिछड़े और ग्रामीण इलाकों में अभी तक आकाशवाणी और दूरदर्शन का काम ठीक से नहीं चल रहा है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आकाशवाणी ने अब तक 28 ट्रांसमीटर चालू किए हैं जबकि दूरदर्शन ने 144 ट्रांसमीटर स्थापित किए हैं। मेरा प्रश्न इतना ही है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन देश के हर गांव में, पिछड़े और पहाड़ी इलाकों में अच्छे ढंग से दिखाई दे, उसके लिए उच्च-शक्ति वाले ट्रांसमीटर लगाने के लिए सरकार क्या करने जा रही है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपको मंत्रालय की पूरी सूचना की जानकारी होनी चाहिए।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: महोदय, मैं वरिष्ठ सदस्य की चिंता को समझता हूं।

अध्यक्ष महोदय: और एक कलरफुल सदस्य।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: महोदय, दसवीं पंचवर्षीय योजना में हमने दूरदर्शन के लिए 188 ट्रांसमीटर्स लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। हम इनमें से कम-से-कम 178 ट्रांसमीटर्स को शुरू कर चुके हैं या तो शुरू करने जा रहे हैं। आल इंडिया रेडियो में हमारा योजना लक्ष्य 205 है जिनसे कम से कम 180 या तो शुरू हो चुके हैं या शुरू होने जा रहे हैं। इस प्रकार माननीय सदस्य देख सकते है कि दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हमने उम्मीद से ज्यादा प्रगति की है।

मध्याह्न 12.00 बजे

मैं अपनी पहले की बातों को दोहराने के अतिरिक्त यह भी कहना चाहता हूं कि हमने दूरदर्शन की डायटरेक्ट-टू-होम सेवा भी शुरू की है जिसमें अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह को छोड़कर इस विशाल देश के सम्पूर्ण क्षेत्र को शामिल किया गया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

विमानों की खरीद

***664. श्री एस.के. खारवेनथन:**
श्रीमती मनोरमा माधवराज:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स के लिए विमानों की खरीद संबंधी प्रस्ताव को सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में किसी आपूर्तिकर्त्ता के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इंडियन एयरलाइन्स द्वारा किस प्रकार के विमान खरीदने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) इंडियन एयरलाइंस द्वारा 19 ए-319, 4ए-320 तथा 20ए-321 विमानों अर्थात् 43 विमानों को लेने का प्रस्ताव है।

अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के लिए हेग अभिसमय

***665. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बच्चों की सुरक्षा एवं अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के सहयोग के लिए हेग अभिसमय पर हस्ताक्षर किये गये थे;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण में रखे गए देश के बच्चों की सुरक्षा हेतु अभिसमय को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) अन्य देशों के केन्द्रीय प्राधिकारियों के साथ और अधिक निकट सहयोग के माध्यम से भारत को कितना लाभ होगा?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्रीमती मीरा कुमार): (क) और (ख) इस अभिसमय पर भारत द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। मान्यताप्राप्त स्थापन एजेंसियों, सूचीबद्ध विदेशी एजेंसियों और विदेशी सरकारी निकायों/विभागों के माध्यम से दत्तक ग्रहण के संबंध में हेग अभिसमय में यथानिर्धारित प्रक्रिया संबंधी सुकरता पहले से ही है। तथापि, इस अभिसमय द्वारा अधिरोपित कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिए एक केन्द्रीय प्राधिकरण निर्दिष्ट करने जैसी अतिरिक्त अपेक्षाओं की पूर्ति, इस प्रयोजनार्थ केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण निर्दिष्ट करके, कर ली गई है। अभिसमय की भावना को आगे बढ़ाने के लिए समय-समय पर परिपत्र/दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं तथा अपेक्षित रक्षोपाय भी किए गए हैं।

(ग) इससे होने वाले मुख्य लाभ इस प्रकार हैं:

(1) इस अभिसयम के अनुसार इस देश में सक्षम प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित किसी दत्तक ग्रहण को अन्य प्रसंविदात्मक राज्यों में कानून के परिचालन से मान्यता प्राप्त होगी;

(2) प्राप्तकर्ता देश में दत्तक ग्रहण की मान्यता में बच्चे और उसके ग्राही माता-पिता के बीच कानूनी माता पिता-बच्चे की मान्यता सम्मिलित होगी और इसमें बच्चे के ग्राही माता-पिता की अभिभावक-दायित्व भी सम्मिलित होगा।

(3) क्रिया विधि एकरूपता के कारण विदेशी सरकारी निकायों और एजेंसियों से प्राप्त रिपोर्टों की (क) अधिक पारदर्शिता; और (ख) विश्वसनीयता होगी।

मुक्त आकाश नीति के अंतर्गत अमरीका के साथ समझौता

***666. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु:**
श्री अब्दुल रशीद शाहीन:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में मुक्त आकाश नीति (ओपन स्काई पालिसी) के अंतर्गत अमरीका के साथ समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो इस समझौते की मुख्य विशेषतायें क्या हैं;

(ग) ऐसे समझौते से भारत को कितना लाभ मिलने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार अमरीका के साथ विशेषकर असैनिक विमान हेतु प्रति-प्रमाणन के संबंध में द्विपक्षीय विमानन समझौता करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) जी, हां। भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच दिनांक 14 अप्रैल, 2005 को एक संशोधित विमान सेवा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जो कि वर्ष 1956 में हस्ताक्षरित पूर्ववर्ती समझौते का स्थान लेगा। भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच पूर्ववर्ती समझौते में पहले ही, दोनों में से किसी भी पक्ष को, दोनों देशों के बीच विमान सेवाओं के प्रचालन के लिए कितनी भी संख्या में एयरलाइनों को नामित करने की अनुमति थी। जबकि नए समझौते में इस प्रावधान को बनाए रखा गया है तथा संशोधित समझौते में, पूर्ववर्ती समझौते के अंतर्गत चार हवाई अड्डों की तुलना में अन्य देश के क्षेत्र में किन्हीं भी प्वाइंट्स आफ काल के लिए नामित एयरलाइनों की असीमित पहुंच भी प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, संशोधित समझौते में 5वें फ्रीडम ट्रैफिक अधिकारों तथा कोड शेयर अधिकारों के प्रयोग पर सभी प्रतिबंधों को भी हटा लिया गया है तथा यह अधिक प्रचालनिक लचीलापन उपलब्ध कराता है। प्वाईंट्स आफ काल, कोड शेयर अधिकारों तथा 5वें फ्रीडम अधिकारों पर प्रतिबंधों को हटाने से भारतीय वाहकों को अधिक वाणिज्यिक अवसर प्राप्त होंगे तथा इससे उन्हें तीसरे देश के वाहकों से भारत-अमेरिका मार्ग पर यातायात को मुक्त कराने में सहायता मिलेगी।

(ग) भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका मार्ग, भारतीय वाहकों के लिए प्रमुख बाजारों में से एक है। संशोधित करार द्वारा भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका मार्ग पर प्रचालनों की सभी बाधाओं को दूर कर दिया गया है। इस समझौते में उपलब्ध कराई गई विभिन्न

उदारताओं, विशेषरूप से मध्यवर्ती तथा निर्धारित बिन्दु से आगे के लिए असीमित यातायात अधिकार दिए जाने, जिनका कि प्रयोग उनके द्वारा अब किसी भी मध्यवर्ती निर्धारित बिन्दु से आगे के लिए किया जा सकता है, ये भारतीय वाहकों को लाभ पहुंचेगा। भारतीय वाहक संयुक्त राज्य अमेरिका में किसी भी बिन्दु के लिए प्रचालन कर सकते हैं। इस समझौते के अन्तर्गत दोनों ही पक्षों को पारस्परिक आधार पर लाभ प्राप्त होंगे।

(घ) और (ङ) संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार द्वारा नागर विमानन क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन (एम ओ ए) का प्रस्ताव किया गया है, जिसके अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग प्रदान करेगा:

* नागर विमानन अवसंरचना, मानकों, प्रक्रियाओं, नीतियों, प्रशिक्षण तथा उपकरणों के क्षेत्र में विकास, सुधार तथा प्रचालन में तकनीकी तथा प्रबंधकीय विशेषज्ञता उपलब्ध कराना।
* नागर विमानन क्षेत्र के कार्मिकों को परीक्षण प्रदान करना।
* हमारे नागर विमानन संबंधी उपकरणों तथा विमान दिक्चालन सुविधा का निरीक्षण तथा अंशाकन करना।
* विमान दिक्चालन सुविधाओं के लिए संसाधन, लाजिस्टिकल सपोर्ट्स तथा उपकरण प्रदान करना।
* भारत में हवाई अड्डा प्रमाणन में सहायता।
* हेलीकाप्टर संबंधी प्रचालनात्मक संरक्षा के क्षेत्र में की गई पहल में सहयोग देना।

फिलहाल, भारत सरकार के संम्बद्ध मंत्रालयों के साथ परामर्श करके प्रस्तावित समझौता ज्ञापन (एम ओ ए) की जांच की जा रही है।

विरासत भवनों की सुरक्षा

*667. **श्री सनत कुमार मंडल:** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में विभिन्न शहरों के तेजी से हो रहे विकास के कारण अनेक विरासत भवन अपना ऐतिहासिक महत्व खो चुके हैं;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों में चिन्हित किए गए महत्वपूर्ण विरासत भवनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन विरासत भवनों की सुरक्षा के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (ग) जी, नहीं। देश में विभिन्न नगरों के तेजी से हुए विकास के कारण केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों में से किसी ने अपना महत्व नहीं खोया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 3659 स्मारकों का संरक्षण करता है, जिनका राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के आस-पास अनधिकृत निर्माणों तथा अतिक्रमणों को रोकने के लिए, केन्द्रीय सरकार ने, अधिसूचना सं.का.आ. 1764 दिनांकित 16 जून, 1992 के अंतर्गत, संरक्षित सीमा से 100 मीटर तक क्षेत्र को "निषिद्ध क्षेत्र" तथा उससे आगे 200 मीटर तक के क्षेत्र को "विनियमित क्षेत्र" घोषित किया है। निषिद्ध क्षेत्र में कोई नया निर्माण अथवा खनन गतिविधि नहीं की जा सकती। विनियमित क्षेत्र में निर्माण गतिविधि सक्षम प्राधिकारी के अपेक्षित अनुमोदन से ही की जा सकती है।

केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों में और उनके आस-पास अतिक्रमणों को हटाने के लिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 19(1) तथा 19(2) और प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष नियम, 1959 के नियम 38(1) के उपबंधों के तहत नियमित उपाय कर रहा है। अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई, न्यायालय में उनके खिलाफ मामले दर्ज कराकर, की जाती है। स्मारकों पर सुरक्षा के लिए नियमित पहरा तथा निगरानी, पुलिस और प्राइवेट सुरक्षा कार्मिकों को तैनात किया जाता है। केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के आस-पास बाड़ लगाने के लिए कदम भी उठाए गए हैं।

विवरण

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों की सूची (राज्यवार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रत्येक राज्य/सं.रा. क्षेत्र में संरक्षित स्मारकों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	136
2.	अरुणाचल प्रदेश	5
3.	असम	50

1	2	3
4.	बिहार	65
5.	छत्तीसगढ़	47
6.	दमन तथा द्वीव	12
7.	दिल्ली	172
8.	गोवा	21
9.	गुजरात	202
10.	हरियाणा	90
11.	हिमाचल प्रदेश	40
12.	जम्मू-कश्मीर	69
13.	झारखण्ड	12
14.	कर्नाटक	507
15.	केरल	26
16.	मध्य प्रदेश	287
17.	महाराष्ट्र	286
18.	मणिपुर	01
19.	मेघालय	08
20.	नागालैण्ड	04
21.	उड़ीसा	79
22.	पांडिचेरी	07
23.	पंजाब	31
24.	राजस्थान	161
25.	सिक्किम	03
26.	तमिलनाडु	416
27.	त्रिपुरा	05
28.	उत्तर प्रदेश	742
29.	उत्तरांचल	44
30.	पश्चिम बंगाल	131
	जोड़	3659

तेल आयात बिल

***668. श्री निखिल कुमार:**
श्री अधीर चौधरी:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का तेल आयात बिल वर्ष 2004-05 के दौरान 32 प्रतिशत बढ़ गया है;

(ख) यदि हां, तो तेल आयात बिल में इस अत्यधिक वृद्धि के लिए कौन-कौन से घटक उत्तरदायी हैं;

(ग) सरकार ने तेल आयात बिलों में ऐसी वृद्धि को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(घ) क्या सरकार ने अत्यधिक आयात करने और बाद में पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि करने का आश्रय लिये बिना देश की तेल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) वर्ष 2003-04 और 2004-05 के लिए आयात, बिल अनुबंध में दिया गया है। जहां वर्ष 2003-04 की तुलना में वर्ष 2004-05 के लिए आयातों में मात्रा की वृद्धि से 6.4% और मूल्य की दृष्टि से 41.5% की वृद्धि दर्ज हुई है वहीं निर्यातों में भी मात्रा के रूप में 20.5% और मूल्य के रूप में 69.1% की वृद्धि हुई है। 2003-04 की तुलना में वर्ष 2004-05 के लिए निवल आयातों (कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों) में मात्रा के रूप में 4% और मूल्य के रूप में 35.5% की वृद्धि दर्ज हुई है। आयात बिल में वृद्धि के लिए जिम्मेदार मुख्य कारक कच्चे तेल के मूल्य (भारतीय बास्किट) में अत्यधिक वृद्धि है जो वर्ष में 40.27% की वृद्धि के साथ 2003-04 के दौरान 27.96 अमेरिकी डालर के औसत से 2004-05 में 39.22 अमेरिकी डालर हो गयी। 2004-05 में दर्ज किया गया उच्चतम मूल्य 17.3.2005 को 51.64 अमेरिकी डालर प्रति बैरल था।

(ग) से (ङ) 70% के लगभग आयात निर्भरता के साथ, जिसके अगले 20 वर्ष में 85% तक बढ़ने की संभावना है, भारतीय कच्चे तेल के मूल्यों पर अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों का अनिवार्यत: भारी

प्रभाव पड़ेगा। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने ऊर्जा सुरक्षित पर्यावरण तैयार करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं-

(1) मौजूदा प्रमुख क्षेत्रों से निकासी सुदृढ़ करने के लिए वर्धित तेल निकासी (ईओआर/उन्नत तेल निकासी (आईओआर) योजनाएं क्रियान्वित करना। इस संबंध में आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) ने 10,000 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश से इस प्रयोजन के लिए 15 क्षेत्र हाथ में लिए हैं।

(2) नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एनईएलपी) के माध्यम से अन्वेषण प्रयासों में वृद्धि करना। एनईएलपी के चौथे दौर के तहत 90 ब्लाकों के लिए उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं (पीएससीज) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 20 अन्वेषण ब्लाकों के लिए बोलियां एनईएलपी-5 के तहत अब आमंत्रित की गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय तेल समुदाय की ओर से प्रतिक्रिया पहले की अपेक्षा अधिक उत्साहजनक प्रतीत होती है।

(3) ओएनजीसी और ओआईएल द्वारा उनको नामांकन आधार पर आबंटित ब्लाकों में अन्वेषण प्रयासों में गति लाना।

(4) नए क्षेत्रों विशेषकर गहरे पानी में और दुर्गम सीमावर्ती क्षेत्रों में अन्वेषण करना और पहले से उत्पादनशील क्षेत्रों की गहनतर परतों में भी अन्वेषण करना।

(5) नए खोजे गए क्षेत्रों और उत्पादनशील क्षेत्रों का तीव्रता से विकास करना और भूकंपीय सर्वेक्षणों, वर्क ओवर, उद्दीपन प्रचालनों, कूपों के वेधन आदि के लिए नई प्रौद्योगिकियों के उपयोग में वृद्धि करना।

(6) विदेश में उत्पादशील और संभाव्य रकबों का अर्जन। ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल), इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) गेल (इंडिया) लिमिटेड और आयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) ने पहले से ही एक दर्जन से ज्यादा देशों में भागीदारी हित अर्जित कर लिए हैं और तेल क्षेत्र 47 देशों में संभावनाओं की तलाश कर रहा है। इस उद्देश्य हेतु तेल राजनय का उपयोग वाणिज्यिक प्रयास के लिए किया जा रहा है।

(7) तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) के रूप में और पश्चिमी एशिया (ईरान सहित), मध्य एशिया, और दक्षिण-पूर्व एशिया, विशेषकर म्यांमार जैसे गैस समृद्ध क्षेत्रों से राष्ट्रपार पाइपलाइनों के जरिए प्राकृतिक गैस का आयात करने के प्रयास करना।

(8) अल्पकालिक तेल आपूर्ति बाधाओं के प्रति आपात प्रत्युत्तर व्यवस्था के रूप में 5 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) क्षमता के कार्यनीतिक कच्चे तेल का भंडारण।

विवरण

2003-04 और 2004-05 के दौरान आयातित क्रूड और पेट्रोलियम उत्पाद की मात्रा और उनका मूल्य

	2003-04		2004-05*	
	मात्रा (टीएमटी)	मूल्य (करोड़ रु.)	मात्रा (टीएमटी)	मूल्य (करोड़ रु.)
क्रूड	90,434	83,528	95,861	1,17,032
उत्पाद आयात	8,001	9,723	8,872	14,950
कुल आयात	98,435	93,251	1,04,733	1,31,982
उत्पाद निर्यात	14,620	16,781	17,624	28,386
निवल आयात	83,815	76,470	87,209	1,03,596

*अनन्तिम।

[हिन्दी]

भारत-बांग्लादेश-म्यांमार गैस पाइपलाइन

***669. श्री रामजीलाल सुमन:**
श्री नीतीश कुमार:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में म्यांमार से भारत तक गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए बांग्लादेश के साथ बातचीत हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कुछ पक्षों ने कोई आपत्ति की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (घ) जनवरी, 2005 में म्यांमार के साथ हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा करने और बांग्लादेश के रास्ते जमीनी पाइपलाइन द्वारा म्यांमार से प्राकृतिक गैस के आयात पर चर्चा करने के लिए म्यांमार, बांग्लादेश और भारत के तेल मंत्रियों की एक त्रि-पक्षीय बैठक में भाग लेने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और पंचायती राज मंत्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने म्यांमार का दौरा किया। दिनांक 13.1.2005 को तीनों मंत्रियों द्वारा एक संयुक्त प्रेस वक्तव्य जारी किया गया था जिसकी प्रति विवरण-I के रूप में संलग्न है। इसके साथ ही बांग्लादेश और भारत के मंत्रियों द्वारा भी एक संयुक्त प्रैस वक्तव्य जारी किया था जिसकी प्रति विवरण-II के रूप में संलग्न है। तीनों मंत्री म्यांमार-बांग्लादेश-भारत पाइपलाइन परियोजना के क्रियान्वयन के लिए सहयोग करने हेतु एक समझौता ज्ञापन तैयार करने के लिए तकनीकी-वाणिज्यिक कार्यसमित के गठन पर सहमत थे जिसे तीनों सरकारों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। प्रारूप समझौता ज्ञापन यांगोन में 24-25 फरवरी, 2005 को तकनीकी-वाणिज्यिक कार्यदल की बैठक में तैयार किया गया था। प्रारूप समझौता ज्ञापन तीनों देशों की सरकारों की समीक्षाधीन है।

विवरण I

13 जनवरी, 2005

संयुक्त प्रेस वक्तव्य

1. म्यांमार की समुद्री तट से दूर बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी ब्लाकों सहित अपतटीय और तटीय अवसरंचनाओं में पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक गैस भण्डार पाए गए हैं। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक गैस के विशाल मात्रा में भंडार बंगलादेश और भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों और म्यांमार में तटीय क्षेत्र में तटीय अवसरंचनाओं में पाए गए हैं। इस क्षेत्र की सभी सरकारों द्वारा विकास कार्यक्रमों का गतिपूर्ण कार्यान्वयन और तीव्रतर आर्थिक विकास इस क्षेत्र में प्राकृतिक गैस के लिए एक विशाल बाजार को बढ़ावा दे रहा है। इस क्षेत्र को ऊर्जा स्रोतों के क्षेत्रीय विकास और खपतकर्ता केन्द्रों को गैस की सुपुर्दगी के लिए मूल ढांचे की जरूरत है। विद्युत और ऊर्जा क्षेत्र के अन्य क्षेत्रों में समानांतर विकास के साथ सामंजस्य से इस क्षेत्र के देशों के लिए सहयोग का एक नया युग खुलने जा रहा है।

2. इस अनुकूलतम अवसर का लाभ उठाने के लिए म्यांमार के माननीय ऊर्जा मंत्री महामहिम ब्रिगे, जनरल लुन थी ने अपने, बंगलादेश के ऊर्जा और खनिज राज्य मंत्री, महामहिम श्री ए.के.एस. मुर्शरफ हुसैन और भारतीय गणराज्य के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और पंचायती राज मंत्री श्री मणि शंकर अय्यर के बीच यंगोन में 12-13 जनवरी, 2005 को एक त्रिपक्षीय मंत्री-स्तरीय बैठक बुलाने की पहल की।

3. तीनों सरकारों द्वारा निम्नलिखित पर सहमति हुई:

(1) म्यांमार सरकार बंगलादेश के प्रदेश के रास्ते पाइपलाइन द्वारा भारत को प्राकृतिक गैस का निर्यात करने के लिए सहमति देती है। इस पाइपलाइन का प्रचालन तकनीकी और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर संबंधित पक्षकारों के बीच होने वाली सहमति के अनुसार एक अन्तरराष्ट्रीय परिसंघ द्वारा किया जाएगा। बंगलादेश और भारत की सरकारों के पास जैसे और जब आवश्यक हो पाइपलाइन के अभिगम का अधिकार होगा जिसमें उनको अपनी प्राकृतिक गैस का अन्क्षेपण करना और उसकी निकासी करना भी शामिल होगा; इस संबंध में ब्यौरा वाणिज्यिक करारों के आधार पर तैयार किया जाएगा। पाइपलाइन का मार्ग पर्याप्त अभिगम, अधिकतम सुरक्षा और इष्टतम, आर्थिक उपयोगिता सुनिश्चित करने के ध्येय से तीन सरकारों के परस्पर करार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

(2) बंगलादेश, भारत और म्यांमार की सरकारों का प्रतिनिधित्व करते हुए उनके अपने-अपने मंत्रियों और प्रतिनिधि मंडल क्षेत्र के विभिन्न भागों के लिए ऊर्जा आगम और उसे आगे पहुंचाने की बुनियादी आवश्यकताओं से

संबंधित तथा ऊर्जा संसाधनों के विकास के लिए अनन्य संभावना की पहचान करते हुए क्षेत्र के सभी लोगों के विकास के अपने सामान्य लक्ष्य का अनुसरण करने में आपस में एक-दूसरे के साथ सहयोग के लिए एक उपयुक्त तंत्र बनाने पर सहमत हो गए हैं।

(3) बंगलादेश, भारत और म्यांमार की सरकारें तीनों सरकारों के विधिवत् निर्दिष्ट प्रतिनिधियों के साथ मिलकर एक तकनीकी-वाणिज्यिक कार्यसमिति की स्थापना के लिए सहमत हो गई हैं। कार्यसमिति निम्नलिखित कार्य करेगी:

(क) क्षेत्र में प्राकृतिक गैस संसाधनों, बुनियादी सुविधाओं और विपणन के विकास के लिए सहयोग, सहकारिता और निवेश क्षेत्रों का पता लगाना, और

(ख) तीनों सरकारों को उपरोक्त पैरा 3(1) में निर्धारित नीतिगत मुद्दे जैसे पाइपलाइन मार्गस्थ, पहुंच संबंधित मुद्दे साथ ही साथ तकनीकी और वाणिज्यिक मामलों पर तीनों सरकारों को सूचित करना व उनके साथ विचार-विमर्श करना।

(4) समिति की पहली बैठक समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार करने के उद्देश्य से एक माह के अन्दर यांगोन में होगी जिस पर तीनों सरकारों के शीघ्र पारस्परिक सुविधा के अनुसार ढाका में समाप्त होगी और वहां उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

4. बंगलादेश, भारत और म्यांमार की सरकारें, क्षेत्र में ऊर्जा संसाधनों के क्षेत्र में तथा संबंधित बुनियादी सुविधा के उपयोग और विकास बढ़ाने के लिए फोरम और परियोजनाओं को प्रोन्नत, विकास और क्रियान्वयन के लिए त्रि-पक्षीय और द्वि-पक्षीय दोनों तरह के सहयोग के लिए सहमत हो गई हैं।

5. बंगलादेश, भारत और म्यांमार की सरकारें संयुक्त रूप से ऊर्जा सर्वेक्षणों को प्रोन्नत करने, अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम विकास और अन्य ऊर्जा संबंधी परियोजनाएं तथा क्षेत्र के लोगों के लाभ के लिए ऊर्जा आगम के विकास और विस्तार के लिए संयुक्त रूप से उपायों की सिफारिश करते हुए संबंधित जानकारी के आदान-प्रदान के लिए सहमत हो गए हैं।

6. बंगलादेश, भारत और म्यांमार की सरकारें प्राकृतिक गैस और अधिक सामान्यत: विद्युत और उर्जा के संबंध में अपने-अपने देशों में विकास के कार्यों के संबंध में उठाए गए कदमों पर एक-दूसरे के साथ विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए नियमित अंतरालों पर त्रि-पक्षीय और द्वि-पक्षीय दोनों प्रकार की बैठकों के लिए और मंत्रीय स्तर पर एक-दूसरे के साथ लगातार सम्पर्क बनाए रखने पर सहमत हुई हैं।

7. द्वि-पक्षीय सहयोग के मुद्दों के संबंध में जो उनके त्रि-पक्षीय सहयोग से टकराते हैं, जैसे हाइड्रो-इलैक्ट्रीसिटी और ऊर्जा आपूर्ति, व्यापार और मार्गस्थ, के अन्य विविधीकृत स्रोत तीनों देशों के मंत्री ऐसे द्वि-पक्षीय मुद्दों पर द्वि-पक्षीय रूप से चर्चा जारी रखने पर सहमत हो गए हैं। इस संदर्भ में वे अपनी-अपनी सरकारों को पालिसी फ्रेमवर्क बनाते हुए एक दूसरे राष्ट्रों को आपस में पास लाते हुए संबंधित मुद्दों के मूल्यांकन के महत्व की सिफारिश करने में सहमत हो गए हैं जो आगे आपस में आर्थिक सहयोग और सहकारिता विकसित करने के लिए व्यावहारिक उपायों में वृद्धि करेगा। मंत्रियों ने यह भी नोट किया कि ऊर्जा सहयोग बीआईएमएसटीईसी और सार्क में शुरूआत किए गए फ्रेमवर्क के अन्दर प्रोन्नत ऊर्जा सहयोग तथा इन अभिक्रमों पर अधिक जोर देने की आवश्यकता है।

8. बांगलादेश और भारत के मंत्रियों ने यंगोन में इस ऐतिहासिक त्रि-पक्षीय मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित करने में म्यांमार के संघ सरकार के ऊर्जा मंत्री माननीय ब्रिगेडियर जनरल लून थी द्वारा दिए गए आतिथ्य और सहयोग के साथ-साथ नेतृत्व पर अपना आभार दिया।

विवरण II

बंगलादेश लोक गणतन्त्र के ऊर्जा और खनिज संसाधन मंत्री और भारत गणतन्त्र के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री के बीच द्विपक्षीय ऊर्जा सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त प्रेस वक्तव्य

(13 जनवरी, 2005)

बंगलादेश के ऊर्जा और खनिज संसाधन राज्य मंत्री महामहिम श्री ए.के.एम. मोशर्रफ हुसैन और भारत गणतन्त्र के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और पंचायती राज मंत्री महामहिम श्री मणि शंकर अय्यर क्षेत्रीय ऊर्जा संसाधन और मूलभूत सुविधाओं का विकास करने में सहयोग पर चर्चा करने के लिए म्यांमार की संघीय सरकार द्वारा यंगोन में आयोजित त्रिपक्षीय सम्मेलन के अवसर पर 12-13 जनवरी, 2003 को यंगोन, म्यांमार में मिले।

2. त्रिपक्षीय सम्मेलन के अतिरिक्त कार्यों पर बंगलादेश के मंत्री ने भारत के मंत्री के साथ बंगलादेश लोक गणतन्त्र और भारत

गणतन्त्र के बीच द्विपक्षीय सहयोग से संबंधित निम्नलिखित मुद्दे उठाए:

(1) नेपाल और भूटान से भारतीय भू-भाग के रास्ते बंगलादेश तक हाइड्रो-इलेक्ट्रिसिटी का प्रेषण;

(2) नेपाल और भूटान और बंगलादेश के बीच भारतीय भू-भाग के रास्ते वस्तुओं की आपूर्ति के लिए मार्ग।

(3) दोनों देशों के बीच व्यापारिक असंतुलन कम करने के लिए आवश्यक उपाय करना।

3. उपर्युक्त मुद्दों के संबंध में भारतीय मंत्री ने निम्नानुसार कहा:

(1) नेपाल और भूटान से बंगलादेश तक विद्युत सुविधाओं के प्रावधान के लिए बंगलादेश के अनुरोध के संबंध में भारतीय मंत्री इस बात पर सहमत हो गए कि भारत सरकार बंगलादेश से वांछित सुविधाओं की जांच करने के बारे में बंगलादेश से प्राप्त कोई नए प्रस्तावों की हर हालत में जांच करेगी।

(2) एक ओर बंगलादेश और दूसरी ओर भूटान और नेपाल के बीच भारत के रास्ते भूटान और नेपाल तक परिवहन सुविधाओं के लिए बंगलादेश के अनुरोध के संबंध में भारतीय मंत्री ने यह कहा कि भारत सरकार इस प्रस्ताव का समर्थन करती है। उन्होंने यह उल्लेख किया कि कुछ सुविधाएं फुलबारी में पहले ही प्रदान की गई थी जिनका वर्तमान में पूरी तरह उपयोग नहीं किया जा रहा था। उन्होंने यह कहा कि भारत सरकार उस किसी अन्य अनुरोध की अनुकूल रूप से जांच करेगी जो वर्तमान सुविधाएं बढ़ाने के लिए उत्पन्न होगा।

(3) व्यापार के असंतुलन में सुधार करने के लिए बंगलादेश के अनुरोध के संबंध में भारतीय मंत्री दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार का विस्तार करने की आवश्यकता पर सहमत हो गए जिसमें वर्तमान में मौजूद व्यापारिक अन्तराल को पाटा जा सके। त्रिपक्षीय सम्मेलन में प्रस्तावित जैसी परियोजनाएं इस उद्देश्य में योगदान करेंगी।

4. भारतीय मंत्री ने निकट भविष्य में बंगलादेश आने के लिए बंगलादेश के मंत्री का निमंत्रण स्वीकार कर लिया।

लाइसेंसों का नवीनीकरण

***670. प्रो. महादेवराव शिवनकर:**
श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को संशोधित खानपान नीति के अंतर्गत सामान्य और आरक्षित वर्गों के लाइसेंसों के नवीनीकरण हेतु अलग-अलग अपनाए जाने वाले मानदंडों में अनियमितताओं के कुछ मामलों की जानकारी है जैसाकि दिनांक 17 अप्रैल, 2005 के ''दैनिक जागरण'' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) अब तक इस बारे में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) अनियमितताओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): (क) मंत्रालय 17.4.2005 को दैनिक जागरण, दिल्ली संस्करण में प्रकाशित समाचार से अवगत है। नई खानपान नीति में कोई अनियतिताएं नहीं हैं। बहरहाल, दिनांक 16.3.2005 की नई खानपान नीति के अंतर्गत सामान्य और आरक्षित कोटियों के अंतर्गत आबंटित छोटी खानपान इकाइयों के लाइसेंसों के नवीकरण के लिए अलग मानदंड तैयार किए गए हैं।

(ख) ''क'', ''ख'', और ''ग'' कोटि के स्टेशनों की आरक्षित कोटियों के अंतर्गत आबंटित छोटी खानपान इकाइयों के लाइसेंसों का नवीकरण लाइसेंसधारी द्वारा संतोषजनक निष्पादन करने पर प्रत्येक 3 वर्ष के बाद किया जाएगा और सामान्य कोटि के अंतर्गत आबंटित छोटी खानपान इकाइयों के लाइसेंसों का नवीकरण नहीं किया जाएगा। ''घ'', ''ङ'' और ''च'' कोटि के स्टेशनों पर सामान्य और आरक्षित कोटियों के अंतर्गत आबंटित छोटी खानपान इकाइयों के लाइसेंसों का नवीकरण लाइसेंसधारी के संतोषजनक कार्य निष्पादन को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक 5 वर्ष के बाद किया जाएगा।

(ग) नई खानपान नीति के इस पहलू के संबंध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें संसद सदस्यों से प्राप्त अभ्यावेदन भी शामिल हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अपमिश्रण-रोधी प्रकोष्ठ

***671. श्रीमती जयाप्रदा:**
डा. चिन्ता मोहन:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय के अधीन कार्यरत अपमिश्रण-रोधी प्रकोष्ठ को समाप्त कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के अपमिश्रण की रोकथाम करने हेतु कोई वैकल्पिक निकाय गठित किया है अथवा करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) मिलावट रोधी प्रकोष्ठ (एएसी) का गठन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत मार्च, 2001 में किया गया था। यह, इसके कुछ उन अधिकारियों के, संभावित रूप से अवांछित कार्यों में संलिप्त होने के कारण अपने कार्यकलाप में प्रभावहीन पाया गया, जिनसे केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) पूछताछ कर रहा है। इसलिए एएसी के कार्य की व्यापक समीक्षा करने के लिए अप्रैल, 2004 में अपर सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अध्यक्षता में एक, एक सदस्यीय समिति का गठन किया गया। रिपोर्ट में यह बताया गया कि एएसी अपनी वर्तमान संरचना और कार्यों के साथ मिलावट की बुराई नियंत्रित करने के लिए मंत्रालय के प्रयासों में एक सार्थक भूमिका अदा नहीं कर सका। तदनुसार प्रकोष्ठ को जुलाई, 2004 में बंद कर दिया गया।

(ग) से (ङ) पेट्रोलियम उत्पादों में मिलावट रोकने के लिए एक वैकल्पिक निकाय की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि इस बारे में निम्नलिखित तंत्र पहले से ही विद्यमान है:

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत ईंधन मिलावट रोकने के लिए सरकार द्वारा जारी नियंत्रण आदेशों के तहत राज्य सरकारें मिलावट में लिप्त होने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए शक्तिप्रदत्त हैं। सरकार ने राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रशासनों के साथ यह मामला उठाया है कि मिलावट से संबंधित क्रियाकलापों को न्यूनतम करने के लिए निरीक्षणों/औचक जांचों में वृद्धि की जाए और अपने क्षेत्राधिकार के अधीन विभिन्न निजी फर्मों, कारखानों, संक्रिया यूनिटों आदि में सतर्कता बरती जाए/निरीक्षण आयोजित किए जाएं ताकि मिलावट करने के आदी लोगों की पहचान की जा सके और उपलब्ध कानूनी ढांचे के भीतर उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा सके।

(2) ओएमसीज खुदरा बिक्री केन्द्रों के नियमित और औचक निरीक्षण करती हैं और विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों (एमडीजी) और डीलरशिप करारों के तहत मिलावट और कदाचारों में लिप्त होने वालों के विरुद्ध कार्रवाई भी करती है। एमडीजी में मिलावट के मामले सिद्ध होने की स्थिति में डीलरशिप की समाप्ति के दंड का प्रावधान है।

इन उपायों के अलावा सरकार/ओएमसीज ने निम्न बड़े उपाय किए हैं:

(1) सरकार द्वारा दी गई सलाह के अनुसार तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने निदेशक (विपणन) के अतिरिक्त किसी अन्य निदेशक को रिपोर्ट करने के लिए एक पृथक स्कंध का सृजन किया है जो मिलावट पर नियंत्रण करने के लिए सभी क्रियाकलापों और प्रचालनों की निगरानी करेगा और इस संबंध में मानक और दिशानिर्देश विनिर्दिष्ट करेगा।

(2) मिलावट के लिए एसकेओ के दुरूपयोग/विपथन को ध्यान में रखते हुए निजी पक्षकारों द्वारा एसकेओ के आयात को ओएमसीज के माध्यम से सरणीबद्ध किया गया है।

(3) ओएमसीज ने परिवहनकर्त्ताओं द्वारा बीच रास्ते में मिलावट को रोकने के लिए नई छेड़छाड़ रोधी टैंक ट्रक ताला पद्धति लागू की है।

(4) वैश्विक स्थिति पद्धति (जीपीएस) के माध्यम से टैंक ट्रकों की आवाजाही की निगरानी करने और खुदरा आटोमेशन के माध्यम से खुदरा बिक्री केन्द्रों में ईंधन टैंकों के स्तर की निगरानी करने जैसे आईटी समाधान आरंभ किए जा रहे हैं।

(5) खुदरा बिक्री केन्द्रों के ब्रांडीकरण और खुदरा बिक्री केन्द्रों के तृतीय पक्षकार प्रमाणन ओएमसीज द्वारा आरंभ कर दिए गए हैं।

(6) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए सा.वि.प्र. मिट्टी तेल के वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ करने के लिए देश में 10% ब्लाकों को शामिल करने वाली एक प्रायोगिक परियोजना हाल में अनुमोदित कर दी है कि यह उत्पाद लक्षित उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया जाए और मिलावट के लिए इसका विपथन न किया जाए। इस योजना में भंडारण टैंकों और अंशांकित वितरण इकाइयों के साथ ब्लाक स्तर पर थोक भंडारण

सुविधाओं की स्थापना, खुदरा बिक्री केन्द्रों को सुपुर्दगियां सुकर बनाने के लिए ब्लाक के भीतर 5-10 उप थोक बिक्री स्थलों का सृजन और योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करने में पंचायती राज संस्थाओं को संलग्न करना सम्मिलित है। ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

मिलावट की रोकथाम करने के उपाय सरकार के सतत पुनरीक्षण के तहत रखे जाते हैं।

[अनुवाद]

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा खुदाई

***672. श्री जुएल ओराम:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान कोई खुदाई की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) विभिन्न सर्किलों द्वारा की गई खुदाई में ऐतिहासिक महत्व की पता लगी नई खोजों का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (ग) जी, हां। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्खनन किए हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान, विभिन्न मंडलों तथा शाखाओं द्वारा किए गए उत्खननों एवं ऐतिहासिक महत्व की खोजों के बारे में राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों 2002-2003, 2003-2004 तथा 2004-2005 के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किए गए उत्खनन कार्य जिसमें नई खोजें दर्शाई गई हैं

क्र.सं.	स्थल का नाम	जिला	उत्खनन का वर्ष	की गई खोजों के प्रकार
1	2	3	4	5
	आन्ध्र प्रदेश			
1.	कपावरम कोरुकोंडा मंडल	पूर्वी गोदावरी	2002-03	ईसा काल की पूर्व शताब्दियों के एक स्तूप, बड़ी संख्या में मन्नत स्तूपों, मठवासीय प्रकोष्ठों, गजपृष्ठाकार चैत्य के अवशेष। दो बेलनाकार भांडों पर ब्राह्मी लिपि उत्कीर्ण लेख हैं।
2.	स्वयंभू मंदिर परिसर वारंगल किला	वारंगल	2002-03 2003-04	स्वयंभू मंदिर की योजना, पत्थर की प्रकार दीवार, खम्भा दीवार के अवशेष। इससे जुड़ी खोजों में बड़ी संख्या में वास्तुकलात्मक घटक, उत्कीर्णित चीनी पोर्सिलेन
	असम			
3.	मैदान सं. 2	शिवसागर	2002-03	अर्ध गोलाकार संरचना के तहत गुम्बदी छत सहित ईंट के एक वृहद तहखाना के रूप में प्राप्त 18वीं शताब्दी ई. के अहोम राजाओं के कब्रिस्तानों के अवशेष
4.	तालातल घर (करेनघर परिसर)	शिवसागर	2002-03	18वीं शताब्दी की ईंट संरचनाओं के अवशेष।

1	2	3	4	5
	बिहार			
5.	केसरिया	पूर्वी चंपारन	2002-03 2003-04	ईंट से निर्मित छत, गोलाकार स्तूप तथा आलों में विभिन्न भंगिमाओं में बुद्ध की मूर्तियों के अवशेष।
6.	सुजातागृह बकरौर	गया	2002-03 2003-04	ईंट निर्मित गोलाकार स्तूप के अवशेष।
	दिल्ली			
7.	तुगलकाबाद किला	दक्षिण रा.रा. क्षेत्र, दिल्ली	2002-03 2003-04	तुगलक काल के आवासीय अवशेष।
	गोवा			
8.	चंदौर	गोवा	2002-03 2003-04	एक अहाता दीवार सहित एक ईंट निर्मित मंदिर की योजना। चौकोर चबूतरे तथा मजबूत कुर्सी क्षेत्र जो 11 शताब्दी के हैं।
9.	सैंट आगस्टाइन परिसर	उत्तरी गोवा	2003-04	आगस्टाइन सम्प्रदाय के भिक्षुओं (भाइयों) के मकबरे के पत्थर तथा कब्रिस्तान चैम्बरों सहित चैप्टर चैपल के अवशेष।
	गुजरात			
10.	धौलावीरा	कच्छ	2002-03 2003-04 2004-05	हड़प्पाकालीन सभ्यता (लगभग तीसरी-दूसरी सहस्राब्दि ई.पू.) के साक्ष्य, शैलकृत तथा पत्थर की चिनाई वाले दोनों प्रकार के जलाशयों द्वारा परिलक्षित जल प्रबंधन तथा भंडारण प्रणाली। कब्रिस्तान में किए गए उत्खननों से चीनी मिट्टी के बर्तन अर्द्ध-मूल्यवान पत्थरों तथा सोने के मनके तथा कंकाल अवशेषों के बिना, कब्रिस्तान की वस्तुओं का पता चलता है।
11.	हाथब	भावनगर	2002-03	प्रारंभिक ऐतिहासिक मिट्टी की किलेबंदी वाले नगर के अवशेष मुहरें, स्टैम्पें, सिक्के आदि। रोमन दोहत्था कलश जो समुद्रीय गतिविधियां दर्शाता है।

1	2	3	4	5
12.	जूनी कुरान	कच्छ	2003-04 2004-05	हड़प्पा कालीन आवासीय अवशेष। किलेबंदी के दो भाग, विशिष्ट हड़प्पा-कालीन चीनी मिट्टी के बर्तन तथा पुरावशेष।
	हरियाणा			
13.	आदि बद्री	यमुनागर	2002-03 2003-04	स्तूप, मठ आवासीय परिसरों पत्थर की संरचनाओं के अवशेष जो उत्तर कुषाण काल से मध्य काल की हैं।
14.	भिर्राणा	फतेहाबाद	2003-04 2004-05	प्रारंभिक तथा विकसित हड़प्पा कालीन आवासीय अवशेष/हड़प्पा कालीन मुहरें, तांबे की पुरावस्तुएं मनके, चूड़ियां आदि।
15.	हांसी	हिसार	2003-04 2004-05	कुषाण काल से लेकर ब्रिटिश अधिपत्य काल तक के आवासीय अवशेष। राजपूत काल के दो सिक्का खजाने भी प्राप्त हुए।
16.	हर्ष का टीला थानेश्वर	कुरुक्षेत्र	2002-03 2003-04	कुषाण काल से उत्तर मुगल काल के सांस्कृतिक अवशेष तथा बड़े गृह परिसर।
17.	संघौली	कुरुक्षेत्र	2002-03	चार सीढ़ियों के आकार में ईंट निर्मित टैंक का एक भाग जो उत्तर गुप्त काल का है।
	जम्मू-कश्मीर			
18.	प्राचीन स्थल वबूर (थालोरा) मनवल	ऊधमपुर	2003-04	गुप्त तथा उत्तर गुप्त कालीन संरचनात्मक अवशेष। उत्तर गुप्तकालीन मंदिर के संरचनात्मक अवशेष भी प्राप्त हुए हैं।
19.	शुद्ध महादेव	ऊधमपुर	2002-03	गुप्त काल के संरचनात्मक अवशेष।
	झारखंड			
20.	सरीदकेल, खुंटी	रांची	2003-04	ईसा काल की प्रारंभिक शताब्दियों के आवासीय अवशेष।
	कर्नाटक			
21.	चित्रदुर्ग स्थित किला	चित्रदुर्ग	2002-03 2003-04	संरचनात्मक अवशेष, तांबे के सिक्के, लोहे की वस्तुएं, टेराकोटा की वस्तुएं आदि-सभी 16-17वीं शताब्दी ई. के हैं।

1	2	3	4	5
22.	हम्पी	बेल्लारी	2002-03 2003-04	बिट्ठल बाजार का फर्शी रास्ता, बिट्ठल मंदिर परिसर में खम्भे वाले मंडप का अलंकृत तहखाना, एक आडा-तिरछा टैंक, सभी 14-15वीं शताब्दी ई. के हैं।
23.	पट्टडक्कल	बगलकोट	2003-04 2004-05	चालुक्य काल के एक मंदिर के अवशेष ईसा काल की प्रारंभिक शताब्दियों के महारथियों तथा सतवाहन राजाओं के आवासीय अवशेष।
	केरल			
24.	कोड्डकालूपरमभू, चैरामंगद	त्रिसूर	2002-03	पंक्तिबद्ध अर्द्ध-गोलाकार लैटेराइट हूड-पत्थर द्वारा आच्छादित दो महापाषाण कालीन कलशों के अवशेष।
	मध्य प्रदेश			
25.	चिचली	खरगांव	2002-03	प्रारंभिक ऐतिहासिक काल के आहार मालवा, के जोरवे भांड आवासीय अवशेष।
26.	सांची	रायसेन	2002-03	उत्तर-गुप्त काल के संरचनात्मक अवशेष तांबे के सिक्के, मनके, पत्थर के टुकड़े जिन पर लेख उत्कीर्ण हैं।
27.	बीजा मंडल खजुराहो	छतरपुर	2002-03	10-11वीं शताब्दी ई. के एक मंदिर के अवशेष।
28.	भीमबैठका	रायसेन	2002-03 2003-04 2004-05	पुरापाषाण तथा मध्यपाषाण काल के अवशेष। सूक्ष्मपाषाणीय ब्लैड, ढांचा, कोर तथा कच्ची सामग्री के अवशेष।
29.	खुलहरिया	रायसेन	2002-03	मध्य कालीन संरचनात्मक अवशेष, मूर्तियों के टुकड़े, तांबे के सिक्के, मनके, टेराकोटा कांच की वस्तुएं, कांच आदि।
30.	उदयगिरि	विदिशा	2002-03	वाराह मूर्ति पैनल के पास प्रस्तर संरचना के अवशेष। पुरावस्तुएं जैसे पत्थर की मूर्तियां, टेराकोटा मनके, आदि।
	महाराष्ट्र			
31.	दौलताबाद किला	औरंगाबाद	2003-04 2004-05	गृह परिसर, पत्थर की पटरी तथा चूने का फर्श मध्यकाल के नाले, विजयनगर वंश के सोने के सिक्के खिलजी सल्तनत मुगलों तथा अहमदनगर के निजामों के तांबे के सिक्के, पत्थर तथा संगमरमर की मूर्ति पट्टियां।

1	2	3	4	5
32.	एलौरा	औरंगाबाद	2002-03	8 से 11वीं शताब्दी ई. की गुफा उत्खनन के साक्ष्य चट्टानों को हटाने तथा इसके निपटान के लिए अपनाई गई पद्धतियां, आवासीय अवशेष आदि।
	उड़ीसा			
33.	बाराबटी किला	कटक	2003-04	लगभग 13वीं से 18वीं शताब्दी ई. के मध्यकालीन आवासों के अवशेष।
34.	प्राचीन स्थल, हरिपुर गृह	मयूरभंज	2002-03	16वीं शताब्दी ई. की ईंट संरचनाएं।
35.	बौद्ध स्थल, रत्नागिरि	जाजपुर	2003-04	चौकोर चबूतरे पर निर्मित ईंट के स्तूप, विभिन्न प्रकार के मन्नत स्तूप तथा मूर्तियों के अवशेष।
36.	उदयगिरि	जाजपुर	2003-04	लगभग 13वीं से 18वीं शताब्दी ई. के बौद्ध मठ आवास परिसर तथा स्तूप।
	राजस्थान			
37.	बरौर	राजस्थान	2003-04 2004-05	प्रारंभिक तथा विकसित हड़प्पा कालीन संरचनाओं के अवशेष। मिट्टी की ईंटों से निर्मित किला दीवार, प्रारंभिक और विकसित हड़प्पाकालीन पुरावशेष।
38.	चाक 86 तथा तरखानेवाला डेरा	राजस्थान	2003-04	चित्रित धूसर मृदभांड तथा हड़प्पा काल के व्यवस्था अवशेष।
	तमिलनाडु			
39.	आदिछनाल्लूर	टूटीकोरिन	2002-03 2003-04 2004-05	कब्रिस्तान तथा आवासों के अवशेषों के साथ-साथ लौह वस्तुओं जैसे कटार, चाकू, बरछे की नोक, तलवार तथा चीनी मिट्टी के बर्तनों पर ग्रेफिटी निशान।
40.	जिंजी	विल्लूपुरम्	2002-03	उत्तर मध्यकालीन आवासीय संरचनाओं, काही तथा चिकने मृदभांडों के अवशेष।
41.	सदरस	तूतीकोरिन	2002-03	आवासीय संरचनाओं, काही, पोर्सिलेन तथा चिकने मृदभांड तथा पुरावशेष जो डच काल के हैं।
42.	महाबलीपुरम्	कांचीपुरम्	2004-05	तटीय मंदिर के दक्षिण में दो संरचनात्मक मंदिर जो पल्लव काल के हैं।

1	2	3	4	5
	त्रिपुरा			
43.	बाक्सानगर स्थित टीला	पश्चिम त्रिपुरा	2002-03 2003-04	लगभग 6-8वीं शताब्दी ई. के ईंट स्तूप, चैत्यगृह तथा मठ आवासीय परिसर के अवशेष।
	उत्तरांचल			
44.	गोवीसाना, काशीपुर	ऊधम सिंह नगर	2002-03	कुषाण काल से मध्यकाल तक के लगभग 6-7वीं शताब्दी ई. के आवासीय अवशेष, दरवाजे सिक्के आदि तथा एक ईंट का मंदिर
	उत्तर प्रदेश			
45.	आचिछत्रा	बरेली	2003-04	आवासीय परिसरों के साथ प्राचीन नगर के प्रवेश द्वारों में से एक का पता चला।
46.	फतेहपुर सीकरी	आगरा	2004-05	एक हमाम परिसर का पता चला।
47.	गौशाला, ताजमहल	आगरा	2002-03	ताज महल से जुड़े अवशेष।
48.	कालिंजर किला	बांदा	2003-04	वर्तमान नीलकंठ मंदिर परिसर के नीचे निचले स्तर की सीढ़ियों के अवशेष मध्यकाल की शैलकृत मूर्तियां।
49.	रेजीडेंसी, लखनऊ	लखनऊ	2002-03 2003-04	मल विसर्जन प्रणालियों कुओं आदि सहित ब्रिटिश काल के संपूर्ण गृह परिसर।
50.	मूसाबाग	लखनऊ	2002-03 2003-04	1800 ई. में सादत अली खान द्वारा निर्मित एक महल परिसर के आंशिक अवशेष।
51.	श्रावस्ती	श्रावस्ती	2002-03	पंचायताना मंदिरों, नगर दुर्ग दीवार, आवासीय परिसरों के अवशेष।
	पश्चिम बंगाल			
52.	दम-दम स्थित क्लाइव गृह के पास टीला	24-उत्तर परगना	2002-03	ईसा काल की प्रारंभिक शताब्दियों से प्रारंभ तथा 15-16वीं शताब्दी ई. के आवासों के अवशेष, पुरावशेष जैसे सिक्के, मुहरें तथा सीलें, टेराकोटा, आदि।
53.	बाइस गजी दीवार से लगा टीला जो प्राचीन गौर के महल क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है।	मालदा	2002-03 2003-04 2004-05	सल्तनत काल (15वीं शताब्दी ई.) से मुगल काल (17वीं शताब्दी ई.) से संबंधित अवशेष तथा संरचनाएं।
	लक्षद्वीप (संघ राज्य क्षेत्र)			
54.	आफ बंगाराम द्वीप	लक्षद्वीप	2002-03 2003-04	1792 ई. के प्रिंसेस रायल के पोत अवशेष।

तेल क्षेत्र में सुधार

*673. **श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का एशियाई तेल बाजार बनाने में अग्रणी भूमिका निभाने हेतु भारत में तेल क्षेत्र सुधारों को क्रियान्वित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) पेट्रोलियम और प्राकृतिक उत्पादों के लिए एशियाई बाजारों के सुधार के लिए गुंजाइश पर 6 जनवरी, 2005 को नई दिल्ली में आयोजित तेल और गैस मितव्ययिता में क्षेत्रीय सहयोग पर एशियाई मंत्रियों की प्रथम गोल मेज सभा के दौरान चर्चा की गई और चीन और कोरिया से प्रतिनिधियों के अतिरिक्त भारत, ईरान, जापान, मलेशिया, ओमान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कुवैत से मंत्रियों ने इनमें भाग लिया। इस मामले पर उन व्यापक नीति मानकों की पहचान करने के उद्देश्य से ध्यानपूर्वक अध्ययन करने और विस्तार से विचार करने की जरूरत है जिनके लिए आगे और अंतर-सरकारी विचार-विमर्श की जरूरत पड़ सकती है। अध्यक्ष के उद्घाटन अभिभाषण और सम्मेलन का प्रारूप निष्कर्ष तय करते हुए अध्यक्ष का वक्तव्य विवरण के रूप में संलग्न हैं जो अन्य बातों के साथ-साथ भलीभांति तैयार की गई एशियाई तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के बाजार के प्रश्न से संबंधित है।

विवरण

गोल मेज सभा के अध्यक्ष का उद्घाटन भाषण

महामहिम, सभा के सह-आयोजक, कुवैत अमीरात के प्रतिनिधिमंडल के गणमान्य प्रधान, महामहिम,

पेट्रोलियम के मुख्य एशियाई आपूर्तिकर्ताओं और उपभोक्ताओं से मंत्रीगण और प्रतिनिधिमंडल के प्रधान,

महामहिम, इन देशों के नई दिल्ली में राजदूत,

राष्ट्रीय तेल कम्पनियों और एशियाई तेल उद्योग के गणमान्य प्रतिनिधियों,

मुख्य अन्तरराष्ट्रीय संगठनों के यहां उपस्थित गणमान्य प्रतिनिधियों, हमारे सह-आयोजक, अन्तरराष्ट्रीय ऊर्जा मंच के महासचिव, अन्तरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के गणमान्य प्रतिनिधि और ओपेक-पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन के गणमान्य कार्यवाहक महासचिव,

मेरे सह मंत्री,

भारत के गणमान्य विदेश राज्य मंत्री, श्री ई. अहमद,

देवियों और सज्जनों, एशियाई बंधुओ,

हम उस भंयकर सुनामी त्रासदी की छाया में एकत्र हुए हैं जिसने एशिया के हमारे साझा महाद्वीप को क्षति पहुंचाई है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप कृपया खड़े हो जाएं और 1,25,000 या इससे अधिक लोगों की स्मृति में एक मिनट का मौन रखें जो हमारे बीच से क्रूरता से छीन लिए गए हैं। ..... धन्यवाद।

यह एक ऐसा क्षण है जो सम्भवत: एशिया में क्षेत्रीय सहयोग के वृतान्त में ''ऐतिहासिक'' के रूप में दर्ज किया जाएगा क्योंकि यह प्रमुख एशियाई मंत्रियों की पहली बैठक है जो अर्थव्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के लिए उत्तरदायित्व से भरे हैं। क्या हमारी आप की बैठक ''ऐतिहासिक'' के रूप में दर्ज होगी, यह निसंदेह हमारी चर्चाओं और ऐसे संवाद के मार्ग पर बने रहने के हमारे संकल्प के परिणाम पर निर्भर करता है। तथापि, मुझे संदेह नहीं है कि यह दर्ज नहीं होगी। क्योंकि हमारी राजधानी की यात्रा करने के क्रम में आपने हमारे साझा भाग्य में अपनी वचनबद्धता दर्ज कर दी है। मानव सभ्यता की लगभग सभी उन्नतियों के माध्यम से यह एशिया ही है जो अग्रगामियों में रहा है। पिछली कुछ शताब्दियों में हम अन्यों के प्रभुत्व में रहे। अब एक बार फिर हम अपने जहाज के कप्तान हैं और अपने भाग्य के मालिक हैं। मैं अपनी सरकार और हमारी सभी एक अरब लोगों की ओर से इस बैठक में यहां मौजूद होने का हमें अविस्मरणीय सम्मान देने के लिए मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूं। वास्तव में धन्यवाद।

महामहिम, हमारी चिंता-हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में 21वीं शताब्दि के उदय से अन्तरराष्ट्रीय तेल और गैस संबंधों में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुआ है। अंतिम शताब्दि के आखिरी पच्चीस वर्षों में एशियाई तेल उत्पादक उस समय अपने बलबूते आए, जब ओपेक ने विकास और समृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व तेल के लिए उचित और न्यायोचित पारिश्रमिक प्राप्त किया। अब उस तेल का उपभोग करने की एशिया की बारी आ गई है और इस प्रकार उसे मानव सभ्यता के और अधिक विकास के अगुआ के रूप में एशिया के पुनरुत्थान में तेजी आई है। यहां मौजूद एशियाई देशों की कुल खपत यहां मौजूद एशियाई देशों के कुल उत्पादन के लगभग बराबर है। अब हम इसलिए परिश्रम नहीं कर रहे हैं

जिसमें अन्यों को लाभ पहुंच सके। हम पहले ही आपूर्ति के विश्व के मुख्य स्रोत के रूप में उभर चुके हैं, हम उस आपूर्ति की खपत के लिए विश्व के मुख्य गंतव्य के रूप में ऊभर रहे हैं। पहले से ही, वह लगभग दो तिहाई जीवश्म ईंधन, जो इस बैठक में मौजूद मुख्य उत्पाक प्रकृति के तल से निकालते हैं, इस बैठक में मौजूद मुख्य उपभोक्ताओं द्वारा खरीदा जाता है।

उस सम्मिश्रण में 21वीं शताब्दी-एशिया शताब्दी में जाने के साथ वृद्धि ही होगी। हम यहां उस चुनौती का सामना करने और उस अवसर का लाभ उठाने के लिए एकत्र हुए हैं।

चनौती, महामहिम जी विगत की त्रुटियों को सही करने में है। महामहिम जी अवसर एशिया में हम सभी के लिए एक अपेक्षाकृत अधिक उचित, अधिक न्यायसंगत और अधिक आयोत्पादक तेल व्यवस्था स्थापित करने में है जिसमें एशियाई उत्पादकों के लिए एक स्थाई, सुरक्षित और सतत प्रत्याय सर्वाधिक मूल्यवान परन्तु ह्रासमान प्राकृतिक स्रोत के लिए सुनिश्चित की जाती है और एशियाई उपभोक्ता के लिए एक स्थाई, सुरक्षित और उपयुक्त व्यवस्था सुनिश्चित हो जिसके भीतर उस वंचित आधी मानवता के लिए प्रगति और स्मृद्धि प्रोत्साहन देने का आश्वासन दिया जाए जो हमारे सांझे एशिया महाद्वीप में रहती है। हम उस चुनौती का सामना करने के लिए एक चर्चा आरंभ करते हैं और उस अवसर के लिए तैयार हो रहे हैं।

हम ऐसा कैसे करें

प्रथम में स्थायीत्व की चर्चा करता हूं। पिछला वर्ष जनसंख्या के अधिकांश भाग के लिए तेल मूल्यों में सर्वाधिक खराब रालर कोस्टर राइड रहा है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (आपेक) ने इस संकट की अवधि के दौरान सर्वाधिक दायित्व से व्यवहार किया है। अल्पकालिक लाभ के पीछे भागने के बजाय ओपेक ने अपने एशियाई सदस्यों के नेतृत्व में उतार-चढ़ाव को कम करने और सट्टेबाजी को हतोत्साहित करने के लिए लगातार प्रयास किया है। इसके लिए ओपेक और इसके सदस्यों के प्रति विश्व ने आभार व्यक्त किया है। सिर्फ अलावा ओपेक की उत्पादन योजनाएं विश्व को पुन: आश्वस्त करती हैं कि विश्व की तेल आपूर्ति बढ़ती विश्व मांग के साथ कदम से कदम मिलाए रखेगी और कम से कम अगले बीस वर्ष में कोई बनावटी असंतुल्य नहीं होगा जिससे मूल्यों में कोई बेलगाम उतार-चढ़ावा आए। यदि फिर भी स्थाईत्व की अपेक्षा उतार-चढ़ाव पिछले बारह महीनों में अंतरराष्ट्रीय मूल्यों की पहचान रहा है तो वह अधिकतर सट्टेबाजी और उन आशंकाओं की वजह से हुआ है जो बहिर्जात राजनैतिक घटनाओं के तेल उत्पादन पर प्रभाव से ही अधिकांशत: प्रभावित हुई हैं। तथ्य यह है कि किसी विश्व की राजनैतिक व्यवस्था में अनिश्चित घटनाएं घटित हुई हैं जो अंडरलाईंग वैश्विक तेल अर्थव्यवस्था का मार्ग स्थिर बनाए रखा है।

एशिया में हमारे लिए उत्पादन (और उत्पादन के लिए पूर्वानुमान में) उस आधारभूत स्थिरता को तेल बाजारों में स्थिरता में परिवर्तित करने के लिए अनिवार्य है कि हम पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के लिए एक अत्याधुनिक एशियाई बाजार विकसित करें। इसी प्रकार पश्चिम ने अपने प्राकृतिक स्रोतों की प्रचुरता उत्पादन और खपत की प्रचुरता में परिवर्तित किया।

दुर्भाग्यवश एशिया में हम ऐसे व्यवहार करना जारी रखे हुए हैं जैसे कि हम सभी भी एशियाई तेल उत्पादन के अवशिष्ट उपभोक्ता हैं जबकि वास्तव में हम मुख्य उपभोक्ता हैं।

महामहिम जी, एशिया के अवशिष्ट उपभोक्ता बनने से कुछ आर्थिक समझदारी आई जबकि अमेरिका में जमीन पर और यूरोप में अपतट पर अटलांटिक के दोनों ओर बृहत और बढ़ता उत्पादन देखने में आया है। उस युग में ही वेस्टर्न टेकसास इण्टरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) और ब्रेण्ट मेकर उभरे। डब्ल्यू टी आई उत्पादन दो दशक पहले की तुलना में तीन चौथाई कम है और ब्रेण्ट उत्पादन में एक दशक पहले की तुलना में दो-तिहाई की कमी आई और दोनों में आगे और भी ह्रास का बहुत ज्यादा ह्रास का रुझान है। इस बीच कैस्पीयन से पूर्वी साइबेरिया, मध्य एशिया और चीन से दक्षिण पूर्व एशिया और कुछ सीमा तक दक्षिण एशिया तथा सब के अतिरिक्त ईरान और पश्चिम एशिया तक यह एशिया ही है जो तेल के उत्पादन और थ्रुपुट दोनों में प्रगति की उंचाईयों पर है। एशिया के पास किसी वैश्विक मेकर के संदर्भ कुछ नहीं है और भलीभांति तैयार किए गए तेल और तेल उत्पाद मेकर के रूप में और भी कम।

पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों में एशियाई व्यापार में अधिकाधिक स्थाईत्व लाने के उद्देश्य से क्या हम किसी ऐसे एशियाई मेकर के बारे में सोच सकते हैं:

* जहां दीर्घावधि संविदाएं और लंबी बने।
* जहां मेकर के जरिए मूल्य खोज अपेक्षाकृत अधिक पारदर्शी हो।
* जहां ऐसी पारदर्शिता से दीर्घावधि संविदाओं में मूल्य निर्धारण के लिए फार्मुलेट में अपेक्षाकृत अधिक स्थाईत्व की सुविधा होती है।
* जहां रूथास्थान खरीदे बाजार सौदों का उत्तरोत्तर बड़ा हिस्सा बनें।

* जहां पेट्रोलियम एक्सचेंजीज एस्टेब्लीशीज और प्रयुक्त हों।

* जहां डीराइवेटिव्ज मेकर पंपरा में एकीकृत हों।

* जहां संक्षेप में कोई एशियाई मेकर उभरे।

संक्षेप में एशिया बाजार एशिया उत्पादन, एशिया खपत और एशिया कारोबार की सार्वभौमिक तेल अर्थव्यवस्था में वास्तविक भूमिका तथा एशिया की वास्तविक वस्तुस्थिति को दर्शाता है।

महोदय किसी समस्या को सामने रखना उसके उत्तर ढूंढने से सरल है, किन्तु मेरा यह निवेदन है श्रीमान हमारे द्वारा आपस की बातचीत जो हमारे विशेषज्ञों और बाजार आपरेटरों द्वारा की जाने वाली बातचीत से पुष्ट होती है, इससे हम एशिया स्थिरता की अनिवार्यताओं के लिए एक एशिया हल ढूंढने में सक्षम हो सकते हैं।

जहां तक हमारी बैठक के दूसरे उद्देश्य-सुरक्षा का संबंध है, इसका उत्तर भी पारस्परिक आत्म-निर्भरता को प्रोन्नत करने में निहित है। सुरक्षा के दो पहलू हैं। पहला अप्रत्याशित बाधारहित आपूर्तियों के खिलाफ सुरक्षा। संयुक्त आपातकालीन प्रत्युत्तर तंत्र प्रणाली के रूप में जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती शायद हमें एक साथ मिलकर भण्डारण व्यवस्था पर विचार करना चाहिए जिससे उपभोक्ताओं को बाधा-रहित आपूर्तियां प्राप्त होंगी और उत्पादकों को बाधा-रहित तेल राजस्व मिलता रहेगा।

सुरक्षा का दूसरा पहलू उत्पादकों के लिए बाजार आश्वासन और उपभोक्ताओं के लिए आपूर्ति आश्वासन से संबंधित है। यह एशिया तेल सामुदाय के उत्पादक और उपभोक्ता राष्ट्रों द्वारा एक दूसरे देश में पारस्परिक निवेश द्वारा पारस्परिक अन्त:निर्भरता को आमंत्रित करता है। अब तक हम एशिया में पेट्रोलियम अन्वेषण और उत्पादन क्षेत्र में एशिया पेट्रोलियम शोधन और एशिया पेट्रोलियम विपणन क्षेत्र में निवेश के लिए पश्चिम देशों की ओर देखते थे, और मेरे इस कहने में गैस भी शामिल हैं। अब, आगे बढ़ते हुए, एशिया के देश स्वयं एशिया में निवेश के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में सामने आ रहे हैं। निस्संदेह जापान अन्य एशिया देशों में एक दीर्घकालीन एशिया निवेशक है। पिछले दशक में चीन तथा मलेशिया भी एशिया में अन्वेषण और उत्पादन क्षेत्र में न सिर्फ एशिया में बल्कि विश्व भर में एक महत्वपूर्ण राष्ट्र रहे हैं। भारत भी उनमें से एक है। हम पहले से ही अन्वेषण और उत्पादन, शोधन और विपणन परियोजनाओं में 10 से अधिक राष्ट्रों में काम कर रहे हैं और विदेश में हमारा अधिकांश निवेश एशिया देशों में है। परस्पर शोधन क्षेत्र में भारत की चैन्नई पेट्रोलियम कार्पोरेशन में ईरान एक लाभकर निवेशक है और कतर एलएनजी में। यह सोदाहरण है। एक भविष्य के संकेत के रूप में एशिया देश जो अन्य एशिया देशों में बड़े निवेश कर सकते हैं उन्हें इस मंच पर प्रतिनिधित्व करना चाहिए। जो हमारे सभी देशों में अपस्ट्रीम, मिडस्ट्रीम और डाऊनस्ट्रीम तेल और गैस विकास में अगले 25 वर्षों में अनुमानत: 1580 बिलियन डालर से अधिक निवेश कर सकते हैं। इस स्तर पर पारस्परिक संभावित सीमा और परस्पर अन्त: एशिया निवेश, बड़े पैमाने पर इस मंच से हम सब एशिया देशों के लिए और वास्तव में सम्पूर्ण मानव जाति के लिए उत्पादन और खपत की सुरक्षा में वृद्धि करेगा। भारत तेल और गैस क्षेत्र में खुले दिल से विश्व का और विशेष रूप से एशिया निवेशकों का स्वागत करता है। सामान्यत: सार्वभौम तेल अर्थव्यवस्था और विशेषरूप से एशिया तेल अर्थव्यवस्था को प्रोन्नत करने के लिए हम शेयर के लिए तैयार हैं। हमारा मानना है कि पारस्परिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए पारस्परिक निवेशों को सरल बनाने के हितों पर लगातार और गहन बातचीत होती रहनी चाहिए।

आज की हमारी बैठक का तीसरा महत्वपूर्ण लक्ष्य है स्थिरता। इसे कई लाखों वर्ष लगे हैं, वास्तव में प्रकृति को इसे बनाने और संभालने में कई सैंकड़ों लाखों वर्ष लगे हैं जिसे हमने कुछ सौ वर्षों में ही समाप्त कर दिया है जो अब हमारे पास बचा है हमें उसे ही अत्यन्त सावधानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां एक ओर संरक्षण की मांग आती है और दूसरी ओर प्रौद्योगिकी की। जापान ने संरक्षण और प्रौद्योगिकी दोनों के ही रास्ते दिखाए हैं शायद विश्व का कोई अन्य देश ऐसा नहीं कर सका। भारत के पास भी संरक्षण और उनमें परिवर्तन के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। हालांकि, अभी हमें इस दिशा में बहुत कुछ करना है। चीन ने कई महत्वपूर्ण शुरूआती कदम उठाए हैं ऐसे ही कोरिया गणराज्य ने भी। एशिया के तेल निर्यातक देशों ने स्थिरता के महत्व पर प्रशंसनीय जागरूकता दिखाई है। अब समय आ गया है कि हमें अब अपना अनुभव एक दूसरे के साथ बांटना चाहिए और अपने सामान्य जानकारी को और संगोष्ठियों में उस अनुभव को बांटना चाहिए। एशिया में स्थिरता एशिया देशों के बीच लगातार बातचीत की मांग करती है। हम हमारे पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संस्थान, दि इंडियन इन्स्टीच्यूट आफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम अध्ययन विश्वविद्यालय, दि एनर्जी एण्ड रिसर्च इन्स्टीच्यूट आफ इंडिया (टीईआरआई), हमारा सैंटर फार हाई टेक्नोलोजी हमारा तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय, इंडियन आयल का अनुसंधान और विकास केन्द्र तथा हमारी अन्य सभी वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुसंधान तथा विकास संस्थान सभी एशिया देशों की सेवाओं में है। यह कहा जाता है कि विश्व में हर तीसरी जानकारी प्रौद्योगिकविद् भातीय है। पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी में हमारी उपलब्धि शायद कम प्रभावशाली है। किन्तु हमें अपने साथी एशिया देशों के साथ यह जानकारी बांटने में और अन्य देशों से सीखने में प्रसन्नता होगी।

इस ऐतिहासिक शुरूआत को प्रारम्भ में जिसका मुझे विश्वास है बार-बार या दो वर्ष में एक बार या दो बार मिलने का मौका मिलेगा शायद एशिया के शुद्ध तेल निर्यातक और शुद्ध तेल आयातक देशों को और शायद अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य को केन्द्र में रखते हुए अपना विकास करना, मैं एक बार पुन: आप सबको हमारी राष्ट्र राजधानी में आमंत्रित करता हूं और सबको सौहार्दपूर्ण निवास की कामना करता हूं।

महोदय, आप सबका आभार।

तेल और गैस अर्थव्यवस्था में क्षेत्रीय सहयोग पर नई दिल्ली में 6 जनवरी, 2005 को आयोजित एशियाई मंत्रियों की पहली गोल मेज सभा की समाप्ति पर अध्यक्ष द्वारा दिया गया वक्तव्य

क. सामान्य

1. एशियाई तेल अर्थव्यवस्था विश्वव्यापी तेल अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग है और अपृथक्करणीय है।

2. एशियाई उत्पादन के लिए मुख्य उपभोक्ताओं के रूप में उभरते हुए एशियाई उद्देश्यों और एशियाई उत्पादकों और और एशियाई उपभोक्ताओं के बीच प्रगामी रूप से वृद्धि, सहयोग करने के लिए विश्वव्यापी उत्पादन और खपत में एशिया के हिस्से को देखते हुए एशियाई उपभोक्ताओं को एशियाई तेल और गैस अर्थव्यवस्था में आपसी अंतरनिर्भरता के माध्यम से स्थायित्व, सुरक्षा और निरन्तरता को सुनिश्चित करना है।

3. हितों के आदान-प्रदान के आधार पर इस सहयोग के मूल तत्वों में नियमन, संवाद, आपसी समझबूझ और सम्मान, अंतरराष्ट्रीय आपूर्तियों की संरक्षा, मांग के समान आपूर्ति और कार्यनीतिक भागीदारिता शामिल होने चाहिए।

4. इस ओर, एशियाई सहमति को विकास और विस्तार करने के लिए एशियाई संवाद स्वागत योग्य और अनिवार्य है।

5. अत: यह सहमति है कि तेल और गैस अर्थव्यवस्था में नई दिल्ली में हुई क्षेत्रीय सहयोग पर एशियाई मंत्रियों की गोलमेज सभा की लिखतों को बनाए रखा जाना चाहिए। इसके पश्चात गोल मेज सभा की मेजबानी सह-मेजबानी पर निम्नलिखित देशों ने सहमति प्रदान की है:

   द्वितीय गोल मेज सभा - सउदी अरब
   सह-मेजबान-जापान

   तृतीय गोल मेज सभा - जापान,
   सह-मेजबान-कतर

   चतुर्थ गोल मेज सभा - कवैत,
   सह-मेजबान-कोरियाई गणतंत्र

   गोल मेज सभाओं में निवल आयात करने वाले और निवल निर्यात करने वाले देशों के बीच एकान्तर पद्धति का अनुसरण किया जा सकता है।

6. मंत्री-स्तरीय गोल मेज सभाओं की तैयारी के लिए अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा मंच सचिवालय, अवस्थिति-पत्रों और कार्यसूची दस्तावेजों को तैयार करने के लिए विशेषज्ञों, प्रचालिकों और अधिकारियों की बैठक बुला सकता है।

7. गोल मेज सभाओं में मंत्रीस्तरीय चर्चाओं को सुदृढ़ करने के लिए गोल मेज सभा में भाग लेने वाले देशों से संबंधित एशियाई कार्य प्रचालकों को साथ लेने के लिए समान स्तर पर प्रयास किए जा सकते हैं।

ख. स्थायित्व और सुरक्षा

1. पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के लिए एशियाई बाजारों में सुधार करने की गुंजाइश है। इस मसले पर व्यापक नीति संबंधी मानदंडों, जिन पर और आगे विचार करना अपेक्षित है, की पहचान करने की दृष्टि से प्रारंभिक तौर पर विशेषज्ञों और प्रचालकों को सावधानीपूर्वक अध्ययन और विस्तृत विचार-विमर्श करना अपेक्षित है।

2. कीमतें एक स्तर पर स्तर होनी चाहिए ताकि ये एशियाई उपभोक्ताओं का एशियाई उत्पाद की खरीददारी में वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहित कर सकें और दूसरी ओर कीमतें ऐसी होनी चाहिए जो आर्थिक प्राथमिकता के तौर पर एशियाई उपभोक्ता लक्ष्यों के लिए, तेल और गैस में निवेश बढ़ाने के लिए एशियाई उत्पादकों को प्रोत्साहित कर सकें।

3. उत्पादक और उपभोक्ताओं के आपसी निवेश के माध्यम से पूरे तेल और गैस उत्पादों के सभी आड़े-तिरछे निवेश, आपूर्ति और मांग दोनों की सुरक्षा गाटंरी देंगे और इस प्रकार आपूर्ति और मांग की सुरक्षा करते हुए कीमतों को स्थिर बनाए रखने में योगदान देंगे। इस तरह कीमतों में स्थायित्व से पेट्रोलियम क्षेत्र के सभी घटकों और अन्य ऊर्जा संबंधी परियोजनाओं में घरेलू और देश से बाहर निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

4. संतुलित निवेश को बढ़ाने में सावधानी बरती जानी चाहिए ताकि अधिक निवेश से न तो क्षमता में अधिक वृद्धि हो न ही कम निवेश से आपूर्ति में कमी।

5. कार्यनीतिक भंडारण और संचय से सुरक्षा सुनिश्चित होती है और इस संबंध में जापान के उपयोगी अनुभव से अन्य प्रमुख उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण सबक मिल सकता है। तथापि, ऐसा कार्यनीतिक भंडारण और संचय अवैध वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु नहीं होना चाहिए।

6. सूचना और ज्ञान का आदान-प्रदान क्रेता और विक्रेता दोनों में ही विश्वास बढ़ाने की कुंजी है।

7. जापान द्वारा प्रस्तावित सस्टेनेबल एंड फ्लैक्सिबल एनर्जी फोरम (एसएएफई) ऊर्जा संरक्षा के मामले पर आगे विचार करने के लिए उपयोगी फ्रेमवर्क तैयार करता है।

8. ऊर्जा विकास हेतु एक एशियाई बैंक की स्थापना का ईरानी प्रस्ताव गहन विचार योग्य है।

ग. निरंतरता

1. पर्यावरण संरक्षण हेतु ऊर्जा संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के मामले के महत्व का समर्थन करते हुए स्वच्छ और अति पर्यावरण सापेक्ष गहन जीवाश्म ईंधन प्रौद्योगिकियों के अनुसरण में प्रौद्योगिकीय सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

2. इस संबंध में, एशियाई अनुसंधान और विकास केन्द्रों के बीच सहयोग और आम जनता में संरक्षण जागरूकता बढ़ाने संबंधी मुख्य सहायक तत्वों की पहचान की गई।

सीएनजी परिवर्तन किटों की कमी

***674. श्री बी. विनोद कुमार:**
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में ''सीएनजी परिवर्तन किटों'' की कमी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस कमी को पूरा करने हेतु क्या कार्रवाई की गयी है/की जा रही है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार द्वारा सीएनजी किटों और इसके पुर्जों के आयात पर रियायती सीमाशुल्क लेने जैसे कोई वित्तीय प्रोत्साहन दिये जाते हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) वर्तमान में सीएनजी की आपूर्ति राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) और मुंबई, थाणे और मीरा-भयंदर में मैसर्स महानगर गैस लिमिटेड द्वारा की जा रही है। भारत में उपलब्ध अधिकांश सीएनजी किटों का इटली, अर्जेंटीना और अमरीका जैसे विभिन्न देशों से आयात किया जाता है। जबकि एमजीएल ने अपने प्रचालन के क्षेत्रों में सीएनजी किटों की कोई कमी सूचित नहीं की है, विभिन्न प्रकार के वाहनों में सीएनजी परिवर्तनों की बढ़ती हुई लोकप्रियता से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सीएनजी किटों की कुछ कमी हो गई होगी।

सीएनजी परिवर्तनों की स्थिति की समीक्षा करने के लिए आईजीएल ने उन प्राधिकृत किट आयातकों/वितरकों/विनिर्माताओं के साथ चर्चा की जिनकी संख्या पिछले वर्षों से क्रमिक रूप से बढ़ी है। चर्चाओं के दौरान आईजीएल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में यथासंभव अधिक प्राधिकृत कार्यशालाएं खोलने की जरूरत पर बल दिया। इसके अलावा सीएनजी किट अनुमोदक एजेंसियों अर्थात् भारतीय आटोमोटिव अनुसंधान संघ (एआरएआई) और वाहन अनुसंधान और विकास स्थापना (वीआरडीई) के साथ चर्चाओं के दौरान आईजीएल ने विभिन्न लोकप्रिय वाहन रूपांतरों/माडलों के लिए सीएनजी किटों के प्रकार अनुमोदनों की प्रक्रिया तेज करने की आवश्यकता के लिए इन निकायों से आग्रह किया है। इन निकायों से सीएनजी वाहनों से संबंधित सभी अनुमोदनों को प्राथमिकता देने का भी अनुरोध किया गया है।

(ग) और (घ) जी हां। वर्तमान में सीएनजी किटों और ऐसी किटों के पुर्जों पर 5% का रियायती सीमा शुल्क लगता है।

राष्ट्रीय जनजाति संग्रहालय

***675. श्री मनुसुखभाई डी. वसावा:**
श्री सुनिल कुमार महतो:

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश की जनजाति कला और संस्कृति को सुरक्षा प्रदान करने तथा उसका संरक्षण करने के लिए कोई नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय जनजाति संग्रहालय स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इसके स्थान सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) संस्कृति मंत्रालय के पास जनजातीय संस्कृति और लोक कला का संरक्षण और संवर्धन करने के लिए कई कार्यक्रम हैं। उनमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल, क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र और भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, कोलकाता द्वारा प्रायोजित कई कार्यक्रम शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, संस्कृति मंत्रालय के पास जनजातीय और लोक कला व संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन हेतु एक विशिष्ट परियोजना है। इस स्कीम के अंतर्गत, जनजातीय और लोक कला के संरक्षण में लगे हुए जनजातीय और गैर-जनजातीय, दोनों स्वैच्छिक संगठनों, संस्थाओं और व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विस्थापितों का पुनर्वास

***676. श्री जसुभाई दानाभाई बारड़:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में सरकारी क्षेत्र के विभिन्न तेल उपक्रमों द्वारा कुल कितने तेल शोधक कारखाने चलाये जा रहे हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उनके द्वारा किसानों की कुल कितनी भूमि का अधिग्रहण किया गया तथा मुआवजे के रूप में कितनी धनराशि का भुगतान किया गया;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों द्वारा सभी किसानों का पुनर्वास कर दिया गया है या उन्हें रोजगार उपलब्ध करा दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) शेष बचे किसानों के पुनर्वास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(छ) सभी किसानों का पुनर्वास कब तक कर दिये जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) देश में 17 सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरियां प्रचालनरत हैं।

(ख) इन रिफाइनरियों को स्थापित करने के लिए लगभग 17,800 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। पिछले वर्षों के दौरान पहले से भुगतान किए गए मुआवजे के अतिरिक्त सा.क्षेप. उपक्रमों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान भुगतान किए गए मुआवजे की राशि निम्नवत् है:

इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड	– 3.60 करोड़ रु.
बोंगाईगांव रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	– 0.62 करोड़ रु.
कोच्चि रिफाइनरी लिमिटेड	– 22.61 करोड़ रु.
चेन्नई पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड	– 4.28 करोड़ रु.

(ग) से (छ) किसानों सहित सभी भू-स्वामियों को भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की सांविधिक अपेक्षाओं के अनुसार विधिवत् मुआवजा दिया गया है। न्यायालयों में लंबित मामलों के अलावा, कोई बकाया मुआवजा अथवा बाध्यकर पुनर्वासन बकाया नहीं है।

इसके अतिरिक्त सामाजिक दायित्व के एक उपाय के रूप में इन रिफाइनरियों ने लोगों को, उनकी शैक्षिक योग्यताएं पर्याप्त होने और रिफाइनरियों में रिक्तियों की उपलब्धि के अध्यधीन, रोजगार प्रदान किया है जिनका अधिग्रहणों के कारण विस्थापन हुआ है।

इसके अतिरिक्त इन रिफाइनरियों ने विस्तापित व्यक्तियों को पुनर्वासन अनुदान दिए हैं, प्रशिक्षण दिया है और परिवहन, ठेकों आदि के क्षेत्र में स्वरोजगार हेतु अवसर प्रदान किए हैं।

गोला-बारूद डिपुओं में आग

***677. श्री सुबोध मोहिते:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में विभिन्न गोला-बारूद डिपुओं में आग लगने की कितनी घटनाएं हुई हैं;

(ख) इसके परिणामस्वरूप जान और माल की कुल कितनी क्षति हुई;

(ग) क्या महाराष्ट्र में पुलगांव के केन्द्रीय गोला-बारूद डिपो में भयंकर आग लगने से सरकार को कई करोड़ रुपए की क्षति हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें कितने लोग हताहत हुए;

(ङ) क्या महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में गोला-बारूद डिपुओं में पिछले कुछ समय से नियमित रूप से आग लगने की घटनाएं घट रही हैं;

(च) यदि हं, तो क्या आमला, चन्द्रपुर और पुलगांव स्थित गोलाबारूद डिपुओं में आग लगने के कारणों की जांच करायी गयी है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और निष्कर्ष क्या हैं; और

(ज) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कौन-कौन से उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (ज) वर्ष 2002-2005 के दौरान गोलाबारूद डिपुओं में आग लगने की चार घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं। इन घटनाओं में संपत्ति की हानि का अनुमानित मूल्य निम्नलिखित है:

क्रम सं.	गोलाबारूद डिपो	घटना की तारीख	अनुमानित हानि (रुपए में)
1.	गोलाबारूद डिपो, दप्पर	27 जुलाई, 2002	शून्य
2.	19 फील्ड गोलाबारूद डिपो, जोधपुर	02 अगस्त, 2002	31.54 लाख
3.	भारतीय वायुसेना गोलाबारूद डिपो, आम्ला	10 जुलाई, 2004	27.84 करोड़
4.	केन्द्रीय गोलाबारूद डिपो, पुलगांव	22 मार्च, 2005	22 करोड़

गोलाबारूद डिपो, दप्पर में हुई घटना में दो सिविलियन मजदूर मारे गए।

केन्द्रीय गोलाबारूद डिपो, पुलगांव में 22 मार्च, 2005 को आग लग गई थी, जिसमें लगभग 22 करोड़ रुपए का गोलाबारूद नष्ट हो गया है। रक्षा सुरक्षा कोर के तीन कार्मिकों को हल्की चोटें आने की सूचना मिली है। केन्द्रीय गोलाबारूद डिपो, पुलगांव और भारतीय वायुसेना गोलाबारूद डिपो, आम्ला के संबंध में जांच अदालत की कार्यवाही प्रगति पर है। चन्द्रपुर में कोई गोलाबारूद डिपो नहीं है।

ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं/उपचारात्मक उपाय किए गए हैं:

(1) सभी डिपुओं को बचाव तथा सुरक्षा अनुदेश अद्यतन करने के निदेश दिए गए हैं।

(2) बचाव तथा सुरक्षा व्यवस्थाओं की पर्याप्तता की जांच करने के लिए अफसर-बोर्ड द्वारा सभी डिपुओं का निरीक्षण किया गया है।

(3) अग्निशमन उपस्करों की कमी को पूरा किया जा रहा है तथा खराब उपस्करों की मरम्मत की जा रही है।

(4) अप्रयोज्य गोलाबारूद का प्राथमिकता के आधार पर निपटान किया जा रहा है।

(5) इस समय तिरपाल के नीचे फर्श पर रखे गोलाबारूद को वहां से हटाने के लिए और विस्फोटक भण्डार गृहों के निर्माण हेतु अतिरिक्त धनराशि आबंटित की गई है।

[हिन्दी]

तेल और प्राकृतिक गैस निगम द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजा

*678. **श्री वी.के. दुग्मर:**
श्री जीवाभाई ए. पटेल:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम किसानों को उनकी भूमि का अधिग्रहण करने पर मुआवजा प्रदान करता है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए क्या मानदंड निर्धारित किये गये हैं;

(ग) क्या सरकार को मुआवजा प्रदान करने में हुई अनियमितताओं से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गयी है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) जी हां। ओएनजीसी अपने अन्वेषण और उत्पादन कार्य करने के लिए भूमि आवश्यकतानुसार खरीद कर या किराया आधार पर अधिग्रहीत करती है। अस्थायी आधार पर अधिग्रहीत की गई भूमि सामान्य स्थिति में लाई जाती है और अन्वेषण कार्य कर लिए जाने के बाद और क्षेत्र/कार्यस्थल की जरूरत न रहने पर किसान को लौटा दी जाती है। तथापि, हाइड्रोकार्बन संभावना के सिद्ध हो जाने के बाद भूमि स्थायी आधार पर अधिग्रहीत की जाती है। तथापि, हाइड्रोकार्बन संभावना के सिद्ध हो जाने के बाद भूमि स्थायी आधार पर अधिग्रहीत की जाती है। मुआवजे की राशि का संबंधित राज्य सरकार के राजस्व प्राधिकरण द्वारा नियत दरों के अनुसार निर्णय किया जाता है। सामान्य रूप से मुआवजे के भुगतान राज्य प्राधिकरण के माध्यम से भूस्वामी को अधिग्रहण के तीन महीनों के भीतर किए जाते हैं।

(ग) और (घ) जैसा कि संलग्न विवरण से देखा जा सकता है, गुजरात, तमिलनाडु, असम और महाराष्ट्र राज्य में ओएनजीसी द्वारा भूमि अधिग्रहण के बारे में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। ये उद्देश्य के पूरा हो जाने पर मुख्य रूप से भूमि को सामान्य स्थिति में लाने और गुजरात और तमिलनाडु राज्य में भूस्वामी को लौटाने, तमिलनाडु में बढ़ी हुई दरों पर मुआवजे के भुगतान, असम और महाराष्ट्र राज्य में परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों को नौकरियों और नागरिक सुविधाओं के प्रावधान जैसे मामलों से संबंधित हैं। जब भी ऐसे अभ्यावेदन/शिकायतें प्राप्त होती हैं, इन्हें तभी शिकायतों के तुरन्त समाधान के लिए ओएनजीसी को भेजा जाता है। ऐसी शिकायत के समाधान की प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है। ओएनजीसी ने मुआवजे के समय पर वितरण और ऐसी शिकायतों के समाधान के लिए कई उपाय किए हैं। इनमें निम्नलिखित उपाय सम्मिलित हैं:

(1) क्षतियों का शीघ्र सर्वेक्षण तथा पंचनामा तैयार करना;

(2) निर्धारण के लिए संबंधित राज्य सरकार के राजस्व अधिकारियों को शामिल करना और उसकी अनुपस्थिति में आवास समितियों का गठन;

(3) ओएनजीसी के निर्धारित और नामित अधिकारियों द्वारा निवारण के लिए शिकायत की सुनवाई।

विवरण

पिछले एक वर्ष के दौरान ओएनजीसी द्वारा मुआवजे के भुगतान के बारे में शिकायतों की राज्यवार प्राप्ति दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य	किससे प्राप्त हुई	प्राप्ति की तारीख	शिकायत की विषय-वस्तु
1	2	3	4	5
1.	महाराष्ट्र	लोकमत समाचार-पत्र में 9.4.2005 को रिपोर्ट	12.4.2005	परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों को नागरिक सुविधाओं का प्रावधान करने के लिए।
2.	असम	श्री संतोष मोहन देव, एचआई और डीपीई मंत्री	12.8.2004	भूमि के अधिग्रहण के प्रति परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों को नौकरियां
3.	असम	श्री ए.एफ. गोलम उस्मानी, सांसद	23.3.2005	भूमि के अधिग्रहण के प्रति परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों को नौकरियां

1	2	3	4	5
4.	असम	श्री दिग्विजय सिंह, महासचिव, एआईसीसी	4.1.2005	भूमि के अधिग्रहण के प्रति परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों को नौकरियां
5.	तमिलनाडु	भूमि दाता संघ थट्टनगुड़ी नेम्मेली गांव, मैलादुथुराई, नागपट्टिनम	29.12.2004	उन किसानों को बाजार दर पर पट्टा मुआवजा दर और कार्यस्थल को मूल स्थिति में बहाल करने के लिए भुगतान जिनकी भूमि अधिग्रहीत की गई थी।
6.	गुजरात	श्री जीवाभाई अम्बालाल पटेल, सांसद	3.5.2005	लोक सभा के दिनांक 17.3.2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2344 का संदर्भ देते हुए माननीय सांसद ने उन किसानों को वांछित अन्वेषण की पूर्णता के बाद ओएनजीसी द्वारा अधिग्रहीत भूमि स्थायी आधार पर लौटाने का सुझाव दिया है, जिनकी भूमि अधिग्रहीत की गई थी।

राष्ट्रीय पाइपलाइन नीति

*679. **श्री मुन्शी राम:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय पाइपलाइन नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में बिछायी जा रही पाइपलाइन हेतु एक समान मानदंड निर्धारित करने का है जैसा कि यूरोपीय और अमरीकी देशों में किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या पेट्रोलियम और गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए एक समान मानदंड निर्धारित करने के लिए भातीय मानक ब्यूरो में एक विशेष प्रकोष्ठ गठित किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) राष्ट्रीय गैस पाइपलाइन नीति तैयार की जा रही है। नीति के प्रारूप में अन्य बातों के साथ-साथ एक राष्ट्रव्यापी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क का विकास सम्मिलित है। यह नेटवर्क सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की प्रतिभागिता के साथ एक प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में बिछाया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित नीति की मुख्य विशेषताओं में पाइपलाइन बिछाने के लिए प्राधिकरण, तकनीकी और सुरक्षा मानक और ग्रिड कनेक्टिविटी के लिए कोड का विकास करना, मुक्त संपर्क आधार पर अतिरिक्त क्षमता की उपलब्धता, प्रशुल्क निर्धारण आदि सम्मिलित हैं। यह अनुमान है कि अनुमोदित कर दिए जाने पर ये मानक पूरे देश में एक समान होंगे।

(घ) और (ङ) उच्च दबाव की तेल और गैस प्रेषण प्रणालियों हेतु निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय विनिर्देश हैं जिनका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तेल और गैस कंपनियों द्वारा पालन किया जाता है। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने हमारे देश में उच्च दबाव की तेल और गैस

प्रेषण प्रणालियों के लिए मानकों का विकास करने का कार्य करने का अनुरोध किया गया है।

रेलवे कर्मचारियों को प्रशिक्षण

***680. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:**
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल सुरक्षोपायों को क्रियान्वित किए जाने के बावजूद कर्मचारियों की लापरवाही से होने वाली रेल दुर्घटनाओं की संख्या में कमी नहीं आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेलवे अपने कर्मचारियों को आधुनिक उपकरणों का संचालन करने हेतु प्रशिक्षण देता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के बावजूद बहुत अधिक संख्या में रेल दुर्घटनाएं होने के क्या कारण हैं; और

(च) 17000 करोड़ रुपए के विशेष रेल सुरक्षा कोष की स्थापना के पश्चात् रेल दुर्घटनाओं की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी आई है?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): (क) और (ख) जी नहीं, अनेक तकनीकी एवं प्रणाली इनपुट के परिणामस्वरूप कर्मचारियों की चूकों के कारण भारतीय रेलों पर होने वाली दुर्घटनाओं में कमी आई है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या और उनमें से उन दुर्घटनाओं की संख्या जो रेल कर्मचारियों की चूकों के कारण हुई हैं, निम्नलिखित हैं:

वर्ष	दुर्घटनाओं की संख्या	रेल कर्मचारियों की चूक के कारण दुर्घटनाएं
2000-2001	473	293
2001-2002	415	248
2002-2003	351	186
2003-2004	325	161
2004-2005	234*	133*

*(अनंतिम)

(ग) और (घ) सुरक्षा कोटि के कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों को आधुनिक उपकरणों के साथ कार्य आरंभ करने से पूर्व प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे कुशलता से उनका उपयोग और रख-रखाव कर सकें। रेलें नियमित रूप से रेल कर्मचारियों की जानकारी एवं कार्य कुशलता को लगातार अद्यतन करती हैं। प्रशिक्षण माड्यूल भी निरंतर आशोधित किए जाते हैं तथा उन्हें अद्यतन बनाया जाता है।

(ङ) भाग (क) से (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(च) 2004-2005 में परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या 2001-2002 में जब विशेष रेल संरक्षा निधि स्थापित की गई थी, 415 की तुलना में घटकर 234 (अनंतिम) हो गई है जो 43.6% की कमी दिखाती है।

[अनुवाद]

साहित्य अकादमी में अनियमितताएं

6994. श्री प्रशान्त प्रधान: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को साहित्य अकादमी में सरकारी कोष के दुरूपयोग तथा नियुक्तियों में अनियमितताओं की कोई शिकायत मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) जी, हां। सरकार को कतिपय मरम्मत कार्यों और कारों को किराए पर लेने में हुई अनियमितताओं के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ग) इन आरोपों की जांच की गई थी और उपचारात्मक कार्रवाई की गई।

रायगड़ा में सब-वे का निर्माण

6995. श्री गिरिधर गमांग: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्व तटीय जोन के अंतर्गत रेलवे की संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना कार्यक्रमों द्वारा वित्त पोषित वाल्टेयर डिविजन ने रायगडा नगरपालिका, उड़ीसा में सब-वे का निर्माण किया है;

(ख) यदि हां, तो रायगडा नगरपालिका द्वारा कार्यकारी एजेंसियों को वर्ष-वार कुल कितनी धनराशि उपलब्ध करायी गई और अब तक कितनी प्रगति की गयी;

(ग) क्या रेलवे प्राधिकारियों द्वारा जिलाधिकारी रायगडा को उपयोग प्रमाण-पत्र अभी प्रस्तुत किया जाना है;

(घ) यदि हां, तो क्या सब-वे के कार्य को पूरी तरह से पूरा नहीं किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस कार्य को कब तक पूरा किये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां। रायगडा नगरपालिका के लिए इस कार्य को रेलवे ने निक्षेप शर्तों के तहत पूरा किया गया था।

(ख) सब-वे का कार्य 1999 में पूरा कर दिया गया था तथा तत्पश्चात् नवम्बर, 2002 में निक्षेप शर्तों पर सब-वे के दोनों ओर पहुंच मार्गों का निर्माण कर दिया गया था। बैंक ड्राफ्टों के माध्यम से प्राप्त भुगतानों की दिनांक तथा राशि के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

वर्ष	भुगतान की गई राशि
19.01.1999	11,47,000
28.02.2000	06,00,000
05.07.2002	06,00,000
30.04.2002	04,00,000
07.09.2002	02,00,000
26.11.2002	02,00,000
16.05.2003	01,93,100
जोड़	33,40,100

(ग) धनराशि उपयोग प्रमाण-पत्र 29.1.2005 को कार्यकारी अधिकारी रायगडा नगरपालिका को इस अनुरोध के साथ पहले ही भेज दिया गया है कि बचे हुए कार्यों को पूरा करने अथवा अपने आप कार्य शुरू करने के लिए 5,41,236 रुपए जमा कराए जाएं।

(घ) और (ङ) वास्तव में, रेलवे को पुल विशेष अर्थात् सब-वे का कार्य 1999 में पूरा करना था। उसके बाद, रायगडा नगरपालिका के अनुरोध पर रेलवे द्वारा पहुंच मार्गों का कार्य भी शुरू किया गया था तथा 2002 में पूरा कर लिया गया था। बहरहाल, साइड स्लोपों के बचाव तथा ब्लेक टापिंग का कार्य बचा है। इस बचे हुए कार्य की अनुमानित लागत 6,15,000 रुपए है। रेलवे के पास लेखे में नगरपालिका की बकया निधि केवल 73,764 रुपए है। अत: बकाया राशि की कटौती करके रायगडा नगरपालिका को 5,41,236 रुपए जमा कराने थे ताकि रेलवे कार्य शुरू कर सके।

(च) नगरपालिका द्वारा रेलवे के पास अपेक्षित राशि जमा करा दिए जाने पर बकाया कार्य शुरू किया जाएगा।

[हिन्दी]

तारामंडल का बनाया जाना

6996. श्री जय प्रकाश (मोहन लाल गंज): क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार को राज्य में तारामंडल बनाने का कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

डा. अम्बेडकर स्मारक का सौंदर्यीकरण

6997. श्री हंसराज जी. अहीर: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने डा. अम्बेडकर स्मारक के सौंदर्यीकरण और उसके पुनर्निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अनुसूचित जातियों के लिए योजनाओं का क्रियान्वयन

6998. श्री कैलाश मेघवाल: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय अनुसूचित जातियों के स्वांगीण विकास के लिए विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों और क्रियान्वित योजनाओं और कार्यक्रमों का अलग-अलग ब्यौरा रखता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय, अन्य मंत्रालयों तथा केन्द्र सरकार के विभागों में अनुसूचित जातियों के विकास के विभिन्न विकास कार्यक्रमों और कल्याण योजनाओं के लिए आवंटित तथा स्वीकृत धनराशि की निगरानी और उपयोग के आकलन के लिए कोई तंत्र है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान इस तंत्र के माध्यम से राजस्थान और अन्य राज्यों में किए गए आकलन और निगरानी का ब्यौरा क्या है और इसके क्या निष्कर्ष निकले?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा निर्मुक्त निधियों का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए की गई कार्रवाई/अपनायी गई पद्धति निम्नांकित है:

(1) नई निर्मुक्तियों के पहले, पूर्व निर्मुक्तियों से संबंधित उपयोग प्रमाणपत्रों को भेजने पर जोर दिया जाता है।

(2) राजस्थान सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से आवधिक प्रगति रिपोर्टें मंगायी जाती है, जिनमें योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति, लाभार्थियों की संख्या आदि का उल्लेख किया जाता है।

(3) योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति का पता लगाने के लिए राज्य सचिवों के साथ बैठकें की जाती हैं।

भारतीय तट रक्षक बल का आधुनिकीकरण

6999. श्री राजनरायन बुधौलिया:
श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारतीय तट रक्षक बल को अत्याधुनिक पोत उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय तट रक्षक बल को कब तक इसे उपलब्ध कराए जाने की संभावना है; और

(घ) भारतीय तट रक्षक बल के आधुनिकीकरण के लिए सरकार द्वारा कितनी राशि खर्च किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (ग) तटरक्षक बल से हटाए गए पोतों के लिए प्रतिस्थापन के रूप में तथा बल की शक्ति में वृद्धि करने के लिए पोतों को शामिल किए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया जाता है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है तथा यह कार्य तटरक्षक बल से अपेक्षित उनकी चिन्हित भूमिकाओं के अनुसार किया जाता है।

(घ) 2005-2006 के दौरान तटरक्षक बल के आधुनिकीकरण के लिए 466 करोड़ रुपए की धनराशि मुहैया करायी गई है।

[अनुवाद]

बिना सिग्नल की रेल लाइन

7000 श्री रनेन बर्मन: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आकलाखी से बालुरघाट के बीच नई रेल लाइन बिना सिग्नल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि आकलाखी से बालुरघाट रेल लाइन के बीच कोई शेड नहीं है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या आकलाखी और बालुरघाट रेल लाइन के बीच स्टेशनों पर कर्मचारियों की कमी है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां।

(ख) एकलाखी से बालूरघाट के बीच रेलवे लाइन "केवल एक गाड़ी प्रणाली" के लिए स्वीकृत की गई थी। अत: सिग्नल व्यवस्था अनापेक्षित थी।

(ग) यह एक नया चालू खंड है अत: यात्री सुविधाओं की व्यवस्था मानदण्डों के अनुसार है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मालगाड़ियों से चोरी की घटनाएं

7001. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कोटा-नागडा रेलवे स्टेशन में कुर्तासी और गरोठ स्टेशनों के बीच पड़ने वाले बरकेरा गांव के निकट खड़ी मालगाड़ी से डीजल की चोरी की घटना की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक मालगाड़ियों से डीजल और अन्य सामान की चोरी के जोनवार और डिविजनवार कितने मामले प्रकाश में आए हैं;

(ङ) इन मामलों के संबंध में रेलवे द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जाएगी; और

(च) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने तथा मालगाड़ियों में सुरक्षा मुहैया कराने के क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) जी हां। 5.4.2004 को लगभग 23.15 बजे पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल के कुटलासी-करोथ रेलवे स्टेशनों के बीच किमी. नं. 803/20-24 पर बदमाशों द्वारा एक मालगाड़ी रोक ली गई थी तथा टैंक वेगन से डीजल चुरा लिया गया था।

(ग) सूचना प्राप्त होने पर, शामगढ़ के रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारी स्थल पर पहुंच गए तथा 6,050 रुपए मूल्य का 250 लिटर डीजल वसूल किया तथा 8 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। गंतव्य स्टेशन से और पूछताछ करने पर 8,826 लि. पेट्रोल, 2,079 लि. मिट्टी का तेल तथा 6,039 लि. डीजल जिनका मूल्य 4,86,738 रुपए था, कम पाया गया था। गिरफ्तार किए गए बदमाशों के विरुद्ध रेलवे संपत्ति (विधि विरुद्ध कब्जा) अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत अपराध सं. 2/2005 एक मामला दर्ज किया गया था।

(घ) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2002, 2003, 2004 तथा 2005 (31 मार्च तक) के दौरान बुक किए गए परेषणों की उठाई गिरी/चोरी के मामलों को दर्शाने वाला जोन-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) मामले पंजीकृत किए जाते हैं तथा उनकी उपयुक्त रूप से जांच की जाती है। अपराधियों को रेलवे संपत्ति (विधि विरुद्ध कब्जा) अधिनियम के अंतर्गत दंड दिया जाता है।

(च) बुक किए गए परेषणों की चोरी/उठाईगिरी रोकने के लिए निम्नलिखित निवारक कदम उठाए जा रहे हैं:

1. संवेदनशील खंडों पर मूल्यवान परेषणों की ढुलाई करने वाली गाड़ियों का यथासंभव मार्गरक्षण।
2. यार्डों तथा अन्य प्रभावित क्षेत्रों/खंडों में गहन चौकसी।
3. मालडिब्बों/सीलों, ढुलाई किए जा रहे परेषणों की स्थिति लेने के लिए अदला-बदली प्वाइंटों पर संयुक्त जांच। जब कभी हस्तक्षेप नोट किया जाता है, अपराध का पता लगाने के लिए पूर्व इकाइयों को सावधान किया जाता है।
4. मामलों का पता लगाने के लिए अपराधिक आसूचना इकट्ठी करने तथा अपराधियों को पकड़ने के लिए रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारी भी तैनात किए जाते हैं।
5. अपराधियों को पकड़ने तथा चोरी की गई संपत्ति वसूल करने के लिए आसूचना की अदला-बदली के लिए रेलवे सुरक्षा बल, राजकीय रेलवे पुलिस तथा स्थानीय पुलिस के बीच विभिन्न स्तरों पर कड़ा समन्वय रखा जाता है।
6. आपराधिक आसूचना के आधार पर अपराधियों/संपत्ति की चोरी करने वालों के विरुद्ध छापे मारे जाते हैं तथा तलाशी ली जाती है।

विवरण

2002, 2003, 2004, 2005 (मार्च तक) के दौरान क्षेत्रीय रेलों पर बुक किए गए पारेषणों की चोरी और उठाईगिरी के मामलों को दर्शाने वाला विवरण

रेलवे	वर्ष	मामले		संपत्ति		गिरफ्तारी			
		दर्ज किए गए	पता लगाए गए	चोरी की गई	बरामद की गई	बाहरी	रेल कर्मचारी	रे.सु.ब.	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
म.रे.	2002	136	69	885615	662542	126	1	0	127
	2003	106	55	611452	317916	96	5	0	101
	2004	82	47	561446	132226	80	2	0	82
	2005	31	12	1517435	1317894	27	0	2	29
पू.रे.	2002	694	145	6399395	1177569	243	1	0	244
	2003	486	36	3149086	966335	59	1	0	60
	2004	305	38	1700015	346193	37	0	0	37
	2005	94	12	643758	60040	33	0	0	33
पू.त.रे.	2002	0	0	0	0	0	0	0	0
	2003	22	12	381642	252230	21	1	0	22
	2004	36	13	312252	142751	43	2	1	46
	2005	5	1	99891	63450	5	0	0	5
पू.म.रे.	2002	100	49	550741	339590	58	0	0	58
	2003	309	149	2155224	1887457	238	1	0	239
	2004	321	207	2215854	1678092	388	1	0	389
	2005	84	57	612363	488955	126	0	0	126
उ.म.रे.	2002	0	0	0	0	0	0	0	0
	2003	44	21	370850	197027	23	0	0	23
	2004	61	39	1349802	858564	54	2	0	56
	2005	11	8	103230	80680	15	0	0	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
पूर्वोत्तर	2002	131	50	781820	211130	56	0	0	56
	2003	82	39	1272980	822435	51	1	0	52
	2004	72	42	784330	469690	42	3	0	45
	2005	17	8	71380	28550	9	1	0	10
पू.सी.रे.	2002	345	39	2226142	275571	52	1	4	57
	2003	266	79	4678925	512161	124	6	0	130
	2004	337	61	1652959	223580	80	2	0	82
	2005	91	12	469175	41885	12	1	0	13
उ.रे.	2002	363	208	2342329	1637758	289	9	0	298
	2003	312	205	2128428	1589867	302	15	0	317
	2004	257	142	2505250	1592523	231	9	0	240
	2005	117	31	531709	270933	55	0	0	55
उ.प.रे.	2002	17	11	34826	28700	17	1	0	18
	2003	57	28	214730	112650	35	1	0	36
	2004	35	16	185773	66270	20	1	0	21
	2005	9	7	20875	14775	10	1	0	11
द.म.रे.	2002	103	39	1479079	92380	106	1	0	107
	2003	72	32	806129	379395	88	0	0	88
	2004	83	42	881135	233350	126	3	0	129
	2005	13	8	25647	21020	17	0	0	17
द.पू.म.रे.	2002	0	0	0	0	0	0	0	0
	2003	12	9	53827	45750	19	0	0	19
	2004	16	7	32295	17518	23	0	0	23
	2005	1	1	1100	1100	2	0	0	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
द.पू.रे.	2002	128	35	1034963	369755	75	3	0	78
	2003	55	23	287795	174610	47	0	0	47
	2004	48	16	573212	162210	30	0	0	30
	2005	17	6	214596	103430	11	0	1	12
द.रे.	2002	180	31	973122	251182	47	8	5	60
	2003	1236	24	763446	184324	39	0	0	39
	2004	555	23	1392006	101622	22	3	0	25
	2005	78	4	64666	11580	4	1	0	5
द.प.रे.	2002	0	0	0	0	0	0	0	0
	2003	25	2	306822	5000	0	1	0	1
	2004	45	11	472624	68964	22	1	0	23
	2005	16	2	76065	9675	5	0	0	5
प.म.रे.	2002	0	0	0	0	0	0	0	0
	2003	35	34	200324	194335	58	1	0	59
	2004	45	38	183967	169812	71	8	0	79
	2005	10	8	32750	17500	15	2	0	17
प.रे.	2002	225	69	767365	346217	145	10	0	155
	2003	202	78	616147	370890	113	8	0	121
	2004	142	53	423182	151776	105	4	2	111
	2005	23	8	178167	165537	18	2	0	20
कुल	2002	2422	745	17475397	5392394	1214	35	9	1258
	2003	3321	826	17997807	8011382	1313	41	0	1354
	2004	2440	795	15226102	7782041	1374	41	3	1418
	2005	617	185	4662807	2697004	364	8	3	375

पुराने स्टाक का निपटान

7002. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** एचपीसीएल द्वारा पेट्रोल पंपों का नवीनीकरण के बारे में 9 दिसंबर 2004 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1404 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एचपीसीएल के दिल्ली डिविजन द्वारा दिल्ली में कितने पेट्रोल पंपों का नवीनीकरण किया गया;

(ख) क्या पुराने स्टाक को गोदामों में डाल दिया गया है;

(ग) क्या पुराने स्टाक के निपटान के लिए कमेटी आन स्क्रैप गठित की गई है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान स्क्रैप की बिक्री से एचपीसीएल में कितनी धनराशि जमा की गई; और

(ङ) यदि पुराने स्टाक को गोदामों में नहीं रखा गया तो इसका किस तरह निपटान किया गया और स्क्रैप की बिक्री से प्राप्त कितनी राशि कंपनी में जमा नहीं की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) गत तीन वर्षों के दौरान मै. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) के दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा नवीकृत खुदरा बिक्री केन्द्रों (पेट्रोल पंपों) की संख्या निम्नवत है:

वर्ष	नवीकृत बिक्री केन्द्रों की संख्या
2002-03	06
2003-04	06
2004-05	20
कुल	32

(ख) पुरानी सामग्री जैसे प्रयुक्त वितरण इकाईयां, तोड़ी गई कैनोपी संरचना तथा पुरानी वैंडिंग को एचपीसीएल के शकूरबस्ती संस्थापन में भेज दिया गया है।

(ग) जी हां।

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान एचपीसीएल के दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा बेकार माल के निपटान से करीब 1.84 लाख रु. की राशि एकत्र की गई है।

(ङ) कार्पोरेशन की नीति के अनुसार, पुराने स्टाक का निपटान निम्न परिस्थितियों में किया जाता है:

(1) कंपनी की आवश्यकता से अधिशेष

(2) बेकार/प्रचालन के लिए अमितव्ययी/मरम्मत के लिए अमितव्ययी

(3) सर्विस योग्य नहीं

(4) कम गति वाले/गतिहीन

(5) बेकार माल।

सभी बेकार माल या तो गोदाम में भेज दिया जाता है या कार्पोरेशन की नीति के अनुसार स्क्रैप के तौर पर बेच दिया जाता है। बेचे गए स्क्रैप के लिए कार्पोरेशन ने सारी राशि प्राप्त कर ली है।

इलाहाबाद से घरेलू उड़ानें

7003. श्री अतीक अहमद: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इलाहाबाद से देश के विभिन्न शहरों के लिए घरेलू उड़ानें शुरू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इलाहाबाद से इन घरेलू उड़ानों को शुरू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कारगर कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) सहारा एयरलाइंस पहले ही इलाहाबाद को/से निम्नानुसार अनुसूचित हवाई सेवा का प्रचालन करती है:

दिल्ली-लखनऊ-इलाहाबाद-कोलकाता तथा वापसी-3 उड़ानें प्रति सप्ताह।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

तनावग्रस्त व्यक्तियों के लिए व्यावसायिक/आवासीय पाठ्यक्रम

7004. श्री बापू हरी चौरे: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार तनावग्रस्त (आत्म विमोह), सेरिब्रल पल्सी तथा इससे संबंधित रोगों से ग्रसित लोगों के लिए व्यावसायिक तथा आवासीय पाठ्यक्रम तैयार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कार्यान्वयन एजेंसियों के नाम क्या हैं और इसमें वार्षिक आबंटन की धनराशि कितनी है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) और (ख) सरकार दीनदायल विकलांगजन पुनर्वास योजना के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों को व्यावसायिक प्रशिक्षण और शिक्षा प्रदान करनेहेतु रिहायशी और गैर रिहाइशी दोनों प्रकार के केन्द्र स्थापित करने के लिए अनुदान देती है। दीनदायल विकलांगजन पुनर्वास योजना कार्यान्वित कर रहे गैर-सरकारी संगठनों का ब्यौरा मंत्रालय की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.सोशलजस्टिस.निक.इन पर देखा जा सकता है। वर्ष 2005-06 के लिए बजट आबंटन 80.00 करोड़ रुपए है।

[अनुवाद]

आदर्श स्टेशन के रूप में दुर्गापुर स्टेशन

7005. श्री सुनील खां: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दुर्गापुर रेलवे स्टेशन को एक आदर्श स्टेशन बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) दुर्गापुर रेलवे स्टेशन "ए" कोटि का स्टेशन है और माडल स्टेशन के रूप में इसका चुनाव कर लिया गया है। इस स्टेशन पर गाड़ी संसूचक बोर्डों को छोड़कर माडल स्टेशन के लिए निर्धारित सभी यात्री सुविधाएं मुहैया करा दी गई हैं। गाड़ी संसूचक बोर्डों की व्यवस्था संबंधी कार्य भी स्वीकृत कर दिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

हिण्डन विमानपत्तन के आस-पास के बूचड़खानों को हटाना

7006. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:
श्री अविनाश राय खन्ना:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिण्डन विमानपत्तन के आस-पास के अवैध बूचड़खानों द्वारा किए गए प्रदूषण से आसमान में बड़े पक्षी आकर्षित होते हैं जिससे भारतीय वायुसेना के काम्बैट विमानों के लिए खतरा पैदा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इन बूचड़खानों को हटाने के संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इन बूचड़खानों को कब तक हटाए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (ग) राज्य सरकार/स्थानीय नागरिक प्राधिकारियों के साथ समन्वय करके भारतीय वायुसेना के एयरफील्डों के आस-पास के पर्यावरण को साफ करते रहना एक निरतंर चलने वाली प्रक्रिया है। उड़ान सुरक्षा के हित में एयरफील्डों के आस-पास के पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने हेतु भारतीय वायुसेना द्वारा संबंधित राज्य सरकारों/स्थानीय नागरिक प्राधिकारियों से कहा जाता है।

[अनुवाद]

इंटरनेशनल हेराल्ड ट्रिब्यून का प्रकाशन

7007. श्री गणेश प्रसाद सिंह: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत में इंटरनेशनल हेराल्ड ट्रब्यून के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रतिबंध के बावजूद इसका भारत में प्रकाशन किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस मामले में कोई कार्यवाही की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (ङ) सरकार की मौजूदा प्रिंट मीडिया नीति भारत में किसी विदेशी समाचारपत्र या समाचार पत्रिकाओं के प्रकाशन का निषेध करती है। इस नीति के अनुसार, किसी भी विदेशी समाचारपत्र अथवा समाचार पत्रिका को प्रकाशित किए जाने की अनुमति नहीं दी गयी है। तथापि, इस मंत्रालय ने जून, 2004

में, मैसर्स मिडराम पब्लिकेशंस प्रा.लि. द्वारा हैदराबाद से ''इंटरनेशनल हेराल्ड ट्रिब्यून'' के भारतीय संस्करण का प्रकाशन किए जाने का पता चलने पर इसके प्रकाशन को रोकने के लिए मैसर्स मिडराम पब्लिकेशंस को और हैदराबाद से प्रकाशित इंटरनेशनल हेराल्ड ट्रिब्यून के प्रकाशन हेतु सामग्री/विषय-वस्तु की आपूर्ति को रोकने के लिए इंटरनेशनल हेराल्ड ट्रिब्यून, हांगकांग तथा न्यूयार्क को लिखा क्योंकि इससे सरकार की मौजूदा प्रिंट मीडिया नीति का उल्लंघन होता है।

सरकार उपयुक्त विधायी उपायों के जरिए अपनी नीति को सुदृढ़ करने के विकल्पों की जांच कर रही है। इस प्रयोजनार्थ, एक मंत्री-समूह का गठन कर दिया गया है।

[हिन्दी]

दूरदर्शन को घाटा

7008. श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी टी.वी. चैनलों की तुलना में दूरदर्शन तथा डी.डी. न्यूज चैनल घाटे में चल रहे है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन घाटों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) दूरदर्शन एक सार्वजनिक सेवा प्रसारक है और यह निजी चैनलों की तरह विशुद्धत: वाणिज्यिक लाभों से अधिप्रेरित नहीं होता है।

(ग) दूरदर्शन अपने कार्यक्रमों और राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों को कवर करने वाले समाचारों की गुणवत्ता को बढ़ाने हेतु नवीनतम पद्धतियों और आधुनिक बाजार रणनीति को अपनाकर अपने वाणिज्यिक राजस्व को बढ़ाने के लिए सतत रूप से प्रयासरत है। दूरदर्शन ने वाणिज्यिक राजस्व को बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं जिनमें छ: केन्द्रों में विपणन प्रभागों की स्थापना करना, नए कार्यक्रमों प्रारूपों को शुरू करना, वाणिज्यिक दर-कार्ड में समायोजन के माध्यम से गैर-प्राइम बैंड में टाइम-स्लाटों का पूर्ण उपयोग करने के लिए वचन-पत्र आदि शामिल हैं। वर्ष 2004-05 में वाणिज्यिक राजस्व में वृद्धि की प्रवृत्ति देखने में आई है।

[अनुवाद]

आयुद्ध डिपो का आधुनिकीकरण

7009. श्री सुव्रत बोस: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार आयुध डिपो के आधुनिकीकरण पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (ग) भारत सरकार ने आयुध डिपुओं का आधुनिकीकरण चरणबद्ध तरीके से शुरू किया है। केन्द्रीय आयुध डिपो, कानपुर का आधुनिकीकरण, जिस पर 187 करोड़ रुपए का अनुमानित व्यय शामिल है, पूरा होने की अग्रिम अवस्था में है। केन्द्रीय आयुध डिपो, कानपुर के आधुनिकीकरण के अंतर्गत अत्याधुनिक मालगोदाम सुविधाएं आती हैं जिनमें उच्चतर ऊर्ध्वाधर स्थान उपयोग, स्वचालित सामग्री संभलाई, कंप्यूटरीकृत सामान सूची प्रबंधन पद्धति और अत्याधुनिक अग्निरोधी अधिष्ठापना, अग्निशमन और सुरक्षा प्रणालियां शामिल हैं। आगरा और जबलपुर स्थित केन्द्रीय आयुध डिपुओं के आधुनिकीकरण से संबंधित विस्तृत परियोजना रिपोर्टों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

[हिन्दी]

रेलवे लाइनों का उन्नयन

7010. डा. सत्यनारायण जटिया: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे लाइनों के क्षमता उन्नयन तथा रतलाम और कोटा रेल मंडलों के अंतर्गत कोटा-नादिया, तथा रतलाम-भोपाल, उज्जैन-इंदौर रेलवे खंड पर स्टेशनों पर सुविधाओं के विस्तार के लिए वर्ष 2005-06 के लिए कार्य योजना क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): कोटा-नागदा, रतलाम-भोपाल तथा उज्जैन-इंदौर खंडों पर रेलवे लाइनों के अपग्रेडेशन तथा स्टेशनों की सुविधाओं के विस्तार के लिए निम्नलिखित कार्य शुरू किए गए हैं:

(क) कोटा रेलवे मंडल कोटा-नागदा खंड

(1) नागदा-मथुरा खंड के बीच 6 स्टेशनों पर डारेक्शनल लूप

(2) दकनिया तलाव पर अप तथा डाउन लूप

(3) कोटा में माल शेड तथा निकास प्रणाली में सुधार

(4) कोटा में शंटिंग नैक का विस्तार

(5) कोटा पैसेंजर यार्ड पर लाइन नं. 1, 4 एवं 5 पर सीमेंट कंक्रीट एप्रेन में सुधार

(6) कोटा में ऊपरी पैदल पुल का स्थान बदलना

(7) कोटा-नागदा खंड पर 7 स्टेशनों पर 24/26 सवारी डिब्बों को खड़ा करने के लिए प्लेटफार्म का विस्तार

(8) चौनमाला में प्लेटफार्म नं. 1 एवं 2 में मौजूदा सतह में सुधार

(9) कोटा में प्लेटफार्म नं. 1, 2, 3 एवं 4 पर कोटा स्टोन के फर्श की व्यवस्था

(10) कोटा मंडल में आने वाले सभी स्टेशनों पर मानदंडों के अनुसार वांछनीय यात्री सुविधाओं की व्यवस्था

(ख) रतलाम रेलवे मंडल में रतलाम-भोपाल तथा उज्जैन-इंदौर

(1) कालापीपल-फांडा खंड का दोहरीकरण

(2) अकोडिया-मोहम्मद खेड़ा-सुजालपुर का दोहरीकरण

(3) मंगलियागांव में अतिरिक्त माल साइडिंग की व्यवस्था।

बंगाली भाषा में कार्यक्रमों का प्रसारण

7011. श्री बीर सिंह महतो: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल के झारखण्ड से सटे कई भागों में कार्यक्रम बंगाली भाषा में प्रसारित नहीं किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) पश्चिम बंगाल के समीपवर्ती क्षेत्रों में दूरदर्शन के ट्रांसमीटरों के उन्नयन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि पश्चिम बंगाल की 97.1 प्रतिशत जनसंख्या को दूरदर्शन के स्थलीय सिगनल उपलब्ध हैं। स्थलीय कवरेज द्वारा कवर न किए गए इस राज्य के क्षेत्र और देश के अन्य भाग (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह को छोड़कर) अब एक लघु आकार की डिश अभिग्रहण प्रणाली की मदद से डी.डी. बंगला और 12 रेडियो चैनलों सहित 33 टी.वी. चैनल समूह वाली दूरदर्शन की के.यू. बैंड प्रसारण सेवा (डी.टी.एच.) प्राप्त कर सकते हैं।

जहां तक आकाशवाणी का संबंध है, पश्चिम बंगाल स्थित सभी केन्द्रों से बंगला भाषा में कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं और ये राज्य की 99 प्रतिशत जनसंख्या को उपलब्ध हैं। इसलिए, पश्चिम बंगाल में झारखण्ड के समीपवर्ती क्षेत्रों में टी.वी. ट्रांसमीटरों का उन्नयन करने की कोई स्कीम नहीं है।

जलगांव में एरोड्रोम

7012. श्री वाई.जी. महाजन: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र के जलगांव में एक एरोड्रोम का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो उक्त विमानपत्तन के कब तक निर्मित हो जाने की संभावना है; और

(ग) इसके निर्माण के लिए सरकार द्वारा कितनी निधियों का आबंटन किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

राजसहायता बिल

7013. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम ने केन्द्र सरकार से एक वैकल्पिक प्रणाली पर विचार करने का अनुरोध किया है जिसके द्वारा कंपनी को केरोसीन तथा कुंकिंग गैस की राजसहायता बिल नहीं लेना पड़े और इसे केन्द्र सरकार को दिए जाने वाले लाभांश के विरूद्ध समायोजित कर दिया जाए; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) जी नहीं। जबकि ओएनजीसी राजसहायताओं का साझा रूप से भार वहन करने से उत्पन्न होने वाले मुद्दों पर सरकार के साथ चर्चा करती रही है, उसने यह प्रस्ताव नहीं किया है कि उनका राजसहायता का भार सरकार को उनके लाभांश भुगतान के प्रति समायोजित किया जाए।

(ख) उक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

चाइल्ड लाइन सेवा का विस्तार

7014. श्री किन्जरपु येराननायडु: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार चाइल्ड लाइन सेवा को देश के अन्य शहरों/नगरों, जहां यह अभी उपलब्ध नहीं है, तक बढ़ाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सेवा को प्रदान करने के लिए योग्य संस्थानों के राज्य-वार नाम क्या हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) जिन शहरों में, इस समय चाइल्ड लाइन सेवा नहीं है उनमें सेवा का विस्तार करना एक जारी प्रक्रिया है।

(ख) पात्र संस्थाओं का राज्यवार ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

कृषि भूमि का अधिग्रहण

7015. श्री सुरेश अंगड़ि: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा मंत्रालय द्वारा कर्नाटक के बेलगाम जिले में कृषि भूमि के एक बड़े क्षेत्र का अधिग्रहण करके इसे एक खतरे वाला जोन घोषित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो रक्षा मंत्रालय द्वारा कुल कितने क्षेत्र का अधिग्रहण किया गया है;

(ग) क्या किसानों को कोई मुआवजा दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) उन किसानों, जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया है, की सहायता करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) जी, नहीं।

(ख) से (च) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

बर्खास्त सेवा मुक्त कार्मिकों का पेंशन के लाभ

7016. श्री एन.एन. कृष्णदास: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1994 में सरकार ने विभिन्न रक्षा बलों से बर्खास्त तथा सेवा मुक्त किए गए कार्मिकों को पेंशन संबंधी लाभ देने का निर्णय लिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस निर्णय के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उत्तरांचल में रेल परियोजनाएं

7017. श्री राजेन्द्र कुमार: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तरांचल में नई रेल लाइनों के निर्माण, वर्तमान कम आमान वाली लाइनों के आमान परिवर्तन तथा रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण के संबंध में प्रस्ताव सरकार के पास लंबित पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त प्रस्तावों को स्वीकृति दिए जाने में हुए विलंब के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) भोजपुरा-पीलीभीत-टनकपुर खंड (101.79 किमी.) के आमान परिवर्तन के लिए अपडेटिंग सर्वेक्षण हाल ही में पूरा कर लिया गया है। जांच के बाद सर्वेक्षण के परिणामों के आधार पर प्रस्ताव पर आगे विचार किया जाएगा। राज्य में रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण के लिए कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

[अनुवाद]

मथुरा का उप-मंडल के रूप में दर्जा बढ़ाना

7018. कुंवर मानवेन्द्र सिंह: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मथुरा का उप-मंडल के रूप में दर्जा बढ़ाये जाने की प्रबल मांग रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या मथुरा से गुजरने वाली सभी रेलगाड़ियों के यहां पर ठहराव को भी मांग की गई है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) मामले की जांच की गई परंतु फिलहाल परिचालनिक रूप से व्यवहार्य नहीं पाया गया।

राजमार्गों पर पेट्रोल पंप

7019. डा. एम. जगन्नाथ: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिनांक 17.10.2004 के बाद पंजाब और हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्गों पर ऐसे स्थानों पर कितने पेट्रोल पंप स्थापित हैं जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मानदंडों को पूरा नहीं कर रहे हैं और जिन्होंने यह झूठा परिवचन प्रस्तुत किया है कि यह स्थान मानदंडों को पूरा करते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने मामले की जांच की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और परिणाम क्या है; और

(घ) दोषी पाए गए अधिकारियों/व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) आईबीपी कंपनी लिमिटेड (आईबीपी) ने हरियाणा राज्य में एक खुदरा बिक्री केन्द्र (पेट्रोल पंप) चालू किया है, जो अविभाजित परिवहन मार्ग के दोनों तरफ दो खुदरा बिक्री केन्द्रों के बीच 300 मीटर की वांछित दूरी के संबंध में, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग के मानक पूरे नहीं करता। आईबीपी ने भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को उसके अनुमोदन के लिए भेजे गए अपने आवेदन पत्र में यह तथ्य बताया था। एनएचएआई के अनुमोदन की प्रतीक्षा है। एनएचएआई द्वारा मांगे गये कुछ स्पष्टीकरण भी कंपनी द्वारा भेजे गये हैं। आईबीपी ने एनएचएआई को किसी झूठी सूचना/वचन को नकारा है।

(ख) से (घ) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

पेट्रोल पंपों के आधुनिकीकरण पर किया गया व्यय

7020. श्री ए.एफ.जी. ओसमानी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान अलग-अलग पेट्रोल पंपों के विज्ञापनों और आधुनिकीकरण पर तेल क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा कंपनीवार कितना व्यय किया गया; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान डीजल और पेट्रोल की बिक्री पर कंपनीवार कुल कितना तेल शोधन और विपणन लाभ मार्जिन रहा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

ललित कला अकादमी में अनियमितताएं

7021. श्रीमती पी. सतीदेवी: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को ललित कला अकादमी के कार्यकरण और नियुक्तियों में बरती गई अनियमितताओं के संबंध में कलाकारों, अध्येताओं और आलोचकों से कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन पर क्या कार्रवाई की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) नियुक्ति और कार्यकरण के संबंध में ललित कला अकादमी को कोई विशेष शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

किशोर न्याय बोर्डों और बाल कल्याण समिति का गठन

7022. श्री रघुराज सिंह शाक्य: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्यवार ऐसे कितने जिले हैं जहां किशोर न्याय अधिनियम, 2000 के अंतर्गत किशोर न्याय बोर्डों और बाल कल्याण समिति विधिवत गठित किए गए हैं;

(ख) क्या बाल गृहों/आश्रय गृहों से बच्चों के दत्तकग्रहण का पर्यवेक्षण और निगरानी करने हेतु किशोर न्याय अधिनियम, 2000 में कोई संस्था निर्धारित है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के साथ किशोर न्याय बोर्डों और बाल कल्याण समितियों को स्थापित करने सहित किशोर न्याय (बाल देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के विभिन्न पहलुओं के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में सूचना समय-समय पर संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्राप्त फीडबैक पर आधारित होती है। यह मंत्रालय की अधिकारिक वेबसाइट अर्थात् डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.सोशलजस्टिस.निक.इन पर उपलब्ध है। किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समिति वाले जिलों की संख्या जो राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त सूचना पर आधारित है, इस वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

(ख) और (ग) किशोर न्याय (बाल देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के अंतर्गत निर्धारित दत्तकग्रहण संबंधी पर्यवेक्षण और मानीटरिंग निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार किया जाता है:

1. बाल कल्याण समिति बच्चों की देखभाल, संरक्षण उपचार और पुनर्वास मामलों का निपटारा करने के लिए अंतिम प्राधिकारी होगी।

2. कोई परित्यक्त बच्चा तब तक गोद नहीं लिया जा सकेगा जब तक बाल कल्याण समिति के दो सदस्य बच्चे को दत्तकग्रहण हेतु स्वतंत्र घोषित नहीं करते हैं।

3. राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार दत्तकग्रहण हेतु ऐसे बच्चों की जांच और स्थापन दोनों के लिए बाल गृहों और अनाथों के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित संस्थानों को दत्तकग्रहण एजेंसियों के रूप में मान्यता दी जाएगी।

4. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दत्तकग्रहण संबंधी विभिन्न दिशानिर्देशों के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, किशोर न्याय बोर्ड को बच्चों को गोद देने तथा उक्त दिशानिर्देशों के अनुसार इस प्रयोजन के लिए यथा-अपेक्षित जांच करने के लिए अधिकार दिया जाएगा।

[हिन्दी]

विमान सेवाओं को पुन: बहाल करना

7023. **श्री गणेश सिंह:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उन स्थानों से विमान परिचालन को पुन: बहाल करने पर विचार कर रही है जहां इंडियन एयरलाइंस की उड़ानें बंद कर दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या खजुराहो के लिए विमानन सेवा पुन: बहाल करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो कब से?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (घ) एलाइंस एयर ने आगरा, खजुराहो तथा वाराणसी के लिए जनवरी, 2005 से प्रचालनात्मक एवं बेड़ा संबंधी बाधाओं के कारण अपनी सेवाएं बंद कर दी हैं। एलाइंस एयर अपने विमानों की स्थिति में सुधार होने तक खजुराहो के लिए अपनी सेवाएं पुन: बहाल करने की स्थिति में नहीं है।

खरीद में अनियमितताएं

7024. **श्री रामचन्द्र पासवान:**
श्री सूरज सिंह:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सरकार को संसद सदस्यों से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा कंप्यूटरीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित खरीद में की गयी अनियमितताओं संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले में किसी जांच का आदेश दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम निकला; और

(ङ) दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

''इरकान'' और मलेशिया सरकार के बीच समझौता ज्ञापन

7025. डा. के. धनराजु: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आदान-प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकान) तथा मलेशिया सरकार के बीच खाद्य पाम आयल हेतु अनुबंध कार्य के संबंध में किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर समझौता ज्ञापन की निबंधन और शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या उक्त परियोजना पर कार्य किया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) जी हां।

रेलवे परियोजना को निष्पादित करने के लिए मई, 2001 में इरकान इंटरनेशनल लिमिटेड और परिवहन मंत्रालय, मलेशिया सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसमें भुगतान ''खाद्य तेल उत्पादों'' में ''काउंटर ट्रेड दायित्वों'' के तहत किया जाना था। इस समझौता ज्ञापन के आधार पर जून, 2001 में मलेशिया सरकार द्वारा एक ''आशय-पत्र'' जारी किया गया जिसके तहत उपर्युक्त परियोजना के निष्पादन के लिए ''खाद्य तेल उत्पाद'' संबंधी मामले पर मलेशिया सरकार और इरकान एक ''काउंटर ट्रेड दायित्व'' करार करेंगे। समझौता ज्ञापन 31.03.2002 तक लागू था।

(ग) और (घ) संदर्भित परियोजना पर कोई कार्य निष्पादित नहीं किया गया था।

(ङ) मलेशिया सरकार द्वारा मामले पर पुनर्विचार के कारण मलेशिया सरकार द्वारा जारी आशय-पत्र अक्तूबर, 2003 में वापस ले लिया गया।

लंबडिंग रेल मंडल को धनराशि का आबंटन

7026. श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान एन.एफ. रेलवे के अंतर्गत लंबडिंग रेल मंडल के लिए यात्री सुविधाओं हेतु कितनी राशि आबंटित की गई हैं;

(ख) इस प्रयोजन हेतु वर्ष-वार कितनी राशि का उपयोग किया गया और धनराशि का पूर्ण उपयोग न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान लंबडिंग-बदरपुर-मनु, कटखल-वैरबी, बदरपुर-सिल्चर-जीरीघाट और बरोईग्राम-डुलावचेरा खंड के स्टेशनों पर कितनी राशि व्यय की गई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) 2002-03, 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान लमडिंग मंडल के लिए यात्री सुविधाओं के लिए आबंटित धनराशि क्रमश: 138.91 लाख रुपए, 185.27 लाख रुपए तथा 153.60 लाख रुपए थी।

(ख) 2002-03, 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान इस्तेमाल की गई राशि क्रमश: 94.32 लाख रुपए, 122.90 लाख रुपए तथा 119.80 लाख रुपे थी। ठेके संबंधित समस्याओं, नक्शों एवं अनुमानों को अंतिम रूप देने में विलंब तथा यातायात शर्तों के अंतर्गत कार्य निष्पादित करने में कठिनाई के कारण कार्यों की धीमी प्रगति जैसे विभिन्न कारणों से धनराशि का पूर्णतया इस्तेमाल नहीं किया जा सका।

(ग) खंडों में स्थित स्टेशनों पर उक्त अवधि के दौरान खर्च की गई राशि 2002-03 के दौरान 20.30 लाख रुपए, 2003-04 के दौरान 31.48 लाख रुपए तथा 2004-05 के दौरान 33.49 लाख रुपए थी।

ऊर्जा सुरक्षा

7027. श्री जी.वी. हर्ष कुमार: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार खाड़ी देशों के साथ ऊर्जा सुरक्षा विकल्पों के विस्तार हेतु कई विकल्पों की खोज कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में खाड़ी देशों के साथ हुई वार्ता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन पर क्या कार्रवाई की गई?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) जी हां। सरकार कच्चे तेल के लिए दीर्घावधिक अनुबंधों, तेल और गैस क्षेत्र में पारस्परिक निवेशों, सउदी अरब द्वारा भारत में वाणिज्यिक कार्यनीतिक भंडार स्थापित करने की संभावना, तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) के रूप में प्राकृतिक गैस के आयात सहित खाड़ी देशों या पश्चिम एशिया (ईरान सहित), म्यांमार और संभावित रूप

से तुर्कमेनिस्तान जैसे गैस समृद्ध क्षेत्रों और विदेशों में रकबों की प्राप्ति सहित कई ऊर्जा सुरक्षा विकल्पों की खोज कर रही है।

6 जनवरी, 2005 को नई दिल्ली में तेल और गैस अर्थव्यवस्था में क्षेत्रीय सहयोग के बारे में एशियाई मंत्रियों की पहली गोल मेज बैठक में भी इस मुद्दे पर चर्चा की गई जिसमें मेजबान भारत के अलावा ईरान, जापान, मलेशिया, ओमान, कतर, सउदी अरब, यूएई, कुवैत, चीन, कोरिया के मंत्रियों/प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन के बारे में अध्यक्ष के मसौदा निष्कर्ष विवरण के रूप में संलग्न हैं।

विवरण

तेल और गैस अर्थव्यवस्था में क्षेत्रीय सहयोग पर नई दिल्ली में 6 जनवरी, 2005 को आयोजित एशियाई मंत्रियों की पहली गोल मेज सभा की समाप्ति पर अध्यक्ष द्वारा दिया गया वक्तव्य

क. सामान्य

1. एशियाई तेल अर्थव्यवस्था विश्वव्यापी तेल अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग है और उससे अपृथक्करणीय है।

2. एशियाई उत्पादन के लिए मुख्य उपभोक्ताओं के रूप में उभरते हुए एशियाई उद्देश्यों और एशियाई उत्पादकों और एशियाई उपभोक्ताओं के बीच प्रगामी रूप से वृद्धि, सहयोग करने के लिए विश्वव्यापी उत्पादन और खपत में एशिया के हिस्से को देखते हुए एशियाई उपभोक्ताओं को एशियाई तेल और गैस अर्थव्यवस्था में आपसी अंतरनिर्भरता के माध्यम से स्थायित्व, सुरक्षा और निरन्तरता को सुनिश्चित करना है।

3. हितों के आदान-प्रदान के आधार पर इस सहयोग के मूल तत्वों में नियमन, संवाद, आपसी समझबूझ और सम्मान, अंतरराष्ट्रीय आपूर्तियों की संरक्षा, मांग के समान आपूर्ति और कार्यनीतिक भागीदारिता शामिल होने चाहिए।

4. इस ओर, एशियाई सहमति को विकास और विस्तार करने के लिए एशियाई संवाद स्वागत योग्य और अनिवार्य है।

5. अत: यह सहमति है कि तेल और गैस अर्थव्यवस्था में नई दिल्ली में हुई क्षेत्रीय सहयोग पर एशियाई मंत्रियों की गोलमेज सभा की लिखतों को बनाए रखा जाना चाहिए। इसके पश्चात गोल मेज सभा की मेजबानी सह-मेजबानी पर निम्नलिखित देशों ने सहमति प्रदान की है:

द्वितीय गोल मेज सभा – सउदी अरब
सह-मेजबान-जापान

तृतीय गोल मेज सभा – जापान,
सह-मेजबान-कतर

चतुर्थ गोल मेज सभा – कवैत,
सह-मेजबान-कोरियाई गणतंत्र

गोल मेज सभाओं में निवल आयात करने वाले और निवल निर्यात करने वाले देशों के बीच एकान्तर पद्धति का अनुसरण किया जा सकता है।

6. मंत्री-स्तरीय गोल मेज सभाओं की तैयारी के लिए अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा मंच सचिवालय, अवस्थिति पत्रों और कार्यसूची दस्तावेजों को तैयार करने के लिए विशेषज्ञों, प्रचालिकों और अधिकारियों की बैठक बुला सकता है।

7. गोल मेज सभाओं में मंत्रीस्तरीय चर्चाओं को सुदृढ़ करने के लिए गोल मेज सभा में भाग लेने वाले देशों से संबंधित एशियाई कार्य प्रचालकों को साथ लेने के लिए समान स्तर पर प्रयास किए जा सकते हैं।

ख. स्थायित्व और सुरक्षा

1. पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के लिए एशियाई बाजारों में सुधार करने की गुंजाइश है। इस मसले पर व्यापक नीति संबंधी मानदंडों, जिन पर और आगे विचार करना अपेक्षित है, की पहचान करने की दृष्टि से प्रारंभिक तौर पर विशेषज्ञों और प्रचालकों को सावधानीपूर्वक अध्ययन और विस्तृत विचार-विमर्श करना अपेक्षित है।

2. कीमतें एक स्तर पर स्थिर होनी चाहिए ताकि ये एशियाई उपभोक्ताओं को एशियाई उत्पाद की खरीददारी में वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहित कर सकें और दूसरी ओर कीमतें ऐसी होनी चाहिए जो आर्थिक प्राथमिकता के तौर पर एशियाई उपभोक्ता लक्ष्यों के लिए, तेल और गैस में निवेश बढ़ाने के लिए एशियाई उत्पादकों को प्रोत्साहित कर सकें।

3. उत्पादक और उपभोक्ताओं के आपसी निवेश के माध्यम से पूरे तेल और गैस उत्पादों के सभी आड़े-तिरछे निवेश, आपूर्ति और मांग दोनों की सुरक्षा गारंटी देंगे और इस प्रकार आपूर्ति और मांग की सुरक्षा करते हुए

कीमतों को स्थिर बनाए रखने में योगदान देंगे। इस तरह कीमतों में स्थायित्व से पेट्रोलियम क्षेत्र के सभी घटकों और अन्य ऊर्जा संबंधी परियोजनाओं में घरेलू और देश से बाहर निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

4. संतुलित निवेश को बढ़ाने में सावधानी बरती जानी चाहिए ताकि अधिक निवेश से न तो क्षमता में अधिक वृद्धि हो न ही कम निवेश से आपूर्ति में कमी।

5. कार्यनीतिक भंडारण और संचय से सुरक्षा सुनिश्चित होती है और इस संबंध में जापान के उपयोगी अनुभव से अन्य प्रमुख उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण सबक मिल सकता है। तथापि, ऐसा कार्यनीतिक भंडारण और संचय अवैध वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु नहीं होना चाहिए।

6. सूचना और ज्ञान का आदान-प्रदान क्रेता और विक्रेता दोनों में ही विश्वास बढ़ाने की कुंजी है।

7. जापान द्वारा प्रस्तावित सस्टेनेबल एंड फ्लैक्सिबल एनर्जी फोरम (एसएएफई) ऊर्जा संरक्षा के मामले पर आगे विचार करने के लिए उपयोगी फ्रेमवर्क तैयार करता है।

8. ऊर्जा विकास हेतु एक एशियाई बैंक की स्थापना का ईरानी प्रस्ताव गहन विचार योग्य है।

ग. निरंतरता

1. पर्यावरण संरक्षण हेतु ऊर्जा संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के मामले के महत्व का समर्थन करते हुए स्वच्छ और अति पर्यावरण सापेक्ष गहन जीवाश्म ईंधन प्रौद्योगिकियों के अनुसरण में प्रौद्योगिकीय सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

2. इस संबंध में, एशियाई अनुसंधान और विकास केन्द्रों के बीच सहयोग और आम जनता में संरक्षण जागरूकता बढ़ाने संबंधी मुख्य सहायक तत्वों की पहचान की गई।

[हिन्दी]

गैर-आवासीय विद्यालय

7028. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को गैर-आवासीय विद्यालयों के संबंध में महाराष्ट्र के गैर-सरकारी संगठनों से कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) जी हां।

(ख) वर्ष 2004-05 के दौरान, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को महाराष्ट्र के गैर-सरकारी संगठनों से 24 अनुरोध प्राप्त हुए थे जिनमें गैर-रिहाइशी स्कूलों को अनुदान जारी करने के लिए कहा गया था। इनमें से, 17 गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान जारी किया गया है।

[अनुवाद]

स्मारकों का रख-रखाव

7029. श्री मदन लाल शर्मा: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जम्मू में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा रख-रखाव किए जा रहे ऐतिहासिक स्मारकों की स्थिति बहुत खराब है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन ऐतिहासिक स्मारकों की रख-रखाव प्रणाली को सुधारने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार को इन स्मारकों के उचित रख-रखाव और विकास हेतु संसद सदस्यों से प्रस्ताव/अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन पर क्या कार्रवाई की गई?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (घ) यह कहना सही नहीं है कि जम्मू क्षेत्र में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा अनुरक्षित ऐतिहासिक स्मारकों की स्थिति खराब है।

[हिन्दी]

मिट्टी के तेल की कमी

7030. श्रीमती रूपाताई डी. पाटील: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2004-05 के दौरान मिट्टी के तेल की कुल कितनी मात्रा का आयात किया गया;

(ख) क्या इसके आयात के बावजूद भी देश में अभी भी मिट्टी के तेल की कमी है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा वार्षिक रूप से मिट्टी के तेल की कमी को दूर करने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) वर्ष 2004-05 के दौरान आयात किए गए मिट्टी तेल की कुल मात्रा 210.4 हजार मीट्रिक टन (टीएमटी) थी।

(ख) और (ग) भारत सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पीडीएस मिट्टी तेल का आबंटन किया जाता है। वर्ष 2001-02 से लागू नीति के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिए गए नए एलपीजी कनैक्शनों की संख्या को ध्यान में रखते हुए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पीडीएस मिट्टी तेल के आबंटन में कटौती की गई है। पीडीएस मिट्टी तेल के अतिरिक्त, तेल विपणन कंपनियां मांग के अनुसार मिट्टी तेल की मुक्त बिक्री भी करती है। देश के विभिन्न राज्यों में मिट्टी तेल की वास्तविक मांग का अभिनिश्चय हेतु अध्ययन करने के लिए सरकार ने अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान राष्ट्रीय परिषद (एनसीएईआर) की स्थापना की है। इस अध्ययन रिपोर्ट के प्राप्त होने के बाद ही पीडीएस मिट्टी तेल का राज्यवार आबंटन निश्चित करने के लिए अगली आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

[अनुवाद]

तेल क्षेत्र में भारत-रोमानिया समझौता

7031. **श्री रायापति सांबासिवा राव:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल एवं गैस क्षेत्र में सहयोग के लिए ओएनजीसी, आईओसी और जीएआईएल के अधिकारियों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में रोमानिया के प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत की है;

(ख) यदि हां, तो इसमें किन मुद्दों पर चर्चा हुई;

(ग) क्या दोनों देशों के बीच कोई समझौता हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (घ) 30.3.2005 को महानिदेशक, आर्थिक और वाणिज्य मंत्रालय, रूमानिया के नेतृत्व में एक रूमानियाई शिष्टमंडल ने भारत की यात्रा की और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और तेल क्षेत्र की कंपनियों/संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चाएं कीं। ऐसी विभिन्न परियोजनाओं/कार्यक्रमों और भारतीय तेल कंपनियों की पहचान की गई जो रूमानियाई प्रतिपक्षों के साथ समझौतों पर आगे कार्य करेंगी।

रूमानियाई पक्ष को तेल और प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) का अंतिम प्रारूप सहमति के लिए सौंपा गया। इस एमओयू पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री की रूमानिया की आगामी यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए जाने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

जलमग्न मंदिरों का पुनरुद्धार

7032. **श्री ब्रजेश पाठक:** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों में झीलों/नदियों में जलमग्न हुए मंदिरों के उत्खनन और पुनरुद्धार हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे मंदिरों/ऐतिहासिक स्थलों की राज्य-वार संख्या कितनी हैं;

(ग) क्या सरकार इन मंदिरों के उत्खनन और पुनरुद्धार पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अ.जा./अ.ज.जा. सूची में सरथा समाज समुदाय को शामिल किया जाना

7033. **श्री बसनगौडा आर. पाटिल (यत्नाल):** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक के सरथा समाज (बासबेर समुदाय) ने उन्हें अ.जा. या अ.ज.जा. सूची में शामिल करने हेतु केन्द्र सरकार के पास कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई;

(ग) क्या उन्हें आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने हेतु किसी वित्तीय पैकेज को तैयार किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विस्फोटक विनिर्माण इकाई का पुनरुद्धार

7034. श्री सुरेश वाघमारे: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र के वर्धा जिले में स्थित विस्फोटक विनिर्माण इकाई कुछ समय से बंद पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त इकाई के पुनरुद्धार का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार उक्त इकाई में कार्यरत कर्मचारियों को कुछ अन्य इकाइयों में स्थानांतरण करने पर भी विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) जी, नहीं। आयुध निर्माणी संगठन की कोई उत्पादन यूनिट महाराष्ट्र के समीप नहीं है।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

गिरिडीह और धनबाद के बीच रेल

7035. श्री फुरकान अंसारी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या झारखंड में गिरिडीह और धनबाद के बीच रेल लाइन होने के बावजूद वहां पर रेल नहीं चलाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त रेल लाईन का निर्माण कब किया गया था; और

(घ) सरकार द्वारा लोगों की सुविधा के लिए गिरिडीह और धनबाद के बीच रेल चलाने हेतु क्या कार्रवाई की जा रही है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क), (ख) और (घ) जी हां। इस समय, गिरिडीह और धनबाद के बीच कोई सीधी गाड़ी उपलब्ध नहीं है। बहरहाल, मधुपुर से धनबाद के लिए 4 जोड़ी और गिरिडीह तथा मधुपुर के बीच 5 जोड़ी पैसेंजर गाड़ियां उपलब्ध हैं। धनबाद और गिरिडीह के बीच सीधी गाड़ी चलाना परिचालनिक कठिनाइयों और संसाधनों की तंगी के कारण व्यावहारिक नहीं है।

(ग) उपलब्ध रिकार्डों के अनुसार, गिरिडीह से मधुपुर और धनबाद के आगे लाइन बिछाने का कार्य 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पूरा किया गया था।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम की प्राधिकृत पूंजी में वृद्धि

7036. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (एन.एम.डी.एफ.सी.) की प्राधिकृत पूंजी का निर्णय 1981 की जनगणना के आधार पर किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार 2001 की जनगणना के मद्देनजर एन.एम.डी.एफ.सी. की प्राधिकृत पूंजी में वृद्धि करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

पैसेंजर रेलगाड़ियों की गति में वृद्धि करना

7037. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे पैसेंजर रेलगाड़ियों की गति में वृद्धि करने की योजना बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) भारतीय रेलों पर मेल/एक्सप्रेस/पैसेंजर गाड़ियों सहित यात्री गाड़ियों की गति बढ़ाना एक चालू तथा सतत् प्रक्रिया है। बहरहाल, वर्ष 2005-06 के दौरान गति बढ़ाने के लिए पहचान की गई गाड़ियां निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	गाड़ी सं. तथा नाम
1	2
1.	1604 नांदेड़-दौंड पैसेंजर
2.	4083 सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस
3.	1082 मुंबई सी एस टी-कन्याकुमारी
4.	1069 लोकमान्य तिलक (टर्मीनस)-इलाहाबाद एक्सप्रेस
5.	2165 लोकमान्य तिलक (टर्मीनस)-वाराणसी एक्सप्रेस
6.	2779 वास्को-निजामुद्दीन गोवा एक्सप्रेस
7.	3448 दादर-भागलपुर एक्सप्रेस
8.	5645 दादर-गुवहाटी एक्सप्रेस
9.	5647 दादर-गुवाहाटी एक्सप्रेस
10.	9045 सुरत-वाराणसी ताप्ती गंगा एक्सप्रेस
11.	9047 सुरत-भागलपुर ताप्ती गंगा एक्सप्रेस
12.	2405 भुसावल-निजामुद्दीन गोंडावाना एक्सप्रेस
13.	2409 बिलासपुर-निजामुद्दीन गोंडवाना एक्सप्रेस
14.	2411 जबलपुर-निजामुद्दीन गोंडवाना एक्सप्रेस
15.	8033 अहमदाबाद-हावड़ा एक्सप्रेस
16.	8201/8202 दुर्ग-गोरखपुर एक्सप्रेस
17.	2305 हावड़ा-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस
18.	2315 सियालदह-अजमेर अनन्य एक्सप्रेस
19.	3025 हावड़ा-भोपाल एक्सप्रेस
20.	3151 हावड़ा-जम्मूतवी एक्सप्रेस
21.	2329 सियालदह-दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस
22.	5625 बेंगलोर-गुवाहाटी एक्सप्रेस
23.	5627 त्रिवेंद्रम-गुवाहाटी एक्सप्रेस
24.	5227 मुजफ्फरपुर-यशवंतपुर एक्सप्रेस
25.	5637 सिकंदराबाद-गुवाहाटी एक्सप्रेस
26.	3142 सियालदह-न्यू अलिपुरद्वार तिस्ता तोरशा एक्सप्रेस
27.	6003 हावड़ा-चेन्नै सेंट्रल एक्सप्रेस
28.	8562 निजामुद्दीन-विशाखापत्तनम एक्सप्रेस
29.	8564 बेंगलोर-विशाखापत्तनम एक्सप्रेस
30.	2644 निजामुद्दीन-कन्याकुमारी एक्सप्रेस
31.	6009 मुंबई छ.शि.ट.-चेन्ने सेंट्रल एक्सप्रेस
32.	474 काकीनाडा-तिरूपति पैसेंजर
33.	9119/9120 अहमदाबाद-विरावल इंटरसिटी एक्सप्रेस
34.	8450 पटना-पुरी एक्सप्रेस/5640 गुवाहाटी-पुरी एक्सप्रेस
35.	6309 पटना-एरणाकुलम एक्सप्रेस
36.	2307 हावड़ा-जोधपुर/बीकानेर एक्सप्रेस
37.	2308 जोधपुर/बीकानेर-हावड़ा एक्सप्रेस
38.	5632 गुवाहाटी-जोधपुर/बीकानेर एक्सप्रेस
39.	5631 जोधपुर/बीकानेर-गुवाहाटी एक्सप्रेस
40.	2985/2986 सियालदह-जयपुर एक्सप्रेस
41.	2315/2316 सियालदह-अजमेर एक्सप्रेस
42.	2395 राजेन्द्र नगर-अजमेर एक्सप्रेस
43.	4853/4863 वाराणसी-जोधपुर मरूधर एक्सप्रेस

उपर्युक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित गाड़ियों की गति बढ़ाकर सुपरफास्ट में अपग्रेड के लिए पहचान की गई है।

क्र.सं.	गाडी सं. तथा नाम
1.	1063/1064 दादर-चेन्नै एक्सप्रेस
2.	6041/6042 चेन्ने सेंट्रल-एलेप्पी एक्सप्रेस
3.	6323/6324 त्रिवेंद्रम-हावड़ा एक्सप्रेस
4.	6803/6804 त्रिचिरापल्ली-हावड़ा एक्सप्रेस
5.	5621/5622 गुवाहाटी-नई दिल्ली नार्थ ईस्ट एक्सप्रेस
6.	4659/4660 नई दिल्ली-अमृतसर इंटर सिटी एक्सप्रेस
7.	4229/4230 लखनऊ-नई दिल्ली मेल
8.	1051/1052 लोकमान्य तिलक (टर्मि.)-हावड़ा एक्सप्रेस
9.	1045/1046 लोकमान्य तिलक (टर्मि.)-भुवनेश्वर एक्सप्रेस
10.	6703/6704 चेन्नै एग्मोर-तूतीकारीन पर्ल सिटी एक्सप्रेस
11.	6669/6670 चेन्नै सेंट्रल-इरोड येरकाड एक्सप्रेस
12.	3013/3014 हावड़ा-देहरादून उपासना एक्सप्रेस
13.	5265/5266 दरभंगा-नई दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस
14.	9149/9150 अहमदाबाद-धनबाद पार्श्वनाथ एक्सप्रेस
15.	5087/5088 जम्मूतवी-गोरखपुर अमरनाथ एक्सप्रेस

रंगिया और मुरकोंगसेलक रेल खंड का आमान परिवर्तन

7038. डा. अरूण कमार शर्मा: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के रंगिया-मुरकोंगसेलक खंड में कुछ स्टेशनों को बंद करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रंगिया और मुरकोंगसेलक खंड का आमान परिवर्तन संबंधी सर्वेक्षण पूरा हो गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना पर अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ङ) इस परियोजना पर अब तक कुल कितना व्यय किया गया और वर्ष 2005-06 के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि प्रदान की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी हां। इस खंड के आमान-परिवर्तन के लिए अद्यतन सर्वेक्षण वर्ष 2002-03 में पूरा किया गया था और उसके आधार पर, परियोजना को स्वीकृत किया गया है। रंगिया-रंगापाड़ा नार्थ के लिए विस्तृत अनुमान तैयार कर लिया गया है और प्रक्रियाधीन है। इस क्षेत्र का हाइड्रालाजिकल अध्ययन, जिसमें नियमित वाशअवे/सब्सिडेंस/स्लिप आदि शामिल हैं, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की द्वारा किया गया है।

(ङ) इस परियोजना पर अभी तक कोई खर्च नहीं किया गया। वर्ष 2005-06 के लिए 7.96 रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

नई खानपान नीति में आरक्षण

7039. श्री सर्वानन्द सोनोवाल: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई खानपान नीति, 2004 में सरकार, रेलवे स्टेशनों पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और शारीरिक/मानसिक रूप से विकलांग लोगों को रेलवे के खानपान ठेके देने में 49.5 प्रतिशत आरक्षण दे रही है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक आरक्षण कोटे के अंतर्गत दिए गए लाइसेंसों का जोनवार अलग-अलग ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां। खानपान नीति, 2004 में "डी" "ई" और "एफ" कोटि के स्टेशनों पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं, जिनमें युद्ध शहीद हुए सैनिकों की विधवाएं और रेल कर्मचारियों की विधवाएं शामिल हैं, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और शारीरिक रूप से विकलांग/मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्तियों के लिए 49.5% आरक्षण की व्यवस्था है। नई खानपान नीति 2005 में "डी", "ई" और "एफ" कोटि के स्टेशनों पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले व्यक्तियों, स्वतंत्रता सेनानियों/महिलाओं, जिनमें युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाएं और रेल कर्मचारियों की विधवाएं

भी शामिल हैं, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और शारीरिक रूप से विकलांग/मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्तियों के लिए 49.5% और ''ए'', ''बी'' तथा ''सी'' कोटि के स्टेशनों पर 25% आरक्षण की व्यवस्था।

(ख) भारतीय रेलों पर अब खानपान ठेकों का आबंटन नई खानपान नीति के प्रावधानों के आधार पर किया जा रहा है।

[हिन्दी]

रक्षा चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता

7040. मोहम्मद शाहिद:
श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीमावर्ती क्षेत्रों और भिन्न-भिन्न जलवायु क्षेत्रों में सभी रक्षा चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा, सभी सीमावर्ती क्षेत्रों और भिन्न-भिन्न जलवायु वाले क्षेत्रों में व्यापक चिकित्सा कवर मुहैया कराती है।

(ख) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

हरियाणा में रेल परियोजनाएं

7041. श्री अवतार सिंह भड़ाना: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हरियाणा में आमान परिवर्तन/नई रेल लाइन बिछाने की अनेक परियोजनाओं जिन्हें कुछ समय पहले मंजूरी दी गई थी पर कार्य पर्याप्त धनराशि के अभाव में बहुत धीमी गति से चल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कार्य प्रगति कर रहे हैं। चालू परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए सामान्य बजटीय संसाधनों के अलावा, संसाधन जुटाने के लिए कई पहलकदमियां शुरू की गई हैं।

[अनुवाद]

एनर्जी चार्टर ट्रीटी

7042. श्री एम. शिवन्ना:
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार एनर्जी चार्टर ट्रीटी पर हस्ताक्षर करने का है ताकि विभिन्न परियोजनाओं के लिए पाइपलाइन के माध्यम से गैस आयात करने के लिए बहुपक्षीय समझौते की आवश्यकता को समाप्त किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या निर्णय लिया गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) एनर्जी चार्टर ट्रीटी (ईसीटी) एक बहुपक्षीय दस्तावेज है जो ऊर्जा के क्षेत्र में विशेष रूप से अंतर्सरकारी निगम से संबंधित है। ईसीटी का मौलिक उद्देश्य सभी भागीदारी सरकारों द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों के समान कार्य अवसर प्रदान करते हुए ऊर्जा मामलों पर लागू कानूनों को मजबूत बनाना है ताकि आपूर्ति की अधिकतम सुरक्षा की जाए और ऊर्जा संबंधित निवेश और व्यापार से जुड़े जोखिमों को कम किया जा सके। वर्तमान में भारत ईसीटी का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है।

ईसीटी के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 6 अप्रैल, 2005 को एक कार्यशाला का आयोजन किया था जिसमें एनर्जी चार्टर सचिवालय के पदाधिकारियों ने भी भाग लिया था। ईसीटी का हस्ताक्षर करने संबंधी सरकार के परीक्षणाधीन है।

[हिन्दी]

रेल परियोजनाएं

7043. श्री सुशील कुमार मोदी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्व-मध्य रेलवे और पूर्वोत्तर रेलवे में नई रेल लाइन बिछाने, रेल लाइनों में परिवर्तन और नए रेल पुलों के निर्माण का कार्य चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन योजनाओं के लिए पृथक-पृथक कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(घ) इन परियोजनाओं के कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां।

(ख) से (घ) इस प्रकार की परियोजनाओं का ब्यौरा वर्ष 2005-06 के लिए उनके परिव्यय सहित और पूरा करने के लक्ष्य तिथि जब कभी निर्धारित की गई हो, इस प्रकार है:

पूर्व मध्य रेलवे

परियोजना का नाम	2005-06 के दौरान मुहैया कराए गए परिव्यय (करोड़ रु. में)	पूरा करने के निर्धारित लक्ष्य तिथि जब कभी निर्धारित की गई हो
1	2	3
	नई लाईन	
आरा-सासारा (98 किमी)	18.00	सहरसा-नोखा-संजौली पूरा हो चुका है। संजौली-पिरो 2005-06)
बिहारशरीफ-बरबीघा और शेखपुरा-न्योरा बरास्ता दनियावां (171.5 किमी) सहित फतुहा-इस्लामपुर का बहाली	5.00	फतूहा-इस्लामपुर पूरा हो चुका है
खगड़िया-कुशेश्वरस्थान (44 किमी)	1.11	–
कोडरमा-तिलैया (65 किमी.)	4.00	–
कोशी पुल (21.85)	22.00	–
गंगा नदी पर मुगेर-रेल सह सड़क पुल (14 किमी)	72.00	–
पटना और हाजीपुर के बीच संपर्क लाइन सहित पटना-गंगा पुल (19 किमी.)	72.00	2007-08
गिरीडीह-कोडरमा (105 किमी.)	6.00	–
गोडरमा-रांची (189 किमी.)	27.07	–
राजगीर-हिसुआ-तिलैया और इस्लामपुर-नाटेसर नई लाइन (67 किमी.)	10.00	जगदीशपुर-तिलैया और राजगीर-नेकपुर पूरा हो चुका है नेकपुर-नाटेसर-2005-06
सकरी-हसनपुर (79 किमी.)	8.00	–
हाजीपुर-सगौली (148.3 किमी.)	1.00	–
मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी (63 किमी)	8.00	–

1	2	3
	आमान परिवर्तन	
जयनगर-दरभंगा-नरकटियागंज (268 किमी.)	20.00	–
मानसी-सहरसा और दौरम-मधेपुरा-पुर्णिया (142 किमी)	10.01	मानसी-सहरसा-2005-06
समस्तीपुर-खगड़िया और मानसी- (94 किमी.)	35.04	2005-06
सकरी-लौखा बाजार-निर्मली और सहरसा-फरबिसगंज (206.06 किमी)	10.00	–

पूर्वोत्तर रेलवे

परियोजना का नाम	2005-06 के दौरान मुहैया कराए गए परिव्यय (करोड़ रु. में)	पूरा करने के निर्धारित लक्ष्य तिथि जब कभी निर्धारित की गई हो
1	2	3
	नई लाईन	
हथुआ-देवरिया सदर (84.6 किमी.)	4.00	–
किच्छा-फातिमा (57.7 किमी)	0.10	–
महाराजगंज-मसरक (35.49 किमी.)	1.00	–
रामपुर-लालकुआं-राष्ट्रीय राजमार्ग पर काठगोदाम उपरी सड़क पुल	0.10	–
	आमान परिवर्तन	
आनंदनगर-नौतनवां सहित गोंडा-गोरखपुर लुप लाइन (205 किमी.)	0.10	–
गोंडा-बहराईच-सीतापुर-लखनऊ-चरण-1 (60 किमी.)	0.01	–
औनिहार-जौनपुर (58.66 किमी.)	2.00	–

1	2	3
कप्तानगंज-थाणे-सिवान-छपरा (233.5 किमी.)	8.00	–
बरेली से लालकुआं तक विस्तार के लिए सामग्री आशोधन सहित खानपुर कासगंज-मथुरा-बरेली (544.5 किमी)	43.35	कानपुर-फारूखाबाद 2005-06.

पूरे किए कार्यों को उपर्युक्त सूची में दर्शाया गया है बहरहाल कार्य का पूरा होना, जिसके लक्ष्य को उपर दर्शाया गया है, संसाधनों की समग्र उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

[अनुवाद]

एशियाई राष्ट्रों के साथ रेल संपर्क

7044. श्री दुष्यंत सिंह:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का एशियाई राष्ट्रों के साथ रेल कनेक्टिविटि स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) पाकिस्तान, बंगलादेश तथा नेपाल के साथ रेल संपर्क पहले से मौजूद है। भारत और भूटान के बीच रेल संपर्क के लिए व्यवहार्यता अध्ययन किया जा रहा है। रेल मंत्रालय का अन्य देशों के साथ रेल संपर्क का फिलहाल कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

समूह 'ग' और 'घ' के कर्मचारियों की भर्ती

7045. श्री हेमलाल मुर्मू:
श्री पुन्नूलाल मोहले:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 2003, 31 मार्च, 2004 और 31 मार्च, 2005 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक समूह में रेलवे में पृथक-पृथक कितने कर्मचारी हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष प्रत्येक समूह में कितने लोगों की भर्ती की गई है;

(ग) क्या समूह 'ग' और 'घ' के पदों की संख्या में कमी की गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस समय समूह 'घ' में कितनी रिक्तियां हैं और इन रिक्तियों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) रेलवे में कर्मचारियों (ग्रुप 'ग' एवं 'घ') की संख्या नीचे दी गई है:

निम्नानुसार तिथि को	ग्रुप 'ग'	ग्रुप 'घ'
31.03.2003	869965	588264
31.03.2004	860077	567154
31.03.2005*	861981	545169* (*अनंतिम)

(ख) रेल भर्ती बोर्डों द्वारा पैनल में रखे गए उम्मीदवारों की वर्ष-वार तथा ग्रुप-वार संख्या निम्नानुसार हैं:

वर्ष	ग्रुप 'ग'	ग्रुप 'घ'
2002-03	3993	78
2003-04	14137	2655
2004-05	14368	2385

(ग) और (घ) भारतीय रेलों द्वारा कर्मचारियों का सही आकार करने संबंधी गतिविधियां भारत सरकार में जनशक्ति का सही आकार करने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्रवाईयों के अनुसार है। इसके अलावा रेलें, रेलवे कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं यथा भाप कर्षण को हटाने, आधुनिक रेलपथ संरचना एवं

सिगनलिंग प्रणाली, उन्नत परिचालन कार्य, उच्च क्षमता के चल स्टाक लगाने, कंप्यूटरीकरण आदि में आधुनिक प्रौद्योगिकी अपना रही हैं। इससे कुछ क्षेत्रों में जनशक्ति की आवश्यकता कम हुई है जबकि नये क्षेत्रों में जनशक्ति की आवश्यकता हुई है। अत: पुन: प्रशिक्षण, पुन: तैनाती तथा भर्ती की आवश्यकता है। रेलें बेहतर प्रक्रियाएं विकसित तथा कार्यान्वित करने के लिए बैंचमार्किंग सिद्धांत का भी इस्तेमाल कर रही हैं जिससे कार्य की तुलना में कार्यबल को युक्तिसंगत बनाने में मदद मिलेगी।

(ङ) 31.3.05 को ग्रुप 'घ' में लगभग 36000 रिक्तियां है। रिक्तियां होना तथा भरना एक सतत् प्रक्रिया है। रिक्तियां सामान्य सेवानिवृत्ति, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, मृत्यु आदि के कारण होती हैं तथा खुले बाजार में भर्ती, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति तथा पदोन्नति के माध्यम से भरी जाती हैं। पदोन्नति कोटे की रिक्तियां तथा सीधी भर्ती कोटे की रिक्तियां भरने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

[अनुवाद]

कटक और बारंग के बीच रेल मार्गों का दोहरीकरण

7046. श्री भर्तृहरि महताब: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्व तटीय रेलवे के अंतर्गत कटक और बारंग के बीच रेल मार्ग के दोहरीकरण को बहुत पहले मंजूरी प्रदान की जा चुकी है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की कुल कितनी लागत है;

(ग) आज की तिथि तक कुल कितनी धनराशि मंजूर की गयी और जारी की गयी;

(घ) इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) उक्त परियोजना को पूरा करने की समय-सीमा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) कटक और बारंग का दोहरीकरण 2003-04 के बजट में शामिल किया गया था।

(ख) और (ग) परियोजना की प्रत्याशित लागत 127.13 करोड़ रुपए है। 31.3.05 तक परियोजना पर लगभग 6.37 करोड़ रुपए (अनंतिम) खर्च किए गए हैं तथा 2005-06 के दौरान 30 करोड़ रुपए का परिव्यय मुहैया किया गया है।

(घ) अंतिम स्थान सर्वेक्षण लगभग पूरा कर लिया गया है। कुआखाई पुल के लिए उप संरचना का ठेका दे दिया गया है तथा इस पर कार्य शुरू कर दिया गया है। परियोजना एशियन विकास बैंक के माध्यम से निष्पादित की जा रही है तथा कतिपय पहचान किए गए कार्यों/परियोजनाओं के तेजी से निष्पादन के लिए रेल मंत्रालय द्वारा बनाई गई कंपनी रेल विकास निगम लि. द्वारा वित्तपोषित की जा रही है।

(ङ) मार्च, 2008 तक।

[हिन्दी]

राज्य सूची के ओ.बी.सी. को केन्द्रीय सूची में शामिल किया जाना

7047. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऐसी जातियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है, जिन्हें पिछड़े वर्गों की राज्य सूची में शामिल किया गया है परन्तु उन्हें ओ.बी.सी. की केन्द्रीय सूची में शामिल नहीं किया गया है;

(ख) क्या शेष जातियों को ओ.बी.सी. की केन्द्रीय सूची में शामिल करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इसके कब तक क्रियान्वित हो जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) से (ग) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एसोसिएशनों/संगठनों अथवा व्यक्तियों से प्राप्त प्रस्तावों की प्राप्ति के बाद ही अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में किसी जाति/समुदाय को शामिल करने के अनुरोध की जांच करता है। राज्य सूची में वर्णित 605 जातियों, जिन्हें केन्द्रीय सूची में शामिल नहीं किया गया है, में से आयोग को केवल 103 जातियों/समुदायों के लिए अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में समावेश के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। आयोग ने अब 91 जातियों/समुदायों के अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया है तथा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए अन्य 12 के निपटान हेतु समय-सीमा देना संभव नहीं है। शेष 502 जातियों/समुदायों के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ।

[अनुवाद]

हेरिटेज ट्रेन

7048. श्री अर्जुन सेठी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार हेरिटेज टूरिस्ट स्टीम ट्रेनें चलाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे ने पर्यावरण पर इसके प्रभाव जैसे अन्य पक्षों पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल में रेल विकास

7049. श्री रूपचन्द्र मुर्मू: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम बंगाल सरकार तथा राज्य के सांसदों से 2005-06 के दौरान राज्य में रेल विकास से संबंधित प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) किसी भी राज्य में रेल विकास से संबंधित प्रत्येक मांग के ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं, बहरहाल, 2005-06 के दौरान राज्य में नयी रेल परियोजनाओं के बारे में राज्य सरकार और पश्चिम बंगाल के माननीय संसद सदस्यों से प्राप्त कुछ प्रस्ताव नीचे दिए गए हैं:

क्रम सं.	मांग	मौजूदा स्थिति
1.	नंदकुमार-हल्दिया से नयी लाइन	परियोजनाओं के भारी थ्रोफारवर्ड और संसाधनों की अत्याधिक तंगी के कारण प्रस्तावित लाइन का निर्माण व्यावहारिक नहीं है।
2.	झारग्राम-पुरुलिया से नयी लाइन	सर्वेक्षण को अद्यतन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सर्वेक्षण के नतीजे आ जाने के बाद प्रस्ताव पर आगे विचार करना व्यावहारिक होगा।
3.	न्यू अलीपुरद्वार के रास्ते न्यू जलाईगुड़ी-न्यू बोंगाईगांव का दोहरीकरण	हाल ही में सर्वेक्षण को अनुमोदित कर दिया गया है।

अरूणाचल प्रदेश में पेट्रोल पंप

7050. श्री तापिर गाव: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अरूणाचल प्रदेश राज्य में पेट्रोल पंपों तथा गैस एजेंसियों की स्थापना के लिए अनुमोदित स्थानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या स्वीकृत किए गए स्थानों पर ही पेट्रोल पंपों तथा गैस एजेंसियों की स्थापना की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है तथा स्वीकृत किए गए स्थानों पर पेट्रोल पंपों/गैस एजेंसियों की कब तक स्थापना कर दिए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (घ) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने अरूणाचल प्रदेश राज्य में अब तक खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों (पेट्रोल पंपों) की स्थापना के लिए 34 स्थलों और एलपीजी वितरण केन्द्रों (गैस एजेंसियों) की स्थापना के लिए 31 स्थलों को अनुमोदित किया है। इन स्थलों में से 19 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप और 28 एलपीजी वितरण केन्द्र शुरू कर दिए गए हैं जिनका ब्यौरा क्रमश: विवरण I और II में दिया गया है।

शेष खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप के स्थलों में से दो स्थलों को बंद कर दिया गया है क्योंकि वे अव्यवहार्य पाए गए थे। इसी प्रकार एलपीजी वितरण केन्द्र के एक स्थल को अव्यवहार्यता के कारण बंद करने का भी प्रस्ताव किया गया है। आगे एक खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप का चालू किया जाना रोका गया क्योंकि यह मामला न्यायाधीन है।

खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों और एलपीजी वितरण केन्द्रों के शेष मामले प्रक्रम के विभिन्न स्तरों में हैं। तथापि, इसके लिए कोई समय सीमा बताना संभव नहीं है जिसमें शेष खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप/एलपीजी वितरण केन्द्र शुरू किए जाने की संभावना है क्योंकि इसमें नीतिगत दिशानिर्देशों, विभिन्न अनुमोदनों आदि के अनुसार डीलरों/वितरकों के चयन जैसे विभिन्न स्तर शामिल हैं।

विवरण I

अरूणाचल प्रदेश राज्य में चल रहे ओएमसी-वार खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप

क्र.सं.	स्थान	जिला
	इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड	
1.	इटानगर	लोअर सुबनसिरी
2.	नामसाई	लोहित
3.	डापोरिजो	ऊपरी सुबनसिरी
4.	जयरामपुर	तिरप
5.	खरसांग बाजार	तिरप
6.	बसार	पश्चिमी सियांग
7.	रूकसिन	पूर्वी सियांग
8.	तवांग	तवांग
9.	सेप्पा	पूर्वी कामेंग
10.	यिंगकिओंग	पूर्वी सियांग
11.	मेबो	पूर्वी सियांग
12.	चांगलांग	चांगलांग
13.	पासीघाट	पूर्वी सियांग
14.	मायुलियांग	लोहित
15.	एलांग	पश्चिमी सियांग
16.	बोलेंग	पूर्वी सियांग
	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड	
17.	जेंजिंग	ऊपरी सियांग
	आईबीपी कंपनी लिमिटेड	
18.	पपू नाल्ला	पपुम पारे
19.	याझली	लोअर सुबनसिरी

विवरण II

अरूणाचल प्रदेश राज्य में चल रहे ओएमसी-वार एलपीजी वितरण केन्द्र

क्र.सं.	स्थान	जिला
1	2	3
	इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड	
1.	एलोंग	पश्चिमी सियांग
2.	एलोंग	पश्चिमी सियांग
3.	एलोंग	पश्चिमी सियांग
4.	बसर	पश्चिमी सियांग
5.	बोमडिला	पश्चिमी कामेंग
6.	बोमडिर	तवांग
7.	बोरडुम्सा	तिरप
8.	चांगलांग	चांगलांग
9.	दहुंग	पश्चिमी कामेंग
10.	डपोरिजो	लोअर सुबनसिरी
11.	डोईमुख	पपुमपारे
12.	इटानगर	पपुमपारे
13.	इटानगर	पपुमपारे
14.	खोन्सा	तिरप
15.	लाइकाबलि	पश्चिमी सियांग
16.	मियाओ	चांगलांग
17.	नहरलागुन	पपुमपारे
18.	नमसाई	लोहित
19.	पास्सीघाट	पूर्वी सियांग
20.	रोइंग	दिवांग घाटी
21.	रूपा	पश्चिमी कामेंग
22.	सेप्पा	पूर्वी कामेंग
23.	तवांग	तवांग

1	2	3
24.	टेंगावेली	पश्चिमी कामेंग
25.	तेजू	लोहित
26.	याजली	लोअर सुबनसिरी
27.	यिंगकिओंग	ऊपरी सियांग
28.	जीरो	लोअर सुबनसिरी

ट्राली हेतु निविदा

7051. श्री रघुनाथ झा: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 31 सितम्बर, 2004 की साप्ताहिक पत्रिका आउटलुक में ट्राली से भर गई झोली शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या इस मामले की कोई जांच कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी हां।

(ख) से (घ) केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने मार्च, 2004 में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भा.वि.प्रा.) के मुख्य सतर्कता अधिकारी को भारत में विभिन्न हवाईअड्डों के लिए 5115 यात्री बैगेज ट्रालियों की खरीद के संबंध में अपने सूत्रों से सूचना भेजी थी। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के सतर्कता निदेशालय द्वारा इस मामले की जांच की गई थी तथा इसकी रिपोर्ट केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भेजी गई थी, जिसमें कि खरीद के मामले की प्रक्रिया के संबंध में कतिपय कमियां देखी गई थीं। इसके प्रत्युत्तर में केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को, बिना रिकार्डिड कारणों के ओपनिंग की तारीख बढ़ाए जाने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के दो अधिकारियों को रिकार्डेबल वार्निंग जारी करने की सलाह दी थी। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा सलाह का अनुपालन किया गया।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

गोवा एक्सप्रेस के मार्ग में परिवर्तन

7052. श्री देविदास पिंगले: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार यात्रियों के मूल्यवान समय तथा धन को बचाने के लिए गोवा एक्सप्रेस (रेलगाड़ी सं. 2779/2780) को कोंकण रेलवे लाइन पर वाया मनमाड़-नासिक-कल्याण से चलाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसे लागू करने में तकनीकी तथा प्रशासनिक समस्याएं सामने आ रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जांच की गई, परन्तु परिचालनिक रूप से व्यवहार्य नहीं पाया गया। इसके अलावा, मनमाड़-पुणे-लोंडा-मडगांव/हुबली खंड के यात्रियों, जो इस सेवा से वंचित हो जाएंगे, द्वारा डायवर्जन का विरोध किया जाएगा।

[अनुवाद]

विमानों का अनुरक्षण

7053. श्री उदय सिंह: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में विमान सेवायें, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या घरेलू विमानों का अनुरक्षण स्तर बहुत घटिया स्तर का है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा घरेलू एयरलाइंस के स्तर को अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस के समकक्ष लाने के लिए क्या कार्यक्रम तैयार किए गए हैं/तैयार किए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल्ल पटेल): (क) और (ख) भारत में विमान परिवहन सेवाओं का प्रचालन अन्तरराष्ट्रीय नागर विमान संगठन (इकाओं) द्वारा निर्धारित मानकों, वायुमान नियमावली और नागर विमानन संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है।

(ग) और (घ) विमानों के अनुरक्षण मानक, विनिर्माताओं की सिफारिशों के अनुसार होते हैं तथा नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं।

[हिन्दी]

खराबी दूर करना

7054. श्री पंकज चौधरी: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वायुसेना के लिए एक उचित प्रणाली लागू करने का है जिससे कि विमान में जिस खराबी से दुर्घटना हो सकती है उसे पहले ही ठीक कर लिया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना को कब तक क्रियान्वित किया जाएगा?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (ग) खराबियों का पता लगाने तथा उन्हें तुरंत ठीक करने के लिए, भारतीय वायुसेना में एक उपयुक्त प्रणाली पहले से मौजूद है।

विभिन्न विमानों में होने वाली सभी खराबियों का विश्लेषण किया जाता है ताकि प्रवृत्ति का पता चल सके। ऐसी खराबियों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए उक्त विश्लेषण के आधार पर निवारक-अनुरक्षण तथा तत्संबंधी कार्य करने के लिए अग्रलक्षी उपाय किए जाते हैं। तथापि, किसी विमान में आने वाली सभी खराबियों का पूर्वानुमान लगाना संभव नहीं है।

प्रवृत्तियों का विश्लेषण करना तथा दुर्घटनाओं/घटनाओं की रोकथाम करना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।

लिग्नाइट गैसीकरण संयंत्र

7055. श्री श्रीचन्द कृपलानी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के बाड़मेर जिले में एक लिग्नाइट गैसीकरण संयंत्र की स्थापना के लिए एरगो एनर्जी टेक्नालोजिज इंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) गेल (इंडिया) लिमिटेड (गेल) ने राजस्थान के बाड़मेर जिले में एक लिग्नाइट गैसीकरण संयंत्र की स्थापना के लिए मै. एरगो एनर्जी टेक्नालोजिज इंक, कनाडा के साथ एक सहयोग ज्ञापन (एमओसी) पर हस्ताक्षर किए हैं। बड़े कोयला संसाधनों के विकास स्तर को बढ़ाने के लक्ष्य के साथ जिनका चाहे आर्थिक या तकनीकी कारणों से कोयला/लिग्नाइट खनन की पारम्परिक विधियों द्वारा दोहन नहीं किया जा सकता, गेल तथा एरगो एनर्जी के बीच दीर्घकालीन कार्य संबंधों के लिए आधार तैयार करने के उद्देश्य से यह सहयोग ज्ञापन किया है। पक्षकारों ने पर्यावरणीय उलझनों को महत्व देते हुए तथा विभिन्न भौगोलिक दशाओं के तहत वाणिज्यिक भूमिगत कोयला गैसीकरण परियोजनाओं के विकास और क्रियान्वयन में सहयोग के लिए अपनी सहमति अभिव्यक्त की है।

(ग) गेल सिन्थेसिस गैस के उत्पादन के लिए एक व्यवहार्यता पूर्व अध्ययन करने की प्रक्रिया में है। व्यवहार्यता पूर्व अध्ययन के पूरा होने के बाद ही निहित लागत का अनुमान लगाया जा सकता है।

कंटेनरों की व्यवस्था

7056. श्री संतोष गंगवार: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश के उद्योगपतियों ने राज्य में रेलवे कंटेनरों की नियमित आवाजाही की व्यवस्था करने के लिए सरकार के पास कोई अभ्यावेदन भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त सुविधा कब तक प्रदान कर दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारतीय कंटेनर कारपोरेशन के इनलैंड कंटेनर डिपों (आईसीडी) से नियमित और नियमित कार्यक्रम के अनुसार गाड़ी चलाने के लिए उत्तर प्रदेश के व्यावसायियों से कुछ अभ्यावेदन

प्राप्त हुए हैं। भारतीय कंटेनर कारपोरेशन लि. उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद, कानपुर, आगरा और दादरी में चार आई सी डी संचालित कर रहा है। मुरादाबाद, कानपुर, आगरा और दादरी से निर्यात यातायात की निकासी के लिए नियमित गाड़ी सेवाएं मुहैया कराई जाती है। व्यावसायियों के अभ्यावेदन पर परिचालनिक कठिनाइयों और गाड़ी द्वारा परिवहन के लिए पर्याप्त यातायात की उपलब्धता तथा पत्तनों से रिटर्न यातायात की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए नामित दिनों में गाड़ी सेवाएं मुहैया कराई जा रही है।

संरक्षित स्मारकों के आसपास अतिक्रमण

7057. श्री मोहन सिंह:
श्री आलोक कुमार मेहता:
श्री बृज किशोर त्रिपाठी:

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दिल्ली में संरक्षित स्मारकों में तथा उनके आसपास अतिक्रमण की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने दिल्ली में संरक्षित स्मारकों के भीतर तथा आसपास अतिक्रमण हटाने के लिए दोषी व्यक्तियों को नोटिस जारी किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इन संरक्षित और स्मारकों के आसपास से अतिक्रमण हटाने के लिए क्या अन्य ठोस उपाय किए हैं/किए जाने हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) जी, हां। दिल्ली में संरक्षित स्मारकों में से कुछ पर अतिक्रमण है।

(ख) से (घ) अतिक्रमणों को हटाने के लिए प्राचीन संस्मारक तथा पुरात्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 तथा सरकारी स्थान अधिनियम, 1971 के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा उचित कार्रवाई शुरू की गई है। कुछ मामलों में संरक्षित स्मारकों के अतिक्रमणकारियों को बेदखल करने संबंधी मामले विभिन्न न्यायालयों के समक्ष विचाराधीन है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

दिल्ली में उन संरक्षित स्मारकों/स्थलों की सूची जहां अतिक्रमण है/जहां से अभी हाल में अतिक्रमण हटाया गया है।

क्र.सं.	स्मारक/स्थल का नाम	स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1.	कश्मीरी गेट तथा कश्मीरी गेट के दोनों तरफ, नगर दीवार के उत्तरी कोने की तरफ तथा दूसरी तरफ जल बुर्जों तक तथा उनके समेत, और साथ ही नगर दीवार (जहां यह अनावृत है) के बाहर खाईं सहित।	कश्मीरी गेट	अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अन्य कानून लागू करने वाले अभिकरणों के साथ प्रक्रिया में है।
2.	लोथियन रोड कब्रिस्तान	कश्मीर गेट	अतिक्रमणकारियों को प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 तथा नियम, 1959 के उपबंधों के अनुसार नोटिस जारी किए गए तथा मामला न्यायाधीन है।
3.	मस्जिद	कुदसिया बाग	मस्जिद पर अतिक्रमण किया गया है। सिविल न्यायालय में मामला न्यायाधीन है।

1	2	3	4
4.	पुराना किला (इन्द्रप्रस्थ)	शाहजहांबाद के दिल्ली गेट से दो मील दक्षिण में, दिल्ली	संरक्षित क्षेत्र के एक छोटे से हिस्से पर कुन्ती मन्दिर के पुरोहित द्वारा अतिक्रमण किया गया है यह मामला अंतिम निर्णय के लिए माननीय उच्च न्यायालय में न्यायाधीन है।
5.	राजपुर (गदर) कब्रिस्तान	पुरानी राजपुर छावनी, उत्तरी जिला	काफी समय से कब्रिस्तान पर अतिक्रमण है।
6.	सुनहरी मस्जिद, लाल किला के निकट	दिल्ली किला	इस मस्जिद पर इसके संरक्षण के समय से ही अतिक्रमण है और स्मारक पर प्रार्थनाएं की जा रही हैं।
7.	रजिया बेगम का मकबरा (मोहल्ला बुलबुली खान में)	शाहजहांनाबाद	मकबरा पर अतिक्रमण है तथा कुछ लोगों द्वारा उसका दुरूपयोग किया जा रहा है अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई प्रक्रिया में है।
8.	तुगलकाबाद	बदरपुर जेल	मामला माननीय भारत का उच्चतम न्यायालय में अंतिम सुनवाई के लिए न्यायाधीन है।
9.	बेगमपुरी मस्जिद	बेगमपुर	अतिक्रमणकारियों को प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 और नियम, 1959 के उपबंधों के अनुसार नोटिस जारी कर दिए गए हैं तथा माननीय न्यायालय के निदेशानुसार सीमांकन रिपोर्ट की इस मामले में आगे आवश्यक कार्रवाई के लिए, प्रतीक्षा है।
10.	लाल गुम्बद	चिराग दिल्ली	अतिक्रमणकारी को माननीय उच्च न्यायालय के निदेशों के अनुसार नोटिस जारी कर दिए गए हैं तथा काली कराने की कार्रवाई प्रगति में है।
11.	प्राचीन मस्जिद	पालम	मस्जिद पर उसके संरक्षण के समय से ही अतिक्रमण है। स्मारक पर प्रार्थनाएं अदा की जा रही है।
12.	सराय शाहजी	शिवालिक के निकट मालवीय नगर	संरक्षित क्षेत्र के हिस्से पर उसके संरक्षण के समय से अतिक्रमण है। उसके अलावा, मौलवी मदरसा चलाने के लिए मस्जिद का इस्तेमाल कर रहा है। उपर्युक्त के अलावा, कुछ स्थानीय लोगों ने यथास्थिति बनाए रखने के लिए माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश ले लिए हैं।
13.	अरब की सराय	पूर्वी निजामुद्दीन	स्थगन हटाने की कार्रवाई प्रक्रिया में है।
14.	डी एरेमाओ कब्रिस्तान	किशनगंज	मामला न्यायाधीन है।

[अनुवाद]

मिसाइलों का निर्यात

7058. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत मिसाइल निर्यात करने की स्थिति में है;

(ख) यदि हां, तो कुछ देशों ने मिसाइल बिक्री के लिए भारत के साथ सौदे की मांग की है;

(ग) यदि हां, तो कौन-कौन से देश इस सौदे के लिए इच्छुक हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन देशों को मिसाइलों की आपूर्ति के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) जी, हां। भारत प्रक्षेपास्त्रों की कुछ श्रेणियों का निर्यात करने की स्थिति में है।

(ख) से (घ) ऐसे देशों के ब्यौरे प्रकट करना राष्ट्रीय हित में नहीं है।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के बैंकों और उद्यमों द्वारा विज्ञापन

7059. श्री तूफानी सरोज: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों और उद्यमों में अपने विज्ञापनों के प्रचार-प्रसार के लिए दूरदर्शन के राष्ट्रीय, डी.डी. न्यूज और डी.डी. स्पोर्टस चैनलों और आकाशवाणी जैसे सरकारी विज्ञापन माध्यमों की सेवाएं लेना बंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप प्रसार भारती के लाभ में आयी गिरावट का ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी उद्यमों द्वारा निजी चैनलों की तुलना में सरकारी मीडिया चैनलों को कितने विज्ञापन दिए गए; और

(ङ) सरकारी उद्यमों द्वारा इन विज्ञापनों पर किया गया तुलनात्मक व्यय कितना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और उद्यम अपने विज्ञापनों को ब्रॉडकास्ट/प्रसारित करने हेतु आकाशवाणी और दूरदर्शन की सेवा ले रहे हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) और (ङ) लोक उद्यम विभाग ने सूचित किया है कि केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा विभिन्न टी.वी. चैनलों को दिए गए विज्ञापनों की संख्या और उन पर किए गए व्यय से संबंधित सूचना को केन्द्रीयकृत रूप से नहीं रखा जाता है।

[अनुवाद]

प्लेटफार्मों पर ट्राली का मानक आकार

7060. श्री बृजभूषण शरण सिंह: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम रेलवे के मुंबई मंडल ने प्लेटफार्मों पर खान-पान सेवा प्रदान करने वाली ट्रालियों के मानक आकार को अधिसूचित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि बलसाड रेलवे स्टेशन पर ट्रालियों की मरम्मत के नाम पर ट्रालियों का आकार वरिष्ठ रेल अधिकारियों के साथ मिलिभगत से पश्चिम रेलवे के मुम्बई मंडल द्वारा निर्धारित मानक मानदंडों से बड़ा कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो चूककर्ता ठेकेदारों तथा दोषी रेलवे अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) क्या पश्चिमी रेलवे ने प्लेटफार्मों पर चलने वाली ट्रालियों पर भोज्य पदार्थ पकाने पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है;

(च) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि ट्राली मालिक रेलवे अधिकारियों की मिलीभगत से अनधिकृत रूप से भोज्य पदार्थ पका रहे हैं; और

(छ) इस संबंध में कितने मामले प्रकाश में आए तथा ट्राली मालिकों तथा दोषी पाए गए रेलवे अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) जी हां। मुंबई मंडल में प्लेटफार्मों पर खान-पान ट्रालियों का आकार नीचे अधिसूचित किया गया है:

ट्रॉली की किस्म	बिक्री योग्य सामान की किस्म	आकार (सेंटीमीटर में)
ए	मिष्ठान, नमकीन और/अथवा पूरी और भाजी	106.68×60.96×106.68
बी	चाय, काफी, दूध, बिस्कुट आदि	196.68×60.96×91.44
ग	खिलौने (कलाकृतियां) और विविध वस्तुएं	106.68×60.96×106.68
घ	पान आदि	106.68×91.44×91.44
ङ	पुस्तकें और पत्रिकाएं	106.68×91.44×91.44
च	ताजे और/अथवा ड्राई फ्रूट	91.44×60.96×91.44

(ग) जी नहीं। ट्रालियों की मरम्मत के लिए अनुमति नहीं दी गई है। बहरहाल, यह देखा गया है कि कुछ मौजूदा ट्रालियों का आकार निर्धारित से बड़ा है।

(घ) ठेकेदारों को ट्रालियों का आकार तत्काल कम करने के लिए अनुदेश दे दिए गए हैं अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

(ङ) पश्चिम रेलवे ने स्टेशन प्लेटफार्मों पर भोजन पकाने का कार्य बंद करने के लिए समय सीमा निर्धारित की है। ''ए'', ''बी'' और ''सी'' कोटि के स्टेशनों के प्लेटफार्मों पर प्रेशर स्टोव और कोयले वाली अंगीठी पर भोजन पकाने की अनुमति 31.8.2005 के बाद और ''डी'' तथा ''ई'' कोटि के स्टेशनों पर 31.12.2005 के बाद नहीं दी जाएगी।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठता।

टी.वी. चैनलों को अपलिंकिंग की अनुमति

7061. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में टी.वी. चैनलों की अपलिंकिंग के लिए अनुमति लेने हेतु केन्द्र सरकार के पास इस समय लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन प्रस्तावों को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) आज दिनांक तक की स्थिति के अनुसार, 23 कम्पनियों के उनके टी वी चैनलों को भारत से अपलिंक करने की अनुमति लेने संबंधी प्रस्ताव इस मंत्रालय में लंबित हैं। इनमें से 19 कंपनियों को उनके प्रस्तावों पर कार्रवाई करने के लिए अतिरिक्त अपेक्षित दस्तावेज/सूचना उपलब्ध कराने हेतु कहा गया है। शेष 4 कंपनियों से प्राप्त प्रस्ताव जांच की विभिन्न अवस्थाओं में है।

(ख) कोई समय-सीमा निर्दिष्ट नहीं की जा सकती है।

वरिष्ठ नागरिकों को विमान किराए में रियायत

7062. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 1999 की पिछली योजना के स्थान पर वरिष्ठ नागरिकों को विमान किराए में रियायत हेतु 7 जुलाई, 2003 को शुरू की गई योजना की समीक्षा के कारण वरिष्ठ नागरिकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या नयी योजना के अनुसार यदि वरिष्ठ नागरिक एक तरफ की यात्रा के लिए टिकट बुक कराते हैं तो उन्हें किराए में रियायत नहीं मिलती;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार वरिष्ठ नागरिकों को एक तरफ की यात्रा के लिए विमान किराए में रियायत देने पर विचार करेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) वरिष्ठ नागरिकों के लिए विमान यात्रा रियायत की स्कीम को 4 अप्रैल, 2005 से और संशोधित कर दिया गया है। संशोधित स्कीम के अनुसार, प्रस्ताव के दिन से कम से कम 7 दिन पहले

पुष्टिकृत टिक खरीदे जाने की शर्त को हटा लिया गया है। इसके अतिरिक्त, गंतव्य/मध्यवर्ती स्थान पर न्यूनतम दो रात्रि के ठहराव की शर्त को संशोधित करके तीन रात्रि ठहराव कर दिया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अति विशिष्ट व्यक्तियों हेतु आरक्षण की पुष्टि के लिए मानदंड

7063. श्री पुन्नूलाल मोहले: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे द्वारा अति विशिष्ट व्यक्तियों के आरक्षण की पुष्टि के लिए क्या मानदंड अपनाए जाते हैं;

(ख) क्या संसद सदस्यों द्वारा सिफारिश किए गए व्यक्तियों के लिए कोई आरक्षण कोटा है;

(ग) यदि हां, तो ससंद सदस्यों द्वारा सिफारिश किए गए व्यक्तियों को आरक्षण प्रदान न करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या संसद सदस्यों द्वारा आरक्षण की पुष्टि के लिए सिफारिश किए गए व्यक्तियों को आरक्षण स्थिति की सूचना दी जाती है;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार सीटों के आरक्षण के लिए संसद सदस्यों की सिफारिशों के संबंध में आरक्षण स्थिति के बारे में उन्हें सूचित करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) उच्च अधिकारी द्वारा जारी की गई मांग-पर्ची के धारकों, अति विशिष्ट व्यक्तियों की तत्काल यात्रा करने की आवश्यकताओं और अन्य तात्कालिक मांगों की पूर्ति के लिए आपातकालीन कोटा के रूप में सभी महत्वपूर्ण गाड़ियों की विभिन्न श्रेणियों में सीमित संख्या में शायिकाएं/सीटें रखी जाती है। इस कोटा में पदाधिकारियों की स्वयं की जाने वाली यात्रा को प्राथमिकता दी जाती है। इसके बाद, माननीय संसद सदस्यों सहित विभिन्न तबकों से प्राप्त अन्य अनुरोधों पर विचार किया जाता है और विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए उपयोग न किए गए कोटा को जारी किया जाता है। उपलब्ध कोटा से अधिक मांग होने पर आपातकालीन कोटा जारी करने के लिए सभी अनुरोधों को पूरा करना व्यावहारिक नहीं है।

(घ) से (च) प्राप्त हो रहे अनुरोधों की संख्या और व्यावहारिक कठिनाइयों को देखते हुए माननीय संसद सदस्यों को उनके द्वारा की गई सिफारिश की स्थिति के बारे में सूचित कर पाना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए आबंटन

7064. डा. टोकचोम मैन्या: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सभी मंत्रालयों/विभागों को अपने बजट का 10 प्रतिशत पूर्वोत्तर क्षेत्र को आबंटित करने के अनुदेश/निदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या रेल मंत्रालय ने अपने बजट का 10 प्रतिशत पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए आबंटित किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) मौजूदा निर्देशों के तहत, रेल मंत्रालय उपलब्ध बजटीय सहायता का 10% आबंटित करता है जो कि विशेष रेल संरक्षा निधि, चुनिंदा राष्ट्रीय परियोजनाओं, बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं, डीजल उपकर के अलावा रेलों की भागीदारी आदि के लिए सामान्य राजकोष से अंशदान के रूप में विशेष तौर पर मुहैया कराई गई राशि को अलग रखने के बाद व्युत्पन्न होता है।

2005-06 में, सामान्य वितरण के लिए उपलब्ध बजटीय सहायता के अलावा पूर्वोत्तर क्षेत्र के लगभग 8.75% का परिव्यय आकलित किया गया है। इसके अतिरिक्त, कुमारघाट-अगरतला नई लाइन और लमडिंग-सिलचर-जीरीबाम आमान परिवर्तन परियोजनाओं, जिन्हें हाल ही में राष्ट्रीय परियोजनाओं के रूप में घोषित किया गया है, के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

नाफ्था का निर्यात

7065. श्री मित्रसेन यादव: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में नाफ्था का कुल उत्पादन कितना है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष सरकारी क्षेत्र के उपक्रमवार और देशवार कितनी मात्रा में नाफ्था का निर्यात किया गया और उसका मूल्य कितना था;

(ग) क्या एचपीसीएल सहित सरकारी क्षेत्र की कुछ कंपनियों ने नाफ्था बिक्री हेतु विदेशों के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) गत तीन वर्षों के लिए देश में नाफ्था का उत्पादन निम्नवत् है:

वर्ष	हजार मीट्रिक टन में प्रमात्रा (ह.मी.टन)
2002-03	11301
2003-04	12641
2004-05	15828

(ख) गत तीन वर्षों के लिए नाफ्था निर्यात के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां विदेशों को सीधे नाफ्था का निर्यात नहीं करती है। तथापि, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां व्यापारियों के माध्यम से निम्नलिखित देशों को नाफ्था का निर्यात करती है:

सिंगापुर कोरिया गणराज्य, मलेशिया, संयुक्त अरब अमीरात (फ्यूजाइरा), जापान, इंडोनेशिया तथा ब्राजील।

(ग) जी नहीं।

(घ) उपरोक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा नाफ्था का निर्यात

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का नाम	2002-03		2003-04		2004-05	
	प्रमात्रा (टीएमटी)	रुपए करोड़ में	प्रमात्रा (टीएमटी)	रुपए करोड़ में	प्रमात्रा (टीएमटी)	रुपए करोड़ में
इंडियन आयल कार्पोरेशन लि.	78.6	85.1	31.2	52.2	240.8	376.7
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि.	482.7	533.3	377.4	446.4	417.9	721.8
कोच्चि रिफाइनरी लि.	–	–	23.9	27.2	–	–
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि.	591.7	720.3	729.5	938.1	767.1	1303.0
आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन	135.5	145.8	402.7	456.0	537.3	949.8
मंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लि.	321.8	347.8	393.5	495.2	639.9	1085.1
योग	1610.3	1832.3	1958.2	2415.1	2603.1	4436.4

[अनुवाद]

श्रीनगर-जम्मू राजमार्ग को क्षति

7066. श्री बालासाहिब विखे पाटील: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारी हिमपात, हिमधाव और पत्थर गिरने के कारण श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग क्षतिग्रस्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग को हुई क्षति का आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत का कार्य किस प्राधिकरण को सौंपा गया; और

(ङ) भविष्य में अबाध यातायात सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) जी, हां।

(ख) उक्त राजमार्ग 77,85,116.35 कि.मी., 129.23 कि.मी. तथा 157.60 से 173.45 कि.मी. के बीच क्षतिग्रस्त हुआ था।

(ग) जी, हां।

(घ) श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग के 392 कि.मी. के अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार सीमा सड़क संगठनों को राजमार्ग के पुनरुद्धार व मरम्मत का कार्य सौंपा गया था।

(ङ) आवश्यकता पड़ते ही बर्फ हटाने वाले उपकरण को तत्काल सेवा में लगा दिया जाता है क्योंकि इस सड़क पर हिमधाव, भूस्खलन तथा हिमवात की घटनाओं से बचने के लिए कोई स्थायी समाधान नहीं हो सकता, अत: हिम एवं हिमधाव अध्ययन स्थापना (एसएएसई) तथा अन्य प्रतिष्ठित परामर्शदात्री फर्मों से परामर्श करके अवरोधन दीवारों का निर्माण करने, जल निकासी व्यवस्था में सुधार करने, नाजुक स्थानों पर जाल खड़ा करने जैसे उपाय लगातार किए जाते हैं।

तलचर रेलवे स्टेशन

7067. डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार तलचर रेलवे स्टेशन को एक माडल स्टेशन बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त स्टेशन को माडल स्टेशन बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) स्टेशनों की कोटि पर निर्भर करते हुए अभी तक भारतीय रेलों पर 320 स्टेशनों को उन्नत यात्री सुविधाओं की व्यवस्था करने हेतु माडल स्टेशन के रूप में चुना गया है। पहले से ही चुने गए माडल स्टेशनों में कार्य समाप्त हो जाने के बाद और अधिक स्टेशनों को चुना जाएगा।

बंगलौर में पुश एण्ड पुल ट्रेनें

7068. श्री ए. वेंकटेश नायक: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का बंगलौर में पुश एण्ड पुल ट्रेनें उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नि:शक्त/विकलांग व्यक्तियों का सर्वेक्षण

7069. श्री नवीन जिन्दल: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विभिन्न श्रेणी के नि:शक्त/विकलांग व्यक्तियों की संख्या का पता लगाने के लिए नया सर्वेक्षण कराने का आदेश देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक कराए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार ने इन व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु श्रेणियां बनायी हैं और योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो क्या विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता दिए जाने की कोई योजना शुरू किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना को कब तक शुरू और क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) और (ख) जी नहीं। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा 10 वर्ष में एक बार सर्वेक्षण किया जाता है। पिछला सर्वेक्षण वर्ष 2002 में किया गया था।

(ग) और (घ) नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 की धारा 2 (1) में (1) दृष्टिहीनता; (2) कम दृष्टि; (3) कुष्ठ रोग मुक्त; (4) श्रवण विकलांगता; (5) चलन संबंधी विकलांगता; (6) मानसिक मंदता; तथा (7) मानसिक रोग को विकलांगता के रूप में मान्यता दी गयी है।

विभिन्न प्रकार की विकलांगता वाले व्यक्तियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अनेक योजनाओं/कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जा रहा है। आटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता एवं बहु विकलांगता ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास, मानसिक मंदता एवं बहुविकलांगता ग्रस्त व्यक्तियों के लिए कार्यक्रमों को भी कार्यान्वित कर रहा है। योजना का विवरण डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू. सोशलजस्टिस.निक.इन और डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.नेशनलट्रस्ट.आरग.इन वेबसाइटों पर उपलब्ध है।

(ङ) कई राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन समाज सुरक्षा योजनाओं अर्थात् अलग-अलग पात्रता मापदंडों वाले विकलांग व्यक्तियों के लिए विकलांगता पेंशन और बेरोजगारी भत्ता, को कार्यान्वित कर रहे हैं। अलग-अलग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पेंशन और बेरोजगारी भत्ते की राशि प्रतिमाह 60 रुपए से 500 रुपए के बीच होती है।

रेलवे संबंधी 'कमेटी आन रिवैम्पिंग एण्ड स्ट्रीम लाइनिंग द लीगल सेट अप'

7070. श्री गिरिधर गमांग: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने भारतीय रेलवे संबंधी 'कमेटी आन रिवैम्पिंग एण्ड स्ट्रीम लाइनिंग द लीगल सेट अप' की रिपोर्ट की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे बोर्ड द्वारा सभी सिफारिशों का क्रियान्वयन किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो क्रियान्वयन हेतु अभी भी लम्बित सिफारिशों की संख्या कितनी है; और

(घ) शेष सिफारिशों को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) रेलवे बोर्ड के पास लागू करने के लिए अभी 14 सिफारिशें लंबित है।

(घ) इन 14 सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है और इन्हें लागू करने के लिए इस स्तर पर कोई विशिष्ट समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती क्योंकि निर्णय लेन की प्रक्रिया में अन्य मंत्रालय भी शामिल है।

कोलकाता और चेन्नई में अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन

7071. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जापान ने कोलकाता और चेन्नई में अत्याधुनिक अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन बनाने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में दोनों देशों के बीच कोई वार्ता हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

रेल लाइनों का निर्माण

7072. श्री सुबोध मोहिते: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने निर्माणाधीन अमरावती-मार्कनेड रेल लाइन के बदनेरा-चंदूर बाजार लाइन पर ट्रायल रन पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे ने अमरावती-मार्कनेड लाइन को पूरा करने के लिए कोई समय सीमा तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त लाइन पर निर्माण कार्य कब तक पूरा किए जाने और यातायात हेतु खोले जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां।

(ख) अमरावती-नरखेड़ नई लाइन परियोजना (138 कि.मी.) का अमरावती से चांदूर बाजार तक का खण्ड (44 कि.मी.) पूरा हो गया है और बडनेरा-चांदूर बाजार उप खण्ड पर 21.3.05 को इंजन का चालन परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

हिन्द महासागर में तेल और प्राकृतिक गैस भण्डार

7073. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हिन्द महासागर में तेल और प्राकृतिक गैस भण्डार का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले तथा तेल और गैस भण्डारों की अनुमानित मात्रा कितनी है; और

(ग) इन भण्डारों का पता लगाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन (ओ एन जी सी), आयल इंडिया लिमिटेड (ओ आई एल), और निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों ने देश के पूर्वी और पश्चिमी अपतट क्षेत्रों में 681994 लाइन किलोमीटर द्विआयामी भूकंपीय सर्वेक्षण, 99448 वर्ग किलोमीटर त्रिआयामी भूकंपीय सर्वेक्षण और 1125 कूपों का वेधन किया है।

(ख) ऊपर (क) में दिए गए अन्वेषणात्मक प्रयासों के आधार पर 4697.92 मिलियन मीट्रिक टन (एम एम टी) स्थानिक भण्डारों का निश्चित पता लगाया गया है।

(ग) अन्वेषण प्रयासों को त्वरित करने के लिए भारत सरकार ने हाल ही में 4 जनवरी, 2005 को एन.ए.एल.पी. के पाचवें दौर की घोषणा की है। 20 अन्वेषण ब्लाकों में से 6 ब्लाक देश के पूर्वी और पश्चिमी तट के साथ अपतटीय क्षेत्रों में हैं और 12 अन्वेषण ब्लाक जमीनी क्षेत्रों में हैं। एन.ई.एल.पी.-5 के तहत प्रस्तावाधीन अन्वेषण ब्लाकों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। बोली बंद होने की तारीख 31 मई, 2005 है।

विवरण

एनईएलपी-5 के अंतर्गत प्रस्तावाधीन अन्वेषण ब्लाकों का ब्यौरा

क्र.सं.	ब्लाक का नाम	बेसिन	क्षेत्र (वर्ग कि.मी.)	राज्य/अपतट	जिला
1	2	3	4	5	
1.	केके-डीडब्ल्यूएन-2003/1	केरल कोंकन	18245	पश्चिमी अपतट	
2.	केके-डीडब्ल्यूएन-2003/2	केरल कोंकन	12285	पश्चिमी अपतट	
3.	केजी-डीडब्ल्यूएन-2003/1	कृष्णा-गोदावरी	3288	पूर्वी अपतट	
4.	एमएन-डीडब्ल्यूएन-2003/1	महानदी	17050	पूर्वी अपतट	
5.	एएन-डब्ल्यूएन-2003/1	अण्डमान निकोबार	9970	अण्डमान अपतट	
6.	एएन-डीडब्ल्यूएन-2003/2	अण्डमान निकोबार	13110	अण्डमान अपतट	
		उथले अपतटीय ब्लाक			
7.	सीबी-ओएसएन-2003/1	गल्फ आफ कैम्बे	2394	पश्चिमी अपतट	
8.	जीएस-ओएसएन-2003/1	सौराष्ट्र	5970	पश्चिमी अपतट	
		जमीनी ब्लाक			
9.	एए-ओएनएन-2003/1	असम-अरकन	81	असम	गोलाघाट
10.	एए-ओएनएन-2003/2	असम-अरकन	295	अरूणाचल प्रदेश	चांगलोग
11.	एए-ओएनएन-2003/3	असम-अरकन	275	असम	तिनसुकिया

1	2	3	4	5	
12.	जीवी-ओएनएन-2003/1	गंगा घाटी	7210	उत्तर प्रदेश	दियोरिया, गोरखपुर
13.	वीएन-ओएनएन-2003/1	विध्यांन	3585	राजस्थान	कोटा व झालावाड़
14.	आरजे-ओएनएन-2003/1	राजस्थान	1335	राजस्थान	जैसलमेर-बाड़मेड़,
15.	आरजे-ओएनएन-2003/2	राजस्थान	13195	राजस्थान	जैसलमेर, बाड़मेड़, जोधपुर
16.	सीबी-ओएनएन-2003/1 भाग क व ख	कैम्बे	635	गुजरात	अहमदाबाद खेड़ा
17.	सीबी-ओएनएन-2003/2	कैम्बे	448	गुजरात	भड़ूच
18.	डीएस-ओएनएन-2003/1	दक्कन साइनीकलाइज	3155	महाराष्ट्र	धुले
19.	केजी-ओएनएन-2003/1	कृष्णा-गोदावरी	1697	आन्ध्र प्रदेश	कृष्णा, गुंटूर
20.	सीवाई-ओएनएन-2003/1	कावेरी	957	तमिलनाडु	तंजावूर

[हिन्दी]

पेट्रोलियम स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड

7074. श्री कैलाश मेघवाल: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष पेट्रोलियम स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड द्वारा राजस्थान में कौन-कौन से कार्यक्रम शुरु किए गए और इन पर कितनी राशि खर्च की गयी है;

(ख) क्या पेट्रोलियम स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड संतोषजनक ढंग से कार्य करने में विफल रहा है और इसके वित्तीय संसाधन नगण्य हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) राजस्थान के अजमेर में पेट्रोलियम खेल प्रोन्नयन बोर्ड (पी एस पी बी) वर्ष 1995 से भारतीय खेल प्राधिकरण और भारतीय टेबल टेनिस संघ के सहयोग से एक आवासीय टेबिल टेनिस अकादमी चला रहा है। पिछले 3 वर्ष के दौरान पी एस पी बी टेबल टेनिस अकादमी पर निम्नलिखित राशि खर्च की गई है:

वर्ष	खर्च की गई राशि (अनुमानित)
2002-03	रुपए 29.00 लाख
2003-04	रुपए 22.00 लाख
2004-05	रुपए 27.00 लाख

(ख) जी, नहीं। पी एस पी बी खिलाड़ियों का विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण प्रदर्शन रहा है जिनमें एक पदमश्री और 22 अर्जुन पुरस्कार विजेता हैं। एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बिलियर्ड, शतरंज, क्रिकेट, गोल्फ, हाकी, कबड्डी, टेबल टेनिस, टेनिस और बालीबाल जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 60 से अधिक खिलाड़ियों ने पिछले तीन वर्षों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। साथ ही एथेंस ओलम्पिक में पी.एस.पी.बी. के 11 खिलाड़ियों ने देश का प्रतिनिधित्व किया था। खिलाड़ियों की प्रतिभागिता और खेलकूदों के आतिथ्य पर पी.एस.पी.बी. के खर्च के लिए सदस्य संगठनों से हर वर्ष 1.38 करोड़ रुपए प्राप्त होते हैं।

(ग) सरकार पी.एस.पी.बी. के निष्पादन से संतुष्ट है।

शहरों को विमान सेवाओं से जोड़ना

7075. श्री वाई.जी. महाजन: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत एक वर्ष के दौरान देश में किन-किन शहरों को विमान सेवाओं से जोड़ा गया है;

(ख) क्या सरकार कुछ और शहरों को विमान सेवाओं से जोड़ने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जनवरी 2004 से हवाई सेवाओं से जोड़े गए शहर हैं, जेट एयरवेज द्वारा अगरतला एवं पटना, सहारा एयरलाइंस द्वारा कोयम्बटूर, जयपुर, श्रीनगर तथा विशाखापत्तनम और एयर डक्कन द्वारा अहमदाबाद , अमृतसर, आगरा, भावनगर, भोपाल, दिल्ली, देहरादून, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, जयपुर, कानपुर, कोल्हापुर, कोलकाता, सूरत, बड़ोदरा, विशाखापत्तनम, बागडोगरा, जबलपुर, जम्मू, लखनऊ तथा नासिक।

(ख) और (ग) जी, हां। एलाइंस एयर की लीज पर 6 एटीआर विमान प्राप्त करके ग्वालियर, जबलपुर, बीकानेर, जैसलमेर, देहरादून, धर्मशाला, शिमला, कानपुर, लुधियाना, विजयवाड़ा, सालेम, तूतीकोरिन, राजामुन्दरी, कांडला, केशोड, नासिक, सूरत, कूचबिहार आदि में प्रचालन करने की योजनाएं हैं।

तथापि, सरकार ने पूर्वोत्तर सहित देश के विभिन्न क्षेत्रों में हवाई परिवहन सेवाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हवाई परिवहन सेवाओं के बेहतर नियमन के उद्देश्य से, मार्ग संवितरण दिशानिर्देश बनाए हैं। फिर भी, यातायात की मांग तथा वाणिज्यिक साध्यता के आधार पर विनिर्दिष्ट स्थानों के लिए हवाई सेवाएं उपलब्ध कराना एयरलाइनों के विवेक पर निर्भर करता है। इस प्रकार, एयरलाइनें देश में कहीं भी प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र हैं बशर्ते कि सरकार द्वारा जारी मार्ग संवितरण दिशानिर्देशों का अनुपालन हो।

ऐतिहासिक और धार्मिक संस्कृति का विकास

7076. श्री राजेन्द्र कुमार: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तरांचल सरकार द्वारा विशेषरूप से हरिद्वार जिले में ऐतिहासिक और धार्मिक संस्कृति को बढ़ावा देने तथा उसके और विकास हेतु कोई विशेष योजना लागू की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसमें गैर-सरकारी संगठनों की सहायता ली जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (ग) ऐसे कई सांस्कृतिक संगठन/गैर-सरकारी संगठन हैं जिन्हें उत्तरांचल में विरासत और संस्कृति के परिरक्षण और संवर्धन की नियमित स्कीमों के तहत वित्तीय सहायता मिलती है।

[अनुवाद]

एस.के.ओ./एल.डी.ओ. डीलरशिप

7077. डा. एम. जगन्नाथ:
श्री ए.एफ.जी. ओसमानी:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार/तेल के सरकारी क्षेत्रों के उपक्रम की यह नीति है कि यदि एक अविभाजित हिन्दू परिवार के पास कई डीलरशिप हैं तो खुदरा बिक्री डीलर द्वारा एस.के.ओ./एल.डी.ओ. डीलरशिप के संचालन को हतोत्साहित किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या तेल कंपनियों ने हिन्दू विधि के अनुसार अविभाजित हिन्दू परिवार के पारिवारिक निपटारे के माध्यम से परिवार के पुनर्गठन के समय परिवार के सदस्यों को पृथक-पृथक एस.के.ओ. डीलरशिप और आर.ओ. डीलरशिप का संचालन आरम्भ किया है;

(ग) क्या संबंधित डीलरशिप के सुचारू रूप से चलाने में समस्याएं उत्पन्न करने वाले डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप के भागीदार के भाग/हिस्से को रद्द करने की अनुमति प्रदान करने की नीति है;

(घ) यदि नहीं, तो एक शरारती डीलर के कारण डीलरशिप के अन्य मूल आबंटियों के हितों को नुकसान होने दिया जायेगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो ऐसे मूल आबंटियों के पास क्या समाधान है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के चयन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के तेल विपणन कंपनियों (ओ एम सीज) के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार एक पारिवारिक इकाई को केवल एक डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप अनुमत है, जिसमें संबंधित व्यक्ति, उसकी/उसका पत्नी/पति तथा अविवाहित पुत्र/पुत्रियां शामिल हैं।

(ग) से (ङ) यदि डीलरशिप के भागीदारों के बीच विवाद होता है जिससे डीलरशिप का प्रचालन प्रभावित हो, तो एम सीज डीलरशिप करार के अनुसार डीलरशिप समाप्त करने सहित डीलरशिप के खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम हैं। तथापि, ओ एम सीज द्वारा, करार के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करने के पूर्व, पक्षकारों के बीच एक सौहार्दपूर्ण निपटान के प्रयास किए जाते हैं।

अनाथ बच्चों की सुरक्षा और विकास

7078. श्री ए.एफ.जी. ओसमानी: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 दिसम्बर, 2004 की तारीख तक सरकारी संस्थानों में राज्यवार कितने अनाथ रखे गए हैं; और

(ख) क्या केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों ने अनाथों की पर्याप्त सुरक्षा और विकास सुनिश्चित करने हेतु कोई मानदण्ड निर्धारित किए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) ऐसे किसी आंकड़े का रख-रखाव नहीं किया जाता है। तथापि, "किशोर न्याय कार्यक्रम" योजना के अंतर्गत, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की सहायता से संचालित शिशु गृहों/किशोर गृहों में रह रहे अनाथ बच्चों सहित देखभाल एवं संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों की संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) किशोर न्याय (बच्चों को देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 के तहत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए माडल नियमों में अधिनियम के अंतर्गत शामिल किए गए बच्चों का पर्याप्त संरक्षण एवं विकास सुनिश्चित करने हेतु इसी अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किए जाने वाले विभिन्न गृहों में रख-रखाव संबंधी न्यूनतम मानक निर्धारित हैं। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने तदनुसार स्थानीय जरूरतों को देखते हुए, अपने निजी नियम अधिसूचित किए हैं या माडल नियमों को अपनाया है।

विवरण

"किशोर न्याय कार्यक्रम" योजना के अंतर्गत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की सहायता से सरकार द्वारा संचालित बाल/किशोर गृहों में रह रहे, देखभाल एवं संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	बच्चों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	639
2.	गोवा	26
3.	गुजरात	623
4.	हरियाणा	200
5.	हिमाचल प्रदेश	70
6.	कर्नाटक	2335
7.	केरल	625
8.	मध्य प्रदेश	214
9.	महाराष्ट्र	3160
10.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1506
11.	पांडिचेरी	120
12.	पंजाब	277
13.	राजस्थान	284
14.	तमिलनाडु	1425
15.	त्रिपुरा	5
16.	उत्तर प्रदेश	791
17.	पश्चिम बंगाल	1780
	कुल	14080

[हिन्दी]

सतना में आई.ओ.सी. डिपो

7079. श्री गणेश सिंह: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन आयल कारपोरेशन सतना, मध्य प्रदेश में एक नया डिपो स्थापित करने पर विचार कर रहा है;

(ख) क्या उक्त डिपो का काम रोक दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त डिपो की वर्तमान स्थिति क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (घ) इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड का सतना में नया डिपो स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। आई ओ सी एल ने एक एल पी जी भरण

संयंत्र के निर्माण के लिए पहले राज्य सरकार से सतना के निकट बाघा में भूमि का एक टुकड़ा अधिग्रहित किया था। तथापि, 1998 में आर्थिक कारणों से इस प्रस्ताव को छोड़ दिया गया था। चूंकि अधिग्रहीत भूमि उपलब्ध थी, अत: एक समय इस स्थल पर औद्योगिक आधार पर एक नए डिपो का निर्माण और मौजूदा सतना डिपो के प्रचालन कार्यों को नए डिपो में स्थानान्तरित करना भी प्रस्तावित था। तथापि, इस प्रस्ताव को भी वर्ष 2002 में छोड़ दिया गया था क्योंकि वह व्यवहार्य और मितव्ययी नहीं पाया गया था। आई ओ सी एल ने भूमि के इस टुकड़े को लौटाने के लिए राज्य सरकार से संपर्क किया है।

सतना का मौजूदा डिपो प्रचालनरत है। तथापि, चूंकि यह अत्यन्त पुराना है और सुरक्षा मानदंडों तथा तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओ आई एस डी) के मानदण्डों को पूरा नहीं करता, आई ओ सी का इस डिपो के प्रचालन को बंद करने और तीन अन्य आपूर्ति डिपो नामत: भिटोनी (जबलपुर), नरियाओली (सागर) तथा जयन्त डिपुओं पर स्थानांतरित करने की योजना है।

[अनुवाद]

जामा मस्जिद की मरम्मत

7080. **कुंवर मानवेन्द्र सिंह:** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज की तारीख तक केन्द्र सरकार द्वारा दिल्ली में जामा मस्जिद की मरम्मत हेतु कितनी राशि खर्च की गई है;

(ख) क्या दिल्ली स्थित जामा मस्जिद प्राचीन संस्मारक अधिनियम के अंतर्गत एक संरक्षित स्मारक है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसकी मरम्मत पर राशि खर्च करने के क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) पिछले वित्तीय वर्ष 2004-05 के दौरान जामा मस्जिद के प्रांगण के क्षतिग्रस्त बालुई पत्थर के फर्श की मरम्मत के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 6,45,664/- रुपए की धनराशि व्यय की गई। पूर्ववर्ती दो वित्तीय वर्षों के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कोई व्यय नहीं किया गया।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जामा मस्जिद उत्कृष्ट वास्तुकला तथा ऐतिहासिक महत्व की एक मस्जिद है जिसका प्रशासनिक नियंत्रण सुन्नी मजलिस ओकाफ के अधीन है। जामा मस्जिद के प्राधिकारियों के अनुरोध पर, भारत सरकार इस मस्जिद की मरम्मत के लिए राजी हुई तथा तद्नुसार कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा हाथ में लिया गया।

सरकारी खाते में राजस्व राशि जमा करना

7081. **श्री सुनील खां:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस प्रकार का कोई विशेष कानून/सरकारी आदेश है जिसके अंतर्गत रक्षा स्कंधों को सरकारी भवनों/भूमियों में अवस्थित वाणिज्यिक परिसरों से राजस्व की वसूली की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या रक्षा अधिकारियों के लिए सरकारी खाते में राजस्व राशि को जमा करना अनिवार्य है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय वायु सेना की कुछ यूनिटों ने जनवरी 2001-मार्च 2003 के दौरान सरकारी भवन/भूमि में अवस्थित वाणिज्यिक परिसरों से राजस्व के रूप में 1.77 करोड़ रुपए की वसूली की थी;

(घ) यदि हां, तो क्या उक्त धनराशि की सरकारी खाते में जमा करा दिया गया था;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) जी, हां। व्यावसायिक परिसरों से किराया वसूलने तथा सरकारी भूमि पर बने व्यावसायिक परिसरों से वसूले गए राजस्व का 50 प्रतिशत सरकारी खाते में जमा करने के आदेश मौजूद हैं।

(ग) जी, हां। तथापि, जनवरी, 2001-मार्च, 2003 के दौरान 1.77 करोड़ रुपए की राशि रेजीमेंटल दुकानों से वसूल की गई थी, न कि व्यावसायिक परिसरों से।

(घ) से (च) भारतीय वायुसेना के परिसर में स्थित रेजीमेंटल दुकानें, व्यावसायिक परिसरों पर लागू नियमों द्वारा नियंत्रित नहीं होती हैं। किराए तथा संबद्ध प्रभारों के रूप में वसूली गई राशि सरकारी नियमों के अनुसार सार्वजनिक निधि में जमा की जाती है। इस प्रकार वसूली गई राशि सरकारी खाते में नहीं डाली जाती है।

विदेशी समाचार-पत्रों का हुबहू संस्करण

7082. श्री अधीर चौधरी:
श्री निखिल कुमार:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विदेशी समाचार-पत्रों का हूबहू संस्करण निकालने की अनुमति देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार समाचार-पत्रों की प्रतिकृति निकालने की अनुमति देने पर अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व सभी राजनैतिक दलों और विशेषज्ञों के साथ मामले पर चर्चा करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (ग) सरकार की मौजूदा प्रिंट मीडिया नीति भारत में किसी विदेशी समाचार-पत्र के भारतीय संस्करण के प्रकाशन का निषेध करती है। यह नीति समीक्षाधीन है।

[हिन्दी]

पेट्रोलियम उत्पादों की आयात-निर्यात नीति

7083. श्री राजनरायन बुधौलिया: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार पेट्रोलियम उत्पादों की निर्यात-आयात नीति में कुछ परिवर्तन करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) हालांकि इस समय पेट्रोलियम उत्पादों की निर्यात-आयात नीति में कोई परिवर्तन करना सरकार के विचाराधीन नहीं है, मिट्टी तेल की कमी को देखते हुए आई.ओ.सी.एल. ने जेट केरो/विमानन टर्बाइन ईंधन (ए. टी.एफ.) के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने हेतु विचार करने के लिए सरकार से अनुरोध किया है।

[अनुवाद]

एयरलाइन उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ बैठक

7084. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी और निजी क्षेत्र के एयरलाइन उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ हाल ही में कोई बैठक की है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन मुद्दों पर चर्चा की गई और उसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) बैठक में लिए गए निर्णयों को लागू करने के लिए क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ग) जी, हां। अनुसूचित एयरलाइनों तथा अनुसूचित एयरलाइनों के लिए एन.ओ.सी. धारकों के साथ नागर विमानन मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 12 अप्रैल, 2005 को एक बैठक का आयोजन किया गया था। उपरोक्त प्रतिनिधियों के साथ दिनांक 19 अप्रैल, 2005 को भी एक बैठक आयोजित की गई थी।

इनमें नागर विमानन के क्षेत्र में कुशल जनशक्ति, जैसे कि पायलटों, इंजीनियरों आदि की कमी के मुद्दे पर चर्चा की गई थी।

पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री से लाभ

7085. श्रीमती निवेदिता माने:
श्री अब्दुल रशीद शाहीन:
श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:
श्री सनत कुमार मंडल:
श्री कीर्तिवर्धन सिंह:
श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री बृज किशोर त्रिपाठी:
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी तेल की कंपनियों को पेट्रोल/डीजल, एल.पी.जी. और केरोसीन की बिक्री से भारी घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कंपनीवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र की अन्य तेल कंपनियों की तुलना में इंडियन आयल का मुनाफा कम है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(ङ) क्या इंडियन आयल कारपोरेशन ने केन्द्र सरकार को पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य बढ़ाने का अनुरोध किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा इस पर क्या निर्णय लिया गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) 2004-05 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम तेल विपणन कंपनियों (ओ एम सीज) द्वारा अल्प वसूलियों से उठाई गई हानि की अनुमानित राशि निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए में)

कंपनी का नाम	पेट्रोल	डीजल	एल पी जी (घरेलू)	सा.वि.प्र. (मिट्टी तेल)
आई ओ सी (आई बी पी सहित)	67	1,206	4,215	6,193
एच पी सी	37	432	2,045	1,765
बी पी सी	45	515	2,100	1,521
योग	149	2,153	8,360	9,479

(ग) और (घ) अप्रैल-दिसम्बर, 2003 की तुलना में अप्रैल-दिसम्बर, 2004 के लिए सा.क्षे.उ. ओएमसीज का कंपनीवार कर पश्चात लाभ (पीएटी) दर्शाने वाला तुलनात्मक विवरण निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए)

आई ओ सी (आई बी पी सहित)	5,276	3,831
एच पी सी	1,377	778
बी पी सी	1,281	615
योग	7,934	5,224

(ङ) से (छ) समय-समय पर सरकार को पेट्रोलियम उत्पादों नामत: पेट्रोल, डीजल, घरेलू एल पी जी और सा.वि.प्र. मिट्टी तेल के मूल्यों में वृद्धि के लिए इंडियन आयल कारपोरेशन (आई ओ सी) सहित सा.क्षे.उ. ओ एम सीज से अनुरोध प्राप्त होते रहे हैं। तथापि, 2003 के अंत से अंतरराष्ट्रीय तेल मूल्यों में अभूतपूर्व, तीव्र और सर्पिल वृद्धि रही है और इसके साथ-साथ सप्ताह-दर-सप्ताह और यहां तक कि दिन-प्रतिदिन अत्यधिक उतार-चढ़ाव रहा है। कच्चे तेल के भारतीय बास्केट ने 2003-04 में 27.96 अमरीकी डालर प्रति बी बी एल और 2004-05 में 39.21 अमरीकी डालर प्रति बी बी एल की तुलना में 4.4.2005 को 52.83 अमरीकी डालर प्रति बी बी एल का अब तक सर्वाधिक आंकड़ा छुआ। कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के अंतरराष्ट्रीय मूल्य निर्णायक रूप से घरेलू मूल्यों को प्रभावित करते हैं, किन्तु, सरकार घरेलू उपभोक्ताओं में उच्च और उतार-चढ़ाव वाले अंतरराष्ट्रीय मूल्यों की आदत डालने के लिए बहुत से कदम उठा रही है। सरकार मूल्य स्थिति की निरन्तर निगरानी कर रही है।

[हिन्दी]

राज्य वित्त और विकास निगमों से परियोजना/प्रस्ताव

7086. श्री रामदास आठवले: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम को विभिन्न राज्यों के अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम से कुछ प्रस्ताव/परियोजनाएं प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/प्रस्तावों तथा उसके अंतर्गत आबंटित/जारी की गई वित्तीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) राज्यों की शेष परियोजनाओं को कब तक अनुमोदित किए जाने की संभावना है और इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) से (घ) जी, हां। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की ऋण नीति के अनुसार, राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को प्रत्येक वित्त वर्ष के आरंभ में वार्षिक कार्रवाई योजनाओं के रूप में अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करना पड़ता है। वार्षिक कार्रवाई योजना के आधार पर, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम प्रत्येक राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी के लिए वार्षिक आबंटन का निर्णय लेता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम ने व्यक्ति विशेष लाभार्थियों की परियोजनाओं के लिए अपनी राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को मंजूरी देने का अधिकार प्रदान किया है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम द्वारा पिछले तीन वर्षों के लिए किए गए आबंटन और संवितरण को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-I में संलग्न है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम के संबंध में पिछले तीन वर्षों के लिए प्राप्त प्रस्तावों और निर्मुक्त निधियों का

ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण-II संलग्न है। लम्बित प्रस्तावों की निकासी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम में एक सतत प्रक्रिया है। प्रस्तावों के मूल्यांकन के बाद उन्हें परियोजना निकासी समिति के समक्ष निकासी अथवा राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों से स्पष्टीकरण मांगने के लिए नियमित आधार पर प्रस्तुत किया जाता है।

विवरण I

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम द्वारा निधियों का राज्यवार/राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसीवार आबंटन और संवितरण

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य	एससीए	2002-2003		2003-2004		2004-2005	
			आबंटन	संवितरण	आबंटन	संवितरण	आबंटन	संवितरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	एपीएसएमएफसी	500.00	100.00	500.00	565.00	800.00	800.00
2.	असम	एएमडीएफसी	100.00	0.00	100.00	50.00	150.00	0.00
3.	बिहार	बीएसएमएफसी	563.00	196.60	500.00	500.00	800.00	800.00
4.	चंडीगढ़	सीएचसीएफडीसीएल	36.48	0.00	50.00	12.71	50.00	6.00
5.	छत्तीसगढ़	सीएचएससीटीडीसी	0.00	15.26	100.00	0.00	100.00	50.00
6.	दिल्ली	डीएससीएसटीडीसी	300.00	100.00	200.00	75.00	200.00	100.00
7.	गुजरात	जीएमएफडीसी	926.00	700.00	900.00	600.00	900.00	100.00
8.	हिमाचल प्रदेश	एचपीएमएफडीसी	50.00	33.00	50.00	50.00	150.00	150.00
9.	हरियाणा	एचबीसीकेएन	212.00	156.76	175.00	150.00	275.00	275.00
10.	जम्मू-कश्मीर	जेकेएससीएसटीडीसी	643.66	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
		जेकेडब्ल्यूडीसी	150.00	117.60	200.00	200.00	350.00	341.19
11.	झारखंड	जेएचएससीएसटीडीसी	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00
12.	केरल	केबीसीडीसी	1025.00	1025.00	1025.00	1025.00	1750.00	1750.00
		केएससीएफएफडीसी	200.00	100.00	150.00	150.00	150.00	55.00
		केएसडब्ल्यूडीसी	200.00	100.00	150.00	150.00	275.00	275.00
13.	कर्नाटक	केएमडीसी	600.00	439.67	600.00	700.00	1137.50	1137.50
14.	महाराष्ट्र	एमएएमडीएफसी	1000.00	200.00	800.00	500.00	1000.00	1000.00
15.	मणिपुर	एमटीडीसी	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
16.	मध्य प्रदेश	एमपीबीसीएमएफडीसी	150.00	50.00	200.00	50.00	200.00	150.00
		एमपीएचडीसी	70.00	0.00	50.00	30.00	50.00	25.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	मिजोरम	एमसीएबी	275.00	275.00	200.00	50.00	275.00	0.00
		जेडआईडीसीओ	307.00	307.00	275.00	0.00	200.00	0.00
18.	नागालैंड	एनआईडीसी	300.00	150.00	300.00	260.00	300.00	300.00
		एनएचडीसी	75.00	18.75	50.00	50.00	100.00	100.00
19.	उड़ीसा	ओआरएससीएसटीएफडीसी	188.00	50.00	150.00	20.00	150.00	53.35
20.	पांडिचेरी	पीडीबीसीएमडीसी	25.00	21.75	25.00	8.50	25.00	10.00
21.	पंजाब	बीएसीकेएफआईएनसीओ	260.00	50.00	250.00	50.00	350.00	350.00
22.	राजस्थान	आरएससीएसटीएफडीसीसी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		आरजेएमडीएफसी	200.00	30.00	150.00	50.00	150.00	150.00
23.	तमिलनाडु	टीएबीसीईडीसीओ	–	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		टीसीडीडब्ल्यू	100.00	25.00	50.00	0.00	0.00	0.00
		टीएएमसीओ	300.00	0.00	200.00	200.00	25000	250.00
24.	त्रिपुरा	टीएससीडीसी	50.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00
25.	उत्तरांचल	यूएमपीएफडीसी	0.00	25.00	100.00	0.00	150.00	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	यूपीएमएफडीसी	1450.00	1282.00	1350.00	1178.26	1944.00	1944.00
27.	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीएमडीएफसी	2000.00	1600.00	1600.00	1750.00	2750.00	2750.00

विवरण II

पिछले तीन वर्षों के दौरान और 31.3.05 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम द्वारा लंबित, प्राप्त, स्वीकृत, अस्वीकृत प्रस्ताव

क्र.सं.	राज्य का नाम	31.3.02 की स्थिति के अनुसार लंबित आवेदन	2002-03					2003-04					2004-05				संचयी लंबित योजनाओं की संख्या (31.3.05 की स्थिति के अनुसार)
			प्राप्त	स्वीकृत	अस्वीकृत	31.3.03 की स्थिति के अनुसार लंबित आवेदन	संवितरित निधियां (लाख रुपए)	प्राप्त	स्वीकृत	अस्वीकृत	31.3.04 की स्थिति के अनुसार लंबित आवेदन	संवितरित निधियां (लाख रुपए)	प्राप्त	स्वीकृत	अस्वीकृत	संवितरित निधियां (लाख रुपए)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	आंध्र प्रदेश	0	31	28	0	3	3909.32	34	26	0	11	3487.39	18	18	11	2423.40	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0
3.	असम	0	18	6	0	12	0.00	0	1	11	0	0.00	4	0	0	0.00	04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.	बिहार	1	12	9	1	3	0.00	0	0	3	0	0.00	0	0	0	0.00	0
5.	छत्तीसगढ़	0	6	5	1	0	28.47	3	3	0	0	39.35	8	4	2	36.35	2
6.	चंडीगढ़	2	4	5	1	0	631.00	0	0	0	0	252.78	3	3	0	210.40	0
7.	दिल्ली	6	26	19	6	7	229.63	13	8	6	6	613.10	8	11	2	156.33	1
8.	दादरा व नागर हवेली	0	0	0	0	0	15.76	0	0	0	0	8.68	0	0	0	2.17	0
9.	गोवा	1	2	3	0	0	680.85	0	0	0	0	1245.33	7	7	0	12.71	0
10.	गुजरात	1	10	10	1	0	261.38	2	2	0	0	93.05	5	5	0	140.03	0
11.	हिमाचल प्रदेश	4	16	15	2	3	454.57	35	29	0	9	203.38	10	12	7	62.71	0
12.	हरियाणा	2	3	4	1	0	303.35	3	3	0	0	283.95	3	3	0	0.00	0
13.	जम्मू-कश्मीर	0	4	4	0	0	0.00	5	3	0	2	0.00	8	7	3	196.11	0
14.	झारखंड	1	9	9	1	0	1233.35	6	6	0	0	414.75	25	9	10	1101.00	6
15.	केरल	4	5	9	0	0	280.27	6	5	0	1	389.56	4	4	1	333.63	0
16.	कर्नाटक	9	75	48	34	2	1618.95	50	16	1	35	702.29	14	19	21	1156.25	9
17.	महाराष्ट्र	20	125	95	35	15	1333.55	148	55	11	97	1333.08	39	28	106	2572.34	2
18.	मणिपुर*	9	8	8	0	0	98.05	4	3	1	0	0.00	3	3	0	0.00	0
19.	मिजोरम*	23	1	1	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0
20.	मध्य प्रदेश	7	23	21	3	6	6.00	9	11	4	0	0.00	14	12	2	0.00	0
21.	उड़ीसा	2	4	5	1	0	140.71	0	0	0	0	73.98	0	0	0	0.00	0
22.	पांडिचेरी	2	11	13	0	0	0.00	5	5	0	0	24.02	0	0	0	0.00	0
23.	पंजाब	1	0	0	1	0	99.77	7	7	0	0	32.45	4	4	0	68.08	0
24.	राजस्थान	1	2	2	0	1	312.40	15	9	1	6	223.04	17	21	1	816.44	1
25.	सिक्किम*	6	12	7	7	0	1.80	12	12	0	0	133.70	7	7	0	78.56	0
26.	तमिलनाडु	21	130	147	4	0	276.14	3	0	3	0	0.00	0	0	0	0.00	0
27.	त्रिपुरा*	14	27	25	5	3	301.15	33	27	2	7	74.80	6	6	7	173.15	0
28.	उत्तर प्रदेश	1	44	44	1	0	749.80	18	14	0	4	863.41	20	20	4	957.40	0
29.	उत्तरांचल	1	8	8	1	0	493.56	8	5	0	3	0.00	6	5	4	158.12	0
30.	पश्चिम बंगाल	1	25	25	1	0	2547.34	22	20	2	0	815.00	39	35	0	4057.95	4
	कुल	96*	641	575	107	55	16007.17	441	270	45	181	11307.09	272	243	181	14713.13	29

टिप्पणी:*31.3.02 की स्थिति के अनुसार लंबित आवेदनों की वास्तविक संख्या 140 है। तथापि, एनएसटीएफडीसी को अंतरित अनुसूचित जाति मामलों से संबंधित 44 प्रस्तावों (मणिपुर-9, मिजोरम-23, सिक्किम-4 और त्रिपुरा-8) की कुल संख्या 96 है)

वर्धा रेलवे स्टेशन का सौन्दर्यीकरण

7087. श्री सुरेश वाघमारे: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार वर्धा रेलवे स्टेशन को सुन्दर बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार वर्धा रेलवे स्टेशन की उत्तर-दिशा में प्लेटफार्म और बुकिंग कार्यालय बनाने हेतु कोई योजना बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) वर्धा 'ए'' कोटि का एक विकसित आदर्श स्टेशन है। इस स्टेशन पर मानदण्डों के अनुसार सभी अपेक्षित सुविधाएं पहले ही मुहैया कराई गई हैं।

(ग) इस समय, प्लेटफार्मों और बुकिंग कार्यालयों की संख्या में बढ़ोत्तरी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

एयर इंडिया/इंडियन एयरलाइन्स के शेयरों की पेशकश

7088. श्री असादूद्दीन आवेसी: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एयर इंडिया (एआई) और इंडियन एयरलाइंस (आईए) के 20 से 25 प्रतिशत शेयर आम जनता को देने की पेशकश की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दोनों एयरलाइनों के कर्मचारियों को भी शेयरों की पेशकश की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (घ) एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस के लिए इनीशियल पब्लिक आफरिंग्स का मामला वार्ता के प्रारंभिक चरण में है।

त्रिपुरा में गैस के भंडार

7089. श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री तथागत सत्पथी:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ओ.एन.जी.सी. को परिवहन संबंधी समस्याओं के कारण भारी गैस भंडारों को न बेच पाने के कारण त्रिपुरा में प्रतिवर्ष लगभग 200 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा कंपनी को और घाटे से बचाने हेतु इस गैस का प्रयोग करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ एन जी सी) की त्रिपुरा में गैस क्षेत्रों की वर्तमान कुल उत्पादन क्षमता 4.2 मिलियन मानक घन मीटर प्रति दिन (एम एम एस सी एम डी) है और पर्याप्त उपभोक्ताओं की कमी के कारण गेल (इंडिया) लिमिटेड के माध्यम से बिक्री हेतु संविदागत प्रमात्रा केवल 1.47 एम एम एस सी एम डी है। इसके फलस्वरूप ओ.एन.जी.सी. को हानि होती रही है जो वर्ष 2002-03, 2003-04 और 2004-05 में क्रमश: रुपए 29.34 करोड़, रुपए 55.32 करोड़ और रुपए 40.46 करोड़ (ओवरहैड के आबंटन की गणना किए बिना) होने का अनुमान है।

(ग) राज्य में अलग-थलग पड़े गैस पूलों के अनुसार ओ.एन.जी.सी. की बंद पड़ी परिसंपत्तियों का मौद्रीकरण करने के उद्देश्य से सरकार ने त्रिपुरा में 750 मेगावाट संयुक्त साइकल गैस टरबाइन विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए संयुक्त उद्यम कंपनी में ओ.एन.जी.सी. की इक्विटी भागीदारी अनुमोदित की है। इस संयुक्त उद्यम में त्रिपुरा सरकार, ओ.एन.जी.सी. और मैसर्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (आई एल एंड एफ एस) क्रमश: 24%, 26% और 50% की अनुपात में इक्विटी भागीदार हैं।

सी.एन.जी. तथा एल.पी.जी. फिलिंग स्टेशनों का खोला जाना

7090. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम:
सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड:
श्री अजीत जोगी:
श्री सुब्रत बोस:
श्री गणेश सिंह:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वाहनों में सी एन जी तथा एल पी जी के प्रयोग को बढ़ावा देने के बारे में कोई नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सी एन जी/एल पी जी फिलिंग स्टेशन खोलने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किये गए हैं;

(घ) देश में सी एन जी/एल पी जी फिलिंग स्टेशनों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ङ) क्या सरकार का विचार अगले दो वर्षों में नए सी एन जी/एल पी जी फिलिंग स्टेशन खोलने का है; और

(च) यदि हां, तो स्थान सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) विभिन्न शहरों में प्रदूषण कम करने के लिए सी एन जी और आटो एल पी जी के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्राकृतिक गैस का आवश्यक बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता के आधार पर विभिन्न शहरों में चरणबद्ध तरीके से सी एन जी शुरूआत करने का प्रस्ताव है। तेल विपणन कंपनियां (ओ एम सीज) मांग के अनुसार विभिन्न शहरों में अपने खुदरा बिक्री केन्द्रों पर आटो एल पी जी को भी उत्तरोत्तर शुरु कर रही है।

(ग) नए बिक्री केन्द्रों को स्थापित करने के लिए कंपनियों को मुख्य विस्फोटक नियंत्रक से विस्फोट लाइसेंस, स्थानीय निकायों से अनापत्ति आदि जैसी विभिन्न सांविधिक अनापत्तियों की आवश्यकता पड़ती है। आगे यह नोट किया जाए कि सी एन जी/आटो एल पी जी स्टेशन मुख्यत: विद्यमान खुदरा बिक्री केन्द्रों पर स्थापित किए जा रहे हैं। इनके अलावा कुछ सी एन जी स्टेशन भारी वाहनों की ईंधन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और सी एन जी कास्केड भराई के लिए स्थापित किए गए हैं जो सीधे कंपनी द्वारा चलाए जाते हैं।

(घ) इस समय इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, दिल्ली में 133 सी एन जी स्टेशन और नोएडा, उत्तर प्रदेश में 2 स्टेशन चला रही है। महानगर गैस लिमिटेड मुंबई में 105 सी एन जी स्टेशन और मुंबई शहर की सीमा से बाहर 2 स्टेशन चला रही है। गुजरात में कुछ निजी/बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कुछ सी एन जी बिक्री केन्द्रों के अतिरिक्त तेल पी एस यूज द्वारा 2 सी एन जी स्टेशन चलाए जा रहे हैं।

देश में 1.4.2005 को 105 आटो एल पी जी वितरण केन्द्र प्रचालन में हैं। राज्यवार विवरण संलग्न है।

(ङ) और (च) अगले दो वर्षों में तेल पी एस यूज और उनके द्वारा प्रोन्नत संयुक्त उद्यमों की देश के विभिन्न भागों में 70 सी.एन.जी. स्टेशनों और 114 ए.एल.डी.एस. स्थापित करने की योजना है।

विवरण

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ एम सीज) के 1.4.2005 तक आटो एल.पी.जी. वितरण स्टेशन (ए.एल.डी.एस.)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शहर	ए एल डी एस की संख्या
आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	9
आंध्र प्रदेश	तिरूपति	1
दिल्ली	दिल्ली	16
गुजरात	अहमदाबाद	8
कर्नाटक	बैंगलौर	13
केरल	त्रिवेन्द्रम	1
मध्य प्रदेश	इन्दौर	1
मध्य प्रदेश	भोपाल	1
महाराष्ट्र	मुंबई	21
महाराष्ट्र	पुणे	5
महाराष्ट्र	नासिक	1
राजस्थान	जयपुर	2
तमिलनाडु	चेन्नई	14
उत्तर प्रदेश	लखनऊ	1
उत्तर प्रदेश	आगरा	1
पश्चिम बंगाल	कोलकाता	8
चंडीगढ़	चंडीगढ़	2
योग		105

डीलरों का कमीशन

7091. श्री निखिल कुमार:
श्री जसवंत सिंह बिश्नोई:
श्री अधीर चौधरी:
श्री ए.एफ.जी. ओसमानी:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय डीलरों को पेट्रोल तथा डीजल पर किस दर से कमीशन दिया जाता है;

(ख) क्या फेडरेशन आफ आल इंडिया पेट्रोलियम ट्रेडर्स ने डीलरों का कमीशन नहीं बढ़ाये जाने के विरोध में हाल ही में पूरे देश में 24 घंटों की हड़ताल की थी;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने डीलरों के कमीशन के मुद्दे का समाधान करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस मामले में अंतिम निर्णय कब तक के लिये जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) पेट्रोल और डीजल पर डीलर कमीशन की वर्तमान दर क्रमश: 707 रुपए प्रति कि.ली. तथा 425 रुपए प्रति कि.ली. है।

(ख) जी, हां। अखिल भारतीय पेट्रोलियम व्यापारी संघ (एफ ए आई पी टी) ने 17 अप्रैल, 2005 की आधी रात से 18 अप्रैल, 2005 की आधी रात तक देश में सभी पेट्रोल पम्पों को बंद रखने का आह्वान किया। तथापि, इस अवधि में ग्राहकों की मांग को पूरा करने के लिए सभी कंपनी स्वामित्व कंपनी प्रचालित (कोको) तथा जुबिली खुदरा बिक्री केन्द्र प्रचालनरत रहे। एफ ए आई पी टी ने डीलर कमीशनों में वृद्धि सहित कई मांगें उठाई हैं।

(ग) से (ङ) एम एस और एच एस डी के डीलरों को भुगतान किए जाने वाले कमीशन में वृद्धि का मुद्दा तेल विपणन कंपनियों और सरकार के विचाराधीन है।

महामस्तक-अभिषेक के आयोजन के लिए कर्नाटक को धनराशि

7092. श्री एम. शिवन्ना: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार से कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में महामस्तक-अभिषेक का आयोजन करने के लिए वित्तीय सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) जी, हां। ब्यौरे इस प्रकार हैं:

क्र.सं.	किए जाने वाले निर्माण कार्यों के ब्यौरे	धनराशि (लाख रु. में)
1.	विंध्यगिरि और चंद्रगिरि पहाड़ी पर सुरक्षा सेवाएं	62.00
2.	विंध्यगिरि पहाड़ी के प्रवेश द्वार को फिर से डिजाइन करना और प्रवेश क्षेत्र में खड़ंजा बिछाना	6.50
3.	पर्यटन कार्यालय के सामने प्रांगण में दर्शकों के आने-जाने के लिए रेलिंग	3.20
4.	पहाड़ी के निचले हिस्से में पालकी की व्यवस्था	2.00
5.	बैठने के क्षेत्र को तैयार करना और बेंचें उपलब्ध कराना	4.00
6.	इनकमिंग और आउटगोइंग चिह्न और दिशात्मक चिह्न	2.00
7.	कार्यालय को फिर से डिजाइन करना और हुंडी को फिर से डिजाइन करना	1.50
8.	प्रसाधन और पेय जल की व्यवस्था करना	3.00
	जोड़	84.20

(ग) चूंकि, यह प्रस्ताव महामस्तकाभिषेक समारोह के अवसर पर पर्यटकों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करने से संबंधित है, इस प्रस्ताव को पर्यटन मंत्रालय को भेज दिया गया है, क्योंकि संस्कृति मंत्रालय के पास इसके लिए कोई उपयुक्त स्कीम नहीं है।

[हिन्दी]

पेट्रोलियम उत्पादों का आयात

7093. श्री रामजीलाल सुमन:
डा. चिन्ता मोहन:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2004-05 के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों का आयात किया गया;

(ख) यदि हां, तो उत्पाद-वार मात्रा तथा उनके मूल्य सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त आयात में सरकारी तथा निजी कंपनियों की क्या हिस्सेदारी थी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वर्ष 2004-05 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों तथा निजी कंपनियों द्वारा आयातित पेट्रोलियम उत्पादों की प्रमात्रा और मूल्य के ब्यौरे निम्नवत् हैं:

2004-05 (अनंतिम)

	मात्रा हजार मीट्रिक टन में (ट.मी.ट.)	मूल्य (रु. करोड़)
	1	2
उत्पाद		
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम		
एल पी जी	2138.747	4,055.127
पेट्रोल	233.099	500.761
नाफ्था	251.578	469.976
विमानन पेट्रोल	3.156	14.185
मिट्टी तेल	210.364	429.195
डीजल	703.408	1,422.289
ईंधन तेल	314.289	304.175
एमटीबीई	22.117	43.071
उप योग	3876.668	7,238.780
निजी/सीधे		
प्रोपेन	588.000	986.938
एल.पी.जी.	223.468	399.486
नाफ्था	1962.024	3,559.331
डीजल (एच.एस.डी.)	162.823	257.382
एलओबीएस	538.087	928.628
ईंधन तेल/एलएसएचएस	446.768	405.481
सीबीएफएस	153.099	119.579
बिटुमन	21.105	16.673
कोक	43.774	15.020
आर.पी.ओ.	11.377	10.046
पैराफिन वैक्स	0.210	0.289
एल.एस.डब्ल्यू.आर. (आर.आई.एल.)	844.590	1,012.020
उप योग	4995.325	7,710.875
कुल आयातित उत्पाद	8871.993	14,949.656

भारतीय तेल निगम द्वारा तेल का उत्पादन

7094. श्री नीतीश कुमार:
श्रीमती जयाप्रदा:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के कतिपय क्षेत्रों में तेल उत्पादन के दायित्व का निर्वहन भारतीय तेल निगम द्वारा किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो निगम द्वारा किन क्षेत्रों में कच्चे तेल का उत्पादन किया जा रहा है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन क्षेत्रों में कच्चे तेल के उत्पादन की मात्रा में कितनी वृद्धि हुई;

(घ) भारतीय तेल निगम द्वारा देश में वर्ष 2003-2004 तथा 2004-2005 के दौरान उत्पादित कच्चे तेल की औसत उत्पादन लागत कितनी रही;

(ङ) क्या इस प्रकार उत्पादित कच्चा तेल आयात किए गए तेल की कीमतों के बराबर कीमतों पर तेल शोधक कारखानों को बेचा गया था; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी.) कच्चे तेल के उत्पादन में स्वयं नहीं लगी है। तथापि, आई.ओ.सी. देश के निम्न ब्लाकों में अंतर्राष्ट्रीय और निजी तेल कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम में अन्वेषण कार्य कर रही है-

1. एनईएलपी ब्लाक

(1) एमबी-ओएसएन-97/4, उथला जल, मुंबई अपतट

(आई ओ सी-30%, ओ एन जी सी-70%)

(2) जीवी-ओएनएन-97/1, जमीनी, गंगा घाटी, उत्तर प्रदेश

(आई ओ सी-30%, ओ एन जी सी-40%, केर्न एनर्जी-30%)

(3) एमबी-ओएसएन-2000/1 उथला जल, मुंबई अपतट

(आई ओ सी-15%, ओ एन जी सी-75%, जी एस पी सी-10%)

(4) एमएन-ओएसएन-2002/2, उथला जल, महानदी अपतट

(आई ओ सी-20%, ओ एन जी सी-40%, गेल-20%, ओ आई एल-20%)

(5) एमएन-ओएनएन-2000/1, जमीनी, महानदी बेसिन

(आई ओ सी-20%, ओ एन जी सी-20%, गेल-20%, ओ आई एल-40%)

(6) डब्ल्यूबी-ओएसएन-2000/1, उथला जल, पश्चिम बंगाल

(आई ओ सी-15%, ओ एन जी सी-85%)

(7) एमबी-डीडब्ल्यूएन-2000/1, मुंबई अपतट

(आई ओ सी-15%, ओ एन जी सी-85%)

(8) एमबी-डीडब्ल्यूएन-2000/2, मुंबई अपतट

(आई ओ सी-15%, ओ एन जी सी-50%, गेल-15%, ओ आई एल-10%, जी एस पी सी-10%)

(9) एए-ओएनएन-2001/2, मिजोरम

(आई ओ सी-20%, ओ एन जी सी-80%)

ब्लाक एमएन-ओएनएन-2000/1 के सिवाए जहां ओआईएल प्रचालक है, सभी अन्य ब्लाकों का ओएनजीसी द्वारा प्रचालन किया जा रहा है।

2. कोल बेड मिथेन (सी बी एम) ब्लाक

(1) बीके-सीबीएम-2000/1, झारखण्ड

(आई ओ सी-20%, ओ एन जी सी-80%)

(2) एनके-सीबीएम-2000/1, झारखण्ड

(आई ओ सी-20%, ओ एन जी सी-80%)

ओ.एन.जी.सी. दोनों सी.बी.एम. ब्लाकों के लिए प्रचालक है।

3. फार्म-इन ब्लाक

(1) ब्लाक एएपी-ओएन-94/1, (असम-अरुणाचल प्रदेश)

(आई ओ सी-27%, प्रीमियम आयल-38% और प्रचालक, एच ओ ई सी-25%, ओ आई एल-10%)

(2) ब्लाक सीआर-ओएन-90/1, (लोअर असम)

(आई ओ सी-35%, प्रीमियर आयल-49% और प्रचालक, एस्सार आयल-16%)

(ग) चूंकि तीन ब्लाकों में अन्वेषण प्रयास जारी हैं, कच्चे तेल का उत्पादन अभी आरम्भ नहीं हुआ है।

(घ) से (च) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

फर्जी रेल टिकट रैकेट

7095. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में किसी फर्जी रेल टिकट रैकेट का पर्दाफाश किया गया है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले में कोई जांच करायी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) दिसम्बर, 2004 में पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के अंतर्गत भरूच आरक्षण कार्यालय में एक मामले का पता चला था जहां जाली टिकट को रद्द करने के माध्यम से धोखे से धन वापसी की गई थी। फरवरी, 2005 में पटना में सामान्य डिब्बों के लिए जाली टिकटों की बिक्री के मामले का भी पता चला था। पटना जंक्शन के अनारक्षित बुकिंग काउंटर परिसर से कुछ बाहरी व्यक्ति पकड़े गए थे जिनके पास जाली टिकट थे।

(ग) से (ङ) संदिग्ध नकली टिकटों सहित संबद्ध रिकार्ड की आगे जांच करने के लिए रेल सुरक्षा बल, वडोदरा को सौंप दिए गए थे। संदिग्ध कर्मियों को निलम्बित कर दिया गया है।

राजकीय रेलवे पुलिस (जी आर पी), पटना दूसरे मामले की जांच कर रही है। दो कर्मियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की गई है और उन्हें उनके मौजूदा कार्यस्थल से दूसरे स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया है।

[अनुवाद]

पदों का सृजन

7096. श्री जुएल ओराम:
श्री दुष्यंत सिंह

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार रक्षा बलों में उच्च रैंकों के अतिरिक्त पदों का सृजन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) पदों का सृजन, एक गतिशील प्रक्रिया है और कार्यात्मक औचित्य प्रमाणित होने पर तथा समय-समय पर संवर्गों की पुन: संरचना के भाग के रूप में इसे क्रियान्वित किया जाता है। कार्यात्मक अपेक्षाओं के आधार पर, उच्च रैंकों में पदों का सृजन करने या उनका उन्नयन करने के प्रस्ताव सेना मुख्यालयों द्वारा तैयार कर सरकार को मंजूरी के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं।

ताज के नियंत्रण तथा प्रबंधन की मांग

7097. श्री जोवाकिम बखला:
श्री रनेन बर्मन:

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश के सुन्नी वक्फ बोर्ड ने ताजमहल के एक कब्रिस्तान होने के नाते इसके नियंत्रण तथा प्रबंधन की मांग की है जैसा कि दिनांक 19 मार्च, 2005 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) जी, नहीं। उत्तर प्रदेश सुन्नी केन्द्रीय वक्फ बोर्ड ने वक्फ अधिनियम, 1995 (केन्द्रीय अधिनियम 1995 का 43) की धारा 36 के प्रावधानों के अंतर्गत "ताजमहल, आगरा" के नाम से प्रसिद्ध मकबरा शाहजहां तथा मुमताज महल संपत्ति के पंजीकरण हेतु एक नोटिस जारी किया है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार का विचार है कि ताज महल को वक्फ संपत्ति घोषित करने का नोटिस गैर-कानूनी, अधिकार क्षेत्र के बाहर तथा उक्त अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है। ताजमहल को प्राचीन संस्मारक परिरक्षण अधिनियम, 1904 के प्रावधानों के तहत दिनांक 22.12.1920 को संयुक्त प्रान्त के राजपत्र में एक संरक्षित स्मारक के रूप में अधिसूचित किया गया था। ताज महल को यूनेस्को द्वारा विश्व दाय स्थल के रूप में भी सूचीबद्ध किया गया है। इसलिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के स्वामित्व में इसके द्वारा अनुरक्षित एक केन्द्रीय संरक्षित स्मारक के प्रबंधन में सुन्नी वक्फ बोर्ड के इस प्रकार के किसी प्रयास को दखल अंदाजी समझा जाएगा।

[हिन्दी]

देवलाली छावनी क्षेत्र में मकान गिराया जाना

7098. श्री देविदास पिंगले: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देवलाली छावनी क्षेत्र में कुछ भू-स्वामियों के मकानों को संबंधित प्राधिकारियों द्वारा गिरा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने छावनी क्षेत्र में स्थायी रूप से रहने वाले लोगों को राहत प्रदान करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) संपत्ति मालिकों द्वारा किए गए कुछ अनधिकृत निर्माण, छावनी बोर्ड द्वारा, कानूनन निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के बाद गिरा दिए गए हैं।

(ख) विस्तृत ब्यौरा विवरण में संलग्न है।

(ग) अनधिकृत निर्माण गिराए जाने के मामले में राहत प्रदान किए जाने के लिए छावनी अधिनियम, 1924 में कोई प्रावधान नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

छावनी बोर्ड, देवलाली द्वारा गिराए गए अनधिकृत निर्माण के मामलों का विस्तृत ब्यौरा

क्र.सं.	स्वामी/बिल्डर का नाम	अवस्थिति	गिराए गए अनधिकृत निर्माण का विवरण और कारण	भूमि की श्रेणी
1	2	3	4	5
1.	पी.डी. शाह	बिलातगांव के लाम रोज राज. सर्वे सं. 41/ए/1ए/6ए और 42/ए-2	11 दुकानों की 1408 वर्ग फुट माप की आर सी सी स्लैब/दीवार गिराई गई जो स्वीकार्य एफ एस आई का उल्लंघन थी।	निजी भूमि
2.	सेवाराम एच. चावला	संसारी लेन सं. II	लगभग 339 वर्ग फुट माप के एक कमरे को गिराया गया जो चारदीवारी के समीप निर्मित कार्यालय प्रयोजन से प्रयोग किया जा रहा था। यह छावनी बोर्ड नियमों का उल्लंघन था।	निजी भूमि
3.	श्रीमती एस.पी. कदम	मुख्य गली सदर बाजार म.सं. 358/359	दूसरे तल, जिसका वाणिज्यिक प्रयोजन से इस्तेमाल किया जा रहा था, लगभग 382 वर्ग फुट माप की दीवार के साथ आर सी सी स्लैब को गिराया गया। यह स्वीकार्य एफ एस आई तथा पुराने अनुदान निबंधनों का उल्लंघन था।	पुरानी स्वीकृति
4.	श्रीमती सुलताना अहमद मनियार	मुख्य गली, सदर बाजार म.सं. 360/361	3.3'' ऊंचाई की चारदीवारी को गिराया गया जो सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना बनाई गई थी।	फ्री होल्ड

1	2	3	4	5
5.	श्री एस.एस. बलानी और अन्य	रेस्ट कैंप रोड, देवी मंदिर के सामने राज. सर्वे सं. 353-2/2	लगभग 86 वर्ग फुट वर्ग माप के भंडार कक्ष व शौचालय को गिराया गया जो स्वीकार्य एफ एस आई का उल्लंघन था।	निजी भूमि
6.	श्रीमती जसबीर कौर गुरुशरण इसमर	सत्यविनायक सोसाइटी, राज. सर्वे सं. 5/1बी-प्लाट सं. 1, भाकुर विजय नगर में।	443 वर्ग फुट माप की चार दुकानों को गिराया गया जिनका इस्तेमाल वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए किया जा रहा था तथा स्वीकार्य एफ एस आई का उल्लंघन था।	निजी भूमि
7.	श्रीमती गीताबाई सखराम शेल्के	सैनिक सोसाइटी रोड, विजय नगर	लगभग 280 वर्ग फुट माप की एक दुकान को गिराया गया जिसका इस्तेमाल वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए किया जा रहा था और स्वीकार्य एफ एस आई का उल्लंघन था।	निजी भूमि

[हिन्दी]

'राइट्स' द्वारा नेपाल में कराया गया अध्ययन

7099. श्री उदय सिंह:
श्री अधीर चौधरी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राइट्स द्वारा नेपाल की रुग्ण रेलवे प्रणाली के बारे में कराए गए संभाव्यता अध्ययन पर माओवादी गुरिल्लाओं द्वारा आक्रमण किया गया था जैसा कि दिनांक 17 अप्रैल, 2005 के 'स्टेट्समैन' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य एवं ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राइट्स के महंगे उपकरणों की चोरी हो गयी है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में मामले को नेपाली प्राधिकारियों के समक्ष उठाया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) राइट्स सर्वेक्षण टीम से सर्वेक्षण संबंधी उपकरण छीन लेने की घटना हुई है और नेपाल में रामनगर बिरटा के समीप 25.2.2005 को माओवादियों द्वारा धमकी दी गई है। पूरी तरह सुरक्षित वातावरण होने तक सर्वेक्षण कार्य रोक दिया गया है।

(घ) और (ङ) सर्वेक्षण अधिकारियों की संरक्षा और सुरक्षा की व्यवस्था करने और सर्वेक्षण उपकरण बरामद करने के लिए उपयुक्त स्तर पर नेपाल अधिकारियों के साथ यह मामला उठाया गया है।

भारत में थाई एयरवेज की उड़ानों का प्रचालन

7100. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को थाई एयरवेज इंटरनेशनल से भारत में अन्य स्थानों पर अपनी उड़ानों के प्रचालन के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या निर्णय लिया गया है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

यात्री डिब्बों के लिए क्रैश प्रूफ टेस्ट

7101. श्री ई. पोन्नुस्वामी:
श्री बाडिगा रामाकृष्णा:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने प्रथम क्रैश प्रूफ कोच का परीक्षण कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) इसके क्रियान्वयन के लिए क्या समय सीमा निर्धारित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) भारतीय रेलें एक ऐसा कोच डिजाइन करने की कोशिश कर रही है, जिसमें टक्कर के मामले में यात्रियों को होने वाली हानि कम की जा सके। यह संभवत: अधिक उपयुक्त होगा कि इसे ''क्रैश प्रुफ कोच'' के बजाय ''क्रैशवर्दी कोच'' कहा जाए। इस कार्य के भाग के रूप में 29.3.2005 को एक क्रैश जांच की गई थी।

(ख) इस जांच से प्राप्त आंकड़ों का अध्ययन किया जा रहा है तथा उसके बाद इस जांच के निष्कर्ष निकाले जाएंगे।

(ग) इस परियोजना के अंतर्गत पहले ''दूसरी श्रेणी'' तथा 'दूसरी श्रेणी, गार्ड एवं सम्मान' किस्म के सवारी डिब्बों के डिजाइन विकसित किए जा रहे हैं। यह आशा की जाती है कि 2006-07 से नए सवारी डिब्बों के निर्माण में इन डिजाइनों का इस्तेमाल किया जाएगा।

[हिन्दी]

सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों का आर्थिक विकास

7102. श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:
मोहम्मद शाहिद:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दसवीं योजना के दौरान सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लोगों के आर्थिक विकास के लिए कार्य योजना और लक्ष्यों की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और अन्य पिछड़े वर्गों की शोषण और भेदभाव से रक्षा करने हेतु विकासात्मक नीतियों संबंधी समन्वित प्रयासों और कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) वर्ष 2004-05 के दौरान रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए प्रदान की गयी धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन योजनाओं के अंतर्गत आबंटित धनराशि का पूरी तरह से उपयोग किया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) से (ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि लक्षित समूह तक लाभ पहुंचे, यह मंत्रालय समय-समय पर कार्यक्रमों की लगातार समीक्षा करता है। सरकार द्वारा पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं:

(1) अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति;

(2) अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति;

(3) अन्य पिछड़े वर्गों के लड़कों तथा लड़कियों के लिए होस्टल;

(4) अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वयंसेवी संगठनों को सहायता;

(5) अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के लिए परीक्षा-पूर्व कोचिंग;

(6) केन्द्रीय वक्फ परिषद की शिक्षा योजना;

(7) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम की ऋण योजनाएं;

(8) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम की ऋण योजनाएं।

(घ) पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के लिए रोजगार अवसर सृजन हेतु 2004-05 के दौरान राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम तथा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम द्वारा निर्मुक्त निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) और (च) वित्त वर्ष के दौरान निर्मुक्त राशि के उपयोगिता प्रमाणपत्र राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा उत्तरवर्ती वर्ष में प्रस्तुत किए जाते हैं तथा 2004-05 के दौरान निर्मुक्त राशि के उपयोगिता प्रमाणपत्र अभी प्राप्त होने हैं।

विवरण

वर्ष 2004-05 के दौरान पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए रोजगार सृजन हेतु राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम तथा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम द्वारा निर्मुक्त निधियां

क्र.सं.	राज्य का नाम	वर्ष 2004-05 के दौरान दी गई निधियां	
		राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम
1	2	3	4
	राज्य		
1.	आंध्र प्रदेश	250.00	800.00
2.	असम	80.20	150.00
3.	बिहार	170.00	800.00
4.	छत्तीसगढ़	108.19	100.00
5.	गुजरात	350.00	900.00
6.	गोवा	28.45	0.00
7.	हरियाणा	175.00	275.00
8.	हिमाचल प्रदेश	260.00	150.00
9.	जम्मू-कश्मीर	40.60	600.00
10.	झारखंड	0.00	100.00
11.	कर्नाटक	1000.00	1138.00
12.	केरल	1697.50	2175.00
13.	मध्य प्रदेश	148.75	250.00
14.	मणिपुर	0.00	50.00
15.	महाराष्ट्र	1950.00	1000.00
16.	मिजोरम	0.00	475.00
17.	नागालैंड	0.00	400.00
18.	उड़ीसा	50.00	150.00
19.	पंजाब	200.00	350.00
20.	राजस्थान	293.40	150.00
21.	सिक्किम	257.90	0.00
22.	तमिलनाडु	800.00	250.00
23.	त्रिपुरा	99.03	50.00
24.	उत्तर प्रदेश	616.00	1944.00
25.	उत्तरांचल	52.75	150.00
26.	पश्चिम बंगाल	600.00	2750.00
	संघ राज्य क्षेत्र		
27.	चंडीगढ़	24.70	50.00
28.	दिल्ली	50.00	200.00
29.	पांडिचेरी	50.00	25.00

[अनुवाद]

निजी वेंडरों को प्रोत्साहन

7103. श्रीमती मनोरमा माधवराज: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार आयातित रक्षा सामग्री के विकल्पों के विकास करने के निजी वेंडरों को प्रोत्साहन तथा वेंडरों के अनुसंधान तथा विकास हेतु राजसहायता देती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) और (ख) आयातित रक्षा आपूर्तियों के अनुकल्प विकसित करने के लिए निजी विक्रेताओं को प्रोत्साहन देने की कोई योजना नहीं है और न ही अनुसंधान एवं विकास के लिए कोई आर्थिक सहायता दी जाती है। तथापि, निजी विक्रेताओं को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा तैयार की गई प्रणालियों के विकास और उन्नयन-प्रक्रिया में भाग लेने के

लिए, उन्हें विकास-अवस्था में संबद्ध करके और विकास संविदाओं के जरिए भुगतान देकर प्रोत्साहित किया जाता है। स्वदेश में विनिर्मित रक्षा मदों के उत्पादन में उत्कृष्टता के लिए सर्वश्रेष्ठ उद्योग, चाहे वह सार्वजनिक हो या निजी, को वार्षिक पुरस्कार दिए जाते हैं।

[हिन्दी]

महान विभूतियों पर फिल्में

7104. श्री ब्रजेश पाठक: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रसार भारती ने महान विभूतियों के जीवन पर बनी फिल्मों के प्रसारण की योजना को बन्द कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन अपने राष्ट्रीय और क्षेत्रीय चैनलों पर फीचर फिल्मों का नियमित आधार पर प्रसारण करता है। प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेताओं पर भी समय-समय पर फिल्में प्रसारित की जाती है। महात्मा गांधी, भगत सिंह और जय प्रकाश नारायण पर फिल्में हाल ही के महीनों में प्रसारित की गई ऐसी कुछ फिल्में हैं।

[अनुवाद]

स्टेशन पर जलपान गृह का आवंटन

7105. श्री बृजभूषण शरण सिंह: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य रेलवे ने करजल रेलवे स्टेशन पर जलपान गृह आवंटित किया है;

(ख) यदि हां, तो लाइसेंस शुल्क सहित आवंटन की निबंधन और शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या यह सच है कि जलपानगृह की निविदाओं को आमन्त्रित करते समय प्रकाशित विज्ञापन में दो सर्विस काउन्टर स्टालों की भी पेशकश की गयी थी;

(घ) यदि हां, तो इन सर्विस काउन्टरों के आवंटन की निबंधन और शर्तें क्या हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो रेलवे अधिकारियों के साथ सांठ-गांठ से ठेकेदार को किस प्रकार अनधिकृत रूप से दो सर्विस काउन्टर चलाने की अनुमति दी गयी;

(च) दोषी पाये गए रेल अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी;

(छ) क्या यह भी सच है कि दस रेल साइड वेंडरों को ऐसे ठेकों की अनुमति दी गयी;

(ज) यदि हां, तो इसकी निबंधन और शर्तें क्या है;

(झ) क्या इसके लिए अलग लाइसेंस शुल्क लिया जा रहा है; और

(ञ) यदि नहीं, तो ऐसी त्रुटियों के लिए कौन-कौन से अधिकारी उत्तरदायी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) जी हां। आवेदन पत्रों के आधार पर प्रचलित नियमों एवं शर्तों के अनुसार अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को 31.12.1986 को आबंटन किया गया था क्योंकि उस समय कोई निविदा प्रक्रिया लागू नहीं थी। प्रारंभिक लाइसेंस फीस 10,000/- रुपए प्रति वर्ष निर्धारित की गई थी।

(ग) से (च) लाइसेंस की शुरूआत के बाद लाइसेंसधारी ने दो सर्विस टेबलों के लिए अनुरोध किया गया था क्योंकि जलपान गृह के पूर्व लाइसेंसधारी को इसकी अनुमति दी गई थी। लाइसेंसधारी को डाउन प्लेटफार्म नं. 1 पर एक सर्विस टेबल की अनुमति इस शर्त के साथ दी गई थी कि लाइसेंसधारी केवल गाड़ी के समयक्रमों के दौरान ही इस सेवा काउंटर के माध्यम से जलपान गृह में अनुमत मदों की बिक्री करेगा। चूंकि नए लाइसेंसधारी को केवल एक सर्विस टेबल आबंटित की गई थी जबकि पूर्व लाइसेंसधारी को दो टेबलों की अनुमति दी गई थी। इस नए लाइसेंसधारी के साथ कोई अनुचित पक्षपात नहीं किया गया है। अत: अनुचित पक्षपात के लिए किसी अधिकारी को दोषी नहीं पाया गया है।

(छ) और (ज) लाइसेंसधारी ने अतिरिक्त वेंडरों के साथ रेल साइड वेंडिंग की अनुमति के लिए आवेदन किया था। प्रारंभ में वेंडरों की मौजूदा संख्या के अनुसार रेल साइड वेंडिंग की अनुमति दी गई थी। उसके बाद मामले की फिर से समीक्षा की गई थी तथा अप्राधिकृत वेंडिंग को नियंत्रित करने तथा जलपान गृह और रेल साइड वेंडिंग दोनों में पर्याप्त सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से 10 अतिरिक्त वेंडरों की अनुमति दी गई थी।

(झ) और (ञ) लाइसेंस फीस यूनिट के समग्र बिक्री के टर्नओवर पर निर्धारित की जाती है। लाइसेंस फीस समय-समय पर संशोधित की गई थी तथा बिक्री टर्नओवर के आधार पर आज की तारीख में लाइसेंस फीस 1,10,820 रुपए प्रति वर्ष है।

वीएम-वीकेएम-केपीडी खंड का आमान परिवर्तन

7106. डा. के. धनराजू: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वीएम-वीकेएम-केपीडी खंड की मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह कार्य कब तक आरंभ होने की संभावना है;

(ग) क्या आमान परिवर्तन के दौरान उक्त मार्ग के एक भाग को वीपीएम-टीपीजे कार्ड लाईन पर स्थानान्तरित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां।

(ख) विल्लुपुरम-कटपाडी (161 कि.मी.) मीटर लाइन के आमान परिवर्तन को पहले ही स्वीकृति दे दी गई है और कार्य भी शुरू कर दिया गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बारक घाटी के मीटर गेज मार्ग का नवीकरण

7107. श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बारक घाटी में मीटर गेज मार्ग लापरवाही एवं समुचित रखरखाव के अभाव तथा समय पर नवीकरण न करने की वजह से बहुत पुराना हो चुका है तथा वर्तमान में जर्जर स्थिति में है;

(ख) यदि हां, तो बारक घाटी में पिछली बार मीटर गेज मार्गों का नवीकरण कब किया गया था और नवीकरण कार्य समय पर न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस क्षेत्र में खंड-वार मार्गों के रखरखाव/नवीकरण पर कितनी धनराशि खर्च की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) बारक घाटी में रेलपथ जीर्ण-शीर्ण हालत में नहीं है।

रेलपथ की मरम्मत और अनुरक्षण एक सतत प्रक्रिया है। अनुरक्षण कार्य नियमित रूप से किया जाता है जो आवश्यकता पर निर्भर करता है। यातायात की संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, रेलपथ का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाता है और जहां-कहीं अपेक्षित होता है तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, अपेक्षित होने पर गति प्रतिबंध भी लगाए जाते हैं। आयु एवं हालत को ध्यान में रखते हुए रेलपथ नवीकरण भी किया जाता है जो धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(ख) बारक घाटी में वर्ष 2004-05 के दौरान 62.33 किलो मीटर लाइन के रेलपथ का नवीकरण किया गया था।

(ग) बारक घाटी में पिछले तीन वर्ष के दौरान मीटर लाइन के रेलपथ के नवीकरण पर खर्च की गई राशि निम्नानुसार है:-

वर्ष	धनराशि का उपयोग (आंकड़े हजार रु. में)
2002-03	37691
2003-04	37906
2004-05	69929

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षित कोटा

7108. श्री मित्रसेन यादव: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की तीन मुख्य कंपनियों अर्थात् भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. और इंडियन आयल कारपोरेशन लि. में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों हेतु आरक्षित कोटे को पूरी तरह भर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो अब तक आरक्षित कोटा कितने प्रतिशत भरा गया है;

(ग) क्या सरकार रिक्त आरक्षित पदों को भरने के लिए मुहिम चलाने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ङ) अनु. जाति/अनु. जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए नौकरियां उपलब्ध कराने हेतु सरकार की आरक्षण नीति का कथित तीनों बड़ी तेल कंपनियों यथा आई ओ सी, बी पी सी एल तथा एच पी सी एल में पालन किया जा रहा है। जब कभी कोई रिक्ति होती है, तो उसे समय-समय पर जारी सरकारी निदेशों के अनुसार भरने में पूरी सावधानी बरती जाती है।

दिनांक 31.3.2005 तक रिक्तियां तथा कंपनियों द्वारा की गई कार्रवाई निम्नवत् हैं-

आई.ओ.सी.एल.

वर्ग	रिक्तियां			
	कुल संख्या	अ.जा.	अ.ज.जा.	ओ.बी.सी.
क	972	0	2	30
ग	1158	6	0	0
घ	589	0	16	34

मई, 2005 में 77 अधिकारियों के कार्यभार ग्रहण करने के बाद जिसके लिए नियुक्ति प्रस्ताव अप्रैल, 2005 में जारी कर दिया गया है, से वर्ग "क" की रिक्तियों में पर्याप्त कमी आएगी। वर्ग ग में अनु. जाति की रिक्तियों को नियमित भर्ती प्रक्रिया के दौरान पूरा कर लिए जाने की संभावना है। कंपनियों की मांग के अनुसार, फिलहाल अनुकम्पा आधार पर रोजगार के मामले के अलावा, वर्ग घ में कोई भर्ती नहीं की जा रही है। जब कभी मांग होगी तो रिक्ति को पूरा करने के प्रयास किए जाएंगे।

बी.पी.सी.एल.

वर्ग	रिक्तियां			
	कुल संख्या	अ.जा.	अ.ज.जा.	ओ.बी.सी.
क	3701	7	10	48
ख	2636	0	1	299
ग	2978	0	16	288
घ	2714	0	11	396

वर्ग क में अनुसूचित जनजाति की रिक्तियों को भरने के लिए नवम्बर, 2004 में एक विशेष अभियान चलाया गया और उम्मीदवारों के जून, 2005 तक कार्यभार ग्रहण करने की संभावना है। अ.जा. श्रेणी के बैकलाग को पूरा करने की प्रक्रिया चल रही है।

जहां तक वर्ग ख, ग और घ का संबंध है, उनमें फ़िलहाल कोई रिक्ति नहीं है और जब कभी कोई रिक्ति होगी तो उसे भरने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

एच.पी.सी.एल.

अ.जा. तथा अ.ज.जा. श्रेणी में कोई कमी नहीं है। तथापि, ओ.बी.सी. श्रेणी में कमी है।

सितम्बर, 1993 के बाद से 27% ओ बी सी आरक्षण की शुरूआत होने के बाद से मुख्यत: बहुत सीमित भर्ती होने के कारण सभी कंपनियों में ओ बी सी श्रेणी में रिक्तियां मौजूद हैं। तथापि, जब कभी रिक्तियां होंगी, बैकलाग को पूरा करने में पूरी सावधानी बरती जाएगी।

[अनुवाद]

कतर के साथ द्विपक्षीय विमान सेवा संबंधी समझौता

7109. श्री बालासाहिब विखे पाटील: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और कतर ने अपने द्विपक्षीय विमान सेवा समझौते की समीक्षा की है; और

(ख) यदि हां, तो नए समझौते की विशेषताएं क्या हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) जी, हां। भारत और कतर के बीच जो हवाई सेवा करार 24 जून, 2002 में आरम्भ किया गया था उस पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर 14 अप्रैल, 2005 को किए गए हैं। भारत और कतर के बीच हुए करार में दोनों पक्षों को दोनों देशों के बीच हवाई सेवाएं प्रचालित करने के लिए एक से अधिक एयरलाइन अथवा एयरलाइनें नामित करने की अनुमति हैं। कतर वाले पक्ष को मुम्बई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, त्रिवेन्द्रम तथा हैदराबाद प्वाइंट्स आफ काल के रूप में दिए गए हैं। बदले में भारतीय पक्ष को पांचवें फ्रीडम राइट्स के साथ अधिक मध्यवर्ती एवं इससे आगे के प्वाइंट्स दिए गए हैं।

रेडियो स्टेशनों का पुन: नामकरण

7110. श्री दुष्यंत सिंह: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के सभी रेडियो स्टेशनों का पुन: नामकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आल इंडिया रेडियो स्टेशनों का पुन: नामकरण के क्या उद्देश्य हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) जी, नहीं। तथापि, एक परख उपाय के रूप में दिल्ली और राजस्थान में आकाशवाणी केन्द्रों के कुछ चैनलों का पुन: नामकरण कर दिया गया है।

(ख) और (ग) यह आवश्यक समझा गया था कि दिल्ली और राजस्थान में आकाशवाणी के कुछ केन्द्रों के विभिन्न चैनलों को विशिष्ट पहचान दी जाए, इन चैनलों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

1. आकाशवाणी, दिल्ली-ए, इंद्रप्रस्थ चैनल के रूप में
2. आकाशवाणी, दिल्ली-बी, राजधानी चैनल के रूप में
3. आकाशवाणी, दिल्ली के एफ.एम. चैनल, एफ.एम. रेनबो और एफ.एम. गोल्ड के रूप में
4. आकाशवाणी, जयपुर के प्राथमिक चैनल, आमेर चैनल के रूप में
5. आकाशवाणी, जयपुर के विविध भारती चैनल एफ.एम. रेडियो पिंक सिटी के रूप में
6. आकाशवाणी, जोधपुर के प्राथमिक चैनल, सूर्य नगरी चैनल के रूप में
7. आकाशवाणी,जोधपुर के विविध भारती चैनल, एफ.एम. सनसिटी चैनल के रूप में
8. आकाशवाणी, उदयपुर, लेकसिटी चैनल के रूप में
9. आकाशवाणी, सूरतगढ़, काटन सिटी चैनल के रूप में
10. आकाशवाणी, कोटा, चम्बल चैनल के रूप में
11. आकाशवाणी, सवाईमाधोपुर, रणथम्बोर चैनल के रूप में
12. आकाशवाणी, जैसलमेर, गोल्डन सिटी चैनल के रूप में
13. आकाशवाणी, चित्तौड़गढ़ मीरा चैनल के रूप में
14. आकाशवाणी, अलवर, सरिस्का चैनल के रूप में
15. आकाशवाणी, बांसवाड़ा, मही चैनल के रूप में
16. आकाशवाणी, नागौर, चिरमी चैनल के रूप में
17. आकाशवाणी, चुरू, शेखावती चैनल के रूप में
18. आकाशवाणी, बीकानेर, ढोला मारू चैनल के रूप में
19. आकाशवाणी, बाड़मेर, मलानी चैनल के रूप में
20. आकाशवाणी, झालावाड़, चन्द्रभाग चैनल के रूप में
21. आकाशवाणी, माउंट आबू, गुरू शेखर चैनल के रूप में

इंडियन एयरलाइन्स द्वारा विमानों को लीज पर लेना

7111. श्री सुरेश अंगड़ि: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स के पायलटों ने बोइंग 767 की ड्राई लीजिंग पर आपत्ति की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इंडियन एयरलाइन्स के पायलट बोइंग 767 के प्रचालन में सिद्धहस्त नहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन विमानों को उड़ाने का प्रशिक्षण देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां।

(ख) इंडियन कमर्शियल पायलट्स एसोसिएशन ने इंगित किया है कि बोइंग 767 पुरानी तकनीक वाला विमान है।

(ग) और (घ) इंडियन एयरलाइन्स ने, बोइंग 767 विमान को बेड़े में शामिल किए जाने की दशा में, अपने पायलटों को इस पर प्रशिक्षण दिलाने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों से प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं।

[हिन्दी]

आरपीएफ को अत्याधुनिक हथियार

7112. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने आगामी पांच वर्षों में रेलवे सुरक्षा बल के कार्मिकों को अत्याधुनिक हथियारों से सुसज्जित करने का निर्णय लिया है जैसा कि दिनांक 23 अप्रैल, 2005 के "हिन्दुस्तान" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य हेतु सरकार ने क्या कार्य योजना तैयार की है;

(ग) उक्त कार्य योजना पर अनुमानत: कितना खर्च होगा; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त कार्ययोजना पर चालू वर्ष के दौरान कितनी धनराशि खर्च की जायेगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां। पुराने और अप्रचलित हथियारों जैसे बोल्ट एक्शन राइफल, 410 "मुस्केट्स, 9 मिमी स्टेन गन्स, 455" रिवाल्वर को हटाकर, रेल सुरक्षा बल को अगले पांच वर्षों में आधुनिक और चुस्त हथियारों जैसे ए के-47 और 5.56 मिलीमीटर इंडियन स्माल आर्मस सिस्टम राईफल्स, कार्बाइंस 9 मिमी और 5.56 मिमी के हल्के मशीन गन (इंडियन स्माल आर्मस सिस्टम) से सुसज्जित करने का प्रस्ताव है।

(ख) वर्ष 2004-05 के दौरान, 3.58 करोड़ रु. के साज-सामानों सहित 5.56 मिमी के 1000 इंडियन स्माल आमर्स सिस्टम राईफल्स और 9 मिमी के 500 कार्बाइंस की खरीद की गई है और इनकी आपूर्ति की जा रही है। वर्ष 2005-06 के लिए 5.56 मिमी की 1000 अदद, राईफलों (इंडियन स्माल आर्मस सिस्टम) 5.56 मिमी की 62 अदद हल्की मशीन गनों (इंडियन स्माल आर्मस सिस्टम) और 9 मिमी कार्बाइंस के 53 अदद के मांग आदेश प्रस्तुत कर दिए गए है। 7000 अदद एके-47 तथा 5.56 मिमी (इंडियन स्लाम आर्मस सिस्टम) रायफलों के साथ-साथ 2000 कार्बाइंस अतिरिक्त रूप से शामिल किए जाने हैं। आगामी 5 वर्षों में अर्थात् 2009-2010 तक इन हथियारों को शामिल कर लिए जाने की संभावना है।

(ग) उक्त कार्य योजना पर अनुमानित खर्च लगभग 15.55 करोड़ रु. होगा।

(घ) उक्त कार्य योजना पर चालू वित्त वर्ष 2005-06 के दौरान सरकार द्वारा अनुमानत: 4.74 करोड़ रु. की निधि खर्च करने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

रियायती दरों पर रसोई गैस

7113. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार शैक्षणिक/सामाजिक संस्थानों और धार्मिक स्थलों को रसोई गैस रियायती दरों पर प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार को रियायती दरों पर रसोई गैस प्रदान करने से प्रत्येक वर्ष कितने राजस्व का घाटा उठाना पड़ता है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) जी, हां। इस समय सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओ एम सीज) घरेलू श्रेणी और स्कूलों और कालिजों, सरकारी अस्पतालों, अर्ध-सैनिक और रक्षा संस्थापनाओं, सहकारी समितियां अधिनियम के तहत प्रचालनरत कैंटीनों और अधिनियम के तहत पंजीकृत धर्मार्थ संस्थाओं जैसे ग्राहकों की कुछ गैर-घरेलू श्रेणियों को राजसहायता प्रदत्त एल पी जी की आपूर्ति कर रही हैं।

(ग) वर्ष 2004-05 के लिए राजसहायता प्रदत्त एल पी जी के संबंध में ओ एम सीज द्वारा वहन की गई कुल अनुमानित न्यून वसूलियां 8362 करोड़ रुपये की हैं।

रेल परियोजनाओं हेतु प्रदत्त और प्रयुक्त धनराशि

7114. श्री गिरिधर गमांग: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूर्व तटीय रेलवे जोन द्वारा वर्ष 2004-05 और 2005-06 के दौरान अलग-अलग परियोजनाओं के कार्यों में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) अब तक कितनी धनराशि प्रदान की गई है और कितनी प्रयुक्त की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) पूर्व तट रेलवे के अंतर्गत विभिन्न चालू नई लाइन, आमान परिवर्तन, दोहरीकरण परियोजनाओं के कार्यों को शुरू करने की अवधि से वर्ष 2005-06 के दौरान मुहैया कराए गए बजट परिव्यय और 31.5.2005 (अनंतिम) तक किए गए खर्च सहित 2004-05 के दौरान परियोजना-वार वित्तीय प्रगति निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	परियोजना का नाम	2004-05 के परिव्यय के संबंध में 2004-05 के दौरान वित्तीय प्रगति (%)	2005-06 के दौरान मुहैया कराया गया बजट परिव्यय (करोड़ रु. में)	31.3.2005 तक किया गया अनंतिम व्यय (करोड़ रु. में)
1.	दैतारी-बांसपानी (155 किमी)	91.89	128.61	461.99
2.	लांजीगढ़ रोड-जूनागढ़ (56 किमी)	34.25	8.00	21.19
3.	खुरदा रोड-बोलनगीर (289 किमी)	54.42	10.00	36.52
4.	हरिदासपुर-पारादीप (82 किमी)	90.16	20.00	29.52
5.	अंगुल-सुकिंदा रोड (98.7 किमी)	5.00	0.10	0.76
6.	तलचर-बिमलागढ़ (154 किमी)	0.00	5.00	0.00
	आमान परिवर्तन			
1.	नौपाड़ा-गुनपुर (90 किमी)	84.33	5.00	28.30
	दोहरीकरण			
1.	नेरगुंडी-कटक-रघुनाथपुर (43 किमी)	134.73	8.97	151.50
2.	महानदी और बिरूपा पर दूसरा पुल (3 किमी)	10.92	28.60	20.83
3.	लंजिगढ़-तितलागढ़ (47 किमी)	81.00	10.00	95.59
4.	रजतगढ़-बरंग (20 किमी)	10.66	30.00	1.60
5.	खुरदा रोड-पुरी (चरण-I) (15.3 किमी)	88.10	10.00	33.11
6.	संबलपुर-रेंगली (22.7 किमी)	19.40	10.70	4.34
7.	झारसुगुड़ा-रेंगली (25.6 किमी)	*	7.00	*
8.	कटक-बरंग (12 किमी)	33.65	30.00	6.73
9.	खुरदा रोड-बरंग तीसरी लाइन (35 किमी)	81.70	30.00	8.17

*झारसुगुड़ा-रेन्गाली के दोहरीकरण कार्य को बजट 2005-06 में शामिल कर दिया गया है।
वर्ष 2005-06 का बजट अभी-अभी संसद में पारित हुआ है। वर्ष 2005-06 के दौरान परियोजना-वार वित्तीय प्रगति की अभी जानकारी नहीं है।

सामुदायिक रसोई योजना

7115. **श्री बालासोवरी बल्लभनेनी:**
श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:
श्री मो. ताहिर:
श्री कैलाश मेघवाल:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार रसोई गैस के प्रयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से सामुदायिक रसोई योजना को आरम्भ करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन राज्यों में यह योजना लागू की जायेगी; और

(घ) इसे कब तक लागू कर दिया जायेगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (घ) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ एम सीज) ने ग्रामीण क्षेत्रों में एल पी जी कवरेज बढ़ाने तथा समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों द्वारा एल पी जी के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थानीय ग्रामीण समुदायों/पंचायतों की मदद से 22 राज्यों में पहले से ही सामुदायिक रसोई योजना शुरू की है। इस योजना को अस्पतालों, स्कूलों (दोपहर की भोजन योजना के लिए) तथा वन स्थानों में भी लागू किया जा रहा है। ओ एम सीज की देश में 1.40 लाख सामुदायिक रसोईघर स्थापित करने की योजना है। सामुदायिक रसोई घरों की स्थापना स्थानीय मांगों के अनुसार की जाती है। इसलिए, इनकी स्थापना के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

[हिन्दी]

पाकिस्तान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एयर जोन का उल्लंघन

7116. श्री रामदास आठवले: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तानी सैन्य विमानों द्वारा पाकिस्तान सीमा के आसपास के अंतर्राष्ट्रीय एयर जोन मानकों के उल्लंघन की घटनाओं में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो पाकिस्तान द्वारा इस वर्ष माह-वार इस प्रकार के उल्लंघन की कितनी घटनाएं हुई हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) इस वर्ष पाकिस्तानी सैन्य विमानों द्वारा भारतीय वायुक्षेत्र के उल्लंघन की कुल तीन घटनाएं सामने आई हैं। इस तरह की एक घटना जनवरी, 2005 में हुई थी जबकि शेष दो घटनाएं मार्च, 2005 में हुई थीं।

स्थिति के अनुसार अपेक्षित वायु सुरक्षोपाय किए जाते हैं। राजनयिक चैनलों के माध्यम से, संबंधित देश के साथ विरोध भी दर्ज कराए जाते हैं।

[अनुवाद]

साइन्स एंड टैक्नोलाजी प्रोजेक्ट आन मिशन मोड

7117. श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री तथागत सत्पथी:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय नि:शक्त व्यक्तियों के लाभार्थ उपकरण विकसित करने के लिए 'साइन्स एंड टेक्नोलाजी प्रोजेक्ट आन मिशन मोड' क्रियान्वित करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उद्देश्य क्या हैं;

(ग) इस परियोजना के अंतर्गत किस प्रकार की सहायता दी जाती है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में समुचित टिकाऊ उपकरण विकसित करने हेतु वैज्ञानिक संस्थाओं, स्वायत्त निकायों, अनुसंधान प्रयोगशालाओं तथा अनुसंधान एवं विकास इंजीनियरों को कितनी धनराशि प्रदान की गयी है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान इस परियोजना से कितने लोग लाभान्वित हुए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) और (ख) जी, हां, यह मंत्रालय विकलांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त और किफायती सहायक यंत्रों और उपकरणों तथा शिक्षा और कौशल विकास की पद्धतियों के विकास और उपयोग को समन्वित, वित्तपोषित करने तथा उनमें प्रौद्योगिकी का प्रत्यक्ष अनुप्रयोग करने हेतु 'मिशन मोड में विज्ञान और प्रौद्योगिकी परियोजना' कार्यान्वित करता है। इससे विकलांग व्यक्तियों के लिए रोजगार अवसर बढ़ सकेंगे और रहन-सहन तथा गतिशीलता संप्रेषण और मनोरंजन का स्तर सुधर सकेगा और समाज में उनकी भागीदारी बढ़ेगी।

(ग) और (घ) उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपर्युक्त अनुसंधान कार्य करने हेतु अनुसंधान और विकास संस्थानों, पब्लिक सेक्टर उपक्रमों, शैक्षिक निकायों तथा अन्य सरकारी वैज्ञानिक प्रतिष्ठानों और गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता दी जाती है। विगत तीन वर्षों तथा इस वर्ष वितरित निधियों का वर्षवार विवरण इस प्रकार है:

वर्ष	वितरित निधियां
2002-03	82.84 लाख रुपए
2003-04	99.26 लाख रुपए
2004-05	36.49 लाख रुपए

(ङ) इस योजना से प्रौद्योगिकी/नए प्रकार के सहायक यंत्रों और उपकरणों का विकास होता है जिसका प्रभाव अधिक गुणात्मक है।

पोर्टर सेवा

7118. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पोर्टर सेवाएं सभी स्टेशनों पर उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो पोर्टर्स की जोन-वार कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या पश्चिमी रेलवे में पोर्टर्स की संख्या बढ़ाने हेतु कोई कदम उठाए गए है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) भारतीय रेलों के सभी महत्वपूर्ण स्टेशनों पर लाइसेंसधारी कुली उपलब्ध होते हैं। लाइसेंसधारी कुलियों की जोनवार संख्या: - मध्य-2500, पूर्व-5397, पूर्व मध्य-3956, पूर्व तटीय-1457, उत्तर-6726, उत्तर मध्य-1833, पूर्वोत्तर-1274, पूर्वोत्तर सीमा-2688, उत्तर पश्चिम-999, दक्षिण-2431, दक्षिण मध्य-2458, दक्षिण पूर्व-1123, दक्षिण पूर्व मध्य-963, दक्षिण पश्चिम-550, पश्चिम-2431 तथा पश्चिम मध्य-894।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

चौकीदार वाले समपारों पर संचार प्रणाली

7119. श्री उदय सिंह: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे में चौकीदार वाले सभी समपारों के पास संचारण प्रणाली है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार चौकीदार वाले समपारों की संचार प्रणाली के उन्नयन में सहायता देने हेतु निजी और सरकारी क्षेत्र की कंपनियों को शामिल करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) जी नहीं। कुल 16607 चौकीदार वाले समपार फाटकों में से 15568 पर टेलीफोन की व्यवस्था कर दी गई है। शेष फाटकों, जहां संचार अपेक्षित है, पर कार्य प्रगति पर है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

तेल क्षेत्र में यमन के साथ सहयोग

7120. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और यमन के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे क्रियान्वित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) दिनांक 15 और 17 जनवरी, 2005 के बीच भारत-यमन की साना में हुई संयुक्त समिति बैठक के 5वें सत्र के दौरान द्वि-पक्षीय चर्चाएं की गईं। सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय तेल कंपनियों ने यमन में अन्वेषण और उत्पादन ब्लाकों; अदन रिफाइनरी के आधुनिकीकरण तथा प्रस्तावित हाइड्रोक्रैकर परियोजना, यमन से प्राकृतिक गैस के स्रोतीकरण; तथा यमन में एल.एन.जी. लिक्विफैक्शन संयंत्रों में रुचि दिखाई है। अन्य बातों के साथ हाइड्रोकार्बनों के सभी क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा के लिए संयुक्त तकनीकी समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया है।

स्ट्रेचर सुविधाएं

7121. डा. एम. जगन्नाथ: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 मार्च, 2005 के 'टाइम्स आफ इंडिया' में 'एयर पैसेन्जर आन स्ट्रेचर्स गेट ए रा डील' शीर्षक से छपे समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत में सरकारी विमान कम्पनियां स्ट्रेचर सुविधाएं वापस लेने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो स्ट्रेचर का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को क्या वैकल्पिक सुविधाएं प्रदान करने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) जी, हां। प्रैस सूचना में एक नए विनियम का

हवाला दिया गया है, जिसके अनुसार यूरोपीय देशों से प्रचालन करने वाली एयरलाइनों के लिए अपने यात्रियों को विलम्बित उड़ानों के लिए भारी प्रतिपूर्ति करना अनिवार्य है। चूंकि उड़ानें सामान्यत: स्ट्रैचर वाले मरीजों को सवार कराने के कारण विलम्बित हो जाती है, इसलिए ऐसी आशंका व्यक्त की गई है कि इस विलम्ब का परिणाम यूरोपीय देशों से प्रचालन कर रही एयरलाइनों द्वारा स्ट्रेचर सेवाएं वापस ले लिए जाने के रूप में हो सकता है।

(ग) एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स की अपने विमानों से स्ट्रेचर सुविधाओं को हटाने की कोई योजना नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण विकास में पंचायती निकायों की भूमिका

7122. **श्री ई. पोन्नुस्वामी:**
श्री बाडिगा रामकृष्णा:

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण विकास में पंचायती निकायों की भूमिका पर ध्यान देने के लिए एक समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ग्रामीण विकास योजनाओं के निचले स्तर पर क्रियान्वयन को सुदृढ़ बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच जागरूकता पैदा करने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) जी नहीं। तथापि, इस पर और संबंधित विषयों पर चर्चा करने के लिए, मंत्रियों का एक समूह बनाया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पंचायती राज मंत्रालय ने व्यय बजट 2004-05 के भाग-II में सूचीबद्ध लगभग 300 योजनाओं की सूची का परीक्षण किया है जिसकी व्याख्यात्मक टिप्पणियों में अन्य बातों के साथ-साथ, विभिन्न केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का अलग-अलग उल्लेख है। इन योजनाओं में से अधिकतर ग्यारहवीं अनुसूची में उल्लिखित 29 विषयों से संबंधित है। अधिकांश केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में संविधान के भाग IX की मूल भावना के अनुसार उनके कार्यान्वयन में पंचायतों की केन्द्रीय भूमिका स्वीकार करने की व्यापक गुंजाइश है ताकि उन्हें संविधान के अनुच्छेद 243छ के प्रावधानों के अनुसार इन योजनाओं के संदर्भ में ''स्वशासी संस्था'' के रूप में कार्य करने में अधिकार संपन्न बनाया जा सके। ये वही मामले हैं जो पंचायती राज मंत्रालय द्वारा आयोजित पंचायती राज संस्थाओं के सात गोलमेज सम्मेलनों के दौरान हुई आम सहमति के जरिए उभरकर सामने आए हैं।

प्रधानमंत्री ने पंचायती राज मंत्रालय के सुझाव का अनुमोदन किया है कि सभी मंत्रालय, जो केन्द्र प्रायोजित योजनाएं संचालित कर रहे हैं, को ग्यारहवीं अनुसूची के साथ पठित अनुच्छेद 243छ के मद्देनजर अपनी-अपनी योजनाओं की समीक्षा करनी चाहिए ताकि इन योजनाओं में इससे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को अक्षरश: एवं भावत: समावेशित किया जा सके। यह भी निर्णय लिया गया है कि केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रमों/योजनाओं, जिनका विकेन्द्रीकरण पर प्रभाव पड़ता है, से संबंधित सभी मामलों में पंचायती राज मंत्रालय से परामर्श किया जाना चाहिए और मंत्रिमण्डल/मंत्रिमंडल समितियों के विचार के लिए तैयार की गई टिप्पणियों में उनके विचारों को शामिल किया जाना चाहिए। तद्नुसार, मंत्रिमण्डल सचिवालय ने इस संबंध में 8 नवम्बर, 2004 को सभी मंत्रालयों को निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालयों से अपेक्षा की जाती है कि वे इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें।

(घ) पंचायती राज मंत्रालय, राज्यों को सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों और सरकारी कर्मियों को प्रभावपूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से प्रशिक्षण देने की चुनौती से निबटने में सहायता प्रदान करता है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का महत्वपूर्ण उद्देश्य निर्वाचित सदस्यों को केन्द्र और राज्य सरकारों की विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के ब्यौरे से अवगत कराना है। पंचायती राज के प्रभारी मंत्रियों के सातवें गोलमेज सम्मेलन में केन्द्र और राज्य सरकारों की ग्रामीण विकास योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने सहित प्रशिक्षण के सभी पहलुओं का विस्तारपूर्वक परीक्षण किया गया। सातवें गोलमेज सम्मेलन की सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

पंचायती राज के प्रभारी मंत्रियों का सातवां गोलमेज सम्मेलन
जयपुर, 17-19 दिसम्बर, 2004

सूचना प्रौद्योगिकी सहित ई-गर्वनेन्स

1. पंचायतों के लिए, सूचना प्रौद्योगिकी (सूचना प्रौद्योगिकी और संचार) की निवेश हेतु एक महत्वपूर्ण क्षमता के रूप में पहचान की गई है। जिससे वे प्रदान किये गये अपने संवैधानिक और विधायी कार्यों को बेहतर ढंग से पूरा कर सकें।

2. सूचना प्रौद्योगिकी की मुख्य रूप से आवश्यकता है-

(1) स्वयं पंचायतों के लिए निर्णय लेने के सहायक प्रणाली के रूप में,

(2) पारदर्शिता, नागरिक सामाजिक लेखा परीक्षा के लिए जानकारी उपलब्ध कराने के सहायक के रूप में,

(3) नागरिकों को सेवाओं की बेहतर उपलब्धता प्रदान करने के लिए एक साधन के रूप में,

(4) पंचायतों के आन्तरिक प्रबन्धन तथा कार्यक्षमता में सुधार के साधन के रूप में,

(5) पंचायतों के प्रतिनिधियों तथा अधिकारियों की क्षमता निर्माण के साधन के रूप में,

(6) ई-खरीद का एक माध्यम

इस परिप्रेक्ष्य में, गोलमेज सम्मेलन विशिष्ट रूप से निम्नलिखित कदम उठाने का प्रस्ताव करता है।

प्रक्रिया को पुनः प्रारम्भ करना

3. सभी राज्य, उनके द्वारा पहले ही की जा रही गतिविधियों सहित, पंचायतों को अन्तरित किये गये कार्यों के लिए, निर्णय लेने की प्रक्रिया, कार्यान्वयन, लोगों को जानकारी देनें, सेवाएं प्रदान करने तथा जानकारी प्रौद्योगिकी सुसज्जित वातावरण में पंचायत प्रतिनिधियों को सूचना के प्रसार आदि को ध्यान में रखते हुए, एक समयबद्ध प्रक्रिया को पुनः आरम्भ करेंगे।

4. इस प्रक्रिया में, विभिन्न राज्य सरकारों के विभागों तथा एजेन्सियों द्वारा उठाये गये हार्डवेयर तथा साफ्टवेयर संबंधी कार्यों की पुनरावृत्ति को रोका जायेगा।

5. संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों के संबंध में, पंचायतों के कार्यक्षेत्र पर विचार करते हुए स्थानीय स्तर पर उठाये गये सभी ई-गवर्नेन्स को समुचित पंचायती राज संस्थाओं के साथ मुख्य बिन्दु के रूप में अभिसारित किया जाए।

डाटा स्वामित्व

6. पुनः तैयार की गई ऐसी प्रक्रिया से यह सुनिश्चित करना सम्भव हो सकेगा कि पंचायत स्तर पर एकत्र किये गये आंकड़ों का स्वामित्व प्रथम दृष्टि में उसी स्तर पर रहें क्योंकि कोई भी प्रणाली तभी स्थाई रह सकती है जब आंकड़ों का इस्तेमाल करने वालों को यह महसूस हो कि प्रणाली में उपलब्ध आंकड़ों पर उसका स्वामित्व है।

7. आंकड़ों के स्वामित्व के साथ, पंचायतें, सूचना प्रौद्योगिकी सहित बहुसेवा केन्द्रों, जो पंचायतों के दायरें में आने वाले कार्यों सहित लोगों को सूचना प्रौद्योगिकी से सुसज्जित सेवाएं प्रदान करते हैं, को चलाने, आउटसोर्स करने अथवा स्थान प्रदान करने का कार्य भी कर सकती हैं।

8. केन्द्र में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू किये जाने वाले सामुदायिक सेवा केन्द्र, पंचायत कार्यालयों में स्थित हों ताकि पंचायतों की सेवाएं इन साझा सेवा केन्द्रों के माध्यम से प्रदान की जा सके।

प्रशिक्षण

9. सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर क्रमानुसार ढंग से स्टाफ और पंचायती राज सदस्यों को प्रशिक्षण देने के लिए एक व्यवस्थित अप्रोच होनी चाहिए।

10. 'एडुसेट' सहित इसरो के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सेटेलाइट सम्पर्कता द्वारा दिये गये अवसरों का उपयोग प्रशिक्षण देने के लिए किया जा सकता है।

11. प्रशिक्षण सामग्री तैयार करते समय, प्रयोक्ता-अनुकूल डिजाइन की दिशा में विचार किया जाये जिससे अशिक्षित और अर्द्धशिक्षित लोगों को प्रशिक्षण देने में सुविधा होगी।

साफ्टवेयर

12. राज्यों द्वारा समुचित कस्टमाईजेशन के लिए साझा साफ्टवेयर प्रयोग पैकेज का विकास करने को तरजीह दी जायेगी। इस संबंध में राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन.आई.सी.) जो सरकारी निकाय के रूप में देश के सभी जिलों में स्थित है और जिसने पहले ही पंचायतों के लिए काफी साफ्टवेयर विकसित किये हैं, पर प्रमुख साफ्टवेयर प्रदाता के रूप में विचार किया जा सकता है।

13. यह सिफारिश की जाती है कि एन.आई.सी. सभी स्तरों पर अपने-आप को मजबूत बनाये और पंचायत के

सभी स्तरों पर ई-गर्वनेन्स समाधान विकसित करने के लिए एक समयबद्ध प्रक्रिया के साथ पंचायत सूचना प्रभाग बनाकर समर्पित स्टाफ प्रदान करें। इसमें एन.आई.सी. के जिला सूचना कार्यालय को मजबूती प्रदान करना शामिल होगा ताकि जिला योजना समिति तथा पंचायतों को समर्थन दिया जा सके।

14. पंचायती राज मंत्रालय के लिए राष्ट्रीय सूचना केन्द्र द्वारा विकसित राष्ट्रीय पंचायत पोर्टल एक व्यापक सूचना केन्द्र बनेगा, जो पंचायतों, राज्य सरकारों तथा केन्द्र सरकार को सूचनाओं का आदान-प्रदान, अनुभवों तथा श्रेष्ठ परम्पराओं से आपस में जोड़ेगा। प्रथम कदम के रूप में, सभी राज्य सरकारें अपने वर्तमान पंचायत राज वेबसाइट और पोर्टल को राष्ट्रीय पंचायत पोर्टल के साथ तत्काल जोड़ें और उनकी सामग्री और राष्ट्रीय पंचायत पोर्टल को भेजें और सभी जिला, मध्यवर्ती तथा ग्राम पंचायतों को पोर्टल के साथ जोड़ने में सुविधा प्रदान की जा सकती है। संबंधित स्टेक होल्डर्स द्वारा इस सामग्री का नियमित रूप से अद्यतन किया जा सकता है।

15. विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा पहले से ही विकसित साफ्टवेयर समाधान का रखरखाव पंचायती राज मंत्रालय अथवा इसके द्वारा नामित संस्थान द्वारा किया जायेगा ताकि अन्य राज्यों द्वारा उसका इस्तेमाल किया जा सके।

16. साफ्टवेयर का विकास, भारतीय भाषाओं के इन्टरफेस सहित, मुख्य रूप से ओपन सोर्स साफ्टवेयर में किया जायेगा ताकि प्रतियां बनाने और लाइसेंसिंग की लागत को कम किया जा सके।

हार्डवेयर

17. राज्यों को हार्डवेयर के लिये सम्मिलित मानक बनाने की दिशा में विचार करना चाहिये और प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा पारदर्शी खरीद हेतु एक प्रणाली लानी चाहिये।

18. हार्डवेयर की प्राप्ति के लिए निधियां विभिन्न संसाधनों से इकट्ठी करनी चाहिये इसमें निम्नलिखित शामिल है-

    (1) बहुपक्षीय वित्त पोषित परियोजनाओं में उपलब्ध आधारभूत निधियां,

    (2) पंचायतों की अपनी आय,

    (3) डाटाबेस बनाने तथा रखरखाव करने के लिये वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित निधियां,

    (4) पंचायती राज मंत्रालय द्वारा बनाये तथा प्रबन्धन किये जाने वाले फण्ड से प्राप्त निधियां,

    (5) संसद सदस्य तथा विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधियां,

    (6) वार्षिक खरीद पर आधारित प्रणाली पर आधारित खरीद।

19. देश में बिजली की वर्तमान स्थिति को देखते हुए हार्डवेयर खरीदते समय कम्प्यूटर प्रणाली के लिए विश्वसनीय तथा बाधा रहित विद्युत आपूर्ति प्रणाली की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। पुनः इस्तेमाल किये जाने वाले ऊर्जा यंत्रों तथा वह प्रणाली जिसमें कम ऊर्जा खर्च हो, को लगाने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये।

आधारभूत सुविधायें तथा सम्पर्कता

20. सिफारिश की जाती है कि एन.आई.सी. सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई राज्य वाइड एरिया नेटवर्क निधियों के प्रयोग से सभी स्तरों पर पंचायतों को जोड़ने के लिए अपने संचार नेटवर्क निकनेट का और विस्तार करें।

21. राज्य सरकारें सभी पंचायतों को सम्पर्कता प्रदान करने के लिए सभी राज्यों में सेटेलाइट आधारित सम्पर्कता प्रदान करने के लिए इसरो से सम्पर्क कर सकती हैं, प्रारम्भिक आधारभूत लागत एक आधारभूत निधि द्वारा वहन करने पर विचार किया जा सकता है जिसका संचालन पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किया जा सकता है।

योजना का संचालन

22. पंचायतों को सूचना प्रौद्योगिकी की क्षमता प्रदान करने को, विद्युत, दूरसंचार तथा सड़कें जैसी आधारभूत राष्ट्रीय सुविधाएं प्रदान करने के समान ही महत्ता दी जायेगी।

23. भारत सरकार की राष्ट्रीय ई-गर्वनेंस कार्य योजना को ध्यान में रखते हुए, एन.आई.सी. तथा अन्य समाधान प्रदाताओं सहित, पंचायत संस्थानों का सूचना प्रौद्योगिकी स्वचालन से सुसज्जित करने के लिए मिशन मोड/ अधिकारिता समिति मोड बनाना।

क्षमता विकास एवं प्रशिक्षण

1. सभी पंचायती राज संस्था कार्मिकों और निर्वाचित प्रतिनिधियों तक संचार सुविधा पहुंचाना:

(1) ग्राम पंचायत सदस्य,

(2) मध्यवर्ती पंचायत सदस्य,

(3) जिला पंचायत सदस्य,

(4) राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लाक एवं ग्राम स्तर के सभी संबंधित अधिकारी; और

(5) सभी स्तरों पर स्थायी समिति के सदस्य।

2. मीडिया, राजनीतिक दलों, विधान सभाओं में प्रतिनिधि, नागरिक सामाजिक संगठन तथा नागरिकों को सुग्राही बनाने की दिशा में विशेष प्रयास किए जाएं।

3. ग्राम सभा सदस्यों को जुटाने के लिए विशेष अभियान।

4. महिलाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधियों और साथ ही पंचायती राज प्रणाली में पहली बार प्रवेश करने वालों को विशेष प्रशिक्षण।

5. पेसा क्षेत्रों के लिए प्रशिक्षण को इस तरह से डिजाइन किया जाए ताकि जनजातीय लोगों के सांस्कृतिक रीति रिवाज और विशेष आवश्यकताओं को उचित सम्मान दिया जा सके।

6. प्रशिक्षण एवं बातचीत को केवल एक बार की बात नहीं माना जाना चाहिए अपितु यह स्वाभिमान एवं आत्मविश्वास की भावना को बढ़ाने वाली एक निरन्तर और आगे बढ़ने वाली प्रक्रिया होनी चाहिए। प्रशिक्षण को पहले और बाद के चुनावों को कवर करना चाहिए। एक वर्ष के भीतर समयबद्ध तरीके से सभी प्रतिनिधियों को प्रारम्भिक प्रशिक्षण तथा जानकारी उपलब्ध कराना।

7. उन पंचायत सदस्यों के लिए जिन्हें इसकी आवश्यकता है उनके चुने जाने के तत्काल बाद एक कार्यात्मक साक्षरता प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाया जाना चाहिए।

8. पंचायतों को प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के प्रति स्वामित्व की भावना के रूप में बढ़ावा देना चाहिए और उन्हें प्रशिक्षण सामग्री और तंत्र को डिजाइन करने में मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। इस दिशा में प्रशिक्षण संस्थानों के शासी निकायों में पंचायत सदस्यों के लिए ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए जो उनकी आवश्यकताएं पूरी करते हों।

9. प्रशिक्षण की सामग्री में कार्यनीतिक एवं तकनीकी पहलू पर जोर और यह बहु-स्टेक होल्डर परामर्शदात्री कार्यशालाओं से प्राप्त निष्कर्षों पर आधारित होना चाहिए जो व्यवस्थित प्रशिक्षण आवश्यकताओं के विश्लेषण पर आधारित होना चाहिए जिससे प्रशिक्षण माड्यूल तथा सामग्री का डिजाइन तैयार करने में मदद मिलेगी।

10. एक न्यूनतम कोर पाठ्यचर्या होनी चाहिए जो सभी राज्यों में समान हो और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त हों। कोर पाठ्यक्रम में शामिल होने चाहिए:-

(1) ग्राम स्वराज के माध्यम से पूर्ण स्वराज का सपना

(2) भारत के संविधान से प्रोद्भूत धर्मनिरपेक्षता, समानता तथा मानव अधिकार के सिद्धान्त

(3) लिंग समानता एवं सामाजिक न्याय

(4) मानव विकास की स्थिति

(5) गरीबी उन्मूलन

(6) भागीदारी योजना, कार्यान्वयन एवं निगरानी

(7) सूचना एवं पारदर्शिता का अधिकार

(8) सामाजिक लेखा परीक्षा और

(9) पंचायती राज को कवर करने वाले नियम तथा विनियम

11. नौकरशाही के सभी स्तरों सहित पंचायती राज के माध्यम से शासन की प्रक्रिया में सभी प्रतिभागियों के बीच सामाजिक समानता तथा न्याय के मुद्दे को पूरी प्रशिक्षण प्रक्रिया में अवश्य लागू किया जाना चाहिए।

12. विषय-वार पाठ्यक्रम में निम्नलिखित शामिल होने चाहिए:

(1) मानव संसाधन प्रबन्ध

(2) प्राकृतिक संसाधन प्रबन्ध

(3) आपदा प्रबन्ध

(4) वित्तीय प्रबन्ध, स्वयं के संसाधन प्रबन्ध तथा लेखांकन सहित

(5) मूलभूत मानव आवश्यकताएं प्रदान करने में क्षेत्रीय एप्रोच

13. प्रशिक्षण कार्यनीति समावेशी और संवादपूर्ण और विभिन्न हस्तक्षेप का मिला जुला रूप होनी चाहिए:

(1) आमने-सामने का सहभागी प्रशिक्षण

(2) जानकारी पूर्ण दौरे

(3) सहकर्मियों का प्रशिक्षण/सहकर्मियों से सीखना

(4) उपग्रह प्रशिक्षण, और

(5) रेडियो/केसेट्स/फिल्मस

(6) संचार के परम्परागत साधन

(7) समाचार पत्रिका, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तरों का अद्यतन सार

(8) पंचायतों के लिए संसाधन केन्द्र तथा सहायता केन्द्र

14. प्रशिक्षण सामग्री एवं प्रक्रिया निर्वाचित प्रतिनिधियों के वास्तविक अनुभवों के अनुरूप होनी चाहिए। इसे फीडबैक एवं प्रभाव आकलन के आधार पर विकसित करना जारी रखना चाहिए। प्रशिक्षण एक दो तरफा प्रक्रिया बननी चाहिए ताकि फीडबैक से प्रशिक्षण की सामग्री और प्रक्रिया को सुधारने में मदद मिल सके, और साथ ही पंचायत और सरकारी कार्यप्रणाली में व्यवस्थित परिवर्तन लाए जा सकें।

15. राज्यों को प्रशिक्षण, नेटवर्क एवं समूह बनाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए ताकि अनुभवों को बांटने, एक दूसरे से सीखने और दूसरे की सामग्री तक पहुंच पाने में मदद मिल सके। राज्यों को राज्य, जिला एवं ब्लाक स्तर पर समुदाय आधारित संगठनों के साथ सहयोग को संस्थागत बनाना चाहिए।

16. प्रशिक्षण से निर्वाचित प्रतिनिधियों को परिसंघ/समूह बनाने तथा वास्तविक विकेन्द्रीकरण एवं विकास के लिए अपनी मांगों को उठाने में सुविधा प्रदान करके उन्हें प्रेरित करना चाहिए।

17. प्रशिक्षित सदस्यों को पंचायत प्रतिनिधियों को आगे प्रशिक्षण देने के लिए संसाधन व्यक्ति बनाने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। क्षेत्रीय और राष्ट्रीय समझौतों के माध्यम से राज्य के भीतर तथा बाहर दोनों जगह एक दूसरे से सीखने को प्रोत्साहन और समर्थन दिया जाना चाहिए।

18. प्रशिक्षण में अन्य पंचायतों में दौरे के माध्यम से श्रेष्ठ प्रथाओं की जानकारी को शामिल किया जाना चाहिए।

19. सभी मुक्त विश्वविद्यालय की इग्नू से समझौता कर सकते हैं और राज्य ग्रामीण विकास संस्थानों (एस.आई.आर.डी.) और प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास में लगी हुई राज्य समान संस्थाओं के साथ सम्पर्क बना सकते हैं।

20. प्रशिक्षण कार्यक्रमों को इग्नू जैसे संस्थाओं के माध्यम से पंचायतों के साथ काम कर रहे सचिवालय तथा तकनीकी स्टाफ के लिए विशेष रूप से तैयार किया जाना चाहिए। इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सीखने के निर्धारित मानकों को प्राप्त करने के औपचारिक प्रमाणन से जुड़े होने चाहिए।

21. लोकतंत्र में शिक्षा और पंचायतों की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के रूप में संवैधानिक भूमिका को स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए।

22. पंचायती राज मंत्रालय के माध्यम से कम से कम समय में पंचायत क्षमता निर्माण निधि बनाने की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की होगी जो इन उद्देश्य के लिए विशेष रूप से निर्धारित केन्द्रीय अंतरण के कुछ प्रतिशत को शामिल करेगी। इसी प्रकार राज्य सरकारों को भी भावधिक प्रशिक्षण के लिए पंचायत क्षमता निर्माण निधि बनानी चाहिए।

23. विशिष्ट उद्देश्यों, समय सीमा तथा संसाधनों सहित सभी पी.आर.आई. कार्मिकों के लिए विकेन्द्रीकृत प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण पर एक राष्ट्रीय योजना होनी चाहिए।

24. सभी तक सूचना की पहुंच सुनिश्चित करने के सहित राज्य शिक्षण एवं प्रशिक्षण तकनीकों के प्रयोग का लाभ उठा सकते हैं। पंचायती राज मंत्रालय प्रशिक्षण संसाधनों तथा कामनवेल्थ द्वारा विकसित मैन्युअलों सहित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भंडार तैयार कर सकता है। लिंग, गरीबी, जन संचार आदि के मुद्दों के प्रशिक्षण में मास्टर माड्यूल्स विकसित किए जा सकते हैं।

25. प्रशिक्षण के परिणामों का आकलन करने और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए सामने आने वाली आवश्यकताओं को सूचित करने के लिए स्वतंत्र रूप से प्रशिक्षण प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन समय-समय पर कराए जाने चाहिए।

26. राज्यों को एस.आई.आर.डी. तथा जिला ब्लाक तथा उनसे नीचे के स्तर पर विस्तार प्रशिक्षण केन्द्रों जैसे प्रशिक्षण केन्द्रों के उन्नयन की दिशा में कार्य करना चाहिए।

27. संघ राज्य क्षेत्रों के पंचायत सदस्यों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं के संबंध में गृह मंत्रालय एक एस.आई.आर.डी. अथवा संस्थानों के एक समूह की पहचान करेगा जो प्रशिक्षण शुरू कर सके।

[हिन्दी]

रेलवे गोदाम से कबाड़ की चोरी

7123. **श्री वाई.जी. महाजन:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे गोदामों की समुचित निगरानी के अभाव में काफी मात्रा में पुराने कबाड़ों की चोरी हो जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को रेलवे के भुसावल मंडल के अंतर्गत रेलवे गोदामों से कबाड़ की चोरी के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) भुसावल मंडल के रेलवे गोदाम से रेलवे रद्दी की कोई चोरी नहीं हुई है। बहरहाल, मार्च, 2005 में मध्य रेलवे के भुसावल मंडल पर वे साइड से 4,34,880 रु. मूल्य की रेलवे रद्दी की चोरी की दो घटनाओं की सूचना मिली थी। दोनों मामलों का पता लगा लिया गया और 8 बदमाशों की गिरफ्तारी सहित 1,09,420 रु. मूल्य की चोरी की हुई संपत्ति बरामद की गई और रेलवे संपत्ति (अवैध कब्जा) अधिनियम, 1966 के तहत मामले दर्ज किए गए हैं।

एन.सी.सी. इकाइयों की स्थापना

7124. **श्री राजेश पाठक:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश में सभी माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

स्टोर रूम का आबंटन

7125. **श्री बृजभूषण शरण सिंह:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम रेलवे की नीति रेलवे कैंटीन ठेकेदारों/स्टाल मालिकों/डाइनिंग कार आबंटियों को स्टोर रूम आबंटित करने की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मुंबई सेन्ट्रल (मेन लाइन) रेलवे स्टेशन पर ऐसे स्टोर रूम को किन ठेकेदारों को आबंटित किया गया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि मुंबई सेंट्रल (मेन लाइन) रेलवे स्टेशन पर कुछ ठेकेदारों/स्टाल मालिकों/डाइनिंग कार आबंटियों ने रेल अधिकारियों की मिलीभगत से स्टोर रूम पर अनधिकृत कब्जा कर रखा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) मुंबई सेंट्रल (मेन लाइन) रेलवे स्टेशन पर कितने मामलों में स्टोर रूम के साथ-साथ रसोईघर भी ठेकेदारों को आबंटित किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) 5 भंडार कक्ष आबंटित किए गए है।

(1) मैसर्स महेशचंद एंड कंपनी

(2) मैसर्स शाह कैटरर्स

(3) मैसर्स बून कैटरर्स

(4) मैसर्स बून कैटरर्स

(5) मैसर्स बून कैटरर्स

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) 5.2.1997 को मैसर्स बून कैटरर्स कंपनी को किचन की सुविधा वाला एक भंडार कक्ष आबंटित किया गया है।

पुराने वाष्पचालित इंजनों का प्रचालन

7126. डा. के. धनराजू: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने पुराने किस्म के वाष्पचालित इंजनों को चलाने हेतु आयल फायर्ड स्टीम इंजन के प्रौद्योगिकी हस्तांतरण संबंधी परियोजना का वित्तपोषण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह कितना किफायती होगा;

(ग) क्या यह डीजल और विद्युत चालित इंजनों की तुलना में लाभकारी होगा;

(घ) क्या पुराने वाष्पचालित इंजनों का कबाड़ के रूप में निपटान कर दिया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इन पुराने वाष्पचालित इंजनों का किस प्रकार से निपटान करने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं। डीजल और बिजली रेल इंजनों की तकनीक भाप रेल इंजनों की तुलना में बेहतर है और इनको चलाना भाप इंजनों से सस्ता पड़ता है।

(घ) जी हां। पूर्व में भाप इंजनों को डीजल तथा बिजली इंजनों में बदल दिए जाने के कारण, भाप इंजनों का स्क्रैप के रूप में निपटान कर दिया गया था। बहरहाल, कुछ भाप इंजन बच गए हैं।

(ङ) बचे हुए भाप इंजनों का स्क्रैप के रूप में निपटान नहीं किया जाएगा। इन्हें धरोहर के रूप में सुरक्षित रखा जाएगा।

बदरपुर और लुम्डिंग के बीच रेल सेवा

7127. श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बदरपुर और लुम्डिंग के बीच मीटर गेज रेल सेवा कथित भूस्खलन के कारण बार-बार निलंबित कर दी जाती है जिससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान रेल सेवा को कितने दिन निलंबित किया गया था जिससे यात्रियों को सड़क द्वारा यात्रा करने पर मजबूर होना पड़ा;

(ग) उन स्थानों के तिथिवार नाम क्या है, जहां उक्त अवधि के दौरान इस मार्ग पर भूस्खलन हुए थे; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान मलबे को हटाने पर कितनी धनराशि खर्च की गयी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) जी, हां। पिछले वित्त वर्ष के दौरान लमडिंग-बदरपुर (मीटर लाइन) खंड पर भूस्खलन के कारण 102 दिन के लिए गाड़ी सेवाएं बंद कर दी गई थी।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) मलबे को हटाने तथा यातायात चालू करने पर लगभग 9.4 करोड़ रु. खर्च किए गए थे।

विवरण

लमडिंग-बदरपुर (मीटर लाइन) खंड में वे स्थान तथा जिन तिथियों में पिछले वर्ष के दौरान भूस्खलन हुआ था, निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	स्थान	तिथि
1	2	3
1.	भंदारखल यार्ड	15 अप्रैल, 2004
2.	माहुर-फिडिंग	15 अप्रैल, 2004
3.	दमचेरा-चंद्रनाथपुर	16 अप्रैल, 2004
4.	भंदारखल-दमचेरा	17 अप्रैल, 2004
5.	भंदारखल-दमचेरा	2 मई, 2004
6.	मैलोंगडीसा-लोअर हैफलोंग	12 मई, 2004
7.	लोअर हैफलोंग-बागेतर	12 मई, 2004
8.	लोअर हैफलोंग-बागेतर	23 जून, 2004
9.	भंदारखल-दमचेरा	29 जून, 2004
10.	मैलोंगडीसा-हरंगाजाव	10 जुलाई, 2004
11.	कलाचंद-मुपा	18 जुलाई, 2004

1	2	3
12.	दौतुहाजा-फिडिंग	19 जुलाई, 2004
13.	फिडिंग-मैहुर	20 जुलाई, 2004
14.	कलाचंद मैबोंग	20 जुलाई, 2004
15.	दमचेरा-भंदारखल	5 सितंबर, 2004
16.	फिडिंग-दौतुहाजा	12 सितंबर, 2004
17.	दीहाको-मुपा	5 अक्तूबर, 2004

[हिन्दी]

मंगलौर रिफाइनरी एवं पेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड में कच्चे पानी की अनुपलब्धता

7128. श्री मित्रसेन यादव: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंगलौर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड की कुछ इकाइयां कच्चे पानी की अनुपलब्धता के कारण बंद हो गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन इकाइयों को पुनर्जीवित करने हेतु कच्चे पानी की व्यवस्था करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) नेत्रावती नदी से रिफाइनरी के लिए जल का अन्त:प्रवाह पूरी तरह से बंद हो जाने के कारण मैंगलोर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड (एम आर पी एल) की कुछ इकाईयां अप्रैल, 2005 में बंद कर दी गई थी। नदी से जल आपूर्ति में सुधार के साथ ही, इन इकाइयों को चरणों में शुरू किया गया था और 28 अप्रैल, 2005 से स्थिति सामान्य हो गई थी।

(ग) भविष्य में पानी की कमी को पूरा करने के लिए, एम आर पी एल निम्नलिखित विकल्पों पर कार्य कर रही है-

(1) रिफाइनरी के आस-पास मौजूद प्राकृतिक जल धाराओं में चैक बांधों का निर्माण।

(2) अन्य निकटवर्ती नदियों जैसे गुरूपुर तथा पावांजे पर बांधों का निर्माण।

(3) और नई प्रौद्योगिकियों को अपनाते हुए अपशिष्ट जल को पुन: चक्रण के आगे इष्टतमीकरण।

[अनुवाद]

पूर्व तटीय रेलवे का विद्युतीकरण

7129. श्री जुएल ओराम: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पूर्व तटीय रेलवे के विद्युतीकरण को पूरा करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ अब तक कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है; और

(घ) विद्युतीकरण कार्य को शीघ्र कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) पूर्व तट रेलवे के कुल मार्ग कि.मी. का 44% पहले ही विद्युतीकृत है। खड़गपुर-भुवनेश्वर और कटक-पारादीप खंड, जो पूर्व तट रेलवे में आते हैं, पर विद्युतीकरण कार्य प्रगति पर है। खड़गपुर-भुवनेश्वर खंड पर विद्युतीकरण कार्य दिसम्बर, 2005 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

(ग) और (घ) उक्त परियोजना के लिए वर्ष 2005-06 के दौरान 19.50 करोड़ रु. आवंटित किए गए हैं और कार्य की प्रगति पर नियमित रूप से निगरानी रखी जा रही है।

प्रकाशन विभाग के शाखा कार्यालयों की स्थापना

7130. श्री दुष्यंत सिंह: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में प्रकाशन विभाग की शाखाओं की संख्या कितनी है;

(ख) क्या शाखा कार्यालयों के कार्यकरण में सुधार करने हेतु कोई कदम उठाए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या प्रत्येक राज्य की राजधानी में प्रकाशन विभाग का शाखा कार्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) प्रकाशन विभाग का कोई शाखा कार्यालय नहीं है। तथापि, देश के विभिन्न भागों में इसके बिक्री केन्द्र और योजना कार्यालय हैं। उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

1. बिक्री केन्द्र, दिल्ली
2. बिक्री केन्द्र, पटना
3. बिक्री केन्द्र, लखनऊ
4. बिक्री केन्द्र, मुम्बई
5. बिक्री केन्द्र, चेन्नई
6. बिक्री केन्द्र, कोलकाता
7. बिक्री केन्द्र, हैदराबाद
8. बिक्री केन्द्र, बंगलौर
9. बिक्री केन्द्र, तिरूअनन्तपुरम
10. योजना (मराठी), मुंबई
11. योजना (बंगला), कोलकाता
12. योजना (तमिल), चेन्नई
14. योजना (गुजराती), अहमदाबाद
14. योजना (असमिया), गुवाहाटी
15. योजना (तेलुगू), हैदराबाद
16. योजना (कन्नड़), बंगलौर
17. योजना (मलयालम), तिरूअनन्तपुरम

[अनुवाद]

लक्सर से देहरादून तक रेल मार्ग का दोहरीकरण

7131. श्री राजेन्द्र कुमार: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लक्सर से देहरादून तक रेल मार्ग के दोहरीकरण से संबंधित प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के किस तिथि से आरंभ होने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) जी हां। लक्सर-हरिद्वार-देहरादून खंड के बीच लाइन के दोहरीकरण हेतु सर्वेक्षण को बजट 2005-06 में शामिल किया गया है। सर्वेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध हो जाने पर प्रस्ताव पर आगे विचार करना संभव हो पाएगा।

[अनुवाद]

रक्षा उपकरणों की खरीद

7132. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा सौदों में भ्रष्टाचार के चल रहे विवाद से आवश्यक रक्षा उपकरणों की समयानुसार खरीद पर प्रभाव पड़ेगा; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं कि हाल की घटनाओं से शस्त्रीकरण से संबंधित उपयुक्त समय पर किए जाने वाले निर्णय पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) सरकार के पास भ्रष्टाचार पर काबू पाने के लिए कारगर संस्थागत व्यवस्था है, जिसे केन्द्रीय सतर्कता आयोग, केन्द्रीय जांच ब्यूरो और रक्षा मंत्रालय के प्रमुख सतर्कता अधिकारी के माध्यम से लागू किया जाता है। अधिप्राप्ति की एक सुपरिभाषित प्रक्रिया है जिसमें जांच तथा नियंत्रण के उपाय अंतर्निहित हैं। सरकार को विश्वास है कि इस वर्ष रक्षा उपस्करों की अधिप्राप्ति करने के लिए निर्धारित बजट खर्च हो जाएगा।

अनुच्छेद 243 (भाग नौ) का क्रियान्वयन

7133. श्री गिरिधर गमांग: क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकारों ने संविधान के अनुच्छेद 243 (भाग नौ) "पंचायत" के प्रावधान का क्रियान्वयन किया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक अपनाए गए और क्रियान्वित किए गए अनिवार्य प्रावधानों और बाध्यकारी प्रावधानों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने अनुच्छेद 243 और ग्यारहवीं अनुसूची के प्रावधानों को पूरी तरह क्रियान्वित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) झारखण्ड और पांडिचेरी, जहां चुनाव होने बाकी हैं, को छोड़कर उन सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में, पंचायती राज प्रणाली कार्यान्वित की जा रही है जिन पर संविधान के अनुच्छेद 243 भाग IX के अनिवार्य प्रावधान लागू होते हैं। तथापि, भाग IX तथा भाग IX-क (जिला आयोजना समिति) के अनुच्छेद 243 जेड.डी. के अन्य प्रावधानों का कार्यान्वयन असमान रहा है।

(ग) और (घ) संविधान के अनुच्छेद 243 जी में प्रावधान है कि राज्य का विधानमण्डल, विधि द्वारा, पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार दे सकता है जो उन्हें स्व-शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो और ऐसे विधान में उपयुक्त स्तर पर पंचायतों को शक्तियों और उत्तरदायित्वों की सुपुर्दगी के लिए प्रावधान हो सकते हैं बशर्ते वे उसमें उल्लिखित ऐसी शर्तों के अधीन हों। ग्यारहवीं अनुसूची में 29 विषयों की सूची दी गई है जिनके संबंध में कार्य, कर्मी तथा वित्त राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को सुपुर्द किए जाएं। पंचायती राज संस्थाओं को शक्तियों और निधियों के अंतरण से संबंधित प्राधिकार राज्य सरकारों के पास हैं। वित्त, कार्य और कर्मियों की सुपुर्दगी दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है। उससे यह देखा जा सकता है कि पंचायती राज संस्थाएं कुछ राज्यों में काफी प्रभावी कार्य कर रही हैं तथा अन्य में धीरे-धीरे अधिक प्रभावी होती जा रही हैं। पंचायती राज मंत्रालय का कार्य अन्य बातों के साथ-साथ पंचायती राज संस्थाओं को कार्य, कर्मी तथा निधियां सुपुर्द करने के लिए कार्य योजना अपनाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने के माध्यम से राज्यों द्वारा संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम 1992 के अक्षरश: कार्यान्वयन को सरल बनाना तथा कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है। जिला आयोजना समितियों से संबंधित कुछ प्रावधान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किए जाने बाकी हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए जिला आयोजना समितियों के गठन से संबंधित स्थिति को दर्शाने वाला विवरण-II में दिया गया है। यद्यपि पंचायती राज संस्थाएं काम करने लगी हैं तथापि उन्हें मजबूत करने के लिए अभी काफी कुछ किया जाना बाकी है।

पंचायती राज मंत्रालय ने राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों के साथ सात गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए जिनमें लगभग 150 कार्यबिन्दुओं पर आम सहमति हुई जिनका संकलन तैयार किया गया है और उन्हें जयपुर में अंतिम गोलमेज सम्मेलन के समापन पर सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था। मंत्रालय ने संकलन में वर्णित कार्यबिन्दुओं के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए संबंधित प्राधिकारियों के साथ प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का दौरा करने की प्रक्रिया आरंभ की है। उम्मीद की जाती है कि इससे संविधान के भाग IX के अनुच्छेद 243 जेड.डी. के प्रावधानों को लागू करने में तेजी आएगी और सभी संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पंचायती राज के संवैधानिक प्रावधानों का अक्षरश: अनुपालन किया जा सकेगा। ऐसा पहला दौरा 29 अप्रैल, 2005 और 1 मई, 2005 के बीच कर्नाटक का किया गया। इस दौरे के दौरान कर्नाटक के मुख्य मंत्री तथा केंद्रीय पंचायती राज मंत्री द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित वक्तव्य संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

सात गोलमेज सम्मेलनों की सिफारिशों के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी के लिए पंचायती राज मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रियों की एक परिषद तथा केन्द्रीय सचिव (पंचायती राज) की अध्यक्षता में मुख्य सचिवों और पंचायती राज सचिवों की एक समिति बनाई गई है। मुख्य सचिवों और पंचायती राज सचिवों की समिति की पहली बैठक 11 अप्रैल, 2005 को हुई थी।

विवरण I

पंचायती राज संस्थाओं को निधियों, कार्यों और कर्मियों के साथ विभागों/विषयों की सुपुर्दगी की स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पंचायतों को अंतरित विभागों/विषयों की संख्या निम्न के साथ			टिप्पणी
		निधि	कार्य	कार्मिक	
1	2	3	4	5	6
1.	कर्नाटक	29	29	29	–
2.	केरल	26	26	26	

1	2	3	4	5	6
3.	सिक्किम	24	24	24	
4.	महाराष्ट्र	18	18	18	
5.	आंध्र प्रदेश	05	17	02	
6.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	हाल ही में चुनाव कराए गए। अभी निधियां, कार्य तथा कार्मिक सौंपे जाते हैं।
7.	असम	–	29	–	
8.	बिहार	8	25	केवल कार्यात्मक नियंत्रण	
9.	झारखंड	–	–	–	अब तक चुनाव नहीं हुए हैं।
10.	गोवा	6	6	–	
11.	गुजरात	15	15	15	
12.	हरियाणा	–	16	–	
13.	हिमाचल प्रदेश	02	26 विषय	11	
14.	मध्य प्रदेश	10	23	09	
15.	छत्तीसगढ़	10	29	09	
16.	मणिपुर	–	22	04	
17.	उड़ीसा	09	25	21	
18.	पंजाब	–	07	–	
19.	राजस्थान	18	29	18	
20.	तमिलनाडु	–	29	–	
21.	त्रिपुरा	–	12	–	
22.	उत्तर प्रदेश	04	12	06	
23.	उत्तरांचल	–	11	11	
24.	प. बंगाल	12	29	2	
25.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	06	06	06	
26.	चंडीगढ़	–	–	–	
27.	दादरा एवं नगर हवेली	–	03	03	
28.	दमन व दीव	05	09	03	
29.	रा.रा. क्षेत्र दिल्ली	पंचायती राज प्रणाली को अभी सुधारा जाना है।			
30.	पांडिचेरी	–	–	–	अब तक चुनाव नहीं हुए हैं।
31.	लक्षद्वीप	–	–	–	

संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रावधान जम्मू-कश्मीर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड राज्यों में लागू नहीं है।

विवरण II

जिला आयोजना समितियों की स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जिला आयोजना समितियों के गठन की स्थिति			
		कुल	गठित की गई	गठित नहीं की गई	शेष
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	22	0	22	22
2.	अरुणाचल प्रदेश	15	0	15	15
3.	असम	23	0	23	23
4.	बिहार	38	37	1	1
5.	छत्तीसगढ़	16	16	0	–
6.	गोवा	2	2	0	–
7.	गुजरात	25	25*	–	–
8.	हरियाणा	19	16	3	3
9.	हिमाचल प्रदेश	12	6	6	6
10.	कर्नाटक	27	27	0	–
11.	जम्मू-कश्मीर	[14]	0	14	14
12.	झारखंड	22	0	22	22
13.	केरल	14	14	0	–
14.	मध्य प्रदेश	45	45	0	–
15.	महाराष्ट्र	33	33*	–	–
16.	मणिपुर	9	2	7	2#
17.	मेघालय	[7]	0	7	–
18.	मिजोरम	[8]	0	8	–
19.	नागालैंड	[8]	0	8	–
20.	उड़ीसा	30	26	4	4
21.	पंजाब	17	0	17	17
22.	राजस्थान	32	32	0	–
23.	सिक्किम	1	1	0	–
24.	तमिलनाडु	28	28	0	–
25.	त्रिपुरा	4	–	4	4
26.	उत्तर प्रदेश	70	70	0	–
27.	उत्तरांचल	13	13	0	–
28.	प. बंगाल	19	19	0	–
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	2	2	0	–

1	2	3	4	5	6
30.	चंडीगढ़	1	0	1	1
31.	दादरा व नगर हवेली	1	1	0	–
32.	दमन व दीव	2	2	0	–
33.	लक्षद्वीप	1	1	0	–
34.	राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली	[9]	0	9	9
35.	पांडिचेरी	4	0	4	4
	कुल	593	420	173	92

*केवल 4 जिलों में पंचायती राज अधिनियम लागू है।

*जैसा कि 11.4.2005 को हुई बैठक में सचिव (पंचायती राज और ग्रामीण विकास) द्वारा बताया गया।

विवरण III

कर्नाटक में पंचायतों को सुर्पुदगी : प्रगति की ओर

29 अप्रैल और 1 मई, 2005 को पंचायती राज तथा पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री की कर्नाटक की यात्रा के पश्चात् पहुंचे निष्कर्षों पर संयुक्त वक्तव्य:

कर्नाटक ने दशकों से पंचायतों को अधिकार देने और उन्हें शक्तियां सौंपने का उल्लेखनीय कार्य किया है। पंचायतें संविधान के भाग IX की भावना के अनुरूप शामिल स्व-शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य कर सकें, उसको दृष्टि में रखते हुए पंचायतों के सभी तीनों स्तरों को अधिकार देने में राज्य अग्रणी रही है। कर्नाटक राज्य के हाल के उपाय पंचायती राज सुधारों के प्रति उनके ठोस समर्थन का साक्ष्य हैं। अक्तूबर, 2003 में कर्नाटक पंचायत राज अधिनियम में किए गए संशोधन और ग्राम सभा को मजबूत करने, वार्ड सभाएं बनाने और उन्हें अधिकार देने, कार्यक्रम रूपरेखा को पूरा करने और पंचायतों को सौंपी गई योजनाओं को तर्कसंगत बनाने और सरल करने के लिए बाद में उठाए गए कदम देश भर के लिए अनुकरणीय हैं। विधानमण्डल समितियों द्वारा हस्तांतरण के क्रियान्वयन पर निगरानी रखना राज्य में पंचायतों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। चालू वर्ष के बजट में राज्य सरकार द्वारा पंचायतों को योजनाएं सौंपना निधियों के साथ सदृश कार्यों का हस्तांतरण प्रगति की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। इस प्रक्रिया के माध्यम से अब पंचायतें प्रति वर्ष 3300 करोड़ रु. से अधिक की योजनागत राशि का प्रबंध करती हैं। तथापि, पंचायतों के प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध निधियों की मात्रा में पर्याप्त वृद्धि किए जाने और इन निधियों के एक बड़े भाग को शर्तों से मुक्त करने की आवश्यकता है।

शक्तियों के हस्तांतरण और जिम्मेदारियों को राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों के सात गोलमेज सम्मेलनों के माध्यम से एक नया राष्ट्रीय संवेग प्रदान किया गया है जिसके बारे में पंचायती राज के 18 विषयों से संबंधित 150 सिफारिशों के बारे में मतैक्य हुआ था। कर्नाटक ने अपने से संबंधित गोलमेज सम्मेलनों की 106 सिफारिशों में से 77 सिफारिशों का कार्यान्वयन शुरू किया है। कर्नाटक सरकार स्वयं शेष सभी सिफारिशों पर पूरी गति से चर्चा करेगी।

* सुधार की गति को बनाए रखने में कर्नाटक के समक्ष जो चुनौतियां हैं उनके लिए केन्द्र सरकार की कारगर सहायता और घनिष्ठ समन्वय की आवश्यकता होगी। इस प्रयास में कर्नाटक की राज्य सरकार और संघ के पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित मुद्दों को प्राथमिकता देने पर सहमति हुए हैं।

* कर्नाटक ने कनानून बना कर पंचायतों को संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में कुल 29 मामले सौंपे हैं। इस क्रियात्मक हस्तांतरण को अगस्त 2003 में जारी क्रियाकलाप रूपरेखा फ्रेमवर्क के माध्यम से और स्पष्ट किया गया है। इसके पश्चात् 2005-06 के बजट में संबंधित स्तरों पर पंचायतों को सौंपे गए क्रियाकलापों से संबंधित सभी योजनाएं सौंपी गई हैं। संविधान के अनुच्छेद 243 छ की भावना के अनुरूप कर्नाटक सरकार स्वयं के प्रति उपयुक्त मात्रा में कर्मियों के हस्तांतरण के साथ कार्य और निधियों का हस्तांतरण करने के लिए प्रतिबद्ध है।

* पंचायतों को जो कार्य सौंपे गए हैं उन्हें प्रभावी रूप से बनाने और क्रियान्वित करने के लिए इन योजनाओं से संबधित निधियां उन्हें बिना किसी देरी अथवा अन्यत्र उपयोग के बिना हस्तांतरित की जाएं। कर्नाटक ने पहले से ही ग्राम पंचायतों को निधियों के हस्तांतरण के लिए बैंक हस्तांतरण तंत्र व्यवस्था लागू करके एक रास्ता दिखा दिया है। इस सुधार प्रक्रिया के क्रम में वह ऐसी प्रणालियां लागू करने पर सहमत है जो पंचायतों को निधियों के हस्तांतरण का पता लगा सकती हो।

* कर्नाटक सरकार केवल पंचायती राज संस्थाओं के लिए ही अलग से प्रशासनिक और तकनीकी स्टाफ का एक संवर्ग बनाने पर विचार करेगी।

* कर्नाटक ने हाल ही में ग्राम पंचायतों के चुनाव करवाए हैं और शीघ्र ही तालुक और जिला पंचायतों के चुनवा करवाए जाने हैं। नए निर्वाचन प्रतिनिधियों ने कार्यभार संभाल लिया है। पंचायती राज मंत्रालय कर्नाटक राज्य की क्षमता निर्माण में और इन प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित करने में सहायता करेगा।

* ऐसे वर्गों, जिनके लिए सीटें आरक्षित हैं, की क्षमता और नेतृत्व के निर्माण के आशय से कर्नाटक आरक्षण चक्र को अनुग्रहपूर्वक धीमा करने पर विचार करेगा ताकि आरक्षित सीटों के लिए एक से अधिक कार्यावधि के लिए सीटों को आरक्षित रखने का विकल्प खुला रहे परन्तु उस बात का निर्णय राज्य का कानून करेगा कि सीटों के आरक्षित रहने की कार्यावधि की संख्या कितनी है।

* संघ का पंचायती राज मंत्रालय शर्तमुक्त ब्लॉक अनुदानों के माध्यम से और केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के प्रणालीबद्ध सुधार के माध्यम से केन्द्रीय निधियों के हस्तांतरण का अनुपालन करेगा जिसमें भाग IXक के संगत अनुच्छेदों के साथ पठित भाग IX में यथानिर्धारित जिला और उपजिला स्तरों पर अच्छे शासन के लिए संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप इन्हें करने के लिए पंचायत अधिकारिता प्रोत्साहन कोष की स्थापना शामिल है।

पानी के अन्दर खोज

7134. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2004-05 के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने पानी के अन्दर खोज सहित, यदि कोई हो, उत्खनन और खोज हेतु किसी स्थल पर कार्य आरंभ किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने उत्खनन और खोज हेतु देश में अन्य स्थलों की पहचान की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 2004-2005 के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा अधोजल अन्वेषण सहित की गई खुदाईयों तथा अन्वेषणों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) अन्वेषण तथा उत्खनन के लिए पुरातत्वीय स्थलों की पहचान किया जाना एक सतत प्रक्रिया है तथा पहचाने गए स्थलों पर अन्वेषण तथा उत्खनन का कार्य शुरू करने की अनुमति के लिए प्रस्तावों की संवीक्षा केन्द्रीय पुरातत्वीय सलाहकार बोर्ड की स्थायी समिति द्वारा की जाती है।

विवरण

वर्ष 2004-05 के फील्ड सत्र के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किए गए अन्वेषण तथा उत्खनन कार्य

क्र.सं.	स्थल का नाम	जिला	राज्य
1	2	3	4
	उत्खनन कार्य		
1.	तुगलका बाद किला	दक्षिण दिल्ली	रा.रा. क्षेत्र दिल्ली
2.	सैंट अगॉस्टीन परिसर	प्राचीन गोवा	गोवा
3.	धोलावीटा	कच्छ	गुजरात
4.	जूनी कुरान	कच्छ	गुजरात
5.	भिर्राणा	फतेहबाद	हरियाणा
6.	हांसी	हिसार	हरियाणा
7.	बवूर (थलोरा) मनवल	ऊधमपुर	जम्मू-कश्मीर
8.	सरिदकेल	रांची	झारखंड
9.	पट्टडकल	बगलकोट	कर्नाटक
10.	चित्रित शैलाश्रय, भीमबैठका	रायसेन	मध्य प्रदेश
11.	दौलताबादा किला	औरंगाबाद	महाराष्ट्र
12.	बरोड़	गंगा नगर	राजस्थान

1	2	3	4
13.	आदिचचनालूर	टूटीकोरिन	तमिलनाडु
14.	फतेहपुर सीकरी	आगरा	उत्तर प्रदेश
15.	प्राचीन गौड़ की बाईस गजी दीवार, मौजा पश्चिम नजीर	मालदा	पश्चिम बंगाल
	अन्वेषण		
16.	सत्तारी ताल्लुक तथा साथ लगे क्षेत्र में अन्वेषण	उत्तरी गोवा	गोवा
17.	प्राचीन गोवा के शहर के भीतर अन्वेषण	उत्तरी गोवा	गोवा
18.	भावनगर के दक्षिण क्षेत्र में अन्वेषण	भावनगर	गुजरात
19.	जिला हजारी बाग में अन्वेषण	रांची, सिंहभूम	झारखंड
20.	देवनहल्ली के निकट बंगलौर ग्रामीण क्षेत्र में अन्वेषण	बंगलौर	कर्नाटक
21.	पलक्कड़ में अन्वेषण	पलक्कड	केरल
22.	अहमदनगर में अन्वेषण	अहमदनगर	महाराष्ट्र
	अधोजल अन्वेषण/उत्खनन		
23.	महाबलीपुरम्	कांचीपुरम	तमिलनाडु

गोवा में उत्खनन कार्य

7135. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने गोवा में कोई उत्खनन कार्य किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान गोवा में उत्खनन कार्य पर कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(घ) क्या किसी ऐतिहासिक स्मारक के किसी महत्वपूर्ण साक्ष्य का पता चला है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने वर्ष 1999-2000 से 2002-03 के सत्र के दौरान चंदौर, ताल्लुक सालसेट्टे में उत्खनन कार्य किया है। उत्खनन से ईंट के एक मंदिर की योजना तथा एक लंबी आहाता दीवार का पता चला है। इसके अतिरिक्त, चौकोर चबूतरे तथा एक मजबूत कुर्सी क्षेत्र जो लगभग 11वीं शताब्दी ई. का है, का भी पता चला है। उपर्युक्त के साथ-साथ 17वीं शताब्दी के आगस्टाइन परिसर तथा सैंट पाल कालेज स्थल के भीतर वैज्ञानिक सफाई भी की गई है।

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान गोवा में उत्खनन तथा वैज्ञानिक सफाई पर व्यय की गई धनराशि इस प्रकार है:

वर्ष	व्यय
2002-03	6,79,842
2003-04	2,73,229
2004-05	5,99,041

(घ) और (ङ) सैंट आगस्टाइन परिसर के भीतर वैज्ञानिक सफाई के समय एक चैप्टर चैपल का पता चला है, जहां ऐसा माना जाता है कि जार्जिया की एक संरक्षक संत रानी केटेवन के अवशेषों को दफनाया गया था।

घायल/अपंग सैनिकों हेतु कल्याणकारी योजना

7136. श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री तथागत सत्पथी:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने घायल/अपंग सैनिकों की सहायता हेतु कारपोरेट जगत के साथ कोई साझेदारी की है;

(ख) यदि हां, तो घायल/अपंग सैनिकों के कल्याण हेतु तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार घायल/अपंग सैनिकों की सहायता हेतु एक फाउंडेशन स्थापित करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) और (ख) घायल/अशक्त सैनिकों के पुनर्वास के लिए कारपोरेट क्षेत्र और सरकार के बीच कोई औपचारिक समझौता नहीं है। तथापि, सशस्त्र सेनाओं की एडजुटेंट जनरल शाखा 15 सेना कल्याण निधियों का प्रबंधन और समन्वय कर रहा है जिन्हें विभिन्न कारपोरेट घरानों द्वारा आपरेशन विजय कारगिल के दौरान इसके बाद दान में दिया गया था।

(ग) और (घ) सेवा के दौरान घायल/अशक्त हो गए सिपाहियों की देखरेख करने के लिए सशस्त्र बलों के पास पहले से ही सुस्थापित योजनाएं हैं। सेवानिवृत्ति के बाद भूतपूर्व सैनिक विभिन्न प्रकार के लाभों एवं रियायतों के हकदार हैं जैसे अशक्तता पेंशन, युद्ध में चोटग्रस्त होने पर दी जाने वाली पेंशन, परिवार पेंशन, भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना, शैक्षिक रियायतें, व्यावसायिक कालेजों में दाखिले के लिए प्राथमिकता, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, सैनिक तथा सैन्य स्कूलों में सीटों में आरक्षण, रेल/हवाई यात्रा रियायत, कैंटीन स्टोर की सुविधाएं, प्राथमिकता के आधार पर टेलीफोन सुविधाएं, सशस्त्र बलों के झंडा दिवस निधि से वित्तीय सहायता, आदि। राज्य/संघ शासित प्रदेशों की सरकारों के पास भी घायल/अशक्त सैनिकों के साथ-साथ भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास और कल्याण के लिए कई योजनाएं हैं।

चेन्नई-इग्मोर में रेल परियोजनाएं

7137. डा. के. धनराजू: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि चेन्नई-इग्मोर-चेन्नई सैंट्रल लिंक और वी एम-के पी डी खंड के वी एम-वी के एम-एम जी खंड को कार्ड लाइन के एल सी संख्या 13 पर स्थानांतरित करने जैसी कई परियोजनाएं लंबे समय से मंजूरी-प्राप्त करने हेतु लंबित पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और लंबित होने के क्या कारण है; और

(ग) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को मंजूरी देने हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) चेन्नई बीच-तांबरम-चेंगलपट्टु खंड की उपनगरीय आमान परिवर्तन परियोजना के लिए सामग्री आशोधन के रूप में 90.44 करोड़ रु. (लगभग) की लागत पर चेन्नई एग्मोर-चेन्नई सेंट्रल रेल लिंक परियोजना स्वीकृत की गई है। वी एम-के आर डी खंड के वी एम-वी के एम-एम जी खंड को कोर्डलाइन पर समपार सं. 13 पर शिफ्ट करने के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि यह प्रस्ताव बिना किसी शिफ्टिंग के वी एम के वी डी के उसी संरेखण पर सीधे आमान परिवर्तन के बारे में ही है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स की परियोजनाएं

7138. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ने भारतीय रेल हेतु बेहतर और सुरक्षित इंजन बेडों का विकास करने हेतु तीन महत्वपूर्ण परियोजनाओं की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स द्वारा निर्मित इंजनों की संख्या कितनी है और वर्ष 2005-06 हेतु कितने इंजनों का निर्माण करने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां।

(ख) चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना द्वारा पहचान की गई तथा विधिवत कार्य कर रही 3 परियोजनाएं निम्नानुसार हैं:-

1. *इंसुलेटिड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर अभियान के लिए अंतरण-* इस परियोजना का उद्देश्य मौजूदा गेट टर्न आफ थाइरिस्टर्स से इंसुलेटिड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर तत्वों में भारी परिवर्तन करना है। यह इंसुलेटिड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर के गेट टर्न आफ के पूर्व दृष्टि अप्रचलन को देखते हुए आवश्यक है।

2. *स्टैंडर्ड वाहन नियंत्रण हार्डवेयर के लिए अंतरण-* इस परियोजना का उद्देश्य स्वाम्य वाहन से अंतरण है, जिनका उपयोग इस समय अंतर्राष्ट्रीय इलैक्ट्रो टैक्निकल कमीशन-61375 स्टेंडराइज्ड गाड़ी नियंत्रण नेटवर्क के लिए 3 फेज वाले बिजली इंजनों में किया जाता है।

परियोजना में कर्षण उपयोग के लिए उपयुक्त इंडस्ट्रीयली स्टेंडराइज्ड हार्डवेयर शामिल है।

3. *आई ई सी-61131 स्टेंडराइज्ड प्रोग्रामिंग प्लेटफार्म के लिए अंतरण-* इस परियोजना में मौजूदा 3 फेज बिजली इंजनों के पोर्ट वाहन साफ्टवेयर शामिल हैं जो आई ई सी-61131 स्टेंडर्ड के अनुरूप प्लेटफार्म के लिए स्वाम्य साफ्टवेयर प्लेटफार्म पर आधारित है।

(ग) पिछले 3 वर्षों के दौरान चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना द्वारा निर्माण किए गए इंजनों की संख्या:

वर्ष	रेल इंजन
2002-03	69
2003-04	86
2004-05	90
2005-06	128 प्रस्तावित

मंडलों का सृजन

7139. श्री गिरिधर गमांग: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नवसृजित पूर्व तटीय रेल जोन में कुछ और रेल मंडलों का सृजन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कर्मचारियों की भर्ती

7140. श्री एस.के. खारवेनथन:
श्री चंद्रकांत खैरे:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान इंडियन एयरलाइन्स और एअर इंडिया की उड़ानों की संख्या में कितनी वृद्धि की गई और आगामी तीन वर्षों के दौरान इनमें कितनी वृद्धि किए जाने का अनुमान है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान दोनों विमान कंपनियों द्वारा अर्जित राजस्व विमान कंपनी-वार कितना है;

(ग) क्या कार्य की मात्रा में हुई वृद्धि की तुलना में तकनीकी और गैर-तकनीकी कर्मचारियों की कमी है;

(घ) क्या इंडियन एयरलाइन्स और एअर इंडिया ने अपनी कार्य की मात्रा की आवश्यकता के अनुसार कर्मचारियों की भर्ती करने हेतु कोई कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स (एलाइंस एअर सहित) द्वारा प्रचालित की गई उड़ानों की संख्या निम्नानुसार है:

वर्ष	एअर इंडिया	इंडियन एयरलाइन्स
2002-03	258	284
2003-04	301	308
2004-05	326	322

अगले तीन वर्षों के दौरान, दोनों एयरलाइनों की नए गन्तव्यों के लिए उड़ानें आरम्भ करने के साथ-साथ मौजूदा आवृत्तियों में वृद्धि करने की योजनाएं हैं। तथापि, इस स्थिति में कोई निश्चित संख्या इंगित नहीं की जा सकती।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स (एलाइंस एअर सहित) द्वारा अर्जित राजस्व निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	एअर इंडिया	इंडियन एयरलाइन्स
2002-03	5689.88	4687.94
2003-04	6322.07	5379.75
2004-05 (अनन्तिम)	3470.76 (सितम्बर, 2004 तक)	5916.13

(ग) से (ङ) चूंकि विश्वव्यापी मानकों की तुलना में एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स में विमान जन-शक्ति अनुपात विपरीत है, इसलिए दोनों एयरलाइनें गैर-सरकारी श्रेणियों में भर्ती

को टाल रही है। जहां तक तकनीकी श्रेणी का संबंध है, एअर इंडिया तथा इंडिया एयरलाइन्स में भर्ती का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(1) एअर इंडिया ने पिछले ढाई वर्षों में 190 पायलटों, 130 स्नातक इंजीनियर प्रशिक्षुओं, 812 प्रशिक्षु केबिन क्रू तथा 300 प्रशिक्षु सेवा इंजीनियरों की भर्ती की है। उप प्रबंधक-वित्त के 23 पदों के लिए चयन किया गया है तथा नियुक्ति-पूर्व की औपचारिकताएं चल रही है।

(2) जहां तक इंडियन एयरलाइन्स का संबंध है, पायलटों के 167 पदों, केबिन क्रू/प्रशिक्षु केबिन क्रू के 403 पदों तथा अधिकारियों के 64 पदों को भरने के लिए भर्ती की कार्रवाई की जा रही है। एलाइंस एयर में कैप्टनों/सह-पायलटों की भर्ती का कार्य भी चल रहा है।

निजी एफ.एम. रेडियो संबंधी नीतिगत पैकेज

7141. श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री रायापति सांबासिवा राव:
श्री तथागत सत्पथी:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निजी एफ.एम. रेडियो संबंधी नीतिगत पैकेज को विभिन्न मंत्रालयों के पास उनके विचार प्राप्त करने हेतु भेजा है;

(ख) यदि हां, तो इस पर विभिन्न मंत्रालयों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस मामले में आगे क्या कार्रवाई की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (ग) निजी एफ.एम. रेडियो प्रसारण के चरण-II हेतु नीति अन्तर-मंत्रालयीय परामर्शों के जरिए विचाराधीन है और अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

नए टी.वी. केन्द्र/टी.वी. स्टेशन

7142. डा. के. धनराजू:
श्री फुरकान अंसारी:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार प्रसारण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए देश में नए टी.वी. केन्द्र/टी.वी. स्टेशनों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन्हें किन-किन स्थानों में स्थापित किया जाएगा; और

(ग) इनके कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस समय देश के विभिन्न भागों (स्थान संलग्न विवरण में दिए गए हैं) में पांच नए टी वी स्टूडियो केंद्र और 29 ट्रांसमीटर कार्यान्वयनाधीन हैं। ये परियोजनाएं कार्यान्वयन की विभिन्न स्थितियों में हैं और 10वीं योजनावधि के अंत तक इनको चरणों में पूरा कर लिए जाने की आशा है।

विवरण

कार्यान्वयनाधीन नए टी वी स्टूडियो केन्द्र/ट्रांसमीटर

I.	**टी वी स्टूडियो केन्द्र**	
	पटियाला*	
	कालीकाट*	
	मदुरै*	
	कोयम्बटूर*	
	राजौरी*	
II.	**टी वी ट्रांसमीटर**	
उ.श.ट्रां.		
	भटिण्डा (डी डी न्यूज)	
	बीकानेर	
	बिलासपुर	
	छत्तरपुर	
	धर्मशाला	
	धर्मपुरी	
	हिसार	
	हिसार (डी डी न्यूज)	
	करनाल	
	कुर्सियांग (डी डी न्यूज)	
	राधनपुर	

सागर

सहरसा

तिरूनेलवेली

वड़ोदरा

वड़ोदरा (डी डी न्यूज)

श्रीनगर (डी डी न्यूज-उन्नयन)

श्रीनगर (कशीर चैनल-उन्नयन)

अ.श.ट्रां.

अम्बासा

सत्रसाल*

बहाल्दा*

खजुवाला*

कैथल*

फतेहाबाद*

पुंगानुर*

कोल्हापुर (आंध्र प्रदेश)

मुधोल*

सिंधनुर*

अ.अ.श.ट्रां.

देवभोग

*अधिष्ठापन कार्य पूरा कर लिया गया और तकनीकी रूप से तैयार।

विमानों की खरीद

7143. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 27 अप्रैल, 2005 के दि टाइम्स आफ इंडिया में "ए-आई सेटल्स फार बोइंग, एयरबस-क्राइम फाऊल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार बोली की शर्तों को बीच में बदलने के बारे में एयर बस कंपनी द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां।

(ख) एअर इंडिया द्वारा खरीद के लिए बोइंग विमानों के चयन के संबंध में एयरबस द्वारा लगाए गए आरोप, जिनका उल्लेख रिपोर्ट समाचार में किया गया है, निराधार हैं और तथ्यों पर आधारित नहीं हैं। एअर इंडिया ने विमानों के मूल्यांकन में निर्धारित प्रक्रियाओं का अनुसरण किया है। विनिर्माताओं को एअर इंडिया की विमान संबंधी आवश्यकताओं के बारे में सूचित करते हुए एक प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आर एफ पी) जारी किया गया था। यह मूल्यांकन आर एफ पी के दायरे में किया गया था और इससे असंगत कुछ नहीं हुआ है जैसाकि समाचार रिपोर्ट में आरोपित है।

दोनों विमान निर्माताओं को प्रतिस्पर्धात्मक बोलियां प्रस्तुत करने के लिए समान अवसर प्रदान किए गए थे।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

कंप्यूटरीकृत वेट ब्रिज

7144. श्री हरिलाल माधवजी भाई पटेल: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेषकर रेलवे स्टेशन परिसरों में स्थित जोनवार कुल कितने कंप्यूटरीकृत वेट ब्रिज है;

(ख) क्या सरकार को दो रेलवे क्रासिंगों के कारण बरेली में व्यापारियों के सम्मुख आने वाली समस्याओं संबंधी कोई शिकायतें प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी, हां।

(ग) बरेली जंक्शन रेलवे स्टेशन पर लारी वे ब्रिज लगाने की अनुमति के संबंध में एक संसद सदस्य से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। रेलवे द्वारा प्रस्ताव की जांच की गई है तथा औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है।

विवरण

(क) भारतीय रेलों पर (जोन-वार) कंप्यूटरीकृत (इलैक्ट्रानिक इन मोशन) वे ब्रिजों की संख्या निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	रेलवे	रेलवे वे ब्रिज	निजी वे ब्रिज
1.	मध्य	1	28
2.	पूर्व	4	16
3.	पूर्व मध्य	1	33
4.	पूर्व तट	1	6
5.	उत्तर	3	कुछ नहीं
6.	उत्तर मध्य	3	1
7.	पूर्वोत्तर सीमा	3	2
8.	उत्तर पश्चिम	1	कुछ नहीं
9.	दक्षिण	5	कुछ नहीं
10.	दक्षिण मध्य	2	14
11.	दक्षिण पूर्व	4	6
12.	दक्षिण पूर्व मध्य	3	40
13.	पश्चिम	3	4
14.	पश्चिम मध्य	1	5

अहमदाबाद में रेलवे मंडल

7145. श्री किसनभाई वी. पटेल: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने अहमदाबाद में नये रेल मंडल कार्यालय की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहीत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(घ) निर्माण-कार्य को कब तक पूरा किये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) अहमदाबाद में नया रेलवे मंडल कार्यालय स्थापित करने के लिए रेलवे द्वारा कोई भूमि अधिग्रहीत नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) नया मंडल स्थापित करने के लिए अपेक्षित कुल धनराशि 13.26 करोड़ रु. है। इसमें से 6.15 करोड़ रु. पहले ही खर्च कर दिए गए है और 2005-06 के लिए आबंटित धनराशि 4 करोड़ रु. है।

(घ) कार्य प्रगति पर है और निर्धारित तिथि जून, 2006 रखी गई है।

एल.पी.जी. की आपूर्ति में अनियमितताएं

7146. श्री निहाल चन्द: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ लोगों को एल पी जी के सील किए हुए सिलिण्डरों में से गैस चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है जैसा कि दिनांक 9 अप्रैल, 2005 के "द टाइम्स आफ इंडिया" में इस आशय का समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली में विशेषकर वसंत विहार और वसंत कुंज में इण्डेन गैस एजेन्सी द्वारा कम वजन वाले एल पी जी सिलिण्डरों की आपूर्ति करने के संबंध में अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा दोषी पाए गए लोगों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई करने के लिए क्या प्रभावी उपाय किए गए है/किए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) जी, हां। इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आई ओ सी एल) ने रिपोर्ट दी है कि दिल्ली पुलिस ने 8 अप्रैल, 2005 को उनके वितरक मैसर्स शिवानिका इन्टरप्राइजेज के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की है और एल पी जी के भरे हुए सिलेंडरों से गैस निकालने के अभियोग में 8 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है।

(ग) आई ओ सी एल के दिल्ली में वसंत विहार के 5 और वसंत कुंज क्षेत्र के 3 समेत 193 एल पी जी वितरक हैं। पिछले 3 वर्षों के दौरान दिल्ली में 24 आईओसी एलपीजी वितरकों की आपूर्ति करने के लिए विपणन अनुशासन दिशानिर्देश (एम डी जी), 2001 की शर्तों पर दंडित किया गया है। इनमें से एक वितरक वसंत कुंज क्षेत्र से है।

(घ) उपभोक्ताओं को कम वजन के एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं-

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रख्यापित एलपीजी (आपूर्ति और वितरण विनियमन) आदेश, 2000 के प्रावधानों के अनुसार उपभोक्ताओं को आंशिक रूप से इस्तेमाल एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति करना कैद सहित दण्डनीय है।

इस आदेश के प्रावधानों के तहत दोषी वितरकों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकारें शक्ति प्रदत्त हैं।

(2) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ एम सीज) के एलपीजी वितरकों को अपने उपभोक्ताओं को सही प्रमात्रा और गुणवत्ता के सिलेंडरों की आपूर्ति करने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। ओ एम सीज के पदाधिकारी वितरकों के गोदाम, सुपुर्दगी स्थल और मार्गों के औचक जांच करते हैं जिससे यह सुनिश्चित हो कि कोई चोरी न की जा सके।

(3) एमडीजी के तहत, अंशत: इस्तेमाल सिलेंडरों की आपूर्ति करने की किसी शिकायत के सही पाए जाने के मामले में ओ एम सीज के संबंधित वितरक को पहली बार अपराध के लिए एलपीजी चोरी/अल्प आपूर्ति का वाणिज्यिक दर पर मूल्य जमा 20,000 रुपए का जुर्माना, दूसरी बार के लिए एलपीजी चोरी/अल्प आपूर्ति का वाणिज्यिक दर पर मूल्य जमा 50,000 रुपए और तीसरी बार वितरण केन्द्र की समाप्ति का दंड दिया जाता है।

[हिन्दी]

अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिक पूर्व/पश्चात् छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता

7147. श्री थावरचन्द गेहलोत: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकारों ने अ.पि.व. के छात्रों को मैट्रिक पूर्व/पश्चात् छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता के शत-प्रतिशत भुगतान के संबंध में प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या फैसला किया गया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) राज्य सरकार से इस प्रकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

''गेल'' में वित्तीय अनियमितताएं

7148. श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी:
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:
श्री हेम लाल मुर्मू:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गेल (इंडिया) लिमिटेड में वित्तीय अनियमितताओं के बारे में जानकारी है जैसा कि 31 मार्च, 2003 के *पंजाब केसरी* में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले में कोई जांच करवायी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे तथा परिणाम क्या हैं; और

(घ) उस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) सरकार को 31.3.2005 कि पंजाब केसरी में प्रकाशित उस समाचार की जानकारी है जिसमें गेल (इंडिया) लिमिटेड में वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है।

(ख) से (घ) इस मामले में गेल की टिप्पणी मागी गई। गेल ने आरोपों को निराधार बताते हुए अपनी टिप्पणी प्रस्तुत की है। सरकार ने गेल प्रबंधन को सलाह दी है कि पाइपलाइन परियोजनाओं से संबंधित मामले पर उनके निदेशक बोर्ड द्वारा विचार किया जाए और आगे की कार्रवाई की जाए। इसके बाद यदि आवश्यक हुआ तो सरकार द्वारा आगामी कार्रवाई की जाएगी। यह नोट किया जाए कि गेल के निदेशक बोर्ड में सरकार का प्रतिनिधित्व रहता है।

[अनुवाद]

अन्य देशों को पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री

7149. श्री गुरूदास कामत: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले अनेक वर्षों के दौरान सरकार ने सरकारी उपक्रमों अथवा निजी तेलशोधक कारखानों के माध्यम से अन्य देशों में पेट्रोलियम उत्पाद बेचने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को यह सूचना मिली है कि निर्यात के प्रयोजनार्थ पेट्रोलियम उत्पादों का ऐसा कोटा प्राप्त करने वाली कंपनियां इन्हें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर निकटतम विदेशी पत्तन पर बेच रही हैं तथा इन उत्पादों को देश में वापस ला रही हैं;

(ग) क्या सरकार ने यह महसूस किया है कि ऐसी कंपनियां विदेशी मुद्रा अर्जित करने हेतु आयात/निर्यात नीतियों का फायदा उठा रही है; और

(घ) यदि हां, तो उन कंपनियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे क्रियाकलापों में संलिप्त पाया गया है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) हालांकि पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात के लिए कोई कोटा नहीं है; हाल ही में सरकार के ध्यान में इस बात को लाया गया है कि विभिन्न कानूनों के तहत निर्यात पर उपलब्ध विभिन्न रियायतों का कुछ व्यक्तियों द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है। सरकार इस मामले को देख रही है।

इंटिग्रेटेड एवियोनिक्स डिसप्ले सिस्टम का विकास

7150. श्री रघुनाथ झा:
श्री प्रभुनाथ सिंह:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड ने इंटिग्रेटेड लाइट हेलिकाप्टरों हेतु इंटिग्रेटेड एवियोनिक्स डिस्पले सिस्टम का डिजाइन तैयार करने और इसका विकास करने हेतु मैसर्स इजरायल एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की देश में इंटिग्रेटेड एवियोनिक्स डिसप्ले सिस्टम का विकास करने संबंधी नीति क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) जी, हां।

(ख) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड ने उन्नत हल्के हेलिकाप्टर के लिए एकीकृत वैमानिकी डिस्प्ले प्रणाली, जिसे काकपिट में नियंत्रण तथा डिसप्ले यूनिटों की मौजूदा परंपरागत संरचना के स्थान पर लगाए जाने की योजना है, के डिजाइन तथा विकास हेतु दिसंबर, 2003 में मैसर्स इजरायल एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज (आई ए आई) के साथ एक संविदा पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ग) सरकार की नीति स्वदेशी विकास तथा अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करना है। तथापि, किसी प्रणाली का विकास/चयन/एकीकरण प्रौद्योगिकीय अपेक्षाओं, समय-सीमाओं, लागत, एकीकरण की अपेक्षाओं और देश के भीतर मौजूद क्षमताओं, आदि पर निर्भर करता है। आंतरिक विकास, स्वदेशी विक्रेताओं के साथ विकास का विकल्प चुनते समय इन परिवर्तनीय घटकों को ध्यान में रखा जाता है।

[हिन्दी]

पेट्रोलियम उत्पादों की खुदरा बिक्री

7151. डा. चिन्ता मोहन:
श्री राजीव रंजन सिंह "ललन":

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पेट्रोलियम उत्पादों की खुदरा बिक्री का अधिकार प्राप्त करने के लिए कम से कम 2000 करोड़ रुपये की पूंजी का निवेश करने की शर्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार बाजार को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए उक्त शर्त को वापस लेने का है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) 8 मार्च, 2002 के संकल्प द्वारा जारी सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार परिवहन ईंधनों के विपणन प्राधिकार प्राप्त करने हेतु नए सदस्यों के लिए पात्रता कार्यकलापों में कम से कम 2000 करोड़ रुपए का पूंजीगत निवेश करना अपेक्षित है। ऐसा प्रारम्भिक तौर पर अविश्वसनीय प्रचालकों को रोकने के लिए किया गया है जबकि डाउनस्ट्रीम विपणन क्षेत्र में गहन निवेश आकर्षित किया गया है।

(ग) और (घ) इस समय सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

रेलवे स्टेशनों पर दवाई की दुकानें आवंटित करना

7152. श्री संतोष गंगवार: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने रेलवे स्टेशों पर दवाई की दुकानें आवंटित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ किन-किन स्टेशनों को चुना गया है; और

(ग) ये दुकानें कब तक आवंटित किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) इस आशय के नीतिपरक अनुदेश पहले से ही मौजूद हैं कि सभी महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर मौजूदा बुक स्टालों के पास विस्तार के रूप में एक केमिस्ट कार्नर होना चाहिए। मौजूदा नीतिपरक निर्देशों के अनुसार रेलवे, जहां कही औचित्य हो, सभी बड़े एवं महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर एक्सक्लूसिव केमिस्ट शाप मुहैया कराएगी। यह एक सतत् प्रक्रिया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बोफोर्स तोप मामला

7153. श्री मित्रसेन यादव: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बोफोर्स तोप मामले की जांच में हुए कुल खर्च का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर अभी तक कुल कितना खर्च हुआ है;

(ग) क्या बोफोर्स तोप मामले की सुनवाई हेतु आने वाले विदेशी गवाहों के लिए पटियाला हाऊस न्यायालय में एक अतिथि कक्ष का भी निर्माण किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर हुए खर्च का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

छोटे तथा मध्यम समाचार पत्रों/पत्रिकाओं को सहायता

7154. श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आधुनिक प्रौद्योगिकी के आ जाने से मैनुअल लैटर प्रिंटिंग प्रेस से अपना काम चला रहे छोटे तथा मध्यम समाचार पत्र/पत्रिकाएं बन्द होने के कगार पर हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन्हें चालू रखने के लिए किसी योजना/वित्तीय सहायता पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) प्रौद्योगिकी का अप्रचलन, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का भाग है।

(ख) और (ग) ऐसी कोई स्कीम नहीं है। तथापि, विज्ञापन जारी करते समय, विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय मैनुअल लैटर प्रिंटिंग प्रेस का प्रयोग करने वाले समाचारपत्रों और पत्रिकाओं के प्रति भेदभाव नहीं करता है।

सियाचीन में तैनात सेना के लिए विशेष वस्तुओं की खरीद

7155. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा मंत्रालय सियाचीन में तैनात सेना के लिए विशेष वस्तुओं की खरीद में विलंब की जांच कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सियाचीन में तैनात सेना के लिए विशेष वस्तुओं की समय से खरीद के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (ग) सियाचिन में तैनात सैन्य टुकड़ियों के लिए विशेष मदों की खरीद में हुए विलंब के संबंध में कोई विशिष्ट मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है। तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सियाचिन तथा अन्य अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात सैन्य टुकड़ियों को विशेष मदों की कोई कमी न हो, सरकार ने सेना मुख्यालय के वर्धित

स्केल और प्राधिकार संबंधी प्रस्ताव को अप्रैल, 2005 में मंजूरी दे दी है। संशोधन पूर्व तथा संशोधन के बाद के कमान-वार प्राधिकार नीचे दिए गए हैं:-

		पूर्व प्राधिकार	संशोधित प्राधिकार
(क)	उत्तरी कमान	– 17,654	24,751
(ख)	पूर्वी कमान	– 2,100	2,100
(ग)	पश्चिमी कमान	– –	500
(घ)	उपर्युक्त मात्रा का 100% रिजर्व	– 19,754	27,351
	कुल	– 39,508	54,702

उपर्युक्त उल्लिखित वर्धित प्राधिकार से सैन्य कार्मिकों को हर तरह की स्थिति का सामना करने के लिए विशेष वस्त्रादि मिल सकेंगे।

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) जवाहर इंस्टिट्यूट आफ माउंटेनियरिंग एण्ड विंटर स्पोर्ट्स, पहलगाम के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जवाहर इंस्टिट्यूट आफ माउंटेनियरिंग एण्ड विंटर स्पोर्ट्स, पहलगाम के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2241/05]

(3) (एक) नेहरू इंस्टिट्यूट आफ माउंटेनियरिंग, उत्तरकाशी के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेहरू इंस्टिट्यूट आफ माउंटेनियरिंग, उत्तरकाशी के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2242/05]

(5) (एक) हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टिट्यूट, दार्जिलिंग के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टिट्यूट, दार्जिलिंग के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2243/05]

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

(1) (एक) नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एण्ड लाइब्रेरी, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एण्ड लाइब्रेरी, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2244/05]

(3) (एक) नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एण्ड लाइब्रेरी, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एण्ड लाइब्रेरी, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2245/05]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(एक) इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2005-2006 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 2246/05]

(दो) भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2005-2006 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 2247/05]

(तीन) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2005-2006 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 2248/05]

(2) तेल क्षेत्र (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1948 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (संशोधन) नियम, 2004 जो 16 दिसम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 813(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सा.का.नि. 814(अ) जो 16 दिसम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें वे दरें विनिर्दिष्ट की गई हैं जिन पर खनिज तेलों अर्थात् कच्चा तेल, केसिंग हेड कंडेंसेट और प्राकृतिक गैस के संबंध में रायल्टी संदेय होगी तथा जिनके द्वारा तेल क्षेत्र (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1948 की अनुसूची में कतिपय संशोधन भी किए जाने हैं।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2249/05]

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) एयरलाइन अलाइड सर्विसेज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एयरलाइन अलाइड सर्विसेज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2250/05]

(3) (एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, रायबरेली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, रायबरेली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2251/05]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

(1) जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उपधारा (4) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 435(अ) जो 29 मार्च, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 26 नवम्बर, 1998 को उत्तर रेलवे के अम्बाला-लुधियाना खंड पर ट्रेन संख्या 3152 डाउन जम्मू-तवी-सियालदाह एक्सप्रेस की 2903 अप गोल्डन टेम्पल मेल के पटरी से उतरे डिब्बों के साथ हुई टक्कर की जांच करने के लिए गठित न्यायमूर्ति जी.सी. गर्ग जांच आयोग का प्रतिवेदन तथा उस पर की-गई-कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदन दिया हुआ है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2252/05]

अपराह्न 12.02 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना सभा को देनी है:

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 11 मई, 2005 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 6 मई, 2005 को हुई अपनी बैठक में पारित किए गए धन-शोधन निवारण (संशोधन) विधेयक, 2005 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

अपराह्न 12.02$^{1}/_{4}$ बजे

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

पांचवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री गुरूदास दासगुप्त (पंसकुरा): मैं "एचपीसीएल-एक पाइप लाइन के सृजन पर निष्फल व्यय" से संबंधित सरकारी उफक्रमों संबंधी समिति (तेरहवीं लोक सभा) के बारहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2005-06) का पांचवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.02$^{1}/_{2}$ बजे

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति

छठा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री एन.एन. कृष्णदास (पालघाट): मैं अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का छठा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.02$^{3}/_{4}$ बजे

उद्योग संबंधी स्थायी समिति

एक सौ बहत्तरवें से एक सौ पचहत्तरवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री सुनील खां (दुर्गापुर): मैं उद्योग संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों में प्रत्येक की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) नारियल जटा उद्योगों के संवर्द्धन और उद्भव के लिए इसकी आवश्यकता संबंधी 172वां प्रतिवेदन;

(2) लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अन्तर्क्षेत्रीय राजनीतिक सहयोग संबंधी 173वां प्रतिवेदन;

(3) बिहार, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में पीएमआरवाई, आरईजीपी और केवीआई योजनाओं के प्रभावी संचालन संबंधी 174वां प्रतिवेदन;

(4) चुनिंदा राज्यों में लघु उद्योगों से संबंधित महत्वपूर्ण क्षेत्र पर 175वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.03 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) रेल संबंधी स्थायी समिति के पहले, तीसरे और चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब, वक्तव्य सभा पटल पर रखे जायेंगे। आप इसे सभा पटल पर रखें और इन्हें सभी माननीय सदस्यों को परिचालित कर दिया जाए।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): महोदय, मैं श्री लालू प्रसाद की ओर से यह वक्तव्य* सभा पटल पर रखता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय के अनुरोध 73क के दिनांक 1 सितम्बर, 2004 के समाचार भाग-2, के अनुसरण में, मैं संसदीय रेलवे स्थायी समिति (2004-2005) के पहले, तीसरे और चौथे प्रतिवेदनों में की गई सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति के संबंध में विवरण दे रहा हूं।

पहला प्रतिवेदन ''वर्ष 2004-05 हेतु अनुदान मांग'' से संबंधित है। रेलवे स्थायी समिति ने 11.8.2004 को रेल मंत्रालय के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिया और अनुदान मांगों की जांच करने के बाद समिति ने 19.8.2004 को लोक सभा में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इन प्रतिवेदनों में कुल 9 सिफारिशें की गई हैं। इन सिफारिशों पर रेल मंत्रालय द्वारा विचार किया गया और सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला की गई कार्यवाही प्रतिवेदन समिति को 6.12.2004 को भेज दिया गया।

तीसरा प्रतिवेदन 'रेलवे भर्ती नीति' के बारे में है। समिति ने अपना प्रतिवेदन लोक सभा को 2.12.2004 को प्रस्तुत किया। समिति ने इस प्रतिवेदन में 3 सिफारिशें की हैं और की गई कार्यवाही टिप्पणी का अंग्रेजी संस्करण 9.3.2005 को तथा हिन्दी संस्करण 28.3.2005 को समिति को भेज दिया गया था।

चौथा प्रतिवेदन ''यात्री सुविधाओं'' से संबंधित है। लोक सभा में 10.12.2004 को प्रस्तुत किये गए प्रतिवेदन में 28 सिफारिशें हैं और सभी सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही टिप्पणियां का अंग्रेजी संस्करण 17.3.2005 को हिन्दी संस्करण 22.03.2005 को समिति को भेज दिया गया।

समिति ने इन की-गई-कार्यवाही टिप्पणियों में मंत्रालय द्वारा आरम्भ की गई क्रियान्वयन प्रक्रिया की स्थिति का मूल्यांकन किया है। सिफारिशों और क्रियान्वयन प्रक्रिया की स्थिति का सार दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

*वक्तव्य सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2253/05

अपराह्न 12.03$^{1}/_{4}$ बजे

(दो) रसायन और पेट्रो रसायन विभाग से संबंधित रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति

[हिन्दी]

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित वक्तव्य* सभा पटल पर रखता हूं-

माननीय महोदय, लोक सभा के निदेश पर मैं रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में निहित सिफारिशों पर कार्यान्वयन की स्थिति पर यह वक्तव्य दे रहा हूं।

रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति ने रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग) की वर्ष 2004-05 की अनुदान मांगों की जांच की तथा अपना पहला प्रतिवेदन लोक सभा और राज्य सभा में 20 अगस्त, 2004 को प्रस्तुत किया था। प्रतिवेदन में 21 सिफारिशें थीं। इन सिफारिशों का सारांश निम्नानुसार है:-

(1) गैर-योजना व्यय में मतिव्ययिता बरतने हेतु वित्त मंत्रालय के निर्देशों का अनुसरण करना।

(2) सिपेट के ऋण समझौतो को अंतिम रूप देना तथा मामले को आर्थिक कार्य और विधायी कार्य विभाग के साथ उठाना।

(3) अपशिष्ट प्रबंधन तथा प्लास्टिक रिसायक्लिंग गतिविधियों में अतिरिक्त प्रयास करना तथा इन गतिविधियों के लिए वित्तीय आबंटन में वृद्धि।

(4) सिपेट को लक्ष्यों को पूरा करना चाहिए ताकि संगठन यथाशीघ्र आत्मनिर्भर बन सके।

(5) केन्द्र सरकार की 50 प्रतिशत सहायता के साथ सिपेट के नए विस्तार केंद्र चिन्हित स्थानों पर खोले जा सकते हैं।

(6) असम गैस क्रैकर परियोजना का क्रियान्वयन।

(7) अपीलों, पुनरीक्षण याचिकाओं तथा छान-बीन के आवेदनों और भोपाल गैस पीड़ितों हेतु सुनवायी के मामलों का निपटारा।

*वक्तव्य सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2254/05

[श्री रामविलास पासवान]

(8) पूर्व यूनियन कार्बाइड संयंत्र में तथा आसपास के इलाकों में से विषैले अपशिष्टों को हटाना।

(9) रासायनिक हथियार समझौता (सीडब्ल्यूसी) अधिनियम के अंतर्गत नियमों और विनियमों की अधिसूचना।

(10) भेषजों के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास हेतु बजट आबंटन।

(11) मेगा केमिकल इंडस्ट्रीय इस्टेट (एमसीआईई) की स्थापना।

(12) नयी औषध नीति की घोषणा।

(13) विनियंत्रित औषधों के मूल्य।

(14) हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड (एच आई एल) का वित्तीय पुनरुद्धार।

(15) एच आई एल में गतिविधियों का आगे और विविधीकरण।

(16) एच आई एल के मेंकोजेब संयंत्र का प्रौद्योगिकी प्रोन्नयन।

(17) स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट कामगार संघ द्वारा औद्योगिक सहकारी समिति के गठन तथा उपक्रम को चलाने का प्रस्ताव।

(18) बीसीपीएल की संचित हानियां।

(19) आई डी पी एल इकाइयों का पुनरुद्धार।

(20) एच ओ सी एल का कार्यनिष्पादन।

(21) एच ए एल का पुनरुद्धार।

समिति की सभी सिफारिशों पर रसायन और पैट्रोरसायन विभाग में विचार किया गया और उन पर कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। विभाग ने क्रियान्वयन एजेंसियों को निधियों के पूर्ण प्रयोग तथा मितव्ययिता उपायों के अनुसरण हेतु निर्देश जारी किए हैं। सिपेट को ओपेक ऋण के मामले में, वित्त मंत्रालय से ऋण सहमति मुद्दे को अंतिम रूप देने का अनुरोध किया गया है। सिपेट को प्लास्टिक अपशिष्ट रिसायक्लिंग में अतिरिक्त प्रयास करने को कहा गया है तथा स्वयं को आत्म-निर्भर बनाने हेतु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सभी प्रयास करने का सुझाव दिया गया है। संबंधित राज्य सरकारों और सिपेट को राज्यों में नए केन्द्र स्थापित करने के लिए कहा गया है। अनुपातिक आधार पर मुआवजा राशि वितरित करने की प्रक्रिया तेज करने के बारे में अतिरिक्त पद सृजित किए गए हैं। तथापि, यह स्पष्ट किया जाता है कि यह संवितरण कल्याण आयुक्त द्वारा किया जा रहा है, जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश हैं और अन्य न्यायिक अधिकारी उनके अधीन हैं और इस प्रक्रिया को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मानीटर किया जा रहा है। रासायनिक हथियार समझौता अधिनियम, 2000 को 1 जुलाई, 2005 से लागू करने का निर्णय किया गया है। विधि मंत्रालय नियमों और अधिसूचनाओं की पुनरीक्षा कर रहा है, जैसाकि अधिनियम को सुकर बनाने के लिए अपेक्षित है। रसायन और पेट्रोरसायन विभाग फार्मा सेक्टर में आर एंड डी सुविधाओं के लिए और अधिक आबंटन प्राप्त करने के लिए प्रयास करेगा। कन्सलटेंट जो विशाल रासायनिक औद्योगिक इस्टेट स्थापित करने से संबंधित संभावना रिपोर्ट तैयार कर रहा है ने अवधारणा-पत्र, इन्सेप्शन रिपोर्ट, मार्केट अध्ययन रिपोर्ट और स्थल अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। राज्य सरकारें अपने राज्यों में ऐसे काम्पलैक्स बनाने की उपयुक्तता के बारे में प्रस्ताव बना रही है। यह विभाग नयी औषध नीति के मामले में विधायी विभाग के साथ कार्रवाई कर रहा है। एन पी पी ए गैर-अनुसूचीबद्ध दवाइयों की कीमतों को मानीटर करना भी आरंभ कर दिया है। एच आई एल के संबंध में वित्तीय पुनरुद्धार और अन्यथा बी आई एफ आर की कार्रवाई पर निर्भर करेगा। एच आई एल अन्य क्षेत्रों में फैलाव की संभावनाओं का पता लगा रहा है। औद्योगिक कोआपरेटिव सोसायटी बनाने के लिए और उपक्रम चलाने के लिए स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट वर्कस यूनियन का प्रस्ताव विचाराधीन है। घाटे को 2008-09 तक पूरी तरह समाप्त करने का समिति की सिफारिशों से बीसीएल को अवगत कराया गया है। आई डी पी एल के पुनर्वास के लिए तकनीकी वित्तीय से संबंधित विशेषज्ञ समिति की अंतिम रिपोर्ट 20 अप्रैल, 2005 को प्राप्त हुई। विशेषज्ञ समिति की मुख्य सिफारिशों की जांच की जा रही है। जहां तक एच ओ सी एल का संबंध है, कंपनी ने एक पुनर्वास पैकेज तैयार किया है जो कि सरकार के विचाराधीन है। भारत सरकार ने विनिवेश से जुड़े एक पैकेज का पहले ही अनुमोदन कर दिया है। हिंदुस्तान एंटिबायोटिक्स लिमिटेड हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड (एच आई एल) की संशोधित पुनर्वास योजना बी आर पी एस ई को भेज दी गयी है, जिसने प्रस्ताव पर विचार करने के लिए एक बैठक आयोजित की है। विभाग की कार्रवाई नोट (ए टी एन) नवम्बर, 2004 में स्थायी समिति को भेज दी गयी थी। समिति ने अपनी तीसरी रिपोर्ट में निम्नलिखित से संबंधित अनुवर्ती कार्रवाई टिप्पणियों को छोड़कर सभी सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई टिप्पणियों को स्वीकार कर लिया गया है:-

(1) असम गैस क्रैकर परियोजना,

(2) पूर्व यूनियन कार्बाइड संयंत्र के आसपास के क्षेत्रों में विद्यमान विषैले अपशिष्ट पदार्थों को हटाना,

(3) एच आई एल में मैंकोजेब संयंत्र में प्रौद्योगिकी उन्नयन।

असम गैस क्रैकर परियोजना को शीघ्र कार्यान्वित करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि गेल इस परियोजना के कार्यान्वयन में मुख्य भूमिका निभाएगा। मामला सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी) के विचाराधीन है।

यह निर्णय लिया गया है कि मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड संयंत्र से विषैले पदार्थों को हटाने संबंधी कार्य करेगा और उनके द्वारा इस संबंध में एक कार्रवाई योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

मैंकोजेब के कार्यनिष्पादन पैरामीटरों में सुधार संबंधी कार्य परामर्शदाता को सौंपा गया था जिनके द्वारा वर्तमान में संयंत्र में सुधार सुझाए जाने संबंधी कार्रवाई की जा रही है। कोचीन एकक के मैंकोजेब संयंत्र के संबंध में और प्रौद्योगिकी का उन्नयन न किए जाने के बारे में जिम्मेवारी निर्धारण के संबंध में एच आई एल द्वारा वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों की समिति के माध्यम से विस्तृत अध्ययन/जांच कार्य किया जा रहा है।

अपराह्न 12.03$^{1}/_{2}$ बजे

(तीन) उर्वरक विभाग से संबंधित रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति

[हिन्दी]

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित वक्तव्य* सभा पटल पर रखता हूं-

मैं माननीय अध्यक्ष, लोक सभा द्वारा दिनांक 1 सितम्बर, 2004 को लोक सभा बुलेटिन के भाग-2 के अंतर्गत जारी निर्देश 73-क के अनुसरण में रसायन और उर्वरक संबंधी संसदीय स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में की गयी सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में वक्तव्य दे रहा हूं।

रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति ने वर्ष 2004-05 के लिए उर्वरक विभाग की अनुदान मांगों की जांच की और लोक सभा और राज्य सभा में दूसरा प्रतिवेदन दिनांक 20 अगस्त, 2004 को प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन में 22 सिफारिशें की गयी हैं। ये सिफारिशें निम्नलिखित से संबंधित हैं:

1. किसानों को राजसहायता का सीधे भुगतान करना।
2. उर्वरक उत्पादक इकाइयों के वित्त-पोषण पर नयी मूल्य-निर्धारण योजना का प्रभाव और इसका समाधान ढूंढना।
3. गैस/एलएनजी जैसे मुख्य फीडस्टाक की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना और नेपथा/ईंधन तेल/एलएसएचएस संयंत्रों को गैस आधारित संयंत्रों में बदलना, एलएनजी के मूल्य को तर्कसंगत और प्रतिस्पर्धात्मक बनाना।
4. विगत 3 वर्षों की योजना अवधि के दौरान नियोजित परिव्ययों का उपयोग नहीं हो सका है जिसके परिणामस्वरूप निधियों का समग्र उपयोग पर्याप्त नहीं है और फलस्वरूप आर्थिक विकास नियोजित ढंग से नहीं हो पाता। बीवीएफसीएल-3 परियोजना के कार्यान्वयन में हुए विलम्ब पर गंभीर टिप्पणी करते हुए समिति ने सिफारिश की कि सभी बंद पड़े संयंत्रों को पुनर्जीवित करने की संभावनाओं की जांच की जाये। समिति ने इच्छा जाहिर की कि उर्वरक विभाग को एमएफएल के लिए तृतीय और दीर्घावधि वित्तीय पुनर्गठन पैकेज को शीघ्र अंतिम रूप देने के लिए जोर-शोर से प्रयास करने चाहिए। समिति ने यह सिफारिश की कि यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए कि कृभको और आरसीएफ की अनुमोदित परियोजनाओं को 10वीं योजना के दौरान पूरा कर लिया जाये। समिति ने ओमान-भारत संयुक्त उद्यम परियोजना (ओमिफ्को) में हुई प्रगति पर प्रसन्नता जाहिर की।
5. वर्ष 2004-05 के लिए उर्वरक विभाग की 13294.17 करोड़ रुपए की अनुदान मांगों, जिनमें से 12828.17 करोड़ रुपए गैर-योजना निधियों के लिए हैं, का समर्थन करते हुए समिति ने टिप्पणी की कि मंत्रालय को वर्ष के लिए स्वीकृत अपने बजट के अनुसार ही अपने व्यय को सीमित करने का प्रयास करना चाहिए।
6. समिति ने सिफारिश की कि फास्फेटयुक्त उर्वरकों की खपत में संतुलित उर्वरक स्थिरता एक चिंता का विषय है। फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरक क्षेत्र के संबंध में पर्यावरण नीति सहित अन्य कारकों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इन उर्वरकों के लिए कच्चे माल की उपलब्धता की कमी को दूर करने के लिए सरकार को देश के उन स्थानों पर अधिक संख्या में संयुक्त उद्यम की स्थापना को प्रोत्साहन देना चाहिए जहां कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। समिति ने यह टिप्पणी भी की है कि विभाग को चाहिए कि नियंत्रणमुक्त उर्वरक क्षेत्र में नीति संबंधी अन्य मुद्दों जैसे मिश्रित उर्वरकों और एस.एस.पी. के अधिकतम खुदरा मूल्य को अंतिम रूप दे।

*वक्तव्य सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2255/05

श्री राम विलास पासवान]

7. समिति ने अपनी 41वीं और 44वीं रिपोर्ट (13वीं लोक सभा) में की गयी सिफारिशों का स्मरण दिलाते हुए कहा कि राज्य सरकारों द्वारा बिक्री प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी समस्या से नियंत्रणमुक्त उर्वरकों की इकाइयों को रियायत का भुगतान करने में देर हो जाती है। इसलिए मौजूदा कार्यप्रणाली के स्थान पर उर्वरकों के आयात, उत्पादन और प्रेषण संबंधी आंकड़ों पर आधारित यथाशीघ्र नयी योजना शुरू करने के प्रयास किए जाने चाहिए।

मंत्रालय ने समिति की सभी सिफारिशों पर विचार किया गया है और कार्रवाई पहले ही शुरू कर दी गयी है। कुल 22 सिफारिशों/टिप्पणियों में से 8 सिफारिशें/टिप्पणियां अर्थात् 4, 5, 6, 7, 13, 14 और 15 सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गयी हैं। 3 सिफारिशों/टिप्पणियों अर्थात् 9, 12 और 18 के संबंध में सरकार द्वारा दिए गए उत्तर को देखते हुए समिति इन पर आगे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती। समिति को सिफारिश 2 और 8 से संबंधित वास्तविक स्थिति दिनांक 15.3.05 को उपलब्ध करायी जा चुकी है।

सिफारिशों/टिप्पणियों अर्थात् 1, 3, 10, 11, 16, 17, 19, 20 और 22 के संबंध में की-गयी-कार्रवाई संबंधी उत्तर समिति को 7 दिसम्बर, 2004 को भेज दिए गए हैं। इन पर की-गयी-कार्रवाइयों के संबंध में कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है।

अपराह्न 12.03$^{3}/_{4}$ बजे

(चार) इस्पात मंत्रालय से संबंधित कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति

[हिन्दी]

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित वक्तव्य* सभा पटल पर रखता हूं-

1 सितम्बर, 2004 के लोक सभा बुलेटिन पार्ट-2 के तहत माननीय लोक सभा अध्यक्ष के दिशा-निर्देश 73ए के अनुसारण में, मैं कोयला और इस्पात संबंधी संसदीय समिति की तीसरी रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में यह वक्तव्य दे रहा हूं।

इस्पात मंत्रालय की 2004-05 की अनुदान मांगों पर विचार करने के लिए दिनांक 12 अगस्त, 2004 को कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति की बैठक हुई थी। बैठक के दौरान समिति ने इस्पात मंत्रालय के अधिकारियों का मौखिक साक्ष्य भी लिया था। मंत्रालय के लक्ष्यों और उद्देश्यों तथा उपलब्धियों के संदर्भ में इस्पात मंत्रालय की 2004-05 की अनुदान मांगों का विश्लेषण करते हुए 25 अगस्त, 2004 को 2004-05 की अनुदान मांगों के संबंध में तीसरी रिपोर्ट लोक सभा में प्रस्तुत की थी और उसी दिन यह रिपोर्ट राज्य सभा में भी प्रस्तुत की गयी थी।

अपनी इस रिपोर्ट में स्थायी समिति ने कुल 29 सिफारिशें की थीं। इस्पात मंत्रालय के दिनांक 17 दिसम्बर, 2004 के कार्यालय ज्ञापन के तहत इन सिफारिशों के संबंध में की-गयी-कार्रवाई रिपोर्ट समिति को भेजी गयी थी। समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते समय, की गयी कार्रवाई, रिपोर्ट में उठाए गए मुद्दों के संबंध में की गयी कार्रवाई/की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई समिति को भेजी गयी थी।

इस्पात मंत्रालय द्वारा की-गयी-कार्रवाई नोट पर स्थायी समिति द्वारा विचार किया गया और अपनी छठी रिपोर्ट में 29 में से 26 सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में समिति संतुष्ट थी। 3 सिफारिशों के संदर्भ में विस्तृत स्थिति अनुलग्नक-I में दी गयी है।

अपराह्न 12.04 बजे

(पांच) पंचायती राज मंत्रालय की ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): महोदय, मैं सभा पटल पर वक्तव्य* रखता हूं।

लोक सभा बुलेटिन भाग-2, दिनांक 1 सितम्बर, 2004 द्वारा जारी लोक सभा अध्यक्ष के निदेश 73क के अनुसरण में, मैं माननीय सदन में पंचायती राज मंत्रालय की अनुदान मांगों (2004-05) पर ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति की चौथी रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर अपना वक्तव्य पेश कर रहा हूं।

पंचायती राज मंत्रालय की स्थायी समिति की रिपोर्ट में निहित सभी सिफारिशों पर की-गई-कारवाई/की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। यह नोट किया जाए कि रिपोर्ट में 10 सिफारिशें

*वक्तव्य सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2256/05

*वक्तव्य सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2257/05

हैं। समिति की इन सिफारिशों की जांच पंचायती राज मंत्रालय द्वारा सावधानीपूर्वक की गई थी और 9 सिफारिशें मान ली गई थीं और उन पर कार्रवाई की गई थी। एक सिफारिश को इस सिफारिश के लिए संलग्न अनुबंध में दिए गए कारण की वजह से स्वीकार नहीं किया जा सका था। की-गई-कार्रवाई संबंधी उत्तर समिति को 15 दिसंबर, 2004 को भेज दिए गए थे।

की-गई-कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद उन सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई में और अधिक प्रगति हुई है जिन्हें पहले ही मंजूरी दे दी गई है। एक सिफारिश के संबंध में, जिसमें शुरू में स्वीकृति नहीं दी गई थी, अर्थात् राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा चुनावों के स्थगन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय से स्पष्ट आदेश प्राप्त करना, पंचायती राज मंत्रालय ने समिति की छठी रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में इस मुद्दे पर और आगे विचार किया है तथा उचित कार्रवाई करने का निर्णय लिया है जैसा कि संलग्न अनुबंध में दर्शाया गया है।

अनुबंध

पंचायती राज मंत्रालय की अनुदान मांगों (2004-05) पर ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति की चौथी रिपोर्ट (14वीं लोक सभा) में निहित सिफारिशों/टिप्पणियों पर की-गई-कार्रवाई की रिपोर्ट को दर्शाने वाला विवरण

सिफारिश सं./पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई	स्वीकृत या अस्वीकृत	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1. 2.15	समिति ने सरकार से यह सिफारिश की कि वे पंचायती राज मंत्रालय को आबंटन उपलब्ध कराए ताकि राज्यों के संबंध में संविधान के भाग-9 के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने वाले नियत उद्देश्य संविधान के आदेशानुसार प्राप्त किए जा सकें।	पंचायती राज मंत्रालय स्थापित किए जाने की प्रक्रिया में है और पंचायती राज मंत्रालय को अभी अपेक्षित स्टाफ उपलब्ध कराया जाना है। पंचायती राज मंत्रालय, स्थापना आदि कार्यों के लिए पर्याप्त निधियों को उपलब्ध कराने के लिए वित्त मंत्रालय से अनुरोध करेगा।	स्वीकृत	
2. 2.16	समिति नोट करती है कि संविधान के अनुच्छेद 243(छ) के अनुसरण में पंचायतों को सौंपी गई जिम्मेदारी का निर्वहन सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज कार्मिकों का प्रशिक्षण एक आवश्यक अंग है। इसको देखते हुए समिति ने सिफारिश की कि इस शीर्ष के अंतर्गत पर्याप्त आबंटन प्रदान किया जाए और वित्त मंत्रालय, योजना आयोग को इस संबंध में समिति की भावनाओं से अवगत कराना चाहिए।	पंचायती राज मंत्रालय पदों के सृजन और कार्य नियतन की प्रक्रिया में है जिसे चालू वित्त वर्ष में पूरा कर लिये जाने की आशा है। तत्पश्चात् मंत्रालय समिति के निष्कर्षों के अनुरूप योजना आयोग और वित्त मंत्रालय से अनुरोध करेगा जिसके बारे में मंत्रालयों को सूचित कर दिया जाएगा।	स्वीकृत	की-गई-कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद से अब तक, वित्त मंत्रालय पहले से ही सृजित 24 पदों के अलावा 42 पदों के सृजन पर सहमत है। पंचायती राज से संबंधित सभी मामलों को निपटाने के लिए, मंत्रिमंडल सचिवालय ने पंचायती राज मंत्रालय को जिला आयोजना समितियां आबंटित करने वाले आदेश

1	2	3	4	5
				जारी किए है। पंचायती राज विकास और प्रशिक्षण शीर्ष के अंतर्गत पंचायती राज मंत्रालय को 50 करोड़ रु. आबंटित किए गए हैं। 30 करोड़ रु. प्रशिक्षण के लिए और 20 करोड़ रु. सर्वश्रेष्ठ पंचायतों को पुरस्कार, अनुसंधान अध्ययन, सम्मेलन, सूचना शिक्षा एवं संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी के लिए निर्धारित किए गए हैं।
3. 2.17	समिति ने सिफारिश की कि मंत्रालय राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, राज्य सरकार और इससे संबंधित अन्य सभी एजेंसियों के परामर्श से निर्वाचित प्रतिनिधियों के विकास एवं प्रशिक्षण के लिए एक कार्य योजना बनाए ताकि यह कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूरा हो जाए। समिति ने प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध कराई गई निधियों की मात्रा में पर्याप्त वृद्धि करने और निर्वाचित सदस्यों तथा पंचायत कर्मियों दोनों की समग्र प्रशिक्षण आवश्यकताओं पर गहन विचार-विमर्श करने की भी सिफारिश की थी। समिति ने कार्यक्रमों के अंतर्गत पर्याप्त परिव्यय प्रदान करने की सिफारिश की।	मंत्रालय पहले से ही राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद, राष्ट्रीय प्रशासनिक सुधार संस्थान तथा लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी के साथ पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों को तैयार करने हेतु संपर्क में है जिसे फिर राज्यों को, राज्य ग्रामीण विकास संस्थानों तथा प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से कार्यान्वित कराने के लिए सिफारिश की जाएगी।	स्वीकृत	
4. 2.18	समिति महसूस करती है कि दूरदर्शन और आकाशवाणी अपने कार्यक्रमों द्वारा निर्वाचित सदस्यों और कर्मचारियों, विशेषकर कमजोर वर्गों के प्रतिनिधियों और महिलाओं को प्रशिक्षण देने में प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं ताकि पंचायती राज संस्थाओं में ये लोग प्रभावी रूप से भागीदार बन सकें। समिति आगे महसूस करती है कि	समिति की सलाह अनुपालन हेतु नोट कर ली गई है और आवश्यक सलाह/ सहायता के लिए संबंधित एजेंसियों से संपर्क किया जाएगा।	स्वीकृत	

1	2	3	4	5
	पंचायती राज संस्थानों को प्रशिक्षण देने के लिए आडियो और वीडियो सी.डी. का लाभ उठाया जा सकता है। इस प्रयोजनार्थ एन.आई.आर.डी. और अन्य तकनीकी संस्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसके अलावा, पंचायती राज संस्थाओं, स्टेज प्रदर्शनों और नुक्कड़ नाटकों द्वारा भी प्रशिक्षित किया जा सकता है। मंत्रालय यह पता लगाए कि इन तकनीकों को किस प्रकार उपलब्ध कराया जाए जिससे कि प्रशिक्षण कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा हो सके। समिति उपर्युक्त शीर्ष के अंतर्गत पर्याप्त आबंटन प्रदान करने की भी सिफारिश करना चाहेगी।			
5. 2.24ए	10वें तथा 11वें वित्त आयोग की कार्यावधि के दौरान आबंटित अप्रयुक्त धनराशि के बारे में समिति जानना चाहेगी कि तत्संबंधी क्या कारण थे। सरकार को इस पहलू का पूर्णरूपेण अध्ययन करना चाहिए और उपचारात्मक उपाय ढूंढने चाहिए ताकि एक बार आबंटन होने के बाद न तो कुछ भी बचे और न ही अप्रयुक्त रहे।	10वें तथा 11वें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश की गई धनराशि की तुलना में रिलीज की गई कम धनराशि मुख्य रूप से राज्यों द्वारा वित्त आयोग या सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा न करने की वजह से है। वित्त मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए मिलकर कार्य करेगा कि 12वें वित्त आयोग की धनराशि की रिलीज संतोषजनक हो तथा यह आबंटन से कम न हो।	स्वीकृत	
6. 2.29	समिति यह चाहेगी कि उनकी रिपोर्टों में उठाए गए विभिन्न मुद्दों को विभिन्न पहलुओं पर वांछित की-गई-कार्रवाई के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। समिति यह भी चाहती है कि इस संबंध में उसे जानकारी दी जाए।	सिफारिश को अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है।	स्वीकृत	
7. 2.30	पंचायती राज संस्थाओं के बारे में जानकारी शीघ्र ही संकलित की जाएगी और उनकी पूर्व रिपोर्ट में उनके द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों की कार्यान्वयन स्थिति के बारे में उन्हें सूचित किया जाएगा।	अपेक्षित सूचना, जो उपलब्ध है, संकलित कर दी जाएगी।	स्वीकृत	

1	2	3	4	5
8. 2.38	समिति आशा करती है कि नवसृजित मंत्रालय अपनी सिफारिशों के कार्यान्वयन को सही परिप्रेक्ष्य में कार्यान्वित करेगा और अपनी वार्षिक रिपोर्ट संसद को प्रस्तुत करेगा जिससे न केवल पंचायती संस्थाओं से संबंधित समस्त मामलों के विभिन्न उपबंधों की प्रभावपूर्ण निगरानी होगी बल्कि इससे पारदर्शिता भी आएगी।	पंचायतों की स्थिति संबंधी वार्षिक रिपोर्ट विषय पर 28-29 अक्टूबर, 2004 को श्रीनगर में आयोजित राज्यों के पंचायती राज के प्रभारी मंत्रियों के पांचवें गोलमेज सम्मेलन में चर्चा की गई।	स्वीकृत	पंचायती राज मंत्रालय द्वारा आयोजित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पंचायती राज्य के प्रभारी मंत्रियों के सात गोलमेज सम्मेलनों के माध्यम से पंचायती राज के 19 आयामों से संबंधित 150 सिफारिशों को शामिल करते हुए सर्वसम्मति से एक कार्य-योजना बनाई गई है।
9. 2.42	चूंकि संविधान के भाग-नौ के कार्यान्वयन का दायित्व पंचायती राज के केन्द्रीय मंत्रालय पर है इसलिए मंत्रालय को वास्तविक रूप से लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए और तद्नुसार समिति के समक्ष अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। समिति यह देखकर भी चिन्तित है कि यद्यपि सिद्धांत रूप से सभी 29 विषयों को पंचायती संस्थाओं को सौंप दिया गया है, मामले पर गंभीरतापूर्वक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है और ऐसे लापरवाहीपूर्ण रवैये की भर्त्सना की जानी चाहिए कि इस प्रकार के अधूरे मन से किए गए उपाय 73वें संशोधन अधिनियम की भावनाओं के अनुरूप नहीं हैं।	जैसा कि समिति द्वारा नोट किया गया है, पंचायती राज से संबंधित संविधान के प्रावधानों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। पंचायती राज मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए निरन्तर संपर्क बनाए हुए है कि एकमत से निर्धारित क्षेत्रों में कार्यान्वयन की दृष्टि से विशिष्ट रूप से लक्ष्य में रखे गए दृष्टिकोण को हासिल करने के लिए संविधान के प्रावधानों का अनुपालन किया जाएगा।	स्वीकृत	
10. 2.43	समिति ने पाया कि चूंकि संविधान के प्रावधानों के अनुसार नियमित अंतराल पर चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया के मूल में है, केन्द्र सरकार को अुच्छेद 243(ङ) के अभिप्राय और क्षेत्र के बारे में उच्चतम न्यायालय से स्पष्ट निर्णय प्राप्त करना चाहिए ताकि चुनाव पांच वर्षों में हो सकें। समिति को मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने बताया कि उनकी उच्चतम न्यायालय में जाने की योजना है। इस दिशा में समिति चाहती	7-8 अक्टूबर, 2004 को चंडीगढ़ में आयोजित पंचायती राज के प्रभारी मंत्रियों के चौथे गोलमेज सम्मेलन में ''पंचायती राज में न्याय-प्रक्रिया'' विषय पर चर्चा की गई। सातवें गोलमेज सम्मेलन के दौरान लिए गए संकल्पों पर केन्द्र और राज्यों के बीच संयुक्त सहमति होने की संभावना है। सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही दिनांक 24.2.1997 को 1995 के मामला संख्या 719 में 243 ई की व्याख्या	अस्वीकृत	पंचायती राज मंत्रालय ने समिति की छठी रिपोर्ट के आलोक में मामले पर पुन: विचार किया और उचित कार्रवाई शुरू करने का निर्णय लिया। इस मामले में विधि मंत्रालय की सलाह के लिए एक पत्र भेजा गया है।

1	2	3	4	5
	है कि उच्चतम न्यायालय का स्पष्ट निर्णय शीघ्र प्राप्त करना चाहिए जिससे कि राज्य सरकारें चुनावों को स्थगित करने के लिए उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णय की अलग-अलग ढंग से व्याख्या नहीं कर सकें।	की है। वर्तमान स्थिति यह है कि झारखंड राज्य और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र को छोड़कर सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने संविधान की व्यवस्था के अनुसार चुनाव करवाये हैं। फिर भी किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा किसी तरह की गड़बड़ी किए जाने के मामले में उदाहरण के लिए सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय उपलब्ध है।		

अपराह्न 12.04 1/4 बजे

(छह) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2004-05) के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्रीमती मीरा कुमार): महोदय, मैं सभा पटल पर अपना वक्तव्य* रखती हूं।

लोक सभा बुलेटिन-भाग-2 दिनांक 1 सितम्बर, 2004 के तहत माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के निदेश 73(क) के अनुसरण में सामाजिक न्याय और अधिकारिता (चौदहवीं लोक सभा) संबंधी स्थायी समिति की प्रथम रिपोर्ट में वर्णित सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति पर, मैं यह वक्तव्य दे रही हूं।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (चौदहवीं लोक सभा) की प्रथम रिपोर्ट 18.8.2004 को लोक सभा में प्रस्तुत की गयी थी तथा 18.8.2004 को राज्य सभा में रखी गयी थी। यह रिपोर्ट सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की वर्ष 2004-05 की अनुदान-मांगों की जांच से संबंधित थी।

समिति की रिपोर्ट में वर्णित सिफारिशों/टिप्पणियों पर की-गई-कार्रवाई रिपोर्ट 2.7.2004 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति को भेजी गयी थी तथा समिति ने यह रिपोर्ट 22.3.2004 को लोक सभा में प्रस्तुत की और 22.3.2005 को राज्य सभा में रखी।

पूर्वोक्त रिपोर्ट में समिति द्वारा 19 सिफारिशें की गई हैं जिन पर सरकार की ओर से कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। ये सिफारिशें मुख्यत: इन विषयों से संबंधित हैं—मंत्रालय का सामान्य निष्पादन, विशेष संघटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता, अनुसूचित जातियों के छात्रों की योग्यता उन्नयन, अनुसूचित जाति के लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावास सुविधाएं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, अन्य पिछड़े वर्गों का सर्वेक्षण, मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान, सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद के लिए विकलांग व्यक्तियों की सहायता योजना, राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति आयोग, भारतीय पुनर्वास परिषद और एकीकृत वृद्ध व्यक्ति कार्यक्रम।

समिति द्वारा की गयी 19 सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति को मेरे वक्तव्य के साथ लगे अनुबंध में दिया गया है, जिसे सभा पटल पर रख दिया गया है। मैं इस अनुबंध की विषय-वस्तु को पढ़ने के लिए सदन का बहुमूल्य समय लेना नहीं चाहूंगी। इसलिए मैं अनुरोध करती हूं कि इसे पढ़ा हुआ समझा जाए।

मंत्रालय से यह कहा गया है कि वह लोक सभा सचिवालय को 22 जून, 2005 तक अंतिम उत्तर प्रस्तुत कर दे। मंत्रालय लोक सभा सचिवालय को अपना उत्तर निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत कर देगा।

*वक्तव्य सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 2258/05

अनुबंध

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) की प्रथम रिपोर्ट में समिति द्वारा की-गई-सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	सिफारिशें	पैरा सं.	कार्यान्वयन स्थिति
1	2	3	4
1.	समिति ने पुरजोर सिफारिश की कि मंत्रालय अपने कार्यान्वयन और मानीटरिंग तंत्र को सुदृढ़ करे और राज्य सरकारों/कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ आवधिक समीक्षा बैठकें करे तथा उनसे विभिन्न योजनाओं के तहत आवंटित निधियों का पूर्ण उपयोग करने हेतु आग्रह करे।	2.7	2002-03 और 2004-05 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के समाज कल्याण सचिवों की बैठकें हुई। इन बैठकों में, विगत निर्मुक्तियों के उपयोगिता प्रमाणपत्रों सहित पूर्ण प्रस्ताव भेजने के लिए उनसे अनुरोध किया गया है।
2.	इसलिए, समिति ने चाहा कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की व्यवहारिक कठिनाई और कमजोर वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए, वित्त मंत्रालय से नरम रुख अपनाने और आबंटन में संशोधित अनुमान चरण में अधिक कटौती न करने के लिए अनुरोध किया जाना चाहिए।	2.8	2004-05 में, मंत्रालय के आबंटन स्तर को 1492 करोड़ रुपए बनाए रखने के लिए वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग को राजी करने के हर प्रयास के बावजूद 142 करोड़ रुपए की कटौती की गई और आबंटन संशोधित अनुमान स्तर पर 1350 करोड़ रुपए कर दिया गया। वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में बजट अनुमान/संशोधित अनुमान आबंटन जो भी कम हो का 33% उपयोग करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। इससे संशोधित अनुमान आंकड़ों में कमी आयी होगी। 1350 करोड़ रुपए का उपयोग करने हेतु मंत्रालय को अनुमति देने के लिए वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया गया। उन्होंने हमारे अनुरोध पर सहमति दी। मंत्रालय ने 1345.91 करोड़ रुपए का उपयोग किया जो संशोधित अनुमान का 99.70% रहा।
3.	समिति ने इस खराब स्थिति पर निराशा व्यक्त की और इच्छा प्रकट की कि राज्य सरकारों से अपनी अनुसूचित जातियों की आबादी के अनुसार निधियों का आबंटन करने के लिए अनुरोध किया जाए जिससे कि वे केन्द्र से अपना विशेष केन्द्रीय सहायक हिस्सा प्राप्त कर सकें।	3.12	विशेष संघटक योजना कार्यान्वित करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विशेष केन्द्रीय सहायता निर्मुक्त की जाती है जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की अनुसूचित जाति की आबादी (40%), राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का सापेक्ष पिछड़ापन (10%), गरीबी रेखा पार करने हेतु समर्थ बनाने के लिए योजनाओं में संयुक्त आर्थिक विकास कार्यक्रमों में शामिल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जाति परिवारों का प्रतिशत (25%) तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जाति आबादी के प्रतिशत की तुलना में वार्षिक योजना में से विशेष संघटक योजना के लिए निधियों का प्रवाह (25%) पर बल दिया जाता है।

1	2	3	4
			गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे अनुसूचित जाति के परिवारों को समेकित तरीके से सहायता करने तथा व्यवहार्य तरीके से विभिन्न आर्थिक कार्यकलापों के लिए अपेक्षित अग्रगामी और पश्चगामी सम्पर्क प्रदान करने के उद्देश्य से, अनुसूचित जाति की पर्याप्त आबादी वाले 27 राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से खाई को पाटने के लिए हस्तक्षेप की अपेक्षा वाले गंभीर क्षेत्रों में विशेष केन्द्रीय सहायता के उपयोग के लिए परियोजनाएं तैयार करने हेतु अनुरोध किया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से विशेष संघटक योजना स्थान/व्यय के लिए निर्धारित शर्तों को अपनाने के लिए बैठकों और अनुस्मारकों के माध्यम से नियमित रूप से अनुरोध किया जाता है।
4.	इसलिए समिति ने इसे गंभीरता से लिया है और इस संबंध में अपनी पूर्व सिफारिश को पुरजोर ढंग से दोहराया है। समिति ने यह भी सिफारिश की है कि योजना आयोग को उन मंत्रालयों की वार्षिक योजनाओं का अनुमोदन नहीं करना चाहिए जिन्होंने अनुसूचित जाति के लिए विशेष संघटक योजना अभी तक नहीं बनायी है।	3.13	समिति की सिफारिश को योजना आयोग को भी उनके स्तर पर आगे की कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है।
5.	समिति का यह विचार है कि इस मामले को उच्चतर स्तर पर संबंधित राज्य सरकारों के साथ उठाया जाना चाहिए। इसमें हुई प्रगति से समिति को अवगत कराया जाए।	3.14	सतत रूप से अनुरोध करके पूर्व वर्ष की निर्मुक्तियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त होने के उपरांत विशेष संघटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत वर्ष 2004-05 के दौरान 27 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में से 21 को केन्द्रीय सहायता निर्मुक्त की गई थी।
6.	समिति ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता निधियों का अलग से एक बजट लेखा शीर्ष खोलने की अपनी पूर्व सिफारिश पुरजोर ढंग से दुहरायी है जिससे कि निधियों के दिक् परिवर्तन से बचा जा सके।	3.15	24 राज्यों ने अलग बजट शीर्ष खोला है और उसका ब्यौरा प्रस्तुत किया है। शेष राज्यों को स्मरण कराया गया है।
7.	इसलिए समिति ने यह सिफारिश की थी कि इस माडल को अपनाने के लिए अन्य राज्यों पर मंत्रालय द्वारा दबाव डाला जाना चाहिए क्योंकि इससे अनुसूचित जाति की महिलाओं को स्वावलम्बी बनाते हुए उनका सामाजिक-आर्थिक उद्धार होगा।	3.16	सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कर्नाटक सरकार की तर्ज पर योजना का प्रस्ताव तैयार करने को पहले ही कहा गया है। तथापि, विशिष्ट रूप से भूमि खरीद योजना माडल संबंधी मुद्दे को अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ उठाया गया है।

1	2	3	4
8.	इसलिए समिति यह सिफारिश करती है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अनुसूचित जाति जनसंख्या के कल्याण के लिए बनायी गयी योजनाओं के अंतर्गत आबंटित निधियों और राज्य सरकारों/गैर-सरकारी संगठनों द्वारा इनका उपयोग न किए जाने का ब्यौरा प्रस्तुत करेगा। क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को तथा योजनाओं का समुचित रूप से कार्यकरण का मानीटर करने के लिए बताया जाएगा।	3.17	यह मंत्रालय सभी केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को ढेर सारी निधियों की निर्मुक्तियां करता है। निर्मुक्तियों का योजनावार/राज्यवार उपयोग का विवरण मंत्रालय द्वारा तथा जिलावार निर्मुक्तियों और उपयोग का विवरण अलग-अलग राज्यों द्वारा रखा जाता है। गैर-सरकारी संगठनों के मामले में वर्ष के दौरान अनुदान की दूसरी किस्त, व्यय का लेखा परीक्षित विवरण के साथ मंत्रालय में उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त होने के बाद ही जारी की जाती है। गैर-सरकारी संगठनों को राज्यवार तथा जिलावार निर्मुक्त निधियों की सूचना मंत्रालय की वेबसाइट (www.socialjustice.nic.in) पर उपलब्ध है और मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित की गई है।
9.	इसलिए समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि मंत्रालय को सम्पूर्ण देश में विभिन्न योजनाओं के बारे में पूर्ण जागरूकता सृजन में प्रभावी कदम उठाना चाहिए। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मंत्रालय द्वारा दृश्य श्रव्य प्रचार माध्यम, मुद्रण माध्यम तथा ग्राम पंचायत को सेवाओं का उपयोग करना चाहिए।	3.18	इस सिफारिश को नोट कर लिया गया है।
10.	समिति ने पुरजोर सिफारिश की कि मंत्रालय इस नई योजना की प्रक्रियाओं के वास्ते संबंधित प्राधिकरण के साथ शीघ्रातिशीघ्र विचार-विमर्श करें। ताकि इस योजना के कार्यान्वयन को बाधित करने वाली अड़चनों को दूर किया जा सके और संशोधित योजना को शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वित किया जा सके। इसके अतिरिक्त समिति ने यह भी राय दी कि जब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा योजना पूरी तरह संशोधित और अनुमोदित नहीं कर दी जाती तब तक योजना के कार्यान्वयन को इसके वर्तमान रूप में रोका नहीं जाना चाहिए।	3.22	"अनुसूचित जाति के छात्रों की योग्यता उन्नयन" की विद्यमान योजना, जब तक संशोधित नहीं हो जाती अपने वर्तमान स्वरूप में जारी है।
11.	समिति ने यह इच्छा प्रकट की थी कि योजना को समन्वित करते हुए, अनुसूचित जाति के छात्रों, विशेषकर अनुसूचित जाति की छात्राओं को होस्टलों में स्थानों की संख्या में उनकी उचित संख्या से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।	3.25	सीटों का आबंटन (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार) अनु.जा.-45%, अ.पि.व.-25%, अल्पसंख्यक-10% शारीरिक रूप से विकलांगों को 3%, और सामान्य श्रेणी के लिए 20% होगा ताकि छात्रों को विकास की मुख्य धारा में लाया जा सके। कार्यान्वयन की प्रगति को मानीटर किया जा रहा है।

1	2	3	4
12.	इसलिए समिति ने पुरजोर सिफारिश की कि राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों द्वारा प्रभार्य ब्याज दर को तर्कसंगत किया जाना चाहिए और राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र अपनी चैनेलाइजिंग एजेंसियों को उनकी अवसंरचना के निर्माण के लिए निधियां प्रदान करें।	4.3	कुछ ब्याज भार उठाने के लिए राज्य सरकारों से 17.8.2004 को अनुरोध किया गया है ताकि सेवा प्रभारों को कम किया जा सके। कुछ राज्य सरकारों का उत्तर प्राप्त हुआ है जिनमें मंत्रालय के प्रस्ताव से असहमत होने का उल्लेख किया गया है। तथापि, हमारे प्रस्ताव पर सहमत होने हेतु उनसे पुन: आग्रह किया जा रहा है।
13.	अत: समिति ने एक बार पुन: सिफारिश की कि मंत्रालय को आवश्यक डाटा एकत्रित करने के लिए शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के शीर्ष स्तर पर मामले को उठाना चाहिए ताकि अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं उनकी आवश्यकताओं के अनुसार बनाई जा सके और तदनुसार बजटीय आबंटन बढ़ाया जा सके।	4.4	मंत्रालय चूककर्त्ता राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ इस मामले को निरंतर उठा रहा है। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों को छोड़कर, जहां कोई अन्य पिछड़ा वर्ग नहीं हैं, शेष राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। चूककर्त्ता राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को पुन: 15.9.2004 को स्मरण कराया गया कि गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों के सर्वेक्षण हेतु की गई कार्रवाई से अवगत करा दिया जाए।
14.	समिति ने इसलिए सिफारिश की कि समाज (अल्पसंख्यक) के इन वर्गों के लिए अधिक कल्याणकारी योजनाएं, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए विद्यमान योजनाओं के पैटर्न पर बनाई जाएं और बजटीय आबंटन को उचित रूप से बढ़ाया जाए।	5.3	सरकार ने शिक्षा और सरकारी नियोजन में आरक्षण सहित धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के बीच सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए उपायों की सिफारिश करने हेतु एक राष्ट्रीय आयोग स्थापित करने का निर्णय लिया है। आयोग 6 माह की अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
15.	समिति ने, इसलिए, इच्छा प्रकट की कि मामले को योजना आयोग के साथ सशक्त रूप से उठाया जाए और समग्र निधि को बढ़ाया जाए ताकि प्रतिष्ठान की योजनाओं को निधियों की कमी का सामना न करना पड़े।	5.5	जेड.बी.बी. प्रयोग के आधार पर योजना आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, एम.ए.ई.एफ. की योजना को, उसकी 100 करोड़ रुपए की समग्र निधि के पूरा होने के बाद समाप्त करना है। विगत वर्ष मंत्रालय को इस उद्देश्य के लिए 30 करोड़ रुपए आबंटित किए गए थे जिन्हें संशोधित स्तर पर कम करके 20.32 करोड़ रुपए कर दिया गया था। यद्यपि, एसएफसी बैठक 29.1.2004 को कई गई, लेकिन इस मामले को वित्त मंत्रालय के साथ अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। वर्ष 2004-05 के लिए एक करोड़ रुपए का सांकेतिक प्रावधान किया गया था, जिसका ब्याज के भुगतान के रूप में उपयोग

1	2	3	4
			कर लिया गया है। शेष 30 करोड़ रुपए की कारपस निधि को आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद वर्ष 2005-06 में निर्मुक्त किया जाना है।
16.	अत: समिति ने यह इच्छा प्रकट की कि मंत्रालय, योजना आयोग और वित्त मंत्रालय को जरूरतमंद शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की आय सीमा में वृद्धि तथा उनकी सहायता के लिए उपकरणों की लागत सीमा में वृद्धि की आवश्यकता के बारे में संतुष्ट करे।	6.2	इस योजना को 1.4.2005 से संशोधित कर दिया गया है। सहायक यंत्र एवं उपकरणों के लिए शत-प्रतिशत रियायत की पात्रता के लिए पहली आय सीमा को 5000 रुपए प्रति माह से बढ़कर 6500 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है। इसी प्रकार 50% रियायत के लिए आय सीमा को बढ़ाकर 10,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है जबकि पहले यह 8,000 रुपए प्रति माह थी। यह भी निर्णय लिया गया है कि चलन संबंधी विकलांग व्यक्तियों के लिए मोटर-युक्त तिपहिया और कम्प्यूटर का प्रयोग करने वाले दृष्टि विकलांग व्यक्तियों के लिए साफ्टवेयर, जिनकी लागत 6000 रुपए से अधिक हो, के लिए अनुमति दी जाए। तथापि, सब्सिडी की सीमा 6000 रुपए ही बनी रहेगी।
17.	अत: समिति यह चाहती है कि आयोग के प्रभावी कार्यकरण को सुनिश्चित करने हेतु आयोग के लिए बजटीय आवंटन को समुचित रूप से बढ़ाया जाना चाहिए।	6.4	राष्ट्रीय विकलांगजन आयोग को, 20 अक्टूबर, 2004 को अधिसूचित भारत सरकार के संकल्प के तहत बन्द कर दिया गया है।
18.	अत: समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि सरकार को स्थापित मानकों के अनुसार नि:शक्त व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने के लिए इष्टतम संख्या में व्यावसायिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु अत्यावश्यक उपाय करने चाहिए।	6.6	भारतीय पुनर्वास परिषद ने अपने स्वीकृत प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में संस्थागत पाठ्यक्रमों में 200 सीटें तथा दूरवर्ती शिक्षा पाठ्यक्रमों में 1800 सीटें बढ़ाई हैं।
19.	समिति ने इच्छा व्यक्त की कि अत्यावश्यक रूप से वृद्धि व्यक्तियों की सही संख्या का पता लगाया जाये और उनको देखभाल और सुरक्षा के लिए सरकारी योजनाओं के बारे में उचित जागरूकता पैदा की जाये जिससे कि वे इस योजना के तहत प्राप्त प्रसुविधा का फायदा उठा सकें। इस योजना में लगे गैर-सरकारी संगठनों के कार्य-निष्पादन को सख्ती से मानीटर किया जाना चाहिए।	7.2	भारत की जनगणना 2001 के अनुसार, 2001 में 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्तियों की संख्या 7.66 करोड़ थी जो पिछले दशक अर्थात् जनगणना 1991 से 2 करोड़ अधिक है। मंत्रालय, मंत्रालय की वित्तीय सहायता से गैर-सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे वृद्धाश्रमों, दिवा देखभाल केन्द्रों और चल चिकित्सा देखभाल यूनिटों के वास्तविक कार्य निष्पादन की नियमित रूप से मानीटरिंग करता रहा है। 2004-05 के दौरान, मंत्रालय ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/मंत्रालय के अधिकारियों से इस योजना के तहत निरीक्षण रिपोर्टें एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने के बाद, 413 स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान निर्मुक्त किया।

अपराह्न 12.04$^{1}/_{2}$ बजे

(सात) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय से संबंधित उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 151वें, 156वें तथा 158वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): महोदय, मैं वक्तव्य* सभा पटल पर रखता हूं-

मैं दिनांक 1 सितम्बर, 2004 के लोक सभा बुलेटिन भाग-2 के तहत जारी लोक सभा में प्रक्रिया नियम तथा कार्य संचालन के प्रावधानों के अनुसरण में माननीय लोक सभा अध्यक्ष के निदेशानुसार उद्योग के बारे में संसदीय स्थायी समिति की 151वीं, 156वीं और 158वीं रिपोर्टों में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में यह वक्तव्य दे रहा हूं।

भारी उद्योग विभाग से संबंधित उद्योगों के बारे में संसदीय स्थायी समिति से सम्बद्ध विभाग की 151वीं रिपोर्ट में 33 सिफारिशें हैं। इन सिफारिशों को चार श्रेणियों में मोटे तौर पर वर्गीकृत किया जा सकता है:-

(1) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के वित्तीय मामलों से संबंधित मामले जो सरकारी क्षेत्र के उद्यमों आदि में पूंजीगत निवेश के लिए आन्तरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों को बढ़ाना।

(2) ट्रैक्टरों से संबंधित उत्पाद शुल्क की वसूली, कल-पुरजों आदि पर शुल्क की कटौती जैसे उत्पाद और सीमा शुल्क से संबंधित मामले।

(3) प्रबंधन पहलुओं जैसे, सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिए आर्डर सुनिश्चित करना, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की परिसम्पत्तियों का प्रबंधन तथा सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को सहायता मुहैया कराने के लिए राज्य सरकारों और अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित करना।

(4) आटोमोटिव क्षेत्र के लिए विश्व-स्तरीय जांच केन्द्र की स्थापना करना।

उपरोक्त सिफारिशों के संबंध में कार्रवाई पहले ही कर ली गई है। कुछ मामलों में, उनको कार्यान्वित कर लिया गया। अन्य मामलों में जहां अन्य विभागों द्वारा कार्रवाई की जानी है, उनको सक्रिय रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है। परीक्षण केन्द्र से संबंधित प्रस्ताव अनुमोदन के अंतिम चरण में है। की-गई-कार्रवाई नोट में प्रत्येक सिफारिश के लिए की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाले ब्यौरे दिनांक 12.01.2005 को समिति को पहले ही प्रस्तुत कर दिए गए हैं।

156वीं रिपोर्ट में चार सिफारिशें निहित हैं जो मुख्यत: हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन को उत्पाद शुल्क में छूट, लम्बडिंग-सिल्चर क्षेत्र में रेल लाइन तथा रूपान्तरण तथा कुमारघाट-अगरतल्ला प्रभाग में नई लाइन से संबंधित हैं।

विभाग ने उपरोक्त सभी सिफारिशों के संबंध में आवश्यक कार्रवाई कर ली है तथा इस मामले को आगे भी वित्त एवं रेल मंत्रालय के साथ उठाया जा रहा है। माननीय वित्त मंत्री द्वारा गेजों के रूपान्तरण की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। की-गई-कार्रवाई नोट में प्रत्येक सिफारिश के लिए की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाले ब्यौरे दिनांक 19 अप्रैल, 2005 को समिति को पहले ही प्रस्तुत कर दिये गए हैं।

158वीं रिपोर्ट में सात सिफारिशें और अभिमत निहित हैं। ये आयात-निर्यात (Exim) नीति में परिवर्तन, टर्मिनल उत्पाद शुल्क की वापसी तथा सीमा शुल्क में छूट से संबंधित हैं। विभाग ने सभी सिफारिशों पर कार्रवाई कर ली है तथा मामले को वित्त और वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के साथ उठाया गया है। की गई कार्रवाई नोट में प्रत्येक सिफारिश के लिए की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाले ब्यौरे दिनांक 24 मार्च, 2005 को समिति को पहले ही प्रस्तुत कर दिये गए हैं।

अपराह्न 12.04$^{3}/_{4}$ बजे

(आठ) पर्यटन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2004-05) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के उन्यासीवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): महोदय, मैं वक्तव्य* सभा पटल पर रखती हूं:

लोक सभा के माननीय अध्यक्ष के निर्देश 73ए के अनुसरण में, परिवहन, पर्यटन एवं संस्कृति पर विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति की 79वीं रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की

*वक्तव्य सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2259/05

*वक्तव्य सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2260/05

अवस्थिति पर मैं ये विवरण दे रही हूं, जो निम्नानुसार पढ़ा जाए:-

"संबंधित मंत्री अपने मंत्रालय के संबंध में लोक सभा की रिपोर्टों में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की अवस्थिति के संबंध में छह महीनों में एक बार सदन में एक विवरण देगा।"

परिवहन, पर्यटन एवं संस्कृति पर स्थायी समिति ने वर्ष 2004-05 के लिए पर्यटन मंत्रालय की अनुदान मांगों पर विचार करने के लिए 10 अगस्त, 2004 को अपनी बैठक आयोजित की। समिति ने मंत्रालय के अधिकारियों का मौखिक साक्ष्य भी लिया। लक्ष्यों, उद्देश्यों और प्राप्तियों के संदर्भ में मंत्रालय की अनुदान मांगों का विश्लेषण करते हुए समिति ने पर्यटन मंत्रालय की अनुदान मांगों (2004-05) (मांग सं. 93) पर अपनी 79वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की (ये रिपोर्ट राज्य सभा में 26.8.2004 को प्रस्तुत की गई और लोक सभा के पटल पर भी 26.8.2004 को रखी गयी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में कुल मिलाकर 23 सिफारिशें की थी। 23 सिफारिशों में से मंत्रालय ने 18 सिफारिशों को मान लिया है और 4 सिफारिशों को आंशिक रूप से मान लिया गया है। "पर्यटन" को समवर्ती सूची में लाने की एक सिफारिश की मेरे मंत्रालय में जांच की जा रही है। समिति की सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई की रिपोर्ट पर्यटन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 29 नवम्बर, 2004 द्वारा राज्य सभा सचिवालय को दे दी गई है।

मैं प्रत्येक सिफारिश के कार्यान्वयन की अवस्थिति भी संलग्न अनुबंध के अनुसार सदन के पटल पर रख रही हूं।

अनुबंध

सिफारिशें (पैरा सं.)	सिफारिशों का सार	अवस्थिति	कार्यान्वयन की अवस्थिति
1	2	3	4
1. (9)	समिति सिफारिश करती है कि योजना परिव्यय का ऐसे तरीके से उपयोग किया जाए कि वे देश में पर्यटन के विकास हेतु अन्य क्षेत्रों से अतिरिक्त निवेश आकर्षित करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकें। इस प्रक्रिया में, पर्यटन मंत्रालय अधिक मांग करने की स्थिति में होगा।	मान ली गई	इस उद्देश्य से कि पर्यटन एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सके, अन्य क्षेत्रों से अतिरिक्त निवेश आकर्षित करने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने सड़कों, रेल और वायु सम्पर्क का विकास करने तथा अन्य महत्वपूर्ण मामलों के संबंध में अनेक मामले संबंधित मंत्रालयों के साथ उठाए हैं और राज्य सरकारों को भी कहा है कि वे स्मारकों के रख-रखाव और संरक्षण के लिए निजी भागीदारी सुनिश्चित करें।
2. (13)	समिति ये सिफारिश करती है कि पर्यटन मंत्रालय रोजगार सृजन में पर्यटन के लाभों का पता लगाने के लिए सक्रिय उपाय करें।	मान ली गई	पर्यटन क्षेत्र में ये अनुमानित है कि 10 लाख रुपयों के निवेश से 47 प्रत्यक्ष रोजगार और 11 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होते हैं, जो कृषि और औद्योगिक क्षेत्र से रोजगार संभावना से कहीं अधिक हैं। अत: पर्यटन मंत्रालय ने रोजगार सृजन में पर्यटन के लाभों का पता लगाने के लिए विभिन्न सक्रिय उपाय किए हैं।

1	2	3	4
			विदेशों में किए गए संवर्धनात्मक प्रयासों के साथ-साथ पर्यटन उत्पादों का उन्नयन करने के विकास संबंधी प्रयासों को बढ़ते पर्यटक आगमन की ओर अंतिम रूप से लक्षित किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप स्थानीय जनता के लिए बेहतर रोजगार अवसर होते हैं।
3. (20 एवं 21)	समिति सिफारिश करती है कि पर्यटन मंत्रालय प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में पर्यटक परिपथ की पहचान करे और पहचान किए गए परिपथों के भीतर पर्यटकों द्वारा अपेक्षित सभी अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करे। चूंकि किसी परियोजना का समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए मानिटरिंग महत्वपूर्ण है, मानिटरिंग एजेंसी सक्रिय भूमिका अदा करे और प्रत्येक परिपथ में विकास कार्यों को पूरा करने के लिए बेहतर कार्यान्वयन और प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने हेतु बाधाओं को दूर करें, यदि कोई हों तो।	आंशिक रूप से मान ली गई	पर्यटक स्थलों की पहचान करने और विकास करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों की है। तथापि, स्वीकृत परियोजनाओं का समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, उन्हें परामर्श दिया गया है कि वे राज्य स्तरीय मानिटरिंग समितियां गठित करें और तिमाही प्रगति रिपोर्टें भेजें। परियोजना स्थलों का मुख्यालय तथा भारत पर्यटन कार्यालयों के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाता है और संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के साथ समय-समय पर होने वाली समीक्षा बैठकों में इनकी प्रगति की मानिटरिंग की जाती है।
4. (24)	समिति सिफारिश करती है कि पर्यटन मंत्रालय ऐसे प्रतिस्पर्धात्मक गंतव्यों का विकास करे जो मूल्य, गुणवत्ता और संतुष्टि की शर्तों में अंतर्राष्ट्रीय स्तरों के बराबर हों और समय एवं लागत में बढ़ोत्तरी से बचने के लिए परियोजनाओं हेतु पर्याप्त आवंटन किया जाए। मंत्रालय परियोजनाओं की मानिटरिंग के लिए कुछ भौतिक और वित्तीय बैंच मार्क्स भी निर्धारित करें।	मान ली गई	परिपथ, गंतव्य और भारी राजस्व सृजक परियोजनाओं हेतु पर्यटन मंत्रालय की अवसंरचनात्मक विकास योजनाओं का उद्देश्य सभी सुविधाओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण पर्यटक गंतव्य विकसित करना है। लागत और समय में बढ़ोत्तरी से बचने के लिए मंत्रालय ने, स्वीकृत राशि का 80 प्रतिशत प्रथम किस्त के रूप में रिलीज करना शुरू किया है और परियोजना कार्यान्वयन की मानिटरिंग को भी सुदृढ़ किया है।
5. (29)	समिति सिफारिश करती है कि पर्यटन मंत्रालय बड़ी संख्या में मेलों तथा उत्सवों और ग्रामीण क्षेत्रों में हस्तशिल्प और शिल्प मेलों/बाजारों के समर्थन, संवर्धन और आयोजन के लिए किसी संस्थागत तंत्र का	आंशिक रूप से मान ली गई	पर्यटन मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में मेलों और उत्सवों सहित दो मेलों और उत्सवों के संवर्धन के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता

1	2	3	4
	विकास करे, जो स्थानीय कलाकारों को अतिरिक्त आय के प्रवाह के साथ-साथ मान्यता भी प्रदान करेंगे और भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों तथा अन्य संबंधित संगठनों/एजेंसियों के साथ सम्पर्क के लिए, राज्य बजट के माध्यम से पर्यटन क्षेत्र हेतु आबंटन बढ़ाने और उस मंत्रालय/विभाग से संसाधन के कनवर्जिंग हेतु सक्रिय समन्वय प्रयास करेंगे।		प्रदान करता है। ग्रामीण पर्यटन की योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर कार्यान्वयन और रोजगार सृजन हेतु संसाधनों के यथोचित कनवर्जिंग के लिए जिला कलेक्टरों के अधीन कवनर्जेंस कमेटियों हेतु प्रावधान किए गए हैं।
6. (32)	समिति ये सिफारिश करती है कि पर्यटन मंत्रालय बेहतर कार्यान्वयन, प्रभावी नियंत्रण, सतत् मानिटरिंग और परियोजनाओं के संतुलित क्षेत्रीय वितरण को सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र तैयार करें।	आंशिक रूप से मान ली गई	पर्यटन परियोजनाओं के अभिनिर्धारण और विकास की जिम्मेदारी, स्थलों की उपलब्धता के आधार पर मुख्यतया राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों की है। तथापि, परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रक्रिया को और सुदृढ़ किया गया है।
7. (37)	समिति सिफारिश करती है कि यात्रा एवं पर्यटन क्षेत्र के असंगठित क्षेत्र में लगे व्यक्तियों को मूल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए क्षमता निर्माण उपायों के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रमों की, अधिक प्रभावी एवं व्यापक आधारित बनाने के लिए, बार-बार व्यवस्था की जाए।	मान ली गई	पर्यटन मंत्रालय भारत पर्यटन कार्यालयों, राज्य सरकारों, होटल प्रबंध संस्थानों, भोजन कला संस्थानों के माध्यम से असंगठित/संगठित क्षेत्र के सेवा प्रदाताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करता रहा है। वर्ष 2004-05 के दौरान अब तक नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार 119.59 लाख रुपयों की राशि रिलीज की गई है:- (1) भारत पर्यटन कार्यालय - 50.00 लाख रु. (2) भारत सरकारें - 48.59 लाख रु. (3) आईएचएमएस - 17.00 लाख रु. (4) एफसीआईएस - 4.00 लाख रु. 'अतिथि देवो भव' शीर्षक से एक ऐसा ही अभियान प्रारंभ किया गया है। इस अभियान के लिए 5.00 करोड़ रुपयों का बजट चिन्हित किया गया है, जिसमें से अभी तक 1.70 करोड़ रुपयों की राशि पहले ही रिलीज कर दी गई है। ये अभियान निम्नलिखित शहरों में पहले ही प्रारंभ किया गया है:- * दिल्ली * जयपुर * आगरा * मुम्बई

1	2	3	4
			* औरंगाबाद * गोवा * हैदराबाद
8. (41)	समिति ने सिफारिश की है कि पर्यटन मंत्रालय सेवा प्रदाताओं की वित्तीय समस्याओं को निपटाए और उनकी सुन्दरता और भव्यता को प्रदर्शित करने तथा पर्यटकों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए जम्मू-कश्मीर हेतु बेहतर सुविधाएं प्रदान करे। पर्यटन मंत्रालय राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को एड्रेस करने के लिए गृह मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय के साथ निरंतर संपर्क रखे जिससे जम्मू-कश्मीर में एक सतत् वृद्धि हेतु विदेशी मार्केटों में राज्य के सुरक्षा परिदृश्य पर सूचान के प्रचार-प्रसार को सहायता मिलेगी।	मान ली गई	पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन क्षेत्र में सेवा प्रदाताओं अर्थात् हाउस बोट मालिकों, होटलों और अतिथि गृहों, शिकारा मालिकों और पोनी वालों को वित्तीय सहायता एवं इमदाद का एक पैकेज प्रदान किया है। योजना आयोग ने इस योजना के लिए 23.63 करोड़ रुपयों का आवंटन किया है। वर्ष 2003-04 के दौरान इस पैकेज के लिए 7 करोड़ रुपयों की राशि स्वीकृत की गई और रिलीज की गई। जम्मू-कश्मीर राज्य सरकार ने अवगत कराया है कि धनराशि का पूरा उपयोग कर लिया गया है। चालू वित्तीय वर्ष 2004-05 में इस योजना के अंतर्गत चिन्हित 9.00 करोड़ रुपयों की राशि, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पैकेज के कार्यान्वयन हेतु, जम्मू-कश्मीर सरकार को 2 किश्त में (5.00 करोड़ रुपए और 4.00 करोड़ रुपए) रिलीज की गई है।
9. (46)	समिति सिफारिश करती है कि पर्यटन मंत्रालय एक ऐसी एकाउंटिंग प्रणाली स्थापित करे जो घरेलू पर्यटन के महत्व एवं विशिष्टताओं के मूल्यांकन में सहायता कर सके। एक प्रीमियर पर्यटन उत्पाद के रूप में पूर्वोत्तर क्षेत्र की घरेलू मार्केटिंग पर विशेष बल अवश्य दिया जाए। ठरहने के बारे में सभी ब्यौरों, टैक्सी/बस किराए, देखे जाने वाले स्थानों के ब्यौरों, आदि वाली सूचना पुस्तिकाएं राज्य पर्यटन विभागों के माध्यम से पूरे देश भर में परिचालित की जाएं। विशेषतया सभी महत्वपूर्ण गंतव्यों में मध्य आय समूह के घरेलू पर्यटकों को लक्षित करते हुए बजट होटलों का प्रावधान होना चाहिए। प्रारंभिक ब्यौरे देने के साथ-साथ प्रारंभिक सूचना ब्रोशर विदेशी पर्यटकों को उपलब्ध कराए जाएं, जो बजट पर्यटक क्षेत्रों को लक्षित होगा।	मान ली गई	चालू वित्तीय वर्ष 2005-06 की कार्य योजना में कार्यान्वयन हेतु, अनन्य रूप से घरेलू मार्किटों में पूर्वोत्तर क्षेत्र के संवर्धन हेतु एक अभियान का प्रस्ताव किया गया है। कार्य योजना में भारत एवं विदेशों में स्थित भारत पर्यटन कार्यालयों, राज्य पर्यटन कार्यालयों, भारतीय दूतावासों/काउंसिलेटों और अन्य संबद्ध एजेंसियों के माध्यम से घरेलू एवं विदेशी पर्यटकों दोनों में वितरण हेतु अनेक ब्रोशरों, मानचित्रों, पर्चियों का उत्पादन भी सम्मिलित है।

1	2	3	4
10. (52)	समिति यह सिफारिश करती है कि सरकार पूर्वी देशों के पर्यटकों को भारत आने के लिए आकर्षित करने पर ध्यान दें, जिनमें बौद्ध तीर्थस्थल तथा विदेशों में खासकर पूर्वी देशों थाइलैंड, कोरिया तथा चीन में अपना कार्यालय स्थापित करने की संभावना की तलाश करना, शामिल है।	मान ली गई	मार्केटिंग तथा संवर्धनात्मक प्रयासों को दृढ़ करने की दृष्टि से विशेषकर पूर्वी तथा दक्षिण-पूर्वी देशों में, पिछले वर्षों की तुलना में विदेशों में प्रचार तथा संवर्धन के लिए बढ़े हुए निधि को आबंटित किया जा रहा है। पर्यटन मंत्रालय द्वारा वित्त मंत्रालय के परामर्श से चीन, दक्षिण कोरिया तथा थाइलैंड में नए कार्यालय खोलने के प्रस्ताव को भी जांचा गया है, तथा प्रारंभ में इन देशों में प्रतिनिधित्व करने वाले कार्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में पर्यटन मंत्रालय ने आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है तथा चीन, दक्षिण कोरिया तथा थाइलैंड में प्रतिनिधित्व करने वाले कार्यालय खोलने के लिए पर्यटन मार्केटिंग के क्षेत्र में दक्षता प्रमाणित कर चुके गंतव्य मार्केटिंग कंपनियों से रुचि अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रित किया गया है।
11. (57)	समिति यह सिफारिश करती है कि पर्यटन के विकास के लिए सरकार की एक मुक्त आकाश नीति तथा अधिक उदार विमानन व्यवस्था होनी चाहिए।	मान ली गई	नागर विमानन मंत्रालय तथा पर्यटन मंत्रालय के बीच लगातार तथा नियमित अंतर कार्यवाही के परिणामस्वरूप वायु सीट क्षमता में वृद्धि तथा निजी कैरियर्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय मार्केट को खोला गया है। इसके अतिरिक्त, 40 मिलियन विदेशी पर्यटकों तथा 60 मिलियन घरेलू पर्यटकों को संभालने के लिए नागर विमानन मंत्रालय द्वारा 20 हवाई अड्डों पर सुविधाओं का उन्नयन किया जा रहा है।
12. (62 और 63)	समिति ने अपनी पहले की सिफारिश को पुन: दोहराया है कि घरेलू तथा विदेशी पर्यटकों की बढ़ती हुई पर्यटन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्यटन मंत्रालय को चाहिए कि वह रेल मंत्रालय के साथ मिलकर रेल सेवा को उपकरणों से सुसज्जित करे। रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों आदि के निकट बेहतर होटल आवास मुहैया करवाएं, ताकि प्रवासी	मान ली गई	बजट होटलों के निर्माण तथा 'विलेज आन व्हील' रेल प्रारंभ करने संबंधी प्रस्ताव आगे की कार्यवाही के लिए रेल मंत्रालय को भेजा गया है।

1	2	3	4
	भारतीयों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। रेल मंत्रालय को इस बात के लिए कहा जा सकता है कि राजधानी/शताब्दी रेलों की तर्ज पर बौद्ध परिपथ पर प्रायोगिक तौर पर कुछ डिब्बों वाली 'स्पेशल टूरिस्ट रेलों' को प्रारंभ करे। इस उद्देश्य के लिए विदेशी सहायता प्राप्त करने की संभावना तथा निजी क्षेत्र की भागीदारी का भी पता लगाना चाहिए। साथ ही साथ पर्यटन विभाग महत्वपूर्ण पर्यटक गंतव्यों पर जन सुविधाएं तथा सैनीटेशन प्रदान करने के लिए अपने दृष्टिकोण में निश्चित रूप से सक्रिय रहें। यह राज्य सरकार/स्थानीय निकायों/नगर निगम की भागीदारी से किया जा सकता है। समिति ने यह भी सिफारिश की है कि रेल मंत्रालय द्वारा शुरू की गई 'विलेज आन व्हील' को ग्रामीण पर्यटन से जोड़ा जाए तथा पर्यटन मंत्रालय को बजट टूरिस्ट को मोहक ग्रामीण भारत का अनुभव प्रदान करने के लिए व्यापक टूर पैकेज तैयार करना चाहिए।		
13. (68)	समिति यह सिफारिश करती है कि पर्यटन मंत्रालय राज्य सरकारों का समर्थन प्राप्त करे और नवीं योजनावधि की अधूरी/छोड़ दी गई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र को काम में लगाये ताकि पर्यटन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी होने और लागत बढ़ने से बचा जा सके। पर्यटन मंत्रालय और राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के बीच परियोजनाओं की प्रगति के मानिटरिंग के लिए कुछ संस्थागत प्रबंध किए जाएं ताकि ये मिलजुल कर काम कर सकें।	आंशिक रूप से मान ली गई।	परियोजना कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों द्वारा कार्यकारी एजेंसियों को लिए जाते हैं। परियोजना कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा राज्य पदाधिकारियों के साथ समय-समय पर आयोजित समीक्षा बैठकों में की जाती है।
14. (70 एवं 71)	समिति यह सिफारिश करती है कि सभी संबंधित एजेंसियों को समन्वित करने के लिए पर्यटन मंत्रालय का राष्ट्रीय पर्यटन संवर्धन बोर्ड के रूप में एक संस्थागत प्रबंधन तंत्र होना चाहिए। इस बोर्ड के स्थाई सदस्य होने चाहिए और इन प्रयासों में सहायता देने के लिए एक कार्यकारी सचिवालय वहां होना चाहिए।	मान ली गई।	पर्यटन मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय की समन्वय समिति चल रही आधार पर अंतर-संबंधित परियोजनाओं के कार्यान्वयन की मानिटरिंग और समीक्षा करती है। हाल ही में एक मुख्य घटना में संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से ताज का 350वां वर्ष समारोह के लिए अभियान रहा है।
15. (80)	समिति यह सिफारिश करती है कि राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं को कार्यान्वित करने के अलावा पर्यटन मंत्रालय पूर्वोत्तर क्षेत्र में अवसंरचना और उत्पाद के	मान ली गई।	सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन के विकास और संवर्धन के लिए तैयार की गई युद्ध नीति के अनुसरण में पर्यटन

1 2 3 4

संवर्धन में सहायता देने के लिए परियोजनाओं को प्राथमिकता दे। पर्यटन मंत्रालय, पूर्वोत्तर क्षेत्र विभाग, पूर्वोत्तर विकास परिषद के बीच उचित समन्वय स्थापित किए जाएं ताकि पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने में सहायता मिल सके। चूंकि सभी पूर्वोत्तर राज्यों में जमीनी हकीकत, कानून और व्यवस्था की स्थिति एक दूसरे से भिन्न है। प्रत्येक राज्य के लिए राज्यवार सर्वेक्षण किए जाएं और तद्नुसार टूर पैकेज तैयार करें।

मंत्रालय उत्पाद अवसंरचना और गंतव्य विकास के अंतर्गत मुख्य परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। अवसंरचना और गंतव्य विकास (ग्रामीण पर्यटन परियोजनाओं सहित)। सिक्किम सहित पूर्वोत्तर के विभिन्न राज्यों में पर्यटन परिपथों का एकीकृत विकास तथा वृहत राजस्व सृजक परियोजनाओं की योजनाएं। इस संबंध में मंत्रालय मिजोरम, नागालैंड और मेघालय राज्यों में पर्यटक गंतव्य और पर्यटन परिपथों के विकास के लिए साध्यता रिपोर्ट और विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करने के लिए धन दिया। इस मंत्रालय द्वारा इस पर कुल 16,25,450.00 रुपए खर्च किए गए।

वर्ष 2004-05 के दौरान स्वीकृत की गई परियोजनाएं निम्नानुसार हैं-

राज्य का नाम	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि
अरुणाचल प्रदेश	6	1285.70
असम	3	1025.30
मणिपुर	–	82.44*
मेघालय	2	994.98
मिजोरम	2	1081.28
नागालैण्ड	5	2621.69
सिक्किम	3	694.98
त्रिपुरा	–	344.08*
कुल	21	8130.45

*चल रही परियोजनाओं के लिए अवपुक्त राशि

पूर्वोत्तर में पर्यटक अवसंरचना के विकास के लिए बजट अनुमान 2004-05 में आबंटित 35.00 करोड़ रुपए के एकमुश्त पूर्वोत्तर प्रावधान में स्वीकृत धनराशि बहुत अधिक है।

व्यापक घरेलू संभावना को लक्षित करने में अपनी युद्ध नीति में समारोह, मेलों

1	2	3	4
			और उत्सवों, सांस्कृतिक विविधताओं और पूर्वोत्तर क्षेत्र की सुन्दरता को प्रदर्शित करने के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रचार अभियान चलाए गए और इसके लिए धन दिया गया ताकि लोगों में जागरूकता बढ़े, घरेलू पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हो तथा स्थानीय लोगों के लिए अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध हों। संचार सम्पर्क में दूरी को कम करने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने काफी संख्या में परियोजनाएं शुरू की हैं और सूचना प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र को काफी धनराशि दी गई है।
16. (84)	समिति यह सिफारिश करती है कि पर्यटन मंत्रालय सभी उचित एजेंसियों के साथ सम्पर्क स्थापित करे तथा पैकेज/रोड मैप तैयार करे एवं वित्त मंत्रालय के साथ इस मामले में आगे कार्रवाई करे ताकि यात्रा एवं पर्यटन क्षेत्र के संवर्धन के लिए एकरूप कर ढांचा तैयार किया जा सके।	मान ली गई।	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा करों को युक्तिसंगत बनाने संबंधी मामले को 4 और 5 मार्च 2005 में नई दिल्ली में आयोजित राज्य पर्यटन मंत्री सम्मेलन में शामिल किया गया था। सम्मेलन में इस मामले में विचार-विमर्श किया गया। अपनाए गए संकल्पों में एक संकल्प यह था कि राज्य अपने गंतव्य को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के बारे में करों को युक्तिसंगत और एकरूप बनाने की ओर कार्य करने के लिए सहमत थे। इस बात पर जोर दिया गया था कि केवल इसी से ही पर्यटक आगमनों में वृद्धि हो सकेगी और अधिक राजस्व सृजित हो सकेगा। वे इस बात पर भी सहमत हुए कि प्रत्येक जोन में एकरूप कर प्रणाली माडल की भी जांच की जाएगी। दक्षिणी राज्यों ने यह घोषणा की कि वे शीघ्र ही ''रीजनल सम्मिट'' बुलाएंगे जिसमें करों को युक्तिसंगत बनाने का भी मुद्दा होगा और जिस पर विचार-विमर्श किया जाएगा। पंजाब राज्य ने भी यह कहा कि उन्होंने उत्तरी क्षेत्र में अन्य राज्यों के साथ भी

1	2	3	4
			इस मुद्दे को विशेष रूप से पर्यटक परिवहन पर करों के बारे में उठाया है। राज्यों ने महानगर के शहरों और पर्यटन स्थलों में पर्याप्त होटल के कमरों के विकास की सुविधा के लिए री-जोनिंग एवं री-डेफाईनिंग करके अपनी भूमि नीति को स्ट्रीमलाईन में लाने के लिए कार्य करेंगे।
17. (88)	समिति यह सिफारिश करती है कि पर्यटन मंत्रालय की वेबसाइट विश्व में किसी भी स्थान से जानकारी 24×7×365 शिकायत के लिए इंटरएक्टिव स्पेस तथा एक काल सेंटर हेतु प्रावधान करे।	मान ली गई।	पर्यटन मंत्राल के वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.इंक्रेडिबल. आर्ग का पूर्णरूपेण नवीकरण किया गया है और दिसंबर, 2004 में इसे शुरू किया गया है। पर्यटकों के फायदे के लिए इन्क्रेडिबल इंडिया फैसिलिटेशन सर्विस (आई आई एफ एस) नामक टेलीकाम आधारित सुविधा सेवा को लागू करने के एक प्रस्ताव के कार्यान्वयन पर भी वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005-06 के दौरान विचार किया जा रहा है। पर्यटन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर शुरू किए गए प्रिंट तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया अभियानों, विश्वव्यापी वेब पर आनलाइन अभियानों के माध्यम से साइट पर ट्रेफिक में वृद्धि की जाती है।
18. (92)	समिति यह सिफारिश करती है कि पर्यटन मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफार्मों पर भारत के अद्वितीय सांस्कृतिक महत्व तथा आध्यात्मिक विरासत को प्रदर्शित करने और दोस्ती के गठजोड़ों को चौड़ा करने के लिए पर्यटन के द्विपक्षीय संवर्धन हेतु पहचान कर अन्य देशों के साथ बातचीत करता रहे। विकास की राह को आसान बनाने के लिए देश में उपयुक्त क्षेत्रीय हबों को विकसित करने की आवश्यकता है, जो पर्यटकों के लिए एक प्रवेश बिन्दू के रूप में अनुकूल स्थानीय लाभ लेते हैं।	मान ली गई।	बिम्सटेक सहयोग में पर्यटन क्षेत्र हेतु एक प्रमुख देश के रूप में तथा 2005 के विजिट बिम्सटेक वर्ष के रूप में घोषित किए जाने की वजह से पर्यटन मंत्रालय ने 21 से 23 फरवरी 2005 तक कोलकाता में पर्यटन मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, पर्यटन संबंधी संगठनों के वरिष्ठ पदाधिकारियों के लिए राउंड टेबल तथा कार्यशाला का आयोजन किया जिसके उपरांत इस क्षेत्र में पर्यटन के बहुपक्षी संवर्धन को एक ताजा प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए असम तथा मेघालय की 4 दिन की परिचालक यात्रा की गई।

1	2	3	4
			पर्यटन मंत्रालय आने वाले पर्यटकों के लिए प्रवेश स्थान के रूप में सुस्पष्ट स्थानीय लाभ वाले स्थानों पर क्षेत्रीय हबों को विकसित करने के लिए नागर विमानन मंत्रालय के साथ बातचीत कर रहा है।
19. (96)	समिति यह सिफारिश करती है कि पर्यटन क्षेत्र को संवैधानिक मान्यता प्राप्त करने तथा पर्यटन के विकास हेतु केन्द्र सरकार को कानून बनाने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से संविधान की समवर्ती सूची में पर्यटन को शामिल किए जाने के लिए सम्मिलित प्रयास किए जाने चाहिए।	जांच प्रक्रिया में	भारत के संघ तथा राज्यों के बीच वैधानिक अधिकारों के बंटवारों की योजना के अंतर्गत, जैसा कि भारत की संविधान के धारा 246 में निर्दिष्ट है, पर्यटन के विषय को सातवीं अनुसूची की 'समवर्ती सूची' में अथवा 'राज्य सूची' में अथवा संघ सूची में भी कोई स्थान नहीं मिला है। इसी को ध्यान में रखते हुए एक क्रमबद्ध तरीके से पर्यटन के विकास को चैनलाइज करने में मदद करने तथा पर्यटन क्षेत्र को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से 'समवर्ती सूची' में पर्यटन को शामिल करने के लिए कुछ समय पूर्व पर्यटन विभाग द्वारा एक प्रस्ताव पर पहल किया गया था। इस प्रस्ताव पर सभी राज्य सरकारों के विचार/टिप्पणी लेने का पारस्परिक निर्णय लिया गया था। उपरोक्त निर्णय के अनुसरण में प्रस्ताव पर सहमति के लिए इस मामले को सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को भेजा गया। आज तक 29 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में 'समवर्ती सूची' में 'पर्यटन' को रखने पर सहमति जताई है और छह राज्यों यथा आंध्र प्रदेश, जे एंड के, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु तथा महाराष्ट्र ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है। समवर्ती सूची में 'पर्यटन' को शामिल किए जाने के निहितार्थ और देश में पर्यटन के विकास में यह किस प्रकार सहायक होगा; क्या समवर्ती सूची में 'पर्यटन' को शामिल करना व्यवहारिक

1	2	3	4
			है, यह देखते हुए कि यह आवास, खाद्य एवं पेय, परिवहन सेवाओं, यात्रा एवं व्यापार सेवाएं, मनोरंजन जिसमें अन्य बहुत से मंत्रालय/विभाग तथा निजी क्षेत्र और मौजूदा राज्य विधान आदि शामिल हैं; जैसे कि ये मामले जटिल हैं और इसमें केन्द्र-राज्य संबंध शामिल हैं, आतिथ्य सेवाओं, आदि को रेगुलेट करने के कानून के साथ-साथ इन सभी मामलों का परीक्षण सावधानीपूर्वक किया जा रहा है।
20. (103)	समिति यह सिफारिश करती है कि मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में प्रशिक्षित जनशक्ति की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र और संस्थान खोले जाएं तथा पर्यटन क्षेत्र में संस्थानों को मानिटर करने एवं समन्वय हेतु मंत्रालय को एक डीम्ड सेंट्रल युनिवर्सिटी स्थापित करना चाहिए।	मान ली गई।	इस मामले में राष्ट्रीय होटल प्रबंध एवं केटरिंग तकनालाजी परिषद (एनसीएचएमसीटी) को सांविधिक दर्जा प्रदान करने हेतु कानूनी राय लेने के उपरांत मसौदा बिल तैयार कर लिया गया है और सक्षम अधिकारी के मंजूरी हेतु सौंपे जाने से पूर्व इसकी जांच की जा रही है।
21. (107)	समिति यह सिफारिश करती है कि पर्यटन मंत्रालय भारत में पूर्वी-तट में स्थित अन्य बीचों पर क्रूज पर्यटन के विकास हेतु संभावना की तलाश करे।	मान ली गई।	पर्यटन मंत्रालय घरेलू पर्यटकों की आवश्यकताओं तथा पसंद को सूट करने वाले क्रूज परिपथों की योजना बनाने तथा क्रूज शिपिंग को शुरू करने के लिए निजी उद्यमियों को प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रहा है। भारत सरकार ने देश में क्रूज पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए काफी कार्य किए हैं। उदाहरणार्थ, कैबोटेज कानून में (2003 से शुरू) पांच वर्षों की अवधि के लिए छूट दी गई है। इससे बीच में बगैर विदेशी बंदरगाह को छुए विदेशी क्रूज जहाजों को भारतीयों को एक भारतीय बंदरगाह से दूसरे पर ले जाने में सुविधा होती है। इस प्रकार भारतीय पर्यटकों को विदेशी क्रूज लाइनर पर चढ़कर आश्चर्यजनक रूप से अपने खुद के विविधतापूर्ण देश को जानने का प्रोत्साहन मिलता है।

1	2	3	4
			भव्य अवसंरचना के साथ भारत को एक आकर्षक क्रूज पर्यटन गंतव्य बनाने के लिए क्रूज पर्यटन पर राष्ट्रीय समिति ने क्रूज शिपिंग हेतु 5 बंदरगाहों की पहचान की गई है, जो निम्न प्रकार से हैं: 1. कोचीन 2. न्यू मंगलोर 3. मोरमूगांव 4. मुंबई 5. तुतिकोरिन पोर्ट उपरोक्त बंदरगाहों पर उपलब्ध मौजूदा अवसंरचनात्मक सुविधाएं क्रूज पैसेंजर लाइनरों और क्रूज पैसेंजरों के लिए पर्याप्त हैं। क्रूज पर्यटन संभावना के लिए अभिनिर्धारित अन्य बंदरगाह नीचे दिए गए हैं- 1. कोलकाता/हल्दिया 2. चेन्नई 3. नागापट्टनम 4. विजाग 5. पोर्ट ब्लेयर इन बंदरगाहों को, प्रत्येक बंदरगाह पर आवश्यक अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराने के बाद क्रूज शिपिंग के लिए संवर्धित किया जाएगा।
22. (112)	समिति सिफारिश करती है कि पर्यटन मंत्रालय राष्ट्रीय पार्कों और वन्य जीव अभ्यारण्यों में पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाओं हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के साथ समन्वय करे।	मान ली गई।	भारत जीवन जन्तु एवं वनस्पति की समृद्ध किस्मों के साथ-साथ वन्य जीव को एक समृद्ध विविधता का घर है। यह देश वन्य जीव पर्यटन के लिए व्यापक अवसर प्रदान करता है। भारत में वन्य जीव की व्यापक हैरिटेज प्रकृति प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग है, ये वन क्षेत्र चीते, शेर, एशियाई हाथी, बंगला टाईगर और साईबेरियन क्रेन जैसी संकटापन्न प्रजातियों

1	2	3	4
			के संरक्षण के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। राजस्थान में रणथम्बोर राष्ट्रीय पार्क से लेकर झारखंड में हजारीबाग वन्य जीवन अभ्यारण्य, जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क, हिमाचल के फुटहिल से अण्डमान में 6 राष्ट्रीय पार्कों तक, पूरे भारत वर्ष में पहले ये रिजर्व और वन क्षेत्र, भारतीय वन्य जीव परिपथ एक इनक्रेडिबल ट्रीट हैं जिनकी किसी अन्य अनुभव से तुलना नहीं की जा सकती। भारत में वन्य जीव पर्यटन के संवर्धन के लिए पर्यटन मंत्रालय ने निम्नलिखित कदम उठाये हैं:- 1. राष्ट्रीय पार्कों और वन्य जीव अभ्यारण्यों में अवसंरचना के सृजन के लिए राज्य पर्यटन विभागों को निधियां प्रदान कीं। 2. भारत में वन्य जीव पर ब्रोशर मुद्रित किए। 3. भारत में वन्य जीव पर फोटो सीडी रोम। 4. विदेशी टूअर आपरेटरों, पत्रकारों और मीडिया टीमों को भारत की वन्य जीव संपदा का अनुभव करने के लिए, भारत के फैम ट्रिपों पर आमंत्रित किया जाता है। 5. वन्य जीव पर्यटन पर डिस्कवरी और नैशनल जोग्राफिक चैनलों में विज्ञापन अभियान।
23. (116)	समिति सिफारिश करती है कि उत्तरांचल में चार धाम यात्रा परिपथ के विकास हेतु स्वीकृत कार्यों को एक समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए और एकीकृत विकास हेतु कार्य की प्रगति को मानिटर किया जाए। पर्यटन मंत्रालय नागर विमानन मंत्रालय के समन्वय से बद्रीनाथ, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए हेलीकाप्टर सेवाएं प्रारंभ करे ताकि	मान ली गई।	पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार में वित्तीय वर्ष 2004-05 के दौरान निम्नलिखित पर्यटन परियोजनाओं के लिए, उनके परामर्श से पर्यटन मंत्रालय द्वारा तैयार की गई योजनाओं के अनुसार उत्तरांचल राज्य सरकार को केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की है:

1	2	3	4

तीर्थ यात्री थोड़े समय में उनकी यात्रा के लिए इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकें।

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	उत्तरांचल में पर्यटन परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि
1.	एक पर्यटक गंतव्य के रूप में पौड़ी-खिरसू-लैंसडाउन का विकास	457.93	361.60
2.	दवारा-बुगयाल परिपथ का विकास	536.36	429.08
3.	पिथौरागढ़-मुनसीयारी-बेरीनाग का विकास	418.60	334.88
4.	बद्रीनाथ धाम यात्रा परिपथ का एकीकृत विकास	702.09	561.67
5.	यूएनडीपी-इंडोजिनियस पर्यटन परियोजना स्थल: मान्ना जिला चमौली	20.00	16.00
6.	30 पर्यटक विश्राम गृहों और 10 क्षेत्रीय कार्यालयों में डब्ल्यू ए एन (वाईड एरिया नेटवर्क) के माध्यम से इंटरनेट के साथ टूरिज्म नेटवर्किंग	50.00	40.00
	कुल	2184.96	1743.23

पर्यटन मंत्रालय ने उत्तरांचल में हेलिकाप्टर सेवाओं का मामला नागर विमानन मंत्रालय के साथ उठाया है।

अपराह्न 12.05 बजे

(नौ) नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2004-05) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के अठहत्तरवें और अट्ठासीवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): महोदय, मैं माननीय अध्यक्ष, लोक सभा द्वारा जारी नए निर्देश 73ए के अनुक्रम में नागर विमानन मंत्रालय की वर्ष 2004-05 तथा 2005-06 की अनुदान मांगों पर परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय स्थायी समिति से संबंधित विभाग की 78वीं तथा 88वीं रिपोर्ट में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर यह वक्तव्य* दे रहा हूं।

*वक्तव्य सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 2261/05

यह एक लम्बा वक्तव्य है। क्या आप मुझे इसे पढ़ने की अनुमति देंगे?

अध्यक्ष महोदय: नहीं, क्या आप किसी विशेष बिन्दु पर बल देना चाहेंगे? यह माननीय सदस्यों को परिचालित किया जायेगा।

श्री प्रफुल पटेल: इसे माननीय सदस्यों को परिचालित किया जायेगा लेकिन कुछ टिप्पणियां हैं। मैं एक पैराग्राफ पर बल देना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय: कौन-सा पैराग्राफ?

श्री प्रफुल पटेल: यह पैराग्राफ 27 है। यथा-

"भारतीय अनुसूचित विमान कंपनियों को अन्तर्राष्ट्रीय मार्गों पर उड़ान भरने की अनुमति प्रदान करने का मौजूदा सरकार का निर्णय दिनांक 29 सितम्बर, 2004 को लिया गया था। मैं संक्षेप में इस निर्णय की पृष्ठभूमि का उल्लेख करूंगा..."

यह विस्तृत उल्लेख है। मैं इसे परिचालन हेतु सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय: धन्यवाद।

श्री प्रफुल पटेल: *मैं दिनांक 1 सितम्बर, 2004 के लोक सभा बुलेटिन भाग-2 के तहत माननीय अध्यक्ष, लोक सभा द्वारा जारी नए निदेश 73ए के अनुक्रम में नागर विमानन मंत्रालय की वर्ष 2004-05 तथा 2005-06 के लिए अनुदान मांगों पर परिवहन पर्यटन और संस्कृति पर संसदीय स्थायी समिति से संबंधित विभाग की 78वीं और 88वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर यह विवरण दे रहा हूं।

परिवहन, पर्यटन तथा संस्कृति पर स्थायी समिति ने नागर विमानन मंत्रालय की वर्ष 2004-05 के लिए अनुदान मांग पर विचार करने के लिए 9.8.2004 को अपनी बैठक की थी। समिति ने नागर विमानन मंत्रालय के अधिकारियों का मौखिक साक्ष्य भी लिया। समिति ने मंत्रालय के लक्ष्यों, उद्देश्यों तथा उपलब्धियों के संदर्भ में नागर विमानन मंत्रालय की 2004-05 के लिए अनुदान मांगों का विश्लेषण किया।

अपनी रिपोर्ट में स्थानीय समिति ने कुल 14 सिफारिशें कीं नागर विमानन मंत्रालय द्वारा इन सिफारिशों की सावधानीपूर्वक छानबीन की गई है तथा इन सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई उत्तर दिनांक 2 मार्च, 2005 के इस मंत्रालय के का.ज्ञा. के तहत समिति को प्रस्तुत कर दिया गया है। की-गई-कार्रवाई रिपोर्ट वाला एक विवरण अनुबंध के रूप में संलग्न है।

विभिन्न मुद्दों पर स्थायी समिति द्वारा सुझाई गई स्थिति को नागर विमानन मंत्रालय द्वारा विस्तार रूप में स्वीकार कर लिया गया है तथा संबंधित संगठनों के संबंध में संबंधित प्रस्तावों पर कार्रवाई की जा रही है।

समिति ने नागर विमानन मंत्रालय की 2005-06 के लिए अनुदान मांगों पर विचार करने के लिए 30 मार्च, 2005 तथा 5 अप्रैल, 2005 को हुई बैठक के दौरान नागर विमानन मंत्रालय के अधिकारियों का मौखिक साक्ष्य लिया था।

हमने नागर विमानन मंत्रालय की 2005-06 के लिए अनुदान मांगों पर परिवहन, पर्यटन और संस्कृति पर संसदीय स्थायी समिति से संबंधित विभाग की हाल ही में 88वीं रिपोर्ट प्राप्त की है। इस रिपोर्ट में समिति ने नागर विमानन मंत्रालय के कार्यकलापों पर कई सिफारिशें की हैं। हम निम्नलिखित सिफारिशों के लिए समिति के बहुत आभारी हैं:-

(क) इस वर्ष में शीतकाल के दौरान राज्य में बहुत अधिक बर्फबारी के बाद जम्मू और कश्मीर से तथा सुनामी की तबाही के बाद अण्डमान और निकोबार से लोगों को निकालने में इंडियन एयरलाइंस तथा एलाइंस एयर द्वारा निभाई गई भूमिका के संबंध में प्रशंसा।

(ख) उस सिफारिश के लिए कि केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के खंड 14 के अधीन एटीएफ को घोषित सामान के रूप में अनुमोदन तथा अधिसूचित करना, जिससे एटीएफ पर बिक्री कर को 4% की अधिकतम सीमा तक रखा जा सके।

(ग) इस सिफारिश के लिए, कि वित्त मंत्रालय को सीमांत लाभकारी कर के बारे में निर्णय पर पुन: विचार करना चाहिए।

(घ) समिति की इस सिफारिश के लिए, कि वित्त मंत्रालय को सितम्बर, 2004 के बाद लीज पर विमान अथवा विमान इंजिन की खरीद पर करार पर कर से छूट प्रदान करने के लिए विशेष विचार करना चाहिए।

विमानन सेक्टर में प्रशिक्षित जनशक्ति की आवश्यकता के संबंध में तथा एयरलाइनों में जनशक्ति को बनाए रखने के बारे में समिति द्वारा व्यक्त अभिमत बहुत सामयिक है तथा अग्रता के आधार पर इन्हें कार्यान्वयन के लिए हाथ में लिया जाएगा।

इंडियन एयरलाइंस द्वारा लिए जाने वाले प्रस्तावित विमानों के मूल्यों के संबंध में, मैं यहां यह कहना चाहूंगा कि इंडियन एयरलाइंस के निदेशक मंडल ने 10,237 करोड़ रुपए की कुल लागत पर सीएफएम 56 इंजिनों वाले 43 विमानों की खरीद के लिए एक प्रस्ताव का अनुमोदन किया था। जहां तक विमान के मूल्य के संबंध में समिति की चिन्ता का संबंध है, इनके लिए एक निर्धारित कार्यविधि है जिसका अनुपालन किया जाना है। यह नोट किया जा सकता है कि पीआईबी का अनुमोदन नवम्बर, 2004 में लिया गया था। इंडियन एयरलाइन्स की आंतरिक समझौता समिति, जिसने सीवीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार न्यूनतम बोलीदाता के साथ समझौता किया, का कार्य पूर्व नियंत्रक और महालेखाकार, श्री सी.जी. सोमैया की अध्यक्षता वाली निगरानी समिति के पर्यवेक्षण में किया गया था जिसकी स्थापना मूल्य समझौते में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दृष्टि से की गई है।

समझौता समिति की अंतिम रिपोर्ट मार्च, 2005 में प्राप्त हुई थी तथा अंतर-मंत्रालयी परामर्श के लिए आर्थिक कार्यों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति का एक प्रारूप नोट परिचालित किया गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अनुपालन की गई कार्यविधि से

*...*वक्तव्य का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

सीवीसी को अवगत कराने के लिए एक नोट सीवीसी को भी भेजा गया था।

कोलकाता से अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा एलटीसी सुविधा के संबंध में समिति की सिफारिश को कार्मिक विभाग के साथ उठाया जाएगा। जहां तक एपेक्स किराए का संबंध है, इन्हें पहले ही लागू कर दिया गया है। निजी आपरेटरों द्वारा सामाजिक दायित्वों के शेयरिंग के संबंध में संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों को नोट कर लिया गया है। यह बताया जाता है कि मार्ग संवितरण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों का उद्देश्य सामाजिक दायित्वों को सुनिश्चित करना है।

पवन हंस हेलीकाप्टर्स लि. ने 155 साप्ताहिक उड़ानों से 64 सेक्टरों में 33 गंतव्य स्थानों को जोड़ा हुआ है। जहां तक फिक्स्ड विंग विमानों द्वारा दुर्गम्य पहाड़ी स्थानों को हेलीकाप्टर से जोड़ने का संबंध है, यहां यह बताया जा सकता है कि पी एच एच एल अगस्त मुनि से केदारनाथ धाम के लिए कुछ उड़ानें प्रचालित करती है। पी एच एच एल ने पहाड़ों में उत्तरांचल से कुछ महत्वपूर्ण पर्यटक स्थानों को विमान सेवा से जोड़ने के लिए अगस्त, 2003 में गढ़वाल विकास मंडल लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्किम, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह पवन हंस हेलीकाप्टरों का प्रयोग करते हैं। यदि हेलीकाप्टर दीर्घावधिक वेटलीज आधार पर ले लिया जाता है, तो पवन हंस अन्य क्षेत्रों में भी नियमित हेलीकाप्टर सेवा प्रचालित करना चाहेगी।

नागर विमानन मंत्रालय बढ़ती हुई हेलीकाप्टर दुर्घटनाओं के बारे में सजग है। हेलीकाप्टरों के अनुरक्षण तथा प्रचालनों की देखभाल के लिए, 17 सितम्बर, 2003 को नागर विमानन महानिदेशालय में एक हेलीकाप्टर ग्रुप का गठन किया गया है। हेलीकाप्टरों के लिए नागर विमानन महानिदेशालय में एक अलग सैल जिसके लिए योजना आयोग को प्रस्तुत किया गया है, बनाये जाने तक, यह ग्रुप कार्य करेगी।

जहां तक नागर विमानन महानिदेशालय में पायलटों की प्रवीणता रेटिंग प्रणाली का संबंध है, दिनांक 4.5.2005 को इसका उत्तर राज्य सभा सचिवालय को भेज दिया गया है।

नई एयरलाइनों को प्रचालनों की अनुमति दिए जाने से पूर्व उचित अवसंरचना की उपलब्धता के मामले में व्यक्त किए गए विचारों के संबंध में, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को पहले ही पार्किंग-बे की अतिरिक्त मांग को पूरा करने की योजना बनाने का सुझाव दिया गया है। दिल्ली तथा मुम्बई हवाईअड्डों के आधुनिकीकरण के प्रस्ताव पर समिति के अभिमत के संबंध में, यह स्पष्ट किया जाता है कि उपयुक्त स्तरों पर निर्णय लिए जाने के पश्चात पुनर्संरचना की प्रक्रिया को एक निश्चित आकार मिल गया है तथा अन्य ट्रांजेक्शन दस्तावेजों सहित प्रस्ताव दस्तावेज की अनुरोध को 1 अप्रैल, 2005 को प्री-क्वालीफाइड बोलीकर्त्ताओं को उपलब्ध करा दिए गए हैं ताकि वे 12 सप्ताहों के भीतर अपनी तकनीकी अथवा वित्तीय बोलियां प्रस्तुत कर सकें। वैश्विक तकनीकी सलाहकारों ने इन हवाईअड्डों पर 20 वर्षों में विकास योजना पर होने वाले संभावित व्यय का अनुमान लगाया है, जो लगभग 14,000 करोड़ रुपए है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के संयुक्त फारम द्वारा बृहत वैकल्पिक योजना अभी प्रस्तुत की जानी है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, बृहत वैकल्पिक योजना तैयार करने के लिए संयुक्त फारम को हर संभव सहायता उपलब्ध कराएगा। संयुक्त फारम से जब भी योजना प्राप्त होगी, सरकार मेरिट के आधार पर उस पर विचार करेगी। अन्य मेट्रो हवाईअड्डों की पुनर्संरचना तथा आधुनिकीकरण के लिए भी इसी प्रकार की प्रक्रिया पर विचार किया जाएगा तथा निकट भविष्य में यथा समय में सरकार द्वारा यह कार्य आरंभ किया जाएगा। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस मंत्रालय द्वारा भी 25 अनंतिम रूप से चुनिंदा गैर-मेट्रो हवाईअड्डों के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया आरंभ की गई है।

इसी प्रकार, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि दिल्ली तथा मुम्बई हवाईअड्डों को विश्व-स्तरीय मानकों के रूप में पुनर्संरचना तथा आधुनिकीकरण किए जाने संबंधी कार्य की लागत 20 वर्षों की अवधि में अनुमानत: 14,000 करोड़ रुपए से अधिक होगी। इस समय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पास आरक्षित पूंजी के रूप में केवल लगभग 1200 करोड़ रुपए उपलब्ध हैं। यदि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा अपने आंतरिक संसाधनों से इन हवाईअड्डों के विकास को वित्तपोषित किया जाता है तो, यह स्पष्ट है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पास अन्य हवाईअड्डों के विकास तथा अनुरक्षण के लिए निधियां नहीं रह जाएंगी। दूसरी ओर, दो मेट्रो हवाईअड्डों की पुनर्संरचना के पश्चात भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अन्य स्रोतों से राजस्व प्राप्त करता रहेगा, जो कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा संचालित अन्य हवाईअड्डों के अनुरक्षण तथा उन्नयन के लिए पर्याप्त होगा।

विश्व स्तर के मानकों के अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डों के रूप में हवाईअड्डों को श्रेणीबद्ध करने के संबंध में समिति के सुझाव को स्वीकार कर लिया गया है तथा इस पर उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

हैदराबाद में नए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के पूंजीगत ढांचे के प्रश्न पर पहले ही यह निर्णय ले लिया गया है कि सरकार तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण मिलकर हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा

श्री प्रफुल पटेल]

लि. में 26% इक्विटी के हकदार होंगे (प्रत्येक 13%) तथा शेष 74% की इक्विटी निजी क्षेत्र की होगी।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि नए हवाईअड्डे के प्रचालित होने के बाद मौजूदा हवाईअड्डे को सिविल प्रचालनों के लिए बंद किए जाने का निर्णय, सरकार द्वारा योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित अवसंरचना संबंधी कार्यदल की सिफारिशों के आधार पर लिया गया था। मौजूदा हवाईअड्डे पर विस्तार के संबंध में अनेकों गंभीर सीमाएं हैं क्योंकि वहां प्रकृति तथा मानव निर्मित बाधाएं यथा पहाड़, रेलवे ओवरब्रिज, फैक्टरी, चिमनी, भवन आदि विद्यमान हैं तथा मौजूदा रनवे के 9080 फीट लम्बे होने के बावजूद एप्रोच मार्ग में बाधा होने के कारण अवतरण की लम्बाई 7060 फीट है। इस समय में इस मामले पर पुनर्विचार से भारत सरकार को डिफाल्ट का सामना करना पड़ेगा तथा एच आई ए एल को क्षतिपूर्ति का भुगतान भी करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त, इससे सार्वजनिक-निजी साझेदारी के माध्यम से अवसंरचना के विकास कार्य में निजी क्षेत्र की भागीदारी के संबंध में सरकार की नीति की विश्वसनीयता पर प्रत्याशित भावी निवेशकों में अनिश्चितता की भावना भी आ सकती है।

जहां तक, बैंगलोर तथा हैदराबाद हवाईअड्डों के विकास के लिए तत्पर नई कंपनी में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कर्मचारियों को लिए जाने का संबंध है, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि आवधिक बैठकों के माध्यम से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कर्मचारी संयुक्त फारम के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श किए जा रहे हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, दिल्ली तथा मुम्बई हवाईअड्डों की पुनर्संरचना किए जाने की स्थिति में इन हवाईअड्डों पर कार्यरत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कर्मचारियों को पूर्ण संरक्षण प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। ये कर्मचारी पूर्ववर्ती शर्तों एवं निबंधनों के अंतर्गत कार्य करते रह सकते हैं।

सरकार ने हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा लि. से इस आशय का कम्फर्ट लैटर प्राप्त किया है कि एच आई ए एल, मौजूदा हैदराबाद हवाईअड्डे पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति/एबजोर्पशन के आधार पर लेने पर विचार करेगा। सरकार, बैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा लि. के साथ मौजूदा बैंगलोर हवाईअड्डे के कर्मचारियों से संबंधित मामलों को उठाने के लिए रियायत समझौते के अंतर्गत उपलब्ध विकल्पों पर विचार कर रही है।

किसी एयरलाइन विशेष के लिए अंतर्राष्ट्रीय मार्ग खोले जाने तथा उसे कुछ अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर पैसेज अधिकार प्रदान किए जाने से, उस विशेष एयरलाइन के आई पी ओ की संभावना में सहायता प्रदान किए जाने के संबंध में स्थायी समिति द्वारा दिए गए अभिमत के संबंध में मैं सदन को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर भारतीय अनुसूचित वाहकों को प्रचालन की अनुमति दिए जाने के सरकार के निर्णय तथा निजी एयरलाइनों के आई पी ओ के मामले में, कोई संबंध नहीं है। मैं सभी तथ्यों को सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। पहले मुझे यह स्पष्ट करने दिया जाए कि निजी उद्यमों के आई पी ओ इशूज पर नजर रखना सरकार का कार्य नहीं है और किसी भी मामले में सरकार के निर्णय, निजी कंपनियों के आई पी ओ के जारी होने की तारीखों से प्रभावित नहीं होते हैं।

सही परिदृश्य में तथ्यों को प्रस्तुत करने के उद्देश्य से, मैं सदन को सूचित करना चाहूंगा कि इस निर्णय को लेने में कोई जल्दबाजी नहीं की गई है, जैसा कि स्थायी समिति की रिपोर्ट में कहा गया है। यह निर्णय सर्वसम्मति से व्यापक विचार-विमर्श के पश्चात लिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर निजी एयरलाइनों द्वारा प्रचालन आरंभ किए जाने के संबंध में इस मंत्रालय को पिछले कई वर्षों से अनुरोध प्राप्त हो रहे थे। देश को होने वाले लाभ को ध्यान में रखते हुए, औद्योगिक संगठनों तथा व्यापार निकायों और पर्यटन जैसे मंत्रालयों द्वारा सरकार से अनुरोध किया जा रहा था कि एअर इंडिया के अतिरिक्त और अधिक भारतीय वाहकों को भी अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर प्रचालन की अनुमति दी जानी चाहिए। इस बात पर भी बल दिया गया था कि इससे हमारे द्विपक्षीय अधिकारों के बेहतर उपयोग में मदद मिलेगी तथा सम्पर्कता में सुधार होगा और देश के भीतर व्यवसाय के अवसर बढ़ेंगे, जिसके परिणामस्वरूप, अर्थव्यवस्था को समग्र रूप से सहायता मिलेगी।

आज 50 देशों से भी अधिक की एयरलाइनें भारत के लिए प्रचालन कर रही हैं, जबकि एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस मिलकर केवल 25 देशों के लिए प्रचालन कर रही हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इस संबंध में संतुलन विदेशी वाहकों की तरफ ही झुका हुआ है। जैसा कि मैंने कहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए भारत को/से वैश्विक पहुंच के लिए विभिन्न क्षेत्रों से अधिक उदारवादी एप्रोच अपनाए जाने की बहुत अधिक जरूरत है। इस संबंध में हमने जून, 2004 तक इससे आगे बार-बार पब्लिक प्रोनाउन्समेंट किया है तथा मीडिया और अन्य सार्वजनिक मंचों पर भारत को/से अन्तर्राष्ट्रीय विमान संपर्कता स्थापित करने के लिए अधिक उदारवादी एप्रोच की आवश्यकता पर बल दिया है। इस वर्ष के अधिकांश महीनों में भारत की यात्रा करने के लिए सीट मिलना असंभव है। विभिन्न राज्य सरकारों जैसे कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल तथा केरल द्वारा उनके संबंधित राज्यों से अंतर्राष्ट्रीय विमान संपर्कता में बढ़ोत्तरी किए जाने के लिए जोर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि भारत के लिए तथा भारत से वैश्विक विमान संपर्कता में वृद्धि किए जाने के लिए

काफी अनुरोध प्राप्त हुए थे, जो कि बाजार में अपने अस्तित्व को बनाए रखने तथा आर्थिक विकास में वृद्धि, पर्यटन को प्रोत्साहन देने और भारत को अंतर्राष्ट्रीय विमानन हब के रूप में विकसित करने के लिए अनिवार्य पूर्वापेक्षाएं हैं।

नरेश चन्द्र समिति, जिसे कि नागर विमानन सेक्टर के लिए रोड मैप तैयार करने हेतु गठित किया गया था और जिसने अपनी रिपोर्ट दिसम्बर, 2003 में प्रस्तुत की थी, ने यह भी सिफारिश की है कि अंतर्राष्ट्रीय सेगमेंट की क्षमता के मद्देनजर विशेषकर पीक सीजन के दौरान निजी एयरलाइनों को अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर प्रचालन की अनुमति दी जानी चाहिए। समिति ने यह भी नोट किया है कि इस समय हम अपने द्विपक्षीय अधिकारों का केवल 40% ही उपयोग कर रहे हैं।

यहां तक कि नरेश चन्द्र समिति की सिफारिश किए जाने से पूर्व, दिनांक 21.10.2003 को तैयार किए गये संयुक्त वक्तव्य में अन्य बातों के साथ-साथ भारत एवं श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि भारतीय निजी वाहकों को श्रीलंका के लिए विमान प्रचालन हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। तत्पश्चात्, पूर्व सरकार के कार्यकाल में इस मामले पर मंत्रिमंडल द्वारा विचार किया गया था और 10 दिसम्बर, 2003 को निजी एयरलाइनों को सभी सार्क देशों के लिए प्रचालन की अनुमति दिए जाने के संबंध में निर्णय लिया गया था। इस निर्णय के अनुसरण में, दो निजी एयरलाइनों, जेट एयरवेज तथा एयर सहारा, ने श्रीलंका तथा नेपाल के लिए प्रचालन शुरू किया। अत:, यह नोट करना प्रासंगिक है कि निजी वाहकों को विदेशों के लिए विमान प्रचालक की अनुमति दिए जाने हेतु नीति हाल ही में नहीं बनाई गई है।

दिनांक 10.12.2003 को हुई, मंत्रिमण्डल की इसी बैठक में, मंत्रिमण्डल ने नागर विमानन मंत्रालय को अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं के उदारीकरण पर एक व्यापक नोट लाने का भी निर्देश दिया। मंत्रिमण्डल के इस निर्देश के अनुसरण में, नागर विमानन मंत्रालय ने निजी एयरलाइनों को खाड़ी देशों को छोड़कर, अन्तर्राष्ट्रीय मार्गों पर, प्रचालन किए जाने के लिए अनुमति देने संबंधी प्रस्ताव बनाने की प्रक्रिया शुरू की। पूर्व सरकार द्वारा दिनांक 4 फरवरी, 2004 को हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में इस प्रस्ताव पर विचार किया गया। तथापि, इस प्रस्ताव पर निर्णय को आस्थागित कर दिया गया था।

जिस मुद्दे पर मैं जोर देने का प्रयत्न कर रहा हूं, विशेषकर स्थाई समिति के अभिमत के विषय में, वह यह है, कि अंतर्राष्ट्रीय मार्गों के लिए निजी एयरलाइनों को प्रचालन की अनुमति दिए जाने संबंधी प्रस्ताव लम्बे समय से सरकार के विचाराधीन है तथा यह मौजूदा सरकार द्वारा जल्दबाजी में या एकाएक लिया गया निर्णय नहीं है।

मौजूदा सरकार द्वारा भारतीय अनुसूचित वाहकों को अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर प्रचालन करने की अनुमति देने का निर्णय दिनांक 29 दिसम्बर, 2004 को लिया गया था। मैं इस निर्णय की पृष्ठभूमि को संक्षिप्त रूप में स्पष्ट करना चाहूंगा, ताकि इवेन्ट्स को सही संदर्भ में समझा जा सके। ट्यूनीशिया के साथ विमान सेवा करार के अनुमोदन के समय मंत्रिमण्डल ने दिनांक 8 सितम्बर, 2004 को हुई अपनी बैठक में नागर विमानन मंत्रालय को द्विपक्षीय अधिकारों के ईष्टतम उपयोग के प्रयोजन से विमानन सेवाओं के प्रचालन के लिए सार्वजनिक तथा निजी सैक्टर, दोनों की क्षमता को बनाये रखने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने के लिए निर्देश दिया।

मंत्रिमंडल के इस निर्देश के अनुसरण में नागर विमानन मंत्रालय द्वारा निजी एयरलाइनों को खाड़ी देशों के अलावा, अन्तर्राष्ट्रीय मार्गों पर प्रचालन करने के लिए अनुमति देने संबंधी प्रस्ताव तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की गई। यह वास्तव में पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान दिनांक 4 फरवरी, 2004 को मंत्रिमण्डल के समक्ष रखा गया प्रस्ताव की ही तर्ज पर था। मंत्रिमण्डल को प्रस्ताव भेजे जाने पूर्व, सभी क्रियाविधियों का अनुसरण किया गया था दिनांक 10 नवम्बर, 2004 को मंत्रिमण्डल नोट के मसौदे को सभी संबंधित मंत्रालयों में परिपत्रित कर दिया गया था। उनकी टिप्पणियां प्राप्त होने के पश्चात् प्रस्ताव को मंत्रिमण्डल सचिवालय में दिसम्बर, 2004 में भेजा गया था। तत्पश्चात्, मंत्रिमण्डल द्वारा दिनांक 29 दिसम्बर, 2004 को प्रस्ताव पर विचार किया गया और अपनी बैठक में इस प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया। इसमें कोई भी शार्ट-कट क्रियाविधियां नहीं अपनाई गई और न ही सरकार द्वारा जल्दबाजी में कोई निर्णय लिया गया। सभी निर्धारित प्रक्रियाओं का अनुसरण किया गया था। इसके अतिरिक्त, जहां तक मुझे मालूम है कि इस समय सब्सक्रिप्शन के लिए किसी भी एयरलाइंस द्वारा कोई भी आईपीओ जारी नहीं किया गया था।

मैं यह भी इंगित करना चाहूंगा कि स्थायी समिति का यह तर्क, कि पैसेज अधिकार किसी विशिष्ट एयरलाइन को इसके पब्लिक आफर के पहले ही दिन दिए गए थे, यह तथ्यात्मक रूप से सही प्रतीत नहीं होता। दिनांक 29 दिसम्बर, 2004 को सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसरण में, दिनांक 31 जनवरी, 2005 को एअर इंडिया को तथा अन्य भारतीय अनुसूचित वाहकों को यू.के. के लिये प्रचालन हेतु प्रथम यातायात अधिकार प्रदान किये गये थे ताकि एयरलाइनों को यू.के. हवाईअड्डों पर स्लाट आवंटन के लिए यू.के. प्राधिकारियों को अपनी हकदारियों की आवश्यकता से अवगत करा सकें। तथापि, आई.पी. आफर के लिए यह तारीख प्रासंगिक नहीं है, चूंकि हमारी जांचों से पता चला है कि विशेष एयरलाइन के आई.पी.ओ. के जारी होने वाला ओपनिंग डेट 18 फरवरी, 2005 था।

[श्री प्रफुल पटेल]

सदन इस बात से सहमत होगा कि अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर भारतीय अनुसूचित वाहकों को प्रचालन की अनुमति दिए जाने का सरकार का निर्णय काफी पहले दिसम्बर, 2003 में आरम्भ की गई एक भली-भांति सुविचारित प्रक्रिया का परिणाम था यह किसी प्रकार से तत्परता से किया गया निर्णय नहीं है जैसा कि बताया गया है। यह अनिवार्यता विदेशी वाहकों की तुलना में हमारी पात्रताओं के इष्टतम उपयोग के लिए भारतीय वाहकों को अनुमति दिए जाने की आवश्यकता पर आधारित है। तथ्य स्पष्ट रूप से उजागर करते हैं कि सरकार के इस निर्णय का आई पी ओ मुद्दे से कोई लेना-देना नहीं है। किसी संबंध के न होने पर भी इनको जोड़ने की कोशिश थोड़ी दूर की कोड़ी होगी और जब कोई उद्देश्य नहीं है, तो उद्देश्यों को ढूंढ़ना अन्यायपूर्ण होगा। मैं सदन को पुन: आश्वस्त करना चाहूंगा कि हमारे कार्य में पूर्ण पारदर्शिता तथा जवाबदेही है।

मैं यह दोहराता हूं कि सरकार के निर्णय किसी भी निहित स्वार्थ से प्रेरित नहीं हैं, अपितु ये समग्र सार्वजनिक हित में लिए गए हैं। इन परिस्थितियों के अन्तर्गत, मेरा यह सुविचारित मत है कि इस संबंध में स्थाई समिति द्वारा दिया गया अभिमत ही उत्तर के लिए पर्याप्त है। इसके अतिरिक्त, तथ्यों की गणना के आधार पर इस मामले में स्वतंत्र एजेंसी द्वारा और आगे कोई जांच कराये जाने की आवश्यकता नहीं हैं, क्योंकि हमने इस मामले पर पूर्णत: पारदर्शिता अपनाई है तथा ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसकी जांच-पड़ताल किए जाने की जरूरत हो।

स्थाई समिति के इन अभिमतों के संबंध में, कि अनुभव आदि की शर्तों के संबंध में एयरलाइनों पर प्रतिबन्ध लगाने तथा अन्तर्राष्ट्रीय मार्गों पर उड़ान भरने के लिए सभी घरेलू अनुसूचित एयरलाइनों को अनुमति दिए जाने में विवाचक का तत्व विद्यमान है, के संबंध में, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय मार्गों पर प्रचालन के लिए एयरलाइनों हेतु न्यूनतम निर्धारित आवश्यकता संपूर्ण रूप से इस तथ्य पर आधारित है कि केवल उन्हीं एयरलाइनों, जिनका घरेलू क्षेत्र में एक अच्छा ट्रैक रिकार्ड होगा, को ही अन्तर्राष्ट्रीय मार्गों पर प्रचालित करने की अनुमति होगी।

मैं इस ओर भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस संबंध में सरकार के निर्णय की तिथि अर्थात् 29.12.2004 को अंतर्देशीय सेक्टरों पर केवल तीन निजी अनुसूचित एयरलाइनें प्रचालन कर रही थी। इन तीन में से दो एयरलाइनें निर्धारित किए गए पात्रता संबंधी मानदण्डों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय प्रचालन के लिए योग्य पाई गई। एक एयरलाइन जो अंतर्राष्ट्रीय प्रचालन के लिए योग्य नहीं पाई गई वह केवल एक वर्ष से प्रचालन कर रही थी तथा उसने अंतर्राष्ट्रीय प्रचालनों में अपनी कोई रुचि भी नहीं दिखाई थी। अत:, किसी भी एयरलाइन से वास्तव में कोई भेद-भाव नहीं किया गया था।

जहां तक एयरलाइन्स के उद्यम तथा निष्पादन रिकार्ड का संबंध है, एक बार एयरलाइन्स निर्धारित मानकों के अनुसार अंतर्देशीय सेक्टर पर पांच वर्षों तक प्रचालन कर चुकी होती है तो उसे आगे अन्य किसी उद्यम की आवश्यकता नहीं होती है, चूंकि सदन जानता है कि एयरलाइनों को कड़ी सुरक्षा आवश्यकताओं का अनुसरण करना होता है तथा प्रत्येक एयरलाइन्स को मार्ग संवितरण दिशानिर्देशों का पालन करते हुए सामाजिक कर्त्तव्यों को भी पूरा करना अपेक्षित होता है। नागर विमानन महानिदेशालय मार्ग संवितरण दिशानिर्देशों के अनुपालन की कड़ी मानिटरिंग करता है। इसी तथ्य के आधार पर यह महत्वपूर्ण है कि एक निश्चित समय के एयरलाइन्स के निष्पादन ट्रैक रिकार्ड पर पात्रता मानदंड के रूप में विचार किया जाता है।

स्थायी समिति ने पाया कि निजी एयरलाइनों को अंतर्राष्ट्रीय स्थानों पर प्रचालन की अनुमति प्रदान करने का सरकार का मूल उद्देश्य नए अंतर्राष्ट्रीय स्थानों के लिए संपर्क उड़ान प्रदान करना था, लेकिन यह उद्देश्य विफल हो गया क्योंकि पात्र एयरलाइनों ने उन्हीं मार्गों के लिए आवेदन किया जिन पर राष्ट्रीय वाहक प्रचालन कर रहे हैं। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि हमारा आशय पात्र एयरलाइनों को नए स्थानों पर उड़ान भरने के लिए उत्साहित करना है, क्योंकि हमारा प्राथमिक उद्देश्य द्विपक्षीय ट्रैफिक अधिकारों का पूर्णतम उपयोग करना है। भारत एयरलाइनों को अत्यधिक अवसर प्रदान करता है क्योंकि भारत से/को अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। विदेशी एयरलाइनों द्वारा इस क्षमता का अधिक मात्रा में लाभ उठाया जा रहा था। यह नोट करना भी महत्वपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर भारत तथा संबंधित देश के बीच सीधे ट्रैफिक के बजाय तीसरे देशों के माध्यम से भी अधिक प्रचालन किया जाता है। यह मामला नहीं उठता कि विदेशी एयलाइनों को बढ़ती संख्या में भारत को/से यात्री वहन करने की अनुमति दी जाए, जबकि हम अपनी एयरलाइनों, सरकारी या निजी को अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर प्रचालन करने से रोक रहे हैं।

इसके अतिरिक्त, सरकार चाहती है कि प्वाइंट-टू-प्वाइंट गंतव्यों के बीच सीधा संपर्क बढ़ाना चाहिए। यदि यू.के. तथा भारत के बीच यात्रा करने वालों की संख्या अधिक है तो भारतीय वाहकों अथवा यू.के. के वाहकों द्वारा वाणिज्यिक अवसरों का पूर्णतम उपयोग किया जाना चाहिए। सरकार ने इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं के उदारीकरण का मार्ग अपनाया है। यह केवल एक शुरूआत है। जैसे-जैसे यह प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, सरकार स्थिति का अध्ययन करती रहेगी तथा हमें विश्वास है कि नए स्थानों पर उड़ानें अवश्य ही बढ़ेंगी।

महोदय, मैंने स्थायी समिति द्वारा दी गई विभिन्न महत्वपूर्ण सिफारिशों पर उत्तर देने का प्रयास किया है। हमने समिति की इन सिफारिशों तथा सुझावों को नोट कर लिया है तथा यह हमें इस क्षेत्र को विकसित करने तथा मजबूत बनाने में मदद करेगा। कुछ मद्दों पर जिनमें हमारे दृष्टिकोण को सराहा नहीं गया है मैंने समिति द्वारा व्यक्त की गयी चिन्ताओं को दूर करने का प्रयास किया है। महोदय, अंत में, मैं समिति के सदस्यों द्वारा अपनी रिपोर्ट में दिए गए अनेक उपयोगी तथा महत्वपूर्ण सिफारिशों के लिए अध्यक्ष एवं समिति के सदस्यों को धन्यवाद देता हूं।*

अपराह्न 12.06 बजे

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

जल संसाधनों का संरक्षण तथा जल संबंधी संसदीय मंच गठित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपकी अनुमति हो तो मैं एक वक्तव्य देना चाहता हूं।

माननीय सदस्यों, हम सभी जानते हैं कि सामान्य रूप से प्राकृतिक संसाधनों तथा विशेषकर जल संसाधनों का संरक्षण कितना महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ समय से हमारे देश में तथा समग्र विश्व में अधिकांश मानव जाति को प्रभावित करने वाले एक के बाद दूसरे संकट के साथ ही यह अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया है।

दिल्ली में एक टैंकर से कुछ लीटर पानी लेने के लिए लोगों में मची भगदड़ के कारण एक 12-वर्षीय बच्चे की मृत्यु हो जाने के बारे में प्रकाशित दु:खद समाचार इस स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है। भूजल स्तर में अत्यधिक गिरावट से हमारी कठिनाइयां बढ़ रही हैं। मुझे विश्वास है कि जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि होने के नाते हम इस समस्या को सुलझाने के लिए राष्ट्र के प्रयासों में अपना योगदान कर सकते हैं। अपनी ओर से, मैंने संसद भवन और दिल्ली में अध्यक्ष के निवास जहां मैं अस्थायी रूप से रह रहा हूं- और कोलकाता में मैं अपने निवास के परिसरों को वर्षा जल संरक्षण के लिए उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। मैं संबंधित मंत्रालयों से यह कहने जा रहा हूं कि वे अध्यक्ष के नियंत्रणाधीन सभी आवासीय और सरकारी परिसरों में वर्षा जल संरक्षण के लिए सुविधाएं प्रदान करने संबंधी परियोजना पर कार्य शुरू करें। मैं सरकारी आवासों के लिए इसी प्रकार की परियोजनाएं शुरू करने के लिए शहरी विकास मंत्रालय को भी लिखूंगा। हमें आशा है कि आगामी मानसून शुरू होने से पहले वर्षा जल संरक्षण प्रणाली कार्य करना शुरू कर देगी। मैं आशा करता हूं कि इस कदम से सभी संबंधित पक्ष देशभर में इसी प्रकार की पहल करने के लिए प्रेरित होंगे। मैं वर्ष जल संरक्षण प्रणालियों को सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत लाने के लिए संबंधित मंत्रालय के साथ भी बात करूंगा।

मैंने एक जल संबंधी संसदीय मंच गठित करने का निर्णय लिया है, ताकि हम सभी व्यवस्थित तरीके से समस्याओं पर प्रभावी ढंग से विचार-विमर्श कर सकें और परिणामोन्मुखी दृष्टिकोण के साथ राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों को निभा सकें। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि इस प्रयास में सभी पक्षों के सदस्य अपना सक्रिय योगदान देंगे और इस संदेश को अपने निर्वाचन क्षेत्रों तक पहुंचाएंगे ताकि जल संरक्षण मात्र एक नारा बनकर न रह जाए। यदि इन प्रयासों को निरंतर जारी रखा जाता है, तो इससे भूजल स्तर को फिर से बढ़ाने और पानी भी अभी भी समस्याओं को दूर करने में निश्चित रूप से काफी मदद मिलेगी।

हम सभी एक अच्छे मानसून, भरपूर फसल और वर्षा जल की आशा करते हैं।

...(व्यवधान)

श्री रूपचंद पाल (हुगली): यह बहुत बढ़िया सुझाव है। इस पर सभा में ही विस्तृत चर्चा होनी चाहिए *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, यह सुझाव अच्छा है *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्या हमें अगले सत्र के लिए इंतजार करना चाहिए?

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम): आंध्र प्रदेश में हमने इस समस्या का समाधान काफी पहले ही कर लिया है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): अध्यक्ष महोदय, सदन में इस पर चर्चा होनी चाहिए। पानी को लेकर यह महत्वपूर्ण सुझाव है, इस पर पूरी डिस्कशन होनी चाहिए *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब, अध्यक्ष की टिप्पणी ही विवादास्पद हो रही है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।

श्री एन.एन. कृष्णदास (पालघाट): महोदय, इसमें कुछ भी विवादास्पद नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: आप मेरा समर्थन कर रहे हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री एन.एन. कृष्णदास: मैं न केवल आपका समर्थन कर रहा हूं बल्कि यह भी कह रहा हूं कि असीमित .....पर नियंत्रण करने के लिए इस सभा द्वारा एक शक्तिशाली मियन लागू किया जाना चाहिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: बहुत अच्छा। जब विस्तृत चर्चा हो तब अपने सुझाव दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अब, हम मद संख्या 18 पर आते हैं। श्री एम.वी. वीरेन्द्र कुमार। कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे प्रार्थना है मुझे दो मिनट का समय दें। राजस्थान और मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर बाल विवाह हुए हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हम आपको एलाव करेंगे।

...(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: तब शून्य काल में क्या होगा?

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, कालिंग अटेंशन थोड़ा बाद में ले लीजिए *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपने एक महत्वपूर्ण विषय उठाया है। मैं आपको अनुमति दूंगा तथा पूरा अवसर दूंगा।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, हम दो मिनट में अपनी बात खत्म कर देंगे। *...(व्यवधान)*

प्रो. राम गोपाल यादव (सम्भल): अध्यक्ष महोदय, एक महिला के हाथ काट दिए गए *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कभी-कभी हम यह मानने लगते हैं कि यदि हम अनुपयुक्त समय पर बोलें तो हमारा मुद्दा महत्वपूर्ण हो जाएगा। मैं नहीं जानता हूं कि ऐसा क्यों होना चाहिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री रामजीलाल सुमन, मैं आपको पूरा अवसर दूंगा। यह एक महत्वपूर्ण मामला है।

...(व्यवधान)

श्री किन्जरपु येरननायडु: महोदय, मेरा विषय भी महत्वपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय: श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार तथा माननीय मंत्री के वक्तव्यों के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अपराह्न 12.09 बजे

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

(एक) देश में परम्परागत मछुआरों के समक्ष आ रही समस्याओं तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम

[अनुवाद]

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार (कालीकट): महोदय, मैं निम्नलिखित लोक महत्व के विषय की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं तथा उनसे इस पर वक्तव्य देने का अनुरोध करता हूं:

"देश के पारंपरिक मछुआरों के समक्ष आ रही समस्याओं तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम।"

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

***कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** अध्यक्ष महोदय, सरकार समुद्री मात्स्यिकी क्षेत्र, विशेषकर पारम्परिक क्षेत्र के विभिन्न मसलों के संबंध में भली-भांति अवगत है। इस बात को महसूस करते हुये कि भारत सरकार की पहले की गहन समुद्री नीतियों में कुछ खामियां हैं, सरकार ने नवम्बर, 2004 में एक व्यापक समुद्री मात्स्यिकी नीति तैयार की है ताकि सभी क्षेत्रों, अर्थात् पारंपरिक क्षेत्र, छोटे यांत्रिकृत क्षेत्र और गहन समुद्री क्षेत्र का विकास सुनिश्चित किया जा सके। सरकार ने समुद्र के राष्ट्रीय और आर्थिक क्षेत्र को एक सीमित सुलभ क्षेत्र बनाया है और उसके लिये इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं कि इस क्षेत्र में मात्स्यिकी संसाधन विशिष्ट जलयानों के संबंध में मुरारी समिति द्वारा अनुशंसित संसाधन विशिष्ट मात्स्यिकी तरीके से भारतीय ध्वज फहराने वाले जलयानों को तैनात करने वाले भारतीय लोगों द्वारा केवल भारत सरकार से अनुमति प्राप्त करने के बाद ही का जी सकती है। नयी व्यापक समुद्री मात्स्यिकी नीति को स्वीकृत करते समय सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है ताकि इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि गहरे समुद्र में मात्स्यिकी का विकास पारदर्शी तरीके से किया जा सके और इसे पारंपरिक और छोटे इंजन वाली नाव द्वारा मात्स्यिकी क्षेत्रों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किया जाता है।

विदेशी ध्वज को फहराने वाले सभी गहन समुद्री मात्स्यिकी जलयानों के संचालन को समाप्त करने के सरकार के पहले के निर्णय के पूर्ण अनुपालन में समुद्र के राष्ट्रीय और आर्थिक क्षेत्र में दिसम्बर, 1996 में मात्स्यिकी के क्षेत्र के लिये ऐसे किसी जलयान को अनुमति नहीं दी गई है।

पारंपरिक और लघु क्षेत्र में नावों की संख्या बढ़ने के कारण पकड़ी जाने वाली मछलियों की प्रति नाव उपलब्धता में काफी कमी आई है। उपलब्ध वैज्ञानिक जानकारी के अनुसार अधिकांश प्रजातियों का प्रजनन एवं विकास तटवर्ती क्षेत्रों में ही हो रहा है और इस प्रकार गहरे समुद्र में सरकार द्वारा मंजूर विशिष्ट तरीके से मछली पकड़ने, मछली प्रजनन और विकास पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। जहां तक केरल को डीजल राजसहायता का प्रश्न है, केन्द्र सरकार राज्य सरकार से उचित प्रस्ताव प्राप्त होने पर धनराशि जारी करने के लिये शीघ्रातिशीघ्र विचार करेगी। जहां तक मात्स्यिकी क्षेत्र के लिये कैरोसिन की आवश्यकता का संबंध है, केन्द्र सरकार ने पेट्रोलियम मंत्रालय के परामर्श के सभी तटवर्ती राज्यों को सलाह दी है कि इन राज्यों के मात्स्यिकी क्षेत्र की कैरोसिन की आवश्यकता उनके द्वारा पेट्रोलियम मंत्रालय से मांगे जा रहे कैरोसिन समग्र कोटे में प्रतिलक्षित होनी चाहिये क्योंकि भारत सरकार द्वारा मात्स्यिकी क्षेत्र के लिये कैरोसिन का कोई अलग से आवंटन नहीं किया जाता है।

[अनुवाद]

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार: अध्यक्ष महोदय, यह कहा जा रहा है कि इण्डियन एक्सक्लुसिव इकानोमिक जोन में, बहुराष्ट्रीय कम्पनियां अथवा कारोबार नहीं कर रही हैं। मुरारी समिति की रिपोर्ट के आधार पर कतिपय निर्णय लिए गए हैं। मैं इस सभा की जानकारी में यह बात लाना चाहता हूं कि भारत का सम्पूर्ण तटीय क्षेत्र संकट का सामना कर रहा है। भारत के समुद्री तटों पर करीब 1.2 करोड़ मछुआरे हैं तथा मेरे राज्य केरल में करीब दस लाख मछुआरे हैं।

मेरी सूचना बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के स्वामित्व वाले 25,000 मत्स्य ग्रहण पोतों के बारे में है जिनका संचालन ये कम्पनियां पूरे विश्व में कर रही हैं और समुद्री सम्पदा का दोहन कर रही हैं। नार्वे, अमरीका और थाइलैंड की कम्पनियों के ट्रालर्स, बड़े मत्स्य ग्रहण पोत गहरे समुद्र में मत्स्य ग्रहण के कार्य में लगे हुए हैं। सरकार के अनुसार इण्डियन एक्सक्लुसिव इकानोमिक जोन में विदेशी कम्पनियों को कार्य संचालन की अनुमति नहीं है। एक तरह से तो यह बात सत्य है परन्तु वास्तविकता यह है कि विदेशी तथा संयुक्त उद्यम कम्पनियों के स्वामित्व वाले कम्पनियों की नौकाएं बड़े पोत हमारी समुद्री सम्पदा को लूट रहे हैं। ऐसी सूचना है कि वर्तमान में इण्डियन एक्सक्लुसिव इकानोमिक जोन में करीब 200 विदेशी नौकाएं मत्स्य-ग्रहण का कार्य कर रही हैं।

इस आकलन के आधार पर कि भारतीय जल क्षेत्र में 3.7 मिलियन टन मछली उपलब्ध है, बड़े कारपोरेशनों को मछली पकड़ने की अनुमति दी गयी है। सरकार का दावा है कि सामान्य तौर पर मात्र 2.7 मिलियन टन मछलियां ही पकड़ी जाती हैं। इसलिए, शेष एक मिलियन टन मछलियों को पकड़ने हेतु कारपोरेशनों को लाइसेंस दिया जाता है। हालांकि, ये आंकड़े गलत व विवादित साबित हुए हैं क्योंकि गत कुछ दशकों के दौरान क्रमश: प्रत्येक वर्ष मछलियों की उपलब्धता कम हुई है।

दूसरी समस्या यह है कि बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की ये नौकाएं भारतीय समुद्री जल क्षेत्र के निकट आती जा रही हैं क्योकि एक आकलन के अनुसार गहरे समुद्र में मछलियों की उपलब्धता मात्र 1,64,000 टन है। इन सभी बातों का उन मछुआरों के मत्स्य ग्रहण कार्य पर प्रभाव पड़ा है जो 35000 अर्द्ध-मशीनीकृत नावों और दो लाख साधारण नावों से मछलियां पकड़ने का कार्य कर रहे हैं। दो कारक सुस्पष्ट हैं इन बहुराष्ट्रीय कारपोरेशनों की अत्याधुनिक नावों व पोतों के परिचालन की वजह से पारंपरिक

*ग्रंथालय में भी रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 2262/05

[श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार]

मछुआरों का जीविकोपार्जन प्रभावित हो रहा है क्योंकि मछलियों की उपलब्धता क्रमशः घट रही है तथा प्रदूषण की वजह से पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं।

इस प्रकार से मत्स्य-ग्रहण किए जाने की वजह से मछलियों की अनेक देशी प्रजातियां लुप्त होने के कगार पर हैं। चूंकि मत्स्य-ग्रहण पोतों द्वारा अत्यधिक मात्रा में मछलियां पकड़ी जा रही हैं, कुछ देशी प्रजातियां लुप्त हो रही हैं। मैं उनमें से कुछ को उद्धृत कर सकता हूं। उनमें से एक एलास्मो ब्रैंक है: यह हमारी अपनी देशी प्रजाति है। कैटफिश, रिबन फिश और करेन्जिड सभी अब लुप्त हो रही हैं। हमारे समुद्रतटीय क्षेत्र में यही खतरनाक स्थिति है। मेरी समझ से सरकार को इस मामले पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

हाल ही में, हम सुनामी आपदा से रू-ब-रू हुए हैं तथा समुद्रतटीय क्षेत्र में करीब 20 लाख लोग मुसीबत में हैं। वे बेघरबार हो गए हैं। मुझे पता नहीं है कि आखिर पुनर्वास कार्य की निगरानी करने हेतु कोई निगरानी तंत्र है अथवा नहीं। यदि ऐसा कोई तंत्र है तो इसे समयबद्ध कार्यक्रम होना चाहिए। मछुआरे और मछलियों दोनों की ही संख्या घट रही है। समुद्रतटीय क्षेत्र में यह भी एक बड़ी समस्या है।

दूसरा मुद्दा यह है कि केरल में मछुआरों को करीब 220 ली. केरोसिन दिया जाता है। यह पर्याप्त नहीं है। चूंकि यह मुद्दा सरकार के विचाराधीन है, मैं इसके ब्यौरों में नहीं जाऊंगा।

मैं एक और बात उठाना चाहता हूं। मछुआरा समुदाय तटीय विनियमन जोन (सी.आर.जेड.) अधिसूचना को क्रियान्वित करने की मांग करते रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार: महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूं। 26 दिसंबर, को आयी सुनामी लहरों ने बीच के आस-पास मत्स्य ग्रहण करने वाले मछुआरों के बीच तबाही मचायी थी। यदि समुद्र तट वाले राज्यों की सरकारों ने सी.आर.जेड. का कठोरता पूर्वक क्रियान्वयन किया होता तो इस आपदा से हुए विनाश को कम किया जा सकता था। सी.आर.जेड. श्रीमती इन्दिरा गांधी की दूरदृष्टि का एक उदाहरण है। मैं संप्रग सरकार से सी.आर.जेड. अधिसूचना को क्रियान्वित कर स्वर्गीय इन्दिरा गांधी को सम्मान देने का अनुरोध करता हूं।

महोदय, विदेशी तथा संयुक्त उपक्रम कम्पनियों के आगमन से हमारी समुद्री उत्पाद प्रसंस्करण इकाइयां बंद हो रही हैं। केरल में 121 मत्स्य प्रसंस्करण इकाइयां हैं जिनमें से मुश्किल से 50 इकाइयां चल रही हैं। कोल्लम जिले में 14 इकाइयों में 10 इकाइयां पहले ही बंद हो चुकी हैं। उस समय जबकि भारतीय कम्पनियां अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही हैं। विदेशी कम्पनियां उन्हें हथियाने के लिए तत्पर हैं।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार: यह प्रश्न है, महोदय। भारत सबसे अच्छी कम्पनियों में से एक, कोचीन स्थित अमालगम कम्पनी को एक बड़ी बहुराष्ट्रीय कम्पनी ने खरीद लिया है तथा अन्य कम्पनियां खरीदे जाने की प्रक्रिया में हैं। बहुराष्ट्रीय कम्पनियां बिना किसी मूल्यवर्धन के समुद्री उत्पादों का निर्यात कर रही हैं? क्या आप इसे रोक सकते हैं? चूंकि वे फ्रोजेन रा फिश का निर्यात कर रही हैं, कोई नया रोजगार सृजित नहीं होगा। जब विदेशी कम्पनियां किसी कम्पनी को खरीदती हैं तो सैंकड़ों लोगों को अपनी नौकरियां गंवानी पड़ती हैं। मेरा प्रश्न है कि क्या आप इसके विरुद्ध कोई कार्रवाई कर सकते हैं।

दूसरा मुद्दा मुक्त व्यापार समझौता (एफ.टी.ए.) के बारे में है। हाल ही में थाइलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अनेक देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मैंने इस मुद्दे को संसद में उठाया है। क्या आपने कभी भी इन समुद्र तटीय राज्यों से सम्पर्क किया है? समझौते का प्रभाव क्या पड़ेगा जब आप अन्य देशों से मछली का इतनी मात्रा में आयात करेंगे। थाइलैंड समझौते से मेरे राज्य की चिन्ता काफी बढ़ी है। पूरा मछुआरा समुदाय परेशानी में है। यह संवेदनशील क्षेत्र का तटीय क्षेत्र है। यदि अत्यधिक लोग बेरोजगार रह जाते हैं तथा यदि उनके पास कोई काम नहीं होगा तो वे कुछ अन्य विकल्प अपनाएंगे जिससे गम्भीर समस्याएं पैदा होंगी।

इसलिए, मैं आग्रह करता हूं कि जब कभी भी किसी देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएं। इसे संसद के समक्ष अवश्य रखा जाना चाहिए। इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। इस पर चर्चा की जानी चाहिए और इसके बाद ही इसे क्रियान्वित किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी किसी देश के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर करे और हम उसे मानने के लिए बाध्य हों। प्रश्न यह है कि, क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि जब कभी ऐसे विदेश व्यापार समझौतों (एफ टी ए) पर हस्ताक्षर किए जाएं, तो उनको क्रियान्वित करने से पहले उन्हें संसद में रखा जाए और इनका अनुमोदन किया जाए तथा यह कि सभी इससे अवगत हों।

फसल-बीमा किसानों को उपलब्ध कराई जाती है तथा बीमा कंपनियां ट्रैक्टरों और मोटरकार इत्यादि जैसे वाहनों का बीमा भी

करती हैं। तटीय क्षेत्रों में, मछुआरों को किसी प्रकार की बीमा सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती है। इसलिए क्या सरकार नौकाओं का बीमा करने की सुविधा प्रदान करने पर विचार करेगी? प्राकृतिक आपदाओं के मामले में जब नौकाएं खो जाती हैं तो कोई क्षतिपूर्ति नहीं दी जाती है और मछुआरे संकट में होते हैं। इसलिए, क्या सरकार नौकाओं और मछुआरों को बीमा उपलब्ध कराने पर विचार करेगी ताकि संकट के समय उनका बचाव हो सके।

मैं यही बात कहना चाहता था। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, ध्यानाकर्षण नोटिसों का विनियमन विशिष्ट नियमों के द्वारा होता है। आप सभी इन नियमों से अवगत हैं। इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती कि कार्य-सूची में ध्यानाकर्षण का अवलोकन करने वाला इस मामले पर बोलने का नोटिस दे। मेरे पास दस माननीय सदस्यों की सूची है जिन्होंने पूर्वाह्न 9.30 बजे से 10.20 बजे तक नोटिस देना आरंभ कर दिया था। यह ध्यानाकर्षण मामले को विनियमित करने का तरीका नहीं है। केवल कुछ ही मामलों में जिनमें सूची में माननीय सदस्यों के नाम नहीं हैं या जिन्होंने नोटिस देने की जहमत नहीं उठाई है उन्हें बुलाया गया है। मैं नहीं समझता कि इस तरह से हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को विनियमित कर सकते हैं। परन्तु चूंकि, मैं आज इसकी घोषणा कर रहा हूं, ऐसा भविष्य में नहीं किया जाए। मैं केवल दो माननीय सदस्यों को बुलाऊंगा। इसे उदाहरण नहीं समझा जाएगा।

श्री चंद्रशेखर साहु।

श्री चंद्रशेखर साहु (बरहामपुर-उड़ीसा): धन्यवाद महोदय, मैं केवल दो या तीन मुद्दों को उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

श्री चंद्रशेखर साहु: मैं केवल दो या तीन प्रश्न पूछना चाहता हूं।

मैं जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। वहां 100 किलोमीटर लंबा समुद्री तट है और वहां लगभग दो या तीन लाख पारंपरिक छोटे मछुआरे हैं। निर्वाचन क्षेत्र के दौरे के दौरान मछुआरा समुदाय के लोगों ने आपके माध्यम से माननीय मंत्री के ध्यान में लाने हेतु कतिपय मुद्दे सौंपे थे।

अध्यक्ष महोदय: परन्तु आपने कोई नोटिस नहीं दिया।

श्री चंद्रशेखर साहु: इसके लिए मुझे खेद है।

जब मछुआरा समुदाय की महिला साप्ताहिक बाजार जाती है, तो उन्हें अपनी मछली बेचने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वे मंत्रालय से विपणन संबंधी मूलभूत सुविधाओं का सृजन चाहती है। उन्हें रात्रि कालीन आश्रय, शौचालय की सुविधाओं और ऐसी कई अन्य चीजों की न्यूनतम आवश्यकता है क्योंकि उन्हें वहां आकर अगले दिन मछली बेचने से पूर्व पूरी रात ठहरना होता है। असामाजिक तत्वों द्वारा भी समस्याएं पैदा की जाती हैं और उन्हें यौन-उत्पीड़न का भी सामना करना पड़ता है।

आवास योजना के अंतर्गत एक मकान के लिए 40,000 हजार रुपए दिए जाते हैं परन्तु उपलब्ध कराए जाने वाले मकानों की संख्या बहुत थोड़ी है। इस प्रकार, समुद्र तट के आस-पास के समस्त मछुआरा समुदाय को इस योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है। सरकार को और अधिक संख्या में मकान उपलब्ध कराने चाहिए।

दूसरा पहलू अपरदन की रोकथाम और प्राकृतिक आपदा से बचाव हेतु तटीय पौधरोपण से संबंधित है। मेरे विचार से, इसमें काफी लोगों को सम्मिलित किया गया है परन्तु तटीय क्षेत्रों में इस प्रकार के पौधरोपण में स्वैच्छिक संगठनों को शामिल किए जाने की भी आवश्यकता है जिससे कि इसका कुछ प्रमाण हो सके। ये लोग तटीय क्षेत्रों में पारंपरिक रूप से रह रहे हैं और इन्हें इससे कुछ लाभ मिलेगा।

डा. के.एस. मनोज (अलेप्पी): धन्यवाद महोदय। पारंपरिक मत्स्यन क्षेत्र आज कल गंभीर समस्या का सामना कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय: आप केवल स्पष्टीकरण प्रश्न पूछने के पात्र हैं। किसी आमुख की आवश्यकता नहीं है।

डा. के.एस. मनोज: इसके कारणों में से एक विदेशी मत्स्यन नौकाओं द्वारा समुद्री मत्स्यन क्षेत्रों का क्षमता से अधिक दोहन करना है। हमारे समुद्र में 311 विदेशी मत्स्यन नौकाएं मौजूद हैं और अवैज्ञानिक तरीके से इसका मशीनीकरण भी हुआ है।

अध्यक्ष महोदय: डा. के.एस. मनोज। मुझे खेद है। आपका प्रश्न क्या है?

...(व्यवधान)

डा. के.एस. मनोज: महोदय, मैं प्रश्न पर आता हूं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने प्रश्न पर आइए।

डा. के.एस. मनोज: क्या माननीय मंत्री इन विदेशी मत्स्यन नौकाओं को दिए गए लाइसेंसों को रद्द करने पर विचार करेंगे? कुछ विदेशी नौकाओं की अवधि पूरी हो चुकी है और इन्हें फिर से लाइसेंस दिया गया है।

[डा. के.एस. मनोज]

दूसरा प्रश्न यह है कि पारंपरिक मछुआरों को स्वसहायता प्राप्त कैरोसीन तेल और डीजल दिया जा रहा है। इस बार डीजल पर सड़क उपकर के रूप में 50 पैसे लगाए गए हैं। परन्तु, दुर्भाग्यवश, ये मछुआरे सड़क का उपयोग नहीं कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)* फिर भी मछुआरे द्वारा उपयोग में लाए जा रहे डीजल पर यह सड़क उपकर लगाया गया है। इसलिए, क्या माननीय मंत्री पारंपरिक मछुआरा समुदाय द्वारा उपयोग किए जा रहे डीजल पर से सड़क उपकर को माफ करने पर विचार करेंगे?

साथ ही, मत्स्यन क्षेत्र के लिए अभी कोई पृथक विभाग नहीं है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कई बातें हैं।

डा. के.एस. मनोज: संप्रग की माननीय अध्यक्षा यहां मौजूद हैं। अभी मत्स्यन के विभिन्न पहलुओं का नेतृत्व विभिन्न मंत्रालयों, यथा कृषि मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया जाता है। क्या संप्रग की हमारी अध्यक्षा ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपको मंत्री जी और अध्यक्ष को भी सम्बोधित करना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

डा. के.एस. मनोज: क्या माननीय मंत्री जी पशुपालन और पशु चिकित्सा विभाग से मत्स्यन विभाग को अलग करने पर विचार करेंगे? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया, अपना स्थान ग्रहण करें। यदि मैंने आपको अनुमति दी होती तो मैंने तुम्हें आमंत्रित कर लिया होता। अब मैं अनुमति नहीं दूंगा। मैंने यह पहले ही कह दिया है।

[हिन्दी]

श्री कांतिलाल भूरिया: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने सदन में आपके माध्यम से जो विचार रखे हैं, मैं उनकी भावनाओं का सम्मान करता हूं। मछुआरों के संबंध में जो जानकारी मांगी गई है, उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यूपीए सरकार ने सत्ता में आने के बाद मछुआरों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए जो 95 करोड़ रुपए की धनराशि एनडीए सरकार के समय में दी जाती थी, उसे बढ़ा कर 160 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इस साल हमने 174 करोड़ रुपयों का प्रावधान रखा है ताकि उनकी आर्थिक स्थिति, रहन-सहन और रोजगार चलाने में सुविधा मिल सके। मछुआरों की संख्या बढ़ती जा रही है और जिस तरह से माननीय सदस्यों ने कहा कि उनके क्षेत्र में दूसरे मछुआरे आ कर मछली पकड़ कर ले जाते हैं और वे बेरोजगार हो जाते हैं इसके लिए बाहरी लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही साथ परम्परागत मछुआरों को और भी सुविधाएं दी जा रही हैं। उन्हें परम्परागत नावों को आधुनिक बनाने के लिए 20 हजार रुपयों की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। मछुआरों के समुद्र के अंदर जाने के बाद उनकी कोई जानकारी नहीं मिल पाती है। इसके लिए भी शासन की तरफ से वायरलैस सेट के लिए 30 हजार रुपए तक की सहायता दी जा रही है ताकि संकट के समय वायरलैस से संपर्क किया जा सके। इसी तरह से माननीय सदस्यों ने मछुआरों की आवास योजना पर भी चिंता जाहिर की है। उसके लिए एक आवास के लिए प्रति व्यक्ति 20 हजार रुपए उपलब्ध कराया जा रहा है और दुर्घटना के मामले में 50 हजार रुपए की सहायता तत्काल उनको दी जाती है और यदि वे अपंग हो जाते हैं तो उसके लिए भी 25 हजार रुपए की राशि मुहैया कराई जाती है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बताया है कि यदि मछुआरों की नावें नष्ट हो जाती हैं, तो उनकी क्षतिपूर्ति के लिए बीमा की कोई योजना नहीं है। हम बीमा करने पर विचार कर रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि उनकी नावों का बीमा किया जाए।

महोदय, श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार, माननीय सदस्य ने कहा कि मछली पकड़ने वाले, जो जगह-जगह मछली पकड़ने जाते हैं, उन्हें जलयान की जरूरत होती है, उसके लिए कोई सहायता नहीं दी जा रही है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि उसके लिए भी सहायता दी जा रही है। बाहर से आने वाले विदेशी जलयानों को रोकने की उन्होंने बात कही है। मैं बताना चाहता हूं कि विदेशी जलयानों पर 1976 से प्रतिबन्ध लगा हुआ है और अब केवल देशी जलयानों तथा नावों द्वारा ही मछलियां पकड़ने का काम हो रहा है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि पूरी दुनिया में 25 हजार ट्रालर चल रहे हैं, लेकिन हमारे देश में उनको चलाने की अनुमति नहीं दी गई है। मैंने इस संबंध में, अपने वक्तव्य के माध्यम से, देश में जो स्थिति है, उसके बारे में सदन को पूरी तरह से अवगत करा दिया है।

महोदय, एक माननीय सदस्य ने सी.आर.जैड. के विषय में भी जानकारी मांगी है। मैं बताना चाहता हूं कि वह पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। इस विषय में सुनामी प्रभावित मामलों का अध्ययन किया जा रहा है। उनका परिणाम आने पर इस पर विचार किया जाएगा। कई माननीय सदस्यों ने मछुआरों की स्थिति सुधारने तथा उन्हें और साधन सम्पन्न बनाने के बारे में जानकारी चाही है कि सरकार इस दिशा में क्या प्रयास कर रही है। मैं बताना चाहता हूं कि अभी हमने आठ वर्ष से लम्बित तटीय जलकृषि विधेयक में संशोधन करके प्राधिकरण बनाने का प्रावधान

किया है। माननीय सदस्यों को इस बारे में काफी नालेज है ही। मछुआरों की तकलीफ दूर करने, उन्हें संकटों से उबारने, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने, उनकी तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए हमारी यू.पी.ए. सरकार ने अनेक कल्याणकारी काम किए हैं। आठ साल से लम्बित विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया गया है। मैं समझता हूं कि उसके माध्यम से उनके कल्याण की अनेक संभावनाएं जुड़ी हुई हैं। हम उन्हें हर प्रकार की सहायता पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार ने कई कोशिशें इससे पहले भी की हैं। जिस तरह से दूध व्यवसाय और एन.डी.डी.बी. है, उसी प्रकार से हम राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड का गठन करने पर विचार कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने अनेक प्रकार की जानकारी चाही है। मैंने अपने वक्तव्य में बहुत सारी बातों को स्पष्ट कर दिया है। लाइसेंस की बात कही गई है और कैरोसिन के ऊपर कर्जे का बात कही गई है। हम लोग राज्य सरकारों से संपर्क करके, उनके साथ बैठक कर के, कैरोसिन और डीजल पर किस तरह से सहायता दी जा सकती है, इस पर विचार कर रहे हैं और अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें ऐसी सहायता मिले, लेकिन मैं स्पष्ट बताना चाहता हूं कि मछुआरों को कैरोसिन और डीजल में सहायता देने हेतु यदि राज्य सरकारों की ओर से कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास आता है, तो हम निश्चित रूप से और तत्परता से उस पर कार्रवाई करेंगे।

अपराह्न 12.33 बजे

(दो) त्रिवेन्द्रम स्थित कोवलम अशोक बीच रिजार्ट की एम फार होटल्स प्राइवेट लिमिटेड की कथित अनियमित बिक्री से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम

श्री पी. करूणाकरन (कासरगोड): महोदय, मैं पर्यटन मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न मामले की ओर आकर्षित करता हूं और अनुरोध करता हूं कि वह इस पर वक्तव्य दें।

> ''त्रिवेन्द्रम स्थित कोवल्स अशोक बीच रिजार्ट की एम फार होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को कथित अनियमित बिक्री से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम।''

***पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी):** महोदय, माननीय सदस्य ने यह नोटिस दिया है, लेकिन इस मामले में, केरल में उच्चतम न्यायालय में भारत के संविधान के अंतर्गत विशेष अनुमति याचिका दायर की है जो कि लम्बित है।

अध्यक्ष महोदय: क्या यह केरल सरकार ने दायर की है?

श्रीमती रेनुका चौधरी: मामला न्यायाधीन है, महोदय इसलिए इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी करना मेरे लिए उपयुक्त नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय: मैं इस बात को नहीं जानता था। क्या यही विषय वस्तु है? क्या इसी विषय का मामला न्यायाधीन है?

श्रीमती रेनुका चौधरी: हां महोदय, यही मामला विचाराधीन है। स्वयं ही राज्य सरकार ने अपील की है। मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकती हूं।

अध्यक्ष महोदय: क्या यह इस होटल की बक्री से संबंधित है?

श्रीमती रेनुका चौधरी: हां महोदय, यही मामला न्यायाधीन है।

अध्यक्ष महोदय: मुझे खेद है। मुझे इसकी अनुमति नहीं देनी चाहिए थी। मैं इस बात को नहीं जानता था।

...(व्यवधान)

श्री पी. करूणाकरन: महोदय, मुझे इसके बारे में कुछ कहना है। यह गम्भीर मामला है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आशा करता हूं कि मुझे पूर्व में ही सूचित किया जाना चाहिए था।

...(व्यवधान)

श्रीमती रेनुका चौधरी: इसे बिल्कुल भी ग्राह्य नहीं किया जाना चाहिए था।

अध्यक्ष महोदय: यह आपके मंत्रालय द्वारा सूचित किया जाना चाहिए था।

श्रीमती रेनुका चौधरी: हमने सूचित किया था *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए। क्या बात है यह क्या हो रहा है।

...(व्यवधान)

---

*ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2263/05

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपको सूचना कब मिली?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: एक-एक करके। यह तरीका नहीं है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइये। यह क्या हो रहा है?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: एक मामला उठाया गया है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए। यह क्या हो रहा है?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री करूणाकरन, जो संविधान और नियमों के द्वारा अनुज्ञेय नहीं है मैं उसे नहीं कर सकता हूं।

श्री पी. करूणाकरन: महोदय, मैं सभा के सामने इस मुद्दे की गम्भीरता को रखना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: जिस पर वह उत्तर नहीं दे सकती हैं। नहीं दे सकती हैं। वह इस मामले पर वक्तव्य नहीं दे सकती हैं।

श्री पी. करूणाकरन: वह इस बात को समझ सकती हैं कि उसमें क्या है।

अध्यक्ष महोदय: तब, आप उनके कार्यालय जाकर उनसे मिल सकते हैं। सभा इस पर चर्चा नहीं कर सकती है।

श्री पी. करूणाकरन: महोदय, मेरा नोटिस ग्राह्य हुआ है। इसलिए, मुझे इसे उठाने की अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय: मुझे खेद है। मैं नहीं जानता था कि मामला न्यायाधीन है। चूंकि मामला न्यायाधीन है तो इस पर यहां चर्चा करना उचित नहीं होगा। हम इस पर बाद में कभी चर्चा करेंगे।

...(व्यवधान)

श्री पी. करूणाकरन: यही बात है कि निजी पार्टियां कैसे बचने की कोशिश कर रही हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यही मामला माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष काफी समय से लम्बित है, वह इस पर कैसे टिप्पणी कर सकती हैं?

...(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, मैं एक ऐसा मुद्दा उठाना चाहता हूं जो न्यायाधीन नहीं है। यह मामला न्यायाधीन मामले से पूर्णत: अलग है। क्या मैं इसे उठा सकता हूं? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझसे प्रश्न मत करिए। यह अच्छी बात नहीं है। मैं यहां आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए नहीं हूं।

...(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, यह भ्रष्टाचार का मामला है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया, अपनी सीट ग्रहण करें। मैं कामना करता हूं कि मामला उच्चतम न्यायालय के पास होने के बारे में मुझे बताना चाहिए था।

...(व्यवधान)

श्री पी. करूणाकरन: इस मामले में हमारे राज्य के सभी लोग बिना किसी राजनीतिक भावना के इच्छुक हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप न्यायाधीन होने के मामले के महत्व के बारे में अवगत हैं। क्या आप इस बात को जानते हैं अथवा नहीं जानते हैं?

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, मैंने जो बात उठानी है वह न्यायाधीन मामले का प्रश्न नहीं हैं। यह न्यायाधीन मामले से पूरा अलग प्रश्न है। मैं भ्रष्टाचार का मामला उठाना चाहता हूं जिसका कि मुझे हक है।

अध्यक्ष महोदय: नहीं, अनुमति के बिना नहीं। मैं कोई अनुमति नहीं दे रहा हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: एक भी शब्द कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 12.37 बजे

कार्य-मंत्रणा समिति के बारहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा 11 मई, 2005 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के बारहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा 11 मई, 2005 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के बारहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न करें।

*...(व्यवधान)**

अपराह्न 12.38 बजे

(एक) लघु और मध्यम उद्यम विकास विधेयक, 2005@

[हिन्दी]

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि लघु और मध्यम उद्यमों के संवर्धन और विकास को सुकर बनाने और उनमें प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि लघु और मध्यम उद्यमों के संवर्धन और विकास को सुकर बनाने और उनमें प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

@भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड 2, दिनांक 12.5.2005 में प्रकाशित।

[हिन्दी]

श्री महावीर प्रसाद: महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

डा. शफीकुर्रहमान बर्क (मुरादाबाद): अध्यक्ष महोदय, मैंने भी नोटिस दिया है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: किस पर नोटिस दिया है?

डा. शफीकुर्रहमान बर्क: जीरो आवर में। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप थोड़ा रूल पढ़ लीजिए। जीरो आवर अभी नहीं आया है। आप थोड़ा सजग रहिये।

अपराह्न 12.38 1/2 बजे

(दो) कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2005*

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आयकर अधिनियम, 1961 सीमा शुल्क अधिनियम, 1962, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 तथा केन्द्रीय बिक्रय कर अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि आयकर अधिनियम, 1961 सीमा शुल्क अधिनियम, 1962, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 तथा केन्द्रीय बिक्रय कर अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित** करता हूं।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड 2, दिनांक 12.05.2005 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

अपराह्न 12.39 बजे

(तीन) उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) संशोधन विधेयक, 2005@

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1958 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1958 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, मुझे एक आपत्ति है। मुझे उसे उठाने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न ही नहीं उठता। आप अध्यक्ष द्वारा दी गई व्यवस्था पर प्रश्न नहीं उठा सकते। आप केवल प्रश्न कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आपको सबसे पहले मुझे सुनना पड़ेगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: आपको कोई अधिकार नहीं है। आपको सिर्फ आपत्ति जताने का अधिकार है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।

...(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, मेरा अधिकार है, आप इसे अस्वीकृत नहीं कर सकते हैं। यह एक अन्य मामला है। *...(व्यवधान)* मुझे नियम 72 के अनुसार उसे उठाने का अधिकार है। आप इसे अस्वीकृत नहीं कर सकते हैं। यह एक अन्य मामला है।

इसलिए, मैंने इस मुद्दे पर आपत्ति जताई है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: बहुत अच्छा। आप नियमों के विशेषज्ञ हैं, किंतु कृपया मुझे नियम पढ़ने दीजिए।

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, यदि मुझे सही-सही याद है तो यह लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों का नियम 22 है।

अध्यक्ष महोदय: मुझे नियम पढ़ने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार न करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठिए। पहले मेरी बात सुनें और फिर आपनी बात कहें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं नियम पढ़ता हूं। इसमें कहा गया है कि:

"किसी विधेयक को पुर:स्थापित करने का विरोध करने की सूचना, उसमें किए जाने वाले विरोध को स्पष्टतया और संक्षिप्त रूप में विनिर्दिष्ट करते हुए महासचिव को सम्बोधित की जाएगी और उस दिन 10.00 बजे तक दी जाएगी जिस दिन विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति का प्रस्ताव कार्यसूची में शामिल किया गया हो।"

इसमें यह भी बताया गया है कि:

"परन्तु जब प्रस्ताव का इस आधार पर विरोध किया जाये कि वह विधेयक ऐसे विधान का सूत्रपात करता है जो सभा की विधायिनी क्षमता से परे है, तो अध्यक्ष उस पर पूर्ण चर्चा की अनुज्ञा दे सकेगा।"

अत: यह केवल विधायी क्षमता के मुद्दे पर हो सकता है। आपको इस विधेयक पर कौन सी विधायी क्षमता की बात उठानी है?

@भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड 2, दिनांक 12.5.2005 में प्रकाशित।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, मैं नियम पढ़ना चाहता हूं। इसमें लिखा है कि:

"किसी विधेयक को पुर:स्थापित करने का विरोध करने की सूचना, उसमें किए जाने वाले विरोध को स्पष्टतया और संक्षिप्त रूप में विनिर्दिष्ट करते हुए महासचिव को सम्बोधित की जाएगी और उस दिन 10.00 बजे तक दी जाएगी जिस दिन विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति का प्रस्ताव कार्यसूची में शामिल किया गया हो।"

मैं यह बताना चाहता हूं कि मैंने ऐसा ही किया है।

अध्यक्ष महोदय: क्या आपने विधायी क्षमता को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया है।

श्री वरकला राधाकृष्णन: मैंने ऐसा ही किया है। मैंने 10.00 बजे से पहले सूचना दे दी है। मेरे मामले में ये सभी बातें सही बैठती हैं।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): कृपया इसमें अगली पंक्ति पढ़ें।

श्री वरकला राधाकृष्णन: अब, यह इस मुद्दे से संबंधित नियम है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं केवल अपना दुख ही वक्तव्य कर सकता हूं।

...(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन: मैं संशोधन पढ़ रहा हूं:

"किसी विधेयक को पुर:स्थापित करने का विरोध करने की सूचना, उसमें किए जाने वाले विरोध को स्पष्टतया और संक्षिप्त रूप में विनिर्दिष्ट करते हुए महासचिव को सम्बोधित की जाएगी और उस दिन 10.00 बजे तक दी जाएगी जिस दिन विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति का प्रस्ताव कार्यसूची में शामिल किया गया हो।"

अध्यक्ष महोदय: यह कोई भाषण-कक्ष नहीं है। नियम में यह भी उल्लिखित है कि:

"परन्तु जब प्रस्ताव का इस आधार पर विरोध किया जाये कि वह विधेयक ऐसे विधान का सूत्रपात करता है जो सभा की विधायिनी क्षमता से परे है, तो अध्यक्ष उस पर पूर्ण चर्चा की अनुज्ञा दे सकेगा।"

श्री वरकला राधाकृष्णन: यह कहा गया है कि मुझे 10.00 बजे से पहले सूचना देनी चाहिए और मैंने 10.00 बजे से पहले सूचना दे दी है।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, अच्छा यह बताइए कि आपकी क्या आपत्ति है?

श्री वरकला राधाकृष्णन: प्रक्रिया नियमों का क्या लाभ है और यदि ऐसे ही चलता रहा तो कोई आपत्ति उठाने का भी क्या लाभ है?

अध्यक्ष महोदय: ठीक है! कृपया भाषण न दें। कृपया वही कहें जो आपको इस मुद्दे पर कहना है। आप अपनी बात कह सकते हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन: बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपका आभारी हूं। मैं आपका बहुत आदर करता हूं।

इस तथ्य के बावजूद कि उच्चतम न्यायालय में लाखों मामले लंबित हैं, मैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन बढ़ाने का विरोध नहीं करना चाहता हूं। विवाद यह नहीं है। विवाद, इस विधेयक को जिस प्रकार से सभा में पुर:स्थापित किया जा रहा है, उसको लेकर है। यह एक पुराना विधेयक है और माननीय मंत्री महोदय न्यायाधीशों के वेतन के संबंध में संशोधन ला रहे हैं। यह एक सर्वविदित तथ्य है और हम सब यह जानते हैं कि कल सभा को 'अनिश्चित काल' के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। मैंने माननीय वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम द्वारा पुर:स्थापित विधेयक का विरोध नहीं किया है अपितु मैं इस विधेयक का इसलिए विरोध कर रहा हूं क्योंकि वे कानून मंत्री हैं।

अध्यक्ष महोदय: श्री पी. चिदम्बरम भाग्यशाली हैं।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): कानून मंत्री को कोई भी अवैध कार्य नहीं करना चाहिए।

श्री वरकला राधाकृष्णन: कानून मंत्री कानून का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। कानून मंत्री विधेयक में संशोधन करने की मांग कर रहे हैं और मुझे इसका विरोध करने का अधिकार है। मुझे दो दिन पूर्व सूचना देने का अधिकार है और यह बात नियमों में बिल्कुल स्पष्ट है। मैं जानता हूं कि माननीय अध्यक्ष महोदय इन सभी मामलों में सर्वोच्च हैं, मैं यह बात मानता हूं किंतु इस मामले में माननीय मंत्री भलीभांति यह जानते हैं कि कल सभा 'अनिश्चित काल' के लिए स्थगित हो जाएगी और इसमें कोई संदेह नहीं है।

श्री वरकला राधाकृष्णन]

न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि करने का यह मामला काफी लंबे समय से लंबित है और यह कोई नयी घटना नहीं है। यह मामला पहले से चल रहा है। माननीय मंत्री ने इसका यह कारण बताया है कि उन्हें कल ही महामहिम राष्ट्रपतिजी की सिफारिश प्राप्त हुई है। यह कोई सही कारण नहीं है। सरकार और विशेष रूप से कानून मंत्री को काफी समय पहले महामहिम राष्ट्रपति जी से सिफारिश प्राप्त कर लेनी चाहिए थी और यह विधेयक सदस्यों को भेज दिया जाना चाहिए था ताकि हमें इस विधेयक में शामिल निहितार्थों का अध्ययन करने का समय मिल जाता।

[अनुवाद]

इस अधिकार को किसी साधारण मंत्री ने नहीं वरन् स्वयं विधि मंत्री ने प्रदान करने से मना किया है।

अध्यक्ष महोदय: हां, वह एक असाधारण मंत्री हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन: वह बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। इसलिए मैं इसका विरोध कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: क्या आप अपनी आपत्ति का उल्लेख पूरा कर चुके हैं?

श्री वरकला राधाकृष्णन: नि:संदेह, मैं यह मानता हूं कि अध्यक्ष कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे आपत्ति करने का अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय: क्या आप थकते नहीं हैं?

श्री वरकला राधाकृष्णन: मुझे आपके समक्ष यह आपत्ति करने का अधिकार है, और आपको इस पर निर्णय लेने का पूरा अधिकार है।

तत्काल मामले में, मुझे एक बात कहनी है, और सभा नियमों के अनुसार कोई भी निर्णय ले सकती है। यहां एक मामला है- विपक्ष की अनुपस्थिति में—जहां पर सदस्यों का अधिकार शामिल है। वे सभा से नदारद होते हैं और हम अवाक् रह जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय: क्या आपने अपनी बात पूरी कर ली है? आप पहले जो कुछ बोल चुके हैं, उसे ही बार-बार दोहरा रहे हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन: विपक्ष यहां मौजूद नहीं है। विपक्ष की अनुपस्थिति में, सदस्यों के अधिकार नहीं छीने जाने चाहिए। इसलिए, मैं इस विधेयक का विरोध कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: एक समय आप स्वयं राज्य विधान सभा में अध्यक्ष थे। मुझे नहीं मालूम कि केरल विधान सभा में क्या हुआ। लेकिन माननीय सदस्य, आपको जानकारी होनी चाहिए कि माननीय मंत्री जी आ नहीं सके थे और उसे मेरी अनुमति के बिना प्रस्तुत कर दिया गया था। मैंने नियमों को लचीला बना दिया है।

इसलिए, आपके द्वारा इस मुद्दे का उठाया जाना अध्यक्ष के निर्णय को चुनौती देना है जो विशेषाधिकार का उल्लंघन है। मैं आपके विरुद्ध कोई विशेषाधिकार कार्यवाही नहीं कर रहा हूं। जहां तक आपके द्वारा उठाये गये मुद्दे का संबंध है, इसे अस्वीकृत कर दिया गया है।

प्रश्न यह है:

"कि उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1958 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री हंसराज भारद्वाज: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, देश में अभी भी बड़े पैमाने पर बाल विवाहों का प्रचलन है, खास तौर से राजस्थान और मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर बाल विवाह होते हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री राधाकृष्णन जी, आपने अनावश्यक रूप से पांच मिनट का बहुमूल्य समय बर्बाद कर दिया है।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: जब कुछ लोगों ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के समक्ष शिकायत की, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री ए.एस. आनन्द ने राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों और मुख्य सचिवों को पत्र लिखा कि अक्षय तृतीया, अखतीज के दिन यानी कल 11 मई को बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश और राजस्थान में बाल विवाह होते हैं। राज्य सरकारों को इन बाल

विवाहों को रोकने का काम करना चाहिए। मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के अकेले धार जिले में 60 परसेंट बाल विवाह होते हैं। शारदा एक्ट की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अभी राजस्थान में 23 नाबालिग बच्चों की शादियां हुईं। सबसे दुखद बात है कि डबरा, मध्य प्रदेश में जो बाल विवाह हए, उसमें वहां के एक मंत्री ने भी हिस्सा लिया। जिन लोगों पर बाल विवाह रोकने की जिम्मेदारी है, अगर वही लोग उन कार्यक्रमों में शामिल होंगे, तो इससे उनको शह मिलेगी, वे लोग प्रोत्साहित होंगे। वहां के एसडीएम को इस बात की जानकारी मिली कि एक गांव में बाल विवाह हुआ है। ...*(व्यवधान)* सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक सहायक महिला विकास अधिकारी शकुंतला वर्मा जब उसकी जानकारी लेने गयी तो उसके दोनों हाथ काट दिये गये। ...*(व्यवधान)* यह अत्यधिक गंभीर मामला है। राज्य सरकार को जानकारी होने के बावजूद भी कि 11 मई को बड़े पैमाने पर विवाह होंगे, राज्य सकार ने उन बाल विवाहों को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पत्र लिखने के बावजूद भी रोकने का काम नहीं किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री फरमाते हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह राज्य का विषय है। उत्तेजित मत होइए। मुझे आप बताएं कि इसमें केन्द्र कैसे शामिल है और मैं आपको अनुमति दूंगा। यह विधि और व्यवस्था का तथा बहुत गंभीर मामला है।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पत्र लिखा है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप समझाइये, हमने इंकार नहीं किया है।

...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन: मैं निवेदन कर रहा था कि जब वह महिला अधिकारी इस बात की जांच के लिए गयी तो उसके दोनों हाथ काट दिये गये। जिला प्रशासन ने इसका कोई संज्ञान नहीं लिया। ...*(व्यवधान)* वहां पुलिस नहीं पहुंची। जब राज्य के मुख्य मंत्री की जानकारी में तथ्य आये तो उन्होंने कहा कि मैं क्या कर सकता हूं, इस काम को तो महात्मा गांधी भी नहीं कर पाये। यह बहुत गंभीर मामला है। हमारे देश में बाल विवाहों का प्रचलन अभी भी जोरों पर है और उसमें आला अफसरान और मंत्री भाग लेते हैं। अध्यक्ष महोदय, हम आपका संरक्षण चाहते हैं। मैं जानता हूं कि यह राज्य का विषय है, लेकिन यह देश का विषय भी है क्योंकि जब तक इस विकृति से, इस सामाजिक कुरीति से लड़ने का संकल्प हम नहीं लेंगे, तब तक बात नहीं बनेगी। मुझे बेहद दुख है कि टीवी चैनलों और अखबारों में जब मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री का यह बयान आया कि हम कुछ नहीं कर सकते तो वे किसलिए गद्दी पर बैठे हुए हैं। अगर सरकार कुछ नहीं कर सकती तो ऐसी सरकार को एक मिनट भी गद्दी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: वे यहां उपस्थित नहीं हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत दुर्भाग्य की बात है। कृपया एक सेकिंड के लिए बैठिए। इस समय मैं बोल रहा हूं। कोई भी अध्यक्षपीठ की ओर ध्यान नहीं देता। कृपया बैठ जाइए, नहीं तो कार्यवाही-वृत्तांत से सभी बातें निकाल दी जायेंगी। मैं आपकी बात का पूरा-पूरा समर्थन कर रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. राम गोपाल यादव (सम्भल): अध्यक्ष महोदय, सरकार वहां से रिपोर्ट मंगवाए। ...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, हम आपके आभारी हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हमारे आभारी होने की जरूरत नहीं है।

...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन: हम चाहते हैं कि केन्द्र सरकार इसकी रिपोर्ट मंगवाये। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप सुनिये, हमें बोलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कोई भी जिम्मेदार हो, मामला बहुत गंभीर है और नि:संदेह उसकी भर्त्सना की जानी चाहिए। फिर भी, प्रश्न यह है: ''क्या प्रत्येक राज्य सरकार के विषय को यहां लाया जा सकता है अथवा क्या केन्द्र किसी भी राज्य सरकार के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है।'' इसलिए, मैं सरकार से राज्य सरकार के उचित अधिकारियों से यह पता लगाने की अपील कर सकता हूं और यदि आवश्यक होगा तो वे हमें यह बता सकते हैं कि स्थिति क्या है क्योंकि इसमें हमारे देश की महिलाएं शामिल हैं।

उनका यथोचित सम्मान और सुरक्षा की जानी चाहिए। मैं इस विषय को उठाने के लिए आपको बधाई देता हूं।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): अध्यक्ष महोदय, आप सरकार को आदेश दीजिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हमने बोला है।

[अनुवाद]

मैं पहले ही निदेश दे चुका हूं। आप तत्काल उत्तर की आशा कैसे कर सकते हैं? यदि वह ऐसा करने के लिए सहमत हों और तत्काल उत्तर दें तो मुछे आपत्ति नहीं है।

सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड जी, आपका मुद्दा भी यही है। इसका संबंध किसी अन्य राज्य से है। लेकिन आप पहली बार हस्तक्षेप करना चाहती हैं तो आप ऐसा कर सकती हैं।

सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड (नामनिर्दिष्ट): धन्यवाद, महोदय माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं देश में कल्याण कार्यों में जुटे लोगों की सुरक्षा के मुद्दे पर बोलना चाहती हूं। महिला कल्याण पर्यवेक्षक शकुन्तला वर्मा जो महिला कल्याण विभाग में कार्यरत थीं उन पर हमला किया गया और उनके हाथ काट दिये। यह घटना मध्य प्रदेश के धार जिले की है। यह गंभीर चिंता का विषय है। यह कल्याण अधिकारी ग्रामीण लोगों में बाल विवाह के प्रति जागरूकता पैदा कर रही थी और वह अक्षय तृतीया की पूर्व संध्या पर बाल विवाह को रोकने का प्रयास कर रही थीं। इस दिन को बाल विवाह के लिए शुभ माना जाता है। इससे केवल स्थिति की वह गंभीरता प्रकट होती है। जिसका कल्याण अधिकारी सामना करते हैं।

महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय गृह मंत्री जी से यह सुनिश्चित करने का आग्रह करती हूं कि इन हमलों को जारी न रहने दिया जाए। यदि दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही नहीं की गयी तो कल्याण अधिकारी हतोत्साहित हो जायेंगे। माननीय मंत्री जी को इस घटना को गंभीरता से लेना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हमारे देश के बच्चे शामिल हैं। गंभीर शिकायतें की जा रही हैं। इन घटनाओं की निंदा की जानी चाहिए। यह मुद्दा उठाने के लिए सुश्री मैक्लोड मैं आपकी प्रशंसा करता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि कुछ कार्रवाई की जाएगी। कम से कम सभा को सूचित किया जाए।

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़): कृपया मुझे केवल एक शब्द बोलने की अनुमति दी जाए। श्रीमती गिरिजा व्यास, अध्यक्षा, राष्ट्रीय महिला आयोग कल इन्दौर जा रही हैं। कृपया यह मामला पुन: उठाने की हमें अनुमति दीजिए।

डा. सी. कृष्णन (पोल्लाची): महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में अमरावती सहकारी चीनी मिल नाम की एक सहकारी चीनी मिल है। मिल को पड़ौसी गांवों उदुमालपेट, पोल्लाची, धारापुरम, पलानी तथा पल्लाडम जो कि अधिसूचित क्षेत्र हैं, से गन्ना मिलता है।

आजकल अधिसूचित क्षेत्रों में निजी मिल मालिक भी आ रहे हैं तथा सरकारी दरों से ऊंची दरों का भुगतान कर गन्ना खरीद रहे हैं। यह विद्यमान नियमों का उल्लंघन है जिसके कारण मिल के सुचारू प्रचालन के लिए कच्चे माल की कमी के कारण सहकारी मिल संकट में है। मिल के बंद हो जाने की भी आशंका है। इसलिए श्री वाइको के नेतृत्व वाली मारूमालारची द्रविड़ मुनेत्र कषगम की ओर से मैं राज्य सरकार, जो हमेशा की तरह निष्क्रिय एवं सुस्त है, से आगे आने तथा विद्यमान नियमों को लागू कराने तथा निजी क्रेताओं को रोकने तथा सहकारी चीनी मिल के सुचारू संचालन करने का अनुरोध करता हूं। मैं अनुरोध करता हूं कि केन्द्र सरकार इस मिल के सुचारू संचालन हेतु पहल करने के लिए राज्य सरकार को निदेश दे।

श्री एस.के. खारवेनथन (पलानी): महोदय, मैं इस मुद्दे पर सदस्य के साथ सहमत हूं।

अध्यक्ष महोदय: आपका नाम कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित कर लिया जाएगा।

श्री टी.के. हमजा (मंजेरी): मैं कतिपय महत्वपूर्ण बातों को उठाना चाहूंगा। मैं देश में विभिन्न विमानपत्तनों, विशेषकर कालीकट विमानपत्तन में कार्यरत अमानी कामगारों की शिकायतों के बारे में सभा का ध्यान आकर्षित करने के लिए खड़ा हूं। मैं वहां विमानपत्तन सलाहकार समिति का अध्यक्ष हूं तथा इसलिए मैं वास्तविक स्थिति जानता हूं। ये अमानी कामगार श्रमिक वहां गत पन्द्रह वर्षों से कार्यरत हैं। अब प्रबन्धन कतिपय ठेकेदारों को नियुक्त कर रहा है जो वहां वास्तव में कार्य कर रहे कामगारों की कमर तोड़ रहा है। वे कार्य में लगे हैं तथा प्रबन्धन के लिए कार्य कर रहे हैं। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि उन्हें कार्य करते रहने की अनुमति दी जाए तथा नियमितीकरण के लिए कुछ किया जाए। मंत्री जी इस मामले को देखें तथा तदनुसार आदेश पारित करें।

अध्यक्ष महोदय: कृपया आप धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कीजिए। आपको अवसर दिया जाएगा। यदि आप किसी अनुपयुक्त समय पर खड़े होते हैं तो इससे बात बनने वाली नहीं है। इससे आप केवल सभा का समय बर्बाद करेंगे। आपको सीखना चाहिए।

[हिन्दी]

डा. शफीकुर्रहमान बर्क (मुरादाबाद): अध्यक्ष महोदय, आज दिल्ली में जन्तर-मन्तर पर मुस्लिम रिजर्वेशन मूवमेंट के बैनर के नीचे हजारों मुसलमान धरना व प्रदर्शन कर रहे हैं। देश के कोने-कोने से मुसलमान आये हैं और उनकी मांग है कि मुसलमानों को जो इस रिजर्वेशन से महरूम रखा गया है और आज मुसलमान उसकी वजह से पिछड़े हुए हैं तथा उनकी तालीम की हालत बहुत खराब है। आज 58 साल के बाद भी मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं किया जा रहा है। मेरे आंकड़ों के हिसाब से कम से कम 30 करोड़ मुसलमान इस देश में रहते हैं लेकिन आज भी मुसलमानों में उनका रेशियो दो प्रतिशत से भी कम है जबकि आजादी से पहले उनका यह रेशियो 37 प्रतिशत था। जब हिन्दुस्तान के अंदर कानून बनाया गया था तो उस वक्त शैडयूल्ड कास्ट, शैडयूल्ड ट्राईब्स और ओबीसी के लोगों को रियायतें दी गईं थीं लेकिन मुसलमानों को इस कैटेगरी में जो दलित मुसलमान कहलाते हैं, हिन्दुओं की तरह उनको इस कैटेगरी में नहीं रखा गया जिसकी वजह से वे उन रियायतों से महरूम हैं और उनको वह फायदा भी नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आज हमारे मुसलमानों ने जो धरना दिया है, मैं भी उसमें शरीक हुआ था कि हमें वे रियायतें, जो हिन्दू दलितों को मिल रही हैं, वे मुसलमानों को भी दी जाएं और मुसलमानों की आबादी के हिसाब से उनको रिजर्वेशन दिया जाए। बगैर रिजर्वेशन के इस देश के अंदर मुसलमान गरीब रहेगा, पिछड़ा रहेगा, तरक्की नहीं कर सकेगा। इसलिए मेरी सरकार से गुजारिश है कि सरकार इस मामले में गौर करे और मुसलमानों के साथ न्याय करे।

[डॉक्टर शफीक उर्रहमन बर्क (मुरादाबाद): स्पीकर साहब, आज दिल्ली में जन्तर मन्तर पर मुस्लिम रिजरवेशन मूवमेंट के बैनर के नीचे हजारों मुसलमान धरना व प्रदर्शन कर रहे हैं। मुल्क के कोने कोने से मुसलमान आये हैं और उनकी मांग है कि मुसलमानों को जो इस रिजरवेशन से महरूम रखा गया है और आज मुसलमान उसकी वजह से पिछड़े हुए हैं तथा उनकी तालीम की हालत बहुत खराब है। आज 58 साल के बाद भी मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं किया जा रहा है। मेरे आंकड़ों के हिसाब से कम से कम 30 करोड़ मुसलमान इस देश में रहते हैं लेकिन आज भी मुसलमानों में उनका रेशियो दो फीसद से भी कम है जबकि आजादी से पहले उनका यह रेशियो 37 फीसद था। जब हिन्दुस्तान के अंदर कानून बनाया गया था तो उस वक्त शैडयूल्ड कास्ट, शैडयूल्ड ट्राईब्स और ओबीसी के लोगों को रियायतें दी गई थीं लेकिन मुसलमानों को इस कैटेगरी में जो दलित मुसलमान कहलाते हैं, हिन्दुओं की तरह उनको इस कैटेगरी में नहीं रखा गया जिसकी वजह से वे उन रियायतों से महरूम हैं और उनको वह फायदा भी नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आज हमारे मुसलमानों ने जो धरना दिया है, मैं भी उसमें शरीक हुआ था कि हमें वे रियायतें, जो हिन्दू दलितों को मिल रही हैं, वे मुसलमानों को भी दी जाएं और मुसलमानों की आबादी के हिसाब से उनको रिजरवेशन दिया जाए। बगैर रिजरवेशन के इस देश के अंदर मुसलमान गरीब रहेगा, पिछड़ा रहेगा, तरक्की नहीं कर सकेगा। इसलिए मेरी सरकार से गुजारिश है कि सरकार इस मामले में गौर करे और मुसलमानों के साथ न्याय करे।]

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, अब हो गया है।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): अध्यक्ष जी, मेरा भी सपोर्ट है। मेरा नाम भी इसमें एसोशिएट करवा दीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपका नाम भी सम्मिलित कर लिया जाएगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, कृपया सहयोग करें। प्रत्येक माननीय सदस्य को महत्वपूर्ण मुद्दे उठाने हैं। यदि हम केवल अपनी सोचें तथा अन्य माननीय सदस्यों के बारे में नहीं सोचें तो हम ये कार्यवाहियां कैसे संचालित करेंगे। हमें संक्षेप में कहना चाहिए। हमें विषय पर आना चाहिए तथा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रभूषण सिंह (फर्रुखाबाद): अध्यक्ष जी, हिन्दुस्तान में जब से ग्रीन रिवोल्यूशन शुरू हुआ, तब से कैमीकल फर्टिलाइजर्स इंसेक्टीसाइड्स और पेस्टीसाइड्स का बहुत जोरों से इजाफा हुआ, प्रोडक्शन बढ़ा लेकिन उसके साथ ही साथ बहुत सारी दिक्कतें आई जो हमारे सामने हैं। पिछले सक्सेसिव पांच साल से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन लगातार स्टेशनरी चल रही है, पोपुलेशन बढ़ रही है और एग्रीकल्चर का उत्पादन लगातार रुका हुआ है। मैं एक बात हाउस से और सरकार से कहना चाहता हूं कि कैमीकल फर्टिलाइजर्स के हैपहेजर्ड वे में इस्तेमाल होने की वजह से, पेस्टीसाइड्स और इंसेक्टीसाइड्स का बुरी तरह से इस्तेमाल होने की वजह से ग्राउंड वाटर भी प्रदूषित हो गया है और एनवायरनमेंट में भी फर्क पड़ा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हमने कृषि पर 10 घंटे बहस की है। आपने ये सभी बिन्दु उठाए हैं तथा माननीय मंत्री ने उनका पूर्णतया उत्तर दिया है। अब, एक बार फिर यह मुद्दा उठा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रभूषण सिंह: बात तो ठीक है लेकिन मौजूदा वक्त में अगर इस पर गौर नहीं किया गया तो आगे आने वाले वक्त में सारी जमीन ऊसर हो जाएगी और जमीन का पानी पीने लायक नहीं रहेगा।

अपराह्न 1.00 बजे

इससे पर्यावरण भी प्रभावित होगा। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस पर कोई ऐसी रूपरेखा बनाई जाए ताकि भविष्य में भूजल की गुणवत्ता के स्तर में अधिक गिरावट न आए।

[अनुवाद]

श्री सुनील खां (दुर्गापुर): महोदय, यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि बर्नस स्टैण्डर्ड कंपनी लिमिटेड तथा बर्नस वर्कस को रेल विभाग से आदेश नहीं मिल रहे हैं। रेल मंत्री ने भी आश्वासन दिया था कि बर्नस स्टैण्डर्ड कंपनी लिमिटेड तथा बर्नस वर्कस को रेलवे से आदेश मिलेंगे। अब वे भारत वैगन्स जो कि रेलवे के अधीन एक संगठन है, को निविदाएं दे रहे हैं। बर्नस वर्कस ने 50 बी.ओ.बी. आर.एन. वैगनों का उत्पादन किया है। सबसे कम निविदाएं दावे के बावजूद भी रेलवे उन्हें आदेश नहीं दे रहा है। बोगी तथा कपलर्स जैसे इनपुट्स जो कि निजी क्षेत्र को दिये गए हैं, सरकारी क्षेत्र को नहीं दिये गए हैं, यद्यपि उन्होंने आश्वासन दिया था। यदि बीएससीएल/बीडब्ल्यू को वैगनों के लिए रेलवे से आदेश नहीं मिले तो वे बन्द हो सकती हैं।

[हिन्दी]

चौधरी विजेन्द्र सिंह (अलीगढ़): अध्यक्ष महोदय, आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

महोदय, इस देश की भूमि हमेशा-हमेशा से ऋषि-मुनियों और त्यागियों से भरी रही है। मैं इस तरीके की एक गंभीर घटना की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मैं 6 फरवरी, 2005 को 'पंजाब केसरी' में छपी घटना की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो सउदी अरब में स्थित भारतीय दूतावास से संबंधित है। इण्डियन हज डेलिगेशन, 2005 ने अभी पिछले दिनों में सउदी अरब, जेदाह, मक्का और मदीना में हज की यात्री की। सउदी अरब स्थित भारतीय दूतावास ने परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद की विधवा हाजी रसूलन बीबी के साथ असम्मानजनक व्यवहार किया। परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद की विधवा हाजी रसूलन बीबी को प्रधानमंत्री ने हज डेलिगेशन, 2005 के लिए चुना था, प्रधानमंत्री जी ने उनको हज यात्रा के लिए अपनी शुभकामनाएं दी थी और विदाई देने के लिए एक चाय पार्टी का आयोजन भी किया था। रसूलन बीबी को विदेश मंत्रालय के हज प्रकोष्ठ में एक्जीक्युटिव क्लास की एयर इण्डिया की टिकट दी गयी थी, परन्तु जब वह जेदाह से दिल्ली के लिए रवाना हुईं तो उन्हें इकोनोमी क्लास में एक घटिया सीट एलाट की गयी। इस पर उनके पोते ने नाराजगी जताई और सउदी अरब के राजदूत एच.एम. फ़ल्की के स्टाफ को भी इस विषय में अवगत करा दिया था। रसूलन बीबी की तबीयत खराब होने और बुजुर्ग होने पर भी इकोनोमी क्लास की सीट दी गयी। अगर एक परमवीर चक्र विजेता की विधवा के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि आम आदमी के साथ क्या व्यवहार किया जाता होगा। यही नहीं, और भी अनेक हज यात्री जो उत्तर प्रदेश के रायबरेली, अलीगढ़ आदि जिलों से जाते हैं, उनके साथ भी ऐसा ही दुर्व्यवहार किया जाता है।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि विदेश मंत्रालय और सउदी अरब स्थित भारतीय दूतावास के जिन अधिकारियों को गुडविल हज डेलिगेशन, 2005 की यात्रा का दायित्व दिया गया था और जिन्होंने बदसलूकी की है, माननीय मंत्री जी उनके विरुद्ध तुरन्त कार्रवाई करें। मैं कहना चाहता हूं कि अब्दुल हमीद ने देश की रक्षा के लिए, 1965 के युद्ध में जो काम किया था, वह देशभक्ति का काम था। रसूलन बीबी से बदसलूकी की इस घटना से पूरे देश के करोड़ों लोगों को दुख पहुंचा है।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, आपने बहुत अच्छा विषय उठाया है।

चौधरी विजेन्द्र सिंह: महोदय, भविष्य में इस तरह की कोई घटना न हो, इसलिए सरकार इसे संज्ञान में लेकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करे।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, आपकी बात पूरी हो गयी। मंत्री जी भी यहां बैठे हुए हैं, उन्होंने आपकी बात सुन ली है।

[अनुवाद]

श्री एस. अजय कुमार (ओट्टापलम): महोदय, केन्द्र सरकार को 1.5 लाख लाइसेंस प्राप्त रेलवे कुलियों तथा सात लाख से अधिक खान-पान सेवा वर्करों की सर्विस को बचाने हेतु तत्काल कदम उठाने चाहिएं।

वर्ष 1999 में, राजग सरकार ने निजीकरण की नीति थोपी थी। क्या यह सरकार भी उसी पिछली सरकार की नीति को अपनाए रखेगी। यदि ऐसा होता है तो इन गरीब वर्करों को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ेगा।

एक ओर तो माननीय रेल मंत्री लाइसेंस प्राप्त कुलियों के लिए कुछ लाभों की घोषणा कर रहे हैं लेकिन दूसरी ओर रेलवे बोर्ड लाइसेंस प्राप्त कुलियों का कार्य समाप्त करने का ही नहीं बल्कि अनेक स्टेशनों पर पार्सल बुकिंग के कार्य को भी समाप्त करने का आदेश जारी कर रहा है। इसने इस काम पर ठेका श्रमिकों को लगाया है। इसके परिणामस्वरूप लाइसेंस प्राप्त रेलवे कुलियों को अपना रोजगार खोना पड़ रहा है। इसी प्रकार, खान-पान उद्योग में कार्यरत सात लाख से अधिक वर्करों का रोजगार दांव पर लगा है।

इसलिए, मैं लाइसेंस प्राप्त रेलवे कुलियों और खान-पान सेवा के कर्मचारियों के संबंध में निजीकरण और ठेकेदारी की वर्तमान नीति की समीक्षा करने तथा इन पहलुओं पर विचार करने हेतु एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन करने की लगातार वकालत करता रहा हूं। सरकार को इस महत्वपूर्ण मामले में हस्तक्षेप करके तत्काल समुचित कदम उठाने चाहिए और इस नीति को वापस लेना चाहिए।

डा. के.एस. मनोज (अलेप्पी): महोदय, मैं भी उनकी बातों से अपने को सम्बद्ध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: इस बात पर सहमति हुई है कि वे माननीय सदस्य जो इस सप्ताह एक-एक प्रश्न पूछ चुके हैं। उनकी बारी बाद में आएगी। इसलिए कृपया धैर्य रखें।

[हिन्दी]

श्री हरिसिंह चावड़ा (बनासकांठा): अध्यक्ष जी, मेरे क्षेत्र में एक बहुत ही गम्भीर मामला सामने आया है। वहां पर 500 रुपए के हजारों जाली नोट पकड़े गए हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र में राधोपुर के आसपास के क्षेत्र में और राजस्थान के भी क्षेत्र में ऐसे नोट बरामद किए गए हैं। ऐसी सम्भावना व्यक्त की गई है कि इसमें बीजेपी कार्यकर्त्ता शामिल हैं। लेकिन वहां की राज्य सरकार इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मेरी विनती है कि यहां से सीबीआई के द्वारा इस घटना की जांच कराई जाए और जो लोग वह देशद्रोही कार्य कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): अध्यक्ष महोदय, देश के संविधान के शिल्पकार, भारतरत्न डा. बाबा साहेब अम्बेडकर के राष्ट्रीय स्मारक के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं। दिल्ली में 26, अलीपुर रोड को बाबा साहेब अम्बेडकर का सम्मारक बनाए जाने की घोषणा तत्कालीन एनडीए सरकार ने की थी। जिस जगह पर बाबा साहेब अम्बेडकर का देहांत हुआ था, वह जगह जिंदल ने ली थी। लेकिन एनडीए सरकार ने उन्हें 15 करोड़ रुपए देकर इस जगह को ले लिया और उस पर अम्बेडकर स्मारक भवन बनाने का निर्णय लिया था। यूपीए सरकार को सत्ता में आए एक साल होने जा रहा है। सरकार इस संबंध में विचार कर रही है। मेरी मांग है कि बाबा साहेब अम्बेडकर का राष्ट्रीय स्मारक बनाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा जो 50 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जल्द से जल्द उस भवन का निर्माण करके वहां बाबा साहेब अम्बेडकर का राष्ट्रीय स्मारक बनाया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यदि मैं यहां पीठासीन रहा तो अगले सत्र से ये सभी मामले 'शून्य काल' के दौरान नहीं उठाए जा सकेंगे। इनमें से कोई भी मुद्दा महत्वपूर्ण और तात्कालिक नहीं है। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि इनमें से अधिकांश तात्कालिक नहीं थे।

अपराह्न 1.07 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन—*जारी*

(दो) विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर एक अनन्य टी.वी. चैनल शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में

[अनुवाद]

डा. सुजान चक्रवर्ती (जादवपुर): महोदय, मैं आपको आपके और सरकार के विचारार्थ इस महत्वपूर्ण मामले को उठाने हेतु अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदय: हां, माननीय मंत्री यहां उपस्थित हैं, वह सुनें। सूचना और प्रसारण मंत्री माननीय सदस्य की बात सुनें।

डा. सुजान चक्रवर्ती: महोदय, मेरी बात एक समर्पित टी.वी. चैनल की स्थापना के बारे में है ताकि हमारे वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान का फल आम जनता, ग्रामीण जनता, महिलाओं व अन्य सभी लोगों को प्राप्त हो सके।

वस्तुत: हमारे देश में वैज्ञानिकों की भारी तादाद है। प्रत्येक दिन, औपचारिक रूप से अनेक अनुसंधान संगठन काफी अनुसंधान कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा मात्र अनुसंधान संगठनों में ही नहीं बल्कि कृषि क्षेत्र, मत्स्यन अथवा यहां तक कि लघु उद्योगों में भी अनौपचारिक रूप से नित-नूतन और अभिनव अनुसंधान कार्य हो रहे हैं। परन्तु इनका फल आम जनता को नहीं मिल रहा है।

उदाहरणार्थ, इमली का फ्लुओरोसिस पर प्रभाव पड़ता है। वैज्ञानिकों को इस बात की जानकारी है। क्या आम जनता को यह जानकारी प्राप्त होगी? मेरा विश्वास है कि यह जानकारी समाज के लिए काफी मददगार साबित होगी। इस प्रकार, हमारे पास अनेक मुद्दों की सूची हो सकती है। एक समर्पित चैनल के माध्यम से विशेषकर चिकित्सा अनुसंधान, कृषि अनुसंधान मत्स्यन व अन्य अनेक अनुसंधानों के क्षेत्र में हो रही नई प्रगति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा हमारी वैज्ञानिक गतिविधियों, उत्पादन गतिविधियों इत्यादि के नियमित पारंपरिक विकास के बारे में लोगों को आधुनिक तरीके से बेहतर जानकारी दी जा सकती है।

मैं सरकार से इस उद्देश्य से इस मामले पर विचार करने का अनुरोध करता हूं।

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): महोदय, क्या मैं उत्तर दूं?

अध्यक्ष महोदय: यदि आप उत्तर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: माननीय सदस्य ने एक समर्पित चैनल शुरू करने का सुझाव दिया है, यह व्यवहार्य नहीं होगा। परन्तु हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के व्यावहारिक प्रयोग की जानकारी विभिन्न चैनलों के माध्यम से लोगों के पास पहुंचे।

उन्होंने हमारे पारंपरिक ज्ञान का उल्लेख किया है जो हमारे जनजातीय लोगों व अन्य के पास है। हम उस पारंपरिक ज्ञान को डिजिटल रूप में संरक्षित एवं अनुरक्षित रखने का प्रयास कर रहे हैं। एक अलग चैनल की मांग को छोड़कर इस मुद्दे को गम्भीरता से लिया गया है। क्योंकि अलग चैनल की मांग वित्तीय रूप से व्यवहार्य नहीं है।

डा. सुजान चक्रवर्ती: यह हो सकता है कि इस प्रयोजनार्थ लोक सभा चैनल का प्रयोग किया जाए। मेरा यही विचार है।

अध्यक्ष महोदय: हम इसे करेंगे। मैंने इसे नोट कर लिया है। ऐसा पहले से ही एक सुझाव भी है। आपके सुझावों हेतु आपको धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना): अध्यक्ष जी, लोक सभा और राज्य सभा का चैनल केबल पर दिखाया नहीं जाता है। इस पर सख्ती से कार्यवाही करवाइये।

अध्यक्ष महोदय: हम तो सख्ती से काम करेंगे लेकिन आप जरा कम शक्ति से यहां पर काम करें।

श्री राम कृपाल यादव: सर, हम आपके सामने शक्ति कैसे दिखा सकते हैं?

श्री सीताराम सिंह (शिवहर): अध्यक्ष जी, बिहार एक पिछड़ा राज्य है और उसमें मोतीहारी एक जिला है जहां से महात्मा गांधी जी ने आजादी की लड़ाई शुरू की थी और देश आजाद हुआ था। आज वह जिला बाढ़ से तबाह और परेशान है। बगल में ही दूसरा जिला सीतामढ़ी है जो मां जानकी का जन्म-स्थान है और वह जिला भी बाढ़ की विभीषिका से पीड़ित है। इन जिलों में सरकार द्वारा चलाई जा रही फूड फार वर्क और सम विकास योजनाओं के न जुड़ने से मजदूरों के पास रोजगार नहीं है और मजदूर दूसरे राज्यों में काम के लिए पलायन कर रहे हैं, भाग रहे हैं। महोदय, मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि फूड फार वर्क और सम विकास योजनाओं के अंतर्गत मोतीहारी, बेतिया, सीतामढ़ी और मधुबनी इलाकों को जोड़ने की कृपा करें।

[अनुवाद]

डा. अरूण कुमार शर्मा (लखीमपुर): मैं इस सभा का ध्यान बाढ़ों के कारण हुई तबाही की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: आपने निर्धारित समय के अंदर नोटिस नहीं दिया है। परन्तु मुद्दे के महत्वपूर्ण होने की वजह से मैं आपको इसे अब उठाने की अनुमति देता हूं। कृपया इस बात का ध्यान रखें तथा भविष्य में इसका अनुपालन करें।

डा. अरूण कुमार शर्मा: धन्यवाद, महोदय।

बिहार, असम और देश के अन्य भागों में बाढ़ से हुई तबाही से हम सभी अवगत हैं। केन्द्र सरकार ने समय पर हस्तक्षेप किया और केन्द्र सरकार के सी आर एफ और एन सी सी एफ से तथा अन्य तंत्रों के माध्यम से कुछ सहायता प्रदान की।

मैं अन्य क्षेत्रों की स्थिति से अवगत नहीं हूं, परन्तु असम में जहां तक बाढ़-प्रभावित लोगों के पुनर्वास का संबंध है, 5000 से ज्यादा लोग अभी भी सड़कों और तटबंधों पर पड़े हैं। केन्द्र सरकार द्वारा आवासीय इकाइयों का निर्माण करने हेतु इंदिरा आवास योजना के विशेष घटक के रूप में जारी की गई धनराशि लाभार्थियों तक नहीं पहुंची है। दिसम्बर माह में केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए एक लाख मीट्रिक टन चावल का लाभार्थियों तक पहुंचना शेष है। मुझे आशा है कि केन्द्र सरकार इस विशेष मुद्दे पर हस्तक्षेप करेगी, क्योंकि यह उनके लिए जीवन-मृत्यु का प्रश्न है।

इसके अलावा, बाढ़ के दौरान ध्वस्त हो चुके सड़कों, पुलों और तटबंधों का भी निर्माण शुरू किया जाना शेष है। केन्द्र सरकार द्वारा पर्याप्त धन उपलब्ध कराया गया था। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि क्रियान्वयन एजेंसी को अभी अनुदान मिलना शेष है जो कि केन्द्र सरकार द्वारा दिया गया है।

इस वर्ष, वर्षा ऋतु बहुत शीघ्र आरंभ होने वाली है। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक वर्ष से, राज्य सरकार उन लोगों का पुनर्वास करने में और अपेक्षित राहत उपलब्ध कराने में बुरी तरह विफल रही है।

प्रधानमंत्री द्वारा बाढ़ और अपरदन संबंधी कृतिक बल गठित करने की घोषणा की गई थी। कृतिक बल परियोजना के अंतर्गत बाढ़-नियंत्रण हेतु परिकल्पित राशि को अभी तक संस्वीकृत किया जाना शेष है। जल संसाधन मंत्रालय ने कृतिक बल रिपोर्ट को क्रियान्वित करने हेतु ठोस कार्य योजना को अंतिम रूप नहीं दिया है। माजुलि द्वीप के संरक्षण हेतु आवंटित की गई धनराशि का उपयोग बहुत ही धीमी गति से हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा घोषित ब्रह्मपुत्र बोर्ड का पुनर्गठन कार्य भी आरंभ किया जाना है। केन्द्र सरकार विशेषकर असम में राहत और पुनर्वास कार्य की निगरानी और हस्तक्षेप करें ताकि नदी के तटों पर रह रहे जनजातीय लोगों को केन्द्रीय सहायता का लाभ मिल सके।

अपराह्न 1.16 बजे

[**श्री पवन कुमार बंसल** *पीठासीन* हुए]

विशेष एस जी आर वाई के अंतर्गत गत वर्ष दिसम्बर में असम के बाढ़-प्रभावित लोगों हेतु एक लाख मीट्रिक टन चावल का आबंटन किया गया था, परन्तु उनको एक किलोग्राम चावल भी नहीं मिला है।

महोदय, आपकी अनुमति से मैं सरकार से देश के बाढ़-प्रभावित राज्यों, विशेषकर असम में किए गए कार्यों पर वक्तव्य देने का अनुरोध करता हूं। सी आर एफ, एन सी सी एफ और ऐसी अन्य सहायता के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा आबंटित धन का उपयोग दर्शाने वाले वक्तव्य को सभा में रखा जाना चाहिए।

श्री सर्वानन्द सोनोवाल (डिब्रूगढ़): महोदय, मैं उनका समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

डा. राजेश मिश्रा (वाराणसी): मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आज आपने मुझे उत्तर प्रदेश के इतने महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में राजभर जाति एक बहुत पिछड़ी जाति है। 16 जून 1994 को उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली बार, अपनी सिफारिश के साथ, केन्द्र सरकार को एक पत्र भेजा और उसमें यह कहा कि राजभर जाति को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। पिछला पत्र उत्तर प्रदेश सरकार ने 19 मार्च 2004 को भेजा था। इन पत्रों में यह समायोजित किया गया है कि राजभर जाति को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। पहली बार विधान सभा की याचिका समिति ने अपने रिपोर्ट में कहा था कि उत्तर प्रदेश में राजधर/राजभर जाति को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। इसके बाद पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आई।

सभापति महोदय: राजेश जी, आप पढ़ कर मत बोलिए। पढ़ कर बोलने से बात खत्म नहीं हो पाएगी।

डा. राजेश मिश्रा: मान्यवर, मैं रिपोर्ट की एक लाइन बता रहा हूं। मैं पढ़ नहीं रहा हूं। पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट में यह कहा गया कि राजभर जाति का चमार/पासी जाति से मिलता-जुलता स्वरूप है इसलिए इसे अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में राजभर जाति एक विमुक्त जाति की श्रेणी में आती है। उत्तर प्रदेश में 19 जातियां विमुक्त जाति की श्रेणी में हैं। 19 जातियों में से 18 जातियां इस समय अनुसूचित जाति की श्रेणी में आलरेडी घोषित की जा चुकी हैं। केवल राजभर जाति उस विमुक्त जाति में से बची है। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के डायरैक्टर ने एक सर्वे करवाया और उस सर्वे में यह रिपोर्ट आई कि 63 परसैंट लोग राजभर जाति के लोगों के हाथ से छुआ पानी नहीं पीते हैं और उस जाति के 82.5 परसैंट लोग अशिक्षित हैं।

सभापति महोदय: अब आप खत्म करिए। मैं अगला नाम बुला रहा हूं।

डा. राजेश मिश्रा: मान्यवर, मैं केन्द्र सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि 1984 में उत्तर प्रदेस की कांग्रेस सरकार ने जो रिपोर्ट भेजी थी और पिछली उत्तर प्रदेश सरकार ने 2004 में जो रिपोर्ट भेजी है, उसे कंसिडर करते हुए राजभर जाति को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए।

सभापति महोदय: मेरी सभी से यह रिकवैस्ट है कि स्पीकर साहब ने खासतौर पर यह बात कही है कि एक-एक मिनट में ब्रीफ में सब अपनी बात कहें। केवल कुछ लोगों को बोलने का मौका दिया जा रहा है।

श्री रघुनाथ झा (बेतिया): सभापति महोदय, क्या मेरा नाम है?

सभापति महोदय: अगर आप कहें तो मैं नाम पढ़ देता हूं। श्री येरननायडु, श्री हन्नान मोल्लाह, श्री राम कृपाल यादव, श्री रूपचन्द पाल। आप कृपया बैठे रहिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: यह तरीका नहीं है।

[हिन्दी]

आप कल अपनी बात कह लीजिए या फिर इन्हें दे दीजिए। स्पीकर साहब ने इन सदस्यों को अपने विवेक के हिसाब से तय किया है। मेरे पास यह लिस्ट है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: मेरे पास जो लिस्ट है, मैं उनके नाम बोल रहा हूं। आप अपनी जगह लीजिए और सिर्फ श्री हन्नान मोल्लाह को अपनी बात कहने दीजिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आपके दो मसले हैं, इनमें से आप वक्फ बोर्ड की बात कह रहे हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): महोदय, मैं सरकार का ध्यान देश के वक्फ बोर्डों की अत्यधिक गंभीर समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। सभी राज्यों में, वक्फ अधिनियम, 1995 की खामियों के कारण वक्फ बोर्डों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उक्त अधिनियम में कई संशोधन किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि यह कई बातों का स्पष्टीकरण नहीं करता है। सभापति के कार्यकरण को इसमें स्पष्ट नहीं किया गया है। अतिक्रमण हटाने के लिए, एस डी एम का उल्लेख किया गया है परन्तु शहरों में कोई एस डी एम नहीं है।

वक्फ संपदा का अतिक्रमण करने वाले लोगों को दंडित किया जाना चाहिए। वक्फ संपदा का अतिक्रमण करने वालों को न केवल जेल भेजा जाना चाहिए बल्कि वक्फ संपदा की खरीद करने वाले लोगों को भी जेल भेजा जाना चाहिए। अन्यथा देश भर में स्थित 2,40,000 वक्फ सम्पदाओं को बेईमान लोगों द्वारा अतिक्रमित किया जाता रहेगा और इन्हें लूटा जाता रहेगा।

विकास के लिए तीन वर्षों के पट्टे का उपबंध है परन्तु कोई भी तीन वर्षों के पट्टे पर लेने के लिए तैयार है। कई और समस्याएं हैं/संसदीय समिति ने कई बातों की भी सिफारिश की है। इसके आधार पर, वक्फ अधिनियम, 1995 में तत्काल संशोधन किया जाना चाहिए ताकि वक्फ बोर्डों की समस्याओं को दूर किया जा सके।

इसलिए, मैं सरकार और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री से तत्काल वक्फ अधिनियम, 1995 में पर्याप्त और समुचित संशोधन करने का अनुरोध करता हूं।

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम): सभापति महोदय, मेरा मुद्दा आंध्र प्रदेश के तंबाकू किसानों की दुर्दशा के बारे में है। तंबाकू बोर्ड ने आंध्र प्रदेश को वर्ष 2005 हेतु 118 मिलियन किलोग्राम तंबाकू के उत्पादन के लिए अधिकृत किया है। मानसून की विफलता के कारण इस वर्ष के दौरान कोई दूसरी फसल पैदा नहीं की जा सकी है। किसान लगभग 150 मिलियन किलोग्राम तंबाकू का उत्पादन कर रहे हैं। इस वर्ष औसतन उत्पादन लागत में 15 प्रतिशत से 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। गत वर्ष किसानों ने 39.66 रुपए के औसतन मूल्य पर तंबाकू की बिक्री की। कल तक 150 मिलियन किलोग्राम तंबाकू में से केवल 52.8 मिलियन किलोग्राम तंबाकू की बिक्री की है। इस वर्ष भी, औसतन मूल्य 38.66 रुपए है जोकि एक रुपया कम है। इसलिए किसान इस संदर्भ में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। परसों, प्रकाशम और गुंटूर जिलों में किसान सड़कों पर उतर आए। वे इसलिए विरोध कर रहे थे क्योंकि उन्हें लाभप्रद मूल्य प्राप्त नहीं हो रहा है। तंबाकू की बिक्री भी नहीं की गई है।

इस संबंध में, हमने माननीय वाणिज्य मंत्री से कई बार अनुरोध किया है। टीडीपी संसदीय दल और कांग्रेस सांसदों ने भी वाणिज्य मंत्री से कई बार मुलाकात की। तंबाकू बोर्ड के पास 100 करोड़ रुपए हैं। हमने वाणिज्य मंत्रालय से बाजार में हस्तक्षेप करने और तंबाकू की खरीद करने हेतु तंबाकू बोर्ड को निदेश देने के लिए कहा है। वाणिज्य मंत्री के लगातार अनुदेशों के बावजूद तंबाकू बोर्ड कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर रहा है। वह तंबाकू नहीं खरीद रहा है। इसी वजह से आंध्र प्रदेश में निराश किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। यह वास्तविकता है। आत्महत्या करने वाले किसानों के परिजन भी सड़कों पर आ गए हैं। अब वे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि इन्हें मुआवजा नहीं मिल रहा है।

इस स्थिति में, मैं आपसे इस मामले पर सरकार से हस्तक्षेप करने के लिए कहने का अनुरोध करता हूं। पिछले पांच वर्षों से किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप हमारे सहयोगियों से पूछ सकते हैं। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण मुद्दा है। यह आंध्र प्रदेश का ज्वलंत मुद्दा है। आप इस बारे में उस तरफ के हमारे सहयोगियों से पूछ सकते हैं। अतएव, सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। मैं सरकार से हस्तक्षेप करने का अनुरोध करता हूं।

श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश (कनकपुरा): आप कर्नाटक के किसानों की दुर्दशा का उल्लेख भी करें। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया इस प्रकार भाषण न दें।

श्री किन्जरपु येरननायडु: वे भी समस्याओं से जूझ रहे हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः आपको बहुत ज्यादा समर्थन प्राप्त है। निम्न माननीय सदस्यों ने भी श्री येरननायडु द्वारा उठाए गए मामले से अपने आपको सम्बद्ध किया है:

(1) डा. एम. जगन्नाथ

(2) श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी

(3) श्री के.एस. राव

(4) श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश

(5) श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी

(6) श्री डी.के. आडीकेसावुलु

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झाः सभापति महोदय, राजस्थान राज्य में वहां के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जिस तरह शिक्षा का भगवाकरण शुरू किया है, उससे पूरा देश चिन्तित है। अब इतिहास में अकबर महान् नहीं कहे जायेंगे, महाराणा प्रताप महान् होंगे। इसी तरह इतिहास में जो महापुरुष रहे और जिन्होंने देश की आजादी के लिये अपनी कुरबानी दी, वे भी नहीं दिखाई देंगे। सामाजिक शास्त्र के विभाग में अब पं. दीनदयाल उपाध्याय, गोलवालकर और आर.एस.एस. के वर्तमान सरसंघचालक की विचारधारा की पढ़ाई अगले जुलाई सत्र से शुरू होने वाली है। राजस्थान की कई पत्रिकाओं और देश की पत्रिकाओं में इस तरह की बातें आई हैं।

मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं और अनुरोध करूंगा कि सरकार, विशेषकर मानव संसाधन विभाग इसे देखे कि देश का इतिहास न पलटा जाये। कांग्रेस के जिन नेताओं ने देश के लिये कुरबानी दी, उनके नाम भी मिटाये जा रहे हैं। देश की आजादी की लड़ाई में, उसके इतिहास में न आर.एस.एस. और न बी.जे.पी. के किसी नेता की हिस्सेदारी रही है, लेकिन उनके नाम जोड़े जा रहे हैं। इसलिये सरकार को इस ओर देखना चाहिये अन्यथा इस देश में दूसरे तरह के विवाद पैदा हो जायेंगे।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): सभापति जी, यह विषय इतना गम्भीर है और इतिहास भारत की धरोहर है। इसलिये इतिहास के घटनाक्रम में *...(व्यवधान)*

सभापति महोदयः आप भी इस मामले में एसोसिएट करना चाहते हैं?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादवः सभापति महोदय, मैं भी स्वयं को इस मामले से सम्बद्ध करता हूं।

[अनुवाद]

श्री रूपचंद पाल (हुगली): महोदय, देश में करीब 5,000 लघु उद्योग निर्माण इकाइयां हैं, जोकि नौ लाख से भी अधिक लोगों के लिए रोजगार के स्रोत हैं, जिनका कुल कारोबार लगभग 4200 करोड़ रुपए है और हमारे देश के विकास में इनका बहुत बड़ा योगदान है।

लेकिन हाल ही में दिनांक 12 जुलाई, 2004 की अधिसूचना में सरकार का विचार ''ड्रग्स एंड कास्मेटिक्स एक्ट'' में अनुसूची एम में परिवर्तन करने का है जिसका अर्थ देश के इन पांच हजार लघु उद्योग इकाइयों जो अच्छी गुणवत्ता वाले प्रभावी दवाओं का उचित मूल्य पर उत्पादन करती हैं, के लिए मौत की घंटी के समान होगा।

मैंने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ब्रांडेड उत्पादों और इन लघु उद्योग इकाइयों के उत्पादों के बीच तुलनात्मक अध्ययन किया है। लघु उद्योग इकाइयां बहुराष्ट्रीय कंपनियों की तुलना में एक चौथाई मूल्य पर वस्तुओं का उत्पादन कर रही हैं। इसके अतिरिक्त बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पादों को इन लघु उद्योग इकाइयों द्वारा ही निर्मित करा रही हैं।

महोदय, मैं मांग करता हूं कि ऐसी बात नहीं होनी चाहिए और लघु उद्योग इकाइयों के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक समीक्षा समिति गठित की जानी चाहिए। उन्हें विश्वास में लिया जाना चाहिए और उनके हितों की रक्षा की जानी चाहिए *...(व्यवधान)*

श्री किन्जरपु येरननायडुः महोदय, मेरी पार्टी भी इस बात से अपने आपको सम्बद्ध करती है।

सभापति महोदयः आज के लिए नियम 377 के अधीन सूचीबद्ध मामलों को सभा पटल पर रखा हुआ समझा जाना चाहिए।

अपराह्न 13.27 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

(एक) दिल्ली-जम्मू और जम्मू-अजमेर के बीच चलने वाली एक-एक रेलगाड़ी का नाम बदलकर ''श्री माता वैष्णो देवी श्राइन एक्सप्रेस'' तथा ''अजमेर शरीफ दरगाह एक्सप्रेस'' किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): महोदय, माता वैष्णो देवी श्राईन एक प्रसिद्ध पवित्र श्राईन है। यह जम्मू-कश्मीर राज्य में एक

*सभा पटल पर रखे माने गए।

[चौधरी लाल सिंह]

महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल के रूप में भी उभरा है। पवित्र देवी के दर्शन के लिए प्रत्येक वर्ष 6 मिलियन से भी अधिक श्रद्धालु आते हैं और बड़ी संख्या में लोग अजमेर शरीफ दरगाह का भी दर्शन करने जाते हैं। भारी पर्यटन क्षमता के दोहन हेतु दिल्ली-जम्मू के बीच कई रेलगाड़ियां चल रही हैं। अत: मैं माननीय रेल मंत्री से जम्मू-दिल्ली के बीच चल रही रेलगाड़ियों में से एक का नाम श्री माता वैष्णो देवी श्राईन एक्सप्रेस और अजमेर शरीफ दरगाह के नाम पर करने का अनुरोध करता हूं। इससे न केवल लोगों का उत्साह बढ़ेगा बल्कि बड़ी संख्या में दोनों राज्यों के पर्यटकों को भी आकर्षित करेगा।

(दो) करनाल के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 स्थित टोल टैक्स प्लाजा को किसी अन्य स्थान पर ले जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डा. अरविन्द शर्मा (करनाल): महोदय, नेशनल हाइवे नं. 1 करनाल, हरियाणा पर केन्द्रीय योजना के तहत पिछले सरकार के समय सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा टोल टैक्स प्लाजा स्थापित किया गया था। जब से यह स्थापित हुआ है तब से करनाल, इन्द्री, नीलोखेडी एवं तरावडी की आम जनता, गरीब किसान, खेतिहर मजदूर, व्यापारी शहरी व ग्रामीण नागरिकों को बहुत तकलीफ के साथ-साथ आर्थिक बोझ भी उठाना पड़ रहा है। जिस स्थान पर यह टोल टैक्स प्लाजा स्थित है उस स्थान से वहां के गरीब किसान एवं मजदूर प्रतिदिन खेतों में ट्रैक्टरों आदि वाहनों के द्वारा आते जाते हैं और शहर के व्यापारी अपने व्यापार हेतु इस क्षेत्र में दैनिक कार्य के लिए भी इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि उन्हें प्रत्येक बार टोल टैक्स देना पड़ता है। यह आम जनता के ऊपर अनावश्यक आर्थिक बोझ पड़ रहा है।

मैंने माननीय मंत्री श्री टी.आर. बालू जी से मिलकर प्रार्थना की कि इस टोल टैक्स बैरियर को करनाल से हटाकर समानाबाहू में स्थानांतरित किया जाये ताकि इस क्षेत्र की आम और गरीब जनता व शहरी क्षेत्र के लोगों को अनावश्यक आर्थिक बोझ न झेलना पड़े। माननीय मंत्री महोदय जी ने मुझे लिखित रूप में दिनांक 22 सितम्बर, 2004 को पत्र क्रमांक नं. एनएचएआई/13013/03.04/एमपी (26) के द्वारा इस टोल टैक्स को हटाने का आश्वासन दिया। इसके लिए मैं माननीय मत्री जी को बधाई देता हूं। लेकिन अभी तक इस बाबत कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। टोल टैक्स पूर्व की भांति वसूला जा रहा है, अभी हटाया नहीं गया है। साथ ही नयी कंसट्रक्शन भी जारी है।

मंत्री महोदय से पुन: आग्रह है कि इस टोल टैक्स को करनाल से हटाकर समानाबाहू में तुरंत प्रभाव से स्थापित करें। क्योंकि लोगों की शिकायत अभी यथावत बनी हुयी है।

(तीन) जम्मू-कश्मीर में बसे हुए 1947 के शरणार्थियों को नागरिकता दिए जाने की आवश्यकता

श्री मदन लाल शर्मा (जम्मू): महोदय, 1947 के जो रिफ्यूजी जम्मू एवं कश्मीर में रह रहे हैं, उनकी हालत काफी दयनीय है। उन्हें आज तक भारत की नागरिकता का हक प्रदान नहीं किया गया। वे न तो अपनी जमीन खरीद सकते हैं, न वे व्यवसाय कर सकते हैं और न ही वे नौकरी कर सकते हैं। उन्हें अपने बुनियादी हक वोटिंग का भी अधिकार प्राप्त नहीं है। समय-समय पर सरकार द्वारा इन्हें आश्वासन मिले हैं, परन्तु वे आश्वासन आज तक हकीकत में नहीं बदल पाए हैं। आज इन सभी के भूखों मरने की नौबत आ चुकी है। देश के दूसरे हिस्सों में जो रिफ्यूजी रह रहे हैं, उन्हें सारे हक प्राप्त हो चुके हैं।

मैं माननीय प्रधान मंत्री जी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने अपने जम्मू-कश्मीर के दौरे के दौरान उन्हें सांत्वना प्रदान की।

मेरी सरकार से गुजारिश है कि इनकी तकलीफों को समझें एवं इन्हें नागरिकता प्रदान करें तथा आज तक इन्होंने जो परेशानी सहन की है, उसे ध्यान में रखते हुए उचित मुआवजा दिया जाये।

(चार) हरियाणा के फरीदाबाद जिले में अरावली की पहाड़ियों में कथित खनन की जांच किए जाने की आवश्यकता

श्री अवतार सिंह भडाना (फरीदाबाद): महोदय, मैं केन्द्र सरकार का ध्यान दिल्ली, हरियाणा राज्य से लगती अरावली पहाड़ी की ओर दिलाना चाहता हूं। उच्चतम न्यायालय ने इस क्षेत्र में पर्यावरण की दृष्टि से खनन पर रोक लगा रखी है, परन्तु जिला फरीदाबाद के खोरी जमालपुर सिरोही की अरावली की बड़ी-बड़ी पहाड़ियां अवैध खनन के कारण नष्ट हो गयी हैं तथा हजारों पशु एवं जीव जंतु के साथ ही सैंकड़ों मजदूर भी इन माइन्स में दबकर मर गये हैं साथ ही इसके कारण दिल्ली और हरियाणा का जल स्तर दिन प्रतिदिन घट रहा है।

अभी हाल ही में इण्डिया टी.वी. द्वारा इस अवैध खनन को दिखाया गया, परन्तु इसे रोकने के लिए आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुयी। मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि इस क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन की जांच की जाये तथा पर्यावरण की रक्षा हेतु तत्काल आवश्यक कदम उठाये जायें।

(पांच) गुजरात के बलसाड संसदीय क्षेत्र में बी.एस.एन.एल. को मोबाइल फोन सेवा में सुधार किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री किसनभाई वी. पटेल (बलसाड़): महोदय, मेरे संसदीय बलसाड़ क्षेत्र में भारत संचार निगम लिमिटेड ने 46 टावर लगा रखे

हैं किंतु एक भी टावर ऐसा नहीं है जिसकी रेंज एक किलोमीटर से अधिक हो। एक किलोमीटर या उससे भी कम पर मोबाइल फोन की कनैक्टिविटी नहीं रहती है, जिसके फलस्वरूप यहां के 5000 से भी अधिक उपभोक्ता बहुत परेशान हैं। वे बार-बार संबंधित अधिकारियों से इस संबंध में शिकायत करते आ रहे हैं, किंतु अभी तक उनकी समस्या का कोई हल नहीं हो पा रहा है।

महोदय, मंत्री महोदय का मैं बहुत आभारी हूं कि उन्होंने वगइ, अहवा और वसदा में मेरे अनुरोध पर तीन टावर बनवाये। इन तीनों टावरों में भी चालू होने के एक दो महीने तक तो सब ठीक चला, किंतु उसके बाद कनैक्टिविटी की समस्या शुरू हो गयी और उपभोक्ता परेशान हैं।

महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र में मोबाइल फोन की जो दूसरी प्राइवेट कंपनियां काम कर रही हैं, उनके उपभोक्ता इस प्रकार की समस्या से कभी परेशान नहीं होते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस मामले की पूरी जांच करायी जाये और उन कारणों का पता लगाया जाये जिसकी वजह से उपभोक्ता कनैक्टिविटी की समस्या से छुटकारा पायें और इसके लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाये।

(छह) तमिलनाडु में विकलांग व्यक्तियों के अलावा अन्य चयनित श्रेणियों के व्यक्तियों को रेलवे स्टेशनों पर टेलीफोन बूथ चलाने की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री एस.के. खारवेनथन (पलानी): महोदय, वर्ष 1999 के दौरान सारे तमिलनाडु में रेल प्राधिकारियों ने राज्य के सभी रेलवे स्टेशनों पर एस.टी.डी./आई.एस.डी./पी.सी.ओ./फैक्स बूथ चलाने हेतु विकलांग व्यक्तियों, बेरोजगार युवकों, अ.जा./अ.ज.जा. के युवाओं, गैर-सरकारी संगठनों और युद्ध के कारण हुई विधवाओं का चयन किया। आरंभ में, उन्हें तीन साल की अनुमति दी गई। तत्पश्चात् उन्होंने इसे एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया और यह अवधि 27.4.05 को समाप्त हो गई। किंतु अब दुर्भाग्यवश रेल प्राधिकारियों ने केवल विकलांग व्यक्तियों के लिए यह अवधि बढ़ाई है। यह सीमा अन्य श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए नहीं बढ़ाई गई है और प्राधिकारियों ने उसी दिन शेष बूथों को अचानक बंद कर दिया जबकि ऐसा प्रतीत होता है कि देश के अन्य भागों में उन्हें दस और वर्षों तक काम करने की अनुमति दी गई है। इन बूथों का प्रयोग रेलवे स्टेशनों पर 24 घंटे काम हेतु किया जाता था। चूंकि राज्य भर में ये बूथ बंद हो गए हैं, यात्रियों को स्टेशनों और प्लेटफार्मों से टेलीफोन काल करने में काफी परेशानी हो रही है। उपर्युक्त मांग जायज है।

इसलिए, मैं माननीय रेल मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि कि वे तत्काल संबंधित प्राधिकारियों को सभी बेरोजगार युवकों, अ.जा./अ.ज.जा. के युवाओं और युद्ध के कारण हुई विधवाओं को उपर्युक्त बूथ चलाने की अनुमति देने और उन्हें न्याय देने और आजीविका प्रदान करने हेतु अविलम्ब निर्देश दें।

(सात) शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम के तहत कर्नाटक सरकार को देय बकाया अनुदान राशि जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री इकबाल अहमद सरडगी (गुलबर्गा): कर्नाटक राज्य सरकार ने पत्र सं. एफ-44-8/2004/ईई-9 दिनांक 22.11.2004 के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय को कर्नाटक राज्य में 7 नई 'डाइट' स्थापित करने और सी.टी.ई. गुलबर्गा को आईएएसई के रूप में उन्नत करने हेतु वर्ष 2004-05 में केन्द्रीय प्रायोजित अध्यापक शिक्षा योजना के अंतर्गत अनुदान स्वीकृत करने के संबंध में एक प्रस्ताव भेजा था। भारत सरकार ने अध्यापक शिक्षा योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता के रूप में 1266.71 लाख रुपये स्वीकृत किए थे और चामराजनगर, गडक, हावेरी, कोप्पल, बीजापुर, चित्रदुर्ग और उडुपी आदि 7 राजस्व जिलों के लिए 7 नई 'डाइट' स्थापित करने की अनुमति दे दी थी जिसमें से बीजापुर, चित्रदुर्ग और उडुपी में विद्यमान आरंभिक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन किया गया है।

भारत सरकार ने दिनांक 3 दिसम्बर, 2004 के अपने पत्र सं. 44-8/2004-ईई-9 के तहत कतिपय टिप्पणी की थी जिसका राज्य सरकार ने 10.1.2005 को उत्तर दे दिया था।

राज्य सरकार ने भारत सरकार को यह सूचित किया कि 'डाइट'/सीटीई और डीएसईआरटी के लिए पृथक सी एंड आर नियम बनाए गए है।

भारत सरकार ने 20 वर्तमान डाइटों और एक वर्तमान आईएएसई के लिए अनुदान जारी किया है। अभी तक 9 वर्तमान सीटीई (जिसमें से 5 सरकारी सीटीई हैं), 7 नई डाइटों; उन्नत आईएएसई, गुलबर्गा और सामग्री तैयार करने हेतु डीएसईआरटी को सहायता देने हेतु अनुदान जारी नहीं किया गया है।

अत: मैं भारत सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह तत्काल अनुदान जारी करे।

(आठ) धुबरी-फकीराग्राम रेल लाइन को फिर से चालू किए जाने की आवश्यकता

श्री अनवर हुसैन (धुबरी): धुबरी-फकीराग्राम रेल लाइन को वर्ष 2002 में बंद कर दिया गया था। इस प्रकार धुबरी जिले के

[श्री अनवर हुसैन]

लगभग 17 लाख लोगों को राष्ट्रीय रेल संपर्क से पृथक कर दिया गया है जिससे शैक्षिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तौर के अलावा संप्रेषण, व्यापार, वाणिज्यक को भारी हानि हुई है। धुबरी जिला देश का सर्वाधिक पिछड़ा जिला है। अभी भी 72 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी की रेखा के नीचे (बीपीएल) रहती है। स्वाभाविक तौर पर धुबरी-फकीराग्राम रेल लाइन को पुन: चालू करने पर संबंधित मंत्रालय द्वारा सर्वाधिक ध्यान दिए जाने की जरूरत है। किंतु इस विषय पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। यद्यपि आमान परिवर्तन का काम शुरू किया गया है किन्तु व्यावहारिक तौर पर अभी तक कुछ नहीं हुआ है और बजट आवंटन भी विनिर्धारित नहीं किया गया है।

मैं माननीय रेल मंत्री से तहेदिल से यह अनुरोध करता हूं कि वे धुबरी-फकीराग्राम रेल लाइन को फिर से चालू करें और धुबरी जिले को भारत के रेलवे मानचित्र पर लाएं।

(नौ) उत्तरांचल तथा देश के अन्य भागों में गुर्जर समुदाय के पुनर्वास हेतु राष्ट्रीय योजना प्रतिपादित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री के.सी. सिंह "बाबा" (नैनीताल): महोदय, मैं आपके माध्यम से पर्यावरण और वन मंत्री महोदय को अवगत कराना चाहता हूं कि उत्तरांचल के जंगलों तथा पहाड़ों में काफी संख्या में वन गुजर जाति के लोग रहते हैं। इस जाति के लोगों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। मैंने इसके पुनर्वास के लिए सरकार से पहले भी निवेदन किया था।

महोदय, इसके पुनर्वास से इनकी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दशा में सुधार हो सके तथा ये भी आम जनसुविधाओं का उपभोग कर सकें, जैसे कि रोड, स्कूल, अस्पताल, डाकघर आदि और इस जाति के लोगों का भविष्य भी सुनिश्चित हो सके।

आज इनके सर्वांगीण विकास के लिए सर्वप्रथम उत्तरांचल प्रदेश से वन गुर्जर जाति के लिए राष्ट्रव्यापक योजना बनायी जाये तथा इनकी शैक्षणिक, आर्थिक तथा सामाजिक विकास सुनिश्चित हो सके। ऐसा तभी संभव होगा जब वन गुर्जर लोगों के पुनर्वास हेतु राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाया जाये और जंगलों को भी नष्ट होने से बचाया जा सके, जिससे कि पर्यावरण का संतुलन बना रहे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि सरकार जंगलों से वन गुर्जर परिवारों को जल्द से जल्द पुनर्वासित करने की व्यवस्था करें।

(दस) दामोदर के जलागम क्षेत्र और दुर्गापुर बैरेज की फीडर नहरों में जमा गाद और बालू को नियमित रूप से निकालने हेतु एक कार्य योजना बनाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सुनील खां (दुर्गापुर): वर्ष 1957 में दामोदर नदी के किनारे पर स्थित बांकुरा और बर्दवान जिलों में हजारों एकड़ कृषि भूमि को बचाने के उद्देश्य से, वर्षा ऋतु में जल संचयन और सूखे के दिनों में सिंचाई हेतु जल वितरण के उद्देश्य से विकसित किए गए। लेकिन इसके आरंभ होने के बाद से दामोदर नदी के जलग्रहण क्षेत्रों में गाद निकालने के लिए कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी। इसी के परिणाम स्वरूप मिट्टी की जल धारण क्षमता अत्यधिक कम हो गयी है। सितम्बर, 1995 के अंतिम सप्ताह में कुलदीहा, पिंगरूई, मधापुर, नपारा मलीआरा जी.जी. के अंतर्गत मताली में पुन: वर्ष 1999 सितम्बर में हमने यह देखा कि दुर्गापुर बैराज का दायां चैनल जिसमें मलीआरा जी.पी. से पानी निकालने के लिए सिम्फोनिक प्रणाली लगी हुई है, वह चैनल पूरी तरह से बह गया जिसके परिणामस्वरूप मेताली गांव की भूमि पुन: जलमग्न हो गयी। इसलिए सिम्फोनिक प्रणाली का पानी के प्रवाह के लिए तत्काल विस्तार किया जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल सरकार के पास सीमित संसाधन हैं। रंगामाटी क्षेत्र का वह भू-भाग जिस पर शरणार्थियों का पुनर्वास किया गया था नदी में डूब गया है।

मैं दामोदर और दुर्गापुर बैराज की संपर्क नहरों के जलग्रहण क्षेत्रों में नियमित रूप से गाद और जमा रेत का निकाले जाने के लिए एक कार्य योजना बनाने की मांग करता हूं।

(ग्यारह) जलपाईगुडी स्टेशन पर खाद्यान्नों को उतारने में लगे कामगारों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से जलपाईगुड़ी के रेल साइडिंग यार्ड को प्रचालनात्मक बनाए जाने की आवश्यकता

श्रीमती मिनाती सेन (जलपाईगुड़ी): नार्दर्न फ्रंटीयर रेलवे मालीगांव के यातायात विभाग ने जलपाईगुड़ी शहर के रेलवे स्टेशन पर साइडिंग यार्ड को बंद करने का निर्णय लिया है। इसके क्या कारण हैं, यह उन्हें अच्छी तरह से ज्ञात है। यह भी सूचना मिली है कि उन्होंने दिनांक 31 मार्च, 2005 से भारतीय खाद्य निगम की बुकिंग रोक दी है वह भी जलपाईगुड़ी जिला प्रशासन पश्चिम बंगाल से परामर्श किये बिना। यद्यपि इस रेलवे साईडिंग पर भारतीय खाद्य निगम के खाद्यान्नों को निर्बाध रूप से अरसे से उतारा जा रहा है। एस.जी.आर.वाई. जैसी योजनाओं के लिए खाद्यान्न, मध्याह्न भोजन के लिए पका हुआ भोजन, अंत्योदय अन्न योजना, बी.पी.एल. चावल/गेहूं बड़ी संख्या में अनुसूचित

जाति और अनुसूचित जनजाति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए है। हाल ही में भारत सरकार ने जलपाईगुड़ी जिले के लिए ए.बी.पी.एल.एम. के नाम से जानी जाने वाली एक योजना मंजूर की है। उपर्युक्त योजना एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कार्यान्वित करने के लिए जलपाईगुडी शहर में लगभग 1,10,000 मीट्रिक टन खाद्यान्न प्रति वर्ष उठाये जाने की आवश्यकता है।

इसके अलावा लगभग 500 लोगों और उनके परिवारों को गंभीर वित्तीय संकट का सामना करना पड़ेगा और लगभग 2000 श्रम दिवसों की वार्षिक हानि होगी। खाद्यान्न वितरण बंद किए जाने से प्रत्यक्ष रूप से परिवहन स्वामियों और विशेष रूप से परिवहन कर्मियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और इससे आम आदमी का आर्थिक और सामाजिक जीवन भी प्रभावित होता है। आम आदमी के लाभ के लिए कुछ छोटी-मोटी समस्याओं का समाधान सरलतापूर्वक किया जा सकता है।

मैं सरकार से मामले की जांच करने का अनुरोध करती हूं ताकि जनता के हित में जलपाईगुड़ी रेलवे साईडिंग को बंद करने के निर्णय को निरस्त किया जा सके।

(बारह) सर्कस उद्योग को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय सर्कस अकादमी की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती पी. सती देवी (बडागरा): कुछ कारणों से हमारे देश में सर्कस उद्योग मृत्यु के कगार पर है। यद्यपि वन्य जीवन और शारीरिक कर करतब आदि के संबंध में बच्चों की रुचि पैदा करने, उन्हें नयी चीजें सिखाने और वन्य जीवन के बारे में जानकारी देने आदि के लिए सर्कस जैसे लोकप्रिय मनोरंजन के साधन का भली-भांति उपयोग किया जा रहा है तो भी इसे प्राधिकारी उचित प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं। हम यह जानते हैं कि आधुनिकीकरण और सार्वभौमिकरण की सहायता से शिक्षा और मनोरंजन में अभूतपूर्ण परिवर्तन हुआ है।

इस स्थिति का हमारे सर्कस उद्योग पर बहुत प्रभाव पड़ा है। यद्यपि केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को रियायती दरों पर सर्कस शो आयोजित करने के लिए मनोरंजन कर में छूट और उचित मैदान के प्रावधान जैसी रियायतें प्रदान करने की सिफारिश करती रही है। फिर भी, सर्कस उद्योग कुल मिलाकर दयनीय स्थिति में हैं इसका कारण पशु सुरक्षा संबंधी नया कानून है। इसलिए, हमारे देश का सर्कस उद्योग के इस दबाव और आधुनिक मीडिया और पशु सुरक्षा के नाम पर बनाये जा रहे नये-नये कानूनों के चलते धीरे-धीरे समाप्त हो जाने की संभावना है। प्रतिभाशाली सर्कस कलाकारों को पेंशन देकर और उनके हितों की रक्षा करके और इस प्रकार उन्हें प्रोत्साहन देकर इस उद्योग के व्यापक सुधार की आवश्यकता है।

हमारे देश के सर्कस उद्योग के अतित्व के लिए सर्कस कला संबंधी प्रशिक्षण और अनुसंधान करने हेतु राष्ट्रीय अकादमी स्थापित करना बहुत आवश्यक है।

मैं सरकार से मामले की जांच करने का आग्रह करती हूं।

(तेरह) देश में व्यावसायिक शिक्षकों का मानदेय बढ़ाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): महोदय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कोठारी कमीशन की संस्तुति के आधार पर 1989 में देश के समस्त माध्यमिक विद्यालयों में +2 स्तर पर केन्द्र पुरोनिधानित रोजगार परक व्यावसायिक शिक्षा योजना लागू की थी जिसमें प्रवक्ता स्तर पर शिक्षकों को 15 सौ रुपए प्रतिमाह मानदेय दिया जाना सुनिश्चित किया गया था। वर्ष 2003-04 तक तो शिक्षकों को यह मानदेय मिलता रहा है लेकिन इस वर्ष 2004-05 के मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है। इस योजना के प्रारंभ होने पर यह सुनिश्चित किया गया था कि 75 प्रतिशत अंशदान केन्द्र सरकार तथा 25 प्रतिशत व्यय राज्य सरकार करेंगी, उत्तर प्रदेश में यह महत्वाकांक्षी योजना जिसका प्रमुख उद्देश्य स्वरोजगार तथा ग्रामीण अंचल के गरीब छात्रों को तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराना है, अभी निरंतर चल रही है लेकिन अफसोस है कि केन्द्र सरकार का अपेक्षित सहयोग राज्य सरकारों को नहीं मिल रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निरंतर विनम्र आग्रह किए जाने के बावजूद इस साल शिक्षकों का मानदेय का बकाया 3 करोड़ 75 लाख रुपए की धनराशि अभी तक केन्द्र सरकार द्वारा अवमुक्त नहीं की गयी है। यह भी जानकारी मिली है कि भारत सरकार देश के माध्यमिक विद्यालयों में संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रम में कुछ संशोधन करना चाहती है। इस व्यावसायिक शिक्षा के काफी उपयोगी परिणाम निकले हैं। मेरी सरकार से मांग है कि इन व्यावसायिक शिक्षकों को मिलने वाले अव्यावहारिक मानदेय में संशोधन कर इस धनराशि को बढ़ाया जाये। भारत सरकार इस साल की उत्तर प्रदेश को मिलने वाले धनराशि को शीघ्र अवमुक्त करे तथा इस व्यावसायिक पाठ्यक्रम में किसी प्रकार के संशोधन के बाद यदि सेवा शर्तों में कोई परिवर्तन होता है तो सबसे पहले 1989 से सेवारत इन व्यावसायिक शिक्षकों को समायोजित करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

(चौदह) उत्तर प्रदेश के लालगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल की समस्या हल किए जाने की आवश्यकता

श्री दरोगा प्रसाद सरोज (लालगंज): महोदय, मैं सदन के माध्यम से अपने संसदीय क्षेत्र लालगंज जनपद-आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में पेयजल की समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं। हमारे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत छोटी-मोटी नदियां यहां गुजरने के बावजूद जलस्तर इतना नीचे चला गया है कि जो भी हैंडपंप लगाया गया था वह जलस्तर नीचे हो जाने के कारण ठप्प पड़

[श्री दरोगा प्रसाद सरोज]

गया है तथा विगत वर्षों में भीषण सूखे की चपेट में मेरा संसदीय क्षेत्र आ गया है। तालाब तथा पोखर भी सूख चुका है, जिसके चलते पशुओं की बात क्या इंसान को भी पानी नहीं मिल पा रहा है। मेरे संसदीय क्षेत्र लाल गंज के अंतर्गत मेंहनगर, निजामबादा, मुबारकपुर, मोहम्मदाबाद एवं लाल गंज बहुत ही घनी आबादी का क्षेत्र है। जबकि सरकार द्वारा घोषणा की गयी है, शुद्ध जल की व्यवस्था हर क्षेत्र में की जायेगी। साथ ही साथ सरकार से आग्रह करता हूं कि हमारे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत सभी विधान सभा में ड्रेनों, तालाबों एवं पोखरों में बरसात के समय जल का ठहराव किया जाये जिससे पशुओं को पानी पीने को मिले तथा जल स्तर नीचे गिरने से रूके। नालों एवं पोखरों के जीर्णोद्धार के लिए ग्रामीण विकास मंत्री को पत्र लिख चुका हूं।

अत: आपसे अनुरोध है कि उक्त समस्याओं पर यथाशीघ्र कार्यवाही की जाये।

(पन्द्रह) गया शहर में जल निकासी प्रणाली में सुधार करने के उद्देश्य से गया के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किये जाने की आवश्यकता

श्री राजेश कुमार मांझी (गया): महोदय, हमारा संसदीय क्षेत्र गया एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व का पर्यटक स्थल एवं हिंदुओं एवं बौद्धों का पवित्र तीर्थस्थल है। इससे थोड़ी ही दूर पर अंतर्राष्ट्रीय महत्व के पर्यटक स्थल एवं राजगीर एवं नालन्दा है जहां पर पर्यटकों को गया से ही गुजरकर जाना पड़ता है। गया शहर, गया जिला एवं मगध प्रमंडल का हैडक्वार्टर है तथा अगल बगल के कई जिलों जैसे औरंगाबाद, नवादा, नालन्दा, जहानाबाद, अरवल, नालन्दा, चतरा, कोडरमा (झारखंड) इत्यादि जिलों का मुख्य व्यापारिक केन्द्र भी गया है। गया से होकर ही देश की दो अति महत्वपूर्ण ग्रेंड कॉड रेलवे लाइन तथा जी.टी. रोड-2, (पी.एम. क्वाडिलेटरल स्कीम) गुजरती है। यह झारखंड राज्य से भी सटा हुआ है तथा वहां पर जाने के लिए गया से ही होकर गुजरना पड़ता है।

इतना सब होते हुए भी गया शहर का पूरा सीवेज सिस्टम बेकार पड़ा है। इसका मास्टर प्लान बनाकर उस पर एक निश्चित समय अवधि के अंदर कार्यान्वयन की जरूरत है।

अत: मैं इस सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से यह मांग करता हूं कि गया शहर का मास्टर प्लान बनवाने और उसे एक निश्चित समयावधि के अंदर कार्यान्वित करावें।

(सोलह) उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत सड़क निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री मो. ताहिर (सुल्तानपुर): महोदय, उत्तर प्रदेश के जिला सुल्तानपुर की ग्रामीण सड़कों तथा राष्ट्रीय राज्य मार्गों को जाने वाली प्रमुख सड़कों की मरम्मत का कार्य कई वर्षों से नहीं किया गया है। केन्द्र द्वारा प्रत्येक वर्ष सड़क मार्ग योजना पर करोड़ों की निधि खर्च की जाती है लेकिन ग्रामीण सड़कों के निर्माण का कार्य पिछले कई सालों से नहीं किया गया है। आज भी इस क्षेत्र की जो सड़कें हैं, उनकी हालत जर्जर बनी हुयी हैं। केन्द्र द्वारा प्रधान मंत्री रोजगार योजना के तहत, ग्रामीण विकास के तहत सड़कों का निर्माण किया जाता है, लेकिन यह सुनिश्चित नहीं किया जाता है कि प्रत्येक जिले में प्रति वर्ष कुल कितने किलोमीटर सड़कों का निर्माण तथा मरम्मत किया जाना चाहिए। केन्द्र द्वारा इसके लिए भी योजना बनायी जाये तथा जिलावार सर्वे किया जाये। प्रत्येक वर्ष के दौरान अब तक कुल कितने कि.मी. लम्बाई की सड़कों का कार्य समयबद्ध पूरा किया गया है। जिला सुल्तानपुर एक बहुत बड़ा जिला है, इस क्षेत्र की सड़कों का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा किया जाये जिससे प्रदेश के निवासियों को सुविधा प्राप्त हो।

(सत्रह) महाराष्ट्र में निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने हेतु महाराष्ट्र सरकार को अतिरिक्त अनुदान दिए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक (कोल्हापुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात सभा के ध्यान में लाना चाहता हूं कि बछावत आयोग ने कृष्णा नदी के जल बंटवारे के संबंध में महाराष्ट्र राज्य सरकार को कृष्णा नदी से आवंटित 560 टीएमसी जल वर्ष 2000 में अंत तक उपयोग में लेने के लिए निर्धारित किया गया था। राज्य सरकार धन के अभाव में परियोजना को समय पर पूरा नहीं कर सकी।

इसके बाद केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय ऋण सहायता (सीएलए) के अंतर्गत त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) प्रारम्भ किया। महाराष्ट्र सरकार को 229.49 करोड़ रुपये आवंटित किये गये जो पांच वर्षों की अवधि में कुल अनुदान का 4% होता है। मेरे राज्य में एक बहुत बड़ा क्षेत्र सूखा प्रवण होने के कारण वित्तीय सहायता अन्य राज्यों के समान दी जानी चाहिए तथा यह किसी भी स्थिति में अन्य राज्यों को दी गई सहायता से कम नहीं होनी चाहिए। तत्पश्चात् केन्द्र सरकार ने 5.60 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय वाला राष्ट्रीय नदी ग्रिड कार्यक्रम शुरू किया जिसे 2016 तक पूरा किया जाना है। इस परियोजना के लिए निधियों जुटाने के उद्देश्य से सरकार ऋण लेने तथा अतिरिक्त कर लगाने जा रही है। इस कदम से महाराष्ट्र राज्य एक बार फिर अलाभकारी स्थिति में आ जाएगा।

इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस परियोजना के जल की कोई हिस्सेदारी न होने से, महाराष्ट्र सरकार

को अपनी चालू परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त अनुदान देकर क्षतिपूर्ति की जाए। अनुदान की वार्षिक राशि 5000 करोड़ रुपये की जाए तथा बछावत आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों में भी छूट दी जाए।

(अठारह) पांडिचेरी के अति पिछड़ा वर्गों के लिए नियोजन में आरक्षण की नीति को क्रियान्वित किये जाने की आवश्यकता

प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी): संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी के अति पिछड़े वर्गों के लोगों को आरक्षण तथा सामाजिक न्याय का लाभ नहीं मिला है। जबकि पड़ौसी राज्यों तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तथा आंध्र प्रदेश स्वतंत्रता के समय से ही रोजगार तथा शिक्षा में आरक्षण का लाभ ले रहे हैं जबकि यह लाभ पांडिचेरी को नहीं दिया गया क्योंकि यह सीधे भारत सरकार द्वारा शासित था। मंडल आयोग की सिफारिशों के चलते ही 1996 में अन्य पिछड़ा वर्गों को नौकरियों में 27 प्रतिशत आरक्षण दिया गया। शिक्षा में आरक्षण नहीं दिया गया। यद्यपि पांडिचेरी सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्गों में अति पिछड़ा वर्गों की पहचान कर ली है। लेकिन उन्हें यह सुविधा देने पर विचार नहीं किया गया है। सरकार से लम्बे पत्राचार के बाद, कुछ ही महीने पूर्व पांडिचेरी सरकार ने अति पिछड़े वर्गों को केवल शिक्षा में आरक्षण देने की घोषणा की है। नौकरियों में आरक्षण देने की अभी तक घोषणा नहीं की गई है। यह पांडिचेरी में बहुत से लोगों के साथ अत्यंत विसंगति तथा अन्यायपूर्ण हैं। चूंकि संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी के प्रशासन का पूर्ण दायित्व केन्द्र सरकार पर है, इसलिए केन्द्र सरकार पांडिचेरी के अति पिछड़े वर्गों को नौकरियों में आरक्षण की नीति को क्रियान्वित करने का आदेश तुरन्त पारित करे।

(उन्नीस) बेंगलूर में मेट्रो परियोजना के क्रियान्वयन हेतु कर्नाटक सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता

श्री एम. शिवन्ना (चामराजनगर): कर्नाटक राज्य की राजधानी बंगलौर की जनसंख्या 70 लाख हो गयी है। सिलिकॉन शहर की सड़कों पर चलने वाले वाहनों की संख्या 22 लाख है। प्रतिदिन 900 नए वाहनों का पंजीकरण किया जा रहा है। दुर्घटनाओं की संख्याएं प्रतिदिन बढ़ रही हैं। प्रतिदिन तीन से ज्यादा व्यक्ति मारे जा रहे हैं तथा प्रति दिन घायल होने वाले लोगों की संख्या 20 है। इस बारहमासी समस्या का एकमात्र समाधान मेट्रो रेल ही है।

उत्तर से दक्षिण का 33 कि.मी. तथा पूर्व से पश्चिम का 78 कि.मी. की भूमिगत सुरंग परियोजना तैयार है। शेष मेट्रो लाइन भूमि पर बनेगी। इसे पूरा होने में पांच वर्ष लगेंगे। योजना आयोग पहले ही अपनी स्वीकृति दे चुका है। इसके लिए 5600 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। राज्य अपने हिस्से की धनराशि देने के

लिए तैयार है। यह परियोजना लंबे समय से माननीय वित्त मंत्री के पास लंबित है। मैं इस परियोजना को तुरन्त स्वीकृति दिये जाने का अनुरोध करता हूं।

(बीस) अरुणाचल प्रदेश और असम को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 की मरम्मत/अनुरक्षण हेतु पर्याप्त निधि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

डा. अरुण कुमार शर्मा (लखीमपुर): राष्ट्रीय राजमार्ग-52, जो अरुणाचल प्रदेश और उत्तरी असम की जीवनरेखा है तथा जो चीन की सीमा को जोड़ता है, पिछले 25 वर्षों से संबंधित प्राधिकारियों की घोर अवहेलना की वजह से जीर्ण-शीर्ण स्थिति में है। 550 कि.मी. लम्बी इस सड़क का 196 कि.मी. मात्र अभी भी एक लेन वाला है तथा इस पर लकड़ी के बने 21 पुल है। इस सड़क पर विशेषकर धेमाजी जिले में पड़ने वाले इसके कतिपय भागों पर गड्ढों तथा वाहन चलाने योग्य समुचित सतह न होने की वजह से वाहनों की औसत गति 20 कि.मी./घं. है। सड़क टूटी फूटी होने की वजह से आए दिन वाहनों के उलट जाने की खबर आती रहती है क्योंकि सड़क किनाराबंदी बहुत नीचे में बनी हुई है और इतनी टूटी फूटी है कि आमने सामने से आने वाले दो वाहन एक साथ नहीं गुजर सके। साइमन नदी पर सड़क पुल न होने के कारण वाहनों की आवाजाही हेतु रेल पुल का उपयोग किया जा रहा है। यह आश्चर्य की बात है कि दसवीं योजना के दौरान इस सड़क के उन्नयन और मरम्मत हेतु बी.आर.ओ. को कोई विशिष्ट आवंटन नहीं किया गया। इसलिए मैं योजना आयोग और पी.एम.ओ. से अनुरोध करता हूं कि वे साइमन नदी पर सड़क पुल का निर्माण करने के साथ-साथ इस सड़क सह किनाराबंदी (सोल्डर) की मरम्मत, चौड़ीकरण और मजबूतीकरण हेतु तत्काल धनराशि आवंटित करना सुनिश्चित करें ताकि यह सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग का न्यूनतम मानदंड हासिल कर सके। मैं वर्ष 1991 के दौरान शुरू किये गये लखीमपुर बाईपास के निर्माण तथा जियामरली पर पुल के निर्माण को क्रियान्वित करने का भी अनुरोध करता हूं ताकि राष्ट्रीय राजमार्ग 52 की लम्बाई 25 कि.मी. कम हो सके।

अपराह्न 1.29 बजे

सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिदान प्रणाली (विधि विरुद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध) विधेयक, 2005

[अनुवाद]

सभापति महोदय: सभा अब मद सं. 25—सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिधान प्रणाली (विधि विरुद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध) विधेयक, 2005 पर चर्चा करेगी।

श्री के. नटवर सिंह।

[श्री रूपचंद पाल]

आज के विश्व में हेकड़ीबाज शक्तियों के आडंबार के कई मामले सामने हैं। सात वर्षों से हमारे वैज्ञानिकों को वीजा की अनुमति नहीं दी गई है। मैं इनमें से कुछ के नाम बता सकता हूं। उन्हें सात साल बाद बीजा दिये गये हैं, मानो कि वे जैसा चाहें वैसे कर सकते हैं, वे गुपचुप रूप से कुछ कर रहे हैं, वे गुप्त रूम से कुछ कर रहे हैं, वे परमाणु अप्रसार संधि के खुले उल्लंघन, प्रसार, कालाबाजारी, अपराध जगत से मिलीभगत और बहुत कुछ को अनदेखा कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में वास्तव में, अन्तरराष्ट्रीय समुदाय के साथ हमारा लेखाजोखा काफी प्रशंसनीय रहा है।

एन.सी.एम.पी. में राष्ट्रीय आम सहमति के आधार पर स्पष्ट तौर से कहा गया है कि हमारी विदेश नीति स्वतंत्र होनी चाहिए। मैं माननीय विदेश मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि वे एन.सी.एम.पी. में वचनबद्धता के अनुरुप वे हमारी स्वतंत्र विदेश नीति का अनुकरण करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं चाहे चीन से संबंध सुधारने का मामला हो, चाहे पाकिस्तान सहित हमारे सभी पड़ोसियों के साथ हमारे संबंधों का मामला हो, वहां महत्वपूर्ण घटनाएं हो सकती हैं, हम इस पर बाद में आएंगे जब हम अन्य वाद विवाद पर चर्चा करेंगे।

पूर्व के सिद्धांत के संबंध में, हम स्वमेव कह रहे हैं कि हमारा देश एक जिम्मेदार परमाणु राष्ट्र है, परमाणु शक्ति है, हमारी अपनी यह समझाने की तात्कालिकता है कि हम निरन्तर रूप से उस बात का अनुकरण करते रहे हैं जिसे हमने कहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के संकल्प 1540 की पृष्ठभूमि में, हम अग्रिम रूप से कहना चाहते हैं कि यद्यपि हमारा चिरस्थायी हित पूर्णत: हथियार विहीनता में है, हमारा लक्ष्य शांति और सुरक्षा है और हम परमाणु ऊर्जा का उपयोग विकासात्मक उद्देश्यों के लिए करना चाहते हैं।

अब, मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी सुरक्षा के साथ समझौता किए बिना यह सम्पूर्ण विधान बहुत ही सन्तुलित रूप से यहां है और वैज्ञानिकों और अन्य व्यक्तियों द्वारा विकास हेतु अपने लक्ष्यों का अनुसरण करने के लिए हमारे स्वायत्त अधिकार हैं, हमने विश्व को, अन्तरराष्ट्रीय समुदाय को दिखाया है कि हम अपने दायित्वों को पूरा कर रहे हैं और हम विश्व को कह रहे हैं कि हमारा देश एक जिम्मेदार राष्ट्र है और हम इस कानून को ला रहे हैं। यह अन्य सात आठ अधिनियमों के अतिरिक्त है, हम रासायनिक सम्मेलन जैविक सम्मेलन, विषैले विषयक सम्मेलन और कई अन्य सम्मेलनों में सदस्य रहे हैं, हम अपनी ओर से अप्रसार संधि की अधिक से अधिक शर्तों को पूरा कर सकते हैं फिर भी हम जानते हैं कि परमाणु अप्रसार संधि भेदभावमूलक है और हम इसके सदस्य नहीं बनें। यहां व्यापक परमाणु प्रतिबंध संधि भी है। लगातार दबाव बनाया जाता रहा है। हम जानते हैं कि पूर्व की सरकार इसी सभा में किस तरह से समर्पण करने वाली थी। हमें खुशी है कि हम इस स्थिति में रहे कि परमाणु हथियार मुक्त विश्व बनना चाहिए। समान अधिकार होना चाहिए। यहां तक संयुक्त राष्ट्र संघ में वाद-विवाद हुआ और गुटनिरपेक्ष देश यह कहकर बाहर आ गए कि मध्य-पूर्व पर भी विचार किया जाना चाहिए, परमाणु अप्रसार संधि की समीक्षा जारी है। परमाणु अप्रसार संधि की समीक्षा में भी इस पाखण्डता को बार-बार चिन्हित किया जाता रहा है। गुटनिरपेक्ष देश उनमें से 161-सही दावा करते रहे कि मध्यपूर्व और इन क्षेत्रों पर विचार किया जाना चाहिए। लेकिन उनकी बात को नहीं सुना जा रहा है। यह अच्छी बात है कि हमारा देश बहु पक्षों की वकालत कर रहा है और हम प्रगति और विकास के साझीदारों के रूप में अपने पड़ोसियों का विश्वास जीतने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में यह प्रतिबद्धता ऐसी स्थिति बनाने में दूर तक लाएगी कि भारत प्रतिबद्ध है। परमाणु शक्ति बनने के बाद भारत एक अनवरत नीति पर चला है। यह किसी भी तरह के गैर जिम्मेदाराना कार्य में संलिप्त नहीं रहा है। यह एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति है, यह अच्छी बात है।

मुझे कुछ समाचार पत्रों द्वारा पता चला कि एन.डी.ए. सरकार, मैं समझता हूं कि विपक्ष के नेता यहां उपस्थित हैं-ने कल कहा कि इस सरकार को विदेश नीति के संबंध में वामपक्ष के दृष्टिकोण पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हम दावा कर सकते हैं कि हम सभी के साथ सहबद्ध रहे हैं कि विदेश नीति आम सहमति पर आधारित होनी चाहिए और इसे हमारे आजादी के संघर्ष की विरासत पर आधारित होना चाहिए, हम किसी भी प्रभुत्ववाली शक्ति का दबाव नहीं मान सकते जिसे वे डालते रहे हैं। वे सरकार को सरकार के ही अन्दर उपदेश देते रहे हैं कि इन्हें वामपंथ के विचारों के बारे में सचेत रहना चाहिए। हम पाकिस्तान के साथ बेहतर संबंधों के बारे में बात करते रहे हैं-अब ऐसा हो रहा है और हमारे पड़ौसियों के साथ बेहतर संबंध है, हमें भारत की प्रतिष्ठा और छवि बढ़ानी चाहिए। यह विधान इस संबंध में काफी आगे जाएगा। मैंने हमारे परमाणु कार्यक्रम का उल्लेख किया है। रूस कुछ अतिरिक्त रिएक्टरों से हमारी सहायता करने के लिए तैयार है। हमारे परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में सिविल पार्टियों को भी शामिल किया जाएगा। मुझे इस बारे में एक संदेह भी है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के मन में यह भी है कि क्या हमारे रक्षा क्षेत्र में निजी कंपनियों को भी शामिल जाएगा। यहां रक्षा मंत्री है। हमें रक्षा क्षेत्र को निजी कंपनियों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों और बड़ी कंपनियों के लिए खोलने में काफी सतर्क रहना चाहिए।

जहां तक परमाणु कार्यक्रम का संबंध है, कमाण्ड और नियंत्रण प्रणाली, पहले प्रयोग नहीं, सर्वविदित है। आज भी, कतिपय क्षेत्र ऐसे हैं जहां राष्ट्र को आश्वस्त किये जाने की आवश्यकता है।

यह क्या है? हमारा परमाणु कार्यक्रम प्रकृति से रक्षात्मक है और यह हमारी सुरक्षा के लिए है। हम अन्य संप्रभुता सम्पन्न देशों के साथ हस्तक्षेप नहीं करने जा रहे हैं क्योंकि इन दिनों परमाणु भयादोहन चल रहा है। लेकिन एक महत्वपूर्ण संगठन द्वारा किये गये अध्ययन के अनुसार कोई परमाणु युद्ध नहीं हो सकता है। यह केवल शक्तियों का संतुलन होगा। एक परमाणु हथियार रखने वाला देश केवल राजनीतिक संतुलन और क्षेत्रीय संतुलन की शक्ति रख सकता है ऐसी स्थिति में, हमारे क्षेत्र में सहयोग के माध्यम से, हम परमाणु ऊर्जा और परमाणु शक्ति को उपयोग बेहतर और उद्देश्यपूर्ण ढंग से करने के लिए किस तरह से कार्यक्रम तैयार कर सकते हैं यहां तक पाकिस्तान के साथ संबंध सुधरने के पश्चात यही एक क्षेत्र है जिसे हम अपने मनोमस्तिष्क में रख सकते हैं। यदि हमें अपने द्विपक्षीय अथवा अपने त्रिपक्षीय संबंधों में प्रगति करनी है तो हमें यह अपने मनोमस्तिष्क में रखना है।

मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। हमने एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक की है। राष्ट्रपति की यात्रा के पश्चात साफ्ट बार्डर, बस की आवाजाही, रेल आवाजाही, संयुक्त आर्थिक परिषद, व्यापार परिषद जैसे सभी क्षेत्रों में सुधार हुआ है। भारत और पाकिस्तान दोनों के पास ही बिजली की भारी कमी है। उनके पास ऊर्जा की भारी कमी है। क्या यहां एक समझौता नहीं हो सकता है? इसे दूसरी तरफ ले जाना होगा। आर्थिक सहयोग से बेहतर राजनीतिक सूझबूझ हो सकती है इसी तरह ऊर्जा संबधी सूझबूझ भी हो सकती है। मैं जानता हूं और हम जानते हैं कि इसमें बाधाएं डाली जाएंगी। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। जब भारत और पाकिस्तान के रास्ते भारत के लिए इरान से गैस पाइप लाइन लाने की शुरुआत कर रहे हैं तो वे इसे बर्बाद करने के लिए आ रहे हैं, बल्कि वे दबाव बना रहे हैं। भारत उस दबाव के आगे नहीं झुक रहा है। मुझे विश्वास है कि पाकिस्तान भी उस दबाव के आगे नहीं झुकेगा।

इसी तरह से, ऊर्जा विकास और ऊर्जा सुरक्षा में पारम्परिक हितों में संयुक्त सहयोग एक अन्य क्षेत्र होना चाहिए जिससे एक अलग ढंग से हमारी बेहतर समझ का मार्ग प्रशस्त होगा।

अब मैं परमाणु अप्रसार संधि की वर्तमान खामियों की बात करता हूं। हम जानते हैं कि किसी परमाणु वैज्ञानिक ने क्या किया है और क्या नहीं किया है। उस आधार पर कई बातें हुई हैं, अमरीका प्रसार रोकने के नाम पर क्या कर रहा है, वह इरान के बारे में क्या कह रहा है और उत्तर कोरिया के बारे में क्या कह रहा है, जैसाकि मैंने पूर्व में ही कहा था, यह सब दिखावा है, वह स्वयं इसमें शामिल हैं। बड़ी संख्या में लोग भी हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आतंकवादी या गैर परमाणु देश जिनकी पहुंच परमाणु अस्त्रों तक नहीं है, वे इसे प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

यदि मैं गलत नहीं हूं, तो विश्व में ऐसी 100 घटनाएं हुई हैं। अंडरवर्ल्ड द्वारा काले बाजार में चोरी की 100 घटनाएं हुई हैं जिसमें परमाणु की जानकारी देने या उसके लिए परमाणु सामग्री या उसके लिए न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम या परमाणु उपकरण मुहैया कराने की घटनाएं शामिल हैं। उन्हें कुछ शक्तियों को हस्तांतरित की गयी हैं। यदि ऐसा है तो, कुछ मामलों में, ऐसे भी समाचार है कि अमरीका एक वर्ग को प्रोत्साहित कर रहा है। क्यों? वह कुछ अन्य कल्पनाओं, संकल्पनात्मक मामलों के बारे में बहुत बोल रहा है, जैसाकि इराक के मामले में हुआ है। वह इस तरह की दलील सिर्फ पेशा के उद्देश्य को ध्यान में रख कर दे रहा है।

भारत को इन प्रसार चुनौतियों से सावधान रहना होगा। माननीय मंत्री ने हाल में हुई एक संगोष्ठी में सही ही कहा है कि वे अपर्याप्त हैं और कभी-कभी तत्कालीन सत्ता जो होती है वह अनुशासनात्मक होती है। कुछ मामलों में अमरीका का रवैया बहुत ढीला है। लेकिन परमाणु दुर्व्यापार का बहुत बड़ा बाजार है। इससे कैसे निपटा जाये। चूंकि अंडरवर्ल्ड के लोग और नशीली दवाओं के फेरी वाले अब अलग अलग अंडरवर्ल्ड के लोग हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व के किसी खास अंडरवर्ल्ड के हीरो के बारे में या अंडरवर्ल्ड आपरेशन के बारे में क्या कहता है यह अलग बात है। लेकिन इससे कैसे निपटा जाये?

अपराह्न 3.00 बजे

सरकार कहती है कि वह एक समिति गठित करेगी, या उसके लिए सरकार स्वयं एक प्राधिकरण गठित करेगी और उसे अधिकार दे देगी। इसलिए एक ऐसे प्राधिकरण की आवश्यकता है जो सक्षम हो। ऐसा नियमों के माध्यम से नहीं किया जा सकता।

जब प्राधिकरण गठित किया जा रहा है तो मेरी चिंता और आशंका यही है कि कुछ लोगों द्वारा इसका दुरुपयोग किया जा सकता है जैसाकि पोटा के मामले में हुआ है। यहां मैं एक उदाहरण दूंगा। खण्ड 20 (2) में कहा गया है:

> "जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो, उस अपराध के किए जाने के समय उस कम्पनी के कारोबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कम्पनी भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जायेंगे और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और दण्डित किये जाने के भागी होंगे।"

यह इतना जटिल है क्योंकि ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो कंपनी में काम कर रहे हों लेकिन जो कुछ नहीं जानते, न ही

[श्री रूपचंद पाल]

वे यह जानते हैं कि ऊपर के लोगों में क्या हो रहा है, प्रयोगशाला स्तर पर कंपनी में क्या हो रहा है, फिर भी प्रत्येक व्यक्ति को दोषी समझा जाए। मैं समझता हूं, निर्दोष नागरिकों जिन्होंने अपनी रोजी-रोटी के लिए अपनी जीविकोपार्जन के लिए कंपनी ज्वाइन किया है, उनके हितों की रक्षा करने हेतु संशोधन किया जाना चाहिए।

अब, मैं खंड 15(2) पर आता हूं। इसमें कहा गया है:

"जो कोई व्यक्ति किसी राज्येतर कार्मिक अथवा किसी आतंकवादी को सहायता देने के आशय से उपधारा (1) का उल्लंघन करने का प्रयास करता है अथवा उत्प्रेरित करता है अथवा उल्लंघन करने की तैयारी करने का कोई कार्य करता है, उस उपबंध का उल्लंघन किया गया समझा जायेगा और उप-धारा (1) के उपबंध उस उपांतरण के अध्यधीन लागू होंगे।"

पोटा के मामले में क्या हुआ? दस साल के एक बच्चे को सलाखों के पीछे रखा गया। जिस बच्चे का आतंकवाद से कोई लेना-देना नहीं है और जिसको यह भी मालूम नहीं कि आतंकवाद क्या बला है और क्या बला नहीं है उसे भी सलाखों के पीछे रखा गया। अत: मैं जानना चाहता हूं कि इसके सुरक्षोपाय क्या हैं।

परमाणु ज्ञान, उपकरण डिलीवरी सिस्टम, रेडियोधर्मी सामग्री और इन सब चीजों के संवर्द्धन संबंधी विधेयक का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं क्योंकि परमाणु आतंकवाद एक हकीकत है। मैंने एक लेख में पढ़ा जिसमें यह कहा गया था कि यदि धर्माधारित कोई आतंकवाद हो अथवा किसी अन्य तरह का कोई आतंकवाद हो, जिस तरह से नेतृत्व ताकत व्यवहार कर रही है, उससे हम विश्व के लोगों को उनके सम्प्रभु अधिकारों से वंचित करते जा रहे हैं। एक विशाल योजना के आधार पर हम उनके देशों पर अधिकार जमाते जा रहे हैं और लोकतांत्रिक तथा मानवाधिकारों से उनको वंचित करने जा रहे हैं। स्वाभाविक है कि हम नए आतंकवाद को जन्म दे रहे हैं। आज आलम यह है कि इस सुपर आतंकवादी ताकत के प्रति पीढ़ी में अविश्वास, और घृणा का भाव पैदा हो रहा है, मैं समझता हूं, जब हम अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता पूरी कर रहे हैं तो हमें बहुत सजग रहना होगा कि इसका दुरुपयोग न हो जैसाकि आतंकवाद निरोधक अधिनियम के मामले में हुआ है और वह भी हमारे देश की इस परिस्थिति में।

हमने पोटा के दुरुपयोग के अनुभवों को सहा है, यहां लिखित मामलों के संबंध में दुरुपयोग के एक या दो मामलों का उदाहरण दे सकता हूं। मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं बल्कि मैं समझता हूं, जब माननीय मंत्री वाद-विवाद का जवाब देंगे, वह मेरे द्वारा उठाये मुद्दों का भी जवाब देंगे।

परमाणु आतंकवाद के दमन के संबंध में संकल्प के बारे में, मैं समझता हूं, वह सितंबर में आएगा; इसमें 22 देश भाग लेंगे; और संयुक्त राष्ट्र संघ के वैश्विक आतंकवाद संबंधी ऐसे 13 संकल्प भी प्रस्तुत किये जायेंगे। हम इसका एक पक्ष होंगे। मैं समझता हूं, इस तरह के विधान से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आश्वस्त करने में काफी मदद मिलेगी कि हम अपनी सुरक्षा, संपूर्ण निरस्त्रीकरण के अपने मूल लक्ष्य और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के प्रति प्रतिबद्ध है। हम अपनी स्वायत्तता में विश्वास करते हैं और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति के अपने अधिकार और आण्विक उर्जा में विश्वास करते हैं लेकिन साथ ही हम सावधान भी हैं कि हम ऊर्जा, उपकरण और सामग्री के हस्तांतरण, निर्यात या प्रसार की किसी को अनुमति नहीं देंगे।

मैं अब अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है। यह सभी उपबंधों को शामिल करने वाला एक विधेयक है जो समेकित और एक बड़ा विधेयक है। मैं इसका स्वागत करता हूं। हमें इस तरह के उपबंधों पर गौर फरमाने के लिए कुछ और समय दिया जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश 8 मई को हमें यह विधेयक दिया गया, उस दिन रविवार था। मैं रविवार को आया और उसी दिन मुझे यह विधेयक मिला। मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता था कि सत्र के अंत में ऐसा महत्वपूर्ण विधेयक नहीं लाया जाना चाहिए। मैं तात्कालिता को समझता हूं और इसे मानता हूं। इस विधेयक को पहले लाया जाना चाहिए था। हमें कुछ और समय मिलता तो हम इस विधेयक में कुछ और जोड़ पाने में सहयोग देते। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, जब हम इस सभा में सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिदान प्रणाली (विधि विरुद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध) विधेयक, 2005 को चर्चा के लिए हैं तो हमें आज विश्व पर मंडरा रहे खतरे का भी भान होता है। वर्तमान में 50 देशों के पास लगभग 34 हजार परमाणु हथियार हैं जिनके अलग-अलग परमाणु प्रभाव अथवा क्षमताएं हैं। हमने हमेशा इस बात में विश्वास किया है, और भारत सदैव शांति और सौहार्द का समर्थन करता रहा है और यह मानता है कि अधिक परमाणु आयुध जमा करना हमेशा ही अस्थिरता को बल देता है। फिर भी, इसके साथ-साथ कोई उन देशों को दोष नहीं दे सकता जो यह देखकर परमाणु हथियारों का विकास करने का प्रयास करते हैं कि मौजूदा परमाणु शक्तियां अपने हथियारों का त्याग नहीं कर रही हैं।

इस संदर्भ में मैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी का उल्लेख करना चाहूंगा जिन्होंने वर्ष 1974 में पोखरण में परमाणु परीक्षण करके

अपना विशेष साहस और नेतृत्व प्रदर्शित किया। यह किसी सैनिक महत्वाकांक्षा की अभिव्यक्ति नहीं थी बल्कि किसी भी कीमत पर हमारा अपनी संप्रभुता और स्वतंत्रता की रक्षा करने के अधिकार को जताना था। श्री राजीव गांधी जी ने एक उत्साही नेता के रूप में भारत को 21वीं सदी में ले जाने के लिए कड़ा संघर्ष किया और भारत को सभी प्रकार के परमाणु हथियारों के त्याग और सामूहिक संहार के अन्य हथियारों को समाप्त करने वाले प्रमुख देश के रूप में दुनिया के सामने रखा। उन्होंने इस धर्मयुद्ध के समर्थन में विश्व की एक राय उत्पन्न की ओर कुछ बड़े परमाणु देशों के व्यवहार की बेइन्साफी को उजागर किया।

जैसाकि हमारे माननीय विदेश मंत्री ने अपनी आरंभिक उक्तियों में कहा, श्री राजीव गाधी जी ने परमाणु अप्रसार संधि की भेदभावपूर्ण प्रकृति को उजागर किया और इसमें भागीदार होने से यह कहते हुए मना कर दिया कि भारत का उद्देश्य हमेशा ही परमाणु ऊर्जा का उपयोग शांति के लिए करना है। आज का यह विधेयक श्री राजीव गांधी जी के विचारों को ही दर्शाता है।

हमारा अनुभव यह रहा है कि हथियारों को प्राय: दूसरे देश ही विवाद का विषय बनाते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेन्सी ने परमाणु सामग्री और उपकरणों के विशाल अवैध बाजार को रोकने के लिए हथियारों के निर्यात और आयात नियंत्रण की व्यवस्था न होने पर दु:ख जताया है।

इस विधेयक के माध्यम से यू.पी.ए. सरकार का उद्देश्य परमाणु आयुध देश के रूप में भारत की हैसियत को ध्यान में रखते हुए ऐसे परमाणु आयुधों तथा उनकी परिदान प्रणालियों के दुरुपयोग को रोकना है।

महोदय, हमारी मुख्य चिन्ता अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करना और उसे सुदृढ़ करना है। हमने न तो कभी ऐसा किया है न ही हम किसी अन्य देशों से ऐसी आशा करते हैं कि वह मौत का सौदागर बने। परमाणु अप्रसार संधि के अंतर्गत गैर परमाणु देश, परमाणु देशों से इस आश्वासन के बाद परमाणु आयुध हासिल नहीं करने के प्रति अपनी वचनबद्धता को इस आधार पर दोहराते हैं कि ऐसे सभी परमाणु आयुधों को समाप्त करने की दिशा में सभी देशों से बातचीत करेंगे तथा विकासशील देशों को परमाणु प्रौद्योगिकियों का हस्तांतरण उनके शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जायेगा। दुर्भाग्यवश, परमाणु आयुधों से युक्त ऐसे देशों ने अपने इस आश्वासन को पूरा नहीं किया है। इन देशों ने ऐसा ही आश्वासन वर्ष 2000 के परमाणु अप्रसार संधि समीक्षा सम्मेलन में दिया था। यह दुर्भाग्य की बात है कि जब अगला समीक्षा सम्मेलन, इसी माह होना तय है तो आज स्थिति यह है कि विश्व में चल रही सामरिक गतिविधियों में भयावह होड़ लगी हुई है और निरस्त्रीकरण और आयुध नियंत्रण कार्यक्रमों को नहीं अपनाया जा रहा है जिनसे कि वे इस होड़ का मुकाबला कर सके।

गत वर्ष के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प 1540 के अनुसार सभी शब्दों के लिए सामूहिक संहार के हथियारों को खरीदने में मदद करने को दंडित ठहराने के उपाय अपनाना और ऐसे हथियारों के सार्वभौमिक प्रसार को रोकने के लिए घरेलू नियंत्रण अपनाना अनिवार्य था। गत वर्ष संयुक्त राष्ट्र की प्रथम समिति ने "परमाणु हथियार मुक्त विश्व की ओर: परमाणु निरस्त्रीकरण वचनबद्धताओं के कार्यान्वयन की गति को तीव्र करना" नामक एक संकल्प फिर से पारित किया। इस विधेयक के माध्यम से हमने एक बार पुन: अपने उस विश्वास और वचनबद्धता को दोहराया है कि हम विधि विरुद्ध क्रियाकलापों का प्रतिबंध और परमाणु, रासायनिक जैविक, विषैले सभी प्रकार के सामूहिक संहार के आयुधों को नियंत्रित करेंगे। यू.पी.ए. सरकार यह विश्वास करती है कि सुरक्षा क्षेत्र के कुशल प्रशासन का अर्थ यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों की रक्षा करने के अलावा हमें राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर घरेलू और विधि मानकों का पालन करना चाहिए। वर्ष 2002 की संयुक्त राष्ट्र विकास रिपोर्ट में ऐसे ही व्यवहार की मांग की गयी है।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, मैंने तो अभी दस मिनट का समय भी नहीं लिया है। मुझे कितना समय मिलेगा? उसी के अनुसार मैं अपनी बात रखूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय: आप आठ मिनट से अधिक समय ले चुके हैं। आप दो मिनट में अपनी बात पूरी कीजिए।

श्री पवन कुमार बंसल: मैं माननीय मंत्री जी के इस महत्वपूर्ण कानून को लाने के लिए प्रसंसा करने के साथ-साथ, इस समय-सीमा के भीतर जो आपने मुझे दी है, श्री रूपचन्द पाल जी द्वारा इस विधेयक के खंड 20 और 15 के संबंध में कही गयी दो बातों का संक्षेप में उल्लेख करूंगा।

महोदय, मैंने एक बार फिर इन खंडों को पढ़ने का प्रयास किया है और मुझे वाकई इसमें किसी संशोधन की आवश्यकता नजर नहीं आती। जब वह यह कहते हैं कि अपनी आजीविका के लिए उस कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी प्रभावित नहीं होंगे। कृपया मुझे पुन: एक बार खंड 20(1) पढ़ने की अनुमति दें। यह इस प्रकार है:

"जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध

[श्री पवन कुमार बंसल]

के किये जाने के समय उस कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जायेंगे और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और दंडित किये जाने के भागी होंगे।...."

वे दोषी ठहराये जायेंगे। ऐसा नहीं है कि उस कंपनी का प्रत्येक कर्मचारी वरन् उस कंपनी का वह कर्मचारी जो कार्य संचालन करता है वह अपराधी होगा। केवल उसी व्यक्ति को दोषी ठहराया जायेगा। मैं समझता हूं कि यह आवश्यक है। अन्यथा नियम के उपबन्ध बेकार हो जाएंगे।

इसी प्रकार, खण्ड 15(1) में कहा गया है कि:

"कोई भी व्यक्ति जिसका .... करने का विचार है"

दस वर्ष के बच्चे पर दण्ड लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है जैसाकि उन्होंने बताया है। सम्भवत: पोटा के कुछ मामलों में ऐसा हुआ होगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि इसमें ऐसा कभी नहीं हो सकता है।

अपना भाषण समाप्त करते हुए, मैं माननीय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह द्वारा 24 जून, 2004 को राष्ट्र को अपने पहले संबोधन में अन्य बातों के साथ-साथ केवल निम्नलिखित बात का ही संदर्भ दूंगा:

"भारत एक उत्तरदायी परमाणु शक्ति है, और हम सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार को रोकने का कार्य जारी रखेंगे। साथ ही साथ हम वैश्विक परमाणु नि:शस्त्रीकरण के उद्देश्य के प्रति भी वचनबद्ध हैं"

माननीय प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा को संबोधित करते हुए तथा फिर अक्तूबर, 2004 में कलपक्कम में आण्विक ऊर्जा विभाग के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम के अवसर पर भी अपने भाषण में ऐसे ही विचार व्यक्त किये थे। माननीय प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि:

"हम अत्यधिक उत्तरदायित्वों नागरिक तथा रणनीतिक दोनों के प्रति पूर्णतया जागरूक हैं जो उन्नत प्रौद्योगिकियों को प्राप्त करने पर आते हैं ..... भारत संवेदनशील प्रौद्योगिकियों के अप्रसार का स्रोत नहीं बनेगा। हम अपनी प्रौद्योगिकियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करेंगे ....."

महोदय, इस विधेयक में इस बात का ख्याल रखा गया है कि हमारी परमाणु नीति से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाए, तथा हमारे परमाणु कार्यक्रमों नागरिक अथवा रणनीतिक पर कोई रोक नहीं है। भारत अपनी सुरक्षा तथा अपनी जनता के कल्याण के लिए, तथा देश के विकास की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने के लिए दृढ़ निश्चित है। किसी को कहीं भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए। यह एक ऐसा विधान है जो शांति के प्रति भारत की वचनबद्धता दोहराता है तथा यह बतलाता है कि हमारे द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी-हमारी रक्षा तथा शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए-दूसरों के हाथ न लग पाये। यह सुनिश्चित करता है जैसाकि श्री रूपचंद पाल ने अपने भाषण में कहा कि कोई भी नॉन स्टेट एक्टर या कोई भी व्यक्ति इससे किसी भी प्रकार का लाभ नहीं उठा पाए जो बाद में काले बाजार में पहुंचे। भारत ऐसे लोगों का देश नहीं बनेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ, मुझे अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

प्रो. राम गोपाल यादव (सम्भल): श्रीमन्, यह विधेयक जिन अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में लाया जा रहा है, मैं इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सारी दुनिया जानती है कि जब-जब कोई ऐसी घटना होती है, जहां मास डिस्ट्रक्शन हो, चाहे हथियारों का मामला हो या अन्य बातें हों, तो कोई न कोई रास्ता निकालने के लिए दुनिया एक मंच पर आती है।

प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब लीग आफ नेशंस की स्थापना हुई, यह विडम्बना ही कही जाएगी कि जिस वारसा संधि के अंतर्गत उसकी स्थापना हुई, अमेरिका की सीनेट ने उसे एप्रूव नहीं किया। लीग आफ नेशंस फेल साबित हुई। जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ, तो फिर लोगों ने एहसास किया कि कोई ऐसी संस्था हो, जो विनाश को रोक सके और इस तरह से राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने डिसार्मामेंट कमीशन बनाया। उसके बाद बहुत सारी बातें सामने आई। पहले नॉनप्रोलीफरेशन ट्रीटी आई, फिर काम्प्रीहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी आई। इस तरह यह सिलसिला चलता रहा। लेकिन जिन देशों के पास मास डिस्ट्रक्शन के हथियार थे, जो न्यूक्लियर पावर थे, उन्होंने कभी इस बात की लीगली इजाजत नहीं दी कि कोई और मुल्क इस क्लब में शामिल हो। जो शामिल हुए, उन्हें तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा, तमाम तरह के प्रतिबंध लगाने पड़े। हमारे वैज्ञानिकों को अमेरिका जाने की इजाजत नहीं दी गई, उन्हें दस-दस सालों तक वीजा नहीं दिया गया। सिर्फ इसलिए कि हिंदुस्तान भी न्यूक्लीयर पावर बन गया था। लेकिन हम लोगों की जो बातें हुई और जो स्पष्टीकरण दिया गया कि इस विधेयक के लाने के बाद भी हमारी जो गतिविधियां हैं उन पर किसी प्रकार का कोई प्रतिकूल प्रभाव

नहीं पड़ेगा तथा हमारे जो मित्र देश हैं उनके साथ हमारे रिश्तों पर भी कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि देशहित में जब आप इस विधेयक को ला रहे हैं तो हमें भी इसका समर्थन करना चाहिए।

स्वर्गीय इंदिरा जी और राजीव जी इस देश के बहुत बड़े नेता थे। जब अमरीका ने कम्प्रीहैंसिव टेस्ट बन ट्रीटी पर हस्ताक्षर करने की बात कही तब हमारे तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई जी ने कहा था कि हम इस ट्रीटी पर दस्तखत कर देंगे लेकिन पहले आप अपने सारे हथियार प्रशांत महासागर में डूबो दो। एक देश में हथियार रहें और दूसरे देश हथियार बना भी न सकें, यह न्यायसंगत बात नहीं है। कुछ देशों में जो सुपीरियर होने की भावना थी वह तो अब धीरे-धीरे समाप्त हो रही है। भारत ने अपनी तकनीक को सीधे या चोरी-छिपे किसी भी देश को देने की कोशिश नहीं की, यह भारत के चरित्र को दर्शाता है। हमारे पड़ोसी देश के वैज्ञानिक दुनिया के देशों में चले गये और कहां-कहां क्या-क्या दिया, यह सारी दुनिया जानती है। हमारे देश का जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करने में अगर हमें कोई बाधा नहीं आती है तो मैं आपको बधाई दूंगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मैं अब श्री निखिल कुमार को बोलने का अवसर देता हूं तथा अनुरोध करता हूं कि वे अपना भाषण चार से पांच मिनट में पूरा कर लें।

श्री निखिल कुमार (औरंगाबाद, बिहार): महोदय, मैं विधेयक के बारे में बोलने तथा इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

हम सभी जानते हैं तथा पहले बोल चुके वक्ताओं ने बताया है कि सामूहिक विनाश के हथियारों से वास्तव में बहुत खतरा है तथा शांति को खतरा है। जब हम सामूहिक विनाश के हथियारों की बात करते हैं तो मैं पहले यह बताना चाहता हूं कि ये हथियार क्या है। ये हथियार चाहे आणविक हों अथवा रासायनिक हथियार हों। जहां तक जैविक हथियारों का संबंध है तो वे हमारे लिए उतना बड़ा खतरा है जितना कि परमाणु हथियार। सबसे भयावह बात यह है, भगवान न करे, कि इनमें से कोई एक या ये सभी एक साथ प्रयोग में लाये जाएं। इनसे पूरे विश्व में कितना नुकसान या विध्वंस हो जाएगा। यह नुकसान सुनामी आपदा द्वारा किये गये नुकसान से कहीं अधिक होगा। अत: यह आवश्यक है कि स्थिति की गंभीरता को समझते हुए हम इसको रोकने का उपाय करें तथा यह ध्यान रखें कि ऐसे हथियार गलत हाथों में न जाएं।

हमारे माननीय सदस्य श्री रूपचंद पाल ने सामूहिक विनाश के हथियारों से खतरों के बारे में वक्तव्य दिया। इस बिन्दु पर आने से पूर्व मैं बहुत ही संक्षेप में कहना चाहता हूं कि सामान्यत: इन जैविक हथियारों से विश्व को क्या खतरा है।

वास्तव में, यदि ये हथियार आतंकवादियों को हाथ लग जाएं, जिसकी पर्याप्त आशंका है तो बहुत विनाश होगा। हमें नई सूचना मिली है कि पेड़ पौधों, पशुओं तथा मानवों पर आक्रमण किये जाने की संभावना है।

ऐसे जैविक हथियारों का उत्पादन करने के लिए केवल 10,000 डालर की लागत से एक प्रयोगशाला की स्थापना करने की आवश्यकता पड़ती है। यह कार्य एक छोटे से कमरे में किया जा सकता है। इसमें ऐसे एजेंट पैदा होंगे और बड़ी संख्या में बढ़ेंगे तथा एक बड़े भू-भाग पर फैल जाएंगे। ये वायु, जल अथवा किसी भी प्रकार की वनस्पति अथवा जीव जंतु के माध्यम से पहुंच सकते हैं।

इस प्रक्रिया में डी.एन.ए. और क्लोनिंग प्रौद्योगिकी अपनाकर इन जैविक हथियारों का भारी मात्रा में उत्पादन किया जा सकता है। इसलिए, हमें जैविक हथियारों के इस खतरे से, जो जैविक आतंकवाद को जन्म दे सकते हैं, सावधान रहना है।

ठीक इसी प्रकार, रासायनिक हथियारों से खतरा यह है कि इन रासायनिक हथियारों के प्रयोग के बारे में आतंकवादियों व उग्रवादियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। उनके प्रशिक्षण शिविरों से रासायनिक हथियारों के माध्यम से लड़ाई करने के बारे में प्रशिक्षण प्राप्त करने में उन्हें सहायता मिलेगी। ये प्रशिक्षण शिविर अफगानिस्तान एवं अन्य स्थानों पर है। उनके द्वारा अधिकांशत: वैसे रासायनिक हथियारों का प्रयोग किये जाने की संभावना है जिन्हें पारंपरिक स्फोटक शीर्षों के साथ भी जोड़ा जा सकता है। संयोगवश, स्फोटक शीर्षों के माध्यम से जैविक हथियारों को प्रक्षेपित नहीं किया जा सकता है परन्तु हमारे रासायनिक हथियारों का प्रक्षेपण इसी तरीके से संभव है।

इनमें से कुछ रासायनिक हथियार गैस और रासायनिक एजेण्टों के रूप में काफी आसानी से उपलब्ध है। उदाहरणार्थ, वर्ष 1994 में, एक जापानी भूमिगत संगठन, औम शिनरिक्यो ने टोक्यो के एक सबवे में 'सरिन नर्व गैस' छोड़ी थी जिससे 12 लोगों की मौत हो गयी थी और 120 से अधिक लोग घायल हो गए थे। पुन: सरिन गैस का प्रयोग जापान के एक शहर में किया गया जहां सात लोगों ने अपनी जान गवां दी तथा 200 लोग बीमार हो गए। प्रमाण यह है कि इस संगठन, औम शिनरिक्यो ने एक विष के प्रकार पर 300 मिलियन डालर की एक अनुसंधान परियोजना

[श्री निखिल कुमार]

चलाई थी। यह सब कुछ जैविक हथियार का इस्तेमाल करने हेतु अपने को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने का प्रयास था।

19वीं शताब्दी में जैविक और रासायनिक एजेण्टों से लगभग 500 मिलियन लोग मारे जा चुके हैं। यदि आपको यह पता नहीं है कि वास्तव में इसका प्रयोग होना ही है तो हम केवल ऐसे हथियारों के प्रयोग से होने वाली विभीषिका की कल्पना मात्र ही कर सकते हैं जो कि भयावह होगी।

इसलिए, इन सभी चीजों को रोकने के लिए क्या करें? क्या यह संभव है कि ऐसे प्रौद्योगिकियों का हस्तांतरण अवांछित व्यक्तियों अथवा ऐसे व्यक्तियों को किया जाए जिनका पूर्ववृत्त संदेहास्पद हो। ऐसा सम्भव है। हमारे सामने पाकिस्तान के ए.क्यू. खान के मामले का उदाहरण है जिसने यूरेनियम संयंत्र के कुछ ड्राइंग्स को चुराकर उन्हें किसी बड़ी राशि के एवज में बेचा था।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री निखिल कुमार: कृपया मुझे कुछ और समय दीजिए।

इसके बदले में वह काफी धनी बन गया। उसे जो भारी धनराशि मिली उसे बता पाना मुश्किल है। हम ए.क्यू. खान की सम्पन्नता की चर्चा नहीं कर रहे हैं बल्कि इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि वह किस प्रकार का चरित्र था। उसके जैसे लोग ही ऐसी प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण कर सकते हैं और इसे बेच सकते हैं।

आज उत्तरी कोरिया के लिए पूरे विश्व के सामने गंभीर संकट पैदा करना संभव है क्योंकि ऐसे कई उदाहरण व साक्ष्य रहे हैं जो यह बताते हैं कि वस्तुत: उत्तरी कोरिया के पास परमाणु हथियार हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: यदि आप और अधिक समय तक बोलना चाहते हैं तो मैं आपके दल के अन्य वक्ताओं को बोलने की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री निखिल कुमार: मैं सिर्फ दो मिनट का समय लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय: नहीं, एक मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री निखिल कुमार: इस प्रकार आज हमें जो उत्तरी कोरिया से धमकी मिल रही है वह वास्तविक है। हम अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन पूरी ईमानदारी के साथ नहीं करेंगे यदि हम इन प्रौद्योगिकियों का हस्तांतरण गलत हाथों में जाने से रोकने के लिए विधान बनाने हेतु पर्याप्त कदम न उठाएं।

इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज यह विधेयक लाया गया है। मैं इस विधेयक का पूरा समर्थन करता हूं तथा इस विधेयक को तैयार करने व इसे इस सभा में प्रस्तुत करने हेतु विदेश मंत्री और संप्रग सरकार को बधाई देता हूं। जैसाकि मेरे सहयोगी श्री बंसल ने बताया है यह विधेयक भारत की परमाणु संबंधी चिन्ताओं के बारे में हस्तक्षेप नहीं करता है तथा यह किसी भी प्रकार से भारत के परमाणु क्षमता को कम नहीं करता और न ही भारत की परमाणु संबंधी स्थिति अथवा शक्ति के साथ कोई समझौता करता है। दूसरी ओर, इसमें भारत के इस दृष्टिकोण का समर्थन किया गया है कि यह काफी जिम्मेदार परमाणु शक्ति है। हमारे लिए पूरे विश्व के सामने यह बताना लाभप्रद है कि हम एक जिम्मेदार राष्ट्र हैं। यह कानून हमारे दावे का समर्थन करेगा। इस प्रकार, मेरी समझ से यह एक सही समय पर लाया गया विधेयक है। मैं इसका समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री सीताराम सिंह (शिवहर): उपाध्यक्ष महोदय, यह सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिदान प्रणाली (विधि विरुद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध) विधेयक, 2005 है। हम हिंदी जानने वाले लोग हैं। इस विधेयक को जो नाम दिया गया है, उससे स्पष्ट है कि आज की अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति में यह विधेयक मुनासिब, जायज और सराहनीय है, इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूं। इस विधेयक के उद्देश्य में जो लिखा गया है उसे हमने पढ़ा है। मैं मानता हूं कि भारतवर्ष, और जहां भी लोकतंत्र है, उसमें सबसे पहले दर्जे में लोकतांत्रिक पद्धति में शांतिप्रिय देश हैं। सारी शक्तियां होने के बाद भी जो इस देश का इतिहास है, जो इस देश के नागरिक हैं, जो इस देश के शासक हैं और जो इस देश का शासन है, इसने दूसरे देशों पर कभी बुरी नजर नहीं रखी है।

आपने कहा कि चार-पांच मिनट में बोलना है, इसमें मैंने जितना पढ़ा है और देखा है, एक बात की हमें आशंका है कि आज जो लोग हथियार की होड़ में पूरी दुनिया में आपस में होड़ मचाए हुए हैं और कुछ लोग इस दुनिया में दादागिरी भी कर रहे हैं। ऐसे देश जो दुनिया में अपनी दादागिरी चलाना चाहते हैं, जैसे माननीय सदस्य श्री राम गोपाल जी ने कहा, हम लोगों को या जो भी लोग संघ के सदस्य के रूप में इस चीज को लाना चाहते हैं, उसमें बहुत लोगों को बहुत कठिनाई हुई है। हाल में कई ऐसे उदाहरण हैं, जो बिना वजह, बिना कारण और नाजायज तरीके से दुनिया में कमजोर देशों को मजबूत देशों के लोग दबाते रहे हैं, अगर नाम लेना मुनासिब हो तो मैं कह सकता हूं कि अमरीका

जैसे देश ने जबरदस्ती उनके अंदरूनी मामलों में दखल ही नहीं किया, उनको बर्बाद करने का काम किया। इस विधेयक को लाने से अगर परेशानियां हमारे देश को न हों तो कोई दिक्कत नहीं है, इस देश के लिए यह विधेयक लाभकारी होगा।

मैं कहना चाहता हूं कि जहां इस तरह की दुनिया में होड़ लगी है, इस विधेयक के माध्यम से हिंदुस्तान में भी जो आधुनिकतम हथियार और आयुध हो सकते हैं, उसके बनाने पर कोई पाबंदी या रोक नहीं होनी चाहिए। मुझे खुशी है कि जब से यूपीए सरकार बनी है, इसकी विदेश नीति और दूसरे देशों से रिश्ते अच्छे हुए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सी.के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर): महोदय, मैं सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिदान प्रणाली (विधि विरुद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध) विधेयक, 2005 का समर्थन करता हूं।

सही समय पर विधेयक पुर:स्थापित करने के लिए मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं। मात्र कुछ दिन पहले माननीय मंत्री महोदय प्रधान मंत्री जी के साथ बांडुंग कांफ्रेंस की 50वीं वर्षगांठ में शामिल हुए थे। पचास वर्ष पहले इस कांफ्रेंस ने तत्कालीन स्वतंत्र हुए सभी नए राष्ट्रों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व किया था। शांति, विकास और एक बेहतर विश्व व्यवस्था बनाने की उनकी इच्छा सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। वे इन्हीं नेक उद्देश्यों के लिए वहां उपस्थित हुए थे। यहां तक कि स्वतंत्रता संग्राम दिनों में भी एक देश के रूप में भारत शांति, मानवता, मित्रता एवं भाईचारा के लिए प्रतिबद्ध था। हमारे स्वतंत्रता संग्राम की यह कुछ विशेषताएं हैं।

यदि आज हम पूरे विश्व की स्थिति पर गौर करें तो पाएंगे कि हम परमाणु हथियार जैविक हथियार आदि जैसे भयावह हथियारों के ढेर पर बैठे हैं। इसके अलावा अत्याधुनिक प्रक्षेपण प्रणाली मौजूद है जो इन शस्त्रों को सागर पार विभिन्न महाद्वीपों तक ले जा सकती है। इस प्रकार आज हम एक खतरनाक विश्व में जी रहे हैं। यही कारण है कि भारत प्रारंभ से ही परमाणु हथियारों का नि:शस्त्रीकरण सहित अन्य हथियारों के पूर्ण नि:शस्त्रीकरण पर बल देता रहा है। इन्हीं उद्देश्यों के मद्देनजर आज यह विधेयक लाया गया है।

यद्यपि देश की सुरक्षा, लोगों की रक्षा के लिए आवश्यक हथियारों की अनिवार्यता है, तथापि हम इसका गलत उपयोग न होने देने के प्रति भी वचनबद्ध है। हम यह कह कर विश्व समुदाय के प्रति अपनी वचनबद्धता को भी पूरा कर रहे हैं कि हम शस्त्रों अथवा परमाणु हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं होंगे।

कुछ देश शांति, परमाणु नि:शस्त्रीकरण आदि का उपदेश दे रहे हैं। एक तरफ तो वे उपदेश दे रहे हैं और दूसरी तरफ वे इन्हीं परमाणु शस्त्रों के ढेर पर बैठे हैं। वे हमें उपदेश देते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि यह अच्छी बात नहीं है। हम उस तरह के फतवे में विश्वास नहीं करेंगे। देश के रूप में, जब हम इसके लिए वचनबद्ध हैं इसका दूसरा पहलू भी है कि हमारी आकांक्षा बेहतर जीवन और विकास की है।

एक आंकड़ा है जिसका मैं यहां उल्लेख कर रहा था। यदि पूरे विश्व में देशों द्वारा 3 प्रतिशत रखे गए सामूहिक संहार के हथियारों को नष्ट किया जाता है या यदि वे देश उन हथियारों का निर्माण नहीं करने का निर्णय लें-शत प्रतिशत नहीं बल्कि सिर्फ 3 प्रतिशत-तो इससे पूरी मानव जाति के लिए साक्षरता, उच्च शिक्षा, सम्पूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या, बेहतर संचार प्रणाली प्रदान की जा सकेगी और एक ऐसे विश्व का निर्माण होगा जो आज की तुलना में बहुत अच्छा होगा। इस विधेयक के माध्यम से, जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने दायित्व के प्रति वचनबद्ध हैं, तो हम विकास की अपनी आकांक्षा के प्रति अग्रसर रहने की कोशिश भी कर रहे हैं।

मैं एक सुझाव देकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। अब, गुटनिरपेक्ष देशों की 50वीं वर्षगांठ पर हमारी बैठक हुई थी। मैं सरकार से गुटनिरपेक्ष देशों के प्लेटफार्म से निरस्त्रीकरण के लिए बैठक बुलाने की पहल करने और यह चर्चा करने का अनुरोध करूंगा कि हथियारों की होड़ को कैसे रोका जाए, देश शांतिपूर्ण वातावरण में कैसे रहें और इससे बची धनराशि का विश्व के बेहतर जीवन के लिए कैसे उपयोग किया जाए। यदि ऐसा होता है, तो यह बहुत बड़ा योगदान होगा जो कि भारत ऐसी परिस्थिति में कर सकता है।

इन्हीं शब्दों के साथ, अधिक समय न लेते हुए, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनी राम शांडिल्य (शिमला): उपाध्यक्ष महोदय, मैं सामूहिक संहार के हथियारों और उनकी डिलीवरी प्रणाली (प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज) विधेयक, जो हमारे माननीय विदेश मंत्री श्री के. नटवर सिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया है। के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। इसके लिए मैं माननीय मंत्री की प्रशंसा करता हूं।

यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधान है जिसे श्रीमती सोनिया जी की शुभकामनाओं और मार्गदर्शन तथा डा. मनमोहन सिंहजी के योग्य नेतृत्व से संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार द्वारा विचार के लिए इस सम्माननीय सभा में लाया गया है।

[डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनी राम शांडिल्य]

जैसा कि इस विधेयक में माननीय विदेश मंत्री द्वारा लाया गया है भारत एक परमाणु सम्पन्न राष्ट्र के रूप में अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के प्रति हमेशा वचनबद्ध है। इस संबंध में, हमारा रवैया जैसा कि विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हाल ही में डा. मनमोहन सिंह द्वारा कहा गया था, परमाणु हथियारों के अप्रसार के संबंध में पूरी तरह से स्पष्ट है।

हमारा सैन्य और परमाणु सिद्धांत हमेशा से यही रहा है और रहेगा भी-(1) युद्ध और सशस्त्र लड़ाई को रोकना; (2) राष्ट्रीय क्षेत्रीय और वैश्विक स्तरों पर सभी जगह शांति हो, यह शांति सदा रहे और पूर्णत: शांति रहे, (3) प्रादेशिक अखंडता और भारत की सम्प्रभुता की रक्षा करना; और (4) इन सभी के असफल हो जाने के मामले में, जल्दी से जल्दी युद्ध को समाप्त कराने की सामर्थ्य का होना तथा इस संबंध में प्रयुक्त होने वाली शर्तों का राष्ट्रीय हित में होना।

भारत की यह नीति रही है कि वह किसी भी ऐसे हथियार के निर्माण में सहायता, प्रोत्साहन नहीं देगा और न ही किसी अन्य देश को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेंगे जिसके पास सामूहिक संहार और परमाणु विस्फोटक उपकरण बनाने की क्षमता हो। हम, एक राष्ट्र के रूप में, रासायनिक हथियार सम्मेलन और जैविकीय और विषैले हथियार सम्मेलन के अंतर्गत इसे पूरा करने के प्रति अंतर्राष्ट्रीय वचनबद्ध है।

इस विधान का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है कि यह आतंकवादी समूहों के विरुद्ध है। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा है। बार-बार ऐसे हथियारों ने सामूहिक संहार किया है क्योंकि ये संहारक हथियार गलत लोगों के पास थे। वस्तुत: यह ऐतिहासिक और तार्किक स्थिति है कि ऐसे विधि बहिष्कृत लोगों की वर्षों से अद्यतन प्रौद्योगिकी विशेष रूप से अपराध करने में इस्तेमाल किये जाने वाले हथियारों तक पहुंच रही है और उसका उपयोग भी किया है।

आज, अधिकांश आतंकवादी समूहों के पास ऐसे हथियार हैं जो विश्व के अति-आधुनिक सेना के पास भी नहीं है। उनमें से कुछ के पास तो गाइडेड मिसाइल और अन्य उच्च प्रौद्योगिकी वाले उपकरण हैं। हमने देखा है कि कुछ धोखेबाज राष्ट्रों के माध्यम से पहले कुछ हथियार प्रदान किये जाते रहे हैं, जैसाकि श्री निखिल कुमार ने बताया, तालिबान 1990 के दशक से ही इसका उपयोग करता आ रहा है। ये हथियार हमारे पड़ोस में भी इस्तेमाल किये जा रहे थे।

ब्रिटिश एयरवेज की योजना अपने जेटलाइनरों को मिसाइल रोधी उपकरणों से सुसज्जित करने और समय के साथ अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन्सों में भी ऐसे उपकरण लगाए जाएंगे।

वर्तमान विधेयक ने प्रशासनिक तंत्र का विस्तार किया है। इसमें 5 लाख रुपये तक का जुर्माना कराने का प्रावधान है, यह प्रशंसनीय है। कल्पना कीजिए, यह कैसी दहशत पैदा करेगा, यदि ऐसे प्रमुख विहीन आतंकवादियों के पास परमाणु, जैविकीय और रासायनिक हथियार विशेष रूप से जैविकीय हथियार आ जाएं तो। जैसा कि कई सदस्यों ने कहा था, इसके लिए प्रयोगशाला से युक्त सिर्फ एक कमरा चाहिए। इसे बनाना आसान है, कम खर्चीला है और इसे ढोना भी आसान है। सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसके लिए लांचिंग पैड की जरूरत नहीं है, इसे थैले में भी ले जाया जा सकता है और दुश्मन इस पर कोई रक्षात्मक कार्रवाई भी नहीं कर सकता है। आप अच्छी तरह से कल्पना कर सकते हैं कि ये हथियार कितने खतरनाक हो सकते हैं। आपको एक उदाहरण देता हूं, जापानी पंथ बोंटीलीनम और एन्थ्रेक्स का उपयोग करता है। 11 सितम्बर की हड़ताल के बाद एन्थ्रेक्स का भय विख्यात है। आप आने वाली चीजों के आकार और उनकी भयावहता की आसानी से कल्पना कर सकते हैं।

विधेयक में सैन्य हथियारों की चोरी और उनके राष्ट्र विरोधी तथा गैर-जिम्मेदार लोगों के हाथ में पड़ने के प्रति सुरक्षा प्रदान की गई है। माननीय मंत्री द्वारा यथा प्रस्तुत विधेयक व्यापक विनाश के हथियारों के संबंध में गैर-कानूनी कार्यकलापों को निषेध करने वाला एक संपूर्ण विधान है।

महोदय, व्यापक विनाश के खतरे का एक अन्य क्षेत्र विषैले तत्व पैदा करने वाले विद्यमान परमाणु और अन्य संयंत्र है। चेरनोबिल अथवा भोपाल गैस रिसाव की तर्ज पर किसी सुनियोजित षड्यंत्र से जनसंख्या को भारी नुकसान हो सकता है। आप इससे समाज पर पड़ने वाले भय की भलीभांति कल्पना कर सकते हैं।

समय की कमी है। मैं इस सम्माननीय सभा का ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि आम जनता आतंकवाद की परिभाषा अथवा इन खतरनाक हथियारों की परिभाषा को समझती है किंतु शिक्षित और सभ्य लोग, अर्थात् जनसंख्या का वह वर्ग जो पुलिसकर्मी बनता है, वास्तव में यह नहीं जानते कि यह मानव जीवन में कितना भय पैदा कर सकता है। आज मैं यह महसूस करता हूं कि ऐसे समय में जब भारत एक परमाणु हथियार सम्पन्न राष्ट्र के रूप में उभर रहा है, यह विधेयक बिल्कुल सही समय पर आया है। हम न केवल एक परमाणु हथियार सम्पन्न राष्ट्र अपितु एक विश्व शक्ति के रूप में उभर रहे हैं और संसार को यह दिखाने का सही समय है कि इन हथियारों का सही प्रकार से प्रयोग कैसे किया जाए।

[हिन्दी]

मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश की जो पुरानी गरिमा और महानता थी, वह यह थी कि हम सब लोगों को गाइड करते थे। वही समय अब आ रहा है और पूरी दुनिया की नजरें हम पर टिकी हैं। मैं समझता हूं कि यह बिल बहुत अच्छे समय पर लाया जा रहा है। न केवल हमारे देश की बल्कि पूरे संसार की मानवता की रक्षा के लिए यह बिल है, इसलिए मैं इसका अनुमोदन करता हूं। मैं इस विधेयक का पूरी तरह से समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

विदेश मंत्री (श्री के. नटवर सिंह): धन्यवाद महोदय। क्या मैं चर्चा में भाग लेने वाले और बहुमूल्य सुझाव देने वाले सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देने से अपनी बात शुरू कर सकता हूं? मैं उनमें से प्रत्येक सदस्य द्वारा विधेयक, जिसे मैंने आज पारित किये जाने हेतु सभा में प्रस्तुत किया है, को दिए गए समर्थन की भी भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं।

श्री रूपचन्द पाल ने इसकी तात्कालिकता के बारे में प्रश्न उठाया था और उन्होंने यह भी कहा था कि सुरक्षा परिषद् द्वारा गत वर्ष पारित किये गये संकल्प 1540 के कारण ऐसा हुआ है। संकल्प 1540 संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अध्याय सात के अंतर्गत एक अनिवार्य शर्त है। मैं चार्टर से विस्तार इसके बारे में पढ़कर सभा का समय नहीं लेना चाहता हूं किंतु हमारे पास इसे स्वीकार कर लेने और सुरक्षा परिषद् को हमारे द्वारा उठाये गये कदमों की रिपोर्ट देने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं है। अक्तूबर, 2004 में सुरक्षा परिषद को पहली रिपोर्ट दी गई थी और दूसरी रिपोर्ट शीघ्र ही भेज दी जाएगी।

संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय-सात के अंतर्गत संकल्प में उन राष्ट्रों से राष्ट्रीय नियमों और विनियमों को स्वीकार करने की अपील की गई है जिन्होंने इसे नहीं अपनाया है, ताकि उनकी परमाणु अप्रसार संबंधी वचनबद्धता का पालन करना सुनिश्चित किया जा सके। इसके अतिरिक्त, सभी राष्ट्रों के राष्ट्रीय विधिक प्राधिकारियों और अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप विधान के अनुसरण में परमाणु, रासायनिक और जैविक हथियारों और उनकी आपूर्ति के साधन तथा संगत सामग्रियों के गैर-कानूनी दुर्व्यापार को रोकने हेतु परस्पर सहयोगी कार्यवाही करने संबंधी खतरे से भी निपटा जाना है।

खंड 9, 15(1), (2) और (3) तथा 20 का उल्लेख किया गया है। जिन माननीय सदस्यों ने प्रश्न उठाए हैं यदि वे 9, 15 और 21 खंड को पूरी तरह से पढ़ लेते तो उनका यह भय दूर हो जाता कि इससे किसी भी प्रकार से संबंध नहीं है, रखने वाले मासूम लोगों के खिलाफ पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर कोई कार्यवाही की जाएगी।

मैं इस बात से बहुत खुश हूं कि श्री निखिल कुमार ने श्री ए.क्यू खान का नाम लिया है। वे हमारे पड़ोसी हैं हमारे लिए यह जरूरी है कि सरकार ने सभा के समक्ष जो विधान प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए। आज चर्चा में मैंने जो सुना है, उससे मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि मैं काफी प्रोत्साहित महसूस कर रहा हूं।

मैं श्री रूपचन्द पाल, श्री बंसल, श्री निखिल कुमार, डा. शांडिल्य, श्री राम गोपाल यादव, श्री सीताराम और श्री चन्द्रप्पन को धन्यवाद देता हूं। तत्पश्चात् इस विधेयक का समर्थन करने के लिए आप सबको धन्यवाद देता हूं।

मैं पुनः यह दोहराता हूं कि एक परमाणु हथियार सम्पन्न राष्ट्र के रूप में भारत अपनी सुरक्षा करने और सुरक्षा संबंधी जरूरतों तथा विकासात्मक लक्ष्यों को पूरा करने हेतु अपनी स्वायत्त वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमता को बढ़ाने के प्रति वचनबद्ध है। भारत एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्र है और रहेगा। हमने संवेदनशील और परमाणु तथा मिसाइल संबंधी प्रौद्योगिकियों के दोहरे प्रयोग पर सर्वाधिक जिम्मेदाराना नीति अपनायी है। हम यह सुनिश्चित करने के प्रति वचनबद्ध है कि ये हथियार गलत हाथों, विशेष रूप से आतंकवादियों और विदेशियों के हाथों में न पड़ जाए। इस संबंध में भारत का रिकार्ड त्रुटिहीन है और भारत व्यापक विनाश के हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए काम करता रहेगा।

मैं इस सम्माननीय सभा से इस विधेयक को पारित करने का अनुरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"सामूहिक संहार के आयुधों और उनकी परिदान प्रणाली के संबंध में विधिविरुद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: सभा अब विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से (2) विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 27 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र, उद्देशिका तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गए।

श्री के. नटवर सिंह: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.54 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

चीन के प्रधानमंत्री तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के बारे में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: सभा अब चीन के प्रधानमंत्री तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के बारे में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य के बारे में दिए गए बयान पर विचार आरंभ करेंगे।

माननीय सदस्यों इस बिषय पर चर्चा करने के लिए दो घंटे का समय आबंटित किया गया है।

श्री रूपचंद पाल (हुगली): माननीय प्रधानमंत्री ने अप्रैल में दो ऐतिहासिक यात्राओं-चीनी प्रधान मंत्री, श्री वेन जिआबाओ और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ के विषय में बयान दिया था। हम अपने महत्वपूर्ण पड़ोसियों के साथ संबंधों की दिशा में इसे एक बड़ा कदम मानते हैं। विश्व के लोग इस बात की परवाह नहीं करते कि आपके पास कितना सैन्य हार्डवेयर है।

आज लोग इस बात की चिंता नहीं करते कि कोई देश अपने रक्षा बजट पर का कितना खर्च करता है या दो देशों के बीच होने वाले शब्दों के युद्ध पर। बल्कि आज, इस नई सहस्राब्दी में, लोग इस बात में ज्यादा रुचि रखते हैं कि एक देश 21वीं सदी में सहस्राब्दी विकास लक्ष्य प्राप्त करने में विकास में देशों को कैसे भागीदार बनाता है। एशियाई देशों के लिए यह कुछ ज्यादा ही सही है। यह कहा जा रहा है कि यदि बीसवीं सदी विकसित देशों के लिए थी, तो वह यूरोप के देशों के लिए थी, तो इक्कीसवीं सदी एशिया के देशों के लिए है। यदि ऐसा है तो हमें पुरानी शत्रुता को भूलना होगा। पुरानी विचारधारा को बदलना होगा। पूरे विश्व में विशेषकर पाकिस्तान, चीन, भारत तथा ऐसे अन्य देशों के लोग इस बात के प्रति आशावान हैं कि एक दूसरे के साथ पुरानी शत्रुता भुलाकर हम कब उद्देश्यपूर्ण तथा अर्थपूर्ण सहयोग कर सकते हैं।

महोदय, मैं न केवल माननीय प्रधानमंत्री के बयान का स्वागत करता हूं बल्कि चीन तथा पाकिस्तान के राज्याध्यक्षों के भारत दौरे का भी स्वागत करता हूं। हम इस बात का थोड़ा गर्व महसूस करते हैं कि हम सभी ऐसा होने की हिमायत करते रहे हैं तथा हमें इन देशों के साथ अपने संबंध बनाने तथा बढ़ाने पर विचार करना चाहिए।

महोदय, पहले हम चीन के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के बारे में विचार करते हैं। बहुत वर्षों बाद, 1960 के उपरांत के युग में सबसे पहले स्वर्गीय राजीव गांधी ने पहल की। इतिहास इस बात का गवाह है। इसके बाद, विभिन्न अड़चनों के बावजूद हमने चीन के साथ संबंध सुधारने की दिशा में प्रगति की है। हमने सीमा मुद्दे पर विचार किया। साथ ही चीन ने सिक्किम को मान्यता दी। हमने चीन के विश्व परिदृश्य पर विचार किया और साम्राज्यवादी ताकतों के षडयंत्र का सामना करने में उसकी सहायता की। स्पष्टत:, हमारे संबंधों में बहुत सी गलत धारणाएं थीं। यह भारत का दायित्व था कि वह नायकत्व ताकतों का राजनीतिक साझेदार न बने जो चीन के विरुद्ध षडयंत्र रच रहे थे तथा गलत धारणाओं को दूर करें। अब, यह सरकार स्वतंत्र विदेश नीति और बहुध्रुवीय विश्व के लिए राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम की प्रतिबद्धता के अनुसार नायकत्व ताकतों के दबाव के आगे झुके बिना तथा एकपक्षीय विचार का साथ दिये बिना बहुत अच्छा काम कर रही है। अत: हम चीन के प्रधानमंत्री के इस दौरे के पहल का स्वागत करते हैं। इससे न केवल दोनों देशों के बीच संबंध सुधारने में कठिनाइयों को दूर करने में सहायता मिली है। बल्कि गंभीर गलत धारणाओं, जो कि संबंध सुधारने में बाधक थी, को भी दूर करने में सहायक हुई है।

पहला मुद्दा सीमा के बारे में है। इस मुद्दे का पहले ही एक समिति देख रही है। इस मुद्दे का मित्रतापूर्वक, शांतिपूर्वक तथा संतोषजनक तरीके से समाधान करने के लिए सरकार द्वारा आपसी विश्वास बनाने के उपाय भी किये गये हैं। चीन के प्रधानमंत्री की इस यात्रा ने प्रभावपूर्ण योगदान दिया है। हमने संभवत: सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और सीमा सहयोग के क्षेत्रों, विश्व व्यापार संगठन और द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र तथा भारत, चीन और रूस के बीच त्रिपक्षीय समझौते के क्षेत्र में ग्यारह समझौते किये हैं।

मुझे यकीन है कि चीन के साथ हमारे संबंधों में यह गुणात्मक सुधार और सुदृढ़ीकरण पंचशील के स्वीकृत दिशानिर्देशक पांच सिद्धांतों पर आधारित हैं। काफी लम्बे समय से ये दिशानिर्देशक सिद्धांत भारत और चीन दोनों के समग्र दीर्घावधिक हितों के संदर्भ में हमारे सीमा संबंधी सवाल सहित हमारी समस्याओं को हल करने तथा सीमा के दोनों ओर जनता का समस्याएं निपटाने और भारत सरकार को सिक्किम वाला वह ऐतिहासिक मानचित्र सौंपे जाने जो यह प्रदर्शित करता है कि सिक्किम भारत का एक हिस्सा है, काफी लम्बे समय से बने हुए हैं।

अपराह्न 3.59 बजे

[श्री वरकला राधाकृष्णन *पीठासीन* हुए]

अब और भ्रम की स्थिति नहीं रह गई है। मेरी समझ से सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात हमारी व्यापार संबंधी दूरदर्शिता है। हमारा व्यापार वर्ष 2010 तक 20 बिलियन का हो जाएगा। उदाहरणार्थ, मैं आपको साझेदारी का एक उदाहरण दूंगा जिस पर चीन के प्रधानमंत्री ने जोर दिया है। वे अपनी कड़ी मेहनत से मजबूत होते जा रहे हैं और साफ्टवेयर के क्षेत्र में हमारी अपनी भी मजबूत स्थिति है। यदि इस नई विश्व व्यवस्था और ज्ञान आधारित समाज में इन दोनों चीजों को मिला दिया जाए तो भारत और चीन सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुत प्रगति कर सकते हैं। चीन के कठोर श्रम और भारत की साफ्टवेयर में मजबूत स्थिति का समन्वय किया जाए तो आश्चर्यजनक परिणाम निकलेंगे। चीन के प्रधान मंत्री ने बंगलौर का दौरा करने का काफी सही निर्णय लिया था ताकि वे साफ्टवेयर के क्षेत्र में हमारे विकास की प्रत्यक्ष जानकारी हासिल कर सकें।

अपराह्न 4.00 बजे

श्री के. नटवर सिंह: दिल्ली में भी ...*(व्यवधान)*

श्री रूपचंद पाल: हां। दिल्ली और बंगलौर दोनों। हमने बंगलोर के अलावा अन्य अनेक राज्यों में भी साफ्टवेयर विकसित किया है। बंगाल पीछे नहीं है। आपको इसकी जानकारी अवश्य होनी चाहिए। हम इसका बहुत प्रचार नहीं कर रहे हैं। यह अलग कहानी है। चर्चाओं के दौरान यह कार्यसूची तैयार की गयी कि आखिर 21वीं शताब्दी में हम एक साथ मिलकर किस प्रकार से कार्य करेंगे।

मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री दो तीन चीजों के बारे में बताएंगे। ये व्यापार के तीन क्षेत्रों से संबंधित है। पहला सीमा व्यापार है। सरकार किस प्रकार से अवसंरचना विकसित करने पर विचार कर रही है? उदाहरणार्थ, इस नई सरकार की नीति 'लुक ईस्ट' है। भारत का पूर्वी भाग विभिन्न कारणों से पिछड़ेपन का शिकार है। मैं इस संबंध में विस्तार में नहीं जाना चाहता। पश्चिम बंगाल सरकार और पूर्वोत्तर के कुछ अन्य राज्यों की सरकारें सीमा व्यापार के विकास हेतु आवश्यक अवसंरचना का उत्सुकतापूर्वक इंतजार कर रही हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार चीन और भारत के बीच सीमा व्यापार किस प्रकार से विकसित करने पर विचार कर रही है। इसे कैसे किया जाएगा क्योंकि यह एक पुरानी बात है।

दूसरा, दोनों देशों ने संयुक्त उद्यम स्थापित किए जाने का प्रस्ताव किया है। सूचना प्रौद्योगिकी के अलावा संयुक्त उद्यम के अन्य क्षेत्र कौन से हैं जिनमें चीन और भारत साझेदारी कर सकते हैं तथा वैश्विक परिदृश्य में संयुक्त रूप से आगे बढ़ सकते हैं?

तीसरा, हम एक नए विश्व परिदृश्य में जी रहे हैं तथा विश्व व्यापार संगठन में चीन द्वारा देर से सदस्यता प्राप्त करने के बावजूद हमारा देश और चीन विश्व व्यापार संगठन स्तर पर एक दूसरे को पर्याप्त सहयोग दे रहे हैं। परन्तु वे काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उनके अपने हित के क्षेत्र है। यत्र तत्र, हो सकता है निजी हितों के मामलों में, हम एक दूसरे के आमने-सामने हों परन्तु यह अलग मामला है। विश्व व्यापार स्तर पर समानरूपता, साझापन और समान हित के क्षेत्र बड़े क्षेत्रों में से एक है जहां हम एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं। सरकार का विचार वर्ष 2008 तक 20 बिलियन अमरीकी डालर का लक्ष्य किस प्रकार से प्राप्त करने का है? वे कौन-से क्षेत्र हैं जिनमें हमारा व्यावसायिक समुदाय और उनका व्यावसायिक समुदाय आपस में सहयोग करने जा रहे हैं। सरकार किस प्रकार से अनेक राज्य सरकारों को इसमें शामिल करने का विचार कर रही है। हम प्रस्तावित आर्थिक प्रगति के बारे में जानना चाहते हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेषकर इस एक ध्रुवीय विश्व में किस प्रकार का सहयोग करने का विचार कर रहे हैं जहां कि, चीन के प्रधानमंत्री के अनुसार, हमारे ऊपर प्रभुत्वसम्पन्न देशों का दबाव होगा? द्विपक्षीय संबंधों के अलावा त्रिपक्षीय संबंधों के विरुद्ध अतार्किक, अवांछित दबाव देने वाले या ऐसा दबाव देने की संभावना वाले प्रभुत्वशाली शक्ति के विरुद्ध हम किस प्रकार विकास के क्षेत्र में, आर्थिक सहयोग और त्रिपक्षीय संबंध के क्षेत्र में कवच निर्माण कर पाएंगे?

समय की कमी है। मुझे ज्यादा समय नहीं लेने के लिए कहा गया है क्योंकि इस वाद-विवाद को दो घंटे तक यानि 6 बजे तक समाप्त किया जाना है।

इसलिए मुझे शीघ्रता से पाकिस्तानी राष्ट्रपति के दौरे का बयान करने दीजिए। यह ऐतिहासिक है। इतना तो हम कह ही सकते हैं। क्रिकेट मैच के आमंत्रण को ऐतिहासिक कूटनीतिक कार्यक्रम में बदल दिया गया है जिससे सीमा जोकि विवाद का कारण रही है, पर आवागमन को सुविधाजनक बनाने। लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने, यात्रा और पर्यटन, बस सेवाओं, इत्यादि के क्षेत्र में और सहयोग जैसे ऐतिहासिक घटनाक्रम हुए हैं। कल मैं यह पढ़ रहा था कि इस क्षेत्र में काफी प्रगति और विकास हुआ है। मैं इसके लिए सरकार को धन्यवाद देता हूं। बस सेवा, जैसे अमृतसर-लाहौर बस सेवा के क्षेत्र में व्यापक प्रगति हो रही है। मेरे विचार से पहले से ही तीन बस सेवाएं हैं।

उनके पास अपने तर्क और आशंकाएं हैं। व्यापक बातचीत में, वे कश्मीर को केन्द्रीय समस्या मानते हैं। राष्ट्रपति अपनी जनता

[श्री रूपचंद पाल]

अथवा सेना या इसे आप कुछ भी कहें, के प्रति जवाबदेह है। यह हृदय परिवर्तन है या मानसिकता में परिवर्तन है? मैं भाजपा के एक नेता द्वारा लिखे लेख को पढ़ रहा था जिसमें यह पूछा गया था और यह आशंका व्यक्त की गई थी कि क्या सच में हृदय परिवर्तन हुआ है या नहीं। मैं इसके विस्तार में नहीं जा रहा हूं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी मानसिकता नहीं बदली है। वे इस संबंध का उपयोग साम्प्रदायिक भावना को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। जब वे अपने निर्वाचन क्षेत्र में साम्प्रदायिक तरीके से जाते हैं, तो वे इस संबंध का उपयोग करना चाहते हैं। इस कपट और असंगति के कारण हमारे देश को काफी नुकसान हुआ है।

मैं इस सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाया है। क्रिकेट मैच को सीमा, नियंत्रण रेखा को अन्तर्राष्ट्रीय सीमा या खुली सीमा में बदलने, व्यापार में वृद्धि करने। ईरान से पाकिस्तान के माध्यम से भारत तक पाईपलाइन लाने, आर्थिक सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित कार्यक्रम में बदल दिया गया है। हम व्यापार कर रहे हैं परन्तु दुर्भाग्यवश यह व्यापार तीसरे देश दुबई के माध्यम से कर रहे हैं। अन्यथा, यह राजस्थान आदि जैसे राज्यों के माध्यम से तस्कर द्वारा कर रहे हैं। इसके कारण दोनों देशों को नुकसान हो रहा है। यह बेहतर होगा यदि हम एक दूसरे का सहयोग करें। हमारी संस्कृति एक है, भाषा संबंधी समानता है, महान विरासत हैं, लोगों की आकांक्षाएं हैं। कुछ लोग यह पूछते रहे हैं कि यह कैसे संभव हो सकता है। हमने आगरा शिखर सम्मेलन आयोजित किया और कारगिल युद्ध भी किया। उन्होंने पूछा आप यह कैसे विश्वास करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री के शब्दों में इन बातों से पीछे नहीं हटा जाएगा। इन बातों से पीछे हटा नहीं जाएगा क्योंकि यह एक नया विश्व है। लोगों के बीच संपर्क इतने समय में इस स्तर तक पहुंच चुका है कि पीछे लौटना न तो भारत सरकार और न ही पाकिस्तान सरकार के लिए संभव है। यहां भावनात्मक जुड़ाव है। हमने पर्यटन आतंकवादी हमलों के बावजूद केन्द्र पर लोगों को एक दूसरे से मिलते हुए देखा है। कोई राजनीतिक सत्ता, राजनीतिक शक्ति इन लोगों को कैसे अलग कर सकती है जो आर्थिक संबंधों को स्थापित करने के लिए इतने व्यग्र हैं?

माननीय प्रधानमंत्री ने विभाजन पूर्व के जुड़ाव के बारे में सही कहा है। इसका संदर्भ यहां मौजूद है। हम इसे क्रिकेट कूटनीति के बाद फिल्म कूटनीति कह सकते हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति 1950 के बालीवुड फिल्मों का संदर्भ देते रहे हैं। यह कहानी इस प्रकार थी। दो बच्चे बिछुड़ गए थे। इसके बाद, वे मिले और बीते समय को भूलकर प्रेमी बन गए। बीते समय को भूलकर वे एक दूसरे से मिले। यह बड़ा ही प्रेरक था कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति बालीवुड के फिल्म का संदर्भ दे रहे थे। यह भावनात्मक जुड़ाव का पुष्टि करता है। कोई भी लोगों के बीच संपर्क और लोगों की आकांक्षाओं को नकार नहीं सकता है।

हम यह शपथ ले रहे हैं क्योंकि हम हमेशा से दोस्ती, शांति प्रक्रिया का समर्थन करते रहे हैं। हम प्रगति में सहभागी बनें। आप सीमाओं के पहरे के लिए, सियाचीन पर सैन्य तैनाती हेतु रक्षा पर विशाल धनराशि व्यय कर रहे हैं। ये सब बातें यहां हैं। नई विश्व व्यवस्था और 21वीं शताब्दी के लोगों की नई सोच है। वे नई सहस्राब्दि के विकास लक्ष्यों की दिशा में, प्रगति में सहभागी होकर सहयोगपूर्ण तरीके से एक साथ आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। यह प्रतिबद्धता हमने की है। पाकिस्तान ने और अन्य सभी देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ में ऐसा किया है। मेरे विचार से इन बातों से पीछे नहीं हटा जाएगा।

कश्मीर की समस्या है। पहली बार, हमने सुना कि एक समाधान सम्भव है। पहली बार, हम यह सुन रहे हैं कि इसका समाधान सम्भव क्यों नहीं है। यदि यूरोप के दो देश सैकड़ों वर्षों से आपस में लड़ते हुए एक हो सकते हैं, वे एक मुद्रा का परिचालन कर सकते हैं और ऐसे अंतरों के बावजूद भी एक दृष्टिकोण रख सकते हैं तो हम इसका समाधान क्यों नहीं कर सकते? हमारी अपनी समस्याएं हैं। मैं समय की कमी के कारण केवल एक ही उदाहरण दे रहा हूं। केवल आज सुबह ही माननीय अध्यक्ष पानी का जिक्र कर रहे थे और उन्होंने इसे एक संवेदनशील मुद्दा माना है। कुछ लोग सोचते हैं कि भविष्य का युद्ध परमाणु और अन्य मुद्दों के कारण नहीं लड़ा जाएगा बल्कि पानी के कारण लड़ा जाएगा। इसलिए माननीय अध्यक्ष चाहते हैं कि वर्षा जल का संचयन किस प्रकार किया जाए और भूजल स्तर में किस तरह सुधार किया जाए इसके लिए एक संसदीय फोरम का गठन किया जाए। पानी एक समस्या है। इसलिए पाकिस्तान ने यह कहते हुए बांध में कुछ परिवर्तन किये जाने की मांग की है कि उन्हें पानी से वंचित किया जा रहा है। उन्होंने विश्व बैंक से सम्पर्क किया था। कल ही यह बात समाचार पत्रों में छपा था कि स्विटजरलैंड के इंजीनियर आ रहे हैं। हमें उन पर विश्वास करना चाहिए। यदि हम सिंधु जल संधि को देखें तो कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान का इसमें राजनीतिक हित है। निश्चित रूप से जम्मू और कश्मीर घाटी में उनकी रुचि है। लेकिन वहां चिनाब जल का मुद्दा है। उनके पास पानी की कमी है। पाकिस्तान की जल समस्या ऐसी है कि जल एक मित्रता को क्षेत्र हो सकता है।

दूसरे भाषण में मैं सहयोग का उल्लेख कर रहा था क्योंकि हमारे पास ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा की कमी है। शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए उनकी ओर हमारी ऊर्जा मिलकर सहायक हो सकती है। इससे हम दोनों की सहायता होगी, इसी प्रकार जल का मुद्दा भी है। यदि हम समान रणनीति और जल को बांटने की समान समझ

रख सके तो यह अच्छी बात होगी। यह कहा गया है कि श्री मेहता ने सुझाव दिया था कि भारत बांध के डिजाइन में परिवर्तन के लिए तैयार है। यह रविवार को समाचार पत्रों में छपा था। मैंने इसे देखा है इस पर विचार-विमर्श और बातचीत चल रही है। बताया जाता है कि सिंधु जल संधि के आयुक्त श्री डी.के. मेहता ने सुझाव दिया है कि भारत बांध के डिजाइन में परिवर्तन के लिए तैयार है।

यदि वे सहमत होते हैं तो यह हम दोनों के लिए अच्छा होगा। जल, ऊर्जा, सीमा व्यापार आदि जैसे परस्पर हित के क्षेत्र हैं। उनके पास अपना बाजार है, हमारे पास अपना और यदि हम अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार समझौतों के स्तर पर और द्विपक्षीय स्तर पर एक साथ काम कर सकें तो यह हम दोनों के लिए लाभकारी होगा।

अंत में, हमने देखा कि किस प्रकार अमेरिका के विदेश मंत्री यहां आए और उन्होंने हमें उपदेश दिया कि हमें क्यों पाकिस्तान के रास्ते ईरान से गैस पाइपलाइन लानी चाहिए और हमने देखा कि पाकिस्तान पर किस तरह से दबाव बनाया जा रहा है। जब भारत और पाकिस्तान के बीच शांतिपूर्ण समझ बढ़ रही है तो वे पाकिस्तान को एफ-16 लड़ाकू विमान देने की पेशकश कर रहे हैं। वे कहते हैं कि हम इसे माफ कर देने या उसे माफ कर देंगे और वे उन्हें विश्वास दिला रहे हैं कि पाकिस्तान उनके वैश्वीकरण की रणनीति में एक स्थायी देश है। इस तरह का खेल चल रहा है। हमें विश्वास है कि नई परिस्थिति में पाकिस्तान इस प्रकार के दबाव में नहीं आएगा। हमें इसके लिए सचेत रहना चाहिए। हम इसके प्रति सचेत हैं। एन.सी.एम.पी. में की गई प्रतिबद्धता के अनुसार हमारी स्वतंत्र विदेश नीति है। लेकिन पाकिस्तान को संकेत दिया जाना चाहिए कि उन्हें इस प्रकार के दबावों में नहीं आना चाहिए क्योंकि हम अमेरिका के दबाव में नहीं आ रहे हैं। हम एक स्वतंत्र नीति का अनुसरण कर रहे हैं। निश्चित रूप से पाकिस्तान की सेना और अन्य मजबूरियां हैं। प्रान्तों में उनकी अपनी समस्याएं हो सकती हैं और उनकी लोकतंत्र की समस्या भी है। मैं इस समय इस मुद्दे की विस्तारपूर्वक चर्चा नहीं कर रहा हूं क्योंकि बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में जब चीजें सुधर रही हों तो ऐसी आपत्तियां करना उचित नहीं है। लेकिन हमें अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए सतर्क ही नहीं रहना चाहिए बल्कि यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी तीसरा पक्ष उस शांति प्रक्रिया में बाधा न डाले जिसे हमने ईमानदारी से शुरू किया है।

चीन के साथ शांति प्रक्रिया को भी बनाए रखना चाहिए। रूस हमारा मित्र है और हम अन्य देशों के साथ नई मित्रता कर सकते हैं। पाकिस्तान के साथ शुरू की गई नई शांति प्रक्रिया सफल रही है और इसे कश्मीर और अन्य मुद्दों जैसे विवादपूर्ण मसलों के समाधान के उद्देश्य के साथ अनिवार्य बनाया जाना चाहिए।

यह शताब्दी एशिया की शताब्दी बनने जा रही है। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए और सहस्राब्दी विकास के लक्ष्य को दिमाग में रखते हुए, पर्याप्त सावधानी के साथ, अब हमने जो हासिल किया है और हमें जो अभी हासिल करना है, उसके लिए हमें ध्यान से आगे बढ़ना चाहिए।

महोदय, एक बार फिर मैं इस सरकार को प्रधान मंत्री को और विदेश मंत्री को पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध विकसित करने की नीति अपनाने के लिए बधाई देता हूं और समस्याओं के प्रति अतिराष्ट्रवादी रवैये के लिए नहीं, बल्कि प्रगति में भागीदार के रूप में और स्वतंत्र नीति पर चलने के लिए समान लक्ष्य वाले मुद्दों का समाधान करने की कोशिश करने के लिए, जिसकी हम लंबे समय से मांग और जिक्र करते रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि हम पाकिस्तान के साथ बेहतर संबंध बनाने और चीन के साथ सौहार्दपूर्ण बेहतर संबंध, न सिर्फ द्विपक्षीय ही, अपितु भारत, चीन और रूस के बीच त्रिपक्षीय संबंधों को बनाए रखने में भी इस नीति का अनुसरण करेंगे।

श्री के.एस. राव (एलूरू): सभापति महोदय, मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की अध्यक्षा सोनिया जी और अपने विदेश मंत्री श्री नटवर सिंह जी को भारत-चीन और भारत-पाकिस्तान के बीच परस्पर विश्वास का माहौल तैयार करने हेतु हार्दिक बधाई देता हूं। यह सिर्फ हमारी सोच नहीं है अपितु चीन के प्रधानमंत्री ने भी महसूस किया है कि इस दिशा में ऐतिहासिक प्रगति हुई है।

महोदय, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि वे दिन गए जब बाहुबल अथवा घोड़ों की संख्या या हाथियों की संख्या या परंपरागत हथियारों की मात्रा से शक्ति का पता चलता था। अब, कोई राजतंत्र, कोई देश कभी यह नहीं सोच सकता कि आज उनके पास जो हथियार है उनसे या बाहुबल से और किसी अन्य बल से किसी देश पर कब्जा कर सकते हैं। प्रत्येक राष्ट्र के नेताओं में यह बुद्धिमता है कि अधिक विकास, अपने राष्ट्र के लोगों की गुणवत्ता में सुधार लाकर ही वे अपने राष्ट्र को आगे बढ़ा सकते हैं और अपने अहम या अपने बल पर नहीं।

कुछ दशक पूर्व ही यह साबित हुआ है जब कुछ राष्ट्रों ने सोचा कि वे बहुत शक्तिशाली हैं। मजबूत राष्ट्र छोटे देशों के साथ कई वर्षों तक लड़े, लेकिन वे उनको जीत नहीं सके। हाल ही में, एक राष्ट्र जो अपने धन में, हथियारों में सबसे बड़ा समझा जाता है एक व्यक्ति से हिल गया। इसका मतलब है, यह स्पष्ट

[श्री के.एस. राव]

हो गया है कि कोई राष्ट्र, चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, चाहे उसके पास कितने भी हथियार क्यों न हों, वह इस समय अन्य देशों पर कब्जा जमाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। सबसे बड़ी जरूरत है सौहार्द, अच्छी समझ विशेष रूप से पास पड़ोस के राष्ट्रों के बीच।

यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कई दशकों से दो राष्ट्रों के बीच इस विश्वास की कमी थी चाहे यह चीन हो या पाकिस्तान आज, सिर्फ हम राजनीतिज्ञ ही नहीं, बल्कि लोग भी बहुत खुश हैं कि संबंधों में सुधार आया है। वे हमें समझ सकते हैं और हम उन्हें। वे यह समझ सकते हैं कि सीमा के उल्लंघन की हमारी कोई मंशा नहीं है या वे यह नहीं सोच सकते हैं कि वे कुछ ज्यादा कर सकते हैं। अपनी सादगी, विद्वता के कारण और अपनी सोच से हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जो भूमिका अदा की है, वह सराहनीय है। वे स्थिति में बदलाव लाए हैं। संभवत: वह नेताओं को भी उसी तरह से समझाएंगे।

अब, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का बड़ी तेजी से विकास हो रहा है, पूरे विश्व में वैश्वीकरण को स्वीकार किया जा रहा है और इसलिए अब हमें परस्पर सहयोग के प्रति और एक दूसरे की शक्ति बढ़ाने के प्रति ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। जैसा कि श्री रूपचन्द पाल हमें बता रहे थे कि यदि चीन और भारत खुले दिल से एक-दूसरे के करीब आ रहे हैं, विकास में एक-दूसरे के साथ सहयोग कर रहे हैं तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि ये दोनों राष्ट्र एक साथ 21वीं सदी में अपना प्रभुत्व कायम करेंगे और यह साबित करेंगे कि हम किसी अन्य राष्ट्र से अधिक योग्य हैं। ऐसी बात पूरे विश्व में फैल गई है। इसलिए, हमें संबंधों को और प्रगाढ़ करने की, जिसका उन्होंने निर्माण किया है, हमारे राष्ट्रों के बीच उन्होंने जो विश्वास कायम किया है, उसकी रक्षा करनी चाहिए और यह देखना है कि अन्य के द्वारा इसको बाधित नहीं किया जाना चाहिए। हमें अहम नहीं रखना चाहिए। नियमित अंतराल पर नेताओं को अवश्य एक-दूसरे के सम्पर्क में रहकर गलत धारणाओं के बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए यदि कभी ऐसा कुछ हुआ है, दूसरों के द्वारा ऐसी स्थिति उत्पन्न की गई है तो इसे स्पष्ट करना जरूरी है कि परस्पर सम्पर्क बनाए रखना, क्षमताओं, विश्वास, प्रौद्योगिकी तरक्की, संसाधनों और अन्य सभी बातों का आदान-प्रदान करते रहना आवश्यक है।

और वह हमें यह बता रहे थे कि यदि चीन और भारत एक-दूसरे के साथ पूर्ण सहयोग करते हैं, तो दोनों राष्ट्र पश्चिमी देशों की तुलना में बहुत ही सस्ते दर पर सामानों का निर्माण कर सकते हैं। इसका कारण श्रमशक्ति लागत कम होना है और हमारे यहां मूल्य हैं, परम्पराएं हैं। हम रात-दिन काम करने वाले हैं और हमारे यहां, मेहनती, अनुशासित और संवेदनशील लोग हैं और इससे भी बढ़कर सबसे बड़ा लाभ भाषा सम्पर्क का है, जिसका उनके यहां अभाव है। वे भी अनुशासित और मेहनती हैं। इसलिए, यदि ये दो राष्ट्र एक साथ आ जाएं, तो न केवल इन दो देशों के परस्पर लाभ के लिए काम कर सकते हैं बल्कि तीसरी दुनिया के देशों के लाभ के लिए भी काम कर सकते हैं।

महोदय, उन्होंने जो कुछ कहा है उसे मैं दुहराना नहीं चाहता हूं। हमारे प्रधानमंत्री यहां एक वक्तव्य देने वाले हैं। कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहता हूं कि हमने जो संबंध बनाए हैं और दोनों देशों के बीच जो विश्वास बना है वह मात्र दो दिन टिकने वाला नहीं है, इसे आने वाली पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। हमारा एक इतिहास है। जब एक राज्य के राजा ने सुना कि दूसरा राजा उस पर आक्रमण करने जा रहा है; मात्र अफवाहों से ही युद्ध हो जाया करते थे। आज वैसी स्थिति नहीं है और न ही उस प्रकार की सोच है। हमें उनके पास शिष्टमंडल भेजना है। हमें उनके साथ बातचीत करनी चाहिए और हमें अपने उद्योगपतियों को उनके पास भेजना चाहिए। हमें अपने नागरिक भी उन देशों में भेजने चाहिए। हमें पर्यटन को भी बढ़ावा देना चाहिए। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि शिष्टमंडल में छोटे शहरों से भी बड़ी संख्या में कई भारतीय चीन जा रहे हैं। उसी प्रकार, चीनी यहां आ रहे हैं। हमें उन्हें भी उत्साहित करना चाहिए। इस समझदारी और संस्कृति के आदान प्रदान से हमें बड़ी सहायता मिलेगी। जाति, धर्म और क्षेत्र की सीमाएं मिट जाएंगी। लोग कहीं भी जाने और रहने को तैयार हैं। लोग किसी भी देश के नागरिक के साथ विवाह करने को तैयार हैं। इस प्रकार की सोच से देशों के बीच की सीमाएं भी मिट रही हैं जो मानव जाति के लिए एक अच्छा संकेत है।

मैं गर्व से कह सकता हूं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हम अन्य दो देशों से बहुत आगे हैं। हम कुछ प्रौद्योगिकियों, विशेषत: भेषज, सूचना प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य परिचर्या से जुड़ी प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण कर सकते हैं। इन क्षेत्रों में जहां हमारी स्थिति अच्छी है, हम कुछ लोगों को चीन और पाकिस्तान में उद्यम खोलने को प्रोत्साहित भी कर सकते हैं और हम उन लोगों को यहां आने और उन क्षेत्रों में काम करने को आकर्षित कर सकते हैं जिनमें वह बेहतर हैं, जिससे नागरिकों के बीच संबंध स्थापित होंगे, सौहार्द भी स्थापित होगा।

हमारे देश में लोकतंत्र है। चीनवासियों ने भी अपना दृष्टिकोण बदला है। अत: भारत या चीन अथवा पाकिस्तान या भारत, इनके साझा प्रयासों से इन देशों के लोगों का जीवनस्तर पहले ही सुधर रहा है। यदि यही लक्ष्य हैं तो मुझे विश्वास है कि वर्तमान विचारधारा के साथ और आपके नेतृत्व में संबंध सुदृढ़ होंगे और दोनों देश सम्पन्न होंगे।

यदि हम गत कुछ दशकों में बजट प्रावधान को देखें तो हम पाएंगे कि रक्षा बजट पर हजारों करोड़ रु. खर्च किये गये हैं। किसलिए इन्हें खर्च किया गया? क्या चीन हमें किसी समय जीत सकता है या हम चीन पर विजय पा सकते हैं या पाकिस्तान हम पर जीत दर्ज कर सकता है? ऐसा नहीं है। ऐसा मात्र विश्वास के अभाव के कारण है। केवल विश्वास की कमी के कारण हम रक्षा पर आज आसूचना, देश का संसाधन और लोगों को लगाए हुए हैं। इन्हें हम विकास की ओर मोड़ सकते हैं। शीघ्र ही एक दशक के भीतर हमारा देश और ये दोनों देश दुनिया के अधिकांश विकसित देशों के साथ स्पर्धा कर सकते हैं ऐसा ही विचार उन देशों का भी होगा। मुझे विश्वास है कि वे लोग भी इसी प्रकार बदलेंगे। जम्मू और कश्मीर के बारे में गलतफहमी या कुछ अन्य लंबित मामले हमारे आड़े नहीं आयेंगे। जैसाकि आपने कहा जिस दिन समझदारी बढ़ेगी एक दूसरे को समझने के लाभ का पता लोगों और देशों को चलेगा आर्थिक विकास में एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे, उस दिन सभी मतभेद मिट जायेंगे। उन मुद्दों पर चर्चा करने की न तो जरूरत होगी और न कोई अवसर होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह दिन बहुत शीघ्र आयेगा जब वे इन सब मामलों को भूल जायेंगे और इस बात पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि इन दोनों देशों के बीच सहयोग से समय के साथ कैसे सम्पदा बढ़ायी जाय और लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया जाय।

इस विषय पर मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं किन्तु महोदय, मुझे बड़ा हर्ष और गर्व है कि आपके नेतृत्व में हम संपन्न होंगे। विशेषकर, भारत और पाकिस्तान जिनके साझा हित हैं, जो भाई-भाई हैं, जिन्होंने आजादी की लड़ाई साथ साथ लड़ी है, जिनकी भाषागत सोच, संस्कृति, आनुवांशिकी, वेषभूषा, क्षमताएं समान हैं और सभी संदर्भों में हम एक हैं अत: अलग-अलग तरीके से सोचने का कोई कारण नहीं है। हमारी कार्य प्रणाली भी समान है।

यदि हम खाड़ी देशों में जाएं और देखें तो समूचे खाड़ी देशों के विकास के लिए मात्र भारतीय और पाकिस्तानी जिम्मेदार हैं। हो सकता है कि उनकी सम्पदा का कारण तेल हो, किंतु उन्हें संपन्न राष्ट्र बनाने वाले मात्र यही दो देश हैं। इनके कठिन परिश्रम, स्वभाव, इनका कौशल और इनकी क्षमताओं के कारण ही वे संपन्न हैं। जब उन राष्ट्रों के विकास के लिए वे जिम्मेदार हैं तो क्यों नहीं हम उन्हीं क्षमताओं, वही ज्ञान, उसी कठिन परिश्रम को अपने देश में लाएं और इस देश को एक बेहतर स्थिति में ला खड़ा करें?

जैसाकि मेरे मित्र ने कहा, पानी भी बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। मुझे विश्वास है कि देशों से होते हुए जो पानी व्यर्थ में समुद्र में चला जाता है उसे भी दोनों देशों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। महोदय, मुझे विश्वास है कि कुछ दिन पूर्व जैसाकि आपने एक वक्तव्य में कहा था, आप भी इन मुद्दों को ले सकते हैं। यदि आप इनमें से कुछ मुद्दों को उठाते हैं जो उस पर साझा बातचीत हो, एक दूसरे को समझें कुछ परियोजनाएं बनाएं, इस प्रकार का सौभाग्य, एकता और समझदारी कई तरह से कारगर सिद्ध होगी। उन्हें यह भी महसूस होगा कि उन्हें सभी लंबित मामलों को भूलकर दूसरे तरीके से सोचना चाहिए जिससे दोनों देशों में संपन्नता आये।

एक बार पुन:, मैं संबंध स्थापित करने और सही समझदारी बनाने के लिए प्रधान मंत्री, श्री नटवर सिंह, श्रीमती सोनिया गांधी और हमारे साथ सहयोग करने वाले संप्रग के सहयोगी दलों को भी बधाई देता हूं।

[हिन्दी]

प्रो. राम गोपाल यादव (सम्भल): सभापति जी, माननीय प्रधान मंत्री जी का जो स्वयमेव स्टेटमेंट चाइनीज प्रीमियर और पाकिस्तान के प्रेसीडेंट की यात्रा के संबंध में आया और जो बातें माननीय रूपचंद पाल जी ने तथा अन्य माननीय सदस्यों ने कहीं, वे ठीक हैं कि रिश्ते जितने अच्छे हों उतना ठीक रहता है। उनकी इन बातों का कोई विरोध नहीं कर सकता है, लेकिन जब भी समझौते होते हैं तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखी जाती है कि जिस पक्ष से आप समझौता कर रहे हैं उस पर कितना विश्वास किया जा सकता है या उसका जो अतीत होता है उससे भी उसकी नीयत का अंदाजा लगाया जा सकता है। जो वार्ता चल रही है वह अच्छी है और रिश्ते सुधरें, इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती है। लेकिन माननीय प्रधान मंत्री जी जिन दो चीजों के संबंध में यहां चर्चा चल रही है, मैं माननीय सभापति जी के माध्यम से पूरे सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि इन दोनों देशों के द्वारा हमारे पहले प्रधान मंत्री जी दो बार छले गये। पंडित जवाहर लाल नेहरू उस वक्त दुनिया के सबसे बड़े राजनेताओं में से एक थे। वे एक निश्चल और उदार मन के व्यक्ति थे। जब हमारे देश में चाउमिन-लाई आये थे, उस वक्त में छठी क्लास में पढ़ता था और सारे देश में हिंदी-चीनी भाई-भाई के नारे लग रहे थे। उसके कुछ दिनों बाद हम कभी नहीं भूल सकते, पंडित नेहरू का वह राष्ट्र के नाम संदेश जिसमें उन्होंने बहुत भरे मन से कहा था:

[अनुवाद]

"मित्रों और देशवासियों, मैं आपसे आकाशवाणी से बोल रहा हूं। इस आपातकाल की घड़ी में जब हमारे पड़ोसी देश ने हम पर निर्लज्ज होकर हमला किया है"

[प्रो. राम गोपाल यादव]

[हिन्दी]

पंचशील की बातें हुई, समझौते हुए और उसके बाद हमारे देश पर न केवल आक्रमण हुआ बल्कि आज भी हिन्दुस्तान की 38 हजार वर्ग किलोमीटर जमीन चीन के कब्जे में है। हमारे सारे धर्म ग्रंथों में कैलाश और मानसरोवर की चर्चा है। क्या वह हमारी जमीन पर है? अब हमारे लोग वहां जाते हैं तो वहां से मिट्टी, बालू और पानी लाते हैं। आज वह हमारे पास नहीं है। ऐसा केवल हिनदुस्तान के साथ नहीं है। मैं यह नहीं कहना चाहता कि आप समझौता न करें, अच्छी बात है लेकिन यह चेताना चाहता हूं कि किसी देश का कैरेक्टर कैसा रहा है? जिस वियतनाम ने चीन के साथ मैजर ट्रीटी पर साइन किए, उसने भी उस दिन आक्रमण किया, जिस दिन हमारे विदेश मंत्री वहां थे। यह स्थिति रही है इसलिए कहना चाहता हूं कि जिस दिन आप समझौता करें, हमारे देश की सीमाओं और जमीन की कभी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। जिस दिन तिब्बत पर आक्रमण किया था, चीन ने उसे अपने कब्जे में लिया था। हमें याद है कि डाक्टर लोहिया ने कहा था कि शिशु हत्या है। उस समय हिन्दुस्तान ने ठीक तरीके से उसका विरोध किया होता तो एक बफर स्टेट बीच में होता और यह संकट नहीं होता।

आदरणीय नटवर सिंह जी यहां बैठे हैं जो बहुत विद्वान और विदेश नीति के जानकार हैं। सारी दुनिया जानती है कि जब किसी देश का मामला होता है तो विदेश नीति का अर्थ होता है सर्वोपरि नेशनल इंटरस्ट। जब नेशनल इंटरस्ट ही सर्वोपरि होता है तो सिद्धांत और सारी चीजें नेपथ्य में चली जाती हैं। जब बांग्लादेश के लिबरेशन की बात चल रही थी, तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान था, सारा साम्यवादी जगत जानता है, हम सबने उसे पढ़ा भी है, सिद्धांत यह कहता है कि जब भी जन आंदोलन सत्ता के खिलाफ हो तो साम्यवादी सत्ता का विरोध करेगा, जन आंदोलन का समर्थन करेगा। याहिया खां के नेतृत्व वाली सरकार का जब समर्थन चाइना संयुक्त राष्ट्र संघ में कर रहा था, उस समय डिक्टेटर गवर्नमैंट का कर रहा था, वह पीपुल्स रैवोल्यूशन के खिलाफ, जनता के आन्दोलन के खिलाफ उसका साथ दे रहा था। इसलिए चेतावनी के साथ बताना चाहता हूं कि जब-जब चीन ने किसी के साथ अच्छे रिश्ते किए हैं तब-तब लोगों को खतरा हुआ है, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है।

पाकिस्तान के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। पाकिस्तान और हिन्दुस्तान की सारी जनता चाहती है कि एका हो, समझौता हो। भले ही रोज आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं तब भी उतना अविश्वास नहीं है, जितना उधर है। जहां तक अविश्वास और विश्वास का सवाल है, एक व्यक्ति का विश्वास जीतना बहुत मुश्किल होता है। हमारे सामने एक देश के विश्वास जीतने में बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। जब मैं पॉलिसी की बात कर रहा था, जनरल वाशिंगटन ने एक बार कहा था, हम उसे अपना सिद्धांत नहीं मान सकते। मैं जनरल वाशिंगटन को उद्धृत कर रहा हूं और उन्होंने कहा है:

[अनुवाद]

> "युद्ध के लिए तैयार रहना, शांति बनाए रखने के सबसे अधिक प्रभावी साधनों में से एक है।"

[हिन्दी]

जिस दिन दो लोगों को लगेगा कि हिन्दुस्तान कमजोर है, आप चाहे कितनी बात करते रहिये, चाहे जितने समझौते करते रहिए, आप सुरक्षित नहीं रह सकते। अपने को मजबूत बनाइए फिर चाहे जितने समझौते करिए, सब मानेंगे। अगर आप कमजोर रहे तो आपकी कोई बात मान नहीं सकता। आपके प्रयास अच्छे हैं, हिन्दुस्तान और चीन में अच्छे रिश्ते हों, पाकिस्तान और हिन्दुस्तान में अच्छे रिश्ते हों, यह सभी चाहते हैं। हमारे तमान मित्रों का एक भाई यहां और दूसरा भाई पाकिस्तान में है। मुझे मालूम है कि लोगों पर उस समय क्या बीतती है, जब एक भाई की मौत पाकिस्तान में होती है तो दूसरा सगा भाई वहां जा नहीं पाता था। आपने थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया। मैं माननीय विदेश मंत्री और प्रधान मंत्री को बधाई देना चाहता हूं, इसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन हुआ है, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और विदेश मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, इसके लिए आपको हमेशा याद रखेंगे। इसके साथ ही आपको धन्यवाद भी देना चाहता हूं। कई घटनाएं ऐसी हैं कि किसी एक की मौत हो जाती है और उसकी डेड बॉडी तक नहीं जा पाता है, इसमें वीजा आदि की दिक्कतें होती हैं। इनको आपने रिलैक्स किया है, यह बहुत अच्छी बात है। मैं यहां पर और भाषण नहीं दूंगा कि क्या प्रगति होगी और क्या प्रगति नहीं होगी। मैं जानता हूं कि अगर मन शांत होता है तो सबकी प्रगति होती है, अगर मन शांत नहीं है तो परिवार ठीक से नहीं चल सकता, देश कैसे ठीक चल सकता है। अगर मन ठीक हो, अगर ठीक तरीके से व्यवस्था करें, अगर अपने को सामरिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और हर दृष्टि से ताकतवर बनाएं, तो पड़ोसी भी ठीक से बात करेंगे वरना कोई ठीक से बात नहीं करेगा।

सभापति महोदय, मैं इतना ही बोलना चाहता हूं। आपने मुझे बोलने की इजाजत दी, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय सदस्यगण, इस चर्चा के लिए दो घंटे का समय निर्धारित किया गया है। इसके बाद माननीय सदस्यगण जो बोल रहे हैं वे अपने आपको पांच-छः मिनट तक सीमित रखें

तो ठीक है ताकि कई माननीय सदस्य इस चर्चा में भाग ले सकें और माननीय प्रधानमंत्री को भी जवाब देना है। इस कार्यवाही को आज पूरा कर लेना है।

अब श्री हन्नान मोल्लाह बोलेंगे।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): सभापति महोदय, धन्यवाद। मैं संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री का अपने पड़ोसी देशों विशेषकर दो महत्वपूर्ण पड़ोसी देशों-चीन और पाकिस्तान के साथ संबंध बढ़ाने के उनके प्रयास की प्रशंसा और धन्यवाद ज्ञापित करने में अपने पूर्व वक्ताओं के साथ अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

अपने मित्र प्रो. राम गोपाल यादव द्वारा पुरानी कहानियों का उल्लेख करने के बावजूद मैं कहना चाहूंगा कि हमें भविष्य पर जोर देना पड़ेगा और 21वीं सदी में एक नए विश्व का निर्माण करने की कोशिश करनी पड़ेगी और अब भी इसके लिए स्थिति अनुकूल है। इस सरकार के प्रयासों से पाकिस्तान के साथ हमारा संबंध सुधर रहा है, 9/11 के बाद स्थिति में काफी बदलाव आया है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने स्वयं कहा-"पिछली बार, 2001 में जब मैं आया था, तो कटुता की स्थिति थी, हम एक-दूसरे को मार रहे थे; लेकिन अब शांति और मित्रता का माहौल है," स्थिति में गुणात्मक परिवर्तन आया है, हमें इसका उपयोग करना है। यह ऐसी स्थिति है जिसमें दोनों देशों ने स्पष्ट कर दिया है कि नियंत्रण रेखा समस्या के स्थायी समाधान का आधार नहीं बन सकता और सीमा दुबारा खींचने का भी प्रश्न नहीं है। दोनों देश सहमत हो गए हैं। अब प्रश्न यह है कि हम दोनों देशों के बीच संबंधों का निर्माण कैसे करें जिसमें सीमा ऐतिहासिक भूमिका निभाए।

प्रत्येक देश के लोगों का एक दूसरे के यहां पहुंच आसान करना प्रमुख समस्या है जिसे सरकार ने उठाया है। श्रीनगर-मुजफ्फराबाद बस मार्ग इसका सबूत है। ये सही दिशा में उठाए गए सकारात्मक कदम है। मैं पाकिस्तान के राष्ट्रपति की स्वीकारोक्ति की बात को भी मैं महत्व देता हूं जब उन्होंने कहा कि हमारी समस्या का कोई सैन्य समाधान नहीं है, यदि हम सब इन चीजों को स्वीकार करें, तो इससे बेहतरी आएगी। उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया कि विवाद प्रबंधन से हमें विवाद समाधान की ओर अग्रसर होना चाहिए।

इस सोच के कुछ बहुत ही सकारात्मक पहलू हैं। यदि हमारी सही सोच है, तो हमें यह सही रास्ते पर ले आएगी। उन्होंने छोटे देशों की तुलना में उदारता बरतने के लिए भी हमें उद्‌बोधित किया।

मैं समझता हूं, हमारे पास पर्याप्त शक्ति है और हमें अपने पड़ोसी देशों के साथ उदारता दिखाने की क्षमता है ताकि भारत से हमारे पड़ोसी देशों को कोई भय न रहे और हम बराबर उनके दोस्त रहें तथा उनके साथ अपनी मित्रता को सुदृढ़ करें। इसका सही संकेत दिया गया है। मुझे आशा है, इससे हमें मदद मिलेगी।

मेरे मित्रों ने अन्य समस्याओं का उल्लेख किया। मैं उन पर नहीं जा रहा हूं। मुझे खुशी है कि हम अपनी मूल स्वतंत्र विदेश नीति पर लौट आए हैं। हमें कुछ समय पहले इस नीति से हट जाने का भय था लेकिन जब भारत-ईरान-पाकिस्तान तेल पाइपलाइन का प्रश्न आया तो हम सब एकमत हो गए, और अमेरिकी आपत्तियों को दरकिनार कर दिया, यह हमारी स्वतंत्र विदेश नीति का संकेत था। मैं समझता हूं। हमारी सरकार भी इससे सहमत है कि समस्या के समाधान के प्रति हमें जन-केन्द्रित रवैया अपनाना चाहिए क्योंकि दोनों देश भारत और पाकिस्तान के लोग आगे आए हैं और इसलिए, सरकार पीछे नहीं हट सकती। कई प्रतिनिधिमंडल वहां जा रहे हैं। परसों 33 संसद सदस्यों और बड़ी संख्या में पत्रकारों का एक प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान जा रहा है। सौभाग्यवश, मुझे भी वहां जाने के लिए कहा गया है, हम वहां दोस्ती का संदेश लेकर जा रहे हैं और वे भी ऐसा ही संदेश ला रहे हैं। इस तरह से, हम आशा करते हैं कि स्थिति में सुधार हो रहा है और जन-केन्द्रित रवैये से सही निष्कर्ष पर पहुंचने में सरकार को मदद मिल रही है। जैसा कि कहा गया है कि इस शांति प्रक्रिया को वापिस नहीं किया जा सकता है, मैं समझता हूं, हम अपने प्रयास से वहां तक पहुंचेंगे।

वहां अवरोधक हैं और वे रहेंगे। हमें सावधान रहना पड़ेगा। हमारी अपनी स्वीकार्य नीति है और अपनी मूल समस्या का समाधान करने हेतु इस स्वीकृत नीति को कैसे बनाए रखना है इस बारे में संसद के निर्देश हैं। हमें उस आधार पर उनका समाधान करना चाहिए, लेकिन हमें शांति प्रक्रिया और आर्थिक, सांस्कृतिक और अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने में पीछे नहीं रखना चाहिए।

मैं चीन के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। चीन के साथ संबंध सुधारने के हमारे प्रयास के संबंध में यह पहले ही कहा जा चुका है कि यह ऐतिहासिक प्रयास है और चीन के साथ हमारे संबंध बढ़ने के साथ ही हम नये युग में प्रवेश कर रहे हैं। ये ग्यारह समझौते और अन्य सभी चीजों के प्रति साहस और राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। मैं आशा करता हूं कि हमारी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार तथा माननीय प्रधान मंत्री ने साहस बटोरा होगा तथा राजनैतिक इच्छाशक्ति हासिल की होगी। हमें आशा है कि हम उस मजबूत राजनैतिक इच्छाशक्ति के साथ नाक में दम करने वाले देशों से निपट सकेंगे। अत: चीन के साथ 'प्रतिद्वन्द्वी न होकर सहभागी" होने का नारा सत्यनिष्ठा के साथ लागू हो सकेगा तथा इस प्रकार हमारे संबंधों में भी सुधार होगा। कुछ और भी बातें हैं। मुक्त व्यापार के संबंध में मैं जानना चाहता

[श्री हन्नान मोल्लाह]

हूं कि यह किस दिशा में जा रहा है। सीमा के मुद्दे के संबंध में मेरे विचार से प्रगति हुई है। अब स्थिति क्या है? ऊर्जा क्षेत्र के संबंध में प्रगति की दिशा क्या है? ऊर्जा क्षेत्र के संबंध में हमारे त्रिपक्षीय संबंध भी सहायक होंगे। चीन, पाकिस्तान, रूस तथा अन्य पड़ोसी देशों के साथ ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग में सुधार लाने की रूपरेखा क्या है?

चीन को सार्क के एक पर्यवेक्षक का दर्जा मिलने की संभावना है। इस संबंध में हमारा क्या विचार है। हमारे संबंधों में सुधार लाते समय इन पड़ौसी देशों में परमाणु सहयोग के मामले को भी हमें ध्यान में रखना होगा।

अन्त में मेरे विचार से सरकार ने सही दिशा अपनाई है तथा प्रधान मंत्री जी द्वारा इन दोनों पड़ौसी देशों के बीच लम्बे समय से चली आ रही समस्याओं को सुलझाने के लिए सही पहल की गई है। हमारी आशा है कि स्थिति में सुधार होगा। इस संदर्भ में मैं यह कहना चाहूंगा कि एक ताकतवर, अग्रगामी तथा प्रगतिशील देश के रूप में भारत को हमारे पड़ोसी देशों के संबंध में अधिक संभलकर कदम उठाने होंगे। हम जानते हैं कि नेपाल के साथ थोड़ी समस्या है। हमें इसे ध्यान में रखना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वहां लोकतंत्र बहाल हो। यह हमारा पड़ौसी देश है तथा यदि वहां लोकतंत्र मजबूत होगा तो इससे हमें अपना राष्ट्रीय हित भी बेहतर तरीके से साध सकेंगे। परन्तु यदि हम उन्हें हथियार देते हैं तो इससे समस्यायें उत्पन्न हो जाएंगी क्योंकि वहां अराजनैतिक बल सक्रिय हैं। अत: हमें इस बात पर जोर देना होगा कि वहां लोकतंत्र की बहाली हो।

दूसरी बात यह है कि बांग्लादेश एक अन्य महत्वपूर्ण देश है जिससे हमारी सीमाएं लगी हुई हैं। हम जानते हैं कि बांग्लादेश में भी समस्याएं हैं क्योंकि वहां कट्टरपंथी बल सक्रिय हैं। यदि वे सक्रिय रहते हैं और अधिक आक्रामक हो जाते हैं, तो इससे विशेष तौर पर हमारे पूर्वी क्षेत्रों के लिए समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। अत: हमें ऐसा नहीं होने देना चाहिए।

जब हम ऐसे देश की सरकार के साथ संबंध बना सकते हैं जहां लोकतंत्र नहीं है, तो ऐसे देश की सरकार के साथ मित्रता क्यों नहीं कर सकते जहां लोकतंत्र विद्यमान है? बांगलादेश में लोकतंत्र है हालांकि यह वहां सक्रिय अराजनैतिक बलों के दबाव में है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे सही नीति अपनाएं हमारी सरकार को ठोस तथा सकारात्मक कदम उठाने चाहिए तथा हम उनके साथ अच्छे मैत्रीपूर्ण संबंध भी स्थापित कर सकें। इस उपाय से सम्पूर्ण क्षेत्र 21वीं सदी में एक नई दिशा की ओर मुड़ सकेगा।

इन शब्दों के साथ, मैं सरकार की इस नीति का समर्थन करता हूं।

अपराह्न 4.52 बजे

राज्य सभा से संदेश
और
राज्य सभा द्वारा यथापरित विधेयक

[अनुवाद]

सभापति महोदय: इस मुद्दे पर अगले वक्ता को आमंत्रित करने के पहले मैं महासचिव से राज्य सभा से प्राप्त एक संदेश सूचना देने के लिए कहूंगा।

महासचिव: महोदय मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना सभा को देनी है:

मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि 10 मई 2005 को हुई लोक सभा की बैठक में लोक सभा द्वारा पारित विशेष आर्थिक जोन विधेयक, 2005 को 11 मई, 2005 को हुई राज्य सभा की बैठक में राज्य सभा द्वारा निम्नलिखित संशोधनों के साथ स्वीकृत किया गया है:-

खण्ड-3

1. पृष्ठ 4 पर 24 से 26 पंक्तियों के स्थान पर निम्नलिखित लिखा जाए।

"बशर्ते कि केन्द्र सरकार

(क) संबद्ध राज्य सरकारों के परामर्श करने के बाद;

(ख) बोर्ड की विशेष आर्थिक जोन की स्थापना के लिए प्रस्ताव को दिए बिना; तथा

(ग) तेल की पहचान करने के बाद

विशेष आर्थिक जोन की स्वत: स्थापना तथा अधिसूचना"

खण्ड 49

2. पृष्ठ 20 पर 45वीं पंक्ति के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाए:

"बशर्ते कि इस भाग में विनिर्दिष्ट बातें केन्द्रीय अधिनियम के किसी सुधार अथवा इसमें बनाए गए किसी नियम का विनियम

अथवा किसी अधिसूचना अथवा इसके तहत जारी आदेश या निदेश का योजना के किसी सुधार के लिए तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि वह सुधार, नियम, विनियम, अधिसूचना, आदेश, अथवा निदेश या योजना, मजदूर संघों, औद्योगिक तथा श्रम विवादों, श्रम कल्याण जिसमें किसी विशेष आर्थिक जोन में कार्य करने की परिस्थितियां, भविष्य निधि, नियोक्ता की देयता, कार्मिकों को मुआवजा अवैधता तथा बुढ़ापे में पेंशन तथा प्रसूति संबंधी लाभ शामिल हैं, से जुड़े मामलों से संबंधित न हो।''

महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा संशोधनों सहित लौटाए गये विशेष आर्थिक जोन विधेयक 2005 को सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 4.53 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

चीन के प्रधानमंत्री तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के बारे में माननीय प्रधान मंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य—*जारी*

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़): आदरणीय सभापति जी, चीन के प्रधान मंत्री तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा हाल ही में की गई भारत यात्राओं ने एक चीज स्पष्ट तौर पर सिद्ध की है कि आज अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हिन्दुस्तान की कद्र और इज्जत बढ़ी है। हिन्दुस्तान की नीति हमेशा दोस्ती और शांति की रही है। जब हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उस वक्त से ही हम अपनी विदेश नीति के बारे में जिक्र करते रहे और उसके बाद आजाद भारत ने जो रास्ता अख्तियार किया, उसका मैं ज्यादा जिक्र नहीं करना चाहता। लेकिन हाल ही में जब माननीय प्रधान मंत्री जी बानडुंग में 50वीं वर्षगांठ में शामिल होने के लिए गये तो एशियन लीडर्स ने उन्हें एशिया की आवाज का खिताब दिया। जब बहुत से सम्पादकों ने अपने सम्पादकीय लिखे तो उन्होंने बल देते हुए यह बात कही-

[अनुवाद]

''उन्होंने न केवल इतिहास फिर से रचा है, बल्कि प्रधानमंत्री जी ने इतिहास रचा है।''

[हिन्दी]

इसी संदर्भ में मैं इन दो यात्रायों का जिक्र करना चाहता हूं, जिनका जिक्र हमारे माननीय सदस्यों ने अपने वक्तव्यों में किया है। चीन और पाकिस्तान हमारे दो महत्वपूर्ण पड़ोसी देश हैं। पिछले बहुत वर्षों से कुछ हालात ऐसे रहे कि जैसे ताल्लुकात हम लोगों ने चाहे थे, हमारे वैसे ताल्लुकात इनके साथ नहीं रहे। लेकिन आज जब ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं तो मैं समझता हूं कि जैसी शंका यहां जाहिर की गई, उस बात को मैं यहां दोहराना नहीं चाहता, लेकिन मैं समझता हूं कि वह वाजिब नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अपनी ताकत को बढ़ाने की जरूरत तो हर वक्त है। लेकिन जब हम किसी और की तरफ आशंका की बात कहें कि वह देश दूसरे देश के साथ मैत्री का हाथ बढ़ा रहा है तो कभी न कभी उस देश को उससे धोखा हो सकता है। यह बात अगर कभी एक बार हो गई तो हमें अपने अतीत को इतिहास में बंदी बनाकर रखने की जरूरत नहीं है। आज का हिन्दुस्तान कोई पुराने समय का हिन्दुस्तान नहीं है। आज हिन्दुस्तान अपनी ताकत पर खड़ा है और यह ताकत आहिस्ता-आहिस्ता 1947 से लेकर आज तक सुदृढ़ हुई है। 1988 में जब माननीय राजीव गांधी जी चीन गए तो वह अपने आप में एक बहुत अहम यात्रा मानी गई थी। उस वक्त तक शायद आपस में बातचीत भी तकरीबन खत्म हो चुकी थी, लेकिन उनकी यात्रा के बाद

[अनुवाद]

यहां तक कि चीन के नेताओं को यह मानना पड़ा था कि वह नाना, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाती हैं।

[हिन्दी]

पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील की स्थापना की थी और अभी हाल ही में हमने उसकी 50वीं वर्षगांठ मनाई। उस वक्त स्वाभाविक तौर पर हमें अतीत की तरफ देखते हुए सबक जरूर लेने होते हैं, लेकिन हमें आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है और वह आत्मविश्वास है उस मर्यादा से जिसकी स्थापना माननीय प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह जी ने की है। पूरी दुनिया इस बात को आज कुबूल कर रही है। भारत पाकिस्तान के साथ हमेशा अच्छे ताल्लुकात चाहता रहा है। पहल पहले भी हुई और कुछ काम भी हुए, लेकिन आज यह जानकर मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि वे लोग जो पहले कुछ वर्षों के लिए सरकार में थे, वे इस बात का ढिंढोरा पीट रहे थे कि पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने हमने शुरू किये हैं। आज इस दिशा में जो पहल हो रही हैं, वे उन पर प्रश्नचिह्न लगा रहे हैं। मैं इस बात को कह देना चाहता हूं कि उन्होंने जो किया, बेशक वह अपने आप में एक अच्छी बात थी, लेकिन जो कामयाबी हिन्दुस्तान के लिए मुजफ्फराबाद से श्रीनगर की बस ने हासिल की, वह बाघा से लाहौर की बस ने हासिल नहीं की थी। उस वक्त हमारे नेता उस

[श्री पवन कुमार बंसल]

बस में थे जबकि इस वक्त दोनों देशों की आम जनता उस बस से एक दूसरे के पास जा रही है। पचास साल पहले जो एक दूसरे से अलग हुए थे, उनके मन की भावनाएं थीं एक दूसरे से मिलने की, जिसका जिक्र पहले भी किया गया। लेकिन अब पहली बार यूपीए की सरकार की तरफ से जो पहल हुई है, उसके बाद यह संभव हो पाया है। हमारे जितने भी धार्मिक स्थल दोनों देशों में हैं, उनके लिए फैसला हो गया है कि वहां अब लोग जा सकेंगे। लोगों के बीच में जो आपसी तालमेल बढ़ा है, क्या उससे हमारी दूरियां नजदीकियों में नहीं बदली हैं, क्या उससे लोगों की भावनाएं नहीं बदली हैं? अभी जब जनरल मुशर्रफ यहां आए थे, क्या उन्होंने नहीं कहा था कि

[अनुवाद]

जिस मानसिकता के साथ जनरल मुशर्रफ आगरा आए थे उसी मानसिकता के साथ दिल्ली नहीं आए हैं।

[हिन्दी]

कितने बदलाव के साथ वे यहां पर आए थे, उनकी सोच और विचार में कितना फर्क था? क्या हम आत्मविश्वास के साथ आगे नहीं बढ़ें और उन्हीं कदमों और मजबूत करते हुए राष्ट्रीय हित के लिए आगे नहीं बढ़ें? क्या हम नहीं जानते कि आज के दिन हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का कितना पैसा रक्षा पर व्यर्थ जाता है? आज दोनों देशों को मुकाबला किससे करना है, दोनों की दुश्मनी किससे है-गरीबी, बीमारी और अनपढ़ता से, और दोनों देश यह जानते हैं। हाल ही में मुझे पाकिस्तान जाने का मौका मिला था। मैंने देखा था कि कितने भावुक होकर वे लोग हमसे मिलते हैं और कैसे हमें गले लगाते हैं।

आज तक तब्दीली का माहौल देश में है। उसको हमें और सुदृढ़ करना है। बहुत सी बातों पर माननीय प्रधान मंत्री जी और जनरल मुशर्रफ की आपस में बातचीत हुई। बेशक वे आपसी व्यापार की थीं, लोगों के आने-जाने की थीं, लेकिन हमें मानना होगा कि वे कदम छोटे नहीं थे, वे बहुत बड़ी छलांगें थीं। मैं इस संदर्भ में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि मुझे आशा और विश्वास है कि जो शुरूआत हुई है, वह हमें आगे लेकर जाएगी। मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहूंगा कि दोनों देशों में और खासकर पाकिस्तान में हमारे बहुत से नागरिक जो बंदी हैं और जेलों में हैं, उनके लिए हमें सरहद के आस-पास के लोग आकर मिलते हैं और बताते हैं कि हालत इतने बिगड़ चुके हैं कि उनमें से बहुत से लोग दिमागी तौर पर अपना संतुलन खो चुके हैं और शायद अपने आपको भी नहीं पहचानते। हमें उनको बाहर निकालने का प्रयास करना होगा क्योंकि उनके जेलों में बंद रहने से किसी को फायदा नहीं होगा। हमारे जो लोग वहां जेलों में बंद हैं, हमें प्रयास करने होंगे कि उन्हें वापस लाकर उनके परिवारजनों से मिला सकें।

अपराह्न 5.00 बजे

दूसरा, मैं कहना चाहता हूं कि पर्यटक, खेलों, भाई-चारे, व्यापार के लिए लोग एक-दूसरे देश में आना-जाना चाहते हैं। हमें जो वीजा रेगुलेशन बनायी हैं, उसके तहत हम एक शहर के लिए वीजा देते हैं। पाकिस्तान और हिन्दुस्तान में हम जैसे दूसरे देशों के नागरिकों के लिए वीजा देते हैं, वैसे सभी शहरों के लिए वीजा देना चाहिए। कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर जाने के लिए सभी देशों के नागरिकों के लिए बंदिशें हैं, मैं उसे हटाने के लिए नहीं कह रहा हूं लेकिन जो आम शहर हैं क्यों न हम एक-दूसरे के देश के नागरिकों को वहां जाने की अनुमति प्रदान करें। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि यह जो दो बैठकें हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे दो अहम पड़ोसियों के प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति के साथ की हैं उससे सचमुच आगे के लिए एक अच्छा माहौल बना है। हमारे संबंध चीन के साथ बहुत समय के बाद फिर से अच्छे हो गए हैं। मैंने देखा है कि अभी-अभी वहां से कई डेलिगेशन्स यहां आए हैं। इससे हमारे संबंध अच्छे होते रहेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री राम कृपाल यादव (पटना): महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति और माननीय विदेश मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और खासकर यूपीए की सरकार का, जिसके प्रयास से पिछले दिनों पाकिस्तान और चीन के साथ क्रमशः राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ वार्ता हुई। उसके सकारात्मक परिणाम निकले हैं। भारत की अमन और शान्ति की नीति रही है और भारत ने कभी यह प्रयास नहीं किया कि उसकी वजह से किसी दूसरे देश को तकलीफ पहुंचे या किसी देश को नुकसान हो। भारत ने हमेशा एशिया का नेतृत्व किया है और अपने नेतृत्व से एशिया के देशों ने अपनी एक अलग पहचान बनाने का काम किया है। पाकिस्तान और भारत का दुर्भाग्य यह था कि उनका अलगाव हुआ। पहले दोनों एक ही देश थे, लेकिन आजादी के बाद दुर्भाग्य के कारण भारत और पाकिस्तान अलग हो गए। दोनों देशों की समस्याएं एक ही हैं। मैं समझता हूं कि जिस तरह से भारत में गरीबी और पिछड़ापन और अशिक्षा है। दोनों देशों की स्थिति कमोवेश एक ही तरह की है, फिर भी ये दोनों देश विकास की तरफ अग्रसर हैं। दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जिनकी वजह से इन देशों के बीच में तनाव पैदा करने की कोशिश की जाती है क्योंकि इसमें उन देशों का अपना स्वार्थ होता है। जब तक छोटे देश या बड़े देश हैं, उनमें अशान्ति नहीं रहेगी, युद्ध का माहौल

नहीं बनेगा, तब तक उन देशों को जो अस्त्र और शस्त्र बेचने का व्यापार करते हैं, धन कमाने के उनके लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो सकती है इसलिए मुझे लगता है कि भारत, पाकिस्तान और चीन जैसे देशों को आपस में लड़ाकर युद्ध का माहौल बनाकर अपनी राजनीति और अपना व्यापार चलाना चाहते हैं।

सभापति महोदय, यही कारण है कि कहीं न कहीं उनकी नीतियों की वजह से भारत और पाकिस्तान में अशान्ति का माहौल बना रहा। भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते खराब हुए थे, वे पिछले कुछ दिनों में सुधरे हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि यू.पी.ए. सरकार की यह कमिटमेंट है कि हम देश को प्रगतिशील रास्ते पर ले जाएंगे, पड़ौसी देशों के साथ अमन और शान्ति बहाल करेंगे और इस रास्ते पर चलते हुए हम अपने देश को तरक्की की राह पर ले जाएंगे। हमारे प्रधान मंत्री जी ने विदेश नीति के माध्यम से अपने पड़ौसी देशों के साथ रिश्ते सुधारने का काम किया है। उसी का प्रतिफल है कि आज भारत और पाकिस्तान के सम्बन्ध मधुर होते जा रहे हैं।

महोदय, पिछले कुछ वर्षों में ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते दिन पर दिन खराब होते गए, उनमें अलगाव पैदा हो गया, उनमें दूरिया बढ़ती गईं। पहले जब भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमों का खेल होता था, तो खेल के बाद बहुत खराब माहौल बन जाता था, लेकिन यू.पी.ए. सरकार आने के बाद, हमारी सरकार की नीतियों के कारण, भारत-पाक सम्बन्धों में सुधार हो रहा है। हमारे प्रधान मंत्री के प्यार, मौहब्बत और अमन के संदेशों का यह नतीजा हो रहा है कि आज जब दोनों देशों की टीमें खेलती हैं, तो अमन और चैन का वातावरण बना रहता है और एक-दूसरे देश की टीमों की हौसला-अफजाई होती है।

महोदय, हमारा देश तब तक तरक्की नहीं करेगा, जब तक कि हम अपने संसाधनों को, हम अपने बजट के अधिकांश धन को, भारत के गरीब, किसान, मजदूरों के कल्याण के लिए खर्च नहीं करेंगे। मेरे कहने का मतलब कदापि यह नहीं है कि हम अपनी रक्षा की जरूरतों को पूरा न करें। हमें अपने देश को मजबूत करने के लिए जितने अस्त्र-शस्त्रों की आवश्यकता है, उतने हमें जरूर खरीदने चाहिए। हमें अपने देश की सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं करना है, बल्कि उसे प्राथमिकता देनी है। अगर हमारे पड़ौसी देशों से सम्बन्ध सुधर जाते हैं, अगर हमारे बीच तल्खी घट जाती है, तो हम अपने देश के बजट का जो धन रक्षा सामग्री खरीदने पर व्यय करते हैं, उसे अपने देश के गरीब, किसान और मजदूरों की तरक्की के लिए व्यय कर सकते हैं। उससे हम अपने देश में बिजली, पानी और सड़कों की व्यवस्था कर सकते हैं। इन कामों से हमारा देश विकास की तरफ बढ़ेगा।

महोदय, हमारे प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री जी ने प्रयास किया और भारत तथा पाकिस्तान के बीच बस यात्रा शुरू हो चुकी है। इससे दोनों देशों में प्रेम का भाव जागा है। एक बस यात्रा इससे पहले भी हुई थी। रा.ज.ग. सरकार के प्रधान मंत्री जी ने भी एक बस-यात्रा की थी, लेकिन एक तरफ बस-यात्रा होती रही और दूसरी तरफ करगिल युद्ध चलता रहा। ऐसा प्रतीत होता है कि तब दोनों देशों की नीति और नीयत साफ नहीं थी। इसलिए उस बस यात्रा का परिणाम करगिल युद्ध के रूप में हमारे सामने आया, लेकिन यू.पी.ए. सरकार की नीति और नीयत बिलकुल साफ है। हम अपने पड़ौसी देशों के साथ सम्बन्ध सुधारना चाहते हैं और हमारे प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री के प्रयासों का ही परिणाम है कि पाकिस्तान और भारत के लोगों में मैत्री बढ़ रही है। हमारे देश की पंडित जवाहर लाल नेहरू जी के समय में विदेश नीति के संबंध में एक अलग पहचान थी, जो उनके बाद कायम नहीं रह सकी, लेकिन यू.पी.ए. सरकार के हमारे प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री के कुशल नेतृत्व में ऐसी स्थिति और परिस्थिति पैदा हो रही है कि देश की पुरानी पहचान वापस मिल रही है और विदेश नीति के माध्यम से दुनिया में हमने अपना एक अलग स्थान बनाने का काम किया है।

महोदय, हम पाकिस्तान के साथ सम्बन्ध सुधार रहे हैं। बस-यात्रा शुरू हो चुकी है। धीरे-धीरे व्यापारिक सम्बन्ध भी जुड़ेंगे। इसी प्रकार चीन के साथ भी हमारे सम्बन्ध सुधर रहे हैं। चीन और भारत के बीच जो सीमा विवाद है, नियंत्रण रेखा पर जो परेशानी हो रही थी, जो कटुता पैदा हो गई थी, आज उसमें कमी आई है। चीन के प्रधान मंत्री भारत आए थे, उनके सामने भारत ने अपना रुख स्पष्ट करने का काम किया। मुझे भरोसा है कि भारत और चीन के सम्बन्ध भी सुधरेंगे और इस दिशा में दोनों देश आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री जी आगे बढ़िये, पूरे देश की एक अरब जनता आपके साथ है, पूरा सदन आपके साथ है और मुझे विश्वास है कि आपके कुशल नेतृत्व में अमन-चैन होगा और पड़ौसियों के साथ हमारे अच्छे सम्बन्ध बनेंगे। अभी रक्षा मंत्रालय को जो पैसा हम दे रहे हैं, उसमें कटौती होगी और वही पैसा हम देश के गरीबों और किसानों तक पहुंचाने का काम करेंगे।

यू.पी.ए. सरकार के माननीय प्रधानमंत्री, श्री मनमोहन सिंह जी और माननीय विदेश मंत्री, श्री नटवर सिंह जी के प्रति हम पुनः आभार व्यक्त करते हैं। आपने ठीक कहा है, यू.पी.ए. की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी को हम विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं कि उनके कुशल नेतृत्व में, उनके कुशल मार्गदर्शन में हमारा देश आगे बढ़ रहा है और पड़ौसियों के साथ हमारे सम्बन्ध अच्छे हो रहे हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

श्री प्रबोध पाण्डा (मिदनापुर): सर्वप्रथम मैं हमारे माननीय प्रधान मंत्री और माननीय विदेश मंत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने वर्तमान परिस्थितियों में उल्लेखनीय और गौरवपूर्ण कार्य किया है। अब हम चीन के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति की भारत यात्रा की चर्चा कर रहे हैं।

जब हमने चर्चा के लिए नोटिस दिया था, उस समय हमारे प्रधानमंत्री ने मास्को की यात्रा की। यह यात्रा फासीवाद और नाजीवाद पर विजय की 60वीं वर्षगांठ के समारोह में भाग लेने के लिए की गयी। हमें न केवल चीन अथवा पाकिस्तान की चर्चा नहीं करनी चाहिए वरन् रूस के संबंध में भी हमें चर्चा करनी चाहिए। मैं यह अवश्य कहूंगा कि हाल ही में चीन के प्रधान मंत्री वेन जिआबाओ और पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने भारत की यात्रा की। यह हमारे देश की विदेश नीति, वर्तमान सरकार की विदेश नीति के महत्व को दर्शाती है। ये यात्राएं हमारे देश की विदेश नीति की सफलता और पाकिस्तान तथा चीन हमारे संबंधों में हुए सकारात्मक विकास को दर्शाती है।

इस संदर्भ में, हम रा.ज.ग. शासन के दिन याद आ जाते हैं। 14वीं लोक सभा से पहले, हमारे देश ने पड़ोसी देशों विशेषकर पाकिस्तान और चीन के साथ कड़वे संबंध ही देखे थे। हम करगिल अध्याय से भी गुजर चुके हैं। हमें वह वातावरण भी स्मरण हो आता है जब सभा में ही कुछ राजनैतिक दल सरकार पर पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध घोषित करने का दबाव डाल रहे थे हमें वे स्थितियां याद आ जाती हैं जब सभी ताकतें पाकिस्तान और भारत दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध खराब करना चाहते थे। उन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को भारत बुलाकर विरोध के रूप में ग्राउंड को नुकसान पहुंचाने के लिए एक कार्यक्रम तक शुरू कर दिया था। अब स्थिति इतनी विकसित हो गयी है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भारत आयी और यहां पर एक श्रृंखला खेली। स्वयं पाकिस्तानी परवेज मुशर्रफ को यहां पर मैच देखने के लिए निमन्त्रित किया गया था।

सभापति महोदय: आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री प्रबोध पाण्डा: मैंने अभी तो भूमिका ही बांधी है।

चीन के संदर्भ में, पूर्व रक्षा मंत्री ने चीन को भारत का दुश्मन नंबर एक बताया था और पूर्व प्रधानमंत्री ने अमरीकी राष्ट्रपति को पत्र में यह लिखा कि भारत के परमाणु परीक्षण चीन द्वारा उत्पन्न खतरे का जवाब हैं। अब फिर से स्थिति इस हद तक संवर गयी है कि हमारे प्रधान मंत्री ने सामरिक शांति और समृद्धि के समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद मीडिया को बताया कि भारत और चीन मिलकर विश्व-व्यवस्था का स्वरूप बदल सकते हैं।

हमने आगरा सम्मेलन से सबक सीखा है जिसमें कोई एजेंडा तय नहीं किया गया। लेकिन इस बार दोनों ओर से बहुत तैयारी थी। चीन के प्रतिनिधिमंडल ने भारत सरकार को नया मुद्रित सरकारी .मानचित्र सौंपा है जिसमें सिक्किम को भारतीय संघ के भाग के रूप में दर्शाया है और दूसरी ओर भारत ने चीन की प्रधानमंत्री से यात्रा से पूर्व तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र को चीन का अंग माना है। वेन जियाबाओ ने बार-बार इस बात पर बल दिया है कि भारत और चीन सहभागी हैं, न विरोधी।

मीडिया में यह प्रकाशित हुआ है कि यात्रा पर आए हुए चीनी प्रधानमंत्री ने आई.आई.टी दिल्ली के विद्यार्थियों को अपने संबोधन में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रवीन्द्रनाथ टैगोर और अर्मत्यसेन के लेखों से वक्तव्य उद्धृत किये और अपने भाषण का समापन 'हिन्दी-चीनी-भाई-भाई' नारे के साथ किया। इस संयुक्त वक्तव्य से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि चीन और भारत दोनों देश व्यापार संबंधों को बढ़ाना चाहते हैं। प्रेस में यह तथ्य प्रकाशित हुआ है और चीन ने संयुक्त राष्ट्र में सक्रिय भूमिका निभाने तथा सुरक्षा परिषद् में सदस्यता की भारत की दावेदारी का समर्थन किया है।

सभापति महोदय: कृपया आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री प्रबोध पाण्डा: मैं केवल दो मिनट का समय लूंगा उससे ज्यादा नहीं।

राजनैतिक भागीदारी और सीमा विवाद के निपटान संबंधी समझौते के नीति-निर्देशक सिद्धान्तों को इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष माना जा सकता है।

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। आप लंबा लेख पढ़ रहे हैं। आप इसे दे सकते हैं और अपना भाषण समाप्त कर सकते हैं।

श्री प्रबोध पाण्डा: मैं अभी अपनी बात समाप्त करने वाला हूं।

जहां तक पाकिस्तान का संबंध है, बंटवारे के पश्चात् संबंधों में उतार-चढ़ाव आये हैं।

सभापति महोदय: कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए। प्रधानमंत्री को अपराह्न 5.30 बजे चर्चा में हस्तक्षेप करना है।

श्री प्रबोध पाण्डा: मैं समयाभाव की समस्या को समझता हूं, लेकिन मुझे एक मिनट में अपनी बात पूरी करने की अनुमति दी जाये।

चीन विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है और भारत दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। मैं यह महसूस करता हूं कि भारत और चीन मिलकर कार्य कर सकते हैं। मुझे पूरी आशा है कि हमारे साथ रूस भी आ सकता है। यदि ऐसा होगा तो विश्व व्यवस्था को नया रूप दिया जा सकता है।

मैं पुनः महसूस करता हूं कि भारत, चीन और पाकिस्तान में बड़े जल संसाधन-सिंध, गंगा और ब्रह्मपुत्र-हैं। इसीलिए इनसे हम सब चीजें नियन्त्रित कर सकते हैं। भारत में कम्प्यूटर साफ्टवेयर के क्षेत्र में अपार क्षमता है जबकि चीन में हार्डवेयर के क्षेत्र में।

जहां तक पाकिस्तान का संबंध है, हम 80,000 करोड़ रुपये से अधिक राशि खर्च कर चुके हैं।

सभापति महोदय: ठीक है, आप अपनी बात समाप्त कीजिए। अब प्रो. रामदास अपना भाषण आरंभ करेंगे।

श्री प्रबोध पाण्डा: हम मिलकर अपने संबंध विकसित कर सकते हैं, हम अपने सामाजिक आर्थिक तथा राजनैतिक रिश्तों को सुदृढ़ बना सकते हैं। इससे हम बहुत-सा धन बचा सकते हैं और वह देश की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

इसलिए इस प्रयास का बहुत स्वागत है। मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जी की प्रशंसा करता हूं। हम आशा करते हैं कि निकट भविष्य में भारत, पाकिस्तान और चीन के संबंध और सुदृढ़ होंगे और हम एक-दूसरे के और नजदीक आयेंगे। यदि हमारे संबंध मजबूत होते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि अन्य गुट निरपेक्ष देश और तृतीय विश्व के देश हमारे साथ मिलकर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ायेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

प्रो. एम. रामदास: महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य पर हो रही चर्चा में भागीदारी करके प्रसन्नता महसूस कर रहा हूं। जैसा कि आपको पता है संप्रग सरकार तथा 14वीं लोक सभा का कार्यकाल कल पूरा होने जा रहा है। मैं इस अवसर पर प्रधानमंत्री और संप्रग सरकार को एक वर्ष की इस छोटी अवधि के दौरान उनके द्वारा किए गए सभी महत्वपूर्ण कार्यों के लिए उन्हें बधाई देता हूं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने इस छोटी अवधि के दौरान पूर्व प्रधान मंत्रियों की अपेक्षा काफी कुछ अधिक कार्य किया है। इसका एक प्रमाण चीन के प्रधान मंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति के दौरों के संबंध में माननीय प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य में उपलब्ध होता है।

प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए वक्तव्य में इन तीनों देशों के बीच किए गए विभिन्न समझौतों और तैयार की गयी राजनीतियों का ब्यौरा मिलता है। इस वक्तव्य के माध्यम से हम प्रधान मंत्री जी की दक्षता से साक्षात्कार करने में सफल हुए जिस दक्षता के माध्यम से उन्होंने देश के लिए वांछित शांति हासिल की है।

भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच किए गए समझौतों का सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह होगा कि भारत में वैश्वीकरण के उभरते दौर में विश्व व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेगा। जैसा कि हमें ज्ञात है, ये तीनों ही महत्वपूर्ण देश हैं। यदि इन तीनों देशों के बीच सौहार्द व मित्रता कायम होती है तो ये बड़े व मजबूत साझेदार के रूप में उभर सकते हैं जो शेष विश्व से अपनी बात मनवा सकते हैं। इस प्रकार, दक्षिण एशिया के अंदर यह मित्रता हमारी शक्ति को दर्शाएगी।

जहां तक विश्व व्यापार संगठन का प्रश्न है, हम भारत पर लागू प्रतिकूल शर्तों की बात करते हैं। अब यदि पाकिस्तान, चीन और भारत विश्व व्यापार संगठन में अपने सम्मान हितों की सुरक्षा करेंगे तो विश्व व्यापार संगठन में भारत की वर्तमान प्रतिकूल स्थिति इसके अनुकूल बन जाएगी। इन दोनों देशों के साथ हुए इन दो समझौतों से विश्व व्यापार संगठन के मामले में भी भारत को लाभ पहुंचेगा।

तीसरा महत्वपूर्ण लाभ जो मुझे दिखाई देता है वह यह है कि चीन के प्रधानमंत्री ने भी भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र में भूमिका निभाने की बात का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। 12 अप्रैल को चीन को प्रधानमंत्री ने भारत में कहा कि चीन इस बात को दुहराता है कि वह अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को काफी महत्व देता है। हम संयुक्त राष्ट्र सहित अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत की अपेक्षाकृत और बड़ी भूमिका निभाने की उसकी आकांक्षाओं को समझते व उसका समर्थन करते हैं। चीन ने यह आश्वासन दिया है कि भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य बनने पर उसे प्रसन्नता होगी। इसलिए अब वह दिन दूर नहीं है जब भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होगा। वह दिन हमारे प्रधानमंत्री और इस देश के लिए सर्वाधिक गौरवशाली दिन होगा।

चौथा, सीमा विवाद अब सुलझने के करीब है। चीन ने सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग मान लिया है। व्यापार के क्षेत्र में व्यापक आर्थिक सहयोग की व्यवस्था की जा रही है। जहां तक चीन का प्रश्न है, वर्ष 2008 तक हमारा व्यापार प्रतिवर्ष 13.6 बिलियन डालर से बढ़कर 20 बिलियन डालर तथा वर्ष 2010 तक 30 बिलियन डालर हो जाने की संभावना है। ये सब चीन के साथ हो रहे हमारे व्यापार के दुर्लभ लाभ हैं।

[प्रो. एम. रामदास]

जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, हमने बहुत कुछ पाया है। यद्यपि कि पाकिस्तान के साथ हम क्रिकेट में हार चुके हैं, हमने इस देश के साथ शांति, अर्थव्यवस्था और मित्रता के क्षेत्र में सफलता हासिल की है। हम संशय आधारित संबंधों की स्थिति से विश्वास पर आधारित संबंधों की ओर अग्रसर हुए हैं, हम संघर्ष प्रबंधन की स्थिति से संघर्ष समाधान की स्थिति की अग्रसर हुए हैं, तथा कश्मीर समस्या को दोनों देशों के बीच आर्थिक व विकास के अनेक पहलुओं को निर्धारित करने में अड़चन नहीं बनने दिया जाएगा। अंतत: आतंकवाद को समाप्त किया जाएगा।

मैं कुल मिलाकर यह कहना चाहता हूं कि भारत और चीन के दो नेताओं द्वारा किए गए इन दो दौरों से हमने बहुत कुछ हासिल किया है। इससे विश्व में भारत का दर्जा और छवि बढ़ी है। सिर्फ इतना ही नहीं, इससे माननीय प्रधान मंत्री की छवि भी बढ़ी है तथा इससे वे भारत के एक मजबूत प्रधानमंत्री के रूप में उभरे हैं। उन्होंने अपेक्षाकृत और अधिक मजबूत अन्य प्रधानमंत्रियों से भी काफी कुछ अधिक किया है। मैं एक समाचार पत्र में कल प्रकाशित चंद पंक्तियों को उद्धृत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। ये पंक्तियां इस प्रकार है:

> ''डा. सिंह यह जताने में सफल रहे हैं कि एक नेता का शिष्टाचार और शालीनता दुर्जेय परिसम्पत्तियां हो सकती हैं जो राजनीति जनित संघर्ष व टकराव की मानसिकता से उबरने में उसे मदद कर सकती है। चाहे कमजोर हो या मजबूत, 'नेताओं का काम समाज को सृजनात्मक कामों की ओर प्रवृत्त करना है। डा. सिंह ने ठीक वही काम किया है।' यह कोई कम उपलब्धि नहीं है। यह गत एक वर्ष में डा. मनमोहन सिंह की सबसे बड़ी उपलब्धि है।''

महोदय, मैं व्यक्तिगत रूप से प्रसन्नता महसूस करता हूं क्योंकि वह अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हुआ करते थे जिन्होंने विभिन्न विश्वविद्यालयों में उत्कृष्ट व्याख्यान दिए तथा अब वह इस ऐतिहासिक समझौते के माध्यम से एक अंतर्राष्ट्रीय नेता के रूप में उभर रहे हैं।

सभापति महोदय: श्री मिस्त्री, आप मात्र पांच मिनट बोल सकते हैं।

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा): महोदय, मुझे उम्मीद है कि आपको मुझे अपना भाषण समाप्त करने हेतु कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

सभापति महोदय: अन्य सदस्यों ने आपका भी समय ले लिया है। अब आप मात्र पांच मिनट ही बोल सकते हैं।

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा): महोदय, सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री और संप्रग सरकार को गत एक वर्ष में सरकार के सफल कार्यकरण में एक और उपलब्धि सम्मिलित करने और चीन और पाकिस्तान के दो राष्ट्रपतियों के भारत दौरे के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।

इस सरकार के सत्ता में आने के बाद पोटा का निरसन किया गया है। यह एक मील का पत्थर था। कुछ ही दिन पूर्व, इस सभा ने सूचना का अधिकार विधेयक पारित किया है और चीन और पाकिस्तान के राष्ट्रपतियों के दौरे से इन देशों के साथ हमारे संबंध एक नई ऊंचाई को छू रहे हैं। इससे पूर्व स्थिति यह थी कि राजग सरकार के तत्कालीन रक्षा मंत्री ने देश के समक्ष यह घोषणा की थी कि चीन हमारा सबसे बड़ा शत्रु था। उस स्तर से आज, हम संदेह को दूर करते हुए और इन दोनों के बीच विकास के नए आयाम खोलने हेतु विभिन्न समझौते का पारस्परिक संबंधों के निर्माण की ओर अग्रसर हैं।

महोदय, जब मैं भारत और चीन के बीच ऐतिहासिक संबंधों की ओर देखता हूं, तो मैं ऐसा महसूस करता हूं कि कोई देश संदेह के आधार पर किसी अन्य देश के साथ अच्छे संबंध नहीं बना सकता है। हमें अपने देश में चीनी लोगों के आवागमन को सुगम बनाना होगा और चीन की सरकार को भी भारतीय लोगों के लिए अपने दरवाजे खोलने होंगे। मैं यह अवश्य कहूंगा कि हम, विशेषकर नई पीढ़ी, चीन के महान इतिहास के बारे में बहुत कम जानते हैं और संभवत: पश्चिमी देशों के बारे में काफी ज्यादा जानते हैं। चीन के साथ खेल और दवाओं के मामले में सहयोग हेतु एक प्रस्ताव पर विचार किया गया है।

सभापति महोदय: कृपया आप अपनी बात समाप्त कीजिए। माननीय प्रधानमंत्री को अपराह्न 5.30 बजे उत्तर देना है।

श्री मधुसूदन मिस्त्री: सीमाओं पर तनाव को कम करने के साथ-साथ यह हमारे लिए एक पाठ होगा जो हमारे रक्षा व्यय को कम करेगा और जिससे उपलब्ध धन का उपयोग हमारे देश के विकास हेतु हो सकेगा। जहां तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति के दौरे का संबंध है, तो वह बस सेवा के साथ-साथ खोखरापुर और मुन्नाबाओ के बीच रेल मार्ग आरंभ करने के अलावा सरकार ने कई मुद्दे उठाएं हैं। मैं सरकार से गुजरात की सीमा के साथ-साथ बनासकांठा से पाकिस्तान स्थित दूसरे स्थान तक नए सड़क मार्ग को आरंभ करने पर विचार करने का अनुरोध करता हूं। श्रीग्रमीन से नागरपार्कर पारंपरिक मार्ग था और हमें उसे भी खोलना चाहिए।

मैं गत रात्रि माननीय प्रधानमंत्री से बात कर रहा था। हमारे पुराने पड़ोसी के साथ व्यापार संबंधों में व्यापक संभावनाएं है। हम एक ब्लाक क्यों नहीं बना सकते, अपने बीच के व्यापार अवरोधों को क्यों नहीं उठा सकते हैं और इन दोनों देशों के बीच व्यापक

संभावनाओं को क्यों नहीं जान सकते हैं जिनकी संस्कृति और इतिहास समान है? मैं महसूस करता हूं कि चीन और रूस सहित समस्त भारतीय उप-महाद्वीप अपने लोगों के जीवनस्तर में सुधार करने हेतु अपने व्यापार संबधों को विकसित कर सकते हैं।

पुनः, मैं संप्रग की अध्यक्षा, संप्रग के सभी सहयोगियों के साथ-साथ माननीय प्रधानमंत्री और सरकार का समर्थन करने वाले उन सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। संभवतः हम इस विश्व में, जब सारा विश्व सिमट रहा है और राजनीतिक बाधाएं अर्थहीन हो रहीं है-मैं अर्थहीन तो नहीं कहूंगा परन्तु इस आर्थिक विश्व में ज्यादा महत्व नहीं रख रही हैं जिसमें हमें एक दूसरे का समर्थन और सहयोग करना है, में महत्वपूर्ण राष्ट्रों में से एक साबित करने में समर्थ हुए हैं।

डा. एम. जगन्नाथ (नागर कुरनूल): महोदय, मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किए गए पहल से पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध बेहतर हो रहे हैं जोकि बहुत ही प्रशंसनीय है, विशेषकर पाकिस्तान और चीन के राष्ट्रपतियों के हाल के दौरे। तीनों देशों के बीच अच्छे संबंध की बेहतरी के लिए किए गए पहल को देखकर समस्त देश प्रसन्नता महसूस कर रहे हैं। इन दौरों से पाकिस्तान, चीन और भारत की जनता ने प्रसन्नता महसूस की क्योंकि हम ऐतिहासिक समय से पड़ोसी हैं। हमारे संबंध अच्छे रहें हैं परन्तु गलत संदेहों और कतिपय अन्य कारणों से इसमें गिरावट आई है और काफी समय से लोग दीर्घकालीन शांति चाहते हैं। शिष्टमंडलों और दलों की यात्राओं से माहौल सुधरा है। दोनों ही देशों के नेताओं के लिए अच्छा अवसर है कि एक साथ बैठकर समस्याओं को दूर करें। झगड़े से, किसी समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। पूरे विश्व के इतिहास पर गौर करें। आप देखेंगे कि झगड़े से किसी चीज का समाधान नहीं हुआ है। केवल एक साथ बैठकर और विचार-विमर्श कर समस्याओं का समाधान किया गया है। आपने देखा कि मुजफ्फराबाद और श्रीनगर के बीच बस सेवा आरंभ करने के हमारे प्रधानमंत्री के विचार को आतंकवादी किस प्रकार बाधित करना चाहते थे। कोई भी दूसरा प्रधानमंत्री कदम वापस खींच लेता। परन्तु हमारे माननीय प्रधानमंत्री की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण बस सेवा सफल रही। बस सेवा से दो दिन पूर्व बेस शिविर पर आतंकवादियों द्वारा वहां लोगों को डराने हेतु बड़ा आक्रमण किया गया था। मैं उस बस से यात्रा करने वाले लोगों को अवश्य धन्यवाद दूंगा। यह हमारे प्रधानमंत्री के विश्वास और भारत के नेतृत्व के कारण ही है कि यह सफल रही।

इसी प्रकार, रेल और बस मार्गों हेतु उठाए गए कदम प्रशंसनीय है। कुछ माह पूर्व, माननीय संसद सदस्यगण पाकिस्तान गए थे। वहां के लोगों ने हमारे साथ भाईयों जैसा व्यवहार किया और वे दीर्घकालिक शांति चाहते हैं। लोगों के दृष्टिकोणों के आदान-प्रदान से एक दूसरे को समझने का रास्ता प्रशस्त होगा। फिर इसके बाद दोनों देशों के नेताओं द्वारा यात्राएं की जाएंगी और इससे तनाव कम होगा और संबंधों में सुधार होगा। इसी तरह, वे व्यापार, शिक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपने संबंध बढ़ाना चाहते है। हाल में, कई पाकिस्तानी बच्चों का भारत में इलाज किया गया और उन्हें नया जीवन दिया है क्योंकि वे वहां चिकित्सा व्यय की लागत वहन नहीं कर सकते थे।

इसकी बहुत प्रशंसा है। वे कह रहे थे कि इग्लैंड और अमेरिका जैसे देशों में जाने की बजाय भारत आना बेहतर है क्योंकि गरीब लोग यहां खर्च वहन कर सकते हैं। पाकिस्तान भी हमारे जैसा ही गरीब देश है। वे हमारे साथ थे, लेकिन किन्हीं कारणों से यह हमसे अलग हो गया। वे महंगी चिकित्सा वहन नहीं कर सकते हैं। भारत में इलाज कराने के लिए वे बहुत खुश थे। उनका निःशुल्क अच्छा इलाज किया गया है। खिलाड़ियों का खेल हेतु आना-जाना काफी अच्छा है। खिलाड़ियों को देश का अप्राधिकृत राजदूत माना जाता है। इस बात को पूरा विश्व जानता है। इससे हमारे खिलाड़ी वहां जाकर अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करते हैं और ऐसा ही वे भी करते हैं। यदि इन प्रयासों को बढ़ाया जाए तो संबंध बढ़ेंगे और सामान्य स्थिति हासिल की जा सकेगी। तनावपूर्ण संबंधों से हमारी अर्थव्यवस्था प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होगी। दोनों ही देश विकासशील देश हैं। हम विकासात्मक कार्यकलापों की बजाय प्रतिभा क्षेत्र में अधिक व्यय कर रहे हैं। यदि संबंध बेहतर होंगे, तो हम प्रतिरक्षा पर व्यय को कम कर सकते हैं जिसे हम विकासात्मक कार्यकलापों पर व्यय कर सकते हैं।

चीनी प्रधानमंत्री की यात्रा से पूरे देश में अच्छा संकेत गया है। भारत और चीन के बीच काफी लम्बे समय से वार्ता नहीं हुई है और कोई भी प्रशंसनीय विचार-विमर्श नहीं हुआ है, अब इससे कटुता समाप्त होने का रास्ता साफ हुआ है। मैं और मेरी पार्टी, तेलगू देशम, की कामना है कि भारत और चीन के बीच शांति के लिए यह मील का पत्थर साबित होगा।

अंत में, शांति की बातचीत या शांति वार्ता का एक पहलू है। हमारा गत अनुभव बताता है कि एक ओर जब शांति वार्ता चल रही थी तो दूसरी ओर चीन और पाकिस्तान दोनों ही के द्वारा हम पर आक्रमण किया गया। इसलिए, माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह है कि हमें सन्तुष्ट नहीं होना चाहिए। यह एक अच्छा प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। पाकिस्तान के

[डा. एम. जगन्नाथ

राष्ट्रपति मुशर्रफ से आगरा शिखर वार्ता के लिए आने के पश्चात् भारत पर आक्रमण किया गया और करगिल युद्ध हुआ। इससे पूर्व, चीन के साथ भी हमारा इसी तरह का अनुभव रहा है। यही कारण है कि हमें सतर्क रहना चाहिए। एक ओर वे शांति प्रक्रिया के लिए कार्य कर रहे हैं तो दूसरी ओर वे परमाणु हथियारों का विकास कर रहे हैं। जिस तरह से पाकिस्तान ऐसे प्रक्षेपास्त्रों के साथ आगे बढ़ रहा है जो कि हमारे देश के किसी भी हिस्से पर चोट कर सकते हैं बहुत ही खतरनाक है। यह एक खतरनाक स्थिति है। यही कारण है कि मैं माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करूंगा कि जो कुछ हो रहा है उसे ध्यान में रखना चाहिए। मैं कामना करता हूं कि प्रधानमंत्री द्वारा की गई पहल इस क्षेत्र में चिरशांति हेतु मील का पत्थर साबित होगी।

श्री असादुद्दीन ओवेसी (हैदराबाद): सभापति महोदय, धन्यवाद, समयाभाव के कारण, मैं अपने आपको दोनों ही गणमान्य व्यक्तियों की यात्रा का स्वागत करते हुए पाकिस्तानी राष्ट्रपति की यात्रा तक सीमित रखूंगा।

यू.पी.ए. सरकार के गठन के बाद से ही, हमारे पड़ौसियों, विशेषकर पाकिस्तान के साथ शांति स्थापित करने में कई कदम उठाए गए हैं। जून 2004 में पहले दौर की संयुक्त शांति वार्ता हुई। पहले दौर की संयुक्त शांति वार्ता की महत्वपूर्ण उपलब्धि परमाणु विश्वास बहाली उपाय से संबंधित संयुक्त वक्तव्य था। हमने क्या देखा कि दक्षिण एशिया अब परमाणु मुद्दा नहीं रहा है। इसका कारण है कि यहां दो परमाणु शक्तियां है। जून-जुलाई में हमने सियाचिन, तुलबुल, नौकायन परियोजना, सर क्रीक टेरेरिजम और नशीली औषधियों पर वार्ता की थी। मार्च-अप्रैल, 2004 में पाकिस्तानी रेंजर्स के महानिदेशक से बैठक की। जून 2004 में परमाणु विश्वास बहाली उपायों के संबंध में विशेषज्ञ स्तरीय वार्ता की जून 2004 में नशीली औषधियों के व्यापार संबंधी समिति से वार्ता की। सितम्बर 2004 में नई दिल्ली में विदेश मंत्रियों की वार्ता हुई। हमारे विदेश मंत्री के अनुसार भारतीय विदेश नीति घटना-संबंधी दृष्टिकोण से प्रक्रिया संबंधी दृष्टिकोण पर आ गए हैं। यह देश के सामने आ रही समकालीन चुनौतियों के सावधानीपूर्वक विचारण पर आधारित नहीं है। पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने राजनीतिक विचार-विमर्श हेतु दोनों देशों के बीच नयी संदर्भिका सृजित हुई है। इस विचार-विमर्श के स्वर और दिशा सकारात्मक हैं। दोनों ने ही कई मुद्दों पर विशेष परिणाम प्राप्त किए है। महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि प्रस्तावित भारत-ईरान जैसे पाइपलाइन के संबंध में अमेरिका द्वारा नकारात्मक दबाव के बाद भी दोनों ही देशों ने इस रणनीतिक परियोजना को जारी रखने का अपना इरादा दोहराया है। मैं प्रधानमंत्री को और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को भी बधाई देना चाहता हूं।

प्रधानमंत्री जी सही हैं जब वे भारत की स्थिति पर बल देते हैं कि सीमाओं का पुनर्निधारण नहीं किया जा सकता किन्तु उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही है। सीमाओं पर से प्रतिबन्ध हटाने से समस्या में क्रमवार कमी आयेगी। यही सरकार कर रही है।

दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा यह है। मेरे विचार में तीसरी बात यह है कि द्विपक्षीय सम्बन्धों की मौजूदा प्रगति को बनाए रखा जाए। भारत और पाकिस्तान के लोगों विशेषकर जम्मू और कश्मीर की जनता के जीवन में सार्थक परिवर्तन लाने के लिए ठोस परिणाम निकालने होंगे। पाकिस्तान ने भी एक बात महसूस की है। विगत में, जब भी सी बी एम का मुद्दा उठाया जाता था तो पाकिस्तान हमेशा यह सोचता था कि यह उनके महत्वपूर्ण मुद्दों पर समझौता करवाने का एक जाल है। मैं उसका उल्लेख यहां नहीं करना चाहता हूं। किन्तु उन्होंने अब एक बात समझ ली है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक अन्तरक्रिया की महत्ता को समझ लिया है जो सम्पूर्ण शान्ति प्रक्रिया को दूर तक प्रभावित करेगा। किन्तु दूसरी ओर हमारे पास कुछ ऐसे भी मुद्दे हैं जिनका अभी समाधान किया जाना बाकी है। उदाहरण के लिए बगलीहर का मुद्दा है। एक मध्यस्थ की नियुक्ति भी की गई है। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि बगलीहर नदी के मामले में कार्य को रोका नहीं जाना चाहिए क्योंकि यह जम्मू और कश्मीर के विकास के हित में है।

इतिहास हमें बताता है कि जब झेलम में तुलबुल नौवहन परियोजना आरम्भ करने की बात आई तो पाकिस्तान ने तीन सप्ताह तक कार्य रोकने का अनुरोध किया था। पिछले 17 वर्षों से यह परियोजना बन्द पड़ी है। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि कार्य को आरम्भ किया जाना चाहिए। मैं यह भी महसूस करता हूं कि ऐसे माहौल में जब बहुत कुछ हो रहा है, तो हमारे पड़ोसी देश को विश्व बैंक के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। खैर, कार्य को आरम्भ रखा जाना चाहिए।

विश्व बहुत तेजी से बदल रहा है जिसमें संयुक्त राष्ट्र की महत्वपूर्ण उपलब्धियां एक ध्रुवीयता की वजह से नजर अंदाज हो रही है। ऐसी स्थिति में, संसार को नेतृत्व की विशेषकर माननीय प्रधानमंत्री जी वाली इस सरकार को महान नेतृत्व की आवश्यकता है। परिवर्तन हो रहे हैं। अमेरिका एकमात्र सुपर शक्ति है। किन्तु इसी समय भारत को अन्य राष्ट्रों और अन्य शक्तियों के साथ तालमेल करते हुए एक ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था का निर्माण करना चाहिए जो वास्तव में बहु-ध्रुवीय हो।

अन्त में, महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को यह सुझाव देना चाहता हूं कि यद्यपि व्यक्ति-दर-व्यक्ति सम्बन्ध स्थापित किया जा रहा है किन्तु फिर भी एक महत्वपूर्ण घटना यहां घटित

हो रही है। कई पाकिस्तानी विशेषकर वे जो 1947 में पलायन कर गए थे और अब पश्चिमी देशों के नागरिक हैं, वे मौजूदा माहौल में भारत आना चाहते हैं। उनके वीजा आवेदन भारत सरकार के समक्ष हैं। उन्हें वीजा प्रदान करने में कम से कम तीन या चार महीनों का समय लग जाता है। इसके लिए आर.ए.डब्ल्यू, आसूचना इत्यादि की मंजूरी चाहिए होती है। मैं सरकार से कुछ कदम उठाने का अनुरोध करता हूं। कुछ ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए जिससे कि उन्हें वीजा तत्काल प्राप्त हो सके। व्यक्ति-दर-व्यक्ति सम्बन्धों की स्थापना को भी जारी रखा जाना चाहिए। किन्तु सरकार से मेरा यह विनम्र निवेदन है कि आपको अधिक से अधिक मुस्लिम धार्मिक, सामाजिक और राजनेताओं को पाकिस्तान भेजना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के लोगों में यह गलत अवधारणा है कि भारतीय मुस्लिमों को यहां परेशान किया जाता है। मैं इससे इंकार नहीं करता हूं। राष्ट्रीय जनतान्त्रिक गठबंधन के शासनकाल में ऐसा हुआ भी। यह एक तथ्य है। किन्तु आज जब एक नई विधायिका अस्तित्व में है, जब एक नई सरकार है तो ऐसे में अधिक से अधिक अल्पसंख्यक नेताओं को पाकिस्तान भेजने की आवश्यकता है। उन्हें बताने के लिए कई बातें है जैसे उन्हें यहां कौन-कौन से अधिकार प्रदान किये गए हैं। यहां राजनैतिक नेतृत्व कैसा है और कैसा माहौल है इससे उन्हें अवगत करना चाहिए।

अन्त में, मुझे अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): सभापति जी, मैं भारत के प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह जी और विदेश मंत्री नटवर सिंह जी का आभार इसलिए व्यक्त करता हूं कि चीन और पाकिस्तान के साथ दोस्ती बढ़ाने में उन्होंने महत्वपूर्ण काम किया है। एनडीए के 6 साल के कार्यकाल में पाकिस्तान के प्रेसीडेंट श्री मुशर्रफ आगरा आये थे। तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री वाजपेयी जी ने उनसे बातचीत तो की, लेकिन दोस्ती को बजाए पाकिस्तान से दुश्मनी ही बढ़ी। लेकिन अभी जब मुशर्रफ जी भारत आये, तो डा. मनमोहन सिंह जी ने उनसे बहुत अच्छी तरह से दोस्ती की बातें कीं और मुशर्रफ साहब ने भी बहुत अच्छी बातें कीं और दोस्ती की शुरुआत दोनों देशों में हो गयी है।

हमने बस यात्रा शुरू की लेकिन आडवाणी साहब हमेशा रथ यात्रा निकालते हैं। उन्होंने राजनीति करने के लिए रथ यात्रा निकाली। उनको रथ यात्रा निकालने दो, हम बस यात्रा निकालेंगे। हम पाकिस्तान के साथ हमेशा दोस्ती करना चाहते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब 7-8 एमपीज का एक डेलीगेशन पाकिस्तान गया था, उसमें मैं भी था। पाकिस्तान के लोग भारत के लोगों के साथ प्रेम करते हैं और दोस्ती करना चाहते हैं। उस समय पवन बंसल जी भी हमारे साथ थे। चंडीगढ़ वाघा बार्डर से नजदीक था। वाघा बार्डर के एक तरफ इंडिया और दूसरी तरफ पाकिस्तान है। वहां और यहां की जमीन एक जैसी है। वहां और यहां के लोग भी एक जैसे हैं। कहने का मतलब यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्ती बढ़ती जा रही है। यहां मुशर्रफ जी आए। उन्होंने दोस्ती बढ़ाने का काम किया लेकिन इंडिया की क्रिकेट टीम को हरा दिया। *...(व्यवधान)* मनमोहन सिंह जी ने उनके साथ दोस्ती करने के लिए हाथ बढ़ाया। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री रामदास आठवले कृपया क्रिकेट के साथ अपनी बात समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले: मैं दुश्मनी की बात नहीं कर रहा हूं। *...(व्यवधान)* मैं दोस्ती की बात कर रहा हूं, इसके लिए आपका भी समर्थन चाहिए। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं। हमारी पाकिस्तान के साथ दोस्ती बढ़ रही है, अच्छी बात है लेकिन यह दोस्ती हमेशा रहनी चाहिए।

जहां तक जम्मू-कश्मीर का सवाल है, वहां अमन-चैन कायम हो। मैं मुशर्रफ जी से निवेदन करना चाहता हूं कि पाकिस्तान के पास जम्मू-कश्मीर का जो हिस्सा है, वह हमें मिलना चाहिए। हमने जम्मू-कश्मीर को आटोनोमी दे दी है। मैं जम्मू-कश्मीर के लोगों और वहां के आतंकवादी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि उन्हें हमारे साथ रहना चाहिए। वहां आतंकवाद खत्म होना चाहिए। हम दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। आपने जम्मू-कश्मीर को स्पैशल पैकेज दिया है और वहां रेल चालू होने वाली है; मैं मनमोहन जी से अपील करना चाहता हूं कि जम्मू-कश्मीर को ज्यादा से ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। वहां के लोगों को यह नहीं लगना चाहिए कि उनका विकास नहीं हो रहा है। *...(व्यवधान)* सभापति महोदय, क्या मैं बैठ जाऊं? अगर मैं बैठ गया तो दोस्ती नहीं होगी। मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधान मंत्री बन गए हैं। मैं एक कविता सुनाता हूं।

भारत के प्रधान मंत्री बन गए हैं मनमोहन सिंह जी,
इसलिए सोनिया गांधी मजबूत बन गई हैं विंग,
भारत के विदेश मंत्री बन गए हैं नटवर सिंह,
पाकिस्तान और चाइना के साथ आगे दोस्ती बढ़ रही है रिंग,
क्योंकि मनमोहन सिंह है, भारत के किंग।
मैं नटवर सिंह जी को पाकिस्तान की याद दिलाता हूं।
मैं चाइना और पाकिस्तान के साथ दोस्ती चलाता हूं।
मैं अपने दुश्मनों को जलाता हूं।
और भारत-पाकिस्तान के लोगों को आपस में मिलाता हूं।

आपस में एक-दूसरे को मिलाने का जो काम करना है, इसके लिए आपका भी सपोर्ट चाहिए। अगर मैं अकेला जाऊंगा तो मैं मिला नहीं सकूंगा इसलिए आपकी भी जरूरत है।

चीन के राष्ट्रपति यहां आए थे और मुशर्रफ जी यहां आए थे, मुझे विश्वास है कि हमारी दोस्ती अच्छी तरह से आगे बढ़ेगी। आगे के चार साल में ऐसा काम करने वाले हैं, बाद में यह इधर तो दिखाई नहीं देते हैं, बाहर भी दिखाई नहीं देंगे। हमें यह काम करना है।

सभापति महोदय, यह दोस्ती बढ़े, इसलिए मैं इस चर्चा का पूरा समर्थन करता हूं। हमारी सरकार आगे के चार साल में बहुत अच्छा काम करेगी और हम पांच साल के लिए फिर सत्ता में आ जाएंगे। हम सब लोगों को मिलकर आगे बढ़ना होगा। इसके साथ ही मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और विदेश मंत्री जी को पूरा सपोर्ट जाहिर करता हूं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: इसके बाद कुछ भी कार्य वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: अब, माननीय प्रधानमंत्री अपनी बात कहें।

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री (डा. मनमोहन सिंह): महोदय, मैं 20 अप्रैल, 2005 को चीन और पाकिस्तान के साथ हमारे संबंधों पर दिए गए अपने स्वत: वक्तव्य पर सभी प्रबुद्ध सदस्यों द्वारा की गई टिप्पणियों के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं। तब से हमारे विदेश सम्बन्धों में नये आयाम जुड़ चुके हैं जिसे मैं इस सम्मानीय सभा को बताना चाहता हूं।

तथापि, आरम्भ में, मैं हमारी विदेश नीति के प्रति भारी मतैक्यता बनाए रखने और इसकी प्रक्रिया को जारी रखने के लिए अपना गहन संतोष प्रकट करता हूं। यह दलगत भावनाओं से हटकर माननीय सदस्यों द्वारा की गई कई अभ्युक्तियों से प्रतिबिम्बित होता है।

महोदय, चीन के साथ हमारे संबंधों के बारे में इस सभा में मतैक्यता है। जैसा कि मैंने अपने वक्तव्य में उल्लेख किया था कि हमारी सरकार चीन के साथ हमारे संबंधों के विकास को बहुत महत्ता देती है। हमारे इस महत्वपूर्ण पड़ोसी के साथ हमारे आर्थिक सहयोग में विस्तार की बहुत सम्भावनाएं हैं। सीमा संबंधी प्रश्न के समाधान के बारे में, मैं यह मानता हूं कि इस मामले में जटिलताएं हैं। किन्तु इस मामले में चीन के साथ हमारा एक समझौता हो गया है जिसमें सीमा संबंधी प्रश्न के समाधान के लिए महत्वपूर्ण राजनैतिक मानदण्डों और मार्गदर्शी सिद्धान्तों को तैयार कर लिया गया है।

महोदय, हाल ही में हमारे द्विपक्षीय सम्बन्धों में लगातार प्रगति हुई है जो अब कई क्षेत्रों में सहयोग और बढ़ती पारस्परिक समझ में लक्षित होने लगी है। मैं चीन के साथ हमारे सम्बन्धों को विरोधियों के सम्बन्धों की तरह नहीं देखता हूं किन्तु ऐसे सहभागियों की तरह देखता हूं जो एशिया और सम्पूर्ण विश्व में शान्ति, सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देने में जुटे हैं।

महोदय, प्रो. रामगोपाल यादव यहां उपस्थित नहीं हैं। उन्होंने कतिपय वक्तव्य दिये थे। मुझे मालूम है कि हम ऐसे मुद्दों से जूझ रहे हैं जो अत्यधिक सामयिक महत्व के हैं। इसमें कुछ जोखिम हैं किन्तु मैं सोचता हूं कि ये जोखिम हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते हैं तथापि हमें सभी घटकों पर ध्यान देते हुए इस जटिल समस्या को सुलझाने का प्रयास करना होगा।

जहां तक पाकिस्तान का प्रश्न है तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि सभी सदस्यों ने पाकिस्तान के साथ हमारे संबंधों को सामान्य बनाने के महत्व पर बल दिया है। हमारी हार्दिक कामना है कि सभी अनसुलझे मुद्दों पर दोनों पक्षों को मान्य समाधान मिल सकें। माननीय सदस्यों ने सीमापार आतंकवाद को पूर्णत: रोकने और नियंत्रण रेखा के पार चल रहे आतंकवादी प्रशिक्षण शिविरों को समाप्त करने की बात पर जो बल दिया है वह उचित है।

मैंने राष्ट्रपति मुशर्रफ से स्वयं कहा कि यदि निर्दोष लोगों महिलाओं तथा बच्चों पर आंतकवादी हमले जारी रहते हैं तो चालू समग्र वार्ता प्रक्रिया को आगे बढ़ाने तथा शांति स्थापना के अपने प्रयासों में मुझे भारतीय जनता का साथ नहीं मिल पाएगा।

हम पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल मुशर्रफ द्वारा की गई उस प्रतिज्ञा की सराहना करते हैं, जिसके माध्यम से उन्होंने कहा है कि वह आतंकवाद को द्विपक्षीय शांति प्रक्रिया में रोड़ा नहीं बनने देंगे। महोदय, हम दोनों, स्थायी शांति और दोनों देशों के बीच सभी मुद्दों के सुचारु समाधान के लिए कटिबद्ध है। हालांकि, यह सब निर्भर करेगा कि सीमापार से हो रही घुसपैठ विशेषकर गर्मी में

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

कश्मीर में बर्फ पिघलने के बाद वास्तविक जमीनी स्थिति क्या है। हमें सतर्क रहना है क्योंकि आतंकवादी और उग्रवादी शक्तियां अब भी सक्रिय हैं। इस बारे में सतर्कता में कोई ढील नहीं दी जाएगी।

महोदय, समग्र सुरक्षा उपायों के कारण श्रीनगर-मुजफ्फराबाद बस सेवा के दौरान पुन: कोई दुर्घटना नहीं हुई है और नियंत्रण रेखा के दोनों ओर रहने वाले लोगों पर इस सेवा का सकारात्मक प्रभाव अत्यंत स्पष्ट है। हम अमृतसर और नानकाना साहिब के बीच एक नई बस सेवा आरंभ करने हेतु पाकिस्तान सरकार के साथ तकनीकी वार्तालाप में पहले से ही लगे हुए हैं हमें निकट भविष्य में इन सेवाओं के आरंभ होने की आशा है। मैंने माननीय सदस्य श्री मधुसूदन मिस्त्री की गुजरात को सिंध से जोड़ने वाले नए मार्ग खोलने की इच्छा को नोट कर लिया है। हम यह मुद्दा भी उठाएंगे।

बगलीघर मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के मतभेदों का निरीक्षण करने हेतु विश्व बैंक द्वारा तटस्थ विशेषज्ञ नियुक्त करने पर कुछ बातें की जा रही हैं। इस परियोजना पर कार्य बंद करने का प्रश्न ही नहीं उठता। माननीय सदस्यों को यह मालूम होना चाहिए कि 1960 की सिंधु जल संधि की शर्तों के अनुसार यदि एक पक्ष भी अभ्यावेदन करे तो विश्व बैंक को एक तटस्थ विशेषज्ञ की नियुक्ति करनी होगी। हमने महसूस किया था कि विश्व बैंक को इसमें घसीटने में जल्दबाजी की गई क्योंकि हमारे विशेषज्ञों के बीच और तकनीकी वार्ता से मतभेद कम हो सकते थे। मैंने राष्ट्रपति मुशर्रफ से स्वयं कहा है कि यदि पाकिस्तान इस परियोजना के किसी भी पक्ष के बारे में युक्तियुक्त तथा तकनीकी आपत्तियां करता है तो हम उचित डिजाइन सुधारों पर विचार कर सकते हैं। हम तटस्थ विशेषज्ञ को सभी आवश्यक जानकारी तथा तकनीकी विवरण प्रदान करने की तैयारी कर रहे हैं ताकि वह विस्तृत मूल्यांकन कर सकें। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि भारत ने सिंधु जल संधि का कभी भी उल्लंघन नहीं किया है पिछले 45 वर्षों से यह यथावत बरकरार है। इस संधि का पूरा-पूरा पालन कर रहे हैं।

अपराह्न 5.58 बजे

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

महोदय, अनेक माननीय सदस्यों ने भारतीय मुछआरों और अन्य भारतीय नागरिकों की पाकिस्तान में लम्बी नजरबंदी पर अपनी वेदना जताई है। हमारी सरकार और हमारे विदेश मंत्री श्री नटवर सिंह के प्रयासों के चलते भारी संख्या में ये कैदी रिहा हो गए हैं और पाकिस्तान की जेलों में रह रहे शेष व्यक्तियों को छुड़ाने के लिए सारे प्रयास किए जा रहे हैं। हम पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा पकड़ी गई मछुआरों की नौकाओं को छुड़ाने के लिए भी पाकिस्तान की सरकार के संपर्क में हैं, ताकि हमारे मुछआरे, अपनी आजीविका अर्जित करना आरंभ कर सकें।

बांग्लादेश के साथ हमारी पारंपरिक मित्रता के संबंध में जिन्हें सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों द्वारा और अधिक बल मिला है। हमारी हार्दिक इच्छा है कि गरीबी, अशिक्षा और रोग जैसी मूलभूत सामान्य समस्याओं की चुनौती का सामना करने के लिए हम बांग्लादेश की सरकार और जनता के साथ मिलकर काम करें। मैंने, श्री हन्नान मोल्लाह द्वारा उठाए गए मुद्दे को बहुत गंभीरता से लिया है। इस संबंध में इस ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे। हम इस बात से चिंतित है कि बंग्लादेश की भूमि का भारतीय उग्रवादी गुटों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि मुझे पूरी आशा है कि दोनों देश इन मुद्दों को सुलझाने तथा शांति, सुरक्षा तथा विकास को बढ़ावा देने के लिए मिलकर कार्य कर सकते हैं। हम दोनों के ही सामने विकास सबसे बड़ी चुनौती है और समय रहते हमें इसमें सफलता प्राप्त करनी है।

सायं 6.00 बजे

महोदय, भूटान नरेश और भूटान की जनता के साथ हमारे बहुत ही अच्छे संबंध हैं, जिनपर हमें गर्व है। भूटान नरेश बुद्धिमान हैं तथा उनके नेतृत्व में भूटान का त्वरित सामाजिक तथा आर्थिक विकास हो रहा है। हमें भूटान के त्वरित विकास पर गर्व है और उसके विकास में भागीदार बनने पर हमें प्रसन्नता है।

महोदय, एक माननीय सदस्य ने नेपाल की स्थिति का उल्लेख किया था। नेपाल के साथ हमारे शताब्दियों पुराने सांस्कृतिक संबंध हैं और नेपाल की सुरक्षा तथा विकास में हमारी महत्वपूर्ण भागीदारी है। हमारी एक मात्र इच्छा यही है कि नेपाल को आधुनिकीकरण के नए युग में नेपाल की राष्ट्रीयता के दो स्तंभों-संवैधानिक राजशाही तथा बहु-दलीय लोकतंत्र के प्रति पूरी प्रतिबद्धता से प्रवेश करना चाहिए। नेपाल के पड़ोसी के रूप में और उसके साथ हमारे विशेष संबंधों की दृष्टि से हमें वहां की स्थिति पर चिंता होती है।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया एक मिनट रुकिए। हमें माननीय प्रधानमंत्री के उत्तर के बाद सभा के समय को बढ़ाना होगा। हमें निजी सुरक्षा एजेंसियां (विनियमन) विधेयक, 2005 लेना है। अत: यदि सभा सहमत है तो क्या मैं सभा का समय एक घंटे के लिए बढ़ा सकता हूं।

अनेक माननीय सदस्य: ठीक है।

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): आप इसे सात बजे तक बढ़ा सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: सभा का समय सायं सात बजे तक के लिए बढ़ाया जाता है।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: उपाध्यक्ष महोदय, आर.जे.डी. सांसदों को एक आवश्यक मीटिंग में जाना हूं, इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस विधेयक को अभी इंट्रोड्यूस कर दिया जाए और यह बहस कल करा ली जाए।

[अनुवाद]

डा. मनमोहन सिंह: हम नेपाल के लोगों के साथ शांति, सुरक्षा और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए भविष्य में सहयोगपूर्ण अन्तरक्रिया का मार्ग ढूंढने के प्रति गंभीर है।

हम श्रीलंका की एकता और अखण्डता के प्रति अपनी परम्परागत प्रतिबद्धता पर कायम है। हम यह आशा भी करते है कि तमिल अल्पसंख्यकों सहित श्रीलंका के सभी वर्ग सार्थक बातचीत के माध्यम से एक टिकाऊ सहयोगी व्यवस्था के निर्माण में समर्थ होंगे जिससे कि प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान का जीवन जी सकेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, आर्थिक सृजनात्मकता और उद्यम के शक्तिशाली केन्द्र के रूप में उभरने के लिए दक्षिण-एशिया को मिल-जुलकर कार्य करना होगा। इसके लिए जरूरी है कि सभी देश आपस में सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखे। हम इसी संकल्पना को ध्यान में रखकर अपने पड़ोसी देशों के साथ मित्रता और सहयोग का हाथ बढ़ा रहे है।

विदेशी संबंधों की दृष्टि से अप्रैल का महीना उल्लेखनीय रहा है। मेरे स्वयं के वक्तव्य के बाद हमने जापान के माननीय प्रधानमंत्री कुइजोमी और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कोफी अन्नान की मेजबानी की है। इसके अतिरिक्त 22 अप्रैल से 24 अप्रैल 2005 के बीच इंडोनेशिया में जकार्ता और बांडुग में आयोजित अफ्रो-एशियन सम्मेलन की 50वीं वर्षगांठ का समारोह भी उल्लेखनीय घटना है। मैं हाल ही में मास्को से लौटा हूं, जहां पर मैंने फासीवाद और नाजीवाद पर विजय की 60वीं वर्षगांठ समारोह में भाग लिया था। इस अवसर पर मैंने राष्ट्रपति पुतिन के साथ हमारे बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति की समीक्षा की। हम दोनों ने सहयोग के क्षेत्रों में विस्तार तथा अपनी रणनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सहमति व्यक्त की है।

महोदय, अमरीका के साथ हमारे संबंध इतने अच्छे कभी नहीं रहे। दोनों देशों ने आगामी दिनों में इन संबंधों को सुदृढ़ करने की मंशा जाहिर की है। मुझे राष्ट्रपति जार्ज बुश के साथ पिछले साल सितम्बर में न्यूयार्क में और पिछले सप्ताह मास्कों में विचार-विमर्श करने का मौका मिला था। विदेश मंत्री की वाशिंगटन यात्रा के दौरान एक भारतीय-अमरीकी ऊर्जा पैनल की घोषणा की गई थी जिसके माध्यम से दोनों देश असैनिक परमाणु ऊर्जा सहयोग की संभावनाओं सहित ऊर्जा सहयोग के लिए दीर्घावधि योजना तैयार करने में सफल होंगे।

अमरीका के साथ-साथ अन्य देशों ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है कि अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा स्रोतों पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है और अब तेल की ऊंची कीमतों को रोका जाना चाहिए। भारत जैसे देशों को गरीबी उपशमन के लिए आर्थिक विकास की गति बढ़ाने की आवश्यकता हैं, ऊर्जा इसमें बाधा नहीं बन सकती। हमारे लिए परमाणु ऊर्जा इस चुनौती का सामना करने का महत्वपूर्ण उपाय है। अत: हम अपने स्वदेशी परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को जारी रखने और उनका विस्तार करने की इच्छा रखते है। इससे विश्व भर में आपूर्ति की जाने वाली पारम्परिक ऊर्जा पर पड़ने वाला दबाव कम होगा। परमाणु अप्रसार के मुद्दे पर भारत का रिकार्ड बेदाग रहा है और इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। हाल ही में भारत के साथ परमाणु ऊर्जा उत्पादन में सहयोग पर प्रतिबंध लगाए गये थे जो कि ऐतिहासिक दृष्टि से अनुपयुक्त और अनुत्पादक हो गए है। मास्को में राष्ट्रपति पुतिन के साथ अपनी बैठक के दौरान मैंने इस क्षेत्र के साथ अन्य द्विपक्षीय मसलों पर भारत और रूस के सहयोग पर संतोष व्यक्त किया था और यह आशा भी व्यक्त की थी कि आने वाले वर्षों में भारत और रूस के बीच सहयोग के क्षेत्रों में वृद्धि होगी मैं इस वर्ष जुलाई में राष्ट्रपति बुश को निमन्त्रण पर वाशिंगटन की यात्रा करूंगा, मेरी मंशा है कि मैं वहां पर ऊर्जा सहयोग पर अपनी बातचीत जारी रखूंगा जिन्हें हमने मास्को में हुई अपनी संक्षिप्त मुलाकात में उठाया था।

28 और 29 अप्रैल को जापान के प्रधानमंत्री कोईजुमी की भारत यात्रा से दोनों देशों के बीच सतत और सार्थक संबंधों का सूत्रपात हुआ है। दोनों देशों के बीच घनिष्ठ राजनीतिक, लोकतांत्रिक तथा सांस्कृतिक संबंध होने के बावजूद भारत और जापान के आर्थिक संबंध इतने अच्छे नहीं हो पाए जितने हो सकते थे। यात्रा के दौरान हमारे संबंधों के इसी पहलू पर गंभीरतापूर्वक ध्यान दिया गया है और मुझे यह कहते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि हमने अपने संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। इसी के अनुसरण को जापान ने हमें मुंबई और दिल्ली तथा दिल्ली

और कलकत्ता के बीच उच्च गति वाले रेल फ्रेट कारीडोर की स्थापना में सहायता देने के प्रति सहमति व्यक्त की है। जापान में बड़े और बढ़ती हुए साफ्टवेयर बाजार की मांग को पूरा करने के लिए जापान हमारे सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय शैक्षिक संस्थाओं में जापानी भाषा को प्रशिक्षण हेतु सुविधाएं उपलब्ध करायेगा।

माननीय सदस्यों को याद होगा कि 1955 में हुए अफ्रीकी-एशियाई सम्मेलन का उपनिवेशवाद की शीघ्र समाप्ति और एशिया एवं अफ्रीका को उदयीमान राष्ट्रों में एकता की भावना बनाने तथा गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना करने की दिशा में ऐतिहासिक योगदान रहा है। अब हुए सम्मेलन के दौरान विभिन्न नेताओं के साथ हुई मेरी बैठकों में 50 वर्ष पूर्व हुई उस बैठक में प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की गई। भारत को एशियाई देशों की ओर से बोलने का अत्यंत विशिष्ट सम्मान मिला और पूरी दुनिया से आए नेताओं की असाधारण बैठक में हमारी आवाज को सम्मान से सुना गया। महोदय, इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि सम्मेलन ने विकासशील देशों में एकता और पारस्परिक सौहार्द बनाए रखने की भावना जगाई है। ये राष्ट्र एक दूसरे की शक्ति को बढ़ावा देकर इन भावनाओं को अमलीजामा पहना रहे हैं और न अधिक बराबर अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्था में हमारी विशिष्ट सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति का उपयोग कर रहे है। महोदय मैं उपस्थित नेताओं से अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था के कार्यकरण में निर्मित असंतुलन से निपटने के लिए नए समाधान ढूंढने का अनुरोध करता हूं। ताकि वैश्वीकरण की प्रक्रिया का विस्तार किया जा सके। मैं इस सच्चाई की ओर भी ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि हमारे पास अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद से लड़ने के लिए स्वयं की पृथक संकल्पना है। आतंकवाद आज एक वैश्विक समस्या के रूप में उभर रहा है। यह संकल्पना 'सभ्यताओं को संघर्ष' के तथाकथित सिद्धान्त के स्थान पर 'सभ्यताओं के बीच संवाद' की सार्थक पहल की आवश्यकता पर आधारित है।

एशियाई नेताओं के साथ बांडग में हुई बैठकों में भी मुझे 'लुक ईस्ट पालिसी' के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर जोर देने तथा दक्षिण-पूर्व तथा पूर्वी एशिया के देशों के साथ प्रगाढ़ सम्बन्ध बनाने का अवसर मिला। हम 21वीं सदी को वास्तव में एशियाई शताब्दी बनाने के लिए आसियान और पूर्वी एशियाई देशों के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है।

महोदय, मुझे सभा को सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि इस क्षेत्र के देशों ने इस भावना के प्रति इस वर्ष के अन्त में होने वाले पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में भारत को आमन्त्रित करने का निर्णय लेकर सकारात्मक रूख दर्शाया है। हम पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया के विकसित देश और अफ्रीका और लातिनी अमेरिका के साथ अपने सहयोग को सुदृढ़ बनाने के लिए भी कटिबद्ध प्रयास कर रहे हैं।

हमने अपनी नई ''रणनीतिक सहभागिता'' के माध्यम से यूरोपीय यूनियन के साथ भी अपने संबंधों में नई जान फूंकने के लिए कदम उठाए हैं। यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष के रूप में सितम्बर माह में प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर का आगामी दौरा इसे एक ठोस अर्थ देने का अवसर प्रदान करेगा और यूरोपीय यूनियन तथा यूनाइटेड किंगडम दोनों के साथ हमारी रणनीतिक भागीदारी को भी मजबूती प्रदान करेगा।

मैं जुलाई माह में स्टाकलैण्ड के ग्लेनएजेंल्स में जी-8 देशों की बैठक में भाग लेने को सुअवसर मानता हूं। इससे वैश्विक सहभागिता के साथ हमारे पारस्परिक सम्बन्धों को मजबूती मिलेगी। इस बैठक में भारत की भागीदारी वैश्विक समुदाय और समग्र रूप से विश्व अर्थव्यवस्था में हमारे स्थान को मान्यता देती है।

अन्य मित्र देशों के सहयोग से भारत का प्रयास संयुक्त राष्ट्र संघ में व्यापक सुधार लाने का है। 25 और 26 अप्रैल, 2005 को संयुक्त राष्ट्र महासचिव कोफी अन्नान के भारत दौरे ने हमें संयुक्त राष्ट्र में वर्तमान परिवर्तनों की समीक्षा और हमारी रणनीति का पुनर्मूल्यांकन करने का अवसर दिया था। भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान वाला जी-4 समूह संयुक्त राष्ट्र आम सभा में दो-तिहाई से अधिक बहुमत जुटाने के हमारे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मिल-जुल कर कार्य करता रहेगा जिससे कि सुरक्षा परिषद सहित संयुक्त राष्ट्र की पुनर्संरचना में पर्याप्त कार्य किये जा सकें।

हम यह मानते हैं कि भारत की बड़ी जनसंख्या, गतिशील अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था बनाने तथा अन्य क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हितों के लिए लम्बे समय से योगदान को देखते हुए, भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता दी जानी चाहिए। हम यह भी मानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार करके इसे अधिक राजनैतिक तथा प्रभावी बहुपक्षीय निर्णय लेने तथा कार्यवाही करने में सक्षम संस्था बनाना चाहिए।

निश्चित तौर पर हम इस तथ्य को समझते हैं कि स्थिति काफी जटिल है तथा कई शक्तिशाली देश बदलाव नहीं चाहते। तथापि कई वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र के सुधार की दिशा में कुछ गति आई है। एक विकासशील देश के रूप में हमें इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए।

[डा. मनमोहन सिंह]

माननीय सदस्यों हम एक तेजी से बदलते विश्व में रह रहे हैं जहां प्रतिदिन नई चुनौतियां रोज उभरती हैं और हमें इन पर ध्यान देना पड़ता है। एक आर्थिक शक्ति के रूप में भारत के सामने आने से शेष विश्व के भारत के आदान-प्रदान तथा संबंधों का दायरा बंढ़ गया है। हमारे लिए हमारी विदेश नीति की मुख्य चुनौती एक ऐसा क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय माहौल तैयार करना तथा बनाए रखना है जो कि हमें आर्थिक वृद्धि बनाया रखने, भारतीय उद्यमिता के लिए अधिक अवसरों का सृजन करने में सक्षम बनाये और भारत की विश्व में एक प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में अपनी विशाल, अन्तर्विष्ट क्षमता को महसूस करने में सक्षम बनाए। इसी के मद्देनजर पिछले वर्ष में हमारी सरकार द्वारा हमारे पड़ोसियों, विशेष रूप से चीन और पाकिस्तान के साथ संबंधों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।

हमने अपना ध्यान ऊर्जा राजनयता पर विशेष बल देते हुए आर्थिक राजनयता पर केन्द्रित किया है। ऊर्जा संसाधनों की अपनी खोज में हमने सूडान जैसे दूर-दराज के देशों में तथा मध्य एशिया में अन्वेषण में बड़े निवेश किए हैं। एक राष्ट्र के रूप में भारत के समग्र हितों के लिए राजनीति तथा अर्थव्यवस्था को साथ-साथ चलना होगा।

महोदय, मुझे आश्वस्त करने दीजिए कि यद्यपि हम जवाहर लाल नेहरू द्वारा विहित विदेश नीति के चिरस्थायी सिद्धान्तों और गत पचास वर्षों से भी अधिक समय में हमारे देश द्वारा तब से निरन्तर अपनाए जा रहे इन सिद्धान्तों के प्रति प्रतिबद्ध हैं, फिर भी हम तेजी से परिवर्तित होती हुई विश्व व्यवस्था द्वारा थोपी गई बाध्यताओं के प्रति सजग हैं। एक देश के रूप में हमारे पास इन नई चुनौतियों, जो हमारे सामने हैं, का सम्मानतापूर्वक सामना करने के लिए पर्याप्त क्षमता, योग्यता है। यह आज विश्व में भारत के उच्च स्थान के प्रति सम्मान ही है कि हमारा देश पूरे भूमंडल के विश्व नेताओं के लिए एक अनिवार्य गंतव्य बन गया है। विश्वास से भरपूर और संगठित राष्ट्र के रूप में भारत की यह छवि उस निरन्तर राजनीतिक मतैक्यता से आई है जो हमारी विदेश नीति की प्रतीक चिह्न रही है।

महोदय, मुझे विश्वास है कि यह उस बात की मान्यता भी है जिसे भारत ने राष्ट्रों के बीच बनाए रखा है। लोकतंत्र के प्रति तथा मानवाधिकारों और विधि के शासन के प्रति सम्मान पर आधारित बहु-जातीय, बहुधार्मिक, बहुभाषी, बहु-सांस्कृतिक लोकतंत्र के प्रति हमारी प्रत्यक्ष प्रतिबद्धता हमें इस युग में अद्वितीय स्थान प्रदान करती है। मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन विश्व के सभी देश उदार और बहुलवादी लोकतंत्र के इन्हीं सिद्धान्तों पर कार्य करेंगे। यही हमें अपनी राष्ट्रीयता का इन जड़ों को पोषित करने के दायित्व का आदेश देता है। मैं विधि के साथ भारत के मिलन के इस दृष्टिकोण को साकार करने के लिए अपनी सरकार द्वारा पूरी ईमानदारी से काम करने का वचन देता हूं।

मैं एक बार फिर इस सम्माननीय सभा, उपाध्यक्ष महोदय को विश्व मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए इस महान देश के प्रधानमंत्री के रूप में मुझे तहेदिल से समर्थन और मार्गदर्शन देने के लिए धन्यवाद देता हूं।

सायं 6.17 बजे

प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) विधेयक, 2005

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम मद संख्या 26, प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) विधेयक, 2005 पर विचार करेंगे। मैं माननीय श्री शिवराज वि. पाटील से विधेयक को विचार हेतु प्रस्तुत करने का अनुरोध करता हूं।

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

> "कि प्राइवेट सुरक्षा अभिकरणों के विनियमन और उससे संबंधित अथवा उससे जुड़े विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा यथा पारित रूप में, विचार किया जाए।"

जैसा कि माननीय सदस्य इस बात से अवगत हैं कि भारत में हाल के वर्षों में प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियों की बाढ़ सी आ गई है। ऐसा व्यापार संस्थानों में बढ़ोत्तरी और भयानक अपराधों की बढ़ती घटनाओं तथा सुरक्षा की बढ़ती मांगों के चलते हुआ है। संसाधनों की कमी के कारण पुलिस अपेक्षित मात्रा में सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती। जबकि प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियां व्यापार संस्थानों के कार्मिकों तथा संपत्ति की सुरक्षा करने की आवश्यकता को पूरा करने में मदद की है, तो भी इनके कार्यकरण के बारे में चिंताएं बढ़ी हैं। इनमें से कई एजेंसियां अपने कार्य उपयुक्त मानदण्डों पर विचार किए बिना करती हैं और यदि इन पर अंकुश न रखा गया, तो इसके सुरक्षा की दृष्टि से गम्भीर प्रभाव हो सकते हैं। साथ ही इस बात का भी डर है कि प्राइवेट सुरक्षा फर्मों के कर्मचारी हथियारों का अवैध रूप से उपयोग करके और पुलिस की वर्दी से मिलती-जुलती वर्दी का उपयोग करके पुलिस के दायित्वों का भी अतिक्रमण कर सकते हैं।

सरकार का प्रस्ताव प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियों के कार्य को विनियमित करने हेतु कानून बनाने का है। जैसा कि स्पष्ट है इस विधेयक के मुख्य उद्देश्य देश में इन एजेंसियों के कार्यकरण हेतु समुचित मानदंड तय करना है और साथ ही इन प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियों के विनियमन में यथासंभव एकरूपता लाना है।

प्रस्तावित कानून की सुरक्षा विशेषताओं में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति विधेयक के प्रावधानों तथा इसमें बनाये गए नियमों के अनुसार नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए लाइसेंस के बिना, सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने वाली कोई भी प्राइवेट एजेंसी नहीं चलाएगा। यह लाइसेंस पांच वर्षों के लिए मान्य होगा और इसका नवीकरण हो पाएगा। इस अधिनियम के शुरू होने से पहले विद्यमान प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियों को भी एक लाइसेंस लेना होगा साथ इसकी शुरूआत से एक वर्ष के अंदर अपने सुरक्षा गार्डों तथा सुपरवाइजरों को प्रशिक्षण देना होगा। बैंकों की नकदी एवं अन्य बहुमूल्य वस्तुओं के परिचालन की सुरक्षा के लिए प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियों द्वारा प्राइवेज सुरक्षा गार्ड, सशस्त्र या निशस्त्र वाहनों का उपयोग किया जा सकता है।

लाईसेंसिंग प्राधिकारी: इस विधेयक के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार राज्य के गृह विभाग के संयुक्त सचिव के समतुल्य अधिकारी या इनके समकक्ष अधिकारी को लाइसेंस प्रदान करने हेतु नियंत्रक अधिकारी बनाएगी।

लाईसेंस के लिए अयोग्य व्यक्ति: इस अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंस जारी करने के लिए एक ऐसे व्यक्ति पर विचार नहीं किया जाएगा, यदि वह कंपनी में पदोन्नति, संरचना अथवा प्रबंधन के संबंध में किसी अपराध-कंपनी के संबंध में उसके द्वारा कोई गबन अथवा अव्यवहार्यता जिसमें एक पूर्णत: भुगतान न करने वाला दिवालिया शामिल हैं, एक सक्षम न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए दोषी पाए गए व्यक्ति, जिसके लिए कम से कम दो वर्ष की जेल की सजा निर्धारित की गई हो; जिसका किसी ऐसे संगठन से संबंध हो जो कि उनकी इन गतिविधियों के लिए किसी कानून द्वारा प्रतिबन्धित हो, जिनसे राष्ट्रीय सुरक्षा अथवा व्यवस्था को खतरा हो अथवा उस व्यक्ति के ऐसी गतिविधियों में शामिल होने की जानकारी हो, जो राष्ट्रीय सुरक्षा अथवा व्यवस्था के लिए सुरक्षित न हो; अथवा जो दुव्यर्वहार अथवा नैतिक अधमता के आधार पर सरकारी सेवा से हटाया गया हो। इस अधिनियम के अंतर्गत एक ऐसी कंपनी, फर्म अथवा व्यक्तियों के संघ को लाइसेंस जारी करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा, यदि वह भारत में पंजीकृत नहीं है अथवा उसका प्रोप्राइटर अथवा प्रमुख शेयर धारक, सहभागी अथवा निदेशक भारत का नागरिक नहीं है।

प्रशिक्षण: सुरक्षा गार्डों/सुपरवाइजरों को निर्धारित प्रशिक्षण देने का प्रावधान विधेयक में दिया गया है।

लाइसेंस को रद्द/निलंबित करना: विधेयक के प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति में नियंत्रक प्राधिकारी लाइसेंस रद्द/निलंबित कर सकता है। तथापि लाइसेंस को रद्द करने से पूर्व लाइसेंस धारक को अपना मामला प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा।

अपीलीय प्राधिकारी: विधेयक में लाइसेंस नहीं दिए जाने या रद्द किए जाने के विरुद्ध अपील करने का भी प्रावधान है। राज्य के गृह सचिव अपीलीय प्रधिकारी होंगे।

अपराध/दण्ड: विधेयक के प्रावधान का उल्लंघन करने की स्थिति में सुरक्षा एजेंसियों पर जुर्माना/कारावास का प्रावधान है।

महोदय इन शब्दों के साथ, मुझे विश्वास है कि सदन के सभी वर्गों द्वारा प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण विधेयक, 2005 का स्वागत किया जाएगा। मैं इस विधेयक को अगस्त में ही इस सभा में विचार करने तथा पारित करने की सिफारिश करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि प्राइवेट सुरक्षा अभिकरणों के विनियमन और उनसे संबंधित अथवा उससे जुड़े विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा यथापारित रूप में, विचार किया जाए।"

अब डा. राजेश मिश्रा इस विधेयक पर विचार प्रस्तुत करेंगे। कृपया संक्षेप में कहें।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना): उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल को कल लिया जाये, क्योंकि माननीय मंत्री महोदय के साथ हमारी कन्सलटेटिव कमेटी की मीटिंग है। आज हमारी मीटिंग है, इसलिए अगर इसे कल लिया जाये तो बड़ी कृपा होगी। *...(व्यवधान)*

श्री विजय कृष्ण (बाढ़): यदि आप इसे कल लेंगे तो बहुत कृपा होगी। *...(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव: हम लोग बहस में पार्टीसिपेट भी करना चाहते हैं और आपको कुछ सुझाव भी देना चाहते हैं। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अभी सात बजे तक तो हाउस बढ़ा दिया गया है, उसके बाद देख लेंगे।

श्री राम कृपाल यादव: हम लोगों की 6.30 बजे एक बहुत आवश्यक मीटिंग है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, कल के लिए हमारे पास दूसरे कार्य हैं। हमें आज ही यह कार्य पूरा करना पड़ेगा। अन्यथा दूसरे कार्य प्रभावित होंगे।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): उपाध्यक्ष महोदय, अब गृह मत्री जी को तो सहूलियत है, लेकिन हम लोगों को जो दिक्कत है, वह मैं अपनी पार्टी की तरफ से बता देना चाहता हूं। ग्रामीण विकास मंत्रालय की हम लोगों की सड़कों के विशेष पर एक मीटिंग है। वह मीटिंग 6.30 बजे आहूत की गई है, इसलिए हमारी पार्टी के माननीय सदस्यों को इस विधेयक पर विचार करने में परेशानी है। माननीय सदस्य इस विधेयक पर अपनी राय रखने में इण्टरेस्टिड हैं, इसलिए ऐसा न किया जाये कि वे इस विधेयक पर अपनी राय न रख पायें। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: सात बजे तक तो हाउस का टाइम बढ़ा दिया गया है, अगर मुमकिम होगा तो उसके बाद देख लेंगे।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: डा. राजेश मिश्रा जी, आप कृपया संक्षेप में अपनी बात कहें। कृपया आप इसी मुद्दे से संबंधित अपने सुझाव दें।

[हिन्दी]

डा. राजेश मिश्रा (वाराणसी): मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) विधेयक, 2005 पर बोलने का अवसर दिया है। यह विधेयक और इस विधेयक के कन्सैप्ट का जहां तक संबंध है, जैसे-जैसे भारत की परिस्थितियां बदलती गई हैं, इसका कांसैप्ट 1974 में पहली बार अगरतला में आयोजित पुलिस साइंस कांग्रेस से आया था। उसके बाद ब्यूरो आफ पब्लिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट द्वारा इस पर स्टडी करवायी गई। फिर वर्ष 1977 में इसकी स्टडी रिपोर्ट पेश सामने आई। 1979-83 का समय ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार करने में लगा और पहली बार 14 दिसम्बर, 1994 को यह बिल राज्य सभा में पेश किया गया। बाद में इसे विड्रा कर लिया गया।

मैं कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर जो कंपनियां और दूसरे तमाम संस्थान हैं, उन्होंने अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, इस तरह की प्राइवेट एजेंसियों के सहयोग लेना शुरू किया और उन्हें सुरक्षा में लगाना प्रारम्भ किया। धीरे-धीरे यह एक बहुत बड़े व्यापार के रूप में परिवर्तित होता गया। इस तरह की एजेंसियों ने सिर्फ उसी जनपद या प्रदेश के अंदर नहीं, बल्कि उस जनपद, उस प्रदेश के बाहर भी भारत के दूसरे हिस्सों में अपनी छोटी-छोटी शाखाएं और आफिसिस खोले और उन शाखाओं और आफिसों के माध्यम से वहां बिजनेस करना शुरू किया। इसीलिए आज इस बिल की आवश्यकता पड़ी। जितने लोग आर्म्स के साथ सुरक्षा में रहते हैं, वे एक्स-सर्विस मैन या एक्स-मिलिट्री मैन होते हैं। जिन लोगों के पास हथियारों के लाइसेंस होते हैं उन लोगों को भी उन्होंने अपनी सुरक्षा में रखा और धीरे-धीरे हिन्दुस्तान में यह एक बहुत बड़े व्यापार का रूप लेता चला गया।

मान्यवर, मैं इस बिल का स्वागत करता हूं। इस बिल के माध्यम से पहली बार राज्यों में एक अथोरिटी का गठन किया जाएगा। संयुक्त सचिव रैंक का अधिकारी इसका मौनिटरिंग करेगा, यह बाडी उसके माध्यम से गवर्न होगी। इसमें क्वालिफिकेशन भी रखी गई है कौन क्वालीफाई करेगा और उन क्वालीफिकेशन्स के फुलफिल करने के बाद ही उसे इन कंपनियों में एंरोल किया जा सकेगा? उसके जो भी सदस्य होंगे, उनके लिए यह शर्त रखी गई कि वह भगोड़ा न हो, दिवालिया न हो और उस पर कोई आपराधिक मुकदमा न चल रहा हो। इस तरह लीगल फिनोमिना में इसे बदलने का प्रयास किया गया है। इस तरह की जो कंपनियां हैं, उनकी लाइसेंसिंग फीस तय की गई है। यदि उन्हें एक जनपद में काम करना है तो 5 हजार रुपए और यदि 5 जनपदों में करना है तो 10 हजार रुपए और यदि पूरे प्रदेश में करना है तो 25 हजार रुपए लाइसेंसिंग फीस देनी होगी। फिर 5 साल के बाद उनका रिन्युवल किया जाएगा। उसमें जो गाड्र्स होंगे, उनके कैरेक्टर होने चाहिए कि वे उस काम के लायक हैं या नहीं। इसमें जो अथोरिटी होगी उसे यह पावर दी गई है कि वे लाइसेंस दे सकते हैं। उन्हें लाइसेंस निरस्त करने का अधिकार भी प्राप्त है। यदि उन्हें यह लगता है कि कहीं गलती हो रही है तो वे उस लाइसेंस को निरस्त भी कर सकते हैं।

अपराह्न 6.26 बजे

[श्री वरकला राधाकृष्णन *पीठासीन* हुए]

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कई वक्ता हैं और हमें यह चर्चा सात बजे तक समाप्त करनी होगी। यदि आप ज्यादा देर तक बोलना चाहते हैं तो इस चर्चा को हम आज पूरा नहीं कर पायेंगे।

[हिन्दी]

डा. राजेश मिश्रा: महोदय, मुझे बोलते हुए सिर्फ दो-तीन मिनट ही हुए हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय सदस्य, आपको यह महसूस करना चाहिए कि यह आपकी आवश्यकता भी है क्योंकि कल हमारे पास समय नहीं होगा।

[हिन्दी]

डा. राजेश मिश्रा: यह अथोरिटी इंक्वायरी भी करेगी। रिन्युवल करने का काम इसी अथोरिटी के माध्यम से किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इसकी एक फाइल होगी और फाइल में इन्हें एंरोल्स कराना पड़ेगा कि हमारे कितने सदस्य हैं। मैं महसूस करता हूं कि जितने भी प्रावधान इस तरह की कंपनियों को लिग्लाइज करने के लिए होने चाहिए, वे सब सरकार ने इस बिल के माध्यम से किए है। मैं दो-तीन बिंदुओं पर माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इन्होंने इस बिल में जम्मू-कश्मीर के क्षेत्र को शामिल नहीं किया है, जम्मू-कश्मीर को छोड़ दिया गया है।

मान्यवर, यह शंका पैदा करता है कि आखिर जम्मू-कश्मीर को क्यों छोड़ दिया गया। पूरे हिन्दुस्तान के अंदर शंका पैदा करता है कि आखिर जम्मू-कश्मीर को क्यों छोड़ दिया गया। पूरे हिन्दुस्तान के अंदर यदि कम्पनियां लीगलाइज हो रही हैं, चैनेलाइज हो रही हैं, एक चैनल के माध्यम से उनमें काम होगा, सरकार सारी चीजों को अपने अधिकारियों के माध्यम से गवर्न कर रही है, तो आज जम्मू-कश्मीर में भी इसी तरह की कम्पनियां हैं, जहां प्राइवेट एजेंसियों के माध्यम से काम करने की आवश्यकता है। मेरा सरकार से अनुरोध होगा कि यदि जम्मू-कश्मीर को इसमें इनक्लूड नहीं किया गया है, तो उसके कारणों पर भी चर्चा होनी चाहिए कि आखिर उसे क्यों नहीं इनक्लूड किया गया है।

यह पर्टीकुलरली जम्मू-कश्मीर का मामला है और वहां जिस तरह बाहरी लोग होते हैं, तो उससे यह शंका पैदा होती है कि यदि बाहरी लोगों की वजह से जम्मू-कश्मीर को इसमें इनक्लूड नहीं किया गया है, तो ऐसे लोग दूसरे प्रदेशों में भी जा सकते हैं। फिर दूसरे प्रदेशों को भी निकालना पड़ेगा।

इस बिल के माध्यम से इन कम्पनियों के सुरक्षा गाड्र्स के इंटरस्ट्स को भी वाच किया जाना चाहिए। प्रैक्टिस में देखा गया है कि कम्पनियों के मालिक अपने गाड्र्स को दो हजार रुपये, ढाई हजार रुपये तनख्वाह देते हैं, लेकिन कम्पनियों से एक व्यक्ति के लिए 5,000-10,000 रुपये लेते हैं। हमें महसूस होता है कि इसमें कहीं न कहीं लेबर एक्ट को इन्वाल्व किया जाना चाहिए। उनकी पे फिक्स होनी चाहिए। उनको हैल्थ ग्राउंड्स पर सारे बैनीफिट्स दिए जाने चाहिए। उनकी सर्विस कंडीशन्स फिक्स होनी चाहिए। जैसे इसमें दिया गया है कि उनकी एज 60 साल से ज्यादा न हो, यदि वे 60 साल तक सेवा करते हैं, तो 60 साल के बाद कम्पनी उन्हें और क्या दे सकती है, इस पर भी विचार किया जाना चाहिए।

इन्हीं सुझावों के साथ मैं इस बिल का स्वागत करता हूं।

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): सभापति महोदय, मैं प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) विधेयक, 2005 का स्वागत करता हूं। देश भर में निजी सुरक्षा एजेंसियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इन सेवा को परिभाषित करना और इसे विनियमित करना और एक उचित अधिनियम द्वारा इसे दिशा देना अनिवार्य हो गया है। इस विधेयक से यह उद्देश्य पूरा होगा।

इस समय लगभग 40 लाख लोग देश भर में निजी सुरक्षा एजेंसियों में गार्ड के रूप में कार्यरत है। उनकी वृद्धि दर बहुत अधिक है जो लगभग 20 प्रतिशत है। प्रति वर्ष पांच से छह लाख लोग इन एजेंसियों को ज्वाइन करते हैं। भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व पुलिसकर्मी और अन्य लोग इन एजेंसियों को ज्वाइन कर रहे हैं। वे देश में सुरक्षा प्रदान करने की बढ़ती मांग को पूरा करके एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। इसी कारण, यह विधेयक महत्वपूर्ण है और मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

फिर भी, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान कतिपय त्रुटियों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। संभवत:, इस विधेयक को जल्दबाजी में तैयार किया गया है। इसमें एक कमी यह है कि इस विधेयक का उद्देश्य एक नियंत्रण प्राधिकारी की नियुक्ति करना है जो संयुक्त सचिव अथवा समान पद का होगा। यह सिर्फ एक व्यक्ति के नियंत्रण वाला प्राधिकरण होगा। यह एक काफी खतरनाक उपबन्ध है, क्योंकि इस व्यक्ति के खिलाफ कोई भी शिकायत नहीं की जा सकती है। वह सभी बातों से सुरक्षित होगा। वह तानाशाह रवैया अपना सकता है और इससे समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। मैं समझता हूं कि इस निकाय में त्रिपक्षीय प्रतिनिधित्व होना चाहिए, जिसमें सेवा प्रदाता, उद्योग और गार्ड शामिल हों। इन सभी तीनों विभागों का प्रतिनिधित्व एक निकाय में होना चाहिए और ऐसे निकाय को मामलों की जांच करनी चाहिए। संयुक्त सचिव सदस्य-सचिव बन सकता है लेकिन एक व्यक्ति के नियंत्रण वाला प्राधिकरण

[श्री हन्नान मोल्लाह]

उचित नहीं है। इस बारे में विचार किया जा सकता है। इसका प्रावधान इस विधेयक के खंड 3(1) में किया गया है।

खंड 7(iii) के अंतर्गत एक अन्य क्षेत्र भी आता है जिसमें जिला और राज्य स्तर के संगठनों का उल्लेख है। यदि कोई ऐसा बड़ा संगठन है जो राज्य की सीमा से बाहर भी कार्य कर सकता है तब ऐसे संगठन का क्या होगा? इसका उपबंध इस विधेयक में नहीं है।

खंड 13 में यह प्रावधान है कि यदि कोई गार्ड गलती करता है तो पूरी एजेंसी की सेवाएं रद्द कर दी जाएंगी। एक आदमी की गलती के कारण उस संगठन में कार्यरत बहुसंख्यक लोगों को निलम्बित अथवा बेरोजगार कर दिया जायेगा। मैं समझता हूं यह उचित नहीं है। मैं मंत्री महोदय से इस पहलू पर ध्यान देने का अनुरोध करता हूं।

खंड 14 के बारे में भी मेरा अनुरोध है कि सिर्फ एक गृह सचिव के बजाय एक राष्ट्रीय बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए जो पूरे देश में इन सेवाओं पर नजर रख सके।

खंड 23 के बारे में, नियंत्रण अधिकारी को इन्डेम्निटी दी गयी है। नियंत्रण अधिकारी के विरुद्ध कोई मुकदमा अथवा शिकायत नहीं की जा सकती। यह सुरक्षा संबंधी चिंता का मामला है। कोई प्रावधान अवश्य होना चाहिए अन्यथा कोई भी अधिकारी गलती कर सकता है और कुछ गलत कर सकता है और उसके विरुद्ध कोई शिकायत हो सकती है लेकिन उसे दंड नहीं दिया जाएगा।

एक अन्य समस्या यह है कि एक विदेशी भारत में निजी सुरक्षा एजेंसी शुरू कर सकता है, परंतु भारतीयों को विदेशों में एजेंसी खोलने की अनुमति नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि ऐसा क्यों है। इस सेवा का विकास हो रहा है। बेरोजगार लड़के-लड़कियां देश के भीतर और बाहर इस सेवा से जुड़ रहे हैं। क्यों न ऐसी कंपनियों को यहां स्थापित होने तथा दूसरे देशों में सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दें?

कर्मचारियों अथवा गार्ड की सुरक्षा, उनकी सेवा शर्तें, उनके अधिकार तथा उनके वेतन का कोई भी उपबंध इस विधेयक में नहीं है। गार्डों की सुरक्षा का इस विधेयक में उल्लेख नहीं है। ये कुछ खामियां हैं। इस विधेयक में ये कतिपय कमियां हैं जिन पर उचित ध्यान नहीं दिया गया है। इस विधेयक में इन सभी बातों का उल्लेख होना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से इन सभी बातों पर विचार करने का अनुरोध करता हूं। मैं यह समझता हूं कि इस विधेयक को जल्दबाजी में तैयार किया गया है। मैं अनुरोध करता हूं कि इन मुद्दों पर समुचित विचार किया जाना चाहिए। जब इन मुद्दों पर उचित ध्यान दिया जायेगा केवल तभी यह विधेयक प्रभावी होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): सभापति जी माननीय गृह मंत्री जी ने जो प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) विधेयक, 2005 प्रस्तुत किया है, उसका मैं स्वागत करता हूं। यह ठीक है कि प्राइवेट सुरक्षा एजैंसीज पर कोई नियंत्रण होना चाहिए तथा लाइसेंस देने के लिए उनकी सेवा शर्तें होनी चाहिए। यह बहुत आवश्यक था। मैं समझता हूं कि सरकार की ओर से इस दिशा में यह एक सार्थक पहल है।

सभापति महोदय, यह सही है कि यह रोजगार सृजन का बहुत बड़ा माध्यम है। लगभग 50 लाख सुरक्षा गार्डस जिनमें गरीब, भूमिहीन, मजदूरों को रोजगार मिला हुआ है, जिसमें सरकार का कोई आर्थिक योगदान नहीं है, उन लोगों को अगर कोई क्षेत्र रोजगार देता है तो निश्चित रूप से यह एक बड़ा कदम है। मुझे प्रसन्नता है कि इसमें जो सेवा शर्तें हैं, जिनको सुरक्षा गार्ड बनाया जायेगा, उसमें उन लोगों को प्राथमिकता देने की बात की गयी है जिन्होंने कभी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या किसी और सशस्त्र बल में काम किया हो या पुलिस या होम गार्ड में जिनकी सेवाएं हों। यह एक अच्छा प्रयास है। हम इसका स्वागत करते हैं।

सभापति महोदय, जैसा अभी हन्नान मोल्लाह जी ने कहा, वही मैं निवेदन करना चाहता हूं। आपने इसमें नियंत्रक प्राधिकारी बनाने की बात की है। राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, उस राज्य के गृह विभाग में संयुक्त सचिव से अन्यून पंक्ति के किसी अधिकारी या समतुल्य अधिकारी को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नियंत्रक प्राधिकारी के रूप में पदाभिहित करेगी।

सभापति जी, यह बात अपनी जगह दुरूस्त है कि अभिकरणों को ये ही लाइसेंस देंगे, लाइसेंस का नवीनीकरण करेंगे और ये ही लाइसेंस रद्द करेंगे। मैं माननीय गृह मंत्री जी से विनम्र आग्रह करूंगा कि एक व्यक्ति को जो शक्ति मिली हुई है, अगर यह शक्ति 4-5 लोगों में बंट जाती है और सामूहिक जिम्मेदारी होती, तो मैं समझता हूं कि ज्यादा अच्छा रहता। मुझे यह भी निवेदन करना है और जैसे इसकी क्लाज में लिखा गया है कि इस बात के अनेक उदाहरण हैं कि जब प्राइवेट सुरक्षा अभिकरणों द्वारा उपलब्ध कराये गये सुरक्षा गार्डों में से अगर कोई एक सुरक्षा गार्ड, मैं पूरा नहीं पढ़ना चाहता हूं, यदि वह आदतन नशे में अनुशासनहीन पाया गया या अपराध करने में लिप्त पाया गया ऐसे में माननीय गृह मंत्री जी से मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि अगर किसी

सुरक्षा एजेंसी के पास हजारों गार्ड हैं और उनमें से अगर केवल एक गार्ड ऐसा है जिसकी प्रवृत्ति आपराधिक है या वह नशे में लिप्त पाया गया है तो उसको आधार बनाकर किसी भी एजेंसी का लाइसेंस निरस्त करना, मैं समझता हूं कि यह किसी भी कीमत पर न्यायोचित नहीं है। एक व्यक्ति की वजह से उस पूरी संस्था को दंडित करना, मैं समझता हूं कि इस पर विचार करने की आवश्यकता है और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि देश के पैमाने पर कोई लाइसेंस नहीं है। राज्य सरकारें भी अपना कानून बनाएंगी। ...*(व्यवधान)* मैं समाप्त कर रहा हूं।

जैसे ट्रांसपोर्ट बिजनैस के लिए नेशनल परमिट होता है, ठीक उसी तरह से इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। अगर कोई दिल्ली की सुरक्षा एजेंसी काम कर रही है, तो बगल के गुड़गांव, नौएडा और जो गाजियाबाद जैसे महानगर हैं, उनको यहां काम करने का अधिकार नहीं होगा, इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। मैं एक और आग्रह करना चाहूंगा कि कंपनी कई जगह ट्रेनिंग नहीं दे सकती है। फौज भी एक जगह ट्रेनिंग देती है। जहां सुरक्षा गार्ड लगाएं जाएंगे, वहां पर स्थानीय स्तर पर आपको वहां ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। मैं समझता हूं कि ट्रेनिंग देने के सिलसिले में अगर यह हो जाए तो सुरक्षा एजेंसी अपनी सुविधानुसार एक स्थान पर ट्रेनिंग दे सकती है, इसकी भी व्यवस्था करनी चाहिए। प्रयास अच्छा है। जिन व्यावहारिक दिक्कतों का जिक्र मैंने किया, माननीय गृह मंत्री जी, जब आप जवाब दें तो इन बिन्दुओं का खुलासा आप जरूर करें, यह मेरा आपसे निवेदन है क्योंकि जिस मकसद से यह कानून आप बनाना चाहते हैं, तभी उसकी उपयोगिता पूरी होगी।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री राम कृपाल जी, कृपया संक्षेप में बोलें।

श्री राम कृपाल यादव: आप मेरे पिता समान हैं।

[हिन्दी]

महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा जो प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) विधेयक, 2005 लाया गया है, मैं इस विधेयक के लिए आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। यह आपने अच्छा कदम उठाया है। प्राइवेट सुरक्षा में लगभग पूरे देश के पैमाने पर जो 10,000 सुरक्षा गार्ड चलाने वाले लोग हैं, लगभग 50 लाख के करीब उनमें कर्मचारी काम कर रहे हैं और उन पर जो परिवार आश्रित हैं, वे लगभग एक से डेढ़ करोड़ आश्रित परिवार हैं। इतनी बड़ी तादाद में लोगों के लिए यह एक जीविका-उपार्जन का साधन बना हुआ है। दूसरी बात, जिसकी चर्चा माननीय गृह मंत्री जी ने की कि देश के पैमाने पर इतनी फोर्सेज नहीं हैं, कि हम लोगों के पास कारगर ढंग से सुरक्षा देने का काम कर सकें, इसलिए प्राइवेट सुरक्षा कर्मियों को मदद करनी चाहिए, उनको उत्साहित करना चाहिए और जो एजेंसी हैं, उनको भी उत्साहित करना चाहिए। मैं समझता हूं कि जो बिल आज वह लेकर आए हैं, इसमें कई ऐसे क्लाज हैं जिनके अंतर्गत प्राइवेट सुरक्षा कर्मियों को चलाने वाली जो एजेंसी काम कर रही हैं, वे किसी न किसी रूप से परेशानी में पड़ेंगे और उनकी आजादी भी खत्म होगी।

महोदय, माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिए हैं, मेरा सुझाव भी इससे मिलता-जुलता ही है। कई स्तरों पर आपने जो इस विधेयक के माध्यम से प्रावधान रखने का काम कर रहे हैं, उसके बारे में लोगों की कुछ आशंकाएं हैं। कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि अगर कोई एक सुरक्षाकर्मी कहीं गड़बड़ी करता है, तम्बाकू खाता है या शराब पीता है, या किसी अन्य गलत काम में शामिल हो जाता है, तो पूरी एजेंसी के लाइसेंस को रद्द किया जाए। मेरा मानना है कि यह उचित नहीं है। यह बात तो 'खेत खाए गधा और मार खाए जुलाहा' वाली कहावत चरितार्थ करता है। मान लीजिए कोई सुरक्षाकर्मी गलत काम करता है तो उसे दण्डित किया जाना चाहिए, लेकिन उस व्यक्ति की गलती के लिए पूरी एजेंसी को, उसके मालिक या एजेंसी चलाने वाले व्यक्ति को दण्डित करना न्यायोचित नहीं है, क्योंकि एक कंपनी में हजारों लोग होते हैं, उनमें से कोई व्यक्ति प्राइवेट रूप से क्या करता है, क्या खाता-पीता है, मालिक के लिए इस पर नियंत्रण रख पाना संभव नहीं हो सकता है।

महोदय, मेरा दूसरा सुझाव है कि आप गृह सचिव या ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर के एक अधिकारी को, जो राज्य में रहेगा, पूरा नियंत्रण सौंपने का जो काम कर रहे हैं, वह हमारे लोकतंत्र की दृष्टि से ठीक नहीं है। नियंत्रण करने वाले अधिकारियों की संख्या चार या पांच होनी चाहिए अथवा सुरक्षा देने के काम में लगी हुई एजेंसियों में से ही किसी अधिकारी या प्रतिनिधि को आप अपने पास रखें और सुरक्षा एजेंसी चलाने वालों के प्रतिनिधियों को इसमें रखें, ताकि जब व्यापक रूप से कोई मामला उनके सामने आए तो न्याय किया जा सके और आरोपी सुरक्षाकर्मी को न्याय मिल सके न कि एक अधिकारी को कह दे वही उचित मान लिया जाए और वह तानाशाह बनकर जो मन में आए, वही कार्रवाई कर सके।

महोदय, इस काम में व्यापक स्तर पर गरीब तबके के लोग लगे हुए हैं, बेरोजगार नौजवान लगे हुए हैं और हमारे सैनिक भी सेना से रिटायरमेंट के बाद लगे हुए हैं। उन लोगों को इससे रोजगार मिल रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि इस काम में लगभग 40 से 50 लाख लोग लगे हुए हैं, जिनमें से 40 से 50 प्रतिशत लोग हमारे बिहार से आते हैं। बहुत से नौजवान बेरोजगार इस काम में लगे हुए हैं, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस पर आप विचार करें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आपने सभी मुद्दों का जिक्र कर दिया है। कृपया अपनी वाणी को विराम दें।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें। कुल मिलाकर यह एक साधारण विधेयक है। आप परेशान क्यों हैं?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: महोदय, मैं कोई बहुत विद्वान नहीं हूं, कि जब आप इन्टरप्ट करें, तब भी मैं बोलता रह सकूं। जब आप बीच में इन्टरप्ट करते हैं तो मैं डिरेल हो जाता हूं। कृपया मेरा अनुरोध स्वीकार करें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आप विधेयक का समर्थन कर रहे हैं। यदि आप इसका विरोध करते तो मुझे बात समझ में आती।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपने इस विधेयक में जो प्रावधान रखे हैं, हमारे देश में अनेक कंपनियां हैं जिनके काम की काफी अहमियत है और वे बहुत अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन उन पर यह बंधन रखा गया है कि वे विदेशों में जाकर अपनी सेवाएं नहीं दे सकती हैं। आप विदेशों से कंपनियों को तो यहां लाने का अवसर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश की कंपनियों को विदेशों में जाकर अपना काम करने के लिए आपने कोई उपबन्ध नहीं रखा है। मेरी समझ से माननीय सदस्यों ने और मैंने जो अनेक महत्वपूर्ण सुझाव यहां रखे हैं और इस विधेयक के अन्य कई प्रावधान ऐसे हैं, जिन पर निश्चित तौर पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि इस विधेयक को वापस स्टेण्डिंग कमेटी में विचार हेतु भेजा जाए जिससे कि एक संशोधित विधेयक सदन के सामने आए और उस पर विचार करके सदन में पारित किया जा सके। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस पर विचार करें।

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): सभापति जी, आपकी अनुमति से मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं, साथ ही कुछ सुझाव भी गृह मंत्री जी को देना चाहता हूं। मंत्री जी का मकसद और नीयत पाक और साफ है। लेकिन लगता है कि अधिकारियों द्वारा इस विधेयक को बनाने की कोशिश की गई है, जिससे इसमें अधिकारी वर्ग का वर्चस्व रहे। इसमें कहा गया है कि राज्यों में जाइंट सेक्रेट्री इसके प्रमुख होंगे और सेंटर में एडीशनल सेक्रेट्री प्रमुख होंगे। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपने इसके लिए बोर्ड क्यों नहीं बनाया? आज का जमाना सामूहिक रूप से कार्य करने का है। अगर आप एक बोर्ड बनाकर उसमें आठ-नौ आदमियों को रखते, तो सही रहता। बाद में उसमें रद्दो-बदल हो सकती है, संख्या कम की जा सकती है या बढ़ाई जा सकती है। इससे लोकतंत्र का ढांचा और मजबूत होता। एक जाइंट सेक्रेट्री पूरे राज्य में इस काम को देखेगा, यह सही नहीं है। एक एजेंसी का सिर्फ एक ही जगह काम नहीं है, कई राज्यों में उसकी शाखाएं होती हैं और वह फंक्शन करती है। लाइसेंसिंग अथोरिटी एक आदमी के पास होगी, तो वह किस किसके के पास जाएगा और किस-किसका काम देखेगा इसलिए इस पर गौर किया जाना चाहिए।

जहां तक मैं समझता हूं कि प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज के माध्यम से देश में काफी लोगों को रोजगार उपलब्ध होता है। जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश का जो पहाड़ी एरिया है, वहां से अधिकतर लोग फौज और पुलिस में जाते हैं। जब वे रिटायर हो जाते हैं, तो इन्हीं एजेंसीज के माध्यम से रोजगार पाते हैं। उन्हें इसके एवज में 2000 रुपए या 3000 रुपए मासिक मिलते हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए काफी होते हैं, नहीं तो वे 500 रुपए मासिक पर काम करने को मजबूर होते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप इस पर खास ध्यान दें। लाइसेंसिंग अथोरिटी में सिर्फ एक अधिकारी की नियुक्ति की गई है, इस पर भी विचार करें और इसकी जगह एक बोर्ड बनाने का काम करें। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात का प्रयास करेंगे। आज जितने भी इस तरह के संगठन काम कर रहे हैं, इनमें से अधिकतर अपने पल्ले से पैसे देते हैं, क्योंकि टैंडर सिस्टम है। यह एक खामी है, जिसे इस विधेयक द्वारा दूर करने की कोशिश की गई है। इस बिल के माध्यम से जो शोषण होता है, उसमें कमी आएगी। लेकिन सवाल फिर वही पैदा होता है कि आपने एक आदमी को क्यों रखा, आठ-नौ आदमियों का एक बोर्ड बनाया जाना चाहिए। इससे शोषण भी नहीं हो सकेगा।

सभापति जी, समय की किल्लत है इसलिए मैं ज्यादा नहीं कह कर यहीं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री प्रबोध पाण्डा (मिदनापुर): महोदय, मैं प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) विधेयक, 2005 का मोटे तौर पर समर्थन करता हूं। इस विधेयक का समर्थन करते समय में इससे संबंधित

कुछ आपत्तियों व शंकाओं का उल्लेख करना चाहता हूं। मैं माननीय गृह मंत्री जी के विचारार्थ कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं।

वर्तमान भूमण्डलीकरण के परिदृश्य में यह सच्चाई है कि एक के बाद एक राज्य सुरक्षा प्रदान करने के कार्य से अपना पीछा छुड़ा रहे हैं। व्यक्ति विशेष संस्थानों कारखानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, घरों आदि की सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु अनेक निजी एजेंसियां गठित की जा रही हैं। ये एजेंसियां काफी लाभ कमाती हैं। निजी सुरक्षा एजेंसियों का मुख्य उद्देश्य यथासंभव अधिकाधिक लाभ कमाना है परन्तु ये एजेंसियां अपने कार्मिकों को न्यूनतम धनराशि का भुगतान करने का प्रयास करती हैं। इन कार्मिकों की कार्य-दशा अत्यंत खराब है। एक कर्मचारी को औसतन प्रतिदिन 12 घंटे से अधिक समय तक कार्य करना पड़ता है। भविष्य निधि की कोई व्यवस्था नहीं है। आवास सुविधा, चिकित्सा सुविधा आदि प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है। इस प्रकार, इनकी ऐसी स्थिति है। मेरी समझ से मंत्री महोदय को इस पर विचार करना चाहिए।

इसके अलावा, मैं कुछ और बातें सुझाना चाहता हूं।

मैं राज्य स्तरीय लाइसेंस विनियामक निकायों की एक बहु-सदस्यीय समिति का पक्षधर हूं। यदि संभव हो, तो ख्यातिप्राप्त मजदूर संघ के नेताओं को इसमें शामिल किया जाना चाहिए।

खण्ड 14 में, जिला और राज्य स्तर के लाइसेंसों को स्वीकृति दिए जाने की व्यवस्था है। विधेयक में राष्ट्रीय स्तर की ऐसी एजेंसियों, जो विभिन्न राज्यों में कार्य करेंगी, को लाइसेंस प्रदान करने के बारे में क्या प्रावधान किया गया है? इस संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। विधेयक में ऐसी एजेंसियों के बारे में उल्लेख किया जाना चाहिए।

खण्ड 14 में, जिसमें अपीलों के बारे में उल्लेख किया गया है, मात्र राज्य के गृह सचिव के पास अपील करने की व्यवस्था है। मेरा सुझाव है कि राज्य स्तरीय बोर्ड के निर्णयों के खिलाफ अपील करने का उपबंध इस विधेयक में होना चाहिए और इसकी शक्ति राष्ट्रीय बोर्ड को दी जानी चाहिए।

सभापति महोदय: आप थके लग रहे हैं और अब आपको अपनी बात समाप्त करनी चाहिए।

श्री प्रबोध पाण्डा: खण्ड 19 में नियंत्रण अधिकारी को शक्तियों का प्रत्यायोजन संबंधी विषय का उल्लेख है। इस खंड को हटा दिया जाना चाहिए अन्यथा इससे इन्सपेक्टर राज को बढ़ावा मिलेगा। नियंत्रण अधिकारी तानाशाह की तरह व्यवहार कर सकता है और इस प्रकार विनियमन का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा।

महोदय, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी एजेंसियों के बारे में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वे यहां के कानूनों का पालन करेंगे अथवा अपनी इच्छा से कार्य करेंगे। इसका विधि में उल्लेख किया जाना चाहिए।

मैं माननीय मंत्री महोदय के समक्ष इन कुछेक सुझावों को रखना चाहता हूं। मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं तथा आशा करता हूं कि विधेयक में इन सभी मुद्दों को शामिल किया जाएगा।

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए माननीय सदस्यों का कृतज्ञ हूं। लगभग सभी सदस्यों ने यह कहा है कि इस विधेयक को पहले ही पारित कर दिया जाना चाहिए था और यह एक अच्छा विधेयक है। किन्तु उन्होंने कुछ खण्ड ऐसे बताये हैं जो उनके अनुसार कुछ भिन्न होने चाहिए थे।

उन बातों में एक बात यह थी कि क्या संयुक्त सचिव को नियंत्रक प्राधिकारी होना चाहिए? यह कानून बहुत ही सरल है। इस विधेयक में इस बात का उल्लेख किया गया है कि एजेंसियों को लाइसेंस प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा। जब किसी को बन्दूक के लाइसेंस की आवश्यकता होती है तो वह व्यक्ति जिलाधीश को आवेदन करता है और उसे लाइसेंस मिलता है। अब हम इस बात की व्यवस्था कर रहे हैं कि यदि किसी एजेंसी को लाइसेंस दिया जाता है। तो क्या करना होगा वह कुछ ऐसे व्यक्तियों को एकत्र करे जिन्हें व्यक्तियों अथवा किसी उद्योग अथवा किसी अन्य संगठन को सुरक्षा प्रदान करने में प्रयुक्त किया जा सके।

सभापति महोदय: नियंत्रण सहित लाइसेंस।

श्री शिवराज वि. पाटील: आजकल हर कोई सुरक्षा प्रदान कर रहा है। यह कोई नहीं जानता कि जो एजेंसी सुरक्षा प्रदान कर रही है वह असली है या नहीं; चाहे उसके पास ऐसे सुरक्षा गार्ड हो, जिन पर भरोसा किया जा सके अथवा न किया जा सके; चाहे वे सचमुच में उन लोगों की सुरक्षा कर पाये जिन्हें सुरक्षा प्रदान किये जाने की आवश्यकता हो, अथवा न हो। आजकल यही हो रहा है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए, यह व्यवस्था की गई है कि इसके लिए निजी एजेंसियां होनी चाहिए किन्तु केवल उन्हीं निजी एजेंसियों को अनुमति दी जायेगी जिन्होंने लाइसेंस प्राप्त कर लिया है।

सायं 7.00 बजे

उन्हें अपना आवेदन ऐसे सरकारी अधिकारी जो संयुक्त सचिव से कम स्तर का न हो, के समक्ष करना होगा। वह संयुक्त सचिव

[श्री शिवराज वि. पाटील]

से ऊपर के स्तर का भी हो सकता है और यह कोई नीति निर्धारण के लिए नहीं है। वह केवल एजेंसी से प्राप्त आवेदन को स्वीकार करने अथवा निरस्त करने के लिए है। जब कोई आवेदन निरस्त होता है तो वह व्यक्ति जिसका आवेदन निरस्त हुआ हो, उच्च प्राधिकारी के पास अपील कर सकता है और यह बता सकता है कि वे शर्तें जिनके अंतर्गत उसे लाइसेंस मिलना चाहिए था, उसने वे शर्तें पूरी कर दी हैं और उसे लाइसेंस प्रदान किया जाए। इसके अतिरिक्त, न्यायालय का याचिका क्षेत्र तो हमेशा रहेगा ही।

सभापति महोदय: क्या सभा जब तक कार्य समाप्त नहीं हो जाता तब तक समय बढ़ाने के लिए सहमत है?

अनेक माननीय सदस्य: जी, हां।

सभापति महोदय: जब तक कार्य समाप्त नहीं हो जाता तब तक के लिए सभा का समय बढ़ाया जाता है।

श्री शिवराज वि. पाटील: धन्यवाद, महोदय। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा।

इस प्रकार, नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील की भी व्यवस्था है और सामान्य कानूनों के तहत तथा संवैधानिक कानूनों के अंतर्गत भी मामलों को उच्च न्यायालयों तक ले जाया जा सकता है। ऐसा कानून है। इसलिए यह बहुत सरल मामला है और हमने यह कहा है कि अधिकारी संयुक्त सचिव से कम स्तर का नहीं होना चाहिए। यह एक सरल कानून है और मैं यह नहीं समझता कि हम इसमें जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले व्यक्तियों को शामिल करके इस बहुसदस्यीय प्राधिकरण को अनावश्यक रूप से पेचीदा बनाये और फिर उस प्राधिकरण को शक्ति प्रदान करें। यदि यह नीति निर्धारक निकाय हैं तो ठीक है। यह केवल क्रियान्वयन करने वाला प्राधिकरण है। इसे केवल इस बात का पता करना होगा कि शर्तें पूरी हो रही हैं अथवा नहीं, और इसे यह बताना होगा कि लाइसेंस दिया जा सकता है अथवा नहीं। इसीलिए, इस सहमति के संबंध में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

खण्ड 13(ट)(झ) के अंतर्गत लाइसेंस को खारिज करने के बारे में कुछ गलत फहमी है। मैं संबंधित उद्धरण पढ़कर सुनाता हूं। इसमें लाइसेंस को खारिज करने और किन परिस्थितियों में इसे खारिज किया जा सकता है, बताया गया है:

"(ट) कि निजी सुरक्षा एजेंसी द्वारा उपलब्ध करवाये गए निजी सुरक्षा गार्ड अथवा गार्डों द्वारा बारम्बार की जाने वाली घटनाएं;

(झ) सुरक्षा गार्ड निजी सुरक्षा प्रदान करने में विफल रहे हैं अथवा इस प्रकार की सुरक्षा प्रदान करने में अत्यधिक लापरवाही बरतने के दोषी पाये गये हैं।"

उद्देश्य यह है कि सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। जिन व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, उन्हें संरक्षी अथवा उसके घर जाना होता है। किन्तु वे अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन नहीं करते हैं। ऐसा एक बार नहीं अपितु बार-बार होता है। एक ऐसी एजेंसी है जो कार्यरत है और जिससे सुरक्षा प्रदान करने की आशा की जाती है और बारम्बार यह सुरक्षा प्रदान नहीं कर रही है। यह सुरक्षा प्रदान करने में अनदेखी कर रही है और इसने सुरक्षा प्रदान करने में गलतियां की हैं, तो क्या किया जाना चाहिए? ऐसे मामलों में यह कहा गया है कि लाइसेंस निरस्त कर दिया जाए। मैं इसे दुबारा पढ़ता हूं।

(ट) "कि निजी सुरक्षा एजेंसी द्वारा उपलब्ध करवाये गए निजी सुरक्षा गार्ड अथवा गार्डों द्वारा बारम्बार की जाने वाली घटनाएं"

(झ) जिनमें निजी सुरक्षा प्रदान करने में विफल रहे अथवा इस प्रकार की सुरक्षा प्रदान करने में अत्यधिक लापरवाही बरतने के दोषी पाये गये।"

यह मामूली लापरवाही नहीं है अपितु सुरक्षा प्रदान करने में घोर लापरवाही है। इसलिए, इस अनुबन्ध के लिए आपत्ति करना मेरे ख्याल में सही नहीं है और अनावश्यक है।

एक प्रश्न पूछा गया था कि लाइसेंस किसी एक जिले को दिया जायेगा अथवा राज्य के कुछ जिलों के लिए प्रदान किया जायेगा। यह कानून केवल राज्यों के लिए ही वैध रहेगा। यदि कोई एजेंसी किसी अन्य राज्य में जाना चाहती है तो यह उस राज्य में जा सकती है और इसे उस राज्य से लाइसेंस प्राप्त करना होगा और वह राज्य उसे लाइसेंस प्रदान कर सकता है।

महोदय, एक प्रश्न यह भी पूछा गया था कि जब विदेशी कम्पनियों को सुरक्षा प्रदान करने की अनुमति देंगे तो हम इन एजेंसियों को विदेश में सुरक्षा प्रदान करने की अनुमति क्यों नहीं दे रहे हैं? हम यह नहीं कह रहे हैं कि इन कम्पनियों को विदेश नहीं जाना चाहिए और सुरक्षा प्रदान नहीं करनी चाहिए। बल्कि हम यह कह रहे हैं कि जो एजेंसियां यहां से लाइसेंस प्राप्त करती हैं वे विदेश जा सकती हैं, वे ऐसा भारत सरकार को सूचित करके और भारत सरकार से अनुमति लेकर कर सकती हैं। क्योंकि वे यदि विदेश में संरक्षियों को सुरक्षा प्रदान करते समय सुरक्षा गार्ड मर जाते हैं अथवा घायल हो जाते हैं तो किसी न किसी को उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। हम जानते हैं कुछ देशों में क्या हो रहा है। वहां गार्ड्स मारे जा रहे हैं। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? भारत सरकार उसकी जिम्मेदारी लेगी।

एक और प्रश्न सुरक्षा के बारे में पूछा गया था जिसे सुरक्षा गार्डों को प्रदान किया जाएगा। इस विधेयक के साथ जो अनुसूची संलग्न है, इसमें ऐसी विधियों का उपबन्ध किया गया है जिसे सुरक्षा गार्डों को सुरक्षा प्रदान करने में उपयोग किया जाएगा। कुछ ऐसी विधियां है जिनका उल्लेख अनुसूची में किया गया है। वे हैं: मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936; औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947; न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948; कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952; बोनस संदाय अधिनियम, 1965; ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970; उपदान संदाय अधिनियम, 1972; समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976; अतंर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1979। ये सभी कानून जो उद्योग में श्रमिकों को संरक्षा प्रदान करते हैं, उन व्यक्तियों को भी संरक्षा प्रदान करेंगे जो यहां काम कर रहे होंगे। इसलिए, इस पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती।

खंड 19 में शक्तियां प्रदान किए जाने पर आपत्ति उठाई गई थी। हमारा देश बहुत ही विशाल है। राज्य की राजधानी में स्थित संयुक्त सचिव नियंत्रण अधिकारी होगा। मान लीजिए, किसी व्यक्ति को उस स्थान पर जाना आवश्यक हो जाए जो राज्य की राजधानी से दूर है और उस स्थान की जांच करे जहां सुरक्षा प्रदान की जानी है तो वैसा कौन करेगा? इसलिए, विधि में यह उपबन्ध है कि ऐसा कार्य किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया जा सकता है जिसे नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा शक्ति प्रदान की जाएगी। नहीं तो संयुक्त सचिव एक स्थान से दूसरे स्थान तक भटकता रहेगा। यदि जिले में सुरक्षा एजेंसियां आ रही हैं, तो जिला के समाहर्त्ता के लिए यह पता लगा पाना संभव नहीं होगा कि वह एजेंसी ठीक से काम कर रही है या नहीं। इसलिए, इस शक्ति को उस स्थान पर किसी व्यक्ति को सौंपे जाने की अनुमति दी गई है। हमने शक्ति प्रदान करने या सत्ता के विकेन्द्रीकरण के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया है। किसी एक व्यक्ति के लिए वह सब प्रदान करना संभव नहीं है, जिसे किए जाने की आवश्यकता है।

इसलिए, यह बहुत ही सामान्य विधेयक है। यह ऐसा विधेयक है जिसे सुरक्षा की आवश्यकता महसूस करने वाले व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करने हेतु अधिनियमित किया जा रहा है। इसका मतलब एजेंसियों के कार्यकरण को विनियमित करना है। इस विधेयक पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्या मैं यह कह सकता हूं कि हम इस विधेयक को जल्दी में पारित नहीं करने जा रहे हैं? यह विधेयक वर्ष 1994 से सभा के समक्ष लंबित है। पिछले ग्यारह वर्षों से यह लंबित है। इसलिए मैं यह अनुरोध कर रहा हूं कि इस विधेयक को आज पारित किया जाना चाहिए क्योंकि कल अंतिम दिन है। यदि इसे आज ही के दिन पारित कर दिया जाता है तो अच्छा होगा। यदि अन्तिम दिन इसे पारित किया जाता है तो यह बेहतर होगा।

मैं इस विधेयक का समर्थन करने हेतु माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं। सभापति महोदय, मैं सभा द्वारा इस एकमात्र विधेयक को पारित करने हेतु समय प्रदान करने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं ...*(व्यवधान)*

श्री प्रबोध पाण्डा: राष्ट्रव्यापी एजेंसियों के बारे में क्या कहना है?

श्री शिवराज वि. पाटील: हम इसका ध्यान रखेंगे।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि प्राइवेट सुरक्षा अभिकरणों के विनियमन तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: सभा अब विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 25 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 25 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गयी।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री शिवराज वि. पाटील: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सायं 7.11 बजे

विशेष आर्थिक जोन विधेयक, 2005

राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय सदस्यगण, एक अन्य मद भी है। एक अनुपूरक कार्यसूची है। माननीय मंत्री जी यह प्रस्ताव कर सकते हैं कि निर्यात के संवर्धन के लिए विशेष आर्थिक जोनों की स्थापना, विकास और प्रबंधन और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक में राज्य सभा द्वारा किये गये निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए।

यह विधेयक इस सभा द्वारा पारित किया गया था। इसे राज्य सभा को भेजा गया था। राज्य सभा में, दो संशोधन किये गये। इस विधेयक को पुन: हमारे पास भेजा गया है। हमें इन संशोधनों को स्वीकार करना पड़ेगा। यह मामला इतना गंभीर नहीं है। हम यह काम कर लेंगे। माननीय मंत्री जी अब संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि निर्यात के संवर्धन के लिए विशेष आर्थिक जोनों की स्थापना, विकास और प्रबंध का और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक में राज्य सभा द्वारा किये गये निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए।"

खंड 3

विशेष आर्थिक जोन स्थापित करने का प्रस्ताव भेजने की प्रक्रिया

1. कि पृष्ठ 4 पर पंक्ति 20-21 के *स्थान पर*, निम्नलिखित *प्रतिस्थापित किया जाए* अर्थात्-

"परंतु यह कि केन्द्रीय सरकार-

(क) संबंधित राज्य सरकार से परामर्श करने के पश्चात्;

(ख) विशेष आर्थिक जोन की स्थापना करने के प्रस्ताव को बोर्ड को निर्दिष्ट किए बिना; और

(ग) क्षेत्र की पहचान करने के पश्चात्;

स्वप्रेरणा से विशेष आर्थिक जोन स्थापित और अधिसूचित कर सकेगी।"

खंड 49

विशेष आर्थिक जोनों के संबंध में इस अधिनियम या अन्य अधिनियमितियों के उपबंधों को उपांतरित करने की शक्ति

2. कि पृष्ठ 20 पर, पंक्ति 45 के *पश्चात्*, निम्नलिखित *प्रतिस्थापित किया जाए* अर्थात्-

"परन्तु इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात किसी केन्द्रीय अधिनियम के किन्हीं उपांतरणों या तद्धीन बनाए गए किन्हीं नियमों या किन्हीं विनियमों, या तद्धीन जारी की गई किसी अधिसूचना या आदेश या दिए गए किसी निदेश या तद्धीन बनाई गई स्कीम को, जहां तक ऐसे उपांतरण, नियम, विनियम, अधिसूचना, आदेश या निदेश या स्कीम का संबंध विशेष आर्थिक जोनों में लागू व्यापार संघों, औद्योगिक और श्रमिक विवादों, कार्य की शर्तों सहित श्रम कल्याण, भविष्य निधि, नियोजक दायित्व कर्मकार प्रतिकर, नि:शक्तता और वृद्धावस्था पेंशन तथा प्रसूति फायदों से है, लागू नहीं होगी।"

ये दो संशोधन किए गए हैं। हम सभी ने कहा है कि विधेयक को इसी प्रकार संशोधित किया जाना चाहिए। विधेयक को राज्य सभा में संशोधित किया गया है। हमने भी लोक सभा में कुछ घंटों तक इस पर चर्चा की थी। इसलिए, सभी माननीय सदस्यों को संतुष्ट करने और श्रमिकों की सुरक्षा के रूप में विशेष आर्थिक जोन बनाने तथा सुरक्षा हेतु संशोधन किए गए हैं। मैं सभा से इन दो संशोधनों को स्वीकृत करने का अनुरोध करता हूं।

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि निर्यात के संवर्धन के लिए विशेष आर्थिक जोनों की स्थापना विकास और प्रबंध का और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक में राज्य सभा द्वारा किये गये निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए।"

खंड 3

1. कि पृष्ठ 4 पर पंक्ति 20-21 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए अर्थात्-

"परन्तु यह कि केन्द्रीय सरकार-

(क) संबंधित राज्य सरकार से परामर्श करने के पश्चात्;

(ख) विशेष आर्थिक जोन की स्थापना करने के प्रस्ताव को बोर्ड को निर्दिष्ट किए बिना; और

(ग) क्षेत्र की पहचान करने के पश्चात्;

स्वप्रेरणा से विशेष आर्थिक जोन स्थापित और अधिसूचित कर सकेगी।"

खंड 49

1. कि पृष्ठ 4 पर पंक्ति 24 से 26 हेतु निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए अर्थात्-

"परन्तु इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात किसी केन्द्रीय अधिनियम के किन्हीं उपांतरणों या तद्धीन बनाए गए किन्हीं नियमों या किन्हीं विनियमों, या तद्धीन जारी की गई किसी अधिसूचना या आदेश या दिए गए किसी निदेश या तद्धीन बनाई गई स्कीम को, जहां तक ऐसे उपांतरण, नियम, विनियम, अधिसूचना, आदेश या निदेश या स्कीम का संबंध विशेष आर्थिक जोनों में लागू व्यापार संघों, औद्योगिक और श्रमिक विवादों, कार्य की शर्तों सहित श्रम कल्याण, भविष्य निधि, नियोजक-दायित्व, कर्मकार प्रतिकर, नि:शक्तता और वृद्धावस्था पेंशन तथा प्रसूति फायदों से है, लागू नहीं होगी।"

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): महोदय, राज्य सभा द्वारा ये दो संशोधन किए गए हैं। जब हम सभा में इस विधेयक पर चर्चा कर रहे थे तो हमने सरकार पर इन दोनों संशोधनों को स्वीकार करने का दबाव डाला था। हमें खुशी है कि सरकार ने इन संशोधनों को स्वीकार कर लिया है। इन संशोधनों से अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर लेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इन संशोधनों का समर्थन करता हूं। मेरा कहना है कि इन संशोधनों पर विचार किया जाएगा?

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि निर्यात के संवर्धन के लिए विशेष आर्थिक जोनों की स्थापना, विकास और प्रबंध का उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए।"

खंड 3

1. कि पृष्ठ 4 पर पंक्ति 20-21 के *स्थान* पर, निम्नलिखित *प्रतिस्थापित किया जाए* अर्थात्-

"परन्तु यह कि केन्द्रीय सरकार-

(क) संबंधित राज्य सरकार से परामर्श करने के पश्चात्;

(ख) विशेष आर्थिक जोन की स्थापना करने के प्रस्ताव को बोर्ड को निर्दिष्ट किए बिना; और

(ग) क्षेत्र की पहचान करने के पश्चात्;

स्वप्रेरणा से विशेष आर्थिक जोन स्थापित और अधिसूचित कर सकेगी।"

खंड 49

1. कि पृष्ठ 20 पर पंक्ति 41 के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए अर्थात्-

"परन्तु इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात किसी केन्द्रीय अधिनियम के किन्हीं उपांतरणों या तद्धीन बनाए गए किन्हीं नियमों या किन्हीं विनियमों, या तद्धीन जारी की गई किसी अधिसूचना या आदेश या दिए गए किसी निदेश या तद्धीन बनाई गई स्कीम को, जहां तक ऐसे उपांतरण, नियम, विनियम, अधिसूचना, आदेश या निदेश या स्कीम का संबंध विशेष आर्थिक जोनों में लागू व्यापार संघों, औद्योगिक और श्रमिक विवादों, कार्य की शर्तों सहित श्रम कल्याण, भविष्य निधि, नियोजक-दायित्व, कर्मकार प्रतिकर, नि:शक्तता और वृद्धावस्था पेंशन तथा प्रसूति फायदों से है, लागू नहीं होगी।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: अब हम राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों को लेंगे।

मैं राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन संख्या 1 और 2 को मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है:

खंड 3

1. कि पृष्ठ 4 पर पंक्ति 20-21 के *स्थान* पर, निम्नलिखित *प्रतिस्थापित किया जाए* अर्थात्-

"परन्तु यह कि केन्द्रीय सरकार-

(क) संबंधित राज्य सरकार से परामर्श करने के पश्चात्;

(ख) विशेष आर्थिक जोन की स्थापना करने के प्रस्ताव को बोर्ड को निर्दिष्ट किए बिना; और

(ग) क्षेत्र की पहचान करने के पश्चात्;

स्वप्रेरणा से विशेष आर्थिक जोन स्थापित और अधिसूचित कर सकेगी।"

[सभापति महोदय]

खंड 49

2. कि पृष्ठ 20 पर पंक्ति 41 के पश्चात्, *निम्नलिखित अंत: स्थापित किया जाए* अर्थात्-

"परन्तु इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात किसी केन्द्रीय अधिनियम के किन्हीं उपांतरणों या तद्धीन बनाए गए किन्हीं नियमों या किन्हीं विनियमों, या तद्धीन जारी की गई किसी अधिसूचना या आदेश या दिए गए किसी निदेश या तद्धीन बनाई गई स्कीम को, जहां तक ऐसे उपांतरण, नियम, विनियम, अधिसूचना, आदेश या निदेश या स्कीम का संबंध विशेष आर्थिक जोनों में लागू व्यापार संघों, औद्योगिक और श्रमिक विवादों, कार्य की शर्तों सहित श्रम कल्याण, भविष्य निधि, नियोजक-दायित्व, कर्मकार प्रतिकर, नि:शक्तता और वृद्धावस्था पेंशन तथा प्रसूति फायदों से है, लागू नहीं होगी।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर सहमति व्यक्त की जाए।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर सहमति व्यक्त की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: मैं संशोधनों को स्वीकार करने के लिए सरकार को बधाई देता हूं। अब सभा कल पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

सायं 7.15 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 13 मई, 2005/23 वैशाख, 1927 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1.	श्री बालासोवरी वल्लभनेनी श्री ई. पोन्नुस्वामी	661
2.	श्रीमती निवेदिता माने श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव	662
3.	श्री रामदास आठवले श्री अनन्त नायक	663
4.	श्री एस.के. खारवेनथन श्रीमती मनोरमा माधवराज	664
5.	श्री रवि प्रकाश वर्मा	665
6.	श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु श्री अब्दुल रशीद शाहीन	666
7.	श्री सनत कुमार मंडल	667
8.	श्री निखिल कुमार श्री अधीर चौधरी	668
9.	श्री रामजीलाल सुमन श्री नीतीश कुमार	669
10.	प्रो. महादेवराव शिवनकर श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा	670
11.	श्रीमती जयाप्रदा डा. चिन्ता मोहन	671
12.	श्री जुएल ओराम	672
13.	श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी	673
14.	श्री बी. विनोद कुमार श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	674
15.	श्री मनसुखभाई डी. वसावा श्री सुनिल कुमार महतो	675
16.	श्री जसुभाई दानाभाई बारड़	676
17.	श्री सुबोध मोहिते	677
18.	श्री वी.के. दुम्मर श्री जीवाभाई ए. पटेल	678
19.	श्री मुन्शी राम	679
20.	श्री आनंदराव विठोबा अडसूल श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव	680

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	7112, 7132, 7138, 7143
2.	अहमद, श्री अतीक	7003
3.	अहीर, श्री हंसराज जी.	6997
4.	अंगड़ि, श्री सुरेश	7015, 7111
5.	अंसारी, श्री फुरकान	7035, 7142
6.	आठवले, श्री रामदास	7086, 7116
7.	बर्मन, श्री रनेन	7000, 7097
8.	बखला, श्री जोवाकिम	7097
9.	भडाना, श्री अवतार सिंह	7041
10.	बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह	7047, 7091
11.	बोस, श्री सुब्रत	7009, 7090
12.	बुधौलिया, श्री राजनरायन	6999, 7083
13.	चौरे, श्री बापू हरी	7004
14.	चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र	6999, 7006
15.	चिन्ता मोहन, डा.	7093, 7151
16.	चौधरी, श्री पंकज	7054
17.	चौधरी, श्री अधीर	7082, 7091, 7099
18.	देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचंद्र	7028
19.	धनराजू, डा. के.	7025, 7106, 7126, 7137, 7142
20.	गमांग, श्री गिरिधर	6995, 7070, 7114, 7133, 7139
21.	गंगवार, श्री संतोष	7056, 7152
22.	गाव, श्री तापिर	7050
23.	गेहलोत, श्री थावरचन्द	7147
24.	हर्ष कुमार, श्री जी.वी.	7027

1	2	3
25.	जगन्नाथ, डा. एम.	7019, 7077, 7121
26.	जय प्रकाश, श्री	6996
27.	जटिया, डा. सत्यनारायण	7010
28.	जयाप्रदा, श्रीमती	7094
29.	झा, श्री रघुनाथ	7051, 7150
30.	जिन्दल, श्री नवीन	7069
31.	जोगी, श्री अजीत	7090
32.	कामत, श्री गुरूदास	7149
33.	खैरे, श्री चंद्रकांत	7140
34.	खां, श्री सुनील	7005, 7081
35.	खन्ना, श्री अविनाश राय	7006
36.	खारवेनथन, श्री एस.के.	7071, 7113, 7134, 7140
37.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	7001
38.	कृपलानी, श्री श्रीचन्द	7055
39.	कृष्णदास, श्री एन.एन.	7016
40.	कुशवाहा, श्री नरेन्द्र कुमार	7040, 7102, 7115
41.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	7151
42.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	7037, 7090, 7118
43.	माधवराज, श्रीमती मनोरमा	7103
44.	महाजन, श्री वाई.जी.	7012, 7075, 7123
45.	महतो, श्री बीर सिंह	7011
46.	महताब, श्री भर्तृहरि	7046
47.	मंडल, श्री सनत कुमार	7085
48.	माने, श्रीमती निवेदिता	7085
49.	मैक्लोड, श्री इन्ग्रिड	7090
50.	मेघवाल, श्री कैलाश	7074, 7115
51.	मेहता, श्री आलोक कुमार	7057
52.	मैन्या, डा. टोकचोम	7064
53.	मोदी, श्री सुशील कुमार	7043
54.	मोहले, श्री पुन्नूलाल	7045, 7063
55.	मो. ताहिर, श्री	7115
56.	मोहित, श्री सुबोध	7072
57.	मुर्मू, श्री हेमलाल	7045, 7095, 7148
58.	मुर्मू, श्री रूपचन्द	7049
59.	नायक, श्री ए. वेंकटेश	7068
60.	नरहिरे, श्रीमती कल्पना रमेश	7008
61.	निहाल चंद, श्री	7146
62.	निखिल कुमार, श्री	7082, 7091
63.	नीतीश कुमार, श्री	7094
64.	ओराम, श्री जुएल	7096, 7129
65.	ओसमानी, श्री ए.एफ.जी.	7020, 7077, 7078, 7091
66.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	7036, 7088
67.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	7148
68.	पासवान, श्री रामचन्द्र	7024
69.	पाटसाणी, श्री प्रसन्न कुमार	7067
70.	पटेल, श्री हरिलाल माधवजी भाई	7144
71.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	7085, 7145
72.	पाठक, श्री ब्रजेश	7032, 7104, 7124
73.	पाटील (यत्नाल), श्री बसनगौडा आर.	7033
74.	पाटील, श्री बालासाहिब विखे	7066, 7109
75.	पाटील, श्रीमती रूपाताई डी.	7030
76.	पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब	7062
77.	पिंगले, श्री देविदास	7052, 7098
78.	पोन्नुस्वामी, श्री ई.	7101, 7122

1	2	3
79.	प्रधान, श्री प्रशान्त	6994
80.	राजेन्द्र कुमार, श्री	7017, 7076, 7131
81.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	7101, 7122
82.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	7031, 7100, 7120, 7141, 7155
83.	रेड्डी, श्री जी. करूणाकर	7061
84.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	7044, 7058
85.	शर्मा, डा. अरूण कुमार	7038
86.	सरोज, श्री तूफानी	7059
87.	सतीदेवी, श्रीमती पी.	7021
88.	सत्पथी, श्री तथागत	7089, 7117, 7136, 7141
89.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	7042
90.	सेठी, श्री अर्जुन	7048
91.	शाहीन, श्री अब्दुल रशीद	7085
92.	शाहिद, मोहम्मद	7040, 7102
93.	शाक्य, श्री रघुराज सिंह	7022
94.	शर्मा, श्री मदन लाल	7029
95.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	7089, 7112, 7117, 7132
96.	शिवन्ना, श्री एम.	7042, 7092
97.	सिंह, श्री बृज भूषण शरण	7060, 7105, 7125
98.	सिंह, श्री दुष्यंत	7044, 7096, 7110, 7130
99.	सिंह, श्री गणेश	7023, 7079, 7090
100.	सिंह, श्री गणेश प्रसाद	7007
101.	सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	7085
102.	सिंह, कुंवर मानवेन्द्र	7018, 7080
103.	सिंह, श्री मोहन	7057
104.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	7150
105.	सिंह, श्री सुग्रीव	7085
106.	सिंह, श्री सूरज	7024
107.	सिंह, श्री उदय	7053, 7099, 7119
108.	सोनोवाल, श्री सर्वानन्द	7039
109.	शुक्लवैद्य, श्री ललित मोहन	7026, 7107, 7127, 7154
110.	सुमन, श्री रामजीलाल	7093
111.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	7013, 7073
112.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	7148
113.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	7057, 7085
114.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	7084, 7115, 7135
115.	वर्मा, श्री भानु प्रताप	7002
116.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	7089, 7117, 7136, 7141
117.	वाघमारे, श्री सुरेश	7034, 7087
118.	यादव, श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु	7085
119.	यादव, श्री मित्रसेन	7065, 7108, 7128, 7153
120.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	7014

अनुबंध II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

नागर विमानन	:	664, 666
संस्कृति	:	667, 672, 675
रक्षा	:	662, 677
भारी उद्योग और लोक उद्यम	:	
सूचना और प्रसारण	:	663
पंचायती राज	:	
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	:	661, 668, 669, 671, 673, 674, 676, 678, 679
रेल	:	670, 680
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	:	665

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

नागर विमानन	:	7003, 7012, 7023, 7024, 7051, 7053, 7062, 7071, 7075, 7084, 7100, 7109, 7111, 7121, 7140, 7143
संस्कृति	:	6994, 6996, 6997, 7021, 7029, 7032, 7057, 7076, 7080, 7092, 7097, 7134, 7135
रक्षा	:	6999, 7006, 7009, 7015, 7016, 7034, 7040, 7054, 7058, 7066, 7081, 7096, 7098, 7103, 7116, 7124, 7132, 7136, 7150, 7153, 7155
भारी उद्योग और लोक उद्यम	:	
सूचना और प्रसारण	:	7007, 7008, 7011, 7059, 7061, 7082, 7104, 7110, 7130, 7141, 7142, 7154
पंचायती राज	:	7122, 7133
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	:	7002, 7013, 7019, 7020, 7027, 7030, 7031, 7042, 7050, 7055, 7065, 7073, 7074, 7077, 7079, 7083, 7085, 7089, 7090, 7091, 7093, 7094, 7108, 7113, 7115, 7120, 7128, 7146, 7148, 7149, 7151
रेल	:	6995, 7000, 7001, 7005, 7010, 7017, 7018, 7025, 7026, 7035, 7037, 7038, 7039, 7041, 7043, 7044, 7045, 7046, 7048, 7049,

	7052, 7056, 7060, 7063, 7064, 7067, 7068, 7070, 7072, 7087, 7088, 7095, 7099, 7101, 7105, 7106, 7107, 7112, 7114, 7118, 7119, 7123, 7125, 7126, 7127, 7129, 7131, 7137, 7138, 7139, 7144, 7145, 7152
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	6998, 7004, 7014, 7022, 7028, 7033, 7036, 7047, 7069, 7078, 7086, 7102, 7117, 7147

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http:#www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल ''डीडी-लोकसभा'' पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस.–48/10/37/2005 (एन०)
232

© 2005 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और धनराज एसोशिएट्स, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।